राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] बारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का बहत्तरवां दिवस [संख्या : 21

शुक्रवार

15 अप्रैल, 2005

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री जीतराम।

अजमेर एवं टोंक रोड (जयपुर) पर वृक्षों की कटाई

346. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर में अजमेर रोड एवं टोंक रोड को चौड़ा करने हेतु काटे गये हरे वृक्षों से पर्यावरण को हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?

(2) काटे गये वृक्षों की लकड़ी का क्या उपयोग किया गया एवं कितने घन मीटर लकड़ी काटी गई? इससे सरकार को कितनी आय हुई?

(3) क्या सरकार उक्त सड़कों के किनारे पुन: वृक्षारोपण करवाने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री लक्ष्मीनारायण दवे) : (1) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृतियों के अनुसार जयपुर

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

अजमेर मार्ग पर जयपुर-दूदू खण्ड के किनारे 136.5 हैक्टेयर में काटे गये पेड़ों की क्षतिपूर्ति हेतु दुगने संख्या में पेड़ लगाया जाना तथा दूदू किशनगढ़ खण्ड के किनारे 26 हैक्टेयर में काटे गये पेड़ों की क्षति पूर्ति हेतु दूने संख्या में पेड़ लगाया जाना एवं 2.5 हैक्टेयर में काटे गये पेड़ों की क्षति पूर्ति हेतु दुगने क्षेत्र 5 हैक्टेयर पारिभांषित वन भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना है।

टोंक रोड पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा काटे गये पेड़ों की क्षतिपूर्ति हेतु चार गुने पेड़ लगाये जाने हैं।

(2) जयपुर-अजमेर मार्ग पर विभाग द्वारा काटे गये पेड़ों की लकड़ी को नीलामी से बेचा गया। पेड़ों के विदोहन से कुल 1,04,481 क्विंटल लकड़ी प्राप्त हुई जिससे एक करोड़ एक लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

टोंक रोड पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा काटे गये 507 वृक्षों की नीलामी से 4,50,400 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

(3) अजमेर रोड पर सड़क किनारे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वृक्षारोपण किया गया है।

टोंक रोड पर वृक्षारोपण कार्य प्रगति पर है जिसे आगामी वर्षा ऋतु तक पूरा करा दिया जायेगा।

श्री जीतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि लगभग 7-8 वर्ष पूर्व जयपुर-दिल्ली मार्ग चौड़ा करने के लिए काटे गये पेड़ों के स्थान पर दुगने पेड़ लगा दिये गए हैं?

दूसरा, सांगानेर-मालपुरा रोड, आगे केकड़ी तक रोड़ जाता है, लगभग 100 वर्षों से लगे हुए हैं, असामाजिक तत्व जाते हुए पेड़ों के छाल उतार देते हैं, सूखने के बाद उनको काट लिया जाता है, उन पर कार्यवाही की जा रही है?

तीसरा, क्या सरकार खातेदारों के खेतों के पास से गुजरने वाली सड़क, नहर, खालें लगी हुई हैं, पेड़ों का 50 प्रतिशत हिस्सा खातेदार को देने का विचार रखती है? क्योंकि जो खातेदार होते हैं, उनकी वह पेड़ नमी खींच लेते हैं, 15-15, 20-20 फुट तक फसल नहीं होती। तो वह पेड़ों की रक्षा भी करेगा अगर खातेदार को वह दिया जाएगा तो, इसलिए इस पर विचार रखते हैं?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से सम्बन्धित एक सवाल है। टोंक रोड़ पर तो आपने वृक्षों की नीलामी की, 507 वृक्षों से 4,50,400 रुपये प्राप्त किए लेकिन इस जयपुर-अजमेर मार्ग पर आपने वजन के आधार पर केवल 96 रुपये 60 पैसे क्विंटल के हिसाब से लकड़ी बेची तो क्या इसमें इमारती लकड़ी नहीं थी?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, यह जो जयपुर-अजमेर मार्ग है और रोड के पास में जो प्लान्टेशन था यह प्रोटेक्टेड फोरेस्ट में था और प्रोटेक्टेड फोरेस्ट में होने के कारण राजस्थान वन अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति लेनी पड़ती है प्रस्ताव भेजकर। केन्द्र सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई। स्वीकृति प्राप्त होने के कारण पेड़ों के कटाव का आदेश दिया गया और उसमें जो कंडीशन रखी गई, पहली कंडीशन थी कि सड़क को चौड़ा करने के दौरान न्यूनतम पेड़ों को काटा जाएगा। दूसरा, वन भूमि की वैधानिक स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं इसमें टोटल लकड़ी 1,44,81.25...

श्री अध्यक्ष : नहीं, 1,04,481...

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : सारी, 1,04,481.25, जिसमें से 83457.36 जलाऊ लकड़ी थी और 21023.89 यह इमारती लकड़ी है। इन लकड़ियों में राशि, जे.डी.ए. के द्वारा 4,50,400 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। एक करोड़ एक लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। एच.आई.ए. फर्स्ट को 36,64,360 रुपये राष्ट्रीय प्राधिकरण के द्वारा जमा कराए गए और एक केम्पा जो प्रबन्ध एवं आयोजना प्राधिकरण है इसमें यह राशि जमा होती है और उस राशि के जमा होने के बाद वन विभाग के द्वारा एक कार्य योजना बनाई जाती है। उस कार्य योजना के आधार पर फोरेस्ट का काम किया जाएगा। यहां नेशनल हाईवे, ए-फर्स्ट ने, जयपुर से अजमेर रोड के बीच में यहां पर भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था, उसके तहत 24.4.2002 को यह शर्त की गई कि इसमें अजमेर से जयपुर के बीच में जमीन उपलब्ध नहीं है इसलिए फोरेस्ट विभाग डबल प्लान्टेशन करेगा। इस क्षेत्र में नहीं है तो इस क्षेत्र के अन्दर एन.एच.ए. फर्स्ट ए के द्वारा प्लान्टेशन की कार्यवाही की जाएगी।

मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो केकड़ी और सांगानेर के बीच में प्लान्टेशन की बात की। केकड़ी और इसके बीच में जो जूलीफ्लोरा के पेड़ थे उनको

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

काटा गया। आपकी भावना की कदर करते हुए माननीय सदस्य के उस क्षेत्र में, वन विभाग के द्वारा नेशनल हाइवे ए-फर्स्ट के द्वारा डबल प्लान्टेशन की कार्यवाही की जो योजना है उसमें उनको भी सम्मिलित कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : जूलीफ्लोरा को भी शामिल कर लेंगे, कमाल है। बेकार चीज को शामिल कर लेंगे। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, जूलीफ्लोरा नहीं, वहां शीशम के पेड़ थे और शीशम के पेड़ काटकर यहां से सांगानेर से मालपुरा तक मेरा भी वही रोड है। वहां पर इतने शीशम के पेड़ थे सब काट लिये गये और आपके अधिकारी मिलकर कटवाते हैं। नीम है, शीशम है, तो उनके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं? पहले से ही कट रहे हैं। मैं आपके शासन, आपके कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं...

श्री जीतराम : 100 साल पुरानी बात है।

डा. एन. एस. गुर्जर : इनका शासन रहा हो, चाहे अपना रहा हो, अधिकारी अपनी मनमर्जी से नीम, शीशम के पेड़ काटते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही, सड़क के किनारे ढाबे बनाकर आगे सड़क से जोड़ देते हैं, तो जितने हाइवे हैं वहां पर वह पेड़ काट लेते हैं, सड़क से अपने आपको जोड़ देते हैं। अतिक्रमण कर लेते हैं। इस सम्बन्ध में आप क्या करेंगे?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह नेशनल हाइवे है जो स्टेट हाइवे है, जो गांव की रोड है उनके ऊपर वन विभाग द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं और पेड़ बड़े-बड़े हो गए, मवैशी, भेड़-बकरी चराने वाले उसको जैसा मालपुरा से आने वाले सदस्य ने कहा, वह काट देते हैं तो मेरा निवेदन है कि बड़े होने के बाद उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वन विभाग की है या पी.डब्ल्यू.डी. की है रोड के आस-पास में, यह बताइये?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने, केकड़ी और मालपुरा, इनके बीच में इस राज्य सरकार के कार्यकाल के अन्दर किसी प्रकार के पेड़ों की कटाई नहीं हुई। मात्र जूलीफ्लोरा की हुई थी। अगर आप

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

बताते हैं कि इसके पहले भी कोई शीशम के पेड़ या बहु उपयोगी पेड़ों का अगर कटान हुआ है तो मैं इसको देख लूंगा इस योजना के तहत। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप खुद ही कह रहे हैं कि इमारती लकड़ी के भी पेड़ थे। इसके अलावा कौनसा पेड़ हो सकता है? शीशम के अलावा और कौनसा पेड़ हो सकता है? यह कह रहे हैं आप...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं जिस इमारती लकड़ी की बात मैंने की है वह जयपुर से अजमेर रोड के बीच में है। उसमें...

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं माफी चाहूंगा, टोडीसागर जो मालपुरा और सांगानेर के बीच में है, कम से कम 5-7 बार समाचार पत्रों में यह छप गया कि यहां से शीशम के पेड़ कट रहे हैं। नीम के पेड़ कट रहे हैं उसके बाद भी वहां पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मंत्री महोदय, आप स्वयं जाकर चैक कर लें, वह शीशम के और नीम के पेड़ कटे हैं कि नहीं कटे हैं। आप संतुष्ट हो जाएं तो कार्यवाही करें, हमारे कहने से नहीं। पहले कितने थे और अब कितने बचे हैं और काटे गये कि नहीं काटे गये। यह स्वयं आप सैटिस्फाइड हो जाएंगे, जब जाएंगे तो।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आप यह भी बता दें कि यह पेड़ कौन से सन में काटे और 3 साल हो गये, जो बात अब आप कह रहे हो, वह पहले क्यों नहीं की।

श्री अशोक नागपाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर वन विभाग के दो मण्डल आते हैं।

श्री अध्यक्ष : इनका जवाब तो आने दो प्रश्न का पहले। पहले वह जवाब आने दो।

श्री अशोक नागपाल : आप की आज्ञा से, इसी सम्बन्ध में है। इसी सन्दर्भ में है।

डा. एन. एस. गुर्जर : पहले उसका तो नम्बर आने दो, यह अलग है।

श्री अशोक नागपाल : आपकी आज्ञा से, दो व्यापार मण्डल हैं वन विभाग के, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ जिसमें...

श्री अध्यक्ष : सूरतगढ़ का प्रश्न नहीं है यह। यह जयपुर में अजमेर रोड और टोंक रोड का प्रश्न है। (व्यवधान) जयपुर से अजमेर और टोंक रोड का प्रश्न है।

डा. एन. एस. गुर्जर : इसका जवाब आ जाने दें, बाद में पूछ लेना। (व्यवधान)

श्री अशोक नागपाल : वन विभाग का ही है, उसमें अनूपगढ़ में इनका भण्डारण बना हुआ है मैं उसी सन्दर्भ में पूछ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अशोक नागपाल : इसी सन्दर्भ में है, वहां शीशम के पेड़ काटे जाते हैं और दिखाये जाते हैं सफेदे के पेड़। जब कि शीशम के पेड़ काटे जाते हैं और सीधे के सीधे भेज दिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह जानकारी दी कि वहां पर उपयोगी पेड़, शीशम के पेड़, किसी तरह का पहले कोई कटाव हुआ है तो उसकी मैं जानकारी ले लूंगा, जांच करा लूंगा। आपने जो प्रश्न किया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह डाइवर्जन के प्रस्ताव 8.12.1999 को गवर्नमेंट आफ इण्डिया को भेजे गये थे और वहां से डाइवर्जन के प्रस्ताव पारित होने के बाद में जयपुर और अजमेर के बीच में जो पेड़ों को काटा गया है जिसमें नीम के पेड़ भी थे, सफेदे के भी थे, शीशम के भी थे, बबूल थे, इमारती लकड़ी भी थीं और जलाऊ लकड़ी भी थी जिसमें 83457.36 क्विंटल जलाऊ लकड़ी है, और यह टोटल, यह नीम, सफेदा, शीशम...

श्री अध्यक्ष : यह बताओ आप तो कौन से सन् में कटे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : यह 1999 के अन्दर प्रस्ताव भेजे थे। 2002 के अन्दर इसकी स्वीकृति आयी थी और स्वीकृति के बाद में इसमें प्रत्येक डिपो में, 4 डिपो का निर्धारण किया गया। वन विक्रय केन्द्र, जयपुर, एक दूदू में, एक भांकरोटा में और एक अस्थायी डिपो भांकरोटा में किया गया। जिसमें समाचार पत्रों के द्वारा जन साधारण को सूचित करने के लिये बार-बार समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की गयी। यह 22.1.2002 को की गयी, 24.12.2002 को की गयी, 27.12.2002, 2.2.2003, 11.3.2003 और 28.5.2003 को यह विज्ञप्ति जारी की और इस विज्ञप्ति के बाद के अन्दर 28 दिसम्बर से जनवरी, 2004 तक इसकी नीलामी की कार्यवाही हुई।

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, वह महत्वपूर्ण सवाल रह गया। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल : उन पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है या पी.डब्ल्यू.डी. विभाग की है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : जहां प्रोटेक्टेड फोरेस्ट की लेण्ड है, जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन किया, जो प्रोटेक्टेड फोरेस्ट के अन्दर भूमि आती है वह भूमि वन विभाग की है। इसकी सुरक्षा वन विभाग के द्वारा की जाती है और जो प्रोटेक्टेड फोरेस्ट में नहीं है उसकी वहां पर, अगर शहरी क्षेत्र में है तो जे.डी.ए. करती है बाकी नेशनल हाईवे-ए-1 की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं पूछा रहा हूं, मैं यह पूछ रहा हूं कि यह स्टेट हाईवे है या गांव से जुड़े..,

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री रामप्रताप कासनिया : मैं यह जानना चाहता हूं कि टौंक रोड पर जो पेड़ों की कटाई हुई है, इस रोड पर कौन-कौनसी किस्म के पेड़ थे।

श्री अध्यक्ष : वह तो बता दिया ना उन्होंने।

श्री रामप्रताप कासनिया : और दूसरा, अध्यक्ष महोदय, अवैध कटाई के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अवैध कटाई का जो सबूत है, यह मेरे पास सी.डी. है, कितनी अवैध कटाई हुई है यह मैं टेबल करता हूं, क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करवाने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : पहले तो सी.डी. दिखायें उनको बताएं। क्या पता वहां की सी.डी. लेकर आये हैं आप।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य और तमाम माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में अगर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई होती है और उस कटाई के बारे में राजस्थान सरकार

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

को, वन विभाग के अधिकारियों को और मेरे को स्वयं इस बारे में अगर कोई सूचना देंगे तो निश्चित रूप से इसकी जांच की जायेगी और इसमें जो भी संलिप्त पाये जाएंगे, they will be penalised.

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री नवरतन राजोरिया।

सदन की मेज पर रखिये।

(माननीय सदस्य श्री रामप्रताप कासनिया द्वारा एक सी.डी. सदन की मेज पर रखी गयी)

पंचायत राज संस्थाओं की गबन शुदा राशि की वसूली

347. **श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में 31 दिसम्बर, 2004 तक पंचायती राज संस्थाओं में 50,000/- रुपये या इससे अधिक की राशि के गबन के कितने प्रकरण किस-किस व्यक्ति के विरूद्ध बकाया हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गबन की राशि की शीघ्र वसूली के लिये सरकार क्या कदम उठाये जाने का विचार रखती है।

पंचायती राज मंत्री (श्री कालूलाल गुर्जर) : (1) राज्य में 31 दिसम्बर तक पंचायती राज संस्थाओं में 50,000 रुपये या इससे अधिक राशि के कुल 237 प्रकरण बकाया हैं। गबनकर्ताओं की जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) उक्त गबन राशि की शीघ्र वसूली के लिए वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के द्वारा किये गये गबन की वसूली के लिए उनके वेतन/परिलाभों से वसूली की कार्यवाही की जा रही है। सेवानिवृत्त/कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों के प्रकरणों में पी.डी.आर./एल.आर. एक्ट में वसूली की कार्यवाही की जा रही है। जिलेवार विवरण संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष : यह आपने 2004 का ही पूछा है, इससे पहले का भी पूछा है।

श्री नवरतन राजोरिया : तक पूछा है।

श्री अध्यक्ष : तक का कैसे जवाब दे सकते हैं वे। और तक का अगर जवाब दिया तो मैं नहीं समझती हूं कि सही है यह जवाब। तक का कैसे हो सकता है।

श्री नवरतन राजोरिया : जवाब दिया है और जिलेवार सूची लगायी है।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 237 लोगों की सूची दी है। उसमें अनेक ऐसे मामले हैं जिसमें 15-20 वर्षों से कोई वसूली की कार्यवाही नहीं हुई है। भ्रष्टाचारी की कोई जाति नहीं होती है, भ्रष्टाचारी की कोई पार्टी नहीं होती है। भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी होता है। जनता का पैसा जो गबन करता है उसको सख्त से सख्त सजा देने की कार्यवाही होनी चाहिए, संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब तक 237 लोगों की जो सूची दी है उससे जाहिर होता है कि अनेक ऐसे मामले हैं जिसमें लाखों रुपये का गबन उन जन प्रतिनिधियों ने और कर्मचारियों/अधिकारियों ने मिलकर किया है। यह सूचना जो आपने दी है उसमें आपने बताया है कि 237 की जो सूची दी है उसमें लगभग 5501319 रुपये वसूली के लिये बकाया हैं उसमें से आपने 13618066/- रुपये वसूल किये हैं। आपकी सूची के अनुसार 110 प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज हुई है जिसमें केवल 39 में कार्यवाही हुई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चांहूंगा कि वसूली की कार्यवाही जो आज तक काफी वसूली की कार्यवाही वर्षों से लम्बित है उसमें क्या कार्यवाही करके कितनी अवधि में यह वसूली की कार्यवाही कर लेंगे।

दूसरा, मैं यह जानना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने एक प्रकरण जाहिर किया है। उसमें जो आपने गबन बताया है उसकी राशि मैं बता रहा हूं 1433242 का गबन किया है। यह इतनी बड़ी राशि है कि क्या अधिकारियों की नालेज में नहीं आता कि इतनी बड़ी-बड़ी राशि खातों से कैसे गायब हो जाती है और कोई कार्य नहीं होता है। जो विकास के कार्यों के लिये पैसा आया है वह पैसा किस प्रकार से सरपंच के और सैक्रेटरी की जेब में चला जाता है यह इससे जाहिर होता है। 14 लाख रुपये का गबन, जो मैं आपकी जानकारी में लाया था, फुलेरा विधान सभा क्षेत्र की बागावास पंचायत थी कांग्रेस के शासन में उस सरपंच को दोषी करार देकर निलम्बित किया गया था, कांग्रेस के शासन में ही उसको वापस बहाल किया गया था और फिर आपने पुन: जांच करवायी थी उसके बाद भी सरपंच, जिसने एक लाख रुपये का गबन किया है,

(श्री नवरतन राजोरिया)

अयोग्य घोषित करने के बावजूद भी पुन: एक बार पंचायत समिति का सदस्य बनकर और पंचायत समिति में कर रहा है ऐसे लोगों को किस प्रकार का संरक्षण मिल रहा है, यह मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा।

तीसरा यह है कि हिंगोनिया रळावता, मलिकपुर और कालख की आपके पास में शिकायतें पैंडिंग हैं। उसमें क्या कार्यवाही कर रहे हैं? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। (व्यवधान) कांग्रेस के टाइम पर जो घोटाले हुए, यह सबसे ज्यादा घोटालों की सूची है वह कांग्रेस के टाइम के हैं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : अध्यक्षजी, इसी प्रश्न के सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 14 लाख 33 हजार के गबन का प्रकरण उस आदमी की तरफ था तो क्या पुन: उसको नो-ड्यूज देकर के चुनाव लड़ने की परमीशन दे दी गयी?

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं जवाब दे दूं। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : साथ ही साथ यह भी पूछना चाहते हैं कि जो राशि बकाया है, उसमें ब्याज आरोपित किया जा रहा है कि नहीं? या वह की वह राशि वसूल की जायेगी या 10 साल बाद में उस पर ब्याज आरोपित किया जाएगा या वही राशि वसूल की जायेगी? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर दे देने दीजिए, उसके बाद फिर पूछिये।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरा एक सवाल है। सबसे गम्भीर बात तो अध्यक्ष महोदय, यह है कि जो गबन का मामला है, जिसने गबन किया है, तो वह चुनाव एन.ओ.सी. किस बी.डी.ओ. ने, किसने दे दी? उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए क्योंकि जिसके खिलाफ गबन का मामला दर्ज है, उसको तो चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है। उसको तो नो-ड्यूज मिलना ही नहीं चाहिए, यह किसने दे दिया। कौन इसमें शामिल है, कौन इसमें दोषी है, क्या सरकार उसके खिलाफ भी कार्यवाही करेगी?

डा. एन. एस. गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा मंत्रीजी

से कि आपने साढ़े पांच करोड़ रुपये में से केवल 1 करोड़ 36 लाख के आस-पास वसूली होना बताया है, री-कवरी 110 केसेज में आपने एफ.आई.आर. दर्ज करायी है, उसमें 39 केसेज कोर्ट में पेंडिंग हैं और 21 की आप पी.डी.आर. या एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही कर रहे हैं और 237 में से केवल 170 केसेज हैं, जो कोर्ट में हैं, जिसमें जिनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवायी है, या पी.डी.आर. और एल.आर. एक्ट में आप कार्यवाही कर रहे हैं बाकी 67 केसेज ऐसे हैं, जिनके बारे में आपने कोई ब्योरा नहीं दिया है कि इसमें आप क्या कर रहे हैं तो पहला तो आप यह बताने का कष्ट करें कि 67 केसेज में आप क्या कर रहे हैं?

दूसरा, यह जो 67 केसेज, जो न कोर्ट में पैंडिंग हैं, न जिनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज है और न किसी एक्ट में कार्यवाही कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध आप, 67 केसेज में जहां कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, उनमें कितनी राशि कुल बकाया है इस साढ़े पांच करोड़ में से? पहला प्रश्न है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इनमें से जो बकाया राशि थी, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुबारा चुनाव लड़ा और सम्बन्धित अधिकारियों ने उनको एन.ओ.सी. जारी की?

अध्यक्ष महोदय, एक मेरा सवाल यह भी है कि जब मैं उस समय था तो ढाई हजार केसेज पैंडिंग थे जो 30 साल पुराने थे। उस समय हमने एक अभियान चलाया था।

श्री अध्यक्ष : आप तो क्वेश्चन पूछिये, अपनी बात मत कहो।

डा. एन. एस. गुर्जर : यह क्वेश्चन ही है कि आप कोई क्या इस तरह का अभियान चलाएंगे? (व्यवधान) एक मिनट, प्लीज। क्या आप इस तरह का अभियान चलाएंगे?

श्री हरिमोहन शर्मा : क्या होगा पुरानी याद ताजा करने से, कोई फायदा नहीं है।

डा. एन. एस. गुर्जर : ऐसा नहीं है, मैंने बिलकुल रेलेवेंट सवाल पूछा है कि 67 केसेज वह हैं जो न कोर्ट में पैंडिंग हैं, न एफ.आई.आर. दर्ज हैं और न किसी एक्ट में कोई

(डा. एन. एस. गुर्जर)

कार्यवाही हो रही हैं। इन 67 केसेज में आप क्या कर रहे हैं? उनके अगेंस्ट में कितनी राशि बकाया है और इनमें से कितने लोगों ने चुनाव लड़ लिया और उनको एन.ओ.सी. मिल गयी? यह बिलकुल रेलेवेंट क्वेश्चन है और उसके अलावा क्या आप एक अभियान चलाएंगे जिसमें जैसा उस समय चला था कि आप विथ इण्ट्रेस्ट यदि यह पैसा जमा करा देते हैं आपको तो उनको जो कोर्ट में पैंडिंग हैं केसेज या दूसरे हैं उनको आप वापस ले लेंगे? इससे सरकार को लाभ होगा। उस समय तीन करोड़ रुपये की राशि अध्यक्ष महोदय, हमने जमा किये थे तो क्या इस तरह का भी आप अभियान चलाएंगे?

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया था, उन्होंने यह कहा कि उनके पंचायत, विधान सभा क्षेत्र की एक पंचायत के सरपंच ने 14 लाख का गबन किया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो सूचना है उसमें उन्होंने जो तारीख दी है, उस तारीख तक और पचास हजार रुपये से अधिक के गबन के मामले उसमें मेरे यहां एक प्रकरण है। उस प्रकरण के अन्दर श्री मदन लाल जाट, अध्यापक और श्री कमल किशोर शर्मा, ग्राम-सेवक, दोनों ने 1,61,123 रुपये का गबन किया, हेरा-फेरी की और फर्जी बिल बनाकर पैसा उठा लिया। उन दोनों के खिलाफ कार्यवाही हुई। अध्यक्ष महोदय, इन दोनों का चालान सी.जे.एम. कोर्ट, साम्भरलेक में पेश किया गया और 12.6.2002 को ही कर दिया और थाना रेनवाल से उसका चालान हुआ। उसमें से 45,544/- रुपये वसूल भी हो गये और बाकी पैसा वसूल किया जाएगा परन्तु सरकारी कर्मचारी निलम्बित हैं और उनको जो पैसा मिलता है उसमें से सरकार काट नहीं सकती है नियमों के अन्तर्गत। या तो वे टरमिनेट हो जाएंगे उसके बाद उनकी ग्रैचुएटी फण्ड, जो भी मिलेगा उसमें से काटा जाएगा. या एल.आर. एक्ट के तहत वसूली की जाएगी और या री-इंस्टेंट हो जाएंगे तो उनकी तनखाह से काटा जाएगा। जहां तक आपने यह कहा कि सरपंच के खिलाफ 14 लाख रुपये बाकी है और उसके अलावा भी उन्होंने दो-तीन और नाम बताये हैं हिंगोनिया और दो-चार पंचायतों के, जिनमें बाकी है, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि कोई भी गबन की शिकायत मिलती है या आडिट पैरा के तहत गबन निकलता है। निकलने के बाद उसको सुनवाई का अवसर देकर डिमाण्ड कायम होती है, फिर वसूली की कार्यवाही होती है और सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज कराया जाता है। क्रिमिनल केस भी दर्ज करवाये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने जो नाम बताये उन सरपंचों के खिलाफ जो डेट

आपने बतायी, वहां तक कोई भी मामला जांच होकर उनके खिलाफ डिमाण्ड कायम होकर मेरे समक्ष या विभाग के पास नहीं आया। आप भी बता रहे हैं कि इतने-इतने गबन किये और चुनाव भी लड़ लिये, उन पर डिमाण्ड कायम नहीं होने के कारण लड़ लिये तो मैं सदन में उनको विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी प्रकरण उनके यहां, उस पंचायत समिति के पैंडिंग हैं या और भी हैं, उस पंचायत समिति के समस्त प्रकरणों को स्पेशली मैं ध्यान रखकर दो महीने के अन्दर-अन्दर सारी जांच करवा लूंगा। यदि डिमाण्ड कायम होगी तो निश्चित रूप से उससे वह पैसा वसूल होगा। यदि उन्होंने चुनाव लड़ लिया और इस तरह से अयोग्य घोषित हो सकेंगे तो वह कार्यवाही भी की जाएगी और जहां तक...(व्यवधान) चाहे किसी का भी हो, कार्यवाही होगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नवरतन राजोरिया : यह तो मैंने पहले ही कह दिया कि भ्रष्टाचारी की कोई जात नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी ही होता है और मैंने इतना ही कहा है...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब तो पूरा सुन लिया जाए।

श्री नवरतन राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय जांच प्रकरणों में करवाते हैं लेकिन नीचे के अधिकारी जो ऊपर तक के अधिकारी हैं उन तक फाइल ही नहीं पहुंचने देते। (व्यवधान) और लीपापोती हो जाती है।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह क्या हैं, मैं जवाब दे रहा हूं और यह सुनना ही नहीं चाहते हैं।

श्री नवरतन राजोरिया : ऐसे हजारों केसेज हैं, यह तो केवल मात्र दोषी होने के नाते...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने जवाब पूरा नहीं दिया है, माननीय सदस्य।

श्री नवरतन राजोरिया : दोषी है वह सामने आये हैं, आपकी फाइल उठाकर देख लीजिए और जिला कलक्टर और सी.ई.ओ. साहब से पूछ लीजिए कि कितने प्रकरण दर्ज हैं और उसमें प्रभावी कार्यवाही क्या करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि प्रभावी कार्यवाही क्या होती है, जो लम्बित होते हैं और जांच होती नहीं है।

श्री अध्यक्ष : फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य, प्रश्न का जवाब पूरा नहीं किया है मंत्रीजी ने। (व्यवधान) आप पूरा जवाब सुन लीजिए और उसके बाद खड़े होइये।

श्री नवरतन राजोरिया : ठीक है, बाद में पूछ लेते हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में अभी अन्य माननीय सदस्यों ने और टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता की है कि... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे नहीं, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य. बैठे-बैठे नहीं बोलिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह माननीय सदस्य कुछ असहज दिखाई दे रहे हैं इसलिए कहा है।

श्री नवरतन राजोरिया : वह बाकी है।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्य माननीय सदस्यों ने और टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने जो वसूली की कार्यवाही समय पर नहीं होने पर चिन्ता व्यक्त की है और आपने यह भी कहा है कि क्या ऐसे स्पेशल प्रोग्राम चलाएंगे? अध्यक्ष महोदय, हमने इस साल महालेखाकार के साथ समन्वय स्थापित करके 25 जिलों में कैम्प लगाये और उन कैम्पों के आयोजन से 68 लाख 73 हजार रुपये की वसूली मई, 2005 तक सामूहिक रूप से कैम्प आयोजित करके की है और भी हम वसूली को प्रभावी ढंग से वसूल करने की कार्यवाही कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि प्रभावी ढंग से और वसूली हो, इसके लिए हमारे नियमों से एक थोड़ी पेचीदगी थी, उसको अभी हमने ठीक किया है। कोई भी डिमाण्ड कायम होने के बाद फिर उसको सुनवाई का मौका दिया जाना जरूरी थी। इस कारण से डिले होता था। पूरे राजस्थान के ऐसे प्रकरणों में सब में कमिश्नर स्तर पर आकर और यहां पर इनको सुनवाई का मौका दिया जाता था। इसके बजाए हमने अब यह व्यवस्था कर दी है कि कोई भी शिकायतकर्ता की जांच होने के बाद दोषी पाये जाने पर कलक्टर को अधिकृत किया कि वह जिला परिषद् स्तर के जितने भी

जन-प्रतिनिधि और अधिकारी हैं, उनकी जांच रिपोर्ट आने पर वे खुद उनको मौका देकर वहीं डिमाण्ड कायम कर देंगे। उससे नीचे के अधिकारी, पंचायत समिति और सरपंच आदि हैं, उनके लिए सी.ई.ओ. को अधिकार दे दिया। अध्यक्ष महोदय, उनकी डिमाण्ड कायम होने के बाद वसूली जल्दी हो, इसके लिए प्रत्येक जिले में ए.सी.ई.ओ. को लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत वसूली का अधिकार देने के लिए पत्रावली बनाकर रेवेन्यू डिपार्टमैंट को भेज रखी है। जैसे ही वहां से आदेश हो जाएंगे तो उसके बाद प्रभावी ढंग से वसूली की जाएगी, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा पर्टिकूलर क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसका जवाब नहीं आया। आप भी देखिये, आपके पास उत्तर होगा। 170 केसेज हैं। 110 कोर्ट में एफ.आई.आर. दर्ज की है, 39 कोर्ट में पैंडिंग हैं, 21 में पी.डी.आर. और एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही, 67 केसेज ऐसे हैं जिनमें आप क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी ही नहीं है। इसमें टोटल कितने पैसे बकाया हैं?

श्री अध्यक्ष : प्रभावी कार्यवाही करेंगे, बताया न प्रभावी ढंग से करेंगे।

डा. एन. एस. गुर्जर : नहीं, इनमें कितनी राशि बकाया है, इन केसेज की क्या स्थिति है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह मैंने सूची दी है जिसमें सब में किस-किस में कितना बकाया है, थोड़ा सा अगर होमवर्क करेंगे माननीय सदस्य, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया मैंने। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : कालूलालजी से नाथूसिंहजी कभी सन्तुष्ट हो ही नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया : और माननीय मंत्रीजी ने अन्तिम समय में साइन कर दिये उसके बावजूद वह व्यक्ति क्यों नहीं अयोग्य घोषित हुआ? माननीय मंत्रीजी, वह फाइल कहां गयी जिसमें अयोग्य घोषित किया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री नवरतन राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह क्वेश्चन है क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : 348 प्रश्न संख्या। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये न। (व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया : यह भ्रष्टाचार का मामला है, अध्यक्ष महोदय। क्या इससे संरक्षण नहीं मिलता है, अध्यक्ष महोदय? यह सरपंच का मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सहायता मंत्रीजी। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। मैं आपसे अनुरोध कर रही हूं कि आप स्थान ग्रहण कर लें।...(व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया : भ्रष्टाचार को संरक्षण मिला है। मंत्री महोदय के साइन के बावजूद भी अयोग्य घोषित नहीं हुए। वह फाइल कहां गयी? यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय, आप अपने सदस्य को कंट्रोल करिये। माननीय मुख्य सचेतक महोदय।...(व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया : हम तो कंट्रोल हो जायेंगे साहब, लेकिन जवाब आना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूछिये आप हरिमोहनजी। मंत्रीजी आप जवाब दीजिये।

डा. सी. पी. जोशी : मुख्य मंत्रीजी ने सबको कहा है...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : (व्यवधान) लोगों को संरक्षण दिया है इसलिए हमको झेलने पड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया : इसलिये चुपचाप बैठे हो आज। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : चीफ व्हिप अपना काम करने में असफल हो पार्टी मीटिंग की बातें कहला रहे हो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : इनका आक्रोश तो यह है कि इनकी गबन की फाइल मंत्रीजी के यहां से गायब कर ली। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : आप लोग दबाना चाहते हो इनको। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर कबाड़े इन्हीं के समय के, इनकी सरकार के समय के ही हैं। इसलिए माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य इस पर बोल नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : टोडारायसिंह से आने वाले सदस्य...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : जब ही मुख्य मंत्रीजी ने कहा कोई विधायक बोलेगा नहीं आपकी पार्टी का, प्रश्न नहीं करेगा अपने मंत्रियों से। आपने जब ही कहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप गलत कह रहे हैं यह सब। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप दबा रहे हो उन्हें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय, कंट्रोल करें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप दबा रहे हो। वह कह रहे हैं फाइल गायब हो गयी 14 लाख की अध्यक्ष महोदय। यह मुख्य सचेतकजी दबा रहे हैं। वह कह रहे हैं 14 लाख की मंत्रीजी के यहां से गायब हो गयी तो मामला तो बहुत संगीन है।

श्री अध्यक्ष : कौनसी गायब हो गयी? किसके यहां से गायब हो गयी?

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी, कम से कम स्पष्ट तो करो 14 लाख की बात। वह फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि फाइल मंत्रीजी के यहां से गायब हो गयी।...(व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया : फाइल कहां गयी? यह बतायें कि उस पर साइन होने के बावजूद उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई?...(व्यवधान) यह मैंने पूछा है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की कोई फाइल मेरे पास नहीं है। आती तो मैं निश्चित रूप से तुरन्त उस पर आदेश करता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया, फालतू खड़े हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह आपसी दो वीरों की लड़ाई है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दो वीर गुर्जरों के बीच में जोशीजी, आप कहां आ गये?... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : गलती हो गयी साहब, माफी चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

अकाल एवं बाढ़ राहत कार्यों हेतु आबंटित राशि का उपयोग

348. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अकाल एवं बाढ़ सहायता तथा विभिन्न राहत कार्यों के लिये वर्ष 2004-2005 में कितना-कितना बजट प्रावधान था और कितना बजट आबंटित कर दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा किस-किस विभाग को कार्य सम्पादन करने हेतु कितनी कितनी राशि किस-किस जिले में आबंटित की गयी और उसमें से अब तक कितनी कितनी राशि व्यय कर दी गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अकाल एवं बाढ़ सहायता के लिये बनाये गये नियमों के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता को वर्तमान समय में उपयुक्त मानती है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन मानदण्डों को परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

सहायता मंत्री (डा. किरोड़ी लाल मीणा) : (1) अकाल एवं बाढ़ सहायता एवं अन्य राहत गतिविधियों के लिये बजट प्रावधान वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्य को सी.आर.एफ. में प्रदत्त राशि के अनुसार मूल प्रावधान कराया जाता है। मूल बजट प्रावधान 2004-05 की बी.एफ.सी. के अनुसार 251.61 करोड़ रुपये था, जो कि वर्ष

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

2004-2005 में राज्य के लिये स्वीकृत सी.आर.एफ. राशि के अनुरूप है। यदि परिस्थितियां विकट हो जाती हैं तो केन्द्र सरकार से एन.सी.सी.एफ. के अन्तर्गत पृथक से मांग की जाती है एवं मेमोरेण्डम प्रस्तुत किया जाता है। एन.सी.सी.एफ. के तहत प्राप्त राशि के आधार पर बजट मद में अतिरिक्त प्रावधान वित्त विभाग से स्वीकृत कराया जाता है। इस वर्ष 40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान कराया गया है, जो अनुपूरक मांग में विधिवत रूप से स्वीकृत करा लिया गया है। अलग-अलग गतिविधियों हेतु मूल प्रावधान पिछले सालों के औसत खर्चे के आधार पर या कई बार गतिविधि विशेष में टोकन प्रावधान भी कराया जाता है। आबंटित बजट का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट अ)

(2) आबंटित एवं व्यय की गयी राशि का विभागवारा एवं जिलेवार विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट अ व ब)

(3) भारत सरकार द्वारा सी.आर.एफ. के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राहत सहायता दी जाती है। मानदण्डों में परिवर्तन/छूट दिये जाने बाबत समय-समय पर भारत सरकार को निवेदन किया जाता रहा है तथा हाल ही में दिनांक 22.3.2005 को भारत सरकार को भेजे गये ओलावृष्टि के ज्ञापन में भी कुछ मानदण्डों में भारत सरकार से छूट चाही गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानकारी चाहूंगा कि केन्द्र के आपदा कोष से 2004-05 में कितनी राशि केन्द्र से आपको उपलब्ध हुई?

नम्बर दूसरा, यह फ्लड और फैमिन के लिये जो राशि आपने जिलों को आबंटित की, उन जिलों की कौनसी तिथि को, कौनसी तारीख को यह अलाट की?

नम्बर तीसरा यह है कि जो आपने अलाटमेन्ट डिस्ट्रिक्ट को किया, वह अलाटमेन्ट 31 मार्च, तक खर्च नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, सी.आर.एफ. के तहत हमको 216.7 करोड़. एन.सी.सी.एफ....(व्यवधान) आपने सी.आर.एफ. पूछा है, एन.सी.सी.एफ.?

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, टोटल कितनी इस कैलेमिटी रिलीफ फण्ड में

(श्री हरिमोहन शर्मा)
आपको कितनी राशि 2004-05 में उपलब्ध हुई? केन्द्र सरकार ने कितनी राशि आपको दी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 40 तो एक्स्ट्रा मिली, यह तो बता दिया उन्होंने। यह तो बताया है उन्होंने।...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बता तो दिया, दो बार पूछोगे क्या? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : एन.सी.सी.एफ. से गत वर्ष प्राप्त सहायता 216.7 करोड़ और 6.99 लाख मीट्रिक टन गेहूं हमें मिला है।

दूसरा फ्लड और फैमिन की तारीखों का इन्होंने पूछा है अभी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : जवाब आ जाये अभी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह खड़े हैं न अभी। दे रहे हैं जवाब। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : फ्लड और फैमिन का अध्यक्ष महोदय, यह 1.4.2004 से 31.3.2005 तक टाइम टू टाइम सैंक्शन निकलती रही और उसका विवरण माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दिया गया है। कितना अलाटमेन्ट हुआ और कितना खर्च हुआ।

तीसरा इन्होंने डिस्ट्रिक्टवाइज अलाटमेन्ट पूछा है। यह इनके पास उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष : इनके पास उपलब्ध होने से क्या होता है, वह तिथि तो बताओ।

श्री हरिमोहन शर्मा : अलाटमेन्ट तो आ गया। मैंने यह कहा है कि किस तारीख को दिया, जिलों को आपने पैसा कब ट्रांसफर किया और अब तक वह खर्च नहीं होने के क्या कारण हैं?

इसके साथ ही तीसरा मेरा निवेदन यह है कि हर जिले में (व्यवधान) पब्लिक इंटरेस्ट में, जनरली ठीक रहता है, आप की तरह पर्सनली इंटरेस्ट का नहीं पूछता हूं मैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा है, प्रश्न की सीमा है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, एक और निवेदन है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : तारीख बता दूं मैं आपको। अध्यक्ष महोदय, यह दिनांक 22.9.2004 को जिलों को राशि रिलीज कर दी गयी है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने मार्च, 2005 में मापदण्डों में संशोधन के लिये केन्द्र सरकार को भेजा है ओलावृष्टि को लेकर, उसमें क्या आपने लघु और सीमान्त काश्तकार की जो सहायता है, उसको बढ़ाने के लिये और सरकार को ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को सहायता देने के क्या आपने इन मापदण्डों में रिलेक्सेशन के लिये भेजा है? भेजा है तो कितना भेजा है? वह बताने का कष्ट करें। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मैं इसका जवाब दूं पहले, वरना सारा कन्फ्यूज हो जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 22.3.2005 को भारत सरकार को सी.आर.एफ. के नोर्म्स में रिलेक्सेशन के लिये भेजा है। जिसमें 2,500 तो सिंचित क्षेत्र है। असिंचित क्षेत्र का जो ढाई हजार प्रति हैक्टेयर है उसको पांच हजार करने का और असिंचित क्षेत्र का जो एक हजार है उसको दो हजार करने का और लघु सीमान्त के अलावा बड़े किसानों को भी शामिल किये जाने की हमने उसमें छूट मांगी है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय, यह बताएंगे नम्बर-एक 2004-05 में बी.एफ.सी. में 251.61 करोड़ रुपये का जो प्रोविजन किया, वह 100 प्रतिशत सी.आर.एफ. का था, स्टेट का इसमें एक भी पैसा कन्ट्रीब्यूशन नहीं है।

दूसरा, आपने जो टोटल एक्सपेंडिचर बताया, अध्यक्ष महोदय, आपने अलाटमेन्ट किया 733 करोड़ समथिंग और एक्सपेंडिचर हुआ है केवल मात्र 94 करोड़ रुपये।

तीसरा प्रश्न, खास तौर पर गौशाला के सम्बन्ध में आपने अलाटमेन्ट बताया है 21 करोड़ 53 लाख रुपये और आपका एक्चुअल खर्चा हुआ केवल मात्र 15 करोड़ 57 लाख रुपये और आपने रिलीफ वर्क के लिये जो अमाउण्ट बताया है 107 करोड़ रुपये, उसके अंगेस्ट खर्चा हुआ है 75 करोड़ रुपये। अध्यक्ष महोदय, क्या इन आंकड़ों के

(डा. सी. पी. जोशी)

आधार पर हम इन्फरेंस निकालें कि राजस्थान सरकार के पास पैसे उपलब्ध होने के बाद भी राजस्थान सरकार न पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था कर सकी, न रिलीफ के काम कर सकी केवल मात्र गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया का जो सी.आर.एफ. का पैसा था उसका भी पूरा उपयोग नहीं कर सकी। तो क्या यह जो हमारी व्यवस्था है वह ठीक ढंग से चल रही है?

डा. किरोड़ी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय।

श्री संयम लोढ़ा : आपका इरादा क्या है आज, मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे डीमोट क्यों कर रहे हो? बार-बार डीमोट कर रहे हैं आप मुझे। हां, देखो सही।

श्री हरिमोहन शर्मा : वह प्रश्न से घबरा गये।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह जोशीजी ने कहा है कि डी.एम. एण्ड आर. में 133 करोड़ रुपये अलाटमेन्ट हुआ था...

श्री अध्यक्ष : कोई पीड़ा है क्या आपको मेरे से?

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, शिकायत है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जोशीजी ने बताया 133 करोड़ रुपये का प्रावधान...

श्री अध्यक्ष : जोशीजी नहीं, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल : हां, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने फ्लड एण्ड हेलस्टोर्म का बताया कि 133 करोड़ रुपये की तुलना में 94 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। उस समय खर्च नहीं होने का कारण क्या है, यही पूछा न आपने?

डा. सी. पी. जोशी : मैंने कारण नहीं पूछा, मैंने पूछा खर्च हुआ? हां या ना में।

श्री अध्यक्ष : आप पैसों का उपयोग नहीं कर सके और आप राहत नहीं पहुंचा सके, यह है उनका। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : मैं रिपीट कर दूं। मेरी आंकड़े देने के पीछे मंशा यह है, नम्बर एक-सी.आर.एफ. का जो पैसा है, B.F.C. is not actuals. आपने जो प्रोविजन रखे वह सी.आर.एफ. का स्टेट का एक पैसा नहीं है इसमें अकाल राहत में। बी.एफ.सी. जो आपने की है, बी.एफ.सी. के प्रोविजन जो जाकर के संशोधन होते हैं उसके अलावा कुछ नहीं होता है। आपके पास आलरेडी 251.6 करोड़ रुपये भारत सरकार का सी.आर.एफ. का उपलब्ध था। आपने स्टेट के फण्ड से एक भी पैसा अकाल राहत के प्रोविजन में नहीं रखा। नम्बर एक। जो प्रोविजन आपने रखे हैं उन प्रोविजन का आपने न तो गोशाला में खर्च किया, न रिलीफ वर्क में खर्च किया, न हेलस्टोर्म के खर्च में किया, ना ड्रिंकिंग वाटर के सम्बन्ध किया। ड्रिंकिंग वाटर में तो और ज्यादा स्थिति खराब है इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या, मंत्री महोदय, जो आपने हमें सूचना दी उस आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि राजस्थान सरकार के पास पैसा उपलब्ध है और राजस्थान सरकार ना चारे की व्यवस्था कर रही है, ना पानी की व्यवस्था कर रही है, ना रोजगार की व्यवस्था कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में एक जवाब दें। मैं आपको तीन आंकड़े देता हूं तीन जिले के। नम्बर एक, एक जिला है झालावाड़ जहां प्रोविजन है 12 करोड़ 26 लाख, कोटा में किया है 13 करोड़ 19 लाख और सवाईमाधोपुर में किया है 12 करोड़ 85 लाख।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, डिबेट थोड़ी हो रही है, यह क्वेश्चन पूछें, जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। यह तो इन्होंने डिबेट चालू कर दी।

डा. सी. पी. जोशी : और डूंगरपुर, बांसवाड़ा जहां गरीब आदमी रहता है, वहां आपने प्रोविजन ही नहीं किया और खर्चा भी नहीं किया, अध्यक्ष महोदय। आपने व्यवस्था कैसी कर रखी है? गरीब आदमी रहता है डूंगरपुर में, गरीब आदमी रहता है बांसवाड़ा में, सिरोही में वहां आपने खर्चा भी नहीं किया, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का मौका मिलेगा, उस समय आप यह सब बात कहियेगा। (व्यवधान)

श्री सावंर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, भाषण दे रहे हैं और अगर भाषण देना था तो अकाल की डिबेट...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : भाषण क्या दे रहे हैं, आपने एक चारा डिपो नहीं खोला अभी तक, पैसा लेकर बैठे हुए हो पूरा।...(व्यवधान) एक चारा डिपो नहीं खोला सिरोही जिले में...(व्यवधान) 40 परसेंट आबादी शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब की है।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं यह आंकड़े हैं...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बहुत काम्पिटेन्ट हैं, दूसरे मंत्री क्यों इण्टरफेयर कर रहे हैं? Why are you interfering? He is very competent. डाक्टर साहब पर हमें पूरा विश्वास है। डाक्टर साहब गरीब के इलाके में आये हैं, गरीब का काम जानते हैं पर डाक्टर साहब को आप दबा कर फैसला क्यों करवा रहे हो? कोटा और झालावाड़ में जो एलोकेशन करवाया है उसका उपयोग ही नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय। सवाईमाधोपुर में किया, आपको धन्यवाद पर आपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही में, जहां आदिवासी लोग रहते हैं वहां रिलीफ के काम के लिए पैसा अलाट नहीं किया, पानी की व्यवस्था के लिए पैसा अलाट नहीं किया, चारे के लिए नहीं किया, गोशाला के लिए नहीं किया और आप बता रहे हो कि पैसा खर्च नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय। यह आपका एलोकेशन है, मेरा एलोकेशन नहीं है।

डा. एन. एस. गुर्जर : अभी बता देते हैं, एक मिनट। वहीं बतायेंगे।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप इस पर चर्चा करवाइये, मंत्री महोदय से भी कहें, चर्चा करवा कर फिर हाउस के सामने सब चीजें सामने आनी चाहिए कि अकाल राहत में यह राजस्थान सरकार अपने मैनेजमेन्ट के लिए फेल रही है, गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों को पानी की तकलीफ है, चारे की तकलीफ है, मजदूरी की तकलीफ है। भारत सरकार का पैसा आया हुआ है और राजस्थान सरकार एक भी पैसा खर्च नहीं कर रही, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि 2001 से लेकर

(डा. एन. एस. गुर्जर)

2003 तक केन्द्र सरकार ने जितना पैसा दिया...(व्यवधान) जब भयंकर अकाल हो...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अभी की बात करो।

श्री जुबेर खान : आज क्या हो रहा है? आज की बात करो।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जब भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। (व्यवधान) पैसा खर्च नहीं किया।

श्री जुबेर खान : वह बातें तो आप चुनाव प्रचार में कह चुके हो, अब आज की बात करिये। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : इतना भयंकर अकाल था, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) मैं आंकड़ों के आधार पर मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन तीनों पर, पानी के ऊपर कितना रुपया इन्होंने खर्च नहीं किया जो केन्द्र से मिला हुआ था? अकाल के ऊपर कितना रुपया खर्च किया गया...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : सवाल 2004-05 का है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : उस समय इस सरकार ने पैसा कितना खर्च किया...(व्यवधान) मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : अभी तक भी अकाल का भुगतान नहीं हुआ, जिन लोगों ने मकान बनाये थे उनका भुगतान अभी तक भी नहीं हुआ। उनको कूपन्स दे दिये, सारे के सारे बाकी हैं बूंदी जिले में। अनेक लोगों के कूपन्स बाकी हैं, अकाल का भुगतान नहीं हुआ।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप क्या कह रहे हैं?

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अकाल का भुगतान नहीं हुआ अभी तक भी। सारे वो मकान पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर।

(श्री अध्यक्ष)

आप कह क्या रहे हैं? आप बीच में ही खड़े हो गये। माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, जवाब सुनिये उनका।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : आप थोड़ा शोर नहीं करें, तसल्ली से सुनें तो मैं एक-एक बात बताऊंगा।

श्री महावीर प्रसाद : शोर और चीत्कार करना मना है अपने नियमों में।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप पर भी नियम लागू हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : महावीरजी, बैठो। थोड़ा तसल्ली से सुन लेना फिर क्वेश्चन कर लेना।

अध्यक्ष महोदय, हमने भारत सरकार को 19.11.2004 को एक मेमोरेण्डम दिया था जिसमें 2378.64 करोड़ रुपये कैश मांगा था और 28.80 लाख मैट्रिक टन गेहूं मांगा था और 1576.69 मैटेरियल कम्पोनेंट के लिए मांगे थे। अध्यक्ष महोदय, हमको मिला, आप जोड़ लगा लेना, 216.79 करोड़ और गेहूं मिला 1.99 लाख मैट्रिक टन अब इन्होंने मैटेरियल कम्पोनेंट के लिए एक पाई हमें नहीं दी लेकिन हमने दूसरा ज्ञापन दिया है 22.3.2005 को, अध्यक्ष महोदय, उसमें लिखा है-939.37 करोड़ रुपये कैश और 19.23 लाख मैट्रिक टन गेहूं मांगा है और मैटेरियल कम्पोनेंट के लिए 172.46 करोड़ मांगे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इनकी हालत क्या है? पिछली बार भारत सरकार ने इनको 951.80 करोड़ रुपया दिया और हमको अब तक 251.61 करोड़ रुपये सी.आर.एफ. में और 216.89 करोड़ रुपये एन.सी.सी.एफ. का पैसा है।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, सी.आर.एफ. का पैसा पांच साल का एक साथ आता है, यह आप किसको बता रहे हैं। सी.आर.एफ. का पैसा पांच साल एक साथ आता है, सी.आर.एफ. का पैसा आप खर्च ही नहीं करते, जब आपके इसमें कन्वर्ट हो जाता है उस पैसे का उपयोग करने के लिए आप पैसा बचा रहे हैं, आप कह रहे हो हमें इतना पैसा दिया है। सदन को सही बात बताएं आप। सदन के सामने क्या बातें कर रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : अकाल का भुगतान नहीं हुआ अभी।

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, बैठे-बैठे बोलते हैं आप।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, तसल्ली से सुनें।

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, पहले आप तहल्लीपूर्वक उनका जवाब सुन लें फिर आपके प्रश्न का जवाब नहीं आये तब आप खड़े होकर पूछिये।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष, महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया था कि ड्राउट के लिए फाइनेंशल अलाटमेन्ट है 166 करोड़ 66 लाख, खर्च हुआ है 102 करोड़। इसी ढंग से फ्लड एण्ड हेलस्टोर्म में है 133 करोड़ । खर्च हुआ है 94 करोड़ और अध्यक्ष महोदय, यह सतत् प्रक्रिया है, अभी तो पैसा खर्च हो ही रहा है। हमने अब तक इतना पैसा खर्च कर दिया. यह कम बात है।

श्री संयम लोढ़ा : आपने सिरोही जिले में एक चारा डिपो नहीं खोला अभी तक, काहे का खर्चा कर रहे हैं आप? आप बता दें आपने एक चारा डिपो खोला हो तो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सी. पी. जोशीजी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सारा पैसा आप, यह कुण्डली मार के बैठी है सरकार।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : अध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले की इनको याद दिला देता हूं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : अकाल का भुगतान नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं हुआ बूंदी जिले में। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : आप बिराजो। (व्यवधान) कौन कहता है।

श्री हरिमोहन शर्मा : गये फेमिन का जिन लोगों ने मकान बना लिये... (व्यवधान) अभी तक भी भुगतान बाकी है उनका।...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : गेहूं के गबन घोटाले, तीन केस ऐसे अभी भी पुलिस थाने में दर्ज हैं जो अकाल राहत के गेहूं के घोटाले किये सिरोही जिले के और माननीय सदस्य की शह से किये।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आपके 18 गांवों में रिलीफ वर्क...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप दोनों बैठ जाएं, स्थान ग्रहण कर लें।

श्री हरिमोहन शर्मा : जब अपन ने यह विधान सभा में प्रश्न उठाया...

श्री अध्यक्ष : हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, जब मंत्रीजी खड़े हैं, जवाब दे रहे हैं...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आपके अकाल तो था नहीं, आपके ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि में हमने आपको पैसा दिया, एक अप्रैल से काम चालू हुआ है। अभी तो एक अप्रैल से काम चालू हुआ ही है तो उसका भुगतान अभी से कहां से कर देंगे?

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं उसका नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अकाल में जो आपके पास राशि बची हुई है...

श्री महावीर प्रसाद : आपको दे दें क्या बिना जरूरत के ही।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक मिनट, सुन लो आप, व्यवधान मत कीजिए आप। जिन लोगों को अकाल के समय मकान बनाने के लिए जो सुविधाएं और जो पैसा देना था...

श्री अध्यक्ष : यह मकान बनाने की सुविधा कहां से आ गयी...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : वह उनके कूपन्स उनको जारी कर दिये पुराने वाले और कूपन्स जारी करने के बाद अब कलक्टर कहते हैं कि मामला सब बन्द हो गया, इन लोगों को कोई भुगतान नहीं मिलेगा।

डा. किरोड़ी लाल : हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, जो आपने कूपन का जिक्र किया है, हम भी चुनाव में गये थे और जगह-जगह जो मजदूर था वह कूपन

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

लेकर बैठा था और उस कूपन का हमने काफी भुगतान किया है। जो गलत कूपन आपने जारी कर दिये उनका भुगतान लेने की आशा आप मेरे से मत करो, हमारी सरकार से मत करो।

श्री हरिमोहन शर्मा : गलती से नहीं किए, गलत कूपन नहीं हैं। कलक्टर कहता है कूपन सही है लेकिन अब हमने पेमेन्ट बन्द कर दिया। अब हम नहीं कर सकते। कूपन सही है काम सही है। सब काम सही है इसलिए उनका तो भुगतान करो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, कोई इस ढंग की शिकायत आपके पास है तो आपने आज तक मेरे को तो बताई नहीं।

श्री रामनारायण मीणा : मेरे पास है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : रामनारायणजी, बैठो तो सही बीच में कहां कूद रहे हो। मेरे को तो आपने ऐसी कोई बात बताई नहीं और आप बताएंगे तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा। एक बात सुन लो आपके राज के कबाड़े 1 लाख 84 हजार टन गेहूं का घोटाला 197 एफ.आई.आर. दर्ज हमने कराई हैं। इतना जबर्दस्त घोटाला किया है... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप चुप क्यों बैठे हो?

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, हमारे जो घोटाले हुए उनको फांसी दे दें यह आपको अधिकार है पर अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बताएं...

श्री महावीर प्रसाद : घोटाले किए हैं आपने फांसी मिलेगी दूसरों को क्यों?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं, शांतिपूर्वक सुनें।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, हेलस्टोर्म में (व्यवधान) यह काम उनका है आपका काम नहीं है बिराजो आप। अभी टाइम लगेगा बिराजो (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं खड़े हों।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, हेलस्टोर्म में राजस्थान सरकार ने पैसा खर्च किया 31 करोड़ 87 लाख, यहां तो किसान को मदद मिलनी चाहिए थी। इसके अगेन्स्ट में आज आपने 41 करोड़ 97 लाख का प्रोवीजन किया और 41 करोड़ के

(डा. सी. पी. जोशी)

अगेन्स्ट में आपने केवल 21 करोड़ रुपए दिए हैं (व्यवधान) सुन लो मेरी बात। यह तो आपने किसान का किया 41 करोड़ का प्रोविजन करके केवल मात्र 21 करोड़ रुपए अभी तक दिए हैं किसान को और कहा गया है कि हम ओलावृष्टि या हेलस्टोर्म से उसकी मदद कर रहे हैं। दूसरा 42.80 करोड़ रुपए रोड सैक्टर में अवेलेबल था इनके पास और उसके अगेन्स्ट में इन्होंने खर्चा किया है केवल मात्र 27.55 करोड़ रुपया अध्यक्ष महोदय, यह आपके पास मनी उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी अन्त में एक जवाब दें सी.आर.एफ. का पैसा तो पांच साल का आता है (व्यवधान) पांच साल का जो पैसा आपके पास उपलब्ध था।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी : मेरा प्रश्न यह है...

श्री अध्यक्ष : हां, यूं बोलें।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे 251.61 करोड़ रुपए जो उपलब्ध थे यह पैसा सी.आर.एफ. का था और (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पांच सालों से...

डा. सी. पी. जोशी : क्यों, आप सुनो मालूम ही नहीं बोल रहे हो।

श्री अध्यक्ष : सी.आर.एफ. का पैसा आप खर्च नहीं कर सकते यही है ना।

डा. सी. पी. जोशी : सी.आर.एफ. का पैसा आपके पास उपलब्ध था उस 251.61 करोड़ के अगेन्स्ट में यह सरकार कह रही है कि हमने ज्ञापन दिया, ज्ञापन तो छोडिए पर आपने जो खर्च किया है 251 करोड़ रुपए का वह खर्चा भी आपने नहीं किया। तो फिर आपने पानी की व्यवस्था कैसे की चारे की व्यवस्था कैसे की, मजदूरी की व्यवस्था कैसे की और केन्द्र सरकार से ज्ञापन देने की बात कैसे कर रहे हैं पहले आप इसको खर्च तो करें। अध्यक्ष महोदय, इस खर्चा करने में गौशाला पर मजदूरी लगाने में भी भेदभाव किया गया है क्या यह सही है कि अकाल राहत का काम सबसे ज्यादा होना चाहिए था, मजदूरी मिलनी चाहिए थी वह मिलनी चाहिए थी ट्राइबल इलाके में, वहां

(डा. सी. पी. जोशी)

लेबर कम्पोनेंट का जितना पैसा खर्च होना चाहिए था उतना पैसा हमने नहीं खर्च किया और हमने प्रोविजन किए उन जगहों पर जो सरसब्ज इलाके के डिस्ट्रिक्ट हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ी चिन्ता जताई है कि आपने चालीस करोड़ रुपया अलाट किया ओलावृष्टि के लिए और आपने बांटा 21.87 करोड़, इस सम्बन्ध में तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं देय राशि केवल 21.87 करोड़ रुपए है जो हमने हन्ड्रेड पर्सेण्ट बांट दी। कहीं की रह रही हो तो बता दें उसको और बांट देंगे।

डा. सी. पी. जोशी : मंत्रीजी आप आधी बात बोलते हैं। यह आपका जवाब है फ्राम 1.4.2001 से 31.4.2005 तक का यह आपका अलाटमेन्ट का कागज है। मेरा कागज नहीं है यह आपका कागज है एक्सपेंडिचर का इसका मतलब 41 करोड़ रुपए आपके पास 31.3.2005 तक उपलब्ध थे फिर 21 करोड़ रुपए क्यों खर्च हुए फिर 21 करोड़ रुपया ज्यादा क्यों नहीं दिया गया काश्तकार को इसका उत्तर दें आप?

डा. किरोड़ी लाल मीणा : माननीय सदस्य आप तो बहुत ज्ञानी हैं और विद्वान भी हैं मैं आपसे भिड़ नहीं सकता लेकिन यह बात सही है हमने लम्प सम हर जिले को चालीस करोड़ जैसे ही ओलावृष्टि हुई थी, हमारे पास पूरा आंकलन नहीं था कि किस जिले में कितना नुकसान हुआ है तो हम जिलेवाइज जो मोटा-मोटा मिला हमने चालीस करोड़ रुपया दे दिया और जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो पूरा का पूरा हन्ड्रेड पर्सेण्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वह 21.87 करोड़ का हुआ है और यह राजस्थान में पहली बार हुआ है।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने किया था कि रोड सैक्टर में आपका खर्चा कम हुआ है। माननीय सदस्य को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जितना काम और है उसमें यह सैंक्शन है फ्लड टू फ्लड की। अगली जो बरसात आएगी जब तक काम चलेगा और मेरे को भरोसा है कि हम 90 प्रतिशत से एबव भी खर्च करें...

डा. सी. पी. जोशी : वहां बरसात आएगी जरूरी है क्या? मंत्रीजी आप जवाब दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेशन है जिन डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आयी है वहां एलोकेशन है और फिर जब फ्लड वहां पर नहीं आएगी तो वह पैसा कहां जाएगा। अब आपके असैसमैंट हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट की रोड का वह रोड तो रिपेयर हुई नहीं तो दूसरी रोड को कैसे ट्रांसफर करेंगे वहां बरसात ही नहीं हुई तो (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : माननीय सदस्य, आपको इतनी जानकारी देना चाह रहा हूं कि एक तो आपने बताया...

श्री अध्यक्ष : उन्होंने अपनी बात बता दी कि यह पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ।

श्री तगाराम चौधरी : प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को जो पारदर्शिता से सहायता की है उसमें राशि बच गयी उससे आपको एतराज है क्योंकि घोटाला नहीं किया।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, सी.आर.एफ. की गाइड लाइन्स में मंत्रीजी यह बताइये यह रोक है कि राजस्थान सरकार इन गरीबों को और किसानों को पैसा नहीं दे सकती। आप स्पेसिफिक हैं सी.आर.एफ. की गाइडलाइन्स में क्या राज्य सरकार को मना किया है कि वह अपनी तरफ से इसमें सहायता नहीं कर सकती। यह जरूर बता देना आप।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : बता रहा हूं।

श्री जुबेर खान : इस बहाने सी.आर.एफ. की गाइड लाइन से राज्य सरकार भी तो जनता के लिए उत्तरदायित्व है। आप अपने फण्ड से क्यों नहीं उन गरीबों को जिनके ओले पड़े हैं और यह नुकसान ज्यादा हुआ है अपनी तरफ से पैसे देते हैं सी.आर.एफ. के अलावा?

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : बताता हूं। जैसा कि आपने और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था..

श्री अध्यक्ष : यह बोल रहे हैं उसके बाद।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : आपने झालावाड़ और दूसरे जिलों में पैसे में भेदभाव बरता है, ऐसा बात नहीं है। अतिवृष्टि के आंकड़े देखोगे तो कोटा, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, करौली, झालावाड़, बांसवाड़ा इनमें ज्यादा हुई थी और आप आंकड़े देख लो। अकेले बांसवाड़ा में पी.डब्ल्यू.डी. सैक्टर में हमने 518 लाख रुपया दिया है, आप देख लो। आप कह रहे हो कि बांसवाड़ा में आपने कुछ नहीं दिया, आप ढंग से देख लो। इसमें 518 तो हमने पी.डब्ल्यू.डी. को दिया है 45 कलक्टर को दिया है सीधा, 84 लाख

लोकल बाडीज को दिया है 61 लाख फिर असिस्टैंस दी। इस ढंग से सात करोड़ दस लाख अकेले बांसवाड़ा जिले में हमने पैसा दिया है।

दूसरा, अपने माननीय सदस्य पूछ रहे थे सचेतक महोदय कि आप गरीबों को सहायता नहीं करते क्या। आपने पहले मेरा ओलावृष्टि का भाषण नहीं सुना, आप कहीं चले गए होंगे। हमने पहली बार राजस्थान में, आपने कभी नहीं किया होगा खूब ओलावृष्टि हुई 28.15 करोड़ रुपए किसानों के बिजली के बिल माफ किए हैं। दूसरा आकाशीय बिजली गिरने से मरने वालों को पहली बार पचास हजार रुपया दिया है। इस ढंग से हमने सत्ताइस लोगों को राजस्थान में मदद की है। हनुमानगढ़, गंगानगर में जहां ओलावृष्टि हुई और फसल सड़ने लगी वहां पर हमने पहली बार प्रोवीजन किया। आपके पास अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 32.8 लाख मैट्रिक टन दिया था, करोड़ों रुपया आपको नकद दिया था। आपने कभी प्रावधान नहीं किया। हमने हरेक किसान को वहां पर गंगानगर, हनुमानगढ़ में अपने वहां बीमारी नहीं फैले उस क्षेत्र को साफ करने के लिए पहली बार हुआ है कि हमने एक बीमें 600 रुपए उस किसान को दिया है। आपने कभी नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा था।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री रघुवीर सिंह मीणा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो सदन को अवगत कराया...

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कर लें, प्रतिपक्ष के नेता को मैं कैसे ना कर सकती हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उससे पहले माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न किए हैं कि भारत सरकार ने सी.आर.एफ. में जो पैसा दिया वह मार्च 31 तक दिया था वह सरकार खर्च नहीं कर पाई और। अप्रैल से नया सी.आर.एफ. का फण्ड उतने का उतना और मिल गया है तो यह कहना कि केन्द्र सरकार ने आपको पैसा नहीं दिया इससे हम वह रखते नहीं हैं।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अगले वर्ष आपको सी.आर.एफ. से कितना पैसा मिलेगा और साथ-साथ पैसा होने के बावजूद और गेहूं पर्याप्त मात्रा में आपको अलाट, हमारे पास यह जानकारी है, क्या आपको भारत सरकार ने जो मार्च तक का कोटा अलाट किया था वह आपने पूरा खर्च कर लिया, पूरा उठा लिया? मेरे ख्याल में मई तक आप नहीं उठा सकेंगे। इसके बावजूद सबसे बड़ी बात यह है, अध्यक्ष महोदय, कि इन्होंने राजनीतिक भेदभाव के आधार पर काम खोले हैं। मस्टर रोल राजनीतिक भेदभाव के आधार पर बांटे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मुझे टोकना पड़ेगा। यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाषण दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : विद ड्यू रेस्पैक्ट टू यू आप यहां प्रश्न पूछिए। राजनीतिक भेदभाव की बात जो कर रहे हैं... अपने भाषण में तो कहें वह अलग बात है लेकिन प्रश्न के अन्दर इस बात को नहीं लाइए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और यह भी बताएं कि राजनीतिक भेदभाव कहां हुआ है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं बता रहा हूं और जैसलमेर के जिला प्रमुख मेरे से मिले थे उन्होंने बताया कि पांच करोड़ के स्वीकृत कार्य इन्होंने वापस अस्वीकृत कर दिए, इस मस्टर रोल में पशु सेवा शिविर खोलने में यह सरकार विफल रही है। मस्टर रोल में जो भेदभाव किया है आदिवासी और रेगिस्तानी इलाकों में जो काम नहीं खोला है, इसके विरोध में हमारा कांग्रेस दल बहिगर्मन करता है...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, भाषण दे रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह राजनीतिक भेदभाव क्या बात हुई...

डा. बुलाकीदास कल्ला : और यह नहीं मानते हैं तो हम आदिवासी इलाकों में और रेगिस्तानी इलाकों में पर्याप्त मात्रा में पशु सेवा शिविर खोलेंगे। राजनीतिक भेदभाव करेंगे तो हम इसका विरोध करते हैं और आपके विरोध में बहिर्गमन करते हैं।

(कांग्रेस दल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता जो घड़ियाली आंसू फेंक कर गये हैं उनका मैं जवाब देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस समय राजस्थान में 11,48,250 की सीलिंग हमने की हुई और आज तक इन्होंने नहीं की...

श्री अध्यक्ष : थैंक यू। अब आप बिराजिये।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : जैसे वह पैसे की बात कह रहे थे पिछली सरकार भी 146 करोड़ रुपये सी.आर.एफ. के छोड़कर गयी थी। हमको अभी से पूछ रहे हैं। अभी तो जून जुलाई तक का काम...

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। प्रश्नकाल समाप्त हुआ...

डा. किरोड़ी लाल मीणा : और गौशाला में हमने सब्सीडी दी है। पहले 12 रुपये मिला करती थी...

श्री जीतमल खांट : माननीय मंत्रीजी, गौशाला में तो यह बार-बार आ रहा है... (व्यवधान) बांसवाड़ा का बार-बार जिक्र किया जा रहा है। आपका काल है, आपके टाइम तक मजदूरों की सीलिंग बढ़ाने का विचार रखते हैं कि नहीं रखते हैं?

डा. किरोड़ी लाल मीणा : हमने 18 रुपये कर दी। 9 की 12 कर दी, इनका चार्ज लगाना बेतुका है। हमने कैठल कैम्प पूरी तादाद में खोले हैं। गौशाला के केन्द्र खोले हैं। कैठल कैम्प के अलावा गौशालाओं में खूब पानी और छाया की व्यवस्था की हुई। पशुधन सुरक्षित है। अकाल के काम सही पड़ रहे हैं। इनके टाइम पर लोग मर रहे थे...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ...

श्री जीतमल खांट : बांसवाड़ा के अन्दर अकाल राहत कार्यो की जरूरत है, आप थोड़ा वहां सीलिंग बढ़ाइये। बांसवाड़ा जिले के अन्दर अकाल राहत की सीलिंग आप बढ़ाइये। आप खड़े होकर कह देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा...

डा. किरोड़ी लाल मीणा : इनसे कहो आप।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए आगे देखें)

श्री अध्यक्ष : महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय कटाराजी, अपना वक्तव्य दें। माननीय मंत्रीजी, आपको वक्तव्य देना है महिला और बाल विकास वाले उस मामले में।

शासकीय वक्तव्य

पोषाहार टेंडर की अवधि बढ़ाने और पोषाहार की गुणवत्ता विषयक

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो-चार-पांच रोज से माननीय सदस्यों ने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरण किये जा रहे पोषाहार के टेंडर अवधि बढ़ाने और पोषाहार की गुणवत्ता के बारे में चिन्ता जतायी। मैं इनका आभारी हूं कि वास्तव में इनकी चिन्ता जो आपने अनुभव की वह आपने यहां पर जाहिर की। परन्तु मैं अपने वक्तव्य से स्पष्ट करना चाहता हूं कुछ माननीय सदस्यों ने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरित किये जा रहे पूरक पोषाहार का बिना निविदा के क्रय करना एवं उसकी गुणवत्ता सही नहीं होने के सम्बन्ध में जो आरोप लगाये हैं, मैं इनका खण्डन करता हूं।

मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि पूरक पोषाहार की वर्तमान निविदाएं दिनांक 7.7.2003 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा निर्णित की गयी थी। निविदा की शर्त संख्या छह में स्पष्ट प्रावधान है कि दोनों पक्षों की सहमति से एक वर्ष निविदा को और बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2004-05 में राजस्थान सरकार ने पूरक पोषाहार की गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से केन्द्रीय संस्थानों तथा कुछ राज्य सरकार से सम्पर्क किया एवं वैकल्पिक पूरक पोषाहार के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की कार्यवाही की।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार की निर्बाध आपूर्ति के निर्देश दिये हैं। इन निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए जानकारी प्राप्त करने में लगने वाले समय को देखते हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार की नियमित आपूर्ति बनाये रखने के उद्देश्य से निविदा प्रपत्र की शर्त संख्या छह के अनुसार अवधि बढ़ायी गयी। इसी दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका 196/2001 में दिनांक 7.10.2004 को पारित निर्णय में पोषाहार के क्रय में स्वयं सहायता स्कूल, महिला मण्डलों को प्राथमिकता देने सम्बन्धी निर्देश भी पारित किये गये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों

की समीक्षा के उपरान्त विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर इस बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए कि महिला मण्डल तथा स्वयं सहायता समूह तुरन्त प्रभाव से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार की निरन्तर आपूर्ति नहीं कर पायेंगे, इसे प्रायोगिक तौर पर प्रारम्भ करने की आवश्यकता महसूस की गयी एवं उचित समझा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त नवीन निविदाएं आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए जिससे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो। इस अवधि के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार की आपूर्ति निरन्तर बनाए रखने के लिये निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए निविदा शर्त के अनुसार एवं वित्त विभाग सें विमर्श के उपरान्त वर्ष 2003-04 हेतु निष्पादित एवं अनुबन्धों की अवधि बढ़ायी गयी थी।

मैं पुन: सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि निविदा की शर्त संख्या छह में निविदा अवधि बढ़ाने का स्पष्ट प्रावधान है। इसमें किसी किस्म की अनियमितता नहीं की गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को किसी प्रकार की आर्थिक हानि की सम्भावना न रहे इस उद्देश्य से सभी आपूर्तिकर्ता निर्माता फर्म से एक अण्डर टेकिंग भी ली गयी कि उस वित्तीय वर्ष में निविदा होने की स्थिति में स्वीकृत दरें यदि वर्तमान स्वीकृत दरों से कम आती हैं तो अन्तर राशि का वहन सम्बन्धित फर्मों द्वारा किया जायेगा। इसी अन्तर राशि की वसूली सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्मो की धरोहर राशि से समायोजित की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इसके प्रति अत्यन्त संवेदनशील है कि महिलाओं एवं बालकों को दिये जाने वाले पोषाहार में किसी प्रकार की बाधा न हो। वर्तमान सरकार के आने के पश्चात् पोषाहार की आपूर्ति एक दिन भी बाधित नहीं हुई। यहां उल्लेखनीय है कि पूर्व सरकार के काल में अप्रैल, 1999 से जुलाई, 2000, 16 महीने तथा मई, 2000 से जुलाई, 2000, तीन महीने, इस प्रकार 19 महीने की लम्बी अवधि में पोषाहार की आपूर्ति बाधित रही थी, बिलकुल नहीं की गयी थी।

इसके अतिरिक्त मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि पूर्व सरकार ने भी समय-समय पर निविदा अवधि में वृद्धि की थी। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान पूरक पोषाहार की निविदा प्रक्रिया एवं पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये अपनायी जा रही प्रक्रिया की ओर भी दिलाना चाहूंगा। वर्तमान में विभाग द्वारा राज्य के

(श्री कनकमल कटारा)

32 जिलों में संचालित 257 बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित 35,821 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 35.82 लाख छह माह से छह वर्ष के बच्चे, गर्भवतीधात्री माता एवं किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार से लाभान्वित किया जा रहा है। क्रय किये जाने वाले पूरक पोषाहार का निर्धारण रेसिपी कमेटी के द्वारा किया जाता है जिससे सदस्य विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, प्रतिनिधि फूड एवं न्यूट्रीशियन बोर्ड भारत सरकार, प्रतिनिधि केयर, प्रतिनिधि यूनीसेफ आदि हैं। पूरक पोषाहार क्रय की निविदा में अनुमोदन हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त की अध्यक्षता में निविदा अनुमोदित समिति का गठन किया गया है। कमेटी के अन्य सदस्य निम्नानुसार हैं :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, सदस्य।
2. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग, सदस्य।
3. शासन सचिव, उद्योग विभाग, सदस्य।
4. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सदस्य।
5. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त विभाग व्यय, सदस्य।
6. निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग, सदस्य।
7. निदेशक एवं प्रदेश विशिष्ट शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, संयुक्त सचिव।

प्राप्त निविदाओं के तकनीकी प्रस्तावों के परीक्षण हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया गया :-

1. निदेशक, पंचायत राज विभाग,
2. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
4. मुख्य लेखाधिकारी, पंचायती राज विभाग,

5. वरिष्ठ लेखाधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग।

उक्त कमेटी निविदादाता फर्म के प्लांट का निरीक्षण करने हेतु गठित तकनीकी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के उपरान्त योग्य पायी गयी फर्मों के प्रपत्रों की तकनीकी जांच उपरान्त निविदा अनुमोदित समिति को अपनी सिफारिश देती है। प्लांट निरीक्षण समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं :-

1. प्रतिनिधि, उद्योग विभाग,

2. प्रतिनिधि, लघु उद्योग सेवा संस्थान, भारत सरकार,

3. प्रतिनिधि, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला,

4. प्रतिनिधि, भारतीय मानक ब्यूरो, भारत सरकार,

5. प्रतिनिधि, केयर, राजस्थान सरकार, जयपुर।

6. मुख्य लेखाधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि निविदाओं का निर्धारण करने के लिए एक विस्तृत एवं पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। जहां तक पोषाहार की गुणवत्ता बनाये रखने के सम्बन्ध में सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार इस विषय में पूर्ण रूप से सजग है और इस पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा। गुणवत्ता में त्रुटि ध्यान में आने पर मामले की तत्काल कार्यवाही की जाती है। पोषाहार में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। निविदा दाता की निविदा स्वीकृत करने से पूर्व प्लांट निरीक्षण समिति द्वारा निविदा दाता के प्लांट का निरीक्षण किया जाता है जिससे फैक्ट्री परिसर में स्थिति प्रयोगशाला एवं अन्य मशीनरी आदि निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाता है फर्म विभाग के मापदण्ड अनुसार पोषाहार उत्पादन में सक्षम है या नहीं। सक्षम होने पर ही उसके नाम पर विचार किया जाता है।

(2) जिन जिलों में पोषाहार आपूर्ति कर्ता फर्म स्थित है उन जिलों में उप निदेशकों द्वारा पोषाहार उत्पादन प्रक्रिया का निरीक्षण किया जाकर पोषाहार की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है।

(श्री कनकमल कटारा)

(3) फर्म द्वारा विभाग में बिल प्रस्तुत करते समय पोषाहार के प्रत्येक बैच में एनएबीएल द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला द्वारा जारी जांच रिपोर्ट संलग्न करने पर ही विभाग द्वारा बिलों की 95 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाता है।

(4) विभागीय स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रत्येक आपूर्ति आदेश में से रेण्डम आधार पर नमूने लिये जाकर इनकी जांच भी एनबीएल द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला द्वारा कराई जाती है। संतोषप्रद जांच के प्राप्त होने पर ही फर्म की रोकी गयी पांच प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाता है।

विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले प्रत्येक आपूर्ति आदेश से पोषाहार प्राप्त करने से पूर्व उसकी रेण्डम आधार पर जांच करके पोषाहार संतोषप्रद होने की स्थिति में ही प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है। जो पोषाहार विभाग द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं दिया जाता है। उसे रद्द किया जाकर पोषाहार आपूर्तिकर्ता की लागत पर बदलवाये जाने का बिन्दु भी निविदा शर्तों में है। शर्त में है कि इस प्रक्रिया के द्वारा विभाग यह सुनिश्चित करता है कि विभाग को आपूर्ति किये जाने वाला पोषाहार निर्धारित मापदण्डों एवं निविदा शर्तों के अनुसार है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि विभाग द्वारा जुलाई, 2004 में निविदा का कार्यक्रम बनाया और एक परिपत्र जारी कर दिया गया। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि विभाग द्वारा जुलाई, 2004 में निविदा आमंत्रित करने के सम्बन्ध में कोई परिपत्र जारी ही नहीं किया गया।

माननीय सदस्य ने यह भी आरोप लगाया था कि पूर्व पोषाहार आपूर्तिकर्ता के परिसर सीमा में एनएबीएल अनुमोदित प्रयोगशाला नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि निविदा शर्तों में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि निविदा दाता के फैक्ट्री परिसर में अनुमोदित प्रयोगशाला होना आवश्यक है। निविदा शर्तों के अनुसार निविदा दाता के फैक्ट्री परिसर में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रयोगशाला होना आवश्यक था एवं वर्तमान में आपूर्ति कर रही सभी फर्मों के फैक्ट्री परिसर में निर्धारित मापदण्डों की प्रयोगशाला मौजूद है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह भी आरोप लगाया था कि निविदा दाता के पास सीएफटीआरआई (सेन्ट्रल फूड टेक्नोलोजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट) का लाइसेन्स नहीं है। मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि निविदा शर्तों के अनुसार इस प्रकार के लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं है।

मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7.10.2004 को दिये गये निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा विधि विभाग तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता के सुझाव अनुसार दिनांक 29.3.2005 को शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है तो निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ कर दी गयी है। इस पूरे प्रकरण में कहीं भी किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गयी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की ओर से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि महिला एवं बच्चों के प्रति राज्य सरकार संवेदनशील है और ऐसी स्थिति नहीं आने देगी कि महिलाओं एवं बच्चों को पोषाहार आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कुछ बचा ही नहीं है...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मेरा एक प्रश्न था...(व्यवधान) खेल मैदानों पर अतिक्रमण से सम्बन्धित...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, ऐसा वक्तव्य न भूतो न भविष्यति। सारी बात स्पष्ट कर दी...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : हमारा बड़ा गड़बड़ घोटाला न भूतो न भविष्यति। आप सही कह रहे हैं पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर।

श्री कनकमल कटारा : कोई गड़बड़ी नहीं हुई...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : एक नया रिकार्ड कायम कर रहे हो...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : अशोक गहलोत साहब 8.2.2002 को तत्कालीन मुख्य मंत्री ने ...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था, 370 खेल मैदानों पर अतिक्रमण से सम्बन्धित। उसको स्थगित किया उसका जवाब दिला देंगे। आपसे मैं यह जानकारी करना चाहता हूं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप आ गये क्या उधर से, उधर की पैरवी आप करें, ऐसा नहीं होगा, सच बोलो...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : खेल मैदानों पर अतिक्रमण से सम्बन्धित... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह तो कोई बात थोड़े हुई आपकी। आपका जो प्रश्न था। आपको लिखित में उत्तर मिल जायेगा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उत्तर नहीं, स्थगित किया है क्या इस प्रश्न को... (व्यवधान) जवाब नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : ऐसे थोड़े ही पूछा जायेगा यहां पर जब प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : जवाब ही नहीं मिला...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका जवाब नहीं मिला...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : नहीं मिला जवाब, यही तो कह रहा हूं और क्या कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब क्यों नहीं मिला...(व्यवधान)

श्री युनूस खां : यह स्थगित प्रश्न है और शिक्षा विभाग का था। खेल विभाग में लग गया। स्कूलों से सम्बन्धित कुछ प्रश्न था...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : खेल मैदानों का था। खेल मैदानों पर अतिक्रमण से सम्बन्धित।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपका शिक्षा विभाग से सम्बन्धित था। उनको ट्रांसफर

हुआ, उनका चूंकि टर्न पर नम्बर नहीं था। अब यदि टर्न नहीं होगा तो स्थगित तो करना था, आपको लिखित में जवाब मिल जायेगा।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने 5.2.2002 के अन्दर काम के लिए...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह प्रक्रिया का नियम है उसमें 290 में आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि बहुत सारी चर्चाएं पहले और बाद में और अभी हो चुकी हैं और जिस पर चर्चा हो चुकी वही बार-बार चर्चा नहीं होगी। दूसरा यह है कि 290 में मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य और लोक महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष महोदय की सम्मति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकता है किन्तु जिस समय वक्तव्य दिया जावे कोई प्रश्न...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : सार्वजनिक फण्ड के दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है आपको।

श्री विष्णु मोदी : यह पार्टी की अन्दरूनी लड़ाई है...(व्यवधान) तो इस विधान सभा के सदन में नही लड़ी जा सकती है। अगर आपको अशोक गहलोत को बदनाम करना है तो आप बाहर करें, आप न्यूज के माध्यम से करें...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : यह कोई फण्डिंग संगठन नहीं है...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : अगर आपको अशोक गहलोत पर आरोप लगाना है... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : दो करोड़ रुपये...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : करोड़ों रुपये आप वैसे ही खा रहे हो। यह नहीं करने देंगे आपको, यहां बैठे रहते हुए...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : यह कोई आपकी दादागिरी है कि जो नहीं चलने देंगे। आपके तत्कालीन मुख्य मंत्री ने चलाया इसके बाद में...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : मैंने सदन में यह नहीं कहा है कि सदन नहीं चलने देंगे।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

यह तो आप अपनी मर्जी से कह रहे हैं, मैं तो यह कह रहा हूं कि यह भ्रष्टाचार को नहीं चलने देंगे...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : अनुबन्ध की अवधि आपसी सहमति से एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री विष्णु मोदी : आप किससे पूछेंगे ? आप जाकर अपनी पार्टी से पूछो, यह विधान सभा का पटल आपकी आपसी लड़ाई को तय नहीं करेगा।

श्री कनकमल कटारा : यह विधान सभा है। (व्यवधान) यह तो माननीय अशोकजी गहलोत के टाइम का मामला है, उन्होंने निविदाओं को आगे बढ़ाया एक साल के लिए अपने कार्यकाल में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य इतना उत्तेजित होने की बात नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष, करोड़ों रुपयों का मामला है, उत्तेजना का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर।

श्री कनकमल कटारा : आपसी लड़ाई का मामला है, कोई करोड़ों का मामला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : आप सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : कुछ नहीं अध्यक्ष महोदय, आसन पांवों पर। (व्यवधान)

मैं इस बात को नोट कर रही हूं और मैं नीचे बैठे हुए सारे आप जो रिपोर्टर्स हैं, नोट करने को मैं डिप्टी सैक्रेटरी को कह रही हूं कि जो सदस्य जब आसन पांवों पर हो और खड़ा होकर बात करने की कोशिश करे, नाम नोट करें ताकि बेस्ट विधायक के वक्त इस बात को जांचा जा सके कि कितनी बार उसने नियमों का उल्लंघन किया है।

माननीय सदस्यगण, इस विषय पर आपको जो कुछ कहना था, आप पहले कह चुके हैं, नोट हो चुका है कि आपने क्या-क्या यहां पर कहा है। मंत्रीजी ने अपना वक्तव्य भी दे दिया। (व्यवधान) पूरा विश्लेषण सारी बातों के साथ, फिर भी एक सदस्य को, केवल एक सदस्य को केवल एक प्रश्न पूछने की इजाजत दी है। इसीलिए दूसरा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।

श्री विष्णु मोदी : आप अगर उनको इजाजत दें तो मुझे भी इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : कोई दूसरा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। केवल एक माननीय सदस्य केवल एक प्रश्न पूछेगा। (व्यवधान) सुनिए, पहले आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) पहले आप मेरी बात सुनिए। इसलिए कि आपकी उत्तेजना, उत्सुकता को और आपकी परेशानी को देखते हुए मैं केवल एक प्रश्न पूछने की इजाजत दे रही हूं हालांकि नियमों में नहीं है फिर भी इजाजत दे रही हूं। केवल एक प्रश्न। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आप इनको केवल एक प्रश्न पूछने की इजाजत दें तो मुझे भी बोलने का मौका दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नियमों में छूट प्रदान की गई है। (व्यवधान) बैठे-बैठे कोई नहीं बोलेगा क्योंकि आसन पांवों पर है तो कोई खड़ा भी नहीं होगा। केवल एक प्रश्न पूछने की अनुमति है, कौन से माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं?

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष, आप विराजे तो सही।

श्री अध्यक्ष : मैं बैठूंगी लेकिन कौन पूछेगा? आप पूछेंगे? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : ऐसे नहीं, गलत बात, नो नो नो। एक प्रश्न, केवल मात्र एक प्रश्न।

श्री रामनारायण मीणा : वह नाम लिख रहे हैं, आसन पांवों पर है और मैं बोल रहा हूं।

मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही हो इसलिए हम सब सदन में बैठे हैं। एक सदस्य प्रश्न पूछेगा, आसन का यह आदेश हो गया। या तो आसन बता दे कि यह माननीय सदस्य प्रश्न पूछेगा नहीं तो कोई अधिकार हमारा किसी को गिरवी रखा जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र की जनता ने हमें चुनकर भेजा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने में यह पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शाहबाद गया था, वह मुरमुरे मैंने भी खाए हैं, हमारे उल्टी हुई है। मैं वास्तविकता बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं यहां पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए नहीं बैठी हूं।

श्री रामनारायण मीणा : इस तरह का मामला जहां हो वहां मैं कहता हूं... (व्यवधान), माननीय महावीरजी, आप कृपा करके विराज जाइए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसे तो नहीं चल सकता। यह आरोप लगा रहे हैं, किसी पर भी आरोप लगा दें... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : मुझे भी एक मिनट का मौका दें।

श्री रामनारायण मीणा : सवाल यह है कि भ्रष्टाचारियों पर आरोप लगाए हैं।

श्री विष्णु मोदी : आपकी आपसी लड़ाई सदन में नहीं लड़ने दी जाएगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, बिना इजाजत के यहां कोई बोलता हो...

एक माननीय सदस्य : इनको शाहबाद के मुरमुरे मत खिलाओ, बूंदी और नैनवां के मुरमुरे खिला दो।

श्री रामनारायण मीणा : मैं चाहता हूं कि इस मामले पर आप पुनर्विचार करके और इस पर चर्चा करके पांच-सात कम से कम माननीय सदस्यों को इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय, जब मैंने नियमों में अपवादस्वरूप छूट देते हुए एक प्रश्न पूछने की इजाजत दी थी तो यह भाषण देने की आवश्यकता नहीं थी। यहां पर सत्ता पक्ष भी कोई भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए नहीं बैठा है और मैं भी यहां पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए नहीं बैठी हूं, इसीलिए छूट दे रही हूं कि आप एक प्रश्न पूछ लें। पूछिए आप, एक ही प्रश्न पूछेंगे।

श्री विष्णु मोदी : मुझे आप इनके बाद मौका देंगी मैडम ? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : इनका कहना है कि कोई मंत्री जवाब नहीं दे पाए तो मंत्री नहीं होते हुए भी मोदी साहब देंगे।

श्री अध्यक्ष : अब आप और बात पर नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो...

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, आप प्रश्न पूछो।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपकी दी हुई व्यवस्था है, हमने इस पर स्थगन प्रस्ताव लगाया था, (व्यवधान) तब आपको चर्चा करने का अधिकार होगा।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए आपको अवसर दिया है। मैं कह चुकी थी कि आपको प्रश्न पूछने का अधिकार होगा और इसीलिए अपवादस्वरूप आपको एक प्रश्न पूछने का मौका दे रही हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक का सवाल नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : आप क्वेश्चन आवर में पांच को सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने का अलाउ करती हैं तो अब क्यों नहीं करतीं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, चर्चा हो चुकी है, आपको जो कुछ कहना था, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने कह दिया।

डा. सी. पी. जोशी : कहां-कहा है? कुछ नहीं कहा है। कहां कहा है हमने?

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी जुलाई में उन पुराने टेण्डरों को आगे बढ़ाने के लिए आदेश प्रसारित किया और इस हवाले से किया कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला समूहों को अवसर देने के लिए कहा है तो हम पर कोई कंटेम्प्ट नहीं हो जाए और बिना सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के फिर यह नए टेण्डर आमंत्रित क्यों कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : क्यों कर रहे हैं, यही पूछा है न कि नए टेण्डर क्यों कर रहे हैं?

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, एक बात होने के बाद इन्होंने अपने एफेडेविट जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया उसके पैरा 9 में जो चीजें लिखी हुई हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की तारीख में सदन के माध्यम से चेतावनी देता हूं कि जो क्वालिटी बताई गई है इसमें कि यह-यह चीज है इसमें, आज की तारीख में आप सदन की एक समिति बना दें जो मौके पर जाकर देखे और जो इस एफेडेविट में लिखा है वह उन फर्मों के पास हो तो मैं सदन छोड़ दूंगा और आज की तारीख में उनके पास न तो स्टोरेज है न उनके पास जांच का है, न एफिलेटेड है और इनके पास न कोई गोदाम है, इनका सारा सामान गवर्नमेन्ट के गोदाम में पड़ा है। आप आज की तारीख में देख लें, सदन की समिति जाकर देख ले, वह सारा सामान उनको वहां मिलेगा। आज तारीख में इनके पास कोई गोदाम ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप भाषण दे रहे हैं, प्रश्न पूछने को कहा था।

श्री कनकमल कटारा : अध्यक्ष महोदय, ये निविदा शर्तें हमने तय नहीं की थीं कांग्रेस की सरकार ने की थी।

श्री हरिमोहन शर्मा : 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि हमारे महिला समूह (व्यवधान) नहीं है। हमको टेण्डर करने की इजाजत दी जाए। इस प्रकार का खुले आम...।

श्री अध्यक्ष : आप विराजो, आपका प्रश्न हो गया।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें किसी का कोई इंडरेस्ट नहीं है लेकिन करोड़ों रुपयों की राशि उन सभी चीजों के आधार पर अपने-अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से जो

(श्री हरिमोहन शर्मा)

जनप्रतिनिधियों का आचरण कम करके और दृष्टिकोण मुख्य मंत्री सचिवालय का दुरुपयोग किया जा रहा है, चिन्ता इस बात की है।

श्री विष्णु मोदी : जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसने टेण्डर किए, उसने रेट फाइनल किया और उसी टेण्डर में यह लिखा हुआ था कि यदि आपस में सहमति होती है तो यह काण्टेक्ट आगे बढ़ाया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब अंकित न हो।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : xxx

श्री विष्णु मोदी : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री अध्यक्ष : गलत बात है। आप यह कहें कि शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रही हूं, गलत बात है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री अध्यक्ष : इसके बाद मैंने अंकित नहीं करने का आदेश दे दिया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण कर लें और मंत्रीजी की बात सुन लें, उनका जवाब सुन लें। आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री अध्यक्ष : आप कह दें, जब तक ये बोलें तब तक आप कह दें। ये जब तक बोलेंगे अंकित नहीं होगा।

श्री कनकमल कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, टेण्डर की जो प्रक्रिया थी वो वर्तमान सरकार के द्वारा तय नहीं की गई थी वो 2003 में तत्कालीन सरकार द्वारा ही तय की गई थी। ईमानदारी से मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे मंत्रित्वकाल में (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री अध्यक्ष : बीच में न बोलें।

श्री कनकमल कटारा : किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं पायी गयी, मैंने तो कोटा में जो पोषाहार मुरमुरे की बात बता रहे हैं, इसकी फाइल चली है... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री कनकमल कटारा : जांच कर लें। दिल्ली प्रयोगशाला से जांच (व्यवधान) जांच आ जाएगी। उसमें जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उसको मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा और इसमें कहीं संदेह नहीं। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं मेरे इस विभाग के अन्दर किसी प्रकार का भी कोई भी... (व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरी शुरू से ही जिस प्रकार की भावना है उसके अनुसार काम करेंगे और उसमें कहीं भी कोई गुणवत्ता में... (व्यवधान) नये टेण्डर की प्रक्रिया जारी है और यह निश्चित रूप से बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए हमने टेण्डर की प्रक्रिया जारी कर दी है और बहुत जल्दी ही इसका प्रारम्भ हो जाएगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री सी. डी. देवल : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री विष्णु मोदी : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री विष्णु मोदी : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री वासुदेव देवनानी : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, 13 तारीख को चूंकि मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चन आवर के बाद गृह मंत्रीजी का वक्तव्य दिलाऊंगी इसलिए अब गृह मंत्रीजी।

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री अध्यक्ष : इस पर क्या करना है, यह तो हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण। नहीं (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री अध्यक्ष : क्या ?

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, हम आरोप की बात नहीं कर रहे आप हमारी बात समझ लें। यह 87 अमेण्डमेन्ट हुआ पार्लियामेंट में, यह पूरा पैसा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना का है, वर्ल्ड बैंक का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जो कह रहे हैं सरकार का आरोप नहीं है, हम जो बात कह रहे हैं उसको आप समझ लें, उसके बाद जैसी व्यवस्था करें हमें कोई तकलीफ नहीं। इसमें इश्यू यह है कि जो 7.4.2002 (व्यवधान) आपसे पूछेंगे क्या? क्या तकलीफ है। जब हमने चोरी की तो चिन्ता क्यों कर रहे हो, बैठो ना आप। आप जांच कर लें, आप विराजें। तकलीफ क्या है? विराजें आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री विष्णु मोदी : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री जुबेर खान : xxx

श्री मोहन लाल गुप्ता : xxx

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया।

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री अध्यक्ष : वह क्या बात हुई। जब एक ही प्रश्न की बात कही थी (व्यवधान) दी मैटर एण्डस डियर। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी का स्टेटमेंट।

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, वक्तव्य दें।

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री जुबेर खान : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री तगाराम चौधरी : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री खुशवीर सिंह : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, जो अभी डिबेट हुई इसमें मंत्रीजी ने जो हमारे माननीय सदस्य ने प्रश्न किए तो उसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के नेता को अंकित करने के निर्देश दिए)

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, सुनिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम आपके माध्यम से उनसे यह जानना चाहते हैं कि क्या यह सही है कि...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह आपका कहना ठीक नहीं है, चाहे एक मिनट के लिए हो, इसलिए यह कहना उचित नहीं है आपका। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री जुबेर खान : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जो हलफनामा प्रस्तुत किया है वह आपके हिसाब से सही है या गलत है और इसी के साथ...

श्री अध्यक्ष : इन्होंने हलफनामा थोड़े ही देखा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हलफनामा के बारे में उन्होंने प्रश्न किया उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : संसदीय कार्य मंत्री स्वयं व्यवधान कर रहे हैं, सही बात उन्होंने यह जाननी चाही थी कि इसके टेंडर का एक्सटेंशन क्या आपने दिया जवाब देने में सक्षम थे या नहीं थे? और तीसरी बात यह है कि हमारे पक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष के चीफ व्हिप, इसकी सदन की समिति से जांच कराई जाए तो फिर क्या दिक्कत है, आप सदन की समिति से जांच कराने के लिए तैयार हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने यह नहीं कहा है, उन्होंने तो कहा है अध्यक्ष महोदय अधिकृत हैं।

(माननीय अध्यक्ष ने इशारे से अंकित नहीं करने के निर्देश दिए)

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री खुशवीर सिंह : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री अमराराम (धोद) : अंकित हो रहा है क्या ? नहीं हो रहा है, हां, अंकित करो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं बार-बार कहता हूं यह लोकतंत्र के मुंह पर ताला लगाना चाहते हैं, यह नहीं चलने देंगे हम।

श्री जुबेर खान : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री अध्यक्ष : सारी बातें जो महावीर प्रसादजी ने कही हैं, सारी अंकित हो जाएं क्या यहां पर?

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, तो जाएं क्या प्राब्लम है, बिलकुल असत्य और बेबुनियाद बातें हैं।

श्री सांवर लाल : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बताएं कि सभी के सभी विषय जांच कराने के लिए तैयार हैं या नहीं और इन्होंने एक्सटेंशन दिया है वह बिलकुल गलत है, इन सबकी अध्यक्ष महोदय, मैं जांच कराने के लिए चीफ व्हिप ने खड़े होकर आप प्रोसीडिंग्स उठा देख लें, कहा है कि इसकी जांच कराई जाए तो क्या आप उसकी विधान सभा की समिति से जांच कराने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? इन तीनों प्रश्नों का जवाब दे दें मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री कनकमल कटारा : मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं इसमें कहीं पर ऐसा नहीं है (व्यवधान) मैंने बताया कि टेण्डर हो गये, हमारे समय में टेंडर अवधि पहले थी। (व्यवधान) टेंडर की शर्त संख्या 6 उसके मुताबिक ही किया है। (व्यवधान) आपके समय में भी तीन महीने बढ़ाए हैं उसमें 19 महीने तो पोषाहार की व्यवस्था की ही नहीं, बच्चे भूखे रहे। (व्यवधान) बच्चे भूख रहे, हम नहीं चाहते थे कि बच्चे भूखे रहें और इसीलिए उस प्रक्रिया के अधीन हमने...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री जुबेर खान : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री जुबेर खान : xxx

श्री वासुदेव देवनानी : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री अध्यक्ष : सदन की महिला और बाल कल्याण समिति बनी हुई है इस सब की वह जांच करे, मैं इस बात के लिए अधिकृत कर रही हूं। अब कुछ नहीं, शुरू करें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इस बारे में नहीं कहकर माननीय अध्यक्ष महोदय; मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : काहे की ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वह सारा ठेका आपने ले लिया, मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा हूं कि इस सदन में बांसवाड़ा के बालिका छात्रावास की जो छत गिर गई थी उसका जब स्थगन प्रस्ताव यहां उठाया था। सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने यह कहा था कि सात दिन में हम जांच करके इस सदन को अवगत करा देंगे। आप उसका समय निश्चित कर दें। आज तो उस बात को डेढ़ महीना हो गया। आप उस पर बयान कब देंगे? आपकी जांच पूरी हुई या नहीं ? यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : समय निश्चित कर देंगे। सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से बात करके समय तय कर देंगे। माननीय गृह मंत्रीजी। अब आप स्थान ग्रहण करिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर श्रीगोपाल बाहेती, स्थान ग्रहण करें। पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मैंने कहा स्थान ग्रहण करें। माननीय गृह मंत्रीजी।

मुकदमों को न्यायालय से वापस लेने के सम्बन्ध में

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मुकदमों को न्यायालय से वापस लेने के सम्बन्ध में वक्तव्य।

श्री जुबेर खान : एक मिनट। गृह मंत्रीजी, हमारा वक्तव्य था कि न्यायालय द्वारा जिन मंत्रियों के खिलाफ स्टैंडिंग वारंट्स जारी हैं और अदालत में पुलिस को कहा जा रहा है कि इनको पेश करो और अदालत में जवाब दिया जा रहा है कि ये मिल नहीं रहे हैं। हमारा उस पर स्टेटमेंट है। मुकदमे वापस लिये या नहीं इस पर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप पहले बीच में नहीं बोलेंगे। वक्तव्य से पहले नहीं बोलेंगे। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, पहले वक्तव्य सुनेंगे। पहले आप उन्हें सुनें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपका मन्तव्य जो आपने चाहा वो भी मैं दे रहा हूं। आपको इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। कोई मैंने अकेले ने आने के बाद केस विदड्रा करने की कार्यवाही शुरू नहीं की। जब से यह प्रथा चली है लोकतंत्र की तब से मंत्री इसको उठाता रहा है, कानून के तहत उसको अधिकार है। उस प्रक्रियां के द्वारा वे मुकदमे विदड्रा होते रहे हैं। मेरे समय में भी हुए, पूर्व सरकार में भी हुए और आगे भी होंगे।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं। बिराजिये आप। व्यवधान नहीं। पहले आप सुनें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। आप कृपया हमारे स्थगन प्रस्ताव का अवलोकन करें, उसमें कहीं भी मुकदमे वापस लेने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवधान नहीं बीच में। व्यवधान नहीं डालेंगे आप। मंत्रीजी के वक्तव्य में व्यवधान नहीं डालेंगे। मंत्रीजी।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, हमारा स्थगन कुछ है और वक्तव्य कुछ है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप उसको पढ़कर के देख लीजिये। हम यह चाहते हैं कि जिन लोगों के लिए पुलिस यह कह रही है...

श्री अमराराम (धोद) : ...दूसरा वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री जुबेर खान : कि हमको राजस्थान में मिल नहीं रहे हैं और उनको एस्कोर्ट से विधान सभा में लाया जा रहा है, सचिवालय में लाया जा रहा है...

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री जुबेर खान : xxx

श्री अध्यक्ष : बीच में व्यवधान नहीं डालेंगे। आप उनका वक्तव्य सुनेंगे पहले।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : मैं आभारी हूं कि आप यह नहीं चाहते हैं कि मुकदमे जो हमने लिया वो गलत लिये या सही लिये। यही बात अगर आप पहले कहते तो शायद आपकी बात का कुछ हो लेकिन आपने आधार उसी को बनाया इसलिए मैं इन सब बातों को स्पष्ट करते हुए जो वारंट जिनके खिलाफ भी जारी हुए उनकी क्या स्थिति थी उसे भी आपके सामने स्पष्ट करूंगा और उसमें भी कहीं मेरा दोष है या मेरे विभाग का दोष है तो जो भी आप सुझाव देंगे, मुझे कोई चीज छिपाने की न मेरी इच्छा है और न छिपाना चाहता हूं। जो कुछ मुझे अधिकार है उसके तहत काम करना चाहता हूं। मुकदमों को वापस लेने की सामान्य प्रक्रिया है जो सी.आर.पी.सी. की धारा 321 के प्रकाश में लिये जाते हैं। जिन प्रकरणों को न्यायालय में वापस लेने पर विचार किया जाता है उन प्रकरणों के बारे में विधि और विधिक नियमावली के नियम 21 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक तथा सहायक लोक अभियोजन की तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं उसकी राय ली जाती है। इन तीनों की राय के आधार पर गुणावगुण के विश्लेषण के पश्चात् ही गृह विभाग द्वारा निर्णय लिया जाता है कि मुकदमा वापस लिये जाने योग्य है या नहीं। इस सन्दर्भ में अन्तिम फैसला न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। गत वर्षों में मुकदमे वापस लिये जाते रहे हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :-

मैंने सन् 1951 से लेकर के सारे दिये हैं उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो मुकदमा जिस साल में जिस सरकार के समय भी लिया गया वो है। जहां तक 2004 में वापस लिये गये मुकदमों की अधिक संख्या के सम्बन्ध में हैं, उल्लेखनीय है कि इसमें 49 मुकदमे कर्मचारियों के हैं। शेष 197 मुकदमे राजनैतिक प्रदर्शन से सम्बन्धित हैं। प्रजातंत्र में अपनी मांग के समर्थन में प्रदर्शन करना एक सामान्य बात है। भारतीय जनता पार्टी ने गत 5 वर्षों में अपनी मांगों को लेकर के बहुत बार प्रदर्शन किये। तत्कालीन सरकार ने इन प्रजातांत्रिक प्रदर्शनों के लिए भारतीय जनता पार्टी के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कार्यकर्ताओं के विरुद्ध उनके मुकदमे दर्ज किये इसलिए इस प्रकृति के वापस लिये गये मुकदमों की संख्या भी ज्यादा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004-05 में वापस लिये गये मुकदमों में एक भी मुकदमा हत्या, बलात्कार, लज्जा भंग, छल, खाद्य पदार्थों का मिश्रण अधिनियम के गम्भीर प्रकृति के कोई अपराध नहीं हैं। वर्ष 2005 में जो मुकदमे वापस लिये गये उनमें 12 ऐसे हैं जो विधायक, सांसद, मंत्री परिषद् के सदस्यों से सम्बन्धित हैं। सभी प्रकरण राजनीतिक प्रदर्शन और धरनों से सम्बन्धित हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार है :- (1) श्री रणधीर सिंह भीण्डर (2) श्री रणधीर सिंह भीण्डर (3) श्री ज्ञान पारख (4) नवनीत लाल नीनामा (5) भवानी जोशी (6) ओम बिरला (7) ओम बिरला (8) ललित किशोर चतुर्वेदी (9) किरोड़ी लाल मीणा (10) हरिशंकरजी भाभड़ा (11) गुलाब चन्द कटारिया (12) बत्ती लाल मीणा।

उल्लेखनीय है कि तीन प्रकरण ऐसे भी हैं जिनमें राज्य सरकार ने वापस लेने का निर्णय लिया परन्तु न्यायालय ने वापस देने की अनुमति प्रदान नहीं की-(1) तारानगर-सरकार बनाम श्रवण कुमार (2) कोटा-सरकार बनाम विद्यासागर (3) अलवर -सरकार बनाम ज्ञानदेव आहूजा। ऐसा नहीं कि गृह विभाग के मुकदमों को वापस लेने के लिए जो ऐसे प्रकरण प्रस्तुत किये जाते हैं उन सभी को वापस लेनें का निर्णय लिया जाता हो। 102 प्रकरण ऐसे भी हैं जिन्हें वापस नहीं लेने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार केवल वे ही मुकदमे वापस लिये गये जो जनहित के लिए आंदोलन, विद्यार्थी आंदोलन या राजनीतिक प्रदर्शनों से सम्बन्धित थे। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकरण के जो मुकदमे हैं उन्हें वापस नहीं लिया गया चाहे वे किसी भी स्तर के व्यक्ति से सम्बन्धित हों।

गत वर्षों में विधायकों और सांसदों के विरुद्ध दर्ज किये गये मुकदमों की सूची को देखने से यह तथ्य उभरकर के आया कि कांग्रेस राज में भाजपा के जिन विधायकों, सांसदों के विरुद्ध जन आंदोलन के कारण मुकदमे दर्ज हुए थे उनमें अधिकांश चालान पेश किये गये। इसके विपरीत उसी प्रकार के और उन्हीं धाराओं और उन्हीं दिनों में मुकदमों में कांग्रेस के विधायक, सांसदों के विरुद्ध दर्ज हुए उनमें अनुसंधान के स्तर पर ही एफ.आर. लगा दी गई। न्यायालय तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आई। ऐसे मुकदमों की लम्बी फेहरिस्त है। मैं इसमें से कुछ आपके सामने रख रहा हूं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी के बारे में। जो भी प्रथा अब तक चली है उसमें जिस प्रकार की भी व्यवस्था

हुई मुझे उससे कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं केवल आपके सामने रखना चाहता हूं कि यह केवल हमने शुरू किया ऐसी बात नहीं है। दिनांक 1.6.1998 को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राज्य की कानून व्यवस्था के विरुद्ध धरना, प्रदर्शन घेराव का कार्यक्रम था। स्टेच्यू सर्किल पर करीब दो-ढाई हजार की संख्या में महिला-पुरूष कार्यकर्ता थे जिनमें प्रमुख नेताओं में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष श्री अशोक गहलोत, परसरामजी मदेरणा, शिवचरणजी माथुर, हीरालाल देवपुरा, जगन्नाथ पहाड़िया, चन्द्रभान, श्रीमती कमला बेनीवाल, श्रीमती बीना काक, श्रीमती बनारसी, श्रीमती प्रभा ठाकुर, राधेश्याम, विधायक वगैरह मौजूद थे। स्टेच्यू सर्किल पर धारा 144 लगी हुई थी। इन लोगों ने धारा 144 का उल्लंघन करते हुए पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की व वैरिकेटिंग तोड़ करके सचिवालय परिसर में प्रवेश किया। उन्होंने सचिवालय के मुख्य द्वार के चैनल को धकेल दिया और अन्दर प्रवेश कर सचिवालय में लगे हुए गमले इत्यादि की तोड़फोड़ की। इन लोगों ने पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के साथ धक्का-मुक्की व मारपीट की जिसमें 12 पुलिसकर्मी घायल हुए। यह मुकदमा थाना अशोक नगर में धारा 147, 149, 323, 353, 188, 227 दर्ज हुआ। परन्तु अनुसंधान के पश्चात् एफ. आर. अदम पता, ये लोग कहीं है ही नहीं, अदमपता में एफ.आर. दे दी गई।

एक और दूसरा भी इसी प्रकार का है चन्दनमलजी का है उसमें भी आपने लिखा है कि अदम सबूत, कोई सबूत नहीं मिला।

तीसरा, इससे भी गम्भीर नेचर का है जो आपके हमारे सब के चरित्र पर एक प्रश्नचिन्ह लगाता है। दिनांक 5.5.2000 को राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़ की ओर से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ में एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई गई कि दिनांक 3.5.2000 को एम.ए. प्रीवियस इतिहास द्वितीय प्रश्न-पत्र की परीक्षा थी, इस परीक्षा में छात्रा सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत रोल नम्बर- 35401 नकल करते हुए पकड़ी गई। उसके कब्जे से नकल की सामग्री जो कागज था 6x6 इंच का वह बरामद किया गया। उस रिपोर्ट के आधार पर एफ.आई.आर. 173/2000 अन्तर्गत धारा 3/6 परीक्षा अधिनियम दर्ज की गई। चूंकि परीक्षार्थी विधायक थीं अत: प्रकरण अनुसंधान के लिए सीआईडी भेजा गया जहां उसमें एफ.आर. दे दी गई।

यही नहीं, एक चौथा प्रकरण दिनांक 2.8.2001 को खाद्य निरीक्षक, नागौर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तथा थानाधिकारी, नागौर ने सोहनलाल मणिहार की दुकान के नीचे के हिस्से में तीन टन मिलावटी घी पकड़ा। खाद्य निरीक्षक, नागौर ने मिलावटी घी के टीन में से नमूने लेकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भिजवाया। प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार घी मिलावटी पाया गया। खाद्य निरीक्षक ने मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी से अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त कर अभियुक्त सोहनलाल मणिहार के विरुद्ध न्यायालय में 7x16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अपराध के आरोप में परिवाद पेश किया 330/01, 331/01, सरकार बनाम सोहनलाल मणिहार के विरुद्ध दर्ज मुकदमा सरकार ने वापस ले लिया।

कांग्रेस के जिन विधायकों एवं सांसदों के विरुद्ध जो मुकदमे केवल एफ.आर. देकर निरस्त किये गये। जिसमें केवल एफ.आर. दी गई जो मुकदमे थे, उसी समय में, उसी पीरियड के जिसमें हमारे लोगों के चालान पेश किये गये, उसके नमूने मैं रख रहा हूं। वर्ष 2000 के हैं, वहीं मीनाक्षी चन्द्रावत, शैलेन्द्र जोशी, रमेश खींची, मोहनजी मोदी, अशोक तंवर, लालचन्द कटारिया, रामेश्वरजी डूडी सांसद, राधेश्याम विधायक, हरचन्द सिंह विधायक, श्रीमती यास्मीन अबरार विधायक, अयूब खां विधायक, रामलाल विधायक, हीरालाल विश्नोई विधायक, निर्भयलाल विधायक, रामभरोसी लाल जाटव विधायक, भरोसीलाल जाटव विधायक, रामलाल विधायक, माधवसिंह दीवान। ये सब उसी पीरियड के हैं, उन्हीं धाराओं में हैं जिन धाराओं में सामान्यतया आन्दोलन के होते हैं। उन सबमें एफ.आर. लगा दी गई। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के विधायकों एवं सांसदों के जिनके प्रकरणों में चालान पेश किये गये, उसकी सूची भी उसी प्रकार है। ये सैक्शन वही हैं। मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूं। श्री मदन दिलावर, फिर मदन दिलावर, मदन दिलावर, मदन दिलावर, मदन दिलावर, मदन दिलावर, मदन दिलावर, मदन दिलावर, मदन दिलावर, ये इसी सैक्शन में है, जिन सैक्शनों में मैंने उधर पढ़ा है...

श्री महावीर प्रसाद जैन : दुश्मनी साधी है आपने।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : श्री नाथूलाल गुर्जर विधायक, नाथूलाल गुर्जर, प्रभुलाल विधायक, प्रभुलाल विधायक, प्रहलाद गुंजल, रघुवीर सिंह कौशल, बहादुर सिंह सांसद, बहादुर सिंह कोली विधायक, जगन्नाथ वर्मा, जगन्नाथ वर्मा, श्री गिरधारी लाल भार्गव, डाक्टर रामप्रताप, बंशीलाल राजसमन्द विधायक, बंशीलाल, भवानी जोशी, भवानी जोशी, सांगसिंह भाटी, शांतिलाल चपलोत, बारूपाल विधायक, सुरेन्द्र राठौर। यह तो मैंने कुछ ही सैम्पल लिये हैं। बहुत लम्बी लिस्ट है। गत वर्षों में इस सूची में, मैं

यह भी बता रहा हूं कि हर वर्ष कई ऐसे मुकदमे भी वापस लिये गये जो न राजनैतिक प्रकरण थे, न ही कोई जनहित के थे। ये विशुद्ध व्यक्ति स्तरीय अपराधों के मुकदमे थे। फिर भी सरकार द्वारा इन्हें वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया। कुछ उदाहरण वर्षवार इस प्रकार हैं :-

एफ.आई.आर. 236/95 थाना दई दिनांक 15.8.1995 को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में कई लोग सरिया लेकर सरपंच को मारने आये। पुलिस के रोकने पर पुलिस से मारपीट की। जीप को आग लगाई। 307 का केस था जिसके बावजूद वापस ले लिया गया। राज्यमंत्री श्री हरिमोहन शर्मा का पत्र आज भी उस फाइल में लगा हुआ है केस विदड्रा का...

श्री महावीर प्रसाद जैन : हरिमोहनजी, यही? (व्यवधान) हिण्डौली वाले ?

श्री अध्यक्ष : अब कहां गये वह ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वर्ष 2002 में थाना आदर्श नगर, जयपुर निशांदेही पर सामान की बरामदगी भी हुई। इसमें यह है कि अभियन्ता को निशांदेही पर सामान की बरामदगी हुई, फिर भी प्रकरण वापस लिया गया।

दिनांक 11.3.2003 को दैनिक भास्कर में इस शीर्षक से खबर छपी कि "सरकार चोरी का मुकदमा भी वापस क्यों ले रही है" एफ.आई.आर. नम्बर 152/81, 15.5.1981 राजमन्दिर सिनेमा में नई फिल्म-"नसीब" के प्रथम प्रदर्शन पर छात्रों ने पथराव किया, सिनेमा के कर्मचारी घायल हुए, गाड़ियों के शीशे तोड़े। अनुसंधान के पश्चात् पुलिस ने रघु शर्मा व अन्य के विरुद्ध न्यायालय में आरोप प्रस्तुत किया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए इसलिए उन्हें मफरूर घोषित किया गया। समझना, दोनों में अन्तर समझना, हममें और आपमें क्या अन्तर है? इसको समझने की जरूरत है। उन्हें मफरूर घोषित किया गया फिर भी सरकार ने प्रकरण को वापस लेने का निर्णय लिया।

वर्ष 2003 : थाना नैनवां बूंदी, एफ.आई.आर. नम्बर 324/01, एफ.आई.आर. नं. 33/95 थाना मांगरोल, बैरवा विधायक द्वारा तहसीलदार को थप्पड़ मारा गया. जो मुकदमा वापस लिया। जिला स्तरीय समिति द्वारा सामान्यतया...अब जो आपका मूल प्रश्न है कि जिनके खिलाफ वारंट निकला, आपकी पुलिस ने उन्हें तामील क्यों नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कराया? मैं इसके लिए श्री मदन दिलावर के गिरफ्तारी वारंट के सम्बन्ध में बता रहा हूं। दिनांक 29.10.2001 को ग्राम बालाखेड़ा अन्तर्गत थाना अंता जिला बारां में तनाव उत्पन्न होने के कारण धारा 144 लगाई गई। वहां के थानाधिकारी की रिपोर्ट पर इस सन्दर्भ में मुकदमा 448/01 अन्तर्गत धारा वही 147, जो अशोकजी के साथ लगी थी, वही 149, 323, 353, 188 दर्ज की गई। श्री मदन दिलावर और पांच अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 16.4.2003 को चालान अंता न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में तारीख पेशी पर नहीं आने से श्री मदन दिलावर, अटरू विधायक व दो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध सी.जे.एम. न्यायालय अंता ने वारंट जारी किया जो थाना में 24.7.2005 को प्राप्त हुआ। इसमें अग्रिम तारीख पेशी 13.6.2005 नियत थी। दिनांक 27.3.2005 को, वारंट थाने में आने के तीन दिन बाद, श्री मदन दिलावर, समाज कल्याण मंत्री किसी समारोह में मुख्य अतिथि थे लेकिन उस समय थानाधिकारी, अंता जहां यह मुकदमा दर्ज हुआ, राजकीय कार्य से बाहर होने के कारण, इस कारण से वारंट तामील नहीं हो सका। अग्रिम तारीख पेशी 16.6.2005 है। इसलिए इस पीरियड में कभी भी इसकी तामील कराई जा सकती है। इसमें किसी को किसी प्रकार का एतराज नहीं होना चाहिए।

श्री भवानी सिंह राजावत का गिरफ्तारी वारंट दिनांक 18.10.1981 को, 24 साल पहले, भवानीसिंह राजावत व अन्य के विरुद्ध श्रीराम रंगमंच, दशहरा मेला के दौरान हुई घटना के सम्बन्ध में श्री भवानीसिंह राजावत, रामेश्वर जोगी, प्रहलाद चडढा, सत्यनारायण और 25-30 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। अनुसंधान के पश्चात् श्री भवानीसिंह राजावत व अन्य के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर इनके विरुद्ध 21.6.1982 को अन्तर्गत धारा 323, 353, 336, 147 चालान न्यायालय में पेश किया गया। इस मुकदमे में श्री प्रहलाद चड्ढा और श्री सत्यनारायण और श्री योगेन्द्र को न्यायालय द्वारा बरी किया जा चुका है। रामकुमार श्री भवानीसिंह राजावत, श्री रामेश्वर जोगी की अन्वीक्षा न्यायालय में विचाराधीन है। श्री भवानीसिंह राजावत के न्यायालय में पेशी पर उपस्थित नहीं होने से न्यायालय द्वारा श्री भवानी सिंह राजावत को स्थाई वारंट, आप तारीख को नोट करना, 1.7.2003 को जब आपकी सरकार थी, 1.7.2003 को जारी किया गया। श्री भवानीसिंह राजावत को वारंट तामील नहीं करवाने पर थानाधिकारी, मेरे इस प्रश्न के आने के बाद और अखबार में आने के बाद किशोरपुरा के थानाधिकारी को हटा दिया गया, अन्य अधिकारी और कर्मचारी जिनके द्वारा वारंट तामील कराने में लापरवाही बरती गई, उनसे भी स्पष्टीकरण लिया

जाकर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में श्री भवानीसिंह राजावत ने माननीय उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट देकर के, जिस रिट पर 13.4.2005 को माननीय उच्च न्यायालय ने श्री भवानीसिंह राजावत की गिरफ्तारी पर 28.6.2005 से पूर्व, शायद इसमें तारीख में कोई...28.4.2005 तक न्यायालय में पेश होकर जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिये।

इसी प्रकार का प्रकरण ज्ञानदेव आहूजा का है। श्री ज्ञानदेव आहूजा के प्रकरण में भी उनको अन्ततोगत्वा सरेण्डर होना पड़ा। कई बार यह हकीकत है कि हम लोगों का जो स्टेटस है, सामान्यतया पुलिस वाला थोड़ी झिझक करता है और उस झिझक के कारण से, मैं भी सारे अधिकारियों को डाइरेक्शन कि कोई बड़े से बड़ा हो, हमारे पास अगर वारंट आया है तो तामील कराना हमारा फ़र्ज है। अगर किसी की तामील कराने में कोई दोष या गलती रही है तो उसकी सजा भुगतेगा और इस केस में तुरन्त उसी दिन, जिस दिन मेरे सामने घटना आई थी, मैंने वहां के थानेदार को लाइन में किया और बाकी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही शुरू की है। मैं सोचता हूं कि उलझने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी अगर कोई गलती है और हम कोई इंटेंशनली किसी को बचाना चाहते हैं, ऐसी कोई मंशा नहीं है। सामान्यतया ऐसी प्रक्रिया रही है कि हम जैसे लोगों के विरुद्ध, मेरे खिलाफ भी वारंट निकला था, अभी जो केस चल रहा था, यहां नहीं, छोटी सादड़ी में और मैं मंत्री था यहां, पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री था, मुझे उसने आकर तामील कराया। मैंने जाकर के उसकी जमानत करा ली। जमानत कराना कोई पाप नहीं है। कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, कोई चोरी का या डकैती का नहीं है, सामान्यतया जन आन्दोलन के हम लोग करते हैं और कई बार इतना पुराना केस हो जाता है कि पुलिस वाला जब तक आकर सूचना नहीं देगा कि पेशी कब है तो उस व्यक्ति को ध्यान में कैसे आएगा कि उसे किस दिन जाना है। मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, केस हटाने के बारे में भी अगर आपको कहीं लगे कि हमने कोई राजनैतिक द्वेषता से हटाया है या हमने किसी का पक्ष लेकर हटाया है तो आप जरूर ध्यान में लाइये, हम उसको फिर से देखेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी काम होगा, वह ईमानदारी से और नियमों के तहत होगा। मैं आपकी मदद चाहूंगा कि इस प्रकार से प्रदेश में इस वातावरण को आज इसकी डिमाण्ड है, आप सब लोग सहयोग करें और आपको सब को अधिकार है कि व्यक्तिगत अगर कहीं आपको कमी नजर आती हो तो मुझे ध्यान में लाइये। जो कुछ मुझसे सम्भव हो सकेगा, उतना मैं करने का प्रयास करूंगा। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : मैं गृह मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : अब फिर वही बात कर रहे हैं, जब सारी बात कह दी...

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते तो बन्द अब, हमको भी कोई पाइंट रखा तो अपनी बात रखने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : सब कुछ तो कह दिया। (व्यवधान) देखिये, सुनिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वक्तव्य के बाद नहीं है। यह नियम आपने ही बनाये हुए हैं। 290 पढिये आप।

श्री अध्यक्ष : वैसे तो वक्तव्य के बाद में नहीं है, सब कुछ कह दिया, कोई बाकी नहीं रखा उन्होंने।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई बाकी ही नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, सुनने में क्या तकलीफ है आपको, समझ में नहीं आया अध्यक्ष महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारा बहुत स्पष्ट हो गया।

डा. सी. पी. जोशी : हम स्थगन प्रस्ताव रखें और आप कोई व्यवस्था दें, उस पर भी आप नहीं करें तो +++

श्री अध्यक्ष : नहीं, मेरी बात सुनिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो, अध्यक्ष महोदय, नियमों में रिलेक्स देकर ही सुन सकते हैं।

डा. सी. पी. जोशी : अब यह खुद ही खड़े हो रहे हैं, अब यह क्या तरीका है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : पुलिस की डिमाण्ड है आज, आप अपनी बात को फिर कहियेगा, इसी मामले में कह दीजियेगा आप अपनी बात। पुलिस की डिमाण्ड है आज।

डा. सी. पी. जोशी : आप हमारी बात तो सुनें, अध्यक्ष महोदय, फिर पुलिस की बात आ जाती है, उस दिन भी यही बात हुई।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो आपको रिलेक्स करना पड़ेगा नियमों को। यदि आप परमिशन देती हैं तो आपको नियमों में रिलेक्स करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : नियमों से आप चलने ही नहीं देते हैं न कोई। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके लिए कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसमें कोई मैं, मेरे से तो कोई शिकायत...

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपसे मेरा मतलब माननीय सदस्यों से। आपसे नहीं मेरा मतलब, आप तो नियमों का मुझे ध्यान दिलाते हैं, लेकिन बाकी कोई नियमों से चलने नहीं दे रहे हैं, क्या करें।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, हम सब ने जो प्रश्न उठाया उससे सीधा सम्बन्ध आज लोकतंत्र में ज्यूडिशियरी और जो हमारा लेजिस्वेटर है उससे था इसलिए हमने उठाया और मैं माननीय गृह मंत्रीजी, आपको धन्यवाद देता हूं पर मैं निश्चित तौर पर आपका ध्यान और हम सब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन का जो आर्टिकल 163 है उसमें लिखा हुआ है- "Council of Ministers to aid and advise Governor." इसमें, अध्यक्ष महोदय, बहुत क्लियर लिखा हुआ है- "There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so for as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion." अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो उदाहरण दिया, उस उदाहरण के साथ यह चीज जुड़ी हुई है कि एक मंत्री, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता, आपने जो कहा, वह अच्छी परम्परा डाल रहे हैं आप और यह परम्परा लोकतंत्र में होनी चाहिए लेकिन निश्चित तौर पर यदि कौंसिल आफ मिनिस्टर जो बनी हुई है वह गवर्नर को एड करने के लिए बनी हुई है। कौंसिल आफ मिनिस्टर में कोई मिनिस्टर बैठा हुआ है वह मिनिस्टर जो ज्युडिशियरी का रिमाण्ड है उसको एक्जीक्यूट करने का काम नहीं करे, तो साधारण आदमी पर ज्यूडिशियरी का जो सम्मान है वह बढ़ेगा नहीं। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आपने पहल की, इस पहल को आगे बढ़ाइये, आप मदन दिलावर साहब को दोबारा मंत्री बना दीजिये. कोई तकलीफ

(डा. सी. पी. जोशी)

नहीं है, लेकिन आपको एक फैसला करना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, कि किसी भी मंत्री के खिलाफ यदि स्टेण्डिंग वारंट है या वारंट निकला हुआ है, उसकी इग्नोरेंस के कारण या किसी के कारण, यदि वह नहीं गया है वहां पर तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, पहले त्यागपत्र दे, आपकी पार्टी की उमा भारतीजी ने किया है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया उन्होंने, आज उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, कल हम सरकार में आयेंगे अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : आप लोगों ने क्या किया है, वह भी बता दें। हां, बोल देता हूं।

डा. सी. पी. जोशी : आप बात सुनें पहले। बिराजें आप। बात तो सुनिये आप। हल्ला करने से कुछ होगा नहीं। आज आप बन जाओगे, कल आप खड़े होकर इधर से बोलेंगे बात। (व्यवधान)

श्री अर्जुनलाल जीनगर : आपको भी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। आपके लिए भी पाबन्दी नहीं है इस मामले में। आप भी उदाहरण प्रस्तुत करिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप भी उदाहरण प्रस्तुत करो, ऐसे-ऐसे क्राइम... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आप विराजो महावीरजी, विराजें। विराजें एक मिनट।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप भी ऐसा उदाहरण पेश करो कि हमने यह गलत काम किया है...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : विराजो आराम से। (व्यवधान)

श्री रणधीर सिंह भीण्डर : आपके गृह मंत्री के खिलाफ तो...(व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर : यह सारे नियम भारतीय जनता पार्टी पर ही लागू होते हैं क्या, कांग्रेस पर लागू नहीं होते? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन से...(व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर : आपकी पार्टी में केन्द्र में बैठे हैं, मिनिस्टर बने बैठे हैं उनसे दिलाइये इस्तीफा आप। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : Why are you encouraging this?

श्री दाताराम गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र में कितने बैठे हैं, उनके ऊपर कितने चार्ज, आप उनसे इस्तीफा दिलाइये माननीय कांग्रेस के सदस्यों से।

एक माननीय सदस्य : लिया था न सब से सोरेन ने और जमानत कराकर दोबारा मंत्री बनाया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको अवसर मिलेगा, उनकी बात तो सुन लीजिये, क्या कह रहे हैं वह, उसके बाद आपको जो कहना है, आप भी कह दीजियेगा।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी माननीय गृह मंत्रीजी ने कांग्रेस के समय में कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके केसेज बताये और बताया कि उनमें एफ.आर. लग गई और हमने यह नहीं किया, यह आपने उदाहरण दिया है। इस उदाहरण को दोबारा रिपीट न हो, कल हम सरकार में आयें, कल आप भी यहां से उठकर यह प्रश्न उठायेंगे, तब हम यह उठकर कहें कि आपने उस समय यह नहीं किया। मैं तो आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। नहीं करें, आपके ऊपर है। आप ज्यूडिशियरी को नहीं मानें, नहीं मानें, आपकी पार्टी नहीं मानती है। अयोध्या के मन्दिर पर नहीं मानती है, बहुत सी चीजों पर नहीं मानती है, इस पर भी नहीं मानें, यह आपका अधिकार है पर हमारा धर्म बनता है अध्यक्ष महोदय, कि हम जिस कौंसिल आफ मिनिस्टर के मेम्बर हैं, यदि उस कौंसिल आफ मिनिस्टर का मेम्बर कोर्ट के किसी वारंट को एक्जीक्यूट करने के सम्बन्ध में नहीं जाय और मंत्री बना रहे और वह कौंसिल आफ एडवाइस पर गवर्नर काम करे. तो इससे ज्यादा, माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में ज्यूडिशियरी को इंटरवीन करने का मौका नहीं मिलेगा। ज्यूडिशियरी इंटरवीन इसलिए कर रही है कि लोकतंत्र में जो काम हमें करना है, लेजिस्लेचर बनाने वालों को काम करना है, हम खुद कानून का पालन नहीं करते हैं और जो खास तौर से मंत्री जब कानून का पालन नहीं करे और मंत्री उसका मैम्बर बने जिसको गवर्नर को उसमें एडवाइस करना है तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में, अध्यक्ष महोदय, यह ठीक परम्परा नहीं है। आप भी सदन के पुराने सदस्य रहे हैं, माननीय गृह मंत्रीजी ने बहुत

(डा. सी. पी. जोशी)

अच्छा वक्तव्य दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं पर आपको भी, अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी, आपने जो हिम्मत की, उस हिम्मत से एक कदम आगे बढ़कर राज्य में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। किसी भी पार्टी का सदस्य हो, कोई भी मंत्री हो, लेकिन मंत्री को यह अधिकार नहीं है अध्यक्ष महोदय, कि ज्युडिशियरी का वारंट निकला हुआ हो, वारंट निकलने के बाद केवल मात्र इसलिए, सब लोगों को मालूम है कि मंत्री है, छोटा केस हो, बड़ा केस हो, जमानत हो, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि इनके साथ पोलिटिकल नहीं हुआ होगा, पोलिटिकल जो भी आपने उदाहरण दिये, कोई भी सरकार हो, उसका कैसा इंटेन्शन होता है, हर गृह मंत्री गुलाबचन्दजी कटारिया नहीं होता है, आपका इंटेन्शन होगा, कल आपको गृह मंत्रीजी, पार्टी वाले रिवाल्ट कर देंगे, काहे का गृह मंत्री, हमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन आपने एक परम्परा प्रारम्भ की है गृह मंत्रीजी, तो इस परम्परा को आगे बढ़ाइये, राजस्थान की यह परम्परा दूसरे सदन में एक उदाहरण बने कि राजस्थान की हमारी जो परम्परा है, इस सदन की जो हमारी रही है, उसको अपहेल्ड करने के लिए हम एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि हमारे मंत्री ने इग्नोरेंस के कारण, किसी के भी कारण, यदि ज्युडिशियरी का काम नहीं किया है तो पहले जाकर ज्युडिशियरी में वह अपनी जमानत करावे, फिर आकर मंत्री बने, तब तो, अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण बनेगा, बाकी कांग्रेस के मंत्रियों ने यह किया, कांग्रेस की एफ.आर. दर्ज की, उससे कटारिया साहब, आप अपनी सरकार की जो फंक्शनिंग है उसको दूसरों के शेड में अपनी शेड को ठीक करके आप समझते हैं कि आप ठीक काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ठीक काम नहीं हो रहा।

आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि हमने केसेज विदड्रा किये, हमें भी मालूम है, केसेज विदड्रा होने चाहिए, वैसे केसेज विदड्रा होने चाहिए, पोलिटिकल पार्टी है, आपकी पार्टी की एक फिलासापी है, आपकी फिलासफी के आधार पर केस विदड्रा करते, जनता ने आपको मेन्डेट दिया है, आपको अधिकार है, एक प्रोसीजर है उसको पूरा करें। लेकिन यह कौन सा अधिकार है मुझे बतायें कि जिसमें मंत्री, मंत्री रहता हो और वह कौंसिल आफ मिनिस्टर में बैठकर फैसला करे। मैं कोट भी नहीं करना चाहता। इसमें शिड्यूल है.. अध्यक्ष महोदय। आपकी मंत्री की शपथ क्या होती है, उसका शिड्यूल दे रखा है, कांस्टीट्यूशन में लिखा हुआ है शपथ क्या लेगा मंत्री। Should I quote? "...in accordance with the constitution and the law, with-

out fear or favour..." यह मंत्री का जो धर्म बनता है, अध्यक्ष महोदय, कि आगे आकर उदाहरण प्रस्तुत करे। इसलिए, मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे और ज्यादा नहीं निवेदन करना चाहता, मैं आपको यह एसपरेशन भी नहीं करना चाहता, मैं आपकी पहल के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं पर इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर हमें कुछ काम ऐसे करने चाहिए जिससे लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र कमजोर नहीं हो, यह जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। कल यह उदाहरण देकर हम यदि बचना चाहें, अध्यक्ष महोदय, तो मैं समझता हूं ठीक काम नहीं कर रहे हैं।

इसलिए मैं फिर विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाह रहा हूं, अभी भी, अध्यक्ष महोदय, यह हमारे जो मंत्री हैं, यह कौंसिल आफ मिनिस्टर की मीटिंग में बैठते हैं। यदि उनके ऊपर केसेज हैं तो मेहरबानी करके यह कुछ नियम खुद पर, सेल्फ इम्पोज करें और जाकर जमानत करायें फिर आकर मंत्री बनें, तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छी परम्परा नहीं होगी। मैं, गृह मंत्रीजी, आपसे आशा करता हूं कि आपको पहल करके एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, चूंकि उनका वारंट निकला लेकिन उसकी जो तारीख पेशी है वह छठे महीने में है। इस पीरियड के बीच में वह कभी भी जाकर अपनी जमानत करा सकते हैं, उनको यह अधिकार है। उसमें कोई यह सीमा निकलेगी, जिस तारीख को उनकी पेशी है, उस दिन अगर कोर्ट में जायेंगे तो कोर्ट इनके खिलाफ जैसे ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ कार्यवाही की और उन्होंने उनको जे.सी. में भेज दिया, मैं सोचता हूं कि यह केवल पेशी चूकना, जो जाने-अनजाने हुई, उसमें भी सीमा दे रखी है 13.6 तक, उसमें उनको जाकर के उसके पहले कभी अपनी जमानत करानी है, यह सीमा उनके पास उपलब्ध है और इस कारण से इसमें मैं सोचता हूं कि उनका यह दोष नहीं बन रहा है कि उनको इसके कारण से कोई इस पर आये, अगर उस दिन यह जायें और कोर्ट उस दिन यह तय करता है कि नहीं, आप तो चार दिन जे.सी. जाइये, तो तो इनके खिलाफ आगे की कार्यवाही सम्भव है।

डा. सी. पी. जोशी : हम एक साधारण आदमी पेशी पर जाय और ज्यूडिशियरी कोई फैसला करे, हम तो मंत्री हैं, हमें मालूम है, हम सुओमोटो आकर एक उदाहरण क्यों नहीं प्रस्तुत करें। कौन रोक रहा है इसको? आप नया मंत्री बनाइये, कौन रोक रहा है। Nobody is stopping it.

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : एक मंत्री, राजस्थान सरकार का एक जिम्मेदार मंत्री ज्युडिशियरी की अवहेलना करे, अध्यक्ष महोदय, तो हम सबके लिए ठीक नहीं है। (व्यवधान) नहीं, यह आपके ऊपर निर्भर है, परम्पराएं, आपका बहुमत है, आप मत करो, लेकिन हमारा धर्म बनता है, अध्यक्ष महोदय, कि यह परम्परा ठीक नहीं है... (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : माननीय सदस्य महोदय, मैं बताता हूं आपको, यदि पेशी पर कोई आदमी जेल भेजा जाता है तो...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले उदाहरण प्रस्तुत करें आप। परम्पराओं का पालन करें और सबसे ऊंची परम्पराएं हैं नियमों के लिए। जो परम्पराएं हैं उनको समाप्त नहीं किया जा सकता (व्यवधान) और यदि वह स्वस्थ परम्परा डालेंगे तो हम उसका पालन जरूर करेंगे।

श्री शांतिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात उठायी है। मैं एक मिनट आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री रामनारायण मीणा।

श्री शांतिलाल चपलोत : एक मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनें पहले। यह जो मुकदमा दिलावर साहब पर या भवानी सिंहजी राजावत पर है वह 332, 353, 147, 148 के तहत है...

श्री अध्यक्ष : अब क्या आप कहना चाह रहे हैं मावली से आने वाले माननीय सदस्य, सारी बातें तो कह दीं। गृह मंत्रीजी ने सारी बात कह दी।

श्री शांतिलाल चपलोत : इनकी जमानत केवल पुलिस में होती है। पुलिस में यह बेलेवल है, इसलिए माननीय, यह कोई जब्त नहीं हुई है...

श्री अध्यक्ष : सारी बात कह दी गृह मंत्रीजी ने। कुछ भी बाकी नहीं रहा।

श्री शांतिलाल चपलोत : इनको पहले बुलाया नहीं गया है, इन्होंने जम्प नहीं किया है यह पहली बार जायेंगे, पहली बार पुलिस वाले ढूंढते रहते हैं और नहीं मिलते हैं तो वह स्टैण्डिंग वारंट निकाल देते हैं। इसलिए इनसे किसी प्रकार के इस्तीफे की बात करना, अव्यावहारिक है अध्यक्ष महोदय. यह मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह कोई मोरल टरपिट्यूट का मामला नहीं है, बलात्कार का मामला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ...कंट्रोल करें थोड़ा।

श्री सी. डी. देवल : डेढ़ साल में क्यों नहीं ली, क्या इनको परेशान करने के लिए नहीं ली? आपने सैकड़ों मुकदमे वापस ले लिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा। आप स्थान ग्रहण करें।

याचिकाओं का उपस्थापन

राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय सबलपुरा झौंपड़ा (पीपल्या) तहसील नैनवां जिला बूंदी के लिए कक्षा कक्ष का निर्माण कराने बाबत

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से (1) राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय सबलपुरा झौंपड़ा (पीपल्या) तहसील नैनवां जिला बूंदी के लिये कक्षा कक्ष का निर्माण करने बाबत् 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

नीलसागर तालाब-आंतरदा के एनीकट निर्माण कार्य को पूर्ण कराने बाबत

(2) नीलसागर तालाब-आंतरदा के नीचे निर्माणाधीन एनीकट कार्य को पूर्ण करवाये जाने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

गुरुमित्र पाठशाला आडिवाड़ मजरा करवाला की झौंपड़िया पंचायत समिति केशवरायपाटन में भवन निर्माण कराने बाबत

(3) गुरुमित्र पाठशाला आडिवाड़ मजरा करवाला की झौंपडिया पचायत समिति केशवरायपाटन जिला बूंदी में भवन निर्माण बाबत, 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

माटून्डा (बूंदी) माइनर को चैन संख्या-64 से 75 के मध्य पक्का करवाये जाने बाबत

(4) माटून्दा (तहसील व जिला बूंदी) माइनर को चैन संख्या-64 से 75 के मध्य, पक्का निर्मित कराया जाकर पानी रिसाव को रोकने बाबत् 3 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजकिशोर शर्मा।

जयपुर ग्रामीण में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं

जयपुर ग्रामीण में राजकीय महिला चिकित्सालय खोलने बाबत

विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में राजकीय महिला चिकित्सालय खोलने बाबत 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल।

राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबतसर को 100 शैयाओं में परिवर्तित करने बाबत

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से (1) परबतसर विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय पर स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 शैयाओं से 100 शैयाओं में परिवर्तन करने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं

परबतसर में कृषि उपज मण्डी कार्यालय व यार्ड की स्थापना बाबत

(2) तहसील मुख्यालय परबतसर में कृषि उपज मण्डी कार्यालय व यार्ड की स्थापना करवाने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भागीरथ चौधरी।

राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय, किशनगढ़ (अजमेर) को 150 बैड में क्रमोन्नत करने बाबत

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से) (1) राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़ (अजमेर) को 100 बैड से 150 बैड तक क्रमोन्नत करने बाबत 3 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं

राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सा, किशनगढ़ (अजमेर) के जीर्ण-शीर्ण पुराने भवन का नवीनीकरण कराने बाबत

(2) राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय, किशनगढ़ (अजमेर) के जीर्ण-शीर्ण पुराने भवन का नवीनीकरण कराकर उपयोग में लेने बाबत 3 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतराम।

मालपुरा के किसानों को बीसलपुर बांध से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने बाबत

श्री जीतराम (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के किसानों को बीसलपुर बांध से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने बाबत 3 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

गढ़ी पंचायत समिति (बांसवाड़ा) में मजदूरों को भुगतान न मिलने बाबत

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। सार्वजनिक निर्माण मंत्री वक्तव्य दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति गढ़ी से खैरवाड़ा वाया पारसोलिया सड़क कार्य लम्बाई 5.8 किलोमीटर सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-द्वितीय की देखरेख में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कराया गया था। यह कार्य कार्यादेश संख्या 488 दिनांक 16.5.2003 के द्वारा मैसर्स हेडलसिंह गिर्राजसिंह डबल ए क्लास कांट्रेक्टर, 14, पंचवटी कालोनी, जोधपुर को आबंटित किया गया था। कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 26.5.2003 थी तथा पूर्ण करने की दिनांक 25.2.2004 थी। इस कार्य के लिए सड़क निर्माण सामग्री, श्रमिक और मशीन की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा अपने स्तर पर की गयी थी विभाग द्वारा सम्पूर्ण कार्य का कार्यादेश दिया गया था। श्रमिक सामग्री और मशीनरी की व्यवस्था विभागीय अधिकारीगण द्वारा नहीं की गयी है। श्रमिकों की मजदूरी, मशीनरी का किराया व सामग्री की लागत का भुगतान ठेकेदार मैसर्स हेडलसिंह गिर्राजसिंह द्वारा किया गया था।

(13.24 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

इस कार्य के अनुबन्ध में श्री सुनील चौधरी नामक ठेकेदार का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। कार्य दिनांक 25.6.2004 को पूर्ण हो गया। उक्त कार्य के अन्तिम बिल का भुगतान 10.3.2005 को किया गया। अन्तिम बिल भुगतान करने की दिनांक 10.3.2005 तक किसी श्रमिक का भुगतान ठेकेदार द्वारा नहीं किये जाने का कोई प्रकरण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त नहीं हुआ था।

शासकीय वक्तव्य

बांसवाड़ा महिला छात्रावास का भवन गिरने बाबत

डा. श्रीगोपाल बाहेती : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष : एक सैकण्ड। माननीय मंत्री महोदय, एक और मामला था बासंवाड़ा महिला छात्रावास के भवन गिरने के सम्बन्ध में उसके बारे में आप अपना वक्तव्य दे दीजिये। अभी वो भी साथ ही दे देते फिर एक साथ हो जाएगा।

श्री जीतमल खांट : उसमें मानगढ़ का भी उल्लेख था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा के राजकीय महिला छात्रावास के निर्माण हेतु आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास, उदयपुर के पत्र दिनांक 14.7.2003 के द्वारा 72 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गयी थी। उक्त कार्य की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त बांसवाड़ा के पत्र दिनांक 10.9.2003 के द्वारा 71.54 लाख की जारी की गयी थी। उक्त कार्य कार्यादेश मैसर्स सूरज पोरवाल बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ के पक्ष में अधिशासी अभियन्ता के आदेश दिनांक 20.12.2003 के द्वारा राशि रुपये 66.73 लाख रुपये की जारी की गयी थी जिसमें कार्य प्रारम्भ करने की एवं समाप्त करने की तिथि क्रमश: 1.1.2004 एवं 31.10.2004 नियत की गयी थी। दिनांक 11.2.2004 को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त कार्य के कार्यस्थल पर हाल ही में निर्मित बरामदे की छत गिर गयी जिसकी सूचना प्राप्त होते ही इस कार्यालय के आदेश दिनांक 11.2.2005 द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्भाग उदयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए प्रकरण की प्रारम्भिक जांच कर जांच रिपोर्ट अविलम्ब प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, सम्भाग उदयपुर ने अपने पत्र दिनांक 14.2.2005 के द्वारा उक्त कार्य की प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने आर.सी.सी. स्लेब की गुणवत्ता तो संतोषजनक बतायी परन्तु स्लेब गिरने का मुख्य कारण स्लेब के नीचे स्थित खम्भा ध्वस्त हो जाना बताया जिसके लिए अधिशासी अभियन्ता गुण नियंत्रक खण्ड बांसवाड़ा को अविलम्ब निर्माण सामग्री की जांच हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये। इस भवन के बरामदे में खम्भे का जो भाग गिरा उसका आंकलन लगभग 30 हजार रुपये था इसलिए दिनांक 17.2.2005 को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सम्भाग उदयपुर ने प्रारम्भिक जांच की अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने आर.सी.सी. छत के गिरने का मुख्य कारण छत के नीचे स्थित पिलर की खराब चुनाई इसके अलावा उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि पिलर की चुनाई का कार्य निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं किया गया व बैड पिलर्स की आवश्यकता अनुसार नहीं लगायी गयी और निर्मित कार्य की तराई भी समुचित रूप से नहीं की गयी। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सम्भाग उदयपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 17.2.2005 में दोषपूर्ण कार्य के लिए श्री मुकेश बाडेल, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री लाड मोहम्मद, सहायक अभियन्ता को दोषी माना जिस पर विभाग द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.2.2005 के द्वारा श्री मुकेश बाडेल, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री लाड मोहम्मद, सहायक अभियन्ता को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया। एवं सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता श्री डी. के. धानवी एवं अन्य सहायक अभियन्ता श्री सतीश कुमार गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग मुख्यालय जयपुर, अधीक्षण अभियन्ता एस. एण्ड एस.एस. व अधिशासी अभियन्ता गुण व नियंत्रण खण्ड, बांसवाड़ा के एक जांच दल को भेजा गया जिसकी जांच रिपोर्ट में भी संवेदक व कार्यरत अभियन्ताओं को दोषी माना गया। अत: इस आदेश क्रमांक मुख्य अभियन्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता डी-132, 18.3.2005 के क्रम में श्री डी. के. धानवी, अधिशासी अभियन्ता, श्री सतीश कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता, श्री लाड मोहम्मद, सहायक अभियन्ता एवं श्री मुकेश बाडेल, कनिष्ठ अभियन्ता निलम्बित को आरोप पत्र प्रस्तावित किये जा चुके हैं। उपरोक्त के अलावा निर्माण भवन के संवेदक मैसर्स सूरज पोरवाल बी श्रेणी को भविष्य में किसी भी प्रकार के कार्य या कार्यादेश नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में भी आदेश जारी किये जा चुके हैं।

श्री जीतमल खांट : माननीय मंत्रीजी, मानगढ़ का भी साथ में क्योंकि आपने इसी सदन में घोषणा की थी। मानगढ़ के प्रकरण में भी आपने कहा था कि हम चीफ लेवल के अधिकारी को भेजकर के इसके साथ ही वक्तव्य दिया जाएगा यह आपने सदन में कहा था।

सूचना

आर्थोपेडिक विभाग, अजमेर में पी.जी. डाक्टर्स की भर्ती/पोस्टिंग

डा. श्रीगोपाल बाहेती : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। इस सदन में माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जब जवाब दिया था शिक्षा के कटमोशन के ऊपर तो उन्होंने बताया था कि अजमेर मेडिकल कालेज के अन्दर आर्थोपेडिक विभाग में पी.जी. की पोस्टिंग डाक्टर्स की पोस्टिंग कर दी गयी है टीचर्स की और आज वहां पर काउन्सलिंग हो रही है जोधपुर में एडमिशन के लिए वहां अजमेर मेडिकल कालेज के लिए आर्थोपेडिक के लिए पी.जी. के लिए कोई भर्ती नहीं ले रहे हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है और आज शाम को उनके एडमिशन की जो काउंसलिंग है वो बन्द हो जाएगी अत: सरकार से मेरा निवेदन है कि इसमें इन्टरवीन करके जोधपुर में उस काउंसलिंग को इन्फार्मेशन दें इस बात की कि वो अजमेर मेडिकल कालेज के लिए आर्थोपेडिक पोस्ट ग्रेजुएट के लिए स्टूडेंट्स की भर्ती करे क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने इस सदन में सदन को आश्वस्त किया था कि मेडिकल कालेज अजमेर की किसी भी ब्रांच में

(डा. श्रीगोपाल बाहेती))

पी.जी. में कोई एडमिशन बन्द नहीं होंगे और आज पांच बजे बाद यदि एडमिशन नहीं होंगे तो एक साल के लिये अजमेर के विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ जायेगा और मेडिकल कालेज अजमेर का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा। मेरा निवेदन है कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी तो यहां सदन में है नहीं उनके बिहाफ पर सरकार इस बात के लिये आश्वस्त करे कि वहां पर एडमिशन होंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने मानगढ़ धाम के बारे में वहां के त्रुटिपूर्ण कार्य के लिये...

डा. श्रीगोपाल बाहेती : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है और विद्यार्थियों के भविष्य की बात है। सरकार को इस बात के लिये कहें सरकार इस बात की व्यवस्था करे कि वहां एडमिशन हो। बहुत गम्भीर बात है यह सामान्य बात नहीं है।

श्री कालीचरण सर्राफ : ध्यानाकर्षण पर चर्चा चल रही है बीच में ही इन्होंने दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, ध्यानाकर्षण तो खतम होने दीजिए।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : माननीय सदस्य महोदय मैंने पाइंट आफ इन्फार्मेशन लिया है और आवश्यक इसलिए है कि बच्चों का भविष्य खतरे में है। यह मामला अजमेर का है तो आपको तकलीफ हो रही है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : मेरे ध्यानाकर्षण पर कम से कम बात तो आ जाने दें।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप बाद में उठाइए बीच में खडे हो गये यह क्या बात हुई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जीतमलजी, आप कोई स्पष्टीकरण चाहे तो पूछिए।

शासकीय वक्तव्य

मानगढ़ धाम में त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्य बाबत

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से मानगढ़ धाम के बारे में जिस तरह का त्रुटिपूर्ण कार्य हुआ उसके बारे में यह जानना चाहा है कि इस सम्बन्ध में किस तरह की कार्यवाही हुई। उपाध्यक्ष महोदय, 26.10.2002 को 223 लाख रुपये की स्वीकृति जनजाति विकास विभाग द्वारा इस मानगढ़ धाम के निर्माण के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लिये की गई और प्रथम चरण में 50 लाख रुपये आबंटित हुए और अब तक इस पर 49.51 लाख रुपये व्यय हो गये और इस धाम के निर्माण के बाद विधिवत उदघाटन तात्कालिक मुख्य मंत्री महोदय ने 20.9.2003 को कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त कोई शिकायत नहीं की गई कि इस धाम में जिस तरह का निर्माण हुआ है उसमें गुणवत्ता नहीं थी। उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई तो यह है कि जहां पर यह निर्माण हुआ है वह भूमि आज भी वन विभाग के खाते में दर्ज है। भूमि के रूपान्तरण से पहले ही आनन फानन में चुनाव की दृष्टि से चूंकि आदिवासियों का बहुत बड़ा लगाव इस मानगढ़ धाम के साथ है इसलिए तुरन्त इसका निर्माण करा दिया गया। डेढ़ किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ है और शहीद स्मारक का भी निर्माण हुआ है। परन्तु इसमें किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई। इसकी देखरेख कैसे होगी, कोई चौकीदार होगा कि नहीं, कोई रहेगा कि नहीं रहेगा। उसके बाद कुछ समाजकंटकों ने इसके मार्बल को, ग्रेनाइट को तोड़ा और उसके साथ माननीय सदस्य ने यह कहा कि इसकी जांच करायी जानी चाहिये। पिछली बार भी सदन में इन्होंने इस बात को उठाया था।

इसकी जांच एडिशन चीफ इंजीनियर से हमने कराई और जांच में एक तो ए.ईएन. लाड मोहम्मद जिनका जिक्र बांसवाड़ा के बरामद की छत गिरने में जिनको निलम्बित किया, एक तो यह महानुभाव थे, एक एक्स.ईएन. पटेल साहब थे और एक जे.ईएन. अनन्त गुप्ता थे। इन तीनों को इसके लिये हमने दोषी माना है और तीनों के विरुद्ध 16 सी.सी.ए. में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जिन श्रमिकों के भुगतान के बारे में...

श्री जीतमल खांट : मानगढ़ में अधीक्षण अभियन्ता कौन था, किसकी देख रेख में यह काम हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अधीक्षण अभियन्ता उस वक्त थे पटेल, पूरा नाम आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा। उनके विरुद्ध भी हमने नियमानुसार कार्यवाही की है और इसमें जितनी राशि स्वीकृत की गई थी, 223 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे परन्तु वह राशि भी प्राप्त नहीं हुई। हमने तय किया है कि इस मानगढ़ धाम की सारी चीज को देखते हुए, इसके महत्व को देखते हुए इसके चारों ओर रैलिंग लगे और इसके लिये हमारे विभाग ने जिला कलक्टर बांसवाडा को 10.2.2005 को लिखा कि सुरक्षा की व्यवस्था हो और फिर विकास अधिकारी पंचायत समिति आनन्दपुरी ने वहां एक चौकीदार भी नियुक्त कर दिया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा 2.4.2005 को जिला कलक्टर बांसवाड़ा और जिला प्रमुख की उपस्थिति में सभी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की बैठक मानगढ़ धाम में हुई और यह निर्णय लिया गया कि इसके चारों और ऊंची लोहे की रैलिंग लगाई जाये। चौकीदार क्वार्टर और जन सुविधा का निर्माण किया जाये और इसके लिये एक तकमीना बनाकर हमने आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास को भेज दिया है। मैं व्यक्तिश: भी प्रयास करूंगा क्योंकि इसके महत्व को मैं समझता हूं और लगाव को भी मैं समझता हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध हमने 16 सी.सी.ए. में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है और इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जायेगा। इस धाम में जो अपूर्ण कार्य रह गये उनके निर्माण के लिये और वहां स्थाई तौर पर एक चौकीदार का क्वार्टर बने, रैलिंग बने उसके लिये भी सारी व्यवस्था करने के लिये हमने तकमीना बनाकर टी.ए.डी. विभाग को भेजा है और उसकी स्वीकृति आने के बाद कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा जो मूल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय सदस्य ने प्रेषित किया था वह था एक सड़क का जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में बनी और जिस ठेकेदार ने काम को पूर्ण किया उसके किसी सब ठेकेदार के साथ वहां के श्रमिकों के भुगतान का मामला था। हालांकि उपाध्यक्ष महोदय, हमारा विभाग तो ठेका देता है और सारा काम श्रमिकों से लेकर गट्टी तोड़ने तक का काम ठेकेदार अपने माध्यम से करवाते हैं परन्तु चूंकि जिस तरह की वहां के आदिवासियों की हालत है और माननीय सदस्य भी काफी व्यथित थे। उसमें भी हमने प्रयास किया और प्रयास करके जो बकाया राशि थी वह बकाया राशि उस उप ठेकेदार से सारी भुगतान करा दी है। आपको मालूम है कि 2 लाख से ज्यादा की राशि भुगतान हो गई इसलिए इस विषय में भी कुछ वैसी बात रही नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी जब यह मामला चला तो यह कहा गया कि टी.ए.डी. एरिये में जो बहुत सारे काम हुए हैं वह मानक स्तर के नहीं है। मैंने सदन में घोषणा की थी कि मैं पूरे काम जो दो वर्ष में जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत हुए हैं इन सारे कार्मों की जांच हम एक टीम बनाकर करायेंगे। हमने टीम बनाई इसमें एडिशनल चीफ इंजीनियर, एक अधीक्षण अभियन्ता और एक एक्स.ईएन. इन तीनों की टीम बनाकर मुख्यालय से भेजी। 1.3.2005 को हमने टीम बनाई और जांच समिति ने लगभग 10 दिन तक, 3.3.2005 से 10.3.2005 तक का दौरा किया और उन्होंने 128 कामों का निरीक्षण किया। 128 कार्मों में 111 काम तो संतोषजनक पाये गये और 17 काम ऐसे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पाये गये जिसमें किसी न किसी तरह की तकनीकी रूप से कोई न कोई कमी रही। जो काम मानक स्तर पर नहीं थे, 17 कामों में जो कमियां थीं उसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण कर सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है और उन कामों को ठीक कराने के लिये निर्देश जारी कर दिये हैं।

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से मजदूरी का भुगतान नहीं होने के सन्दर्भ में था। जब मैंने आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाया तब जाकर मजदूरी का भुगतान कराया. यह करीब 2 लाख 32 हजार था। 14 महीने के बाद सरकार का ध्यान हमने दिलाया तब जाकर वहां के अधिकारियों की नींद खुली। उपाध्यक्ष महोदय, जो मजदूर सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं चाहे वह गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो और 14-14 महीने तक उन लोगों का भुगतान नहीं होना यह हम सबके लिये कितनी दुखदायी बात है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी चिंता बिलकुल सही है।

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा मेरे क्षेत्र का मामला है मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा मेरी बात आप पहले सुन लीजिए फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। मानगढ़ धाम कांग्रेस के शासनकाल में बना इस बात को मैं मानता हूं। निवर्तमान मुख्य मंत्री श्री गहलोत साहब ने वहां का उदघाटन किया। वहां पर 1 करोड़ 12 लाख रुपये की जनजाति विकास मद के माध्यम से राशि सैंक्शन की गई। मैं कहना चाहता हूं चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिन लोगों ने गुनाह किया है उनको सजा मिलनी चाहिये। मानगढ़ धाम पर जिस तरह से माननीय मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं कि कुछ समाजकंटकों ने वहां पर मार्बल को तोड़ दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मानगढ़ की धरती का हम हमारे सिर पर तिलक लगाते हैं और उस जगह के लिये मंत्रीजी कह रहे हैं कि वहां पर कुछ समाजकंटकों ने, मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं कि जिसने वहां पर काम किया है, 1 करोड़ 12 लाख रुपये की कुल सैंक्शन थी आज भी उस राष्ट्रीय स्मारक पर जितना भी मार्बल लगा है चाहे नीचे लगा हो चाहे ऊपर लगा हो उस स्मारक पर 80 परसेंट मार्बल घटिया किस्म का है, सारा का सारा हेयर क्रेक्स है। वहां जितने भी जनजाति लोग हैं वह इस बात को लेकर आंदोलन है, उनके मन में इस बात को लेकर पीड़ा है और मंत्रीजी कह रहे हैं कि समाजकंटकों ने उस मार्बल को तोड़ दिया। 1987-88 के अन्दर महात्मा सूफी सन्त ने आदिवासियों की सामाजिक बुराई को

समाप्त करने के लिए वहां बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, वहां पर हमारा राष्ट्रीय स्मारक बने वहां पर इतना बड़ा घपला हो, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, मंत्रीजी सरकार आती है और जाती है वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है लेकिन जिन बड़े अधिकारियों ने घपला किया है आप उनको क्यों अपनी पनाह देना चाहते हैं।

मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा घोटाला हुआ, कम से कम 10-12 लाख रुपये का गड़बड़ घोटाला हुआ है, वहां जितनी भी सामग्री लगी है, मैं कटारिया साहब से भी कहना चाहता हूं, आप भी पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर थे। वहां हजारों लोगों के बीच में आपने आश्वासन दिया था कि जो भी घोटाला हुआ है सरकार के बीच में लाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, मेवाड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं, इतने बड़े...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जीतमल खांट : मानगढ़ का इतना बड़ा, जलियांवाला बाग से भी महान हमारा यह स्मारक है, जगह है, इसके साथ आप न्याय नहीं करेंगे तो किसके साथ में न्याय करेंगे?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मानगढ़ का मसला है, इसमें अगर घटिया किस्म की सामग्री नहीं बापरी गई है, अगर सही तथ्यों का सदन के बीच में सरकार ध्यान नहीं लाती है, सरकार इस पर निष्पक्ष नहीं रहती है तो या तो मैं इस्तीफा दूं या आपके अधिकारी जो आपको गफलत में लेकर यहां रिपोर्ट दी वह अधिकारी इस्तीफा दें. दोनों में से एक बात होनी चाहिए इतना बड़ा कांड हुआ है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य.

श्री जीतमल खांट : राष्ट्रीय स्मारक के साथ इतनी बड़ी बेइमानी हुई है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आरोप प्रत्यारोप लगाकर इसकी इतिश्री की जाती है.

मंत्रीजी आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आपके यहां अधिकारी, 17 दिन के अन्दर राजकीय महाविद्यालय बालिका छात्रावास की छत गिर जाए, कोई बात नहीं

(श्री जीतमल खांट)

क्योंकि वह जनजाति इलाका है। राष्ट्रीय स्मारक का पत्थर एक महीने के अन्दर गिर जाए क्योंकि जनजाति इलाका है। माननीय मंत्रीजी आपके जितने भी विभागीय अधिकारी हैं, इनके रहते हुये, यह जो तकनीकी टीम बनाकर आप भेज रहे हैं, यह तकनीकी टीम बनाकर भेज रहे हैं यह वहां के अधिकारियों से मिले हुए हैं। वहां के अधिकारी हैं वह सारी कार्यवाही को प्रभावित कर रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सदन से चाहूंगा, आसन से भी चाहूंगा कि अगर आदिवासियों के साथ में आपकी वास्तव में हमदर्दी है और उनको आप न्याय दिलाना चाहते हैं तो सेवानिवृत्त किसी चीफ इंजीनियर के माध्यम से एक टोली बनाई जाए और वहां पर भेजी जाए। अगर मानगढ़ की बात गलत निकल जाती है तो मैं दूसरे दिन ही इस्तीफा दे दूंगा। कम से कम इतने पवित्र सदन में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जीतमल खांट : पूरे क्षेत्र के लोग इस बात को लेकर लम्बे समय से आंदोलित हैं। पूरा का पूरा मार्बल वहां टूट रहा है। बिखर रहा है। आपके अधिकारी जो भी लिख देते हैं उसको आप यस कर देते हैं, यह क्या तरीका होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मानगढ़ के साथ जो अन्याय हुआ है, बालिका छात्रावास के साथ में जो अन्याय हुआ है हमारी पीएमजीवाई सड़के, जिस सड़क के लिए मैंने आसन से व्यवस्था चाही है कि पीएमजीवाई सड़को की क्या हालत है वहां जाकर आइये। आपका विभागीय अधिकारी लिखकर दे दे उनको आप सही कर लें, जितने भी हम जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं वह गलत हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री से चाहूंगा कि, इस पर निश्चित रूप से, आदिवासियों के प्रति यह गम्भीर मसला है, चिन्तन मनन होना चाहिए वरना हम अभी सदन के अन्दर आकर बैठेंगे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इसमें स्पष्टीकरण चाह सकते हैं। स्पष्टीकरण में आपने कई बातें कह दी। मंत्री महोदय ने काफी खुलासा स्टेटमेंट में भी दे दिया है। इसमें हम ज्यादा बहस की आपको परमीशन नहीं देंगे।

श्री जीतमल खांट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले का मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, बांसवाड़ा का है।

श्री जीतमल खांट : आप इस बात को इतनी छोटी, हल्के वे में लेकर... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। मंत्री महोदय ने भी इस बात का जवाब दे दिया।

श्री जीतमल खांट : पूरा का पूरा जनजाति, पूरे समुदाय का राष्ट्रीय स्मारक के साथ में जुड़ा हुआ सवाल है। आसन से हम व्यवस्था चाहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : उसको उसी गम्भीरता से ले रहे हैं पर इसमें ज्यादा...

श्री जीतमल खांट : आप टीम बनाने की घोषणा करें कि सेवानिवृत चीफ इंजीनियर की देखरेख में वह जांच होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, मैं मानगढ़ की पवित्रता और इसके ऐतिहासिक पहलू को भी समझता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको सब्जबाग तो बहुत दिखाये गये थे, 223 लाख रुपये खर्च कर बड़ा भव्य स्मारक बनाएंगे और इसका उदघाटन भी उसी वक्त हो गया। उदघाटन हुआ 20.9.2003 को। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जब सदन में यह मामला आया तो 20.7.2004 को, तत्कालीन सार्वजनिक मंत्री महोदय ने इसमें जांच समिति द्वारा जांच कराने की घो .णा की थी। जहां तक मेरी निजी जानकारी है मंत्री महोदय ने उस वक्त स्वयं पधारकर, निरीक्षण किया था। जब जांच पूरी हुई और जांच के आधार पर जिन लोगों की देख रेख में काम हुआ, उन सबको चार्जशीट का फैसला हमने कर लिया और उसके बाद भी आप कहते हैं, उस जांच के बाद भी कोई और दूसरी जांच कराने की आवश्यकता हो तो मैं निवेदन करना चाहूंगा इस तरह के कुकर्म इस तरह स्मारकों के साथ हो उसके अन्दर किसी तरह की सहानुभूति हमारी नहीं है।

आप अगर कहेंगे तो मैं सेवानिवृत मुख्य अभियन्ता से इसकी जांच एक बार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

फिर करवा लूंगा और इस जांच के अन्दर जो दोषी पाया गया, उनको पहले भी नहीं बख्शा, भविष्य में भी नहीं बख्शेंगे। किस तरह वास्तविक रूप में स्मारक का रूप ले यह हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमारे गृह मंत्रीजी बिराज रहे हैं, इनका भी बहुत बड़ा लगाव है और इन्होंने कई बार बुलाकर कहा है कि यह स्मारक निश्चित तौर पर हमारे सबके लिए प्रेरणा का स्थान बने इसलिए इसकी भव्यता और इसकी सुन्दरता के साथ-साथ यहां अच्छा काम हो उसकी भी व्यवस्था करें।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात कही। प्रधानमंत्री सड़क योजना में हम तो जो ठेकेदार है उसको ठेका दे देते हैं, श्रमिकों को भुगतान उसके जिम्मे है परन्तु फिर भी चूंकि आदिवासियों से जुड़ा हुआ सवाल था व्यक्तिगत रुपये लेकर हमने जो उप ठेकेदार था जिसका हमारे ठेके में कहीं सीधा अनुबन्ध नहीं है उससे भी उन श्रमिकों को पैसा दिलाने का काम किया।

तीसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने महिला छात्रावास की जो बात कही, निश्चित तौर पर महिला छात्रावास की छत का गिरना दुर्भाग्यजनक भी था। कई तरह के सवालिया निशान भी खड़े हो गए। हमने उसके अन्दर भी दो अभियन्ताओं को निलम्बित कर दिया और बाकी जो चार व्यक्ति थे, दो निलम्बित हो गए और दो, एक्स.ईएन. और ए.ईएन. उनको हमने 16 सी.सी.ए. की चार्जशीट दे दी। पूरे टी.ए.डी. इलाके के अन्दर काम ठीक हो इसके लिए मैंने टीम बनाकर, उस टीम ने 10 दिन तक सारे कामों को देखा। उसकी रिपोर्ट आप कहो तो मैं टेबल करने को तैयार हूं।

मैं तो यही विश्वास दिलाना चाहूंगा, मेरी खुद की भी पीड़ा है, कि सरकार के धन से काम हो, काम बिल्कुल ठीक हो। 128 कामों के निरीक्षण में अगर मात्र 17 कामों में कमी पाई गई और इन 17 कामों में भी जो भी उत्तरदायी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय सदस्य, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गुणवत्ता के नाम पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी।

डा. सी. पी. जोशी : मंत्रीजी, क्या आपको जानकारी है कि जिन लोगों से आप जांच करवा रहे हैं, वो ही लोग वहां जूनियर लेवल पर भी रहे होंगे। ट्राइबल सब प्लान इलाके में सबसे आश्चर्य की चीज यह है कि जो 25 साल पहले वहां ए.ईएन. था वह ही ए.सी. बनकर वहां काम कर रहा है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, आपकी इन्टेंशन कितनी भी अच्छी हो पर हकीकत है उसको मानना पड़ेगा। माननीय मंत्रीजी

बैठे हुए हैं। सारी क्वालिटी से कम्प्रोमाइज यह जो ट्राइबल सब प्लान इलाके में है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जे.ईएन. को सस्पैण्ड करके हम कोई बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं ऐसा नहीं होगा। मैसेज टोप से जाता है। किसी ने किसी बड़े अधिकारी लेवल के आदमी को सस्पैण्ड नहीं करेंगे तब तक आप यह क्वालिटी की बातें कर रहे हैं, मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप दुबारा चलिए, मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि सबसे ज्यादा एलोकेशन आफ एण्ड फिजिकल असेट डवलप करने के नाम पर ट्राइबल इलाके में हो रहे हैं। आप जाकर देख ले जर्मन कोलोब्रेशन का पैसा आ रहा है और किसी का पैसा आ रहा है, सबसे घटिया क्वालिटी का कस्ट्रक्शन है वह ट्राइबल इलाके में हो रहा है One of the reasons. I am not saying the only reason, one of the reasons, सुपरविजन नहीं है। वही लोग नीचे के लेवल पर काम कर रहे थे ए.ईएन. लेवल पर ओवर ए पीरियड आफ टाइम, वही एक्स.ईएन. और ए.सी. बनते जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि नैक्सस को तोड़ने के सम्बन्ध में आपको आगे आकर कुछ ऐसे निर्णय करने चाहिए जिससे बड़े अधिकारी के ऊपर मामला जाए, आप उठाकर देख लें कि क्या यह रीजनल सर्विसेज नहीं हो गई। एक आदमी जे.ईएन. से सर्विस स्टार्ट करें और ए.सी. तक की सर्विस नहीं करें तो हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में आपको भी कोई न कोई कदम उठाने चाहिए, क्वालिटी के साथ कम्प्रोमाइज नहीं हो। खास तौर से हमारे सब के मन में था, आपके मन में भी था, गुरु गोविन्द, मानगढ़ का जो बना है उस मानगढ़ की क्वालिटी से कम्प्रोमाइज हुआ है। किसी का राज हो, हमारा राज हो, किसी का राज हो पर वह मैसेज नहीं जाता है यहां पर हम कितनी ही बड़ी ऐतिहासिक धरोहर को बनाना चाहेंगे उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा।

मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं इस सम्बन्ध में आप जो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन इसकी क्वालिटी का कम्प्रोमाइज नहीं हो इसके सम्बन्ध में हमें कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे लोगों में यह मैसेज जाए कि यहां जो पैसा आ रहा है उसका लाभ वहां की जनता को मिले। जो हमारी असेट करने की बात कर रहे हैं फिजिकल असेट वह हमारी परमानेंट डयूरेबल बने इसके सम्बन्ध में व्यवस्था करनो चाहिए।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री) : मानगढ़ धाम के बारे में, मानगढ़ धाम का जो शिलालेख खड़ा है उसके बारे में बिना जानकारी लिये यहां काम होगा या नहीं होगा, वन विभाग को अड़चन आएंगी कि नहीं आएगी यह स्थिति कर दी और उसके कारण से यह जो स्थिति आई है, यह गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, यह काम हो भी इसीलिए नहीं रहा है कि वन विभाग ने इस पर एतराज किया और जिसके कारण से आज जो परिस्थितियां मानगढ़ धाम, इसके बारे में बहुत कुछ बोलना चाहता था उस दिन मैं कह नहीं पाया लेकिन दुबारा जब भी समय मिलेगा गोविन्द गुरू के बारे में, इनकी जो प्रतिष्ठा है और आदिवासियों की जो श्रद्धा का केन्द्र है इस बारे में भी कभी समय मिलेगा तो कहूंगा लेकिन जो स्थिति हुई है वह आनन फानन में हुई है। उस समय तत्कालीन सरकार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह कांफिडेंस में लेकर के यह धर्म गुरू और जितने संत हैं उनको विश्वास में लेकर काम करते तो आज यह स्थितियां, गुणवत्ता के बारे में जो काम नहीं हो रहा है, जो परिस्थितियां हमने खुद देखी हैं, माननीय कटारिया साहब, गृह मंत्रीजी थे, हम सब देखकर आये उसके अन्दर। अब भी बहुत बड़ा मेला था इसके अन्दर हम गये थे, देखा था, रोड भी ऐसी कि चला नहीं जा सकता ऐसी स्थिति है। जो वहां पर उनकी पटि्टयां लगायीं वह निकलकर गिर रही हैं, यह स्थितियां हैं। यह किसी के द्वारा गिरायी नहीं गयीं लेकिन गिर रही हैं गुणवत्ता से काम नहीं हुआ, यह स्वाभाविक बात है। तत्कालीन सरकार को आपाधापी में वह उदघाटन के चक्कर में लोकसभा के चुनाव में ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए था और काम अधूरा था फिर भी इन्होंने उदघाटन कर दिया, यह कितना अन्याय हुआ है इसमें। यह परिस्थितियां हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : बामणियाजी, एक मिनट। वहां पर स्थिति यह है कि जो काम, गुणवत्ता की बात आ रही है, सारी आ रही है लेकिन इससे पहले आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो चौके लगे हुए हैं मार्बल के वह इतने खराब हैं कि अभी गर्मी हो रही है इससे अपने-आप फटक गिर रहे हैं। मैं इसलिये कह रहा हूं कि जो काम हुआ, सो हो गया लेकिन वहां पर जितना घटिया किस्म का मार्बल लगा हुआ है जो गर्मी के मारे अभी भी फट-फटकर नीचे गिर रहा है इसलिये मैं कहना चाहूंगा, चीफ लेवल के सेवानिवृत्त अधिकारियों की टीम बनाकर वहां भेजें। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : जांच भी करवायी है और वास्तव में गड़बड़ हुई, इसकी रिपोर्ट भी है। यह वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ, यह आया हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कह दिया आपने। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मंत्रीजी, जिस ठेकेदार को आपने ब्लेक लिस्टेड किया था उसी को 81 लाख रुपये का होस्टल बनाने का उदयपुर में काम दे दिया अब। यह जनता के पैसे का इस तरह से...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, कौनसे को?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। माननीय सदस्य, यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : पिछले साल इसी प्रस्ताव पर मंत्रीजी ने कहा था कि मैं ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड करता हूं और उसी ठेकेदार को उदयपुर में 81 लाख रुपये का कन्या छात्रावास बनाने का ठेका दे दिया आपने, अभी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव से आपके प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है। बामणिया साहब।

श्री अर्जुन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कन्या छात्रावास, बांसवाड़ा के सम्बन्ध में बोलना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान की गरीब जनता के पैसे की बात है। (व्यवधान) अब फिर पैसा लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री खुशवीरसिंह जोजावर : उपाध्यक्ष महोदय, यह मंत्री महोदय ने उस ठेकेदार को दुबारा ठेका दिया है, ब्लेक लिस्टेड ठेकेदार को, यह मेरे पास में सबूत हैं मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : खारची से आने वाले माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री अर्जुन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कन्या छात्रावास बांसवाड़ा में छत गिरने के सम्बन्ध में मंत्रीजी ने कहा हमने कई जे.ई.एन., ए.ईएन. को सस्पेंड किया, नोटिस दिया। इस बात पर आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि वहां सम्बन्धित अधिकारी जो भी एक्स.ईएन. थे, जिनके सान्निध्य में छत डाली गयी और उनके सान्निध्य में ही अब जांच चल रही है, जांच करवायी गयी तो क्या उस अधिकारी के रहते हुए जांच

(श्री अर्जुन सिंह)

प्रभावित नहीं होगी। क्या मंत्री महोदय उस अधिकारी को वहां से हटाकर जांच करवायेंगे। और उसके साथ में दूसरी बात यह है मंत्री महोदय, कि जो जे.ईएन. वहां लगे हुए पहले थे, सहायक अभियन्ता भी लगे हुए थे, क्या चीफ इंजीनियर ने उनको 2 महीने पहले वहां से हटाया और दूसरे अभियन्ता को लगाया या नहीं। इस सम्बन्ध में थोड़ी जानकारी बतायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप उन्हीं अधिकारियों से जांच करवा रहे हैं जो अधिकारी नीचे स्तर से लेकर ऊपर तक उसी इलाके में रहे। यह जांच जो मैंने करवायी, यह जांच, यहां अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय को भेजकर करवायी थी और उनके साथ भी एक अधीक्षण अभियन्ता यहां से भेजा, एक एक्स.ईएन., क्वालिटी कण्ट्रोल का भी भेजा। सारे कामों की जांच की, उसके बाद भी आप कहते हैं कि वहां किसी तरह की कोई कमी रह गयी। (व्यवधान) मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार, एक मिनट, उपाध्यक्षजी, हमने पहली बार विभाग में इंडिपेंडेंट मानिटर्स की व्यवस्था की है। ऐसे लोग जो सरकारी अधिकारी नहीं हों लेकिन इस तकनीकी क्षेत्र में जिनकी पैठ भी हो, साख भी हो और जिनकी जानकारी भी हो, ऐसे लोगों से भी हम हमारी सड़कों व दूसरे कामों की जहां शिकायत आती है, उनसे जांच करवाते हैं। मैं इंडिपेंडेंट मानिटर्स को भेजकर, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस जनजाति उप क्षेत्र के अन्दर जितने काम हुए हैं, जो 117 कामों की जांच रिपोर्ट मेरे पास आयी जिसमें मात्र 17 को बताया कि 17 काम ठीक नहीं थे, बाकी सारे काम ठीक थे, मैं पुन: सब की जांच करवाऊंगा, नम्बर एक।

नम्बर दो, मानगढ़ धाम की जांच मैं सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता से फिर करवाऊंगा।

नम्बर-तीन, आपने कहा कि हमने किसी को ब्लेक लिस्टेड किया और उसको पुन: ठेका दे दिया तो मैं उसकी जांच भी मुख्य अभियन्ता से करवाकर और अगर ठेका दिया गया, ब्लेंक लिस्टेड को, तो उसके खिलाफ भी, ब्लेक लिस्टेड को ठेका देने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करूंगा।

नम्बर-4, जो इसमें सम्मिलित थे, जिनको 16 सी.सी.ए. में हमने नोटिस दिये, जिसमें डी. के. थानवी, एक्स.ईएन. थे, उनको हटा दिया हमने। इसमें जो एम.एल.

वर्मा एस.ई. थे उनको भी हटा दिया हमने और जो भी इस पूरी जांच की प्रक्रिया के अन्दर जिनके खिलाफ कोई भी त्रुटिपूर्ण कार्य में इनका सुपरविजन नेग्लीजेंस आयेगा सबके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, किसी एक को भी बचाने का कोई मकसद नहीं है, इसकी पूरी जांच करवाएंगे।

श्री शांतिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आप इनकी रिकवरी कैसे करेंगे, यह जो घटिया माल लगा है उसकी रिकवरी कैसे करेंगे आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, इस पर चर्चा समाप्त की जाती है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पार्टेण्ट विषय है, अजमेर के मेडिकल कालेज में एडमिशन नहीं हो रहे हैं और शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, उनसे आप जांच करवा लें। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, जब भी हम खड़े होते हैं तो समय खतम हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि यह अहम् प्रश्न है कि आखिर आप रुपये की रिकवरी कैसे करेंगे। क्या आप पूछने ही नहीं देना चाहते हैं, क्या मतलब हुआ, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : यह बहस का विषय नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री शांतिलाल चपलोत : यह पूछना चाहता हूं, हम यह पूछना चाहते हैं कि इतना घटिया माल लगा हुआ है, इसकी रिकवरी कैसे करेंगे आप, अण्डर विच प्रोविजन।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : उपाध्यक्ष महोदय, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज में छात्रों का एडमिशन नहीं हो रहा है आर्थोपेडिक के लिये। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इनको तो अलाउ करें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : उपाध्यक्ष महोदय, जवाहर लाल नेहरू कालेज के अन्दर आर्थोपेडिक में एडमिशन नहीं हो रहे हैं और शिक्षा मंत्रीजी आ गये हैं तो कृपया छात्रों के भविष्य की बात है। सरकार गम्भीरता से ले और शिक्षा मंत्रीजी विराजमान हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उस ठेकेदार को खुद की कोस्ट पर मरम्मत करनी पड़ेगी, आपने जो बताया।

श्री वासुदेव देवनानी : उपाध्यक्ष महोदय आर्थोपेडिक पी.जी. कोर्स के लिये जब एम.सी.आई. ने जांच की उस समय उन्होंने कुछ स्टाफ की कमी बतायी उस स्टाफ की कमी को हमने पूरा कर दिया है और एम.सी.आई. को हमारे सचिव महोदय ने लिखा है कि वह पुन: निरीक्षण करे हमने कमियां पूरी कर दी हैं ताकि बच्चों के एडमिशन हो सकें, कार्यवाही जारी है, मैं सोचता हूं कि यह हो जाएगा।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : यह बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, आज लास्ट डेट है एडमिशन की।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : आज लास्ट डेट एडमिशन की है, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : हां, सुन ली बात, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : मैं जिद नहीं कर रहा हूं, आज लास्ट डेट एडमिशन की है। मैं चाहता हूं सरकार वहां पर, जोधपुर में एम.सी.आई. रिपोर्ट दे दे कि वह एडमिशन कर लेवें, यह बात कहना चाहता हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, लिखकर दे देंगे। श्री गुलाबचन्द कटारिया, गृह मंत्री, अनुदान की मांग संख्या 16 एवं 17 विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16-पुलिस की प्रस्तुति

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16, पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने

वाले वर्ष के लिये किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 9,19,11,04,000/- तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी शामिल है, प्रदान की जाए। (व्यवधान)

मांग संख्या 17-कारागार की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17, कारागार के सम्बन्ध में, 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,34,64,000/- तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सर्राफ।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन की परम्परा रही है जब भी मांग के ऊपर चर्चा होती है तो गृह विभाग से सम्बन्धित उच्चाधिकारी मौजूद रहते हैं और यह इस बार दिखने में आ रहा है कि गृह विभाग के कोई उच्चाधिकारी कहीं नजर नहीं आते तो कौन व्यवस्था करेगा, या तो गृह मंत्रीजी की पकड़ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : वह मंत्रीजी करेंगे।

श्री जुबेर खान : छोटे से कोई अधिकारी को बैठाने से थोड़े हो जाएगा। आज इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, चर्चा होने जा रही है, न आई.जी. लेवल के कोई आदमी, न डी.जी. लेवल के न गृह मंत्रालय से...।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी इसमें खुद करेंगे। और सब गृह मंत्रीजी को ध्यान है, उस बारे में आप चिन्ता मत करो। श्री कालीचरण सर्राफ।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं, क्या ध्यान है, यह पहली बार देख रहे हैं न तो यहां पर डी.जी. हैं, न होम कमिश्नर हैं, न कोई पूरे जिलों के कोई अधिकारी हैं, न डी.आई.जी. हैं, न आई.जी. हैं, कोई भी नहीं है। ऐसा लगता है कि गृह मंत्रीजी की गिरफ्त खतम हो रही है। पूरा गृह मंत्रालय अनुपस्थित है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, सभी लोग मौजूद हैं, आ रहे हैं। वे शायद यह देख रहे होंगे कि कब मांग शुरू हो और तब वे आयें, आ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कालीचरण सर्राफ।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा, पुलिस विभाग की डिमाण्ड के ऊपर, पहले प्रतिपक्ष के सदस्यों से बुलवाया जाता है।

श्री कालीचरण सर्राफ : नहीं, यह कोई जरूरी नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप उठाकर देख लें, पहले के कार्य विवरणों को उठाकर देख लें। (व्यवधान) सरकार के गुणगान से क्या फायदा।

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो अधिकारी मैच देख रहे हैं, (व्यवधान) अधिकारी मैच देख रहे हैं, बाकी यहीं मौजूद हैं।

मांग संख्या 16-व 17 पर विचार

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस एवं मांग संख्या 17-कारागार पर विचार की शुरूआत हो रही है। मैं भी इसमें अपने आपको शामिल करते हुए अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनेंगे कौन ऐसे?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मंत्रीजी हैं सक्षम।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे उन्हें क्या पता चलेगा?

श्री महावीर प्रसाद जैन : उत्तरदायी तो यह हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, उत्तरदायी तो यह हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अधिकारी थोड़े ही उत्तरदायी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अधिकारियों को बताना चाहते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अधिकारी काहे के लिए चाहिए?

डा. बी. डी. कल्ला : आपको कौन सम्भाल सकता है?

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले हमारे विपक्षी दल के नेता कल्ला साहब का एक स्टेटमैंट आया कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज बनने के बाद कानून-व्यवस्था निरन्तर बिगड़ रही है। अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। इसी प्रकार का एक स्टेटमैंट कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय नारायणसिंहजी का आया कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था का राज समाप्त हो गया है। असामाजिक तत्वों को अपराध करने की खुली छूट है और इसी बात को लेकर दो-तीन दिन पहले यूथ कांग्रेस के लोगों ने विधान सभा के सामने प्रदर्शन भी किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज से 14 महीने पहले पांच साल तक जब प्रदेश में कांग्रेस का राज था, उस समय कांग्रेस के राज में किस प्रकार की कानून-व्यवस्था हमारे प्रदेश की थी उसका कुछ विश्लेषण मैं आपके सामने करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राज में, पांच साल में हमारे प्रदेश में 351 डकैतियां डाली गयीं। 4508 लूट की घटनाएं हुई। 6830 लोगों की हत्या कर दी गयी और 5590 महिलाओं के साथ बलात्कार कांग्रेस के राज में किया गया। 54729 बलवे की घटनाएं घटित हुई। 36953 नकबजनी की घटनाएं घटित हुईं, 84465 चोरी की घटनाएं प्रदेश में कांग्रेस के राज में घटित हुईं और 587459 मुकदमे अन्य अपराधों में दर्ज किये गये। इस प्रकार कुल 780884 अपराध कांग्रेस के राज में घटित हुए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राज में पुलिस हिरासत में 5 साल में 20 लोगों की मृत्यु हुई और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े भी हम देखें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 30138 महिला अत्याचार के, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार के 30138 मामले दर्ज हुए। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति के दूल्हों को घोड़ी से उतारने की पांच साल में 37 घटनाएं घटित हुई। चार साल में-2000, 2001, 2002, 2003 में अनुसूचित जाति के 172 लोगों की हत्याएं कर दी गयीं, 508 महिलाओं के साथ, अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई और अनुसूचित जनजाति में-चार साल में 45 हत्याएं और 150 बलात्कार की घटनाएं घटित हुईं।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के नेता जब भी साम्प्रदायिकता की बात आती है तो यह आरोप लगाते हुए नहीं थकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी फिरका-परस्त पार्टी है। यदि भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया तो प्रदेश में अल्पसंख्यक लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के पांच साल के राज में 1999 से 2003 तक हमारे प्रदेश में 70 साम्प्रदायिक घटनाएं घटित हुईं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज से 14 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी का राज आया और आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद जिस पार्टी को साम्प्रदायिक पार्टी कहा जाता है, फिरका-परस्त पार्टी कहा जाता है, मुसलमानों के खिलाफ पार्टी कहा जाता है, हमारा राज आने के बाद सन् 2004 में केवल दो साम्प्रदायिक घटनाएं हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि आज तक जितनी भी साम्प्रदायिक घटनाएं हमारे प्रदेश में घटित हुई हैं, उसकी शुरूआत मुस्लिम उग्रवादियों द्वारा की गयी है।

कस्बा सराड़ा जिला उदयपुर में 29.7.2004 को सायंकाल 5.15 बजे बस स्टेण्ड पर शांतिलाल मीणा, निवासी-पालसराड़ा व अशफाक के बीच पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी हो गयी और झगड़ा हो गया। मौके पर तैनात कांस्टेबल रामभरोसे और रामलाल की समझाइश पर शांतिलाल बस में बैठकर अपने गांव चला गया परन्तु अशफाक ने नीमोद के एक मीणा की जीप का सामने का शीशा तोड़कर रोका और उसे स्वयं चलाकर शांतिलाल का पीछा किया। शांतिलाल के नहीं मिलने पर वापस कस्बे में आकर तीन-चार मुस्लिम युवकों के साथ मदनलाल जैन और उसकी पत्नी के साथ मार-पीट की और उसके मकान, डीजल की दुकान व रिश्तेदार की मोटरसाइकल पर आग लगा दी और जीप छोड़कर भाग गया। उसके बाद वहां पर साम्प्रदायिक तनाव पैदा हुआ और घटना घटित हुई।

उसी प्रकार से कस्बा बालोतरा के ग्राम आसोतरा में दिनांक 29.9.2004 को कस्बा बालोतरा में एक दूधिये की मोटरसाइकल को आसोतरा निवासी निशार खां पुत्र निसुर खां, जाति-गोयला मुसलमान द्वारा अपने थ्री व्हिलर टेम्पो से टक्कर मार दी। किसके कारण दूधिये व निशार खां के बीच झगड़ा हो गया। इसी झगड़े के बीच-बचाव के लिए ओमाराम लुहार पुत्र जोगाराम, पुखराज पुत्र जोगाराम लुहार, निवासी आसोतरा आये, उसी समय झगड़ा शांत हो गया था लेकिन कुछ समय बाद निशार खां अपने

सात-आठ साथियों के साथ ओमालाल लुहार के साथ मार-पीट करने लगा। इस घटना की भी शुरूआत मुस्लिम कट्टरपंथियों ने की। इसी प्रकार से अभी सोजत सिटी में होली की गैर निकालने के दौरान दिनांक 26.3.2005 को एक साम्प्रदायिक घटना घटित हुई। दिनांक 26.3.2005 को कस्बे में निकाली जा रही सात-आठ गेरों के साथ प्रत्येक के साथ पुलिस जाब्ता लगाया गया था। अन्य गेरों की भांति घाची वर्ग के 150-200 लोगों के द्वारा वर्षों से निर्धारित पारम्परिक रास्ते से गेर निकाली जा रही थी। यह गेर लगभग 5.15 बजे ढाल की गली से गुजर रही थी कि मोहम्मद आलम खां, बाबू खां, मोहम्मद इमरान की घरों की छतों से अचानक पथराव शुरू हो गया। पथराव के कारण गेर में शामिल 13 व्यक्तियों को चोटें आयीं जिनमें 10 घाची समाज के लोग थे। इसी प्रकार के करजारिया में, थाना-करजारिया में एक साम्प्रदायिक घटना हुई। वहां पर मुस्लिम युवक मोइन खान द्वारा धोखे से सत्यानारायण शर्मा को खेत में बुलाकर उसकी हत्या कर दी गयी। इसी प्रकार से माण्डल में दिनांक 8 अप्रैल, 2005 को सायंकाल 6.00 बजे भगवान चारभुजा नाथ का विमान जा रहा था। विमान के लखारा चौक पहुंचते ही कुछ मुस्लिम चुवकों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद पुन: एकत्रित होकर पथराव करने लगे। पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने का प्रयास किया। दोनों समुदायों के लोग आमने-सामने आ गये एवं पुलिस व विमान पर पथराव जारी रहा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस के राज में साम्प्रदायिक घटनाएं ज्यादा इसलिए होती हैं कि जब भी कोई साम्प्रदायिक घटना होती है तो कांग्रेस के राज में दोषियों को नहीं पकड़ा जाता। वह इस प्रकार के इंस्ट्रेक्शंस देते हैं कि 10 मुसलमानों को पकड़ लो, 10 हिन्दुओं को पकड़ लो। यदि 15 हिन्दुओं को पकड़ा है तो 15 मुसलमानों को पकड़ लो परन्तु भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसा नहीं होता। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और गृह मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आने के बाद यह इंस्ट्रक्शंस दिये पुलिस को कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई भी अपराधी कृत्य करता है, चाहे कोई भी साम्प्रदायिक सदभावना को बिगाड़ने का काम करता है, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे हिन्दू हो, जो वास्तविक अपराधी है, उनको ही निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा और उसी का परिणाम है कि यहां भारतीय जनता पार्टी के, जहां कांग्रेस के राज में पांच साल में 70 साम्प्रदायिक घटनाएं घटित हुई, हमारे राज में 14 महीनों के कार्यकाल में, 2004 में केवल दो साम्प्रदायिक घटनाएं हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के कई मित्र

(श्री कालीचरण सर्राफ)

यह पूछेंगे कि आपने हमारे पांच साल में क्या हुआ, यह तो बता दिया परन्तु आपके राज में क्या-क्या घटित हुआ, उसके बारे में आपने जानकारी नहीं दी। मैं निश्चित रूप से यह बताऊंगा परन्तु उसके पहले कांग्रेस के राज में जो पांच साल में सनसनीखेज घटनाएं हुई, उनके बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूंगा। तिब्बती युवती अपहरण प्रकरण। थाना लालकोठी जयपुर शहर, दक्षिण, जयपुर दिनांक 2.12.1999 को एक तिब्बती युवती का अपहरण किया गया। उसका बलात्कार किया गया। इसी प्रकार से चेतन कुमार सोनी हत्या प्रकरण थाना बांदीकुई। तेजाब प्रकरण ग्राम दायरा पुलिस थाना खण्डेला, जिला सीकर। यह कांग्रेस के राज में जो घटनाएं हुई, वह बता रहा हूं। सामूहिक बलात्कार प्रकरण थाना मालवीय नगर, जयपुर दक्षिण, राजगढ़ डकैती प्रकरण, जिला अलवर, गंगरार में गाय को जलाने की घटना, जिला चित्तौड़गढ़, बैंक डकैती प्रकरण मामपुरा थाना कोटकासिम जिला अलवर, हनुमानगढ़ में कैशियर से सात लाख 43 हजार रुपये की डकैती का प्रकरण। इसी प्रकार से कांग्रेस के राज में अनुसूचित जाति के लोगों पर जो-जो घटनाएं हुई, उनके बारे में भी बताना चाहता हूं। महिला का निर्वस्त्र कर मारपीट प्रकरण, छोटी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति महिला के साथ बलात्कार जैसलमेर। कुमारी कुसुमलता मीणा अपहरण सम्बन्धी प्रकरण, जिला सवाई माधोपुर, ग्राम इकलेरा में दलित बारात के साथ मारपीट की घटना, थाना डीग जिला भरतपुर सामूहिक बलात्कार काण्ड, थाना खैरथल जिला अलवर दलित लड़की कुमारी आरती के साथ बलात्कार, संदीप प्रकरण जिला सवाईमाधोपुर।...(व्यवधान) आप बैठो।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह डिमाण्ड पर बहस 2004-05 की हो रही है। यह जो प्रकरण बोले जा रहे हैं यह पांच साल पहले, तीन साल पहले के बोले जा रहे हैं। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य 2004-05 की डिमाण्ड पर बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री बृजकिशोर शर्मा : यह जुड़ा हुआ मामला नहीं है।

श्री कालीचरण सर्राफ : देखिये, इनको तकलीफ हो रही है। इनके पांच साल में जो-जो काण्ड हुए, उनको मैं उजागर कर रहा हूं। आपको तो इन बातों को स्वीकार करना

चाहिये, अपनी गलती के लिये क्षमा मांगनी चाहिये और आप यह कह रहे हैं कि उनकी चर्चा ही मत करो। इसी प्रकार से आस्ट्रेलियाई युवती के साथ बलात्कार हुआ। उसका प्रकरण । यानि मैं क्या बताऊं कितने काण्ड इस प्रकार के हुए हैं। हमारे सिविल लाइन में मुख्य मंत्री निवास से एक फर्लांग की दूरी पर बेणीदास कोटा वाले का अपहरण। एक उद्योगपति का अपहरण हुआ और 35 लाख रुपये की फिरौती देकर वह छूटकर आया। उसका प्रकरण. यानि मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज में इस प्रदेश में जिस प्रकार का अराजकता का वातावरण था, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, उसकी जितनी निन्दा की जाये, उतनी कम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वक्त ने करवट ली। आज से 14 महीने पहले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज आया और भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद आदरणीय वसुन्धराजी ने हमारे सबसे वरिष्ठ और काबिल आदरणीय कटारिया साहब को गृह मंत्री का दायित्व सौंपा। इस आशा और विश्वास से कि कटारियाजी के नेतृत्व में निश्चित रूप से प्रदेश में जो कानून-व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गयी है, असामाजिक तत्वों के हौसले बुलन्द हो रहे हैं, प्रदेश में जो अराजकता का वातावरण बना हुआ है, उस पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा और मैं साधुवाद देना चाहूंगा आदरणीय कटारियाजी को कि उनके गृह मंत्री बनने के बाद राजस्थान के इतिहास में यह पहला अवसर होगा कि 14 महीने के कार्यकाल में एक भी व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत नहीं हुई। जहां कांग्रेस के राज में 2000 में 3 मौतें हुई, 2001 में 4 4 मौतें हुई, 2002 में 7 मौतें हुई, 2003 में 6 मौतें हुई। कुल चार साल में 20 मौतें पुलिस हिरासत में हुई। मैं बधाई देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद पुलिस हिरासत में किसी प्रकार की कोई मौत नहीं हुई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद राज्य में पुलिस की सजगता और सक्रियता के फलस्वरूप पाकिस्तान की आई.एस.आई. और अन्य विघटनकारी एवं राष्ट्रदोही तत्वों के द्वारा कोई आतंककारी घटना भी पूरे प्रदेश में पिछले 14 महीनों में नहीं हुई।

इसी प्रकार सीमावर्ती क्षेत्रों में राजस्थान पुलिस. सीमा सुरक्षा बल और राज्य का केन्द्रीय इंटेलीजेंस एजेन्सियों के आपसी समन्वय एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता के कारण मादक एवं विस्फोटक पदार्थों की तस्करी की कोई भी घटना पिछले 2004 के

(श्री कालीचरण सर्राफ)

पूरे वर्ष में घटित नहीं हुई। इसी प्रकार बोर्डर क्रासिंग के मामले में भी कमी आई है। प्रदेश में 163 अवैध बंगलादेशी नागरिक पकड़े गये, उनमें से 10 नागरिकों का निष्कासन भी किया जा चुका है।

इसी प्रकार माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं के साथ बलात्कार में भी कमी आई है। जहां 2002 में 1051 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ कांग्रेस के राज में, 2003 में 1050 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद सन् 2004 में 1038 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, कमी आई। बलवे की घटनाओं में कमी आई है। 2002 में जहां 7178 बलवे की घटनाएं हुई, 2003 में 4052 बलवे की घटनाएं हुई और हमारा राज आने के बाद 2004 में 3010 केवल बलवे की घटनाएं हुई। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद नकबजनी की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। 2002 में 6661 नकबजनी की घटनाएं, 2003 में 6072 नकबजनी की घटनाएं, 2004 में 5911 नकबजनी की घटनाएं घटित हुई। महिलाओं में दहेज के कारण जो मौतें होती हैं उनमें कमी आई। 2002 में 399 महिलाओं की दहेज के कारण मौत हुई। 2003 में 389 और 2004 में 379, इसमें भी कमी आई। महिलाओं के अपहरण, इसमें भी कमी आई। महिलाओं के अपहरण 2002 में जहां 2022 महिलाओं का अपहरण हुआ था प्रदेश में, हमारे राज में आने के बाद 1881 महिलाओं के अपहरण की घटनाएं हुई। अनुसूचित जाति के मामले में, यह बड़े अनुसूचित जाति के खैरख्वाह बनते हैं। 2002 में 5,465 अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं घटित हुई। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह 2002 का कम्पेरिजन 2004 से करें, 2003 से आपके अपराध जो हैं...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : आपका टाइम आये, जब बोल लेना। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट। यह सदन है। सदन में आप यह सोचते हो कि आप लोग पढ़ते-लिखते हो, दूसरे लोग भी लिखने-पढ़ने वाले हैं। मैं काफी देर से आपको सुन रहा हूं और यह बर्दाश्त के बाहर है। आप 2003 का 2004 से कम्पेरिजन करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि...

श्री कालीचरण सर्राफ : 2002 में आपका राज नहीं था क्या? 2002 में आपका ही राज था। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : तो 2003 से भी करो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : मैं 2002 की ही बात बता रहा हूं। 2003 की आप बता देना, बिराजिये आप। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं-नहीं, ऐसा है देखिये, आप या तो फिर पूरे पांच साल का विवरण करो। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : सदन को कोई गुमराह नहीं कर रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : देखिये, महिला अपहरण जो है, दहेज-मृत्यु, दहेज आत्महत्या, महिला उत्पीड़न 1090 बढ़े हैं। आपके वक्त में बलात्कार 2003 से 2004 में...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : 2002 में 1051, 2003 में 1050 और 2004 में 1038, बोलो है कि नहीं?

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, ठीक है।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप फिर गलत बात क्यों? मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं, आप बिराजो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है कुल अपराध 1112 महिलाओं के 2003 की तुलना में बढ़े हैं। लेकिन यह बताना चाहते हैं जैसे अपराध घट रहे हैं, यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो अपने तरीके से बतायेंगे। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : उपाध्यक्ष महोदय, अब रिपोर्ट दर्ज होना बन्द हो गयी। अपराध बढ़े हैं। अब रिपोर्ट दर्ज होना बन्द हो गयी।

श्री कालीचरण सर्राफ : आपने जो कहा 2002, 2004 के आंकड़े आप बोल रहे हो, मैंने तो महिलाओं के साथ बलात्कार 2002 में 1051, 2003 में 1050, 2004 में 1038,

(श्री कालीचरण सर्राफ)

इसी प्रकार से बलवे की घटनाओं में भी 2002 में 7178, 2003 में 4052 और 2004 में 3101, सही है न, साहब। करेक्ट कर दीजियेगा मेरे को। नकबजनी की घटनाओं में भी 2002 में 6661, 2003 में 6072, 2004 में 5911 और दहेज मृत्यु के मामले में भी 2002 में 399, 2003 में 389 और 2004 में 379

डा. बुलाकीदास कल्ला : महिला उत्पीड़न भी बता दो।

श्री कालीचरण सर्राफ : यह तो बताओ, यह सही है कि नहीं?

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, है। है वो है, इसमें क्या दिक्कत है।

श्री कालीचरण सर्राफ : है न, धन्यवाद।

श्री सुन्दर लाल : टोटल में कोई गड़बड़ कोनी।

श्री कालीचरण सर्राफ : हां, टोटल मैं वणियों गड़बड़ करै, कैंयां करैगो, बताओ। इसी प्रकार से जो उल्लेखनीय सफलताएं हमने प्राप्त की हैं इस एक साल के कार्यकाल में उसमें दस्यु उन्मूलन वर्ष 2004 के दौरान दस्यु प्रभावित क्षेत्र भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाईमाधोपुर में राज्य पुलिस ने डकैती, लूट, हत्या एवं अपहरण जैसे जघन्य अपराधों में यू.पी., एम.पी. एवं अन्य राज्य में वांछित कुख्यात इनामी डकैतो में से 11 इनामी डकैतों सहित 73 डकैतों को गिरफ्तार कर 31 शस्त्र एवं काफी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया। इसी प्रकार से 2004 के दौरान पुलिस द्वारा 83 डकैतों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गयी। राजस्थान में वर्ष 2004 के दौरान डकैती के 58 अपराध पंजीकृत किये गये। इनमें से 36 अपराधों में मुल्जिम गिरफ्तार कर सफलता हासिल की गयी और 2004 में 1,63;35,443 रुपये की डकैती हुई जिनमें से 1,23,44,549 रुपये की बरामदगी भी हमने की। इस प्रकार से डकैती में बरामदगी की सफलता रिकार्ड तोड़, 74.65 प्रतिशत हमारे राज में रही, कल्ला साहब। इसी प्रकार से लूट के प्रकरणों में मुख्य गैंग, दिनांक 24.2.2004, कैथून में लूट व डकैती के अन्तरराज्यीय गिरोह के अभियुक्त राजु नाथ व श्रवण नाथ कालबेलिया को गिरफ्तार किया गया। हत्या के मामले में 15 मामलों में मुल्जिम की तलाश कर नामजद किया गया वह गिरफ्तारी की गयी।

इन मुकदमों में बारां की 13 वर्ष की बच्ची अनीता का मामला, गंगानगर

थाना लालगढ़ का प्रेम सम्बन्ध के कारण हत्या, जलाकर सबूत नष्ट करने का मामला भी शामिल है। नकबजनी के मामले में दिनांक 24.1.2004 को सीकर में नकबजनी की अनेक वारदातों में वांछित बाबरिया गैंग के आठ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 6 वारदातों में चुराया गया 1,56, 500 रुपये का माल बरामद किया गया। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने एक अन्तरराज्जीय नकबजन गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। चोरी के मामले में, चोरी के 11 महत्वपूर्ण मामलों में मुल्जिम मय माल के गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार से मूर्ति चोरी के मामले में सात सनसनीखेज प्रकरणों का पर्दाफाश कर मुल्जिम मय मूर्तियों के गिरफ्तार किये गये। धोखाधड़ी के पांच सनसनीखेज मामले खोले गये जिनमें भरतपुर में नकली देशी घी, जयपुर में फर्जी सी.बी.आई. अफसर, धौलपुर में कैरोसीन मिश्रित पेट्रोल का मामला भी शामिल है।

अपहरण के मामले में 14.3.2004 को जिला भरतपुर थाना सीकरी से मदन लाल दूध वाला, निवासी सीकरी का अपहरण कर लिया गया, उत्तर प्रदेश में पुलिस दल पर बदमाशों द्वारा हमला किया गया लेकिन पुलिस ने मदन लाल को उत्तर प्रदेश के बदमाशों से छुड़ाया। जाली नोट के 6 सनसनीखेज प्रकरण सफलतापूर्वक खोले गये और 22 मुल्जिमों को 22 लाख रुपये जाली नोटों के साथ पकड़ा गया।

इसी प्रकार से दिसम्बर, 2004 तक पुलिस द्वारा राज्य में सर्वाधिक वांछित 10 इनामी अभियुक्तों में से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। दिसम्बर, 2004 तक राज्य में एन.डी.पी.एस. एक्ट के 854 प्रकरण दर्ज कर 19 महिलाओं सहित 1153 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 18.459 किलोग्राम ब्राउन शुगर, 3.405 किलोग्राम हेरोइन, 75.296 किलोग्राम स्मैक, 785.034 किलोग्राम अफीम, 24.353 किलोग्राम चरस, 628.896 किलोग्राम गांजा और 1799.082 क्विंटल डोडा पोस्त व अन्य सामग्री भी जब्त की गयी।

इसी प्रकार से राज्य में माह दिसम्बर, 2004 तक एक्सप्लोसिब एक्ट के अन्तर्गत 282 प्रकरण दर्ज कर 312 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाकर 1,14,522 जिलेटिन, 33,147 डेटोनेटर तथा काफी मात्रा में अन्य सम्बन्धित सामग्री और उपकरण भी बरामद किये गये।

अवैध शराब के मामले में राज्य में माह दिसम्बर, 2004 तक आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 8612 प्रकरण दर्ज कर 8889 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाकर अंग्रेजी शराब और देशी शराब की बोतलें भी पकड़ी गयीं।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

इसी प्रकार से जुए, सट्टे के मामले में 10458 प्रकरण दर्ज कर 19033 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बातें इसलिए बता रहा हूं कि कल्ला साहब ने कह दिया प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने भी सारी उपलब्धियों के माध्यम से यह आपको बताने का प्रयास किया है हमने 14 महीने के अन्तराल में जो कानून व्यवस्था की स्थिति पांच साल में बिगड़ गयी थी, जो अराजक तत्वों के हाथ में प्रदेश की कानून व्यवस्था चली गयी थी उसको हम धीरे-धीरे पटरी पर ला रहे हैं।

आज हम बलात्कार की घटनाओं में कमी लाने में सफल हुए हैं, चोरी की घटनाओं में कमी लाने में सफल हुए हैं, नकबजनी की घटनाओं में कमी लाने में सफल हुए हैं और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पांच साल तक भारतीय जनता पार्टी के राज में हम हर अपराध पर अंकुश लगा कर इस पर कमी लाने में सफल होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस के बारे में कुछ वास्तविक तथ्य भी आपके सामने रखना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, 1974 में जब हमारे प्रदेश की जनसंख्या 2,83,14,623 थी उस समय हमारे पुलिस की नफरी 39846, यानि प्रति व्यक्ति 717 पुलिसकर्मी थे और आज...

श्री संयम लोढ़ा : प्रति व्यक्ति 710 नहीं, 710 पर एक।

श्री कालीचरण सर्राफ : सारी, 710 व्यक्तियों पर एक पुलिसकर्मी।

आज 2004 में हमारी स्थिति यह है कि 6,21,03,262 हमारी जनसंख्या हो गयी और हमारे पास केवल 63,387 पुलिसकर्मी हैं, यानि 950 व्यक्तियों पर एक पुलिसकर्मी है। निश्चित रूप से जो नोर्म्स हमने तय किये थे 710 तो 1974 में और आज 950, इतनी कम नफरी से अपराधों पर अंकुश लगेगा, इसमें मुझे संशय है। तो मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जो इस अनुपात में कमी आयी है, निश्चित रूप से सरकार इस पर ध्यान देगी और मुझे खुशी भी है इस बात की कि इस बार आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने 4000 पुलिसकर्मियों को भर्ती करने की घोषणा की है और उसमें 1200 महिला पुलिसकर्मी की नियुक्ति की बात कही है।

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश की जनता के लिए एक का

विषय है धर्मान्तरण, मैं धर्मान्तरण की समस्या के बारे में भी माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज ही अखबार में छपा है- "पांच बच्चों के धर्मान्तरण की कोशिश"-पुलिस की मदद से बच्चों को इम्मानुअल संस्था से बाहर निकलवाया गया। सुकेत में एक बार फिर धर्मान्तरण का मामला प्रकाश में आया है। एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके पांच बच्चों को ईसाई बनाने की कोशिश की गयी। महिला ने पुलिस की मदद से इम्मानुअल संस्था से अपने बच्चों को बाहर निकलवा लिया है। सुकेत निवासी महिला सुमन ने बताया कि उसके पति हीरालाल की साल भर पहले हुई मौत के बाद पड़ौसी पुष्पाबाई और देवीलाल ने उसके तीन बच्चे-शिव कन्या, सावित्री और देवी को देखभाल के लिए इम्मानुअल संस्था के हवाले कर दिया। बाद में सुमन को शादी का झांसा देकर वह उसे झालावाड़ फिर बकानी और उसके बाद हरीपुर गांव ले गये। वहां तीन व्यक्तियों-मोहर सिंह, बापू और भानू के हाथों उसे बेच दिया गया। उस समय सुमन के दो बच्चे चेतन और काजल उसके साथ थे और बाकी तीन बच्चे उसके पास नहीं थे। जब वह उनके चंगुल से छूट कर आयी और पूछा कि वह कहां हैं तो उसने कहा, वह इम्मानुअल संस्था के पास गयी। जब वह वहां संस्था में गयी तो उसको भगा दिया गया। पुलिस की मदद से वहां पर 13 अप्रैल को महिला ने शिकायत की और इसके बाद इन बच्चों को वहां से निकाला गया और जब बच्चों से पूछा गया तो वहां पर धर्म परिवर्तन उनका किया जायेगा, इस प्रकार की बात सामने आयी।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों पूरे हिन्दुस्तान के 13 राज्यों से लगभग 5000 लोगों को वहां पर इकट्ठा किया गया। लगभग पांच हजार लोगों को वहां पर इकट्ठा किया गया और यह उस फिराक में थे कि वहां उनका धर्म परिवर्तन किया जाए वह तो वहां के कुछ जागरूक हिन्दू संगठनों को इसका पता लग गया और उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर ही उनको रोक लिया अदरवाइज तो वहां यह बताया गया कि उनको जो-जो वहां आएंगे उनके धर्मान्तरण के लिए 250 रुपए प्रतिमाह का अनुदान और एक साइकिल उनको दी जाएगी।

मेरा कहना यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि यह डाक्टर एम.एन. थामस जो इस संस्था को चलाता है उसके ऊपर लगभग नौ मुकदमें तो कोटा में दर्ज हैं। कोटा जिले में भीमगंज मण्डी 193/1.11.1985...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कन्क्लूड कीजिए।

श्री कालीचरण सर्राफ : मैं पहला वक्ता हूं, अभी तो मैंने शुरू किया है।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में पहले भी काफी गृह मंत्रीजी ने बता दिया।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नौ मुकदमें इस थामस के खिलाफ दर्ज हैं। मैं यह मांग करना चाहूंगा माननीय गृह मंत्रीजी से कि इसकी पूरी जांच की जाए। वहां किस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं, अभी समाज कल्याण मंत्रीजी ने तो एक कमेटी का गठन किया था और उसकी जांच रिपोर्ट मेरे ख्याल से मंत्रीजी के पास आ गयी होगी पर जिस प्रकार की गम्भीर सूचनाएं वहां से आ रही हैं कि वहां हिन्दू बच्चों को गोमांस खिलाया जाता है। वहां पर छोटे-छोटे बच्चों को उनके मां-बाप से अलग रखा जाता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए और यदि इस प्रकरण के बाद यह पाया जाए कि वह गलत हैं तो इस प्रकार की अराष्ट्रवादी ताकतें जो इस प्रकार का काम कर रही हैं धर्मान्तरण का उस पर रोक लगाने के लिए मैं मांग करना चाहूंगा कि धर्मान्तरण विरोधी विधेयक भी यदि लाया जाए तो निश्चित रूप से इस समस्या के ऊपर हम काबू पा सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी जो एक जबरदस्त समस्या हमारे प्रदेश में है जिसके बारे में सबको चिन्ता है वह है बंगलादेशी घुसपैठियों की समस्या। राज्य में लगभग हमारी सूचना के अनुसार दो लाख बंग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। इनकी वजह से न केवल कच्ची बस्तियां पनप रही हैं, गम्भीर अपराधों में भी बढ़ोतरी हो रही है (व्यवधान) आप चिन्ता मत करो, पुराना नया (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : हम आपको मंत्री देखना चाह रहे हैं ऐसे बोल बोलकर आपको मंत्री बनाएंगे नहीं, आप मंत्री नहीं बनना चाहते हो?

श्री कालीचरण सर्राफ : बिराजो आप। यानि बांग्लादेशियों जैसी गम्भीर समस्या को मैं यहां पर उठाऊं उसका मंत्री पद से क्या सम्बन्ध है और आप चिन्ता मत करो यदि ऐसी समस्या उठाने पर मंत्री पद जाता है तो कोई चिन्ता नहीं है। आप बिराजो।

श्री संयम लोढ़ा : कालीचरणजी, सीमावर्ती जिलों में पुलिस के सुदृढ़ीकरण के लिए भी बजट में कोई इंतजाम रखा है क्या? आप घुसपैठियों की बात कर रहे हो, कोई इंतजाम रखा हो तो आप बजट देखकर के बता दो ना?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी बता देंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ : मैं यह कह रहा था कि यह बांग्लादेशियों के कारण जासूसी, आतंकवादी गतिविधियां, मादक पदार्थों की तस्करी इस प्रकार के अपराध घटित हो रहे हैं। अकेले जयपुर शहर में मेरी सूचना के अनुसार पैंतीस हजार इस प्रकार के बंगलादेशी निवास कर रहे हैं। पिछली सरकार ने तो इनके लिए बड़ा जोरदार काम किया। स्टेशन के पास कालवाड़ स्थित बस्ती थी। बंगलादेशियों की वहां से उनको खाली कराकर के बगराना गांव के पास इनको परमानेंट बसा दिया। आज जो चारों ओर के गांव हैं वह त्रस्त हैं। इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, इन बंगलादेशियों ने अपने राशनकार्ड बनवा लिए, वोटर लिस्ट में अपने नाम लिखवा लिए। केवल वोट के लिए इस प्रकार की घिनौनी हरकत कांग्रेस के लोग कर रहे हैं इसकी जितनी निन्दा की जाए उतनी कम है।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में अभी जो सेठी कालोनी में लूट की घटना हुई थी, जवाहर नगर में भी एक लूट की घटना हुई थी, अभी जब उसकी वारदात खुली तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेशी इस अपराध में शामिल थे। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या को गम्भीरता से समझे, इनको चिन्हित करे और उनको किस प्रकार से बांग्लादेश भेजा जा सके उस बात की व्यवस्था करनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर शहर से विधायक चुनकर के आया हूं इसलिए जयपुर के बारे में भी दो तीन बातें कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। सबसे पहले तो पिछले साल जयपुर में जो पुलिस की उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मालवीय नगर में डाक्टर रूंगटा के घर पर बम विस्फोट हुआ, मान्धाता सिंह और अन्य अपराधी गिरफ्तार हो गये। इसी प्रकार से भवानी सिंह कार ड्राइवर का अपहरण हुआ, अभियुक्त गिरफ्तार हो गए। सेठी कालोनी जवाहर नगर में सशस्त्र डकैती डाली गयी, अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए। सीकर हाउस में अकेली महिला को मारकर लूटा गया उसका नौकर गिरफ्तार कर लिया गया। सीकर हाउस में अन्य लूट की घटनाएं अकेली महिला की हत्या की गयी मैरिड की, गैंग को गिरफ्तार किया गया। विद्याधर नगर में एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर लूट की गयी उसके बंगाली नौकर को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार से मालवीय नगर में ग्यारह हथियार और विद्याधर नगर में 17 हथियार पिछले तीन महीने में बरामद किए गए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर का जिस तेजी के साथ विस्तार होता जा रहा है, महानगरीय संस्कृति जयपुर शहर में पनप रही है। पहले जहां 18

(श्री कालीचरण सर्राफ)

किलोमीटर क्षेत्रफल था आज 55 वर्गकिलोमीटर का क्षेत्रफल हो गया है और जयपुर शहर की लगभग तीस लाख की जनसंख्या हो गयी है। राजधानी होने के कारण यहां सैकड़ों सरकारी कार्यालय भी हैं, बीस के लगभग कालेजेज हैं, ट्रेड यूनियन द्वारा आए दिन आंदोलन की घटनाएं होती हैं। प्रमुख पर्यटन केन्द्र होने के कारण लाखों की संख्या में विदेशी और देशी पर्यटक यहां पर आते हैं। जयपुर शहर ब्राडगेज से भी जुड़ गया है। बी.आई.पीज का भी आना जाना लगा रहता है। जयपुर शहर में चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज हो अपराधों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। यातायात व्यवस्था बढ़ते वाहनों के कारण गड़बड़ाती जा रही है और यह स्वाभाविक भी है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करना चाहूंगा कि जयपुर शहर क्योंकि एक महानगर के रूप में परिवर्तित हो गया है यहां पुलिस कमिश्नर पद्वति निश्चित रूप से लागू की जानी चाहिए।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : वैसे तो मेरा डिस्टर्ब करने का नहीं है लेकिन एक घंटे से माननीय सदस्य बोल रहे हैं। अभी इनको बैठाया नहीं जा रहा है। बाद में पांच-पांच मिनट के ऊपर प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य बोलेंगे तो आसन की बात कैसे मानेंगे। यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1978 में पुलिस राष्ट्रीय आयोग ने भी यह सुझाव दिया था कि दस लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले जितने शहर हैं वहां पुलिस कमिश्नर पद्वति लागू होनी चाहिए और अभी केन्द्रीय सरकार ने मलिमत कमीशन का गठन किया था पुलिस सुधारों के लिए उसने 2003 में यह रिपोर्ट दी है कि पांच लाख से ऊपर जितने भी शहर हैं वहां पुलिस कमिश्नर पद्वति लागू होनी चाहिए। आज कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, हैदराबाद, बंगलौर, पूना, नागपुर, राजकोट, अहमदाबाद सभी जगह पुलिस कमिश्नर पद्वति है।

मैं आपके माध्यम से पुरजोर शब्दों में मांग करना चाहूंगा कि जयपुर शहर में भी पुलिस कमिश्नर पद्वति लागू की जानी चाहिए जिससे पुलिस को मजिस्टीरियल पावर मिल जाएगी। धारा 107, 116, 109, 151 और 110 के तहत मुकदमों के निस्तारण के पावर मिलेंगे और जो हजारों मुकदमें अभी पैण्डिंग चल रहे हैं उनके फैसले करने में मदद मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जयपुर शहर में लाखों की तादाद

(श्री कालीचरण सर्राफ)

में विदेशी और देशी पर्यटक आते हैं और लपकों के नाम से आपने भी सुना होगा कि कभी किसी विदेशी महिला के साथ बलात्कार, कभी किसी महिला के साथ धोखाधड़ी, किसी के साथ जालसाजी। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो विदेशी पर्यटक आएं वह अपने आपको सुरक्षित महसूस करें तो पर्यटक पुलिस का भी गठन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहां कोई न कोई वी.आई.पीज आते रहते हैं। किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति आते हैं, मुख्य मंत्रीजी का भी आना जाना लगा रहता है तो जब भी कोई वी.आई.पी. हवाई अड्डे जाता है और उस समय आप किसी भी थाने में फोन कर लीजिए तो एक ही जवाब मिलता है कि वी.आई.पी. की ड्यूटी में गए हैं। कोई सी.आई. नहीं मिलते हैं, कोई अधिकारी नहीं मिलते, कोई पुलिस का कर्मचारी नहीं मिलता तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्योंकि राजधानी है जयपुर तो एक स्पेशल वी.आई.पी. स्क्वैड का गठन कर दिया जाए। जितने भी हमारे वी.आई.पीज आते हैं जो हमारे अच्छे-अच्छे वी.आई.पीज आते हैं, अतिविशिष्ट लोग उनकी सुरक्षा का जिम्मा उनके पास रहे और पूरे जयपुर शहर की पुलिस उससे डिस्टर्ब न हो।

इसी प्रकार से जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। 1980-81 में जहां 81,267 वाहन जयपुर शहर में पंजीकृत थे, 1990-1991 में 2,66,254 हुए, 1999-2000 में 5,97,657 हुए और 2004 में लगभग नौ लाख वाहन आज जयपुर शहर में चल रहे हैं।

दुर्घटनाओं की क्या स्थिति है? 2001 में 274 लोग मारे गये और 1810 घायल हुए, 2002 में 312 लोग मारे गये, 1688 लोग घायल हुए, 2003 में 318 लोग मारे गये और 1826 घायल हुए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह इसीलिये आंकड़े बता रहा हूं कि 1997 में वाहनों की संख्या जो थी लगभग साढ़े चार लाख, आज उससे दुगुनी नौ लाख हो गयी। यातायात पुलिस में अधिकारियों की संख्या तो बढ़ गयी। पहले एक एडिशनल एस.पी. होता था, अब एक एस.पी. होने लग गया, उसके नीचे एक एडिशनल एस.पी. होने लग गया। पहले एक डी.वाई.एस.पी. होता था अब चार-चार डी.वाई.एस.पी. होने लग गये परन्तु कांस्टेबल और हैड कांस्टेबलों की जो नफरी है वह 1997 में भी 600 थी और आज भी 600 है। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यातायात की सुचारू व्यवस्था हमारे शहर में रहे इसके लिये कम से कम 1200 कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल जयपुर शहर में यातायात में होने चाहिये।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

इसी तरह से ट्रैफिक पुलिस के पास कोई बजट नहीं है। मैं कहना चाहूंगा जिस प्रकार आंध्र प्रदेश में व्यवस्था है कि वहां जो जुर्माना वसूल किया जाता है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, उसका 30 परसेंट पैसा ट्रैफिक पुलिस को दे दिया जाता है। आज यदि यह व्यवस्था हमारे जयपुर शहर में लागू कर दें तो लगभग प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपया जुर्मानों से जयपुर शहर की ट्रैफिक पुलिस वसूल करती है। यदि एक करोड़ रुपये सालाना उनको मिल जायेगा तो ट्रैफिक की सारी सुचारू व्यवस्था हो सकती है। यातायात किस प्रकार का रहे हम उसके बारे में जागरूकता भी ला सकते हैं, लोगों को शिक्षित भी कर सकते हैं, लोगों को जागृत भी कर सकते हैं। यह व्यवस्था बहुत ही सही रहेगी।

इसी प्रकार से जयपुर शहर में इन बाल्स में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आज चाहे जौहरी बाजार में चले जाएं, चाहे चौड़े रास्ते में चले जाएं, चाहे किशनपोल बाजार में चले जाएं, सड़क के दोनों ओर वाहन खड़े रहते हैं, लोगों को चलने की सुविधा नहीं मिलती, वाहनों को चलने की सुविधा नहीं मिलती, इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार पार्किंग व्यवस्था के लिये जो पुराना आतिश मार्केट है उसका बीच का चौक खाली करा कर वहां पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है। जलेब चौक, वहां पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है, संजय मार्केट वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है। इसी प्रकार से रामगंज चौपड़, माणक चौक चौपड़ और छोटी चौपड़, यहां अण्डर ग्राउण्ड प्लेसेज बनाये जा सकते हैं। चांदपोल गेट के बाहर जो पुराना पागलखाना है वहां पर इसी प्रकार पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मैं यह कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर में कुछ थाने इस प्रकार के हैं जैसे मानसरोवर शिप्रा पथ, श्याम नगर, मालवीय नगर, वैशाली नगर, महेश नगर, सांगानेर, सांगानेर सदर और हरमाड़ा, यहां द्रुत गति से पापूलेशन बढ़ रही है क्योंकि जयपुर शहर का विकास इन्हीं थाना क्षेत्रान्तर्गत हो रहा है। परन्तु यहां पर नफरी की व्यवस्था सही नहीं है। आज जयपुर शहर में 560 कांस्टेबलों की वेकेंसी पड़ी है तो उनको भरा जाए जहां पापूलेशन बढ़ रही है, जो मैंने नाम लिये वहां यदि दो, एक थाना और बना दिया जाए। मालवीय नगर थाने के दो टुकड़े कर दिये जाएं, मानसरोवर थाने के दो टुकड़े कर दिये जाएं तो मेरे ख्याल से यह उचित व्यवस्था होगी।

पुलिस कर्मचारियों के बारे में कहना चाहूंगा कि वर्तमान में राजस्थान राज्य पुलिस कार्य प्रणाली के हिसाब से विभिन्न रेंजों में बांटा हुआ है तथा रेंज को विभिन्न

(श्री कालीचरण सर्राफ)

जिलों में बांटा हुआ है। जयपुर प्रथम एक रेंज है जिसको जयपुर ग्रामीण, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जयपुर यातायात और जयपुर मुख्यालय, ऐसे पांच जिलों में बांटा गया है और जयपुर रेंज प्रथम राजस्थान में सबसे बड़ी रेंज है तथा जयपुर राजधानी भी है। तबादला नीति के अनुसार, जो अभी तबादला नीति की आदरणीय गृह मंत्रीजी ने घोषणा की है उसमें निरीक्षक स्तर से लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का गृह जिले में पदस्थापन नहीं किया जा सकता परन्तु गृह रेंज में 16 साल तक पदस्थापित किया जा सकता है। यह इन्होंने नियम बनाये हैं। क्योंकि जयपुर रेंज में पांच जिले आपने माने हैं, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, ट्रैफिक का अलग जिला है, जयपुर ग्रामीण का अलग जिला है, वहां पर आप जब यह नीति लागू कर रहे हैं उसमें आपने जयपुर जिले को एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट माना है। जब रेंज के हिसाब से 16 साल रहने का उसको अधिकार है तो इन पांच जिलों में यदि जयपुर उत्तर में रहने वाले की जयपुर दक्षिण में पोस्टिंग होती है और जयपुर दक्षिण में रहने वाले की जयपुर ग्रामीण में पोस्टिंग होती है तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी तो निश्चित रूप से इसके बारे में सरकार ध्यान दे।

आपने मुझे समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। इस आशा और विश्वास के साथ कि आदरणीय वसुन्धराजी के स्वयं के नेतृत्व में और कटारियाजी के गृह मंत्री के रूप में निश्चित रूप से पुलिस में जिस प्रकार से कई अपराधों में कमी आयी है उसी प्रकार से निरन्तर अन्य अपराधों में भी कमी आयेगी और राजस्थान में कानून और व्यवस्था का राज होगा, हर व्यक्ति अपने-आपको सुरक्षित महसूस करेगा। आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस विभाग के बारे में आज यहां चर्चा हो रही है, सदन में और सदन के बाहर इस विभाग की कार्यशैली पर अनेक टिप्पणियां होती रहती हैं और जनमानस के अन्दर इस विभाग के प्रति एक ऐसी छवि पिछले कुछ दशकों से बनी हुई है कि अनायास ही इस बात की चिन्ता हर मस्तिष्क में, हर जिम्मेदार व्यक्ति को होती है कि अगर राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षा यहां की सेना प्रदान करती है तो इस राष्ट्र की आंतरिक कानून व्यवस्था का जिम्मा राज्य की पुलिस का है।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

यह दुर्भाग्य हमारा रहा कि जिस विभाग के नाम पर एक आम नागरिक को यह महसूस होना चाहिये था कि उसकी सुरक्षा, उसके अस्तित्व और उसकी सांस्कृतिक धरोहर इस विभाग के कुशल नेतृत्व के हाथों सुरक्षित है लेकिन कुछ समय से यह देखने में आ रहा है कि पिछले अनेकों वर्षों से कई उंगलियां उठीं और कई टिप्पणियां इस विभाग की कार्यशैली और इसके अधिकारियों पर की गयी। हो सकता है कि मेरी बात से कई लोग बाग नाइत्तफाकी रखेंगे। इसी एक बिन्दु को मद्देनजर रखते हुए आपकी आज्ञा से कुछ उन परिस्थितियों पर मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आखिर किस परिस्थिति में यह विभाग काम कर रहा है।

जौहरी बाजार से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने संख्या की दृष्टि से बढ़ती हुई जनसंख्या का अनुपात और पुलिस सेवा के जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनका तुलनात्मक दृष्टांत पेश किया उसका एक शब्द में, एक लाइन में मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि 1974 से लगाकर और आज तक अगर हम देख लें जहां हमारे प्रदेश की जनसंख्या पौने तीन लाख करोड़ थी, आज पांच करोड़ है। उस वक्त एक कांस्टेबल जो सबसे प्रथम इकाई है इस पुलिस विभाग की, वह 500 से 600 व्यक्तियों का जिम्मा लेता था, आज यही अनुपात एक कांस्टेबल की तुलना में एक हजार व्यक्तियों तक का पहुंच गया है।

यह जो प्रथम इकाई जिसमें कांस्टेबल के नाम से पुलिस में जाना जाता है अगर इसकी वेतन श्रृंखला देख ली जाए तो संख्या छह की वेतन श्रृंखला में दूसरे विभाग से हम तुलना कर लें। ठीक जैसे एक पुलिस विभाग में कांस्टेबल होता है, रेवेन्यू विभाग लें तो उसका पटवारी होता है और मंत्रालयिक कर्मचारी कर लें तो एल.डी.सी. होता है। इन तीनों की वेतन श्रृंखला 3050 से चालू होती है। 9-18-27 का जो अनुपात होता है वह इन तीनों पर होता है। इन तीनों की वेतन श्रृंखला तो एक साथ चालू होती है लेकिन 9 वर्ष बाद में जब इनकी वेतन श्रृंखला में प्रथम हम लोग इजाफा देते हैं तो उस वक्त इसका क्या प्रारूप होता है। यह 3050 वेतन श्रृंखला लेने वाले कांस्टेबल का 3200 हो जाता है। पटवारी का क्या होता है? पटवारी जब गिरदावर बनता है 9 साल बाद में तो पांच हजार उसकी हो जाती है। एल.डी.सी., यू.डी.सी. का क्या होता है 9 वह जो 3050 लेने वाला होता है, उसकी 4,000 हो जाती है। अब 18 साल के बाद की ले लीजिये। यहां 3200 वाले कांस्टेबल को 18 साल बाद 4,000 मिलते हैं। 5000 वाला गिरदावर उस वक्त 5500 ले रहा होता है। आपका यू.डी.सी. भी इनसे कई गुणा ज्यादा ले रहा होता है

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

और इन सारे कर्मचारियों का तो फिर भी आठ घंटे की एक कार्य शैली और कार्य क्षमता का अनुपात है। इस कांस्टेबल की तो कोई आठ घंटे की ड्यूटी नहीं है। चौबीस घंटे यह रहता है और फिर इस विभाग के इस निम्नतम कर्मचारी से यह उम्मीद की जाती है कि इस धन बल, समाज की इस धरोहर की, मानव की रक्षा करने के लिए वह हमारी प्रथम इकाई है, प्रथम इकाई की जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट है वह पुलिस स्टेशन है। एक पुलिस स्टेशन के अन्दर इनका जो मैन पावर है, जो प्रथम मैन पावर है वह भी कांस्टेबल है। कुछ इनके पुलिस स्टेशंस हैं जिसमें बारह कांस्टेबल्स हैं, कुछ इनके पुलिस स्टेशन हैं जिनमें पन्द्रह हैं और जो बाकी 710 में से 280 रह जाते हैं उसके अन्दर बीस से पच्चीस हैं। अब चार कांस्टेबल तो इनको गार्ड ड्यूटी पर चाहिए, तीन मान लीजिए। उसके बाद में एक वायरलैस पर चाहिए, उसके बाद में एक वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव जाब के लिए चाहिए, एक कोट की जाब के लिए चाहिए। अनुसंधान अधिकारी के नीचे भी दो कांस्टेबल चाहिए। होते-होते यह होता है कि जहां बारह कांस्टेबल किसी पुलिस स्टेशन में हैं तो दस से ग्यारह कांस्टेबल तो यही नियमित काम कर रहे हैं तो एक कांस्टेबल रह जाता है उस पुलिस स्टेशन के बाकी काम करने के लिए और एक पुलिस स्टेशन कम से कम 80 गांवों के एडमिनिस्ट्रेशन की और वहां की कानून व्यवस्था की देखभाल करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैन पावर अवलेबल नहीं है। बीसवीं शताब्दी से हम इक्कीसवीं शताब्दी में चले गये। आज भी कोई कांस्टेबल लकड़ी की बेंत लेकर सुरक्षा बनाने में व्यस्त रहता है। कहीं ऐसा आभास नहीं होता जैसे कोई वन कर्मी, कैटल गार्ड को लाठी लेकर मानवीय कैटल्स की कानून व्यवस्था का जिम्मा थमा दिया हो। We have graduated to cyber crimes and here is a Constable, here is a department which is left to provide law and order given nothing. No achievements and always at the receiving end and at the end of a decade what do you say that this department needs to improve itself. Have you given them the environment? Have you given them the conditions? Have you provided them with the paraphernalias? No. You haven't 90 percent of your budget goes into the salaries. The rest of it goes into the management of the administrative office. What is the left for re-organization? What is left for improvements? What is left for providing them with better equipments? Today also a Constable, an ordinary person, who is supposed to protect this human wealth is given a 303. Petty criminals also carry much sophisticated weapons. The 303 should be put into the Archeological Department. It is a weapon which is meant to be told that some years back, 50 years back, this was the weapon to protect the human strength. Today there are SLRs, there are machine-guns and there are also

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

funny weapons and you expect this Department to protect them which is supposed to be the Department to protect the civilization. They gave a name, they gave a meaning to this civilization, otherwise we are all human being. They provided us with the guards, they provided us with the equipments, they provided us the environment but still they are at the receiving end. Why? We haven't created the enviroment. We have given them an impression. We have created an image by which they are supposed to be the worst than the criminals. They have been treated and they have been considered as legalised criminals, because we are still living under the hang over and the legacy of the Raj. When the Raj was in place the police Department was considered to be the most unsafe place. आज हम यह बात भूल गये हैं कि देश आजाद हो गया है। यह खाकी वर्दी जो पहनते हैं लेकिन यह खाकी वर्दी इस देश की है, लोकतंत्र की दी हुई वर्दी है। किसी राजा की दी हुई वर्दी नहीं है। इसका रंग खाकी हो सकता है इसलिए हम जिस दृष्टिकोण से देखते हैं इसको भी बदलने की आवश्यकता है और आपने अगर यह दृष्टिकोण नहीं बदला तब तक इस एजेंसी का कुछ नहीं होगा। यही वह बच्चे हैं जो हमारे ही परिवारों से जाते हैं। पुलिस बल में जाते हैं, अर्द्ध सैनिक बल में जाते हैं। इनसे अपेक्षा की जाती है कि हमारे समाज की इस धरोहर की रक्षा करेंगे और अपेक्षाओं के अनुरूप, संविधान की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए वह इस सारे बात को अंजाम दें, जिसकी आप और हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन हमारा दृष्टिकोण क्या है। एक कांस्टेबल को, पुलिस कर्मचारी को हम शक की निगाह से देखते हैं। भ्रष्टाचार का पूरक नाम हमने दे दिया है। भ्रष्टाचार का पर्यायी हमने इन्हें बता दिया है और यह हाल हो गया है कि समाज अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय, इस दृष्टिकोण को और इस दृश्य को बदलने के लिए हम यह चाहते हैं कि आज की तारीख में इस सरकार कर महती भूमिका होनी चाहिए और इस भूमिका को अगर हम बदल देंगे, इस दृष्टांत को हम बदल देंगे, एक कंस्ट्रेक्टिव और पाजिटिव समाज आम नागरिक के जेहन में आ जायेगा तो विभाग भी एक कंस्ट्रेक्टिव पहलू में काम करेगा यह मेरा विश्वास है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। आप मुझे दो-तीन मिनट पहले बता देना। If I am running out of time then I will try to conclude it. There is one more thing.

हमारा सोशल सिस्टम, इवोलुशनरी ट्रेंड से, इकानामिक और सोशल सिस्टम

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

से हमने एक तीसरा दर्जा और क्रिएट किया। पहले एक गरीब होता था और अमीर होता था लेकिन प्रजातंत्र ने जैसे-जैसे विकास किया एक मिडिल आर्डर और निकला जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, and the middle class is supposed with the most vulnerable class. जरा सी ऊंच-नीच आयी मिडिल क्लास सबसे पहले थर्राता है। इस पुलिस प्रशासन में भी एक मिडिल क्लास है। There are IPS Officers and they are Constables. There is a middle class which is called the RPS. Let us say what the RPS are. RPS are those officers जो कि फील्ड में काम करता है, कांस्टेबल तो करता ही है। हैड कांस्टेबल तो करता ही है। इंस्पेक्टर तो करता ही है लेकिन एक आफिसर क्लास जो फील्ड में करता है जो वास्तविकता में वहां जाकर काम करता है,

(14.56 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

वह डी.एस.पी. है, एडिशनल एस.पी. है और कहीं सौभाग्यवश एस. पी जाता है। लेकिन हमने एक एनवायर्नमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया है कि वास्तविकता फील्ड का जो काम करते हैं वह कांस्टेबल से लेकर के डी.एस.पी. तक ज्यादा करते हैं। अभी आर.पी.एस. कैडर की क्या हालत है। 2000 से तो आपकी सलेक्शन स्केल की लिस्ट ही नहीं है। सुपर टाइम स्केल में तो कोई आदमी ही नहीं है आज तक। अदालत के निर्णय से 2000 में एक लिस्ट बनी थी। 1997 की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, सिनियोरिटी को ध्यान में रखते हुए लिस्ट बनाई। पहले पांचवें महीने में बनी, फिर इसमें संशोधन करके छठे महीने में वापस 2000 में बना दी और वह लिस्ट बनने के बाद आपकी डी.पी.सी. हुई। उसके बाद में 2005 आ गया लेकिन आज तक वह डी.पी.सी. खोली नहीं गयी और वह आर.पी.एस. जहां पर हैं वहीं रह गये। उसके बाद 2002 में एक संविधान संशोधन हो गया और रिगेनिंग को भी इन्होंने स्कवेश कर दिया। यह रिटायर हो गये।

सभापति महोदय, कांस्टेबल को तो फिर भी 9, 18, 27 में कहीं न कहीं वेतन श्रृंखला में मिल रहा है। इन पर तो कोई 9, 18, 27 भी लागू नहीं होती। आई.पी.एस. आफिसर तो फिर भी 6 साल के बाद में प्रमोशन हो जाता है, सीनियोरिटी आ जाती है और यह बीसों साल रह जाते हैं इनकी कोई सीनियोरिटी ही नहीं है। आपके पास में सलेक्शन स्केल की कोई लिस्ट ही नहीं है। वरीयता सूची नहीं है, आज की तारीख तक, यह क्यों काम करें। फिर भी इनसे अपेक्षा करते हैं कि they should provide justice. They should govern as per the provisions to the law. They should be with the

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

spirit of the secularim. Why will they be when they have been met step-motherly treatment? The society should also be prepared to be met stop-motherly treatment.. बीस-बीस वर्ष लग जाते हैं। आप कांस्टेबल को ले लीजिये। जब आप कांस्टेबल के प्रमोशन के लिए लेते हैं, वन इज टू सिक्स का रेश्यो है, 25 साल लग जाते हैं उसको हैड कांस्टेबल बनने में वह वेतन तो ले रहा है 9, 18, 27 में, उसको वेतन तो उतना मिल रहा है जितना हैड कांस्टेबल को मिलता है लेकिन जील खतम हो जाती है, स्प्रिट खतम हो जाती है। 25 साल बाद में तो रिटायरमेन्ट में 5-6 साल पहले ही आता है। क्या जील रहेगी उसमें। क्या काम करने की जील रहेगी। इस वन इज टू सिक्स के रेश्यो को वन इज टू टवेन्टी का करना चाहिए। More people will get the enthusiasm. More people will get encourage to take promotion. आदमी प्रमोशन ही चाहता है। आप सेलेरी क्या देते हैं। सेलेरी के बलबूते पर प्रमोशन थोड़े ही चाहता है। वह अगर काम अच्छा करता है तो यह चाहता है कि सरकार उसको प्रमोट करे क्योंकि आज जितने भी राज्य कर्मचारी हैं चाहे पुलिस सेवा से हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में हो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं आते कि मुझे ज्यादा सेलेरी मिलेगी, इसलिए मेरा प्रमोशन होता है। प्रमोशन इसलिए चाहते हैं कि लोग उनको रिकोग्नाइज करें, उनकी सेवा को रिकोग्नाइज करें और दूसरे लोगों के लिए आदर्श बनें। इसकी तुलना आप दूसरों से कर लीजिए, इतने वर्ष निकल गए, हम बार-बार इस बात को दोहरा देते हैं कि आखिर हमारी आंतरिक पुलिस ने वह काम क्यों नहीं किया जिससे देश और प्रदेश का नाम फख्र से लिया जाए। इन सारी परिस्थिति के बावजूद भी आज इस बात को मैं फख्र से कहना चाहता हूं इस सदन में कि राजस्थान पुलिस ही एक मात्र ऐसी पुलिस है जिसने अपने इन्वेस्टीगेशन से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त की है। शायद आप और हम लोग भूल गए, याददाश्त बहुत कमजोर है, टाइम मैगजीन कोई बहुत मामूली सी मैगजीन नहीं है, उस टाइम मैगजीन में, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित मैगजीन है, वर्ष 2003 में वामन घीया मूर्तिकाण्ड के इन्वेस्टीगेशन का वास्तविकता में कहीं उल्लेख किया है तो फ्रंट पेज पर इस मैगजीन में किया गया है। राजस्थान पुलिस के उन अधिकारियों और कर्मचारियों जिन्होंने इस पूरे इन्वेस्टीगेशन को अंजाम दिया, उनकी सुनहरे अक्षरों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वाहवाही हुई है।

वीरप्पन को सब जानते हैं। वीरप्पन क्या करता था, चन्दन की लकड़ी काटता था और बेच देता था, डकैत था, जंगलों में रहता था. उसने लोगों को प्रताड़ित कर रखा था, पकड़ा गया, साढ़े सात सौ पुलिसकर्मी को रातों रात प्रमोशन मिल गया। यहां 17 से 18 अधिकारियों का एक दल, तीन साल के अनुसंधान के बाद करोड़ों रुपयों की

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सांस्कृतिक धरोहर को बेचने से रोकने का इस पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर के गिरोह का पर्दाफाश किया तो इस सरकार ने तीन साल, चार साल बाद उन 18 में से सौभाग्यवश 14 को तो प्रमोट कर दिया लेकिन मरे फिर कौन? वही मिडल आर्डर, इन्सपेक्टर वहां के वहां रह गए, सब इन्सपेक्टर वहां के वहां रह गए क्योंकि किसी बहुत बुद्धिजीवी अधिकारी ने गैलेण्ट्री की डेफिनिशन पर अपना पूर्ण विराम लगा दिया। गैलेण्ट्री कहते हैं- guallantry when you are in action in the field, in the battle field, has a different academic definition. Gallantry in the field of academic will have a different definition. It is exemplary, it is distinction. अधिकारी इस बात को लेकर बैठ जाए कि गैलेण्ट्री शब्द के बूते पर ही एक सर्कल इन्सपेक्टर को डीवाई.एस.पी. रैंक दी जा सकती है या नहीं, सब इन्सपेक्टर को इन्सपेक्टर रैंक दी जा सकती है या नहीं तो मुझे एक बात बताइए कि इसकी लेखिका हेना बीच, जिसने यह पूरा का पूरा लिखा है, वह कह रही हैं कि जब मैं यह लिख रही थी तब मुझे मेरी जान का खतरा था। जो लोग बाग इसका भण्डाफोड़ कर रहे थे, जो इसका इन्वेस्टीगेशन कर रहे थे उनकी जान को कोई खतरा रहा होगा या नहीं रहा होगा। क्या सरकार और अधिकारी इस बात का इन्तजार कर रहे थे कि कब तो यह मरते और कब इन पर गोलियां चलती तो ही इनका प्रमोशन होता तो ही ये गैलेण्ट्री की परिभाषा में आते। यह दोहरे मापदण्ड और सिर्फ शब्दों के जाल में जब अधिकारी पड़ते हैं तो उनका मोरल गिरता है और जब उनका मोरल गिरता है तो उनकी कार्य क्षमता गिरती है और कार्य क्षमता गिरती है तो ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि समस्त समाज इनके ऊपर उंगलियां उठाता है। हम यह चाहते हैं कि जो गलती पहले हो गई उसको दुरुस्त किया जाए। इस वर्ग में भी ईमानदार अधिकारी हैं, इस वर्ग में भी वह लोग बाग हैं जो अपनी जान पर खेलकर आज की तारीख में इस राष्ट्रीय धरोहर की और मानवीय धरोहर की रक्षा करते हैं। हम चाहते हैं कि उनको भी उनकी योग्यतानुसार समय पर उनके साहसिक कार्यों के लिए जो कुछ भी प्रतिफल मिलना चाहिए वह मिले।

इन सारी परिस्थितियों के बावजूद शायद एक पहलू हमें ध्यान नहीं आता कि इस जमात के प्रति मानवीय पहलू। इनके भी परिवार हैं, इनके भी बच्चे हैं, यह भी बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहते हैं, इन लोगों से 24 घण्टे ड्यूटी ली जाती है, इस दौरान इनके पास रहने का कोई निवास स्थान नहीं है। जहां 25 से 30 हजार मकानों की आवश्यकता है वहां 10 हजार मकानों में ये लोग रह रहे हैं और उन मकानों की रिपेयर पिछले 30-40 सालों में नहीं हुई है। इनके बच्चे कहां पढ़ेंगे? सेंट्रल एम्प्लोयीज के बच्चे

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

तो सेंट्रल स्कूल्स में पढ़ लेते हैं, आर्मीमैन के बच्चे आर्मी स्कूल्स में पढ़ लेते हैं, जहां तक पुलिस स्कूल्स की बात है, मुझे ध्यान है कुछ साल पहले आदरणीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने अपने समय काल में एक आवासीय स्कूल का शिलान्यास आर.पी.ए. में किया था, वह शिलान्यास ही होकर रह गया। तो क्या इनके बच्चे नहीं हैं? इनके भी बच्चे हैं, इनके भी परिवार हैं। आप इनसे 24 घण्टे की ड्यूटी लेना चाहते हैं, 24 घण्टे में एक घण्टे अपने बच्चे के पास नहीं रहना चाहते तो कम से कम यह तो चाहेंगे कि मेरा बच्चा भी किसी आवासीय स्कूल में पढ़े जिससे कम से कम मेरे से ज्यादा उसका व्यक्तित्व बने। यह मानवीय दृष्टिकोण है जो इस सदन को लेना पड़ेगा, सरकार को लेना पड़ेगा, सरकार को ज्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा।

मैं अन्त में एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे काम हैं जो हम इनसे करवाते हैं, जो किसी रूल्स में ही नहीं है। यह आए दिन किसी न किसी को एस्कोर्ट करते रहते हैं। जहां तक मुझे मालूम है कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन तो कुछ ही विशेष व्यक्तियों के लिए होता है, आजकल तो डी जे को भी ये एस्कोर्ट करते हैं, जजेज को भी एस्कोर्ट करते हैं और तो और जो कैम्प कोर्ट होती है उसके लिए जब जजेज इधर से उधर जाते हैं तो उनको भी कंविएंस ये मुहैया कराते हैं। जिस आदमी को, जिस एजेंसी को कानून और व्यंवस्था के लिए हमने बना रखा है, भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए बना रखा है तो उसी को हमने उसका पर्याय बना दिया है और प्रोटोकाल में लगा देते हैं, यह तो एक इस्तेमाल करने की एजेंसी हो गई और चूंकि हम इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं इसलिए इनका परिदृश्य बदल गया है।

Hon'ble Chairman, Sir, we will have to change the face of it, we will have to give this agency a human face. And when we give this agency a human face, we should expect something in return, because humanity is much beyond the reach of an ordinary man. It is the value of humanity which is utmost. I am sure, under these circumstances, under the able stewardship of the present Home Minister and the Chief Minister, we will see a different face of the department of police. Till then, we, and we all together, should pray for it.

श्री सभापति : माननीय श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय सभापति महोदय, यह सदन आज पुलिस और कारगर, मांग संख्या 16 और 17 पर चर्चा कर रहा है।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

एक जन कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व होता है कि वह प्रदेश के लोगों की जानमाल की हिफाजत करे, कानून और व्यवस्था का राज रहे, निष्पक्ष भाव से लोगों को न्याय मिले और समाज कंटकों पर पूर्णतया अकुंश लगे। लेकिन मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, लूट, बलवा, आगजनी, सट्टे के साथ-साथ साम्प्रदायिक दंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं पर अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। मुझे यह बात कहते हुए खुशी है कि सरकार ने भी घुमा फिराकर यह स्वीकार किया है कि राजस्थान पुलिस का यह वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी प्रस्तावना के पेज एक पर पैरा तीन में इसे स्वीकार किया है कि वर्ष 2004 में अपराधों की संख्या में आंशिक वृद्धि हुई है।

माननीय सभापति महोदय, महिला उत्पीड़न के बारे में भी पेज 12 पर इन्होंने स्वीकार किया है और यह इनके आंकड़ों से ही प्रमाणित है। वर्ष 2002-03-04 में महिला अत्याचार की तुलनात्मक स्थिति इसमें चित्रित की गई है। इसके क्रम संख्या 3 पर महिला उत्पीड़न, 498-ए के वर्ष 2002 में 5691 मामले थे, वर्ष 2003 में 5733 और वर्ष 2004 में इसमें एकदम बढ़ोत्तरी होकर 6781 हो गए। यानी हजारों की इसमें वृद्धि हुई है।

छेड़छाड़, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के मामलों में भी इजाफा हुआ है। पेज 14 पर अनुसूचित जाति और जनजाति पर अत्याचार की तुलनात्मक स्थिति दिखाई गई है। वर्ष 2002 में अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या हुई 54 और वर्ष 2003 में जब कांग्रेस का शासन था तब इसको घटाकर 41 किया गया और आज 2004 में यह बढ़कर 60 हो गई। यानी 40 से 60 । पेज 14, माननीय गृह मंत्रीजी, आपकी स्वयं की दी हुई पुस्तक। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप पिछले साल के, चूंकि हमको 2004 तक की प्रगति रिपोर्ट दी जाती है, आप दूसरा अध्ययन देंखे कि प्रदेश में अपराधों का ग्राफ बढ़ा। एक जनवरी से लेकर 30 जून तक 2003 में 73229 मामले पंजीबद्ध थे जो एक जनवरी से 30 जून, 2004 तक 76124 हुए। अर्थात् 2895, लगभग 7.5 प्रतिशत की इन अपराधों में वृद्धि हुई है। आज स्थिति क्या है? समाज का कौनसा वर्ग सुरक्षित है? मैं आम आदमी की बात नहीं करता। पाली के विधायक ज्ञानचन्द पारख की गाड़ी चोरी चली गई, आज तक आप पता नहीं लगा पाये। (व्यवधान) देखिए, जब आपका नम्बर आये तब प्लीज आप बोल दीजिएगा। आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, आप बैठ जाइए।

श्री मदन राठौड़ : सभापति महोदय, इन्होंने पेज नम्बर गिनाया है और उसी पेज पर ये उल्टा पढ़ रहे हैं।

श्री सभापति : आपको बताने की जरूरत नहीं है, मंत्रीजी सक्षम हैं अपने आप उनको जवाब देंगे।

श्री मदन राठौड़ : ये गलत बोल रहे हैं।

श्री सभापति : कोई बात नहीं, आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : सचेतकजी ने इनका नम्बर नहीं दिया क्या? आपका नम्बर आये तो करेक्ट कर लेना, बीच में नहीं टोकना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हिण्डौली के विधायक के यहां से जीप चोरी चली गई। नैनवां के विधायक के यहां चोरी हो गई। आपके खुद के खैरवाड़ा के विधायक के साथ अत्याचार हुए। सलूम्बर के विधायक के घर से लाखों रुपये की चोरी हो गई। हमारे पूर्व सांसद गिरिजा व्यास के पैट्रोल पम्प को लूट लिया गया। आज स्थिति यह है कि समाज का कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है। ए.डी.एम., जो मालवीय नगर में रहते हैं उनके यहां घटना हो गई। आई.जी. पुलिस, लियाकत अली की बीवी का पर्स छीन लिया गया। मैं चैन तोड़ने या छेड़छाड़ की घटनाओं की बात नहीं करता, इस प्रकार के अत्याचार आज आपके यहां इस स्थिति में हो रहे हैं।

पेंडेंसी की स्थिति। माननीय सभापति महोदय, मैं निस्तारण का खाका केवल दो महीने जनवरी और फरवरी का आपको बताना चाहता हूं। स्थिति देखिए, जनवरी और फरवरी में हत्या के 75 मामले और हत्या के प्रयास के 129 मामले। इनमें से 75 में से 72 पेण्डिंग। 129 में से 116 पेंडेंसी। यह पेण्डिंग है। फरवरी का उठाकर देख लीजिए। जनवरी के अन्दर कुल हत्या हुई 75 और फरवरी में यह आंकड़ा बढ़कर एकदम दुगुना हो गया और फरवरी माह में हत्याएं हो गई 148 । यह स्थिति अपराधों के क्षेत्र के अन्दर हो रही है।

आज प्रदेश में प्रतिदिन चैन तोड़ने, छेड़छाड़, चोरी, मारपीट की तो गिनती ही नहीं है। रोज प्रदेश में 3 बलात्कार और 4 हत्याएं हो रही हैं। यह प्रदेश की स्थिति हो गई। प्रदेश में बढ़ रही अपहरण की घटनाएं। अपहरण की घटनाओं में इतना इजाफा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। पुलिस हिरासत में मौतों का चढ़ता ग्राफ। यह मैं नहीं कह रहा। यह कौन कह रहे हैं? श्री ज्ञानप्रकाशजी पिलानिया, भारतीय जनता पार्टी

के सांसद और पुलिस के पूर्व डी.जी. कह रहे हैं कि पुलिस हिरासत में मौतों का ग्राफ बढ़ रहा है। (व्यवधान) एम.एल.ए. सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षित नहीं। और तो और सी.एम. की सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या यही है मुख्य मंत्री की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था? माननीय गृह मंत्रीजी, आपके मन में कोई महत्वाकांक्षा हो सकती है और राजनीति में होनी भी चाहिए, लेकिन मुख्य मंत्री सुरक्षित नहीं, एक मंदबुद्धि का पागल व्यक्ति उनके घर में घुस जाए, उनके शयन कक्ष में आग लग जाए। बड़ी अच्छी कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था है।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : इन्दिरा गांधी की हत्या हुई थी उस समय आपकी सरकार थी, वे भी सुरक्षित नहीं थी।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह आप लोगों ने किया होगा।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : चोर के मन में भी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है कि वी.आई.पीज्. के यहां चोरियां करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने तो नहीं भेज दिया था उसको।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : कम से कम हमारे गृह मंत्रीजी और हमने तो नहीं भेजा। उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है।

श्री सभापति : आप बीच-बीच में नहीं टोकें।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, धौलपुर जहां की महारानीजी मुख्य मंत्री हैं, धौलपुर में एक साल में 30 हत्याएं हुईं। क्या यह आंकड़ा गलत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसकी कुछ तो सच्चाई होगी जहां से माननीय गृह मंत्रीजी आते हैं आर.आर. मैरिज ब्यूरो का एक और कारनामा, एक लाख रुपये लिये और एक विवाहिता स्त्री को बेच दिया। क्या यह भी गलत है? नाम बता रहा हूं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आंकड़े कहां से लाये हो?

श्री सभापति : माननीय दौसा से आने वाले सदस्य।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अखबार के माध्यम से आप नहीं उठा सकते। अखबार की सूचना से नहीं उठा सकते आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह पूछने का अधिकार आपको नहीं है।

श्री हीरालाल (निवाई) : माननीय सदस्य, राजीव गांधी की हत्या कर दी उन लोगों के साथ आप सरकार बना रहे हैं लिट्टे के लोगों के साथ मिलकर।

श्री सभापति : आप विराजें। अंकित नहीं हो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

श्री सभापति : आपका नम्बर आये आप बोल देना। अंकित नहीं हो। आप विराजें।

श्री हीरालाल (निवाई) : xxx

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में टोकाटाकी न करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, ये कितनी ही टोकाटाकी करें, मुझे विचलित नहीं कर सकते। ये जानते हैं।

श्री सभापति : आप अब फटाफट कनक्लूड करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज स्थिति क्या है? स्कूल में प्राचार्य ने एक बालिका के साथ बलात्कार कर लिया। एस.एम.एस. अस्पताल में आपसे स्थिति छुपी हुई नहीं है, अस्पताल में जाएं तो वहां उसके साथ रैप हो गया। थाने के अन्दर जाए तो वहां पुलिसकर्मी बलात्कार कर लें और जेल में महिला कैसे गर्भवती हो गई, यानी कोई स्थान महिलाओं के लिए बचा हुआ नहीं है। मैं माननीय मंत्रीजी आपसे यह जानना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपकी और हमारी सबकी चिन्ता यह है कि प्रदेश में अपराध की रोकथाम हो, अपराध घटें। इसके कई कारण हैं वो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बढ़ती बेरोजगारी भी अपराध बढ़ने का एक कारण है। पड़ोसी राज्यों से जो घुसपैठिये आ रहे हैं वो भी एक कारण हैं। अन्तरराज्यीय गिरोहों की सक्रियता भी एक कारण है। पुलिसकर्मियों की कमी भी एक कारण है।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं अभी बैराठ से आने वाले माननीय सदस्य सही कह रहे थे कि राजस्थान में 709 पुलिस थाने हैं। इन 709 पुलिस थानों में 194 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिनके अन्दर 12 सिपाही हैं और 235 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिनमें 15 सिपाही हैं। अब स्थिति देखिए कि इन 12 सिपाही में 4 सन्तरी की ड्यूटी देते हैं, एक वायरलैस का काम करता है, एक दफ्तरी का काम करता है, दो इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर के साथ चले जाते हैं, एक कोर्ट में पेशी भुगताने चला जाता है और जो प्रावधान हैं उसके हिसाब से दो लीव पर हैं। तो बचा एक आदमी। 15 सिपाहियों के जो थाने हैं वहां इन्वेस्टिगेशन आफिसर के साथ दो की बजाय 3 चले जाते हैं और लीव पर दो की बजाय तीन हो जाते हैं वहां भी एक ही बचा। अब जो एक सिपाही बच रहा है वो क्राइम प्रिवेंशन का काम देखे या सम्मन तामील करवाए या बीट पेट्रोलिंग करे या क्रिमिनल इंटेलिजेंस करे या वी.आई.पीज्. की ड्यूटी दे या एक्सीडेंट में जाए। आखिर स्थिति क्या है? आज 5 हजार पुलिसकर्मियों के पद रिक्त चल रहे हैं और यह निर्धारण 12 व 15 सिपाहियों का हुआ था यह निर्धारण 1974 में हुआ था। 1974 से आज 30-31 साल के बाद भी हमारी यही की यही स्थिति है और फिर हम यह चाहें कि हम इनके बल पर अपराधियों को पकड़ पाएंगे?

आज गाडियां कैसी हैं? आपकी गाड़ी 40 की स्पीड से ज्यादा नहीं चल पाती और अपराधियों के पास 120 पर चलने वाली गाडियां हैं। अभी जैसा बैराठ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे आपके हथियार कैसे हैं और आज के अपराधियों के पास हथियार किस तरीके के हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस की नफरी आपको बढ़ानी चाहिए और इनको आधुनिक हथियार और संसाधन उपलब्ध कराने का काम करना चाहिए।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि शराब माफिया और शराब के बढ़ते हुए प्रचलन के कारण भी अपराध बढ़ रहे हैं। सारे अपराधों की जननी शराब है, लेकिन आप शराब को रेवेन्यू कलेक्ट करने का, आय का साधन मानते हैं। जितनी आपको आय होती है उससे ज्यादा आपका कानून-व्यवस्था मेंटेन करने में खर्च हो जाता है। इसलिए कटारियाजी, बड़ी लम्बी-लम्बी बातें करते हो, एक बार प्रदेश के अन्दर घोषणा करो शराबबन्दी करेंगे और फिर देखिए क्राइम रेट कम होती है या नहीं होती है? होगी, आपको करके दिखाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, एक कारण मैं यह भी बताता हूं कि जो मुकदमे आपने वापस लिए, अपराधियों पर से आपने

मुकदमे वापस ले लिए, अभी आप अपने बयान में बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि मैंने कोई राजनीतिक आधार पर मुकदमे वापस नहीं लिए। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, आप ईमानदारी के साथ आत्मचिंतन करके अपनी आत्मा की आवाज के साथ श्री हरिशंकर भाभड़ा के खिलाफ पीपुल्स रिप्रजेंटेटिव एक्ट की धारा 127 के में एक मुकदमा सवाई माधोपुर की मुंसिफ कोर्ट में विचाराधीन था। क्या केन्द्र सरकार के निर्वाचन आयोग और विधि मंत्रालय ने उस मुकदमे को पूरा वापस लेने के निर्देश आपको नहीं दिए थे? और आपने महज इसलिए कि भाभड़ाजी तो आपके नेता, आपकी पार्टी के हैं, सिर्फ उनका मुकदमा वापस ले लिया उसमें एक व्यक्ति दूसरा भी था, उसके ऊपर आपने वह मामला पैंडिंग रख लिया। आप सोचिए जरा ईमानदारी से मैं आपको कागज उपलब्ध करा दूंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सवेरे ही तो पढ़ा मैंने, मुकदमा वापस ले लिया, सवेरे ही तो पढ़ा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, हम भी कह रहे हैं, आपने लिया सिर्फ भाभड़ाजी के खिलाफ लेकिन दूसरा एक व्यक्ति और था, सब के खिलाफ वापस लेने के निर्देश आए थे। आपने उन निर्देशों का पालन नहीं किया और पार्टीबाजी में लिप्त होकर केवल भाभड़ाजी के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया। मैं आप कहेंगे तो वह केन्द्र सरकार का आदेश और आपके महाधिवक्ता के दोनों आदेशों को टेबल करने के लिए तैयार हूं।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, जयपुर के अन्दर जो अवैध हथियार और विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई, शिवसेना नेता हथियारों की तस्करी में पकड़ा गया। क्या यह सही नहीं है कि वार्ड नम्बर 25 मालवीय नगर में शिवसेना प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े श्री प्रवीण मिश्रा, उनका भाई प्रशांत मिश्रा, प्रताप खेतान और दीपक सिंधी बहुत बड़े जखीरे के साथ हथियारों की तस्करी में पकड़े गये? क्या यह सही नहीं है कि जयपुर में हथियारों की तस्करी में जो फर्में पकड़ में आई हैं, वह कौन हैं? आप जरा सुनिए, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र सावित्री कामकाज फैक्ट्री, बालाजी इण्डस्ट्रीज, शर्मा स्टील रोलिंग मिल, नवदुर्गा सिंडीकेट मंगला प्रोडक्ट और आर.एन. फोर्ज इन फैक्ट्री, बगरू, क्या कार्यवाही की इनके खिलाफ यह तो आप जानते हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इनमें एक भी व्यक्ति अगर अल्पसंख्यक समुदाय का होता तो क्या स्थिति हो जाती लेकिन कोई भी हो अपराधी का कोई मजहब नहीं होता इसलिए मैं

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आपसे कहना चाहता हूं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आज, माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में साम्प्रदायिक घटनाओं में वृद्धि हुई है, चाहे सोजत हो, चाहे करजारिया हो, चाहे माण्डल हो, चाहे अटरू हो, चाहे पीपाड़ हो, चाहे कोटड़ा हो, चाहे सराड़ा हो, अपराधों में वृद्धि हो रही है और इसलिए वृद्धि हो रही है, माननीय सभापति महोदय, कि सरकार की सोच निष्पक्ष होनी चाहिए, सोच में फर्क नहीं होना चाहिए। मैं इस अवसर पर महामहिम भैरोंसिंहजी शेखावत को जो तत्कालीन मुख्य मंत्री थे बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि उनकी दूरदृष्टि, उनका व्यापक दृष्टिकोण तीन बार माननीय शेखावत साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, 1977 में, 1990 में और 1993 में लेकिन तीनों बार उन्होंने राजस्थान के गृह मंत्री का काम सेक्यूलर व्यक्ति को सम्भलाई। 77 में प्रोफेसर केदार जो समाजवादी विचाराधारा के थे उनको गृह मंत्री बनाया, 1990 में उन्होंने बाबू सम्पतरामजी को गृह मंत्री बनाया और जब हम जनता दल वालों ने छोड़ दिया तब उन्होंने दिग्विजय सिंहजी को बनाया और 1993 में उन्होंने कैलाशजी मेघवाल को मिनिस्टर बनाया। मैं माननीय कटारियाजी, आपको, माननीय सभापति महोदय के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप अपने घर पर होते हैं तो गृह मंत्री नहीं होते, आप अपने बच्चों के पिता पेरेंट, अपनी बीवी के पति होते हैं और अपने पेरेंट्स के बच्चे होते हैं। जब यह यहां पर उगते हैं तो इसको कहते हैं बाल और जब यहां उगते हैं तो इसको कहते हैं भौंहें और जब यहां उगते हैं तो इसको कहते हैं पलक और जब यहां उगते हैं बाल तो मूछ और यहां उगते हैं दाढ़ी माननीय कटारियाजी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं जब आप आर.एस.एस. की शाखा में हों तो वैसे आर.आर.एस. के स्वयंसेवक रहिए, हमको कोई आपत्ति नहीं लेकिन जब आप पार्टी में हो तो बी.जे.पी. के नेता की हैसियत से रहिए लेकिन यहां जिस कुर्सी पर बैठे हैं आप राजस्थान के गृह मंत्री की हैसियत से बैठे हैं, छाती ठोक कर यह कहने से आर.एस.एस. के स्वयंसेवक की हैसियत से बैठा हूं, काम नहीं चलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सराड़ा की घटना हुई, साम्प्रदायिक घटना आपने वहां के एस.पी. को हटा दिया क्योंकि वह एस.पी. शिड्यूल्ड कास्ट का रवि मेहरड़ा, आपने भीलवाड़ा में...(व्यवधान) आप बैठ जाइए मदनजी, मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : आप भी यहां अल्पसंख्यक की हैसियत से नहीं बैठे हो।

श्री जोगाराम पटेल : आप भी यहां अल्पसंख्यक की हैसियत से नहीं बैठे हो. आप भी माननीय सदस्य की हैसियत से हो, आप भाषण अल्पसंख्यकों की ओर से नहीं दे रहे हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ : आप भी अल्पसंख्यक मत बनो।

मोहम्मद माहिर आजाद : और बोल लीजिए। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब सराड़ा में साम्प्रदायिक घटना हुई, आपने एस.पी. को इसलिए हटाया कि एस.पी. अनुसूचित जाति का था, रवि मेहरड़ा, आपने उसकी पुनरावृत्ति भीलवाड़ा में की, भीलवाड़ा में एस.पी. ने कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने का काम किया। आपने एस.पी. को इसलिए हटाया कि अशोक राठौड़ शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति था। आपके नागौर में दंगा होता है, लाडनूं में तो आप वहां एस.पी. को नहीं हटाते हो, कलक्टर धर्मसिंह सागर होते हैं तो उसको हटाने का काम करते हैं, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हटाने का काम, जबकि कानून में आपने प्रावधान यह कर रखा है कि किसी जिले में अगर साम्प्रदायिक घटना होती तो एस.पी. और कलक्टर दोनों को बदला जाएगा। प्रशासन के नाम पर आप कलक्टर को नहीं हटाकर जहां एस.पी. शिड्यूल्ड कास्ट का है तो एस.पी. को हटाते हो और जब कलक्टर शिड्यूल्ड कास्ट का है तो कलक्टर को हटाते हो। इन दोहरे मापदण्डों के कारण राजस्थान में इन घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, सत्यनारायण शर्मा की हत्या हुई, आप वहां चले गये और जाकर आपने यह कहा कि तीन दिन में अगर हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं क्या जैतारण में मोहन लाल मेघवाल की हत्या हुई, आप वहां गये? क्या बूंदी के अन्दर साबिर की हत्या हुई वहां आप गये? आप एक तरफ तो यह कहते हो कि तीन दिन में मुलजिम नहीं पकड़े तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और बूंदी के अन्दर साबिर के हत्यारों को पकड़कर चालान पेश करने के लिए पुलिस तैयार होती है तो आपने वहां पर यह कह दिया कि चालान पेश नहीं किया जाए, यह दोहरे मापदण्ड, मैं आपसे गृह मंत्रीजी उम्मीद कम से कम यह सदन और यह राजस्थान की जनता नहीं करती। यह आखिर आप अपने जवाब में बताइए कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया। इसलिए मैं आपसे एक शेर सुनाकर एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

गिजाएं खाते हैं एयरकंडीशन होटलों में,

सड़क पर भूखे की और नंगे की बात करते हैं,

मजाक देखिए इससे ज्यादा क्या होगा कि

दुरंगे लोग भी तिरंगे की बात करते हैं।

जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज कभी अपने कार्यालयों में नहीं फहराया वह ईदगाह पर झंडे फहराने की बात करते हैं। यह दोहरे मापदण्ड मत रखिए, आप राजस्थान के गृह मंत्री की हैसियत से, राजस्थान की सारी जनता आपकी है, चाहे वह दलित वर्ग का है, चाहे वह महिला है, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग का है, चाहे वह गरीब है, चाहे वह अमीर है, उसको न्याय मिले और अपराधियों का कोई मजहब नहीं होता, वह चाहे जिस जाति का हो, उसको सजा दें। यह काम माननीय गृह मंत्रीजी आपका होना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज अपनी बात को दूसरे से मनवाने के तीन तरीके होते हैं। पहला होता है आदेश, आर्डर कि यह कर, यह गवर्नमेंट सर्विसेज में और पैरा मिलीट्री में चलता है। दूसरा तरीका होता है उपदेश कि आप उसको बता दें कि तू अच्छा करेगा तो स्वर्ग में जाएगा और पाप करेगा तो नर्क में जाएगा। तीसरा तरीका होता है आचरण जो आप दूसरों से चाहते हैं उससे पहले स्वयं वह आचरण प्रस्तुत करें इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आपने इसी सदन में घोषणा की थी कि इसी सत्र के अन्दर हम धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाएंगे। क्या हुआ आपके धर्मांतरण विरोधी विधेयक का? अभी जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य इमानुअल मिशन सोसायटी, कोटा के बारे में यहां बात कर रहे थे। माननीय सभापति महोदय, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और यह सदन भी जानता है कि इन्होंने जो इनकी मंशा थी, इनकी मंशा थी इनको निर्देश मिले थे, केशव विद्यापीठ जामडोली को प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाना है, यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल ले आए, सलेक्ट कमेटी में भी रख रखा कर आनन-फानन में पास करा लिया, धर्मांतरण विरोधी बिल लाने की खुद गृह मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि इसी सदन में इसी सत्र में लाएंगे क्यों नहीं लाए? पता है क्या आपको? आपको मालूम होगा। (व्यवधान) यह बैठे हैं जवाब ये दे देंगे, आप इस लायक नहीं हो। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, यह धर्मांतरण विरोधी विधेयक इसलिए नहीं लाए मैं बताना चाहता हूं कि 18 तारीख को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख के.सी. सुदर्शनजी ब्यावर आ रहे हैं। आप ब्यावर में वहां हिन्दू सम्मेलन कर रहे हैं और मसूदा, जवाजा और वहां ब्यावर के आस पास के काठात और चीता, मेरात और जो दूसरे लोग हैं, उनका शुद्धिकरण करने जा रहे हैं। अगर बिल ले आते तो स्थिति क्या होती, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह अखबार लिख रहा है कि एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी है लेकिन प्रशासन मौन है, यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह स्थिति सामने है इसलिए आप नहीं लाए इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं गृह मंत्रीजी बेचने के बाट दूसरे मत रखिए और खरीदने के बाट दूसरे मत रखिए. एक ही सिद्धान्त अपनाइए अगर आप जैतारण में जो हमारा मोहन मेघवाल मरा, वहां भी जाकर आप आंसू बहाने का काम करते और बूंदी में जाकर आप उस साबिर के यहां भीलवाड़ा के मौलवी की भी हत्या पर जाकर यह बात कहते तो हम यह कहते कि आपकी बात ठीक है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात इसलिए कहता हूं, अभी सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य बड़े जोर-शोर से उछल रहे थे, आपको यह भी पता है कि यह तिरंगे में तीन रंग किस चीज के प्रतीक हैं? है क्या जानकारी? है तो जरा बताओ। बताइये। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आसन को सम्बोधित करें। आप उनको क्यों उकसा रहे हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये जो पहले खुद ही उकस रहे थे।

श्री सभापति : वो बैठे हैं। आप उनको क्यों टोक रहे हैं और क्यों उनको उकसा रहे हो। माननीय सदस्य। (व्यवधान) आजाद साहब, आप कनक्लूड करें।

श्री मदन राठौड़ : आप क्या बताओगे. सब जानते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : सुन लीजिये जानते हो तो। मैं कहना चाहता हूं जो सुनिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि तिरंगे के जो तीन रंग हैं केसरिया हमारा शौर्य और बहादुरी का प्रतीक है, सफेद शांति का और भाईचारे का प्रतीक है और हरा तरक्की और खुशहाली का प्रतीक है। आपके झण्डे से तो सफेद आपने गायब ही कर रखा है इसलिए शांति और भाईचारा तो आपके नजदीक है ही नहीं। यह तो सिद्धान्त है आपका, यह आपने बना रखा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं और आपकी स्थिति तो यह है, मैं

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कहना तो नहीं चाहता था कि आप तो उदारवादी श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी को आप कट्टरपंथी लोग राजनीति से बाहर करना चाहते हो। जिद्द बहस छिड़ गई कि अटलजी तो संन्यास ले रहे हैं। हालांकि यह आपक अंदरूनी मामला है, आप जाने, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता लेकिन सभापति महोदय...

श्री सभापति : आप मुद्दे की बात करें। अटलजी और आडवाणीजी की क्या कर रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उदारवादी और कट्टरवादिता पर ही दंगे हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : आप बिराज जाएं माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : राजस्थान के कोई भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री और मंत्री समेत एक ने भी अटल बिहारीजी वाजपेयी के पक्ष में कोई बयान जारी नहीं किया सुदर्शनजी के बयान आने के बाद में। अगर किया हो तो बताओ।

श्री जोगाराम पटेल : आज महात्मा गांधी के नाम पर आपने जो किया है वो सोचो। आज महात्मा गांधी के नाम पर आपने जिन्ना की पैरवी की...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : अटल बिहारी के नाम पर वोट मांगने वालों आपने सुदर्शनजी के नाम पर थोड़े ही वोट मांगे थे, वोट तो अटल बिहारी के नाम पर मांगे थे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण। अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

श्री रामप्रताप कासनिया : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री तगाराम चौधरी : xxx

श्री सभापति : बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, आप विराजें। (व्यवधान) बिना आसन की अनुमति के न बोलें।

श्री रामप्रताप कासनिया : xxx

श्री सभापति : आप विराजें। मंत्रीजी अपने आप जवाब दे देंगे। आप बिराजिये। माननीय सदस्य, कनक्लूड करें आप। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : xxx

श्री महीपाल सिंह यादव : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

श्री सभापति : माननीय सदस्य। (व्यवधान) दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, आप बिना आसन की अनुमति के नहीं बोलें, बैठ जाएं। आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आप वाइंड-अप करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरे 15 मिनट तो इन्होंने खराब कर दिये।

श्री सभापति : कोई 15 मिनट खराब नहीं की। आपने 30 मिनट ले लिये। अब आप 2-4 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य कितना बोले और बैराठ से आने वाले माननीय सदस्य कितना बोले? मेरी पार्टी का समय है।

श्री सभापति : उनके हिसाब से ही आपको समय दे रहा हूं। आप पांच मिनट में खतम करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : 10 मिनट में।

श्री सभापति : और ऐसी बात नहीं करें जिससे सदन का समय खराब हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मुल्क की आजादी और मुल्क की तरक्की में अल्पसंख्यकों का कोई योगदान नहीं है क्या? क्या आप अशफाक उल्लाह खान की कुर्बानी को भी झुंठला सकते हैं? क्या बहादुर शाह जफर को आप जानते हैं? आप तो रोज महाराष्ट्र

पैटर्न की बात करते हो। मैं 10-15 साल से सुन रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, हकीम अजमल खां ने क्या योगदान दिया यह किसी से छिपा नहीं है। एयर चीफ मार्शल इदरीस हसन लतीफ को आप जानते हैं। कैप्टेन हमीद ने पाकिस्तान का टैंक तोड़ा वो आपसे छिपा नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री सभापति : मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप पांच मिनट में खतम करें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरे मुंह में कोई शब्द नहीं डाल सकता। मैं मेरे समय में मेरी जो बात होगी वो रखूंगा, आपको अच्छी नहीं लगे तो कान बन्द कर लें गलत लगे तो खण्डन कर दें। पुलिस की ही बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप आसन की तरफ सम्बोधित करें।

डा. जालमसिंह रावलोत : xxx

श्री जोगाराम पटेल : xxx

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, यह मैं नहीं, यह राजस्थान सरकार की...(व्यवधान)

डा. जालमसिंह रावलोत : xxx

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। शिव से आने वाले माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें।

श्री महीपाल सिंह यादव : xxx

श्री सभापति : यह आप क्या कह रहे हैं? यह आसन का काम है। आप विराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य. आपसे मेरा निवेदन है कि आप आसन को संबोधित करें और आप ऐसी बात नहीं करें जिससे फालतू में सदन में व्यवधान पैदा हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैं अब पुलिस की

(मोहम्मद माहिर आजाद)

बानगी के कुछ नमूने मय प्रमाणों के आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मंगलवार 14 मार्च को लोहार गली, बूंदी में साबिर नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई जिसमें वकील यदुनन्दन शर्मा, अजातशत्रु शर्मा, राजेन्द्र हाडा, ये मुल्जिम करार दिये गये। पुलिस ने रिमाण्ड लिया, सारी तफ्तीश हो गई। जब चालान पेश करने की स्थिति आई तो गृह मंत्रीजी ने चालान पेश नहीं करने दिया, चालान को रोकने का काम किया। ये जवाब दे दें कि ऐसा क्यों किया।

दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब भीलवाड़ा में बजरंग दल के अध्यक्ष राजू बैरवा की हत्या होती है तो आप उसकी पत्नी को डेढ़ लाख रुपये अनुगृह राशि के देते हैं। क्या साबिर की पत्नी को जिसके दो मासूम बच्चे हैं, आपने अभी तक एक भी पैसा दिया है? (व्यवधान) अब तो मैं पुलिस की बात कर रहा हूं फिर भी इसमें परेशानी है। माननीय सभापति महोदय, दूसरा केस रामावतार गोयल का अलवर में पेट्रोल पम्प लूटा गया और उसकी हत्या कर दी गई। बड़ी शर्म की बात है। निर्मम हत्या हुई 12 मार्च को। आपको मुल्जिमों को पकड़ना चाहिए चाहे वो कोई भी हो हम उसकी कोई हिमायत नहीं करते हैं लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या पूरा बेलाका गांव, पूरा मन्नाका गांव, पूरे के पूरे लोग, पूरा गांव दोषी है कि जो पूरे गांव के नौजवानों को लाकर के प्रताडित किया जा रहा है। जो दोषी है उसको सजा दें लेकिन बेकसूर लोगों को दण्ड नहीं यह भी सरकार की और गृह मंत्री की जिम्मेदारी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं तीसरा उदाहरण आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी को देना चाहता हूं कि जयपुर जिले की चाकसू तहसील में आजमनगर एक गांव है। इंसमें 3-4 पशुओं को कुछ बंजारे होते हैं वे चुराकर ले गये। लोगों को पता पड़ा कि उनके पास वो पशु हैं तो 5-7 लोग इकट्ठा होकर के गये। मालूम पड़ा कि उन्होंने बेच दिये। उन्होंने कहा कि जानवर तो हमने बेच दिये और लावारिश समझे और आपके हैं तो आप पांच हजार रुपये ले जाओ। उन्होंने कहा, ऐसे नहीं लेंगे, हम बात करेंगे। मुकदमा दर्ज करा दिया 53/05. दूसरी पार्टी गई, जाकर के उन्होंने थाने में कहा कि हमारा भी मुकदमा दर्ज कर लो। मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। 156(3) में कोर्ट में इस्तगासा पेश किया और इस्तगासा पेश करने के बाद कोर्ट ने आदेश दिये तब जाकर के 12.4 को मुकदमा नम्बर 82/05 दर्ज किया गया और वह भी 10 हजार रुपये लेकर के, मैं यह बात नामजद आपको कहना चाहता हूं। धीरेन्द्र सिंह शेखावत, 1000 रुपये की रिश्वत ली गई और उसके बाद भी एस.पी. से मैं खुद मिला, वहां के लोग मिले,

आई.जी. साहब से मिले कि आप इसके अलावा किसी से भी इसकी तफ्तीश करा लें क्योंकि इन लोगों ने खुद ने ही इस तरह का षड्यंत्र किया है लेकिन आज तक कोई न्याय नहीं मिला। अगर वह दोषी हैं किसी भी घटना के तो आप सजा दीजिये लेकिन दूसरी पार्टी का भी मुकदमा तो आपको कम से कम दर्ज करना चाहिए था। अगर गलत था तो आप एफ.आर. लगा देते, 182 में उल्टा उनके खिलाफ केस कर देते लेकिन इस तरीके से एकतरफा कार्यवाही चलती है, यह चल नहीं सकती।

माननीय सभापति महोदय, एफ.आई.आर. नम्बर 26/05 पुलिस थाना कामां, सबलाना गांव की 12 वर्षीया बालिका जो बी.पी.एल. परिवार से सम्बन्धित थी, अरशीदा पुत्री अजरूमेव, जिसके साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया और चूंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, भरतपुर ने 164 सीआर.पी.सी. भी बयान लेकर मुल्जिम मान लिया लेकिन उस अशोक पंजाबी को सिर्फ इसलिए आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं कि वह आपकी पार्टी का और आर.एस.एस. का कार्यकर्ता है। एक तरफ तो आप यह कहते हो कि अपराध करने वाला कितना ही बड़ा हो, कोई भी हो, उसको सजा दी जायेगी, उसको क्यों नहीं दे रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की सेमलाकलां पंचायत के पूर्व सरपंच महेन्द्रसिंह जाट की हत्या हो गई। मैं कई बार खुद गृह मंत्रीजी से मिला कि साहब, आज तक उसके हत्यारों का पता नहीं चल रहा है, बाजार भी बन्द रहे हैं, लोगों में रोष है लेकिन मैं कह रहा हूं टिल नाऊ, आज तक कोई मुल्जिम नहीं पकड़ा गया, कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मेरी कांस्टीट्यूएंसी में ही एक गांव है सेमली, उसमें लूट हो गई, डकैती हो गई, मैं खुद उन लोगों को ले जाकर एस.पी. भरतपुर से मिलवाकर आया था लेकिन आज तक उसकी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति : अब आप पाइण्ड-अप करें प्लीज। हो गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : पांच मिनट में, मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि कम से कम जो घोषणा हम यहां करें, उस पर अमल होना चाहिए।

आपने दिनांक 26.10.2004 को इस सदन में मेरे ही एक सवाल में घोषणा की

(मोहम्मद माहिर आजाद)

थी कि चूंकि जयपुर से अन्तरराष्ट्रीय उड़ान शुरू हो गई और जो राजस्थान के हज यात्री पहले दिल्ली से जाते थे, अब वह जयपुर से जाने लग गये। उनके ठहरने के लिए जयपुर में हज हाउस का निर्माण आज पैंडिंग है। आपने कहा कि एक महीने के अन्दर-अन्दर जे.डी.ए. से कनवर्जन कराकर नगर निगम से नक्शा पास कराकर काम शुरू करा दिया जायेगा। आज अक्टूबर चला गया, उसके बाद नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च चली गई, आज तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ? माननीय गृह मंत्रीजी, कृपया आप अपने उत्तर में इसका भी जवाब दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि आज तक पुलिसकर्मियों को वर्दी दी जाती थी और पूरे देश में दिल्ली को छोड़कर, बाकी सारे राज्यों के अन्दर सिलवाकर वर्दी दी जाती है और एस.पी. लेवल के ऊपर इसका कांट्रेक्ट होता है। अभी आपके पुलिस महानिदेशक महोदय ने 28 मार्च को एक आदेश निकाला है और उसमें यह लिखा है कि विभाग के कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक को देय नि:शुल्क वर्दी के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त पुलिसकर्मियों को वर्दी का कपड़ा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा और सिलाई कार्य पुलिसकर्मी अपने स्तर पर करायेंगे। उन्हें सिलाई हेतु सरकार द्वारा 95 रुपये प्रतिवर्ष प्रति पुलिसकर्मी को दिये जायेंगे। माननीय सभापति महोदय, जरा आप अंदाज करिये, एक पुलिस कर्मी को क्या-क्या सिलाना पड़ता है? 15 नग । एक पेन्ट सूती जीन की, कमीज सेलुलर सूती हाफ व फुल आस्तीन की, एक नैंकर सूती जीन की, कमीज टेरीकोट हाफ व फुल आस्तीन की, पेंट टेरीकोट की, गरम कमीज, अंगोला, गरम पेंट, सर्च बीडी। ये उसको कपड़े सिलाने पड़ते हैं। सभापति महोदय, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हजारों गरीब लोग जो अनुसूचित जाति और ओ.बी.सी. से आते हैं, माइनोरिटी से आते हैं, जिनका रोजगार ही यह वर्दी सीने से चलता था। आज 93 रुपये के हिसाब से तीन साल का पैसा उसको दे रहे हैं? कोई पुलिस कर्मी वर्दी सिलाने के लिए तैयार नहीं है? सिलती है क्या वर्दी? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अब यह कपड़े कौन सीएगा? अब ये कपड़े जो सीयेगा, वह आदमी ही सीयेगा?

मोहम्मद माहिर आजाद : आप मेरी बात पूरी हो जाने दें। मेरी बात पूरी हो जाने दें आप। (व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिये। नहीं, आपने

एक बात कह दी सभापति महोदय, पहले हजारों की तादाद में सीते थे तो कम रेट में सीते थे। एक-एक सिपाही सिलवाने जाएगा 93 रुपये के अन्दर इतने कपड़े अगर कोई सी दे तो मुझे भी पता बता देना, मेरे घर वालों को भी उसी के ले जाकर सिलवा लूंगा। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : आप पुलिस में हो क्या जो आप अपने कपड़े वहां पर सिलवाओगे? (व्यवधान) आप तो 500-500 रुपये दो प्रभु।

श्री हरिमोहन शर्मा : वह 93 रुपये तो उनके पास ही रहेंगे और डण्डे के जोर पर वैसे ही सिलवा ले आयेंगे।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि यह संविदा भंग हुई है। जो एस.पी. ने कांट्रेक्ट किया था, वह आज भी स्टैण्ड कर रहा है। कहीं पर उसका कार्यकाल खतम होगा अक्टूबर, 2005 में और कहीं पर होगा नवम्बर, 2005 में। आज यह कांट्रेक्ट ब्रीच आफ कांट्रेक्ट में आता है, यह करने का काम किया है।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं एफ.एस.एल. के बारे में, माननीय सभापति महोदय, पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जो अपराधियों को पकड़ने और अपराधियों तक पहुंचने का एक अहम माध्यम है, उसकी स्थिति जरा मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्रीजी की तवज्जोह चाहूंगा। यह विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कुल 336 पद हैं और इन 336 पदों में से 199 पद रिक्त चल रहे हैं। कब से डी.पी.सी. नहीं हुई? क्या वजह है? आखिर क्यों नहीं हो रही है यह? और इसके अलावा आपकी पेंडेंसी देखिये, आपकी पेंडेंसी क्या है? आपके 18000 मामले आज की तारीख में एफ.एस.एल. के अन्दर पेंडिंग हैं। माननीय सभापति महोदय, यह आंकड़े मैं आपकी किताब से दे रहा हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसे जी.ई.एम.एस. जिसकी कीमत 75 लाख रुपये है, आज तक उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। ऐसे ही कलर फोटो उपकरण हैं। बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो आपके विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वर्षों से, मै नहीं कहता कि आपने खरीदे हैं। हमारे टाइम में खरीदे हों या किसी के टाइम में खरीदे हों लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं हुआ। सिर्फ कमीशन के लिए खरीदे गये। एक बार

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आप उनका फिजिकल वेरीफिकेशन तो कम से कम कराइये कि आखिर उस एफ.एस.एल. की स्थिति क्या है और डी.पी.सी. कराइये और उन रिक्त पदों को भरने का काम कीजिये।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें प्लीज। माननीय श्री प्रहलाद गुंजल।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं दो मिनट में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। मैं दो मिनट में कन्क्लूड कर रहा हूं। साहब, कारागार पर तो मैं आया ही नहीं।

श्री सभापति : पौन घंटा हो गया आपको, पौन घंटा हो गया। देखा लिया मैंने।

मोहम्मद माहिर आजाद : सिर्फ दो मिनट, पौन घंटा नहीं हुआ, आप देख लें, कितने बजे बोलना शुरू किया, आप समय देख लें। सिर्फ दो मिनट में।

माननीय सभापति महोदय, पी.एच.क्यू. में क्रय समिति जो स्वयं ही खरीद करती है और स्वयं ही उसका प्रमाणन करती है। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि पी.एच.क्यू. के वित्तीय सलाहकार आर.के. सिंह को क्यों हटाया और उसने कुछ अनियमितता की तरफ अगर ध्यान दिला दिया तो आपने उसको हटाने का काम कर दिया। आज थानों के अन्दर कबाड़ इतना इकट्ठा पड़ा है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल वगैरह, इनको डिस्पोज कराइये।

जन समस्या समाधान शिविर चलाने की हमारे नये पुलिस महानिदेशक महोदय ने जब चार्ज लिया था तब घोषणा की थी कि पुलिस जन समस्या समाधान शिविर चलायेगी और पुलिस में जन सहभागिता अभियान चलाया जायेगा। अभी तक 1504 शिविर हुए हैं। यह एक अच्छा कदम है। मैं इसका स्वागत करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको व्यापक बनाया जाना चाहिए।

नकली नोटों के मामले में आपको कहा था कि उस बैंक मैनेजर का भी आप पता कीजिये। बैंक मैनेजर अगर खुद लिप्त होंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी?

दूसरा, एक महत्वपूर्ण सुझाव मैं आपको यह देना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी, आप भी इससे सहमत हैं कि जिस तरीके से हमको एफ.आई.आर. की नकल मिल जाती है सर्टिफाइड कापी, जो गवाह अपने बयान देता है, उन गवाहों के बयानों की भी सर्टिफाइड कापी मिलनी चाहिए क्योंकि आई.ओ. उसका बयान लिख लेता है, वह बोलता क्या है,

लिखता क्या है, बाद में उसके दस्तखत करा लेते हैं और इससे कई तरह की पेचीदगियां पैदा होती हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी होना चाहिए। उसके दस्तखत भी नहीं होते।

श्री रामप्रताप कासनिया : 161 के बयान में साइन नहीं होते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, नहीं होते हैं, मैं यही कह रहा हूं, यह चाहे जो लिख लेता है इसलिए उसकी भी सर्टिफाइड कापी देने का प्रावधान करना चाहिए गृह मंत्रीजी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में 350 में से 161 अभियोजन अब तक स्वीकृति हेतु पेंडिंग हैं। 1178 में से 1031 अभी तक न्यायालय में विचाराधीन हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं एक मिनट में कुछ सुझाव कारागार के सम्बन्ध में भी देना चाहूंगा। कैदी जेलों से भागते रहे हैं। पिछले वर्षों में कैदियों से जेल से भागने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। परामर्शदात्री समिति पेरोलोजी के लिए जो समिति हैं, उसकी नियमित बैठकें नहीं होती हैं। विधान सभा की समिति, और न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारी, मानवाधिकार आयोग जो निरीक्षण करके सुझाव देते हैं, उन पर कोई अमल नहीं होता है। जेलों में कुख्यात अपराधियों का साम्राज्य चलता है। जिन पर उनकी मेहरबानी होती है उन्हें पेड़ों पर पानी देने के लिए लगाते हैं और जिन पर नहीं होती है उनको मिर्ची कूटने के ऊपर लगाते हैं। पर्याप्त सुविधा मुहैया नहीं है। शिक्षित कैदियों के लिए आई.टी.आई. वगैरह का इंतजाम किया जाना चाहिए।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, उदयपुर और भरतपुर जेलों को और सुरक्षित करने के लिए केन्द्र सरकार ने आपको 1.50 करोड़ रुपये का अनुदान दिया था, आप उसका कोई उपयोग नहीं कर पाये, वह पैसा आपका लैप्स हो रहा है, उस पर अमल किया जाना चाहिए।

नागरिक सुरक्षा व गृह रक्षा तथा एन.सी.सी. के लोगों को भी आपको सुविधा मुहैया करानी चाहिए। अन्त में मैं आपको सभापति महोदय, आपकी इजाजत से एक शेर सुनाकर अपनी बात खतम करूंगा। एक शायर ने सही कहा है,

"अब एक स्कूल ऐसा भी चलाया जाये

जिसमें कुछ और नहीं, प्यार सिखाया जाये।

किसी मन्दिर में दीया ऐसा जलाया जाये

कि जिसके उजाले में कुरान पढ़ाया जाये।

रावणों की यहां वैसे भी कमी क्या है लोगों,

अब दशहरे पर तो रावण न जलाया जाये,

जो यह कहते हैं कि यह देश कुछ लोगों का है,

ऐसे लोगों को ही इतिहास पढ़ाया जाये।"

धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप शीशा लाकर उसमें शक्ल देखना।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपसे तो अच्छी लगेगी, आपसे अच्छी लगेगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसमें एक और जोड़ देते, मस्जिद में रामायण पढ़ाई जाय, थोड़ा और जोड़ देते बस, पूरी कविता हो जाती।

मोहम्मद माहिर आजाद : मस्जिद में दीया जलाओ तो उससे रामायण पढ़ाओ और मन्दिर में दीया जलाओ तो उससे कुरान पढ़ाओ। आदमियों से आज परिन्दे अच्छे, परिन्दों की जवानों में कोई मजहब नहीं होता, कभी मन्दिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या हाल कर रखा है आपने, कभी इधर और कभी उधर।

डा. दिगम्बर सिंह : आज यह भी पता लग गया कि सिलाई की मशीन आपने भी खरीद रखी है।

श्री सभापति : अब आपसे, गुंजल साहब, पहले ही निवेदन करूं कि 15 मिनट में आपको वाइंड-अप करना है। मेरा निवेदन है सभी माननीय सदस्यों से कि चालीस माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और अगर पांच-पांच, दस-दस मिनट में पूरा करेंगे तो भी रात के बारह बज जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपसे; मेरे से पहले माननीय सदस्यों को एक-एक, आधा-पौन घण्टा टाइम जैसे इनको दिया, अब आप लोगों से मेरा निवेदन है कि पन्द्रह मिनट में घंटी बजाऊंगा और पन्द्रह मिनट में अपना कम्पलीट कर दें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : सभापति महोदय, पहले लोगों को आधा-आधा, पौन-पौन घंटा का समय दिया है आपने और यह इस प्रकार से ठीक नहीं है, बाद में बोलने वाले हैं उनको आप घंटी पर घंटी दिये जाते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसा है पहले उपाध्यक्ष महोदय ने दे दिया, अब आप शुरू करें। बातें आ गई, आप तो सुझाव दें सरकार को।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : माननीय सभापति महोदय, आज अनुदान की मांग संख्या 16 पुलिस और मांग संख्या 17 कारागार पर चर्चा हो रही है, आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया, मैं आभार व्यक्त करता हूं। बोलने से पहले ही समय सीमा जो तय की है और निश्चित रूप से मैं आसन के आदेशों की पालना करूंगा। वैसे भी, माननीय सभापति महोदय, अभी चर्चा में भाग लेते हुए बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य और नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने पुलिस विभाग की चर्चा पर काफी व्यापक प्रकाश डाला है। (व्यवधान) जौहरी बाजार से आने वाले। जौहरी बाजार।

माननीय सभापति महोदय, सरकारी सेवा वर्ग में पुलिस ऐसा महकमा है जिसकी सर्वाधिक आलोचना होती है और आलोचना के भी बहुत सारे कारण होते हैं। वर्तमान में पुलिस की भूमिका और जिम्मेदारियां दोनों बढ़े हैं और बढ़ने के साथ-साथ समाज की अपेक्षा भी पुलिस से बढ़ी है। अभी माननीय सदस्य सभी चर्चा में भाग लेते हुए कह रहे थे कि हमारे यहां पुलिस थानों में नफरी का जो पैटर्न है वह 1974 की आबादी के आधार पर तय किया गया और आज हम 2004 पार कर चुके हैं। 1974 से लेकर 2004 तक जनसंख्या में दुगुनी से ज्यादा वृद्धि हुई, न केवल अपराध बढ़े बल्कि अपराध के तरीके भी बदले हैं और जब अपराध के तरीके बदले हों तो आवश्यकता इस बात की बड़ी हो जाती है कि हमें पुलिस के तौर-तरीकों को भी बदलना चाहिए। माननीय

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सभापति महोदय, अच्छा हो हम सब इस दिशा में चर्चा करें कि इस समय पुलिस एजेंसी की जिम्मेदारियां क्या हैं और पुलिस के सामने चुनौतियां क्या हैं। जिम्मेदारी और चुनौतियों के बीच में शासन का दायित्व क्या बनता है और जो पुलिस की राइट आर्म्स कहलाती है उसकी डिमाण्ड पर चर्चा करते समय हम उलझ जाय, अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, डकैतियां बढ़ी हैं, अत्याचार बढ़े हैं और मुकदमों के आंकड़ों के भ्रमजाल में हम यह साबित करने की कोशिश करें राजनीतिक इच्छाशक्ति के आधार पर और सरकारों का दायित्व फिक्स करने की कोशिश करें, माननींय सभापति महोदय, राजनीतिक दृष्टि से यह उचित हो सकता है लेकिन सामाजिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। अपराध समाज में कभी भी घट सकता है, आवश्यकता इस बात की है कि अपराध घटित होने के बाद अपराधी के खिलाफ कार्यवाही करने की पुलिस तंत्र की इच्छाशक्ति कैसी होनी चाहिए, अपराध घटित होने की सम्भावनाओं पर नियंत्रण करने की सरकार की कार्य योजना कैसी होनी चाहिए, यह एक अहम सवाल है और इस दृष्टि से, माननीय सभापति महोदय, अगर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती, चिन्ताजनक स्थिति बनती है, अभी खूब आरोप-प्रत्यारोप लगे कि आपने 2004 के पुलिस प्रतिवेदन में इस बात को स्वीकार किया है 2004 में अपराध की घटनाएं बढ़ीं। माननीय सभापति महोदय, अपराध बढ़े हैं, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, अन्तरराष्ट्रीय सीमा से तस्करी और कई प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं, अन्तरराज्यीय सीमा से गैंगवार बढ़ी है, समाज की मानसिकता भी दूषित हुई है। अपराध किसी भी वृत्ति का हो सकता है, इसको सरकार के जिम्मे थोपकर राजनीतिक मंशा की पूर्ति करना तो ठीक है लेकिन सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण प्रश्न जब खड़ा हो जाता है, हमें इस अहम प्रश्न पर आज चर्चा करनी चाहिए, जब इस व्यवस्था में बैठे हुए लोग अपराध की वृत्ति में शामिल हो जायं। पिछले शासन में क्या हुआ, घटनाएं समाज को दिशा देती हैं। घटनाएं समाज की मानसिकता को बदल देती हैं, जब एक पांच सितारा होटल में डाइरेक्टर जनरल आफ पुलिस के बेटे ने एक दम्पत्ति के सामने उसकी जवान बेटी के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया। जब इस प्रकार की घटना समाज में, अखबारों में छपती हैं और समाज को जब इस बारे में पढ़ने को मिलता है कि डाइरेक्टर जनरल आफ पुलिस का बेटा किसी बाप और मां के सामने बेटी की इज्जत लूटने का प्रयास करे, छेड़छाड़ करने की कोशिश करे और चूंकि वह शासन तंत्र के मुखिया के पद पर बैठा है पुलिस के, इसलिए उसके बेटे के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो, राजनीतिक सत्ता को उसे चुनौती के रूप में लेना चाहिए। उस समय नैतिक

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जिम्मेदारी बनती है इस राजनीतिक सत्ता की, समाज में इस प्रकार का विपरीत संदेश पैदा करने वाली घटनाओं को किस प्रकार से दबाया जाना चाहिए, किस प्रकार से समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया जाना चाहिए लेकिन माननीय सभापति महोदय, जब कोयले की दलाली में हाथ काले हैं तो किससे उम्मीद की जा सकती है। पिछले राज में गृह मंत्री के घर पर नौकर की हत्या हुई, क्या आज उस हत्या पर से पर्दा उठा?

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, यह करेक्ट कर लीजिये घर पर हत्या नहीं हुई थी।

श्री प्रहलाद गुंजल : घर के नौकर की। हां मैं करेक्ट कर रहा हूं।

श्री जुबेर खान : घर का नौकर रेलवे लाइन पर कहीं मृत मिला था। इसलिए माननीय सदस्य वो ही तथ्य लाइये जो तथ्य सही हो। गलत तथ्य सदन के सामन मत लाइये।

श्री प्रहलाद गुंजल : वो ही तथ्य ला रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह हत्या कहां हुई, लाश तो वहां मिलो?

श्री जुबेर खान : हत्या आपके गृह विभाग का काम है कि पता करे कहां हुई थी हमारी जानकारी में यह है कि लाश रेलवे लाइन के पास कहीं पड़ी मिली थी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हत्या कहां हुई थी यह अभी नहीं पता तो इसलिए हो जाएगी जांच। इनको रोको क्यों बोलने से।

श्री जुबेर खान : नहीं-नहीं। तो हो जाएगी लेकिन यह गलत मत कहिये कि घर पर हत्या हुई थी। गलत बात है।

श्री सभापति : ऐसा है माननीय सदस्य आपको इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है सब माननीय सदस्य जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो आपको कहना है टू द पाइंट कहें।

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय सभापति महोदय, यह बहुत बड़ा चुनौती भरा सवाल है। संदेश का प्रश्न होता है। राजनीतिक इच्छाशक्ति और राजनीतिक मंशा हम हमारी लोगों तक संदेश के रूप में पहुंचाते हैं और जब आम आदमी के मन में यह विश्वास पैदा हो जाए कि हत्या के तार अगर किसी सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति से जुड़े हों तो कानून उस पर पर्दा डालने की चेष्टा करता है। सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति से सम्बन्ध रखता हो किसी प्रकार का हत्या से उसका कोई रिश्ता-नाता हो, समाज कोई सवाल उससे पूछने की चेष्टा करे और कानून उस पर पर्दा डालने की कोशिश करे। एक बहुत चिन्ताजनक सवाल है। इस प्रकार की घटनाएं चाहे राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के राज में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के राज में हो यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान की जनता का कानून में विश्वास बना रहे, राजस्थान की जनता का इस विधायिका में विश्वास बना रहे। कानून और विधायिका में राजस्थान की जनता का विश्वास बना रहे इसलिए राज में बैठे हुए व्यक्तियों को निष्पक्ष रूप से कानून की व्याख्या करनी चाहिए और अपराधी कितना ही बड़ा राजनीतिक सत्ता की पहुंच रखने वाला व्यक्ति हो अपराधी को अपराधी के नजरिये से देखा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि पुलिस के महकमे पर चर्चा के समय जब इस प्रकार की महत्वपूर्ण चर्चा होती है तो हम राजस्थान की जनता को यह संदेश देने का प्रयास करें। राजस्थान के किसी भी कोने में अपराध की किसी भी घटना से जुड़े हुए व्यक्ति चाहे वो राजनीतिक सत्ता में कितनी ही बड़ी पहुंच रखने वाला हो, चाहे पुलिस तंत्र के मुखिया का बेटा क्यों नहीं हो अगर वो अपराध करता है तो कानून उसको अपराधी के रूप में ट्रीट करेगा लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं पिछले राज में हुई लोगों का विश्वास उठा। लोगों को निराशा हुई कि कानून की रक्षा करने वाले लोग, कानून की पालना करवाने वाले लोग आज भी माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता के सामने सवाल कौंध रहा है उस बदनसिंह की और गरीब की रूह इस राजस्थान के सदन से न्याय की भीख मांग रही है। कौन उसके लिए जिम्मेदार है यह महत्वपूर्ण सवाल है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, अभी मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं।

श्री सभापति : 14 मिनट हो गये 14 मिनट।

श्री प्रहलाद गुंजल : 5 मिनट हुए हैं।

श्री सभापति : आपके कहने से क्या होगा।

श्री प्रहलाद गुंजल : मेरी घड़ी से मैं देख रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, इन सारी परिस्थितियों में हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस का काम ठीक हो और पुलिस का व्यवहार ठीक हो तो हमको इस दिशा में भी प्रयास करना पड़ेगा कि पुलिस के सामने क्या-क्या चुनौतियां हैं। पुलिस के सामने क्या क्या किस प्रकार की कठिनाइयां हैं। आज पुलिस का काम खाली कानून-व्यवस्था बनाये रखना नहीं हो गया। पुलिस सामाजिक विधान का काम करने लगी है चाहे मन्दिर मस्जिद का फंक्शन हो, चाहे किसी वी.आई.पी. का आगमन हो, चाहे कोई सांस्कृतिक मेले का आयोजन हो और इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, परीक्षा की व्यवस्थाओं में भी अब पुलिस का काम बढ़ा है, खेल-कूद की व्यवस्था में पुलिस का काम बढ़ा है। जब हम समाज के हर काम के अन्दर एक सामाजिक विधान के रूप में पुलिस की भूमिका बनाना चाहते हैं और उसके बिना हम यह अपेक्षा करते हैं कि हमारे काम में व्यवधान पैदा होगा तो फिर हमको पुलिस को उसी रूप में सुसज्जित करने की आवश्यकता है और हमको आज इस बारे में गम्भीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। 1974 के हिसाब से पुलिस थानों की जो नफरी जो उस नाम्र्स के आधार पर बनायी थी उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, 1974 के बाद रीआर्गेनाइजेशन प्लान आफ स्टेट पुलिस, 1994 तैयार किया गया था। आज तक उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उस दिशा में भी कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ।

मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी से आज यह अपेक्षा करूंगा कि जिस प्रकार से समाज में अपराध बढ़े हैं, अपराधी बढ़े हैं और अपराध का पैटर्न आइमेंशन चेंज हुआ है गेंगवार, तस्करी इन चुनौतियों में पुलिस के स्वरूप को बदलने के लिए एक नया कंसेप्ट लेकर आयें। जिस प्रकार से सभी माननीय सदस्य चिन्ता कर रहे थे आज अपराध किस रूप में सशक्त है उनके अपराध करने के आधुनिक तरीके हैं और हम पुलिस का आधुनिकीकरण करने में आज भी उन अपराधियों की तुलना में बहुत पीछे हैं। मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूंगा आभार व्यक्त करना चाहूंगा मांननीय मुख्य मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी का कि उन्होंने इस बार प्रावधान किया है और इस बारे में चिन्ता व्यक्त की है और आवश्यकता महसूस की है पुलिस के आधुनिकीकरण की।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय सभापति महोदय, पुलिस केवल कानून व्यवस्था को बनाये रखने वाली एक एजेंसी नहीं है। पुलिस समाज में एक बहुत बड़ा ला एन्फोर्समेंट एजेंसी है और पुलिस की इस रूप में अगर भूमिका नहीं बनी तो माननीय सभापति महोदय, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सारे समाज में अराजकता का वातावरण पैदा हो जाएगा और इतने बड़े कठिन काम को करते समय अगर इस फोर्स को इस एजेंसी को असुविधाओं का सामना करना पड़े जितनी बड़ी कठिन ड्यूटी इसके सामने खड़ी है उस रूप में इसको सुविधाएं नहीं मिले, माननीय शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य चिन्ता व्यक्त कर रहे थे उनका सोशल जीवन है, सामाजिक दायित्व उनके हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई का उनके परिवार की सार-सम्भाल का और इस बारे में सरकार को निश्चित रूप से चिन्ता करनी चाहिए, इस दिशा में मैं समझता हूं। कारागाह पर संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा।

माननीय सभापति महोदय, सरकार को पुलिस एजेंसी को मजबूत करने के बारे में उसकी समस्याओं के समाधान की ओर ध्यान देना चाहिए। आज कारागाह की स्थिति बड़ी चिन्ताजनक है। माननीय सभापति महोदय, हम यह कल्पना करते हैं कि समाज में कोई व्यक्ति अपराध के रास्ते पर चलता है और कानून की भाषा में जिसको दण्डित किया जाता है। दण्डित करने के बाद उसको जेल में सुधारगृह के रूप में उसके आचरण में सुधार लाने के लिए रखा जाता है लेकिन पिछले दिनों में जिस प्रकार की अखबारों में खबरें छपीं और पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार का सिलसिला जेल की व्यवस्था के बारे में चल रहा है यह बहुत चिन्ताजनक विषय है। अभी सरकार ने निश्चित रूप से जेलों की व्यवस्था में सुधार करने के लिए, जेल के आंतरिक तंत्र में जिस प्रकार की खराबी है उसको दुरुस्त करने के लिए बहुत आवश्यक कदम उठाये हैं लेकिन इसके बाद आवश्यकता इस बात की है जेलों में नयी भर्ती की आवश्यकता है पुलिस के साथ-साथ। आज 30-30 साल पुराने संतरी काम कर रहे हैं। जेलों में पुलिस के स्टाफ की कमी है। एक और बड़ी मानसिक विकृति उनके दिमाग में इसलिए आ गयी कि माननीय सभापति महोदय, 1998 के बाद जेल के सिपाही और पुलिस के सिपाही के वेतन में एक असमानता कायम कर दी। जेल का प्रहरी यह महसूस करता है कि उसकी ड्यूटी पुलिस के सिपाही के बराबर की ड्यूटी है और 1998 से पहले सारे वेतनमान पुलिस के सिपाही के समान थे। आज 1998 के बाद उसका वेतनमान पुलिस के सिपाही की तुलना में कम हुआ है। समय-समय पर सरकार के ध्यान में यह विषय लाया गया। मैंने पिछली बार भी कहा।

श्री सभापति : आप अब समाप्त करें।

माननीय श्री जालम सिंह रावलोत (अनुपस्थित)

श्री प्रहलाद गुंजल : इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करके इस वेतन विसंगति को दूर किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत : बोलना है क्या? आप पहले यह कह दें। मैं जब भी बोलने के लिए खड़ा होता हूं और टोका-टाकी चालू हो जाती है। कोई विशेष बात हो तो बात कह दें आप।

श्री सभापति : टोका-टाकी, मैं आपसे पहले निवेदन कर रहा हूं कि 15 मिनट में आप पूरा करें प्लीज अब क्या है कि बार-बार रिपीटीशन हो रहा है।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं जितना आप कहते हैं उतना ही बोलता हूं पर दूसरे माननीय सदस्य जितना आप कहते हैं एक-एक घंटा, सवा-सवा घंटा बोलते हैं उसका क्या होगा। यह सब मर्यादाएं हमारे लिये ही है क्या।

श्री सभापति : आप भी बता देना कल पहले आपको बुला देंगे।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय सभापति महोदय, मैं आज पुलिस और कारागृह पर जो मांग रखी गई है उसके बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। पुलिस के हमारे देश में विविध काम है। हमारे प्रान्त की सुरक्षा करना, आन्तरिक सुरक्षा करना, लोगों के जानमाल की हिफाजत रखना, दौड़ भाग करना, वी.आई.पी. ड्यूटी करना, बच्चों के एग्जाम ठीक ढंग से कंडक्ट हो जाये उसके लिये सनद रहना, लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन नहीं बिगड़े उसके लिये भी तैयार रहना पता नहीं मल्टीफेरियस एक्टिविटी हमने पुलिस के कंधों पर थोप दी है। मैं चाहूंगा कि उनकी एक्टिविटी को कुछ रेस्ट्रिक्ट की जाये। दूसरी सेवाएं दूसरे लोगों से भी ली जा सकती हैं। महज वी.आई.पी. ड्यूटी, कोई प्रकार की ड्यूटी है वह दूसरे लोगों से होम गार्ड से लें और किसी से भी आप भर्ती करके उनसे लें। एक आदमी की क्षमता होती है कि 8 घंटे कर लेगा, 10 घंटे कर लेगा, 24 घंटे उसके बैल्ट बांधे रखो और बराबर सनद रहो उसके बाद प्रतिदिन कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन पुलिस पर कोई न कोई चर्चा नहीं होती हो, पुलिस की बदनामी करने में नहीं चूकते हो या पुलिस पर दोषारोपण हम सब कमोबेश करने लग जाते हैं।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं यह पुलिस हमारी है और महात्मा गांधीजी ने पुलिस के बारे में कहा है "जहां तक पुलिस के कार्य का सम्बन्ध है वे न तो मुसलमान हैं न हिन्दू, न सिक्ख वह क़ेवल भारतीय हैं जो धर्म की ओर ध्यान दिये बिना दुखियों को पूरा-पूरा संरक्षण प्रदान करने की शपथ से बंधे हुए हैं।" उन्होंने एक शपथ ली है कि हम देश की सोवरनिटी के साथ-साथ जनता की जानमाल की हिफाजत करेंगे और उसके पश्चात् सारा काम वे लोग करते हैं। आज देखने में क्या आता है सन् 1971 में हमारी आबादी पोने तीन करोड़ के आस पास थी। आज हमारे प्रान्त की आबादी 6 करोड़ से ज्यादा के आस पास हो गई है। उस समय 38-39 हजार लोग पुलिस में थे और आज की तारीख में 75 हजार लोग ही पुलिस में है अधिकारियों सहित, यह काफी कम है। 710 और 15 जो 1971 या 74 में थे आबादी के हिसाब से 714 की आबादी पर एक पुलिसकर्मी हुआ करता था आज उस आबादी के हिसाब से यदि हम सोचे तो कम से कम आज की तारीख में 15 हजार पुलिस की भर्ती और होनी चाहिये तब जाकर हमारा काम पूरा होता है। मैं देखता हूं हमारे यहां थानों 12, 15 और 20 तो जहां तक मेरे विधान सभा क्षेत्र का सवाल है उसमें नहीं है। वह सुबह से शाम तक कहीं सम्मन दो, कभी यह करो, कभी वो करो, इधर जाओ, उधर जाओ कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें यह नहीं रहते हो।

मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इनकी नफरी बनाने की कोशिश करें। आजकल सोफिस्टिकेटेड आर्म्स हो गये हैं और आर्म्स है नहीं। गाड़ियां ऐसी हैं ढच्चर, छोटी मोटी मिनी बसे भी उनको दे रखी हैं वह भी वैसी ही चलती हैं और जीपे दे रखी हैं एसकोर्टिंग करने के लिये भी या और किसी भी काम के लिये उसको भी धक्के दे देकर चलाना पड़ता है। वी.आई.पी. की गाड़ी बहुत फास्ट चलती है उसके साथ वह चल नहीं सकते इसलिए उनमें अन्तर इतना रह जाता है उनकी गाड़ी 40 की स्पीड से चलती है और वी.आई.पी. की गाड़ी 75 की स्पीड से चलती है, कहां उसका मुकाबला है। ऐसे में उनसे यह उम्मीद करें कि बहुत अच्छा हम लोग उससे कोई काम ले पायेंगे मुझे नहीं लगता।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अपराधों की संख्या तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के साधन बढ रहे हैं, ब्रोडगेज का काम बढ रहा है, जनसंख्या बढ ही है, होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है पर हमें उस पर नियंत्रण रखने के लिये कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। 1 लाख 54 हजार केस सन्

(श्री शांतिलाल चपलोत)

2004-05 में दर्ज हुए पर हम यह नहीं कह सकते कि वह संगीन अपराध थे उसमें से लाख 8 हजार 107 के मुकदमे हैं। 107 का काम 6 महीने बाउण्ड करना या 6 महीने तक शांति बनाये रखोगे इस प्रकार के सम्मन जारी करना होता है। 14696 इस्तगासे 110 के और 32 आदतन अपराधियों के। मैं यह कहना चाहता हूं जो संगीन प्रकृति के मुकदमे हैं वह कम हुए हैं जैसा कि अभी जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य सुना रहे थे और पढ़-पढ़ कर सारी बात उन्होंने बता दी है। मैं उनको यह निवेदन करना चाहता हूं अपराधों में जो संगीन अपराध हैं उसमें अभी 2004 में कमी आई है। डकैती में कमी आई, लूट में कमी आई, नकबजनी में कमी आई और बलवे में तो बहुत कमी आई है। यह हमारे गृह मंत्रीजी का, पुलिस बल का और हमारी मुख्य मंत्रीजी का सोच है और उसी की वजह से उनकी जागरूकता की वजह से यह कमी आई है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पुलिसकर्मी कहीं-कहीं शहीद हो जाते हैं, एनकाउंटर में मारे जाते हैं। उन्हें या उनकी विधवाओं को अच्छा सा पैकेज मिलना चाहिये। उनको भी उसी प्रकार से शहीद समझकर उनका सम्मान किया जाना चाहिये, उनकी विधवाओं को उसी प्रकार से अनुग्रह राशि या दयामूलक अनुदान दिया जाना चाहिये। गत वर्ष कुल मिलाकर 18 लाख का अनुदान दिया गया। मेरा आपसे निवेदन है कि जिन लोगों की 4500 वेतन श्रृंखला है, 9000 है या उसके ऊपर है उनको जो राशि दी गई है वह राशि कम है उसको थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिये। सभापति महोदय, मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं 2003-04 में केवल 802 करोड़ रुपया पुलिस विभाग के लिये था। 2004-05 में 875 करोड़ था और अब की बार 957 करोड़ के आस पास जा रहा है। इसी तरीके से 37 करोड़ हमारे कारागार विभाग के लिये है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं इसमें थोड़ी बहुत और बढ़ोतरी की जानी चाहिये जिससे काम ज्यादा अच्छा हो सके।

मैं जानता हूं कि मेरी सीमा है और आप अभी घंटी बजायेंगे इसलिए आप घंटी न बजाये उसके पहले मैं समाप्त करना चाहता हूं। सभापति महोदय, हम राजस्थान के लोग 1000 किलोमीटर से ज्यादा बार्डर फेस कर रहे हैं। किसी भी प्रान्त को इतना बार्डर फेस नहीं करना पड़ रहा है। हमारी पुलिस चुस्त दुरुस्त रहे उसके लिये आवश्यक है कि हमारे बार्डर की सिक्योरिटी अच्छी हो। हम केन्द्र सरकार से मांग करें किसी भी प्रान्त को इतना बार्डर फेस नहीं करना पड़ता है और फिर हमारे रेगिस्तान की स्थिति है। आधी पहाडियां नंगी हैं और 51 परसेंट बल्कि 60-70 परसेंट एरिया हमारा रेगिस्तान का

(श्री शांतिलाल चपलोत)

है तो राजस्थान को विशेष पैकेज दिया जाना चाहिये और दूसरे प्रान्त भी मान लो बोर्डर फेस कर रहे हैं, जैसे नेपाल बोर्डर फेस कर रहा है, तो नेपाल से इतनी माथापच्ची नहीं होती जितनी आये दिन हमारे ही भाई अलग हुए पाकिस्तान के रूप में उनसे होती है। हजार किलोमीटर का बोर्डर उनसे फेस करना पड़ता है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है बोर्डर में हिन्दुमल कोर्ट जो स्थान है उनको, मुनाबाग को, जैसलमेर के एरिये को, बाड़मेर के एरिये को विशेष पैकेज देकर, उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम होना चाहिए। वहां पर बोर्डर की सिक्योरिटी के लिए इक्यूपमेंट भी अच्छे हो।

वहां जो जीपें दी जाती हैं वह भी थोड़ी अच्छी हों। जो लोग पुलिस में अच्छे चुस्त दुरुस्त हैं उनमें से छांटकर उन लोगों को बोर्डर पर दिया जाना चाहिए। यदि यह होगा तो मैं समझता हूं कि हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन पुलिसकर्मियों के प्रति भी हमें थोड़ा सा भाईचारे का भाव रखना चाहिए। यह कोई अलग नहीं है। मैं एक लाइन कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सरदार पटेल ने कहा है...

"Whatever the provocation, I would appeal to you to remain cool. It is the prime duty of the police. Who loses his temper, no longer remains a policeman." उन्होंने कहा है कि जो टैम्पर लूज कर देता है वह पुलिस में नहीं रह सकता और यह लोग कितने कूल रहने चाहिए उसके बारे में भी उन्होंने कहा है। कितना प्रोवेकेशन होता है, गालियां भी देते हैं, लोग पत्थरबाजी करते हैं उसके बाद भी वे टैम्पर लूज नहीं करते। इसी तरीके से अलग-अलग समय पर अलग-अलग लोगों ने कई बातें उनके लिए कही हैं।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उनके लिए विशेष पैकेज देकर उनको हम जितनी सहायता कर सकें करनी चाहिए। आज पुलिस को रिआर्गनाइज करने की आवश्यकता है। राजगोपालाचार्यजी ने कहा है आज हम बलिदान और देशभक्ति के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें कानून और व्यवस्था के विनित प्रहरियों को खामोश बहादुरी के साथ अपना बलिदान देना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे पता है कि आप बार-बार मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री बृजकिशोर शर्मा।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : सबको ध्यान है समय सीमा, मेरे बोलने के पहले ही समय सीमा कर रहे हैं, तो मंत्री महोदय मेरा क्या होगा? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्टार्ट करें।

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 पुलिस विभाग की कटौती पर चर्चा हो रही है, उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह सरकार नैतिक मूल्यों की दुहाई देकर और बहुत अंधेरे से उजियारे के असत्य वायदे करके 2003, दिसम्बर में सत्ता में आई लेकिन बहुत ही कम समय में मात्र 15-16 महीने के अन्दर आज इस सरकार की ऐसी हालत हो गई है कि जो पुराने जमाने की कहावत थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी-टका सेर खाजा (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : पोपाबाई का राज जब था क्या, फिर आज क्या है... (व्यवधान)

श्री सभापति : हरिमोहनजी।

श्री बृजकिशोर शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि (व्यवधान) मैंने शुरूआत गलत की है, ऐसा लगता है मंत्रीजी आपको चुभ गई है।

श्री सभापति : आप तो आसन की तरफ देखकर...

श्री बृजकिशोर शर्मा : मेरे को डिस्टर्ब करेंगे तो मैं क्या करूंगा?

श्री सभापति : आपको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, आसन का काम है उनको देखना।

श्री बृजकिशोर शर्मा : तो रोकिए, मंत्री मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो आप सोचे सरकार की क्या हालत होगी।

श्री सभापति : आप शुरू करें।

श्री बृजकिशोर शर्मा : जिस सरकार के अन्दर इकबाल नहीं होता, जब इकबाल सरकार का नहीं होता है तो यही हालत होती है जो इस सरकार की हो रही है।

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

आज दिन दहाड़े हत्या, चोरी, डकैती, महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के सुहाग की निशानी को इस तरीके से तोड़ा जा रहा है जिस तरह से गाजर-मूली को खेत में से तोड़ा जाता है।

मोटरसाईकिल की चोरी, गाडियों की चोरी तो एक आम बात हो गई है, यह तो एक छोटा सा उदाहरण है। अब तो ए.टी.एम. को लूटा जा रहा है, इससे ज्यादा सरकार के लिए क्या शर्म की बात होनी चाहिए।

मैं जयपुर के अन्दर पिछले दिनों 17 मार्च को मेरे पास के ही, आदर्श नगर थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर उस हत्या का जिक्र कर रहा हूं जिसके अन्दर दिन दहाड़े जवाहरात के व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मनीष गुप्ता नाम के आदमी की नहीं, उसके पिताजी को उसके साथ स्कूटर पर थे उसके ऊपर भी गोली चलाई गई और आज तक उन हत्यारों का कोई पता नहीं लगा।

माननीय, वह रिवाल्वर, ऐसे तीन लोग जो मोटरसाईकिल पर हत्या करके चले गये उन्होंने जो पिस्तौल काम में ली वह पिस्तौल जिस तरीके से रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक वह पिस्तौल विदेशी थी। जयपुर में दिन दहाड़े हत्या, राजस्थान में दिन-दहाड़े हत्या, शहर में दो दिन में दो हत्याएं हुई हैं, यह 14 नवम्बर का दिन।

आमेर थाने में 21 फरवरी को हत्या हुई। खेत में सो रहे वृद्ध की हत्या हो गई। यह एक और मामला। वृद्धा की हत्या करके पचास हजार के गहने लूट लिये गए यह एक मार्च का किस्सा। सांगानेर में सशक्त बदमाशों ने उत्पात मचाकर एक का सिर फोड़ा, यह भी बहुत पुरानी घटना नहीं है, 24 नवम्बर की घटना है।

आज तो हालात यह है कि विधायक के भाई की भी हत्या कर दी जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी। बच्चों को, छात्र को गला रेतकर, पहले तो सुना करते थे कि बकरे को इस तरीके से काटा जाता है। आज तो इन्सान इस हालत में पहुंच गया है कि छात्र की रेतकर, आरी चलाकर हत्या की गई। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है।

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी 4 अप्रैल को युवती की हत्या कर लाश को सड़क के किनारे पर डाल दिया जाता है, और भी ऐसी कितनी ही हत्याओं के मामले मैं

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

आपको गिनाऊं तो शायद कल सुबह तक का दिन निकल जाएगा लेकिन फिर भी इतने में आपको प्रकरण नहीं बता पाऊंगा।

4 अप्रैल को ही ए.टी.एम. तोड़कर 9 लाख रुपये लूटे गए हैं यह सरकार, यह पुलिस उसको देखती रही और आज तक किसी अपराधी को नही पकड़ा गया। बड़े शर्म की बात है।

मेरे ही प्रश्न के उत्तर में, मंत्रीजी के जवाब में पिछले साल 75 घटनाएं महिलाओं की चैन तोड़ने की हुई जो आज तक के इतिहास में, राजस्थान के आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी घटनाएं आज तक कभी नहीं हुई और शर्म की बात यह है कि एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया।

सभापतिजी, और भी एक सनसनीखेज मामला आपके माध्यम से सदन में लाना चाहता हूं, मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि देह व्यापार के किसी भी मामले में, अगर कोई भी मामला किसी भी थाने में इन्चार्ज के क्षेत्र में हुआ तो उस थाने के इंचार्ज को, वहां के लोगों को मैं उसका दोषी ठहराऊंगा और वहां से उसका तबादला करके उसके साथ कार्यवाही करूंगा। आज मेरे उत्तर में, मेरे ही प्रश्न के उत्तर में मंत्रीजी ने जो 2003 में कुल 20 घटनाएं हुई थीं वह आज बढ़कर 34 घटनाएं अकेले जयपुर शहर में हुई हैं। अकेले जयपुर शहर में देह व्यापार की 34 घटनाएं हुई हैं और वह 34 घटनाएं 16 थानों में हुई हैं। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन 16 थानों में एक पर भी ऐसी कोई कार्यवाही की गयी, ऐसी कोई जवाबदेही दी गयी उनके ऊपर जिससे लोगों को यह लगे कि सरकार जग रही है। मैंने इसलिये ठीक कहा है, मैंने इसलिये कहा है कि सरकार "अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा"।

श्री अमराराम चौधरी : वह पानी तो आपने ही डाला था, जो वह दीवार ढही ना, उसमें चूने का पानी, जिसके नीचे बकरी आयी।

श्री बृजकिशोर शर्मा : मेहरबानी करके आप विराजें।

सभापतिजी, अब सरकार की यह हालत हो गयी है कि सी.एम. के ओ.एस.डी. को भी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये घण्टों थाने में इन्तजार करना पड़ता है। मैं आपको यह घटना पढ़कर सुना रहा हूं और यह बहुत दूर की नहीं है। 14 फरवरी को सोड़ाला थाने पर, सोड़ाला पुलिस के कारनामे आपको सुना रहा हूं। ले-देकर मामला निपटाने की

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

नसीहत दी तो आई.जी. के कहने के बाद वह सी.एम. के ओ.एस.डी. की रिपोर्ट लिखी गयी। इससे और क्या शर्मनाक बात राजस्थान के लिये और इस सरकार के लिये हो सकती है। अगर सी.एम. का ओ.एस.डी. घण्टों इन्तजार करे, सी.एम. के ओ.एस.डी. को थानेदार या इंचार्ज या कोई भी पुलिस महकमें का आदमी यह कहे और उसको 2-2 घण्टे इन्तजार करना पड़े तो आप अन्दाज लगा सकते हैं फिर राजस्थान के आम आदमी की क्या हालत होगी। चोरी डकैतियां तो कितनी हुई हैं, इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव के घर को भी नहीं बख्शा जाता है। मंत्री महोदय पधार गये, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और खास तौर से मंत्रीजी, इसलिये पहले नहीं बोला कि जिस तरीके से यह हत्याएं होती हैं उन हत्याओं में आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि उनके परिवार के आश्रित लोग हैं उनके लोगों को, उनकी विधवाओं को आप सरकार के अन्दर कोई नौकरी दें जिससे वह परिवार बर्बाद होने से बचे।

मुझे बहुत खेद हो रहा है कि जब से राजस्थान की महिला मुख्य मंत्री बनी हैं और महिलाओं पर किस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं, मैं इसका कुछ उदाहरण आपको पेश कर रहा हूं। दहेज के मामले में, यह कोई बहुत लम्बा पुराना मामला नहीं है यह 4/3 का ही मामला है। आपके ही आंकड़े बता रहा हूं मैं। दहेज के मामले में प्रतिदिन एक महिला की हत्या होती है। 19 महिलाओं को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है, 8 महिलाएं रोज छेड़छाड़ का शिकार होती हैं। 5 महिलाओं का रोजाना राजस्थान में अपहरण किया जाता है। एक महिला प्रतिदिन दहेज की मांग और प्रताड़ना की शिकार होती है और हर 8 घण्टे में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। हत्याओं के कुल मामले जो दर्ज हुए हैं उसमें से 379 मामले सिर्फ दहेज मृत्यु के हैं जो कि 26 प्रतिशत से ज्यादा है। सन् 2004 के अन्दर पूरे जो मामले 154859 अपराध हुए हैं उसमें से 13546 मामले सिर्फ महिलाओं के अत्याचार के हुए हैं और यह प्रतिशत कम नहीं है, यह 11 प्रतिशत है। मंत्रीजी, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो बलात्कार के मामले हुए हैं कुल हिन्दुस्तान की 6 स्टेट्स में 75 प्रतिशत, जितने हिन्दुस्तान में बलात्कार के मामले होते हैं उसमें से 75 प्रतिशत सिर्फ 6 स्टेट्स में होते हैं और उसमें राजस्थान सबसे ऊपर है। मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में थोड़ा संवेदनशील होइये। लड़कियों के अपहरण के मामले में राजस्थान का नाम, बहुत बढ़ाई की जा रही थी, मैं बहुत सुन रहा था। आज राजस्थान का नाम लड़कियों के अपहरण के मामले में देश में दूसरा है। महिलाओं की प्रति लाख की

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

आबादी के हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाए तो राजस्थान देश में पहला है। बड़ी तकलीफ होती है, मंत्रीजी, आपका नाम सुना- आप बहुत सुयोग्य मंत्री है और उसके बाद अगर आपके रहते इस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार होते हों तो राजस्थान का क्या होगा। पहले तो समझते थे कि हत्याएं आदमी ही किया करते हैं। अब तो देश की यह हालत हो गयी है कि महिला महिला की हत्या कर रही है।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री बृजकिशोर शर्मा : अभी तो मैंने शुरू किया है, सभापतिजी।

श्री सभापति : देख लीजिए, समय कितना हो गया है।

श्री बृजकिशोर शर्मा : मैं बहुत सुन रहा था और मैं निवेदन करना चाहता हूं। सभापतिजी, मैं यह बात कह रहा हूं, खुद मंत्री महोदय ने मंजूर किया है कि 2004-05 में जयपुर में 11 प्रतिशत अपराधों में वृद्धि हुई है। अब जयपुर का आम नागरिक अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है। आज जयपुर में जहां हैरिटेज हब और बन रहा है, जहां जयपुर में हम विदेशों से पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं अगर आज जयपुर में यह हालत रही कि 11 प्रतिशत का इजाफा हो अत्याचारों के मामले में तो किस तरीके से जयपुर का विकास कर सकेंगे? किस तरीके से जयपुर को एक पर्यटन सिटी और हैरिटेज सिटी के नाम से डवलप कर सकेंगे? इसलिये मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर विशेष तौर से ध्यान दिया जाए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 2003 के मुकाबले 2004 में 3 बलात्कार और 4 हत्याएं रोज हो रही हैं राजस्थान के अन्दर। बहुत दलितों की, शिड्यूल्ड कास्ट की और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बातें की जा रही थीं, बहुत बड़े-बड़े आंकड़े पेश किये जा रहे थे। लेकिन मैं मंत्रीजी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दलितों के मामले में राजस्थान, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें देश के अन्दर राजस्थान सबसे पहले नम्बर पर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आंकड़े कहां से लाये आप।

श्री बृजकिशोर शर्मा : यह आंकड़े आप जरा देख लेना। यह काम मेरा नहीं है, यह आपका है।

श्री हरिमोहन शर्मा : डिविजन तो हर साल ही मिलता है।

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय मुख्य सचेतकजी, मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट बता रहा हूं। यह उसमें लिखा हुआ है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो इससे वेरिफाई कर लेना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कब की है?

श्री बृजकिशोर शर्मा : यह 21.2.2005 को प्रकाशित हुई है।

श्री तगाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, आप समय वाला हमको भी बतायें कि किसको कितना समय दिया जा रहा है। हम फालतू में ही बैठ जाते हैं। (व्यवधान) क्या नम्बर आएगा कभी?

श्री सभापति : किसी को नहीं दिया जा रहा है ऐसे, माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री तगाराम चौधरी : कईयों को तो कितना ही समय दे दिया जाता है और कईयों को दिया ही नहीं जाता है।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में यह जयपुर का ही हवाला नहीं है। मैं पूरे राजस्थान की बात बता रहा हूं और राजस्थान के अन्दर माननीय मंत्रीजी भीलवाड़ा में कहकर आये थे कि अगर तीन दिन में अपराधियों को नहीं पकड़ा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं नहीं जानता हूं कि वह अपराधी पकड़े गये या नहीं? मैं नहीं जानता मंत्रीजी ने उसके बारे में क्या सोचा। बूंदी के बारे में भी यही हालात है। अलवर में भी यही हालत हुई। जयपुर के बारे में तो मैंने सारा जिक्र किया ही है और तो और वाहनों की डकैतियों के मामले में मैं कुछ उदाहरण माननीय सभापति महोदय, आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री बृजकिशोर शर्मा : मैं दो मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : दो मिनट में नहीं, आप एक मिनट में ही समाप्त करें।

श्री बृजकिशोर शर्मा : एक ही मिनट में समाप्त कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, 2002 के अन्दर जहां 1007 वाहन चोरी हुए थे, वहां 2004 में 1735, यानि दो साल के अन्दर 735 वाहन ज्यादा चोरी और डकैती हुई है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 2004 में?

श्री बृजकिशोर शर्मा : 2004 में, यह आंकड़े हैं। यह आपकी (व्यवधान) झूठे किताब के आंकड़े नहीं हैं, यह आपकी रिपोर्ट के आंकड़े हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : दिसम्बर, 2004 में कौन था?

श्री बृजकिशोर शर्मा : अकेले जनवरी की बात कर रहा हूं। अकेले 2005, जनवरी की बात कर रहा हूं। मोटरसाईकल, कारें चोरी गयी हैं (व्यवधान) स्कूटर चोरी हुए हैं 25 और 15 मोटरसाईकिलें, सिर्फ अकेले जनवरी की बात कर रहा हूं। याद कर लो आप क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों ने कम लोगों को साई दे दी होगी खरीदने की इसलिए यह कम हुए हैं। अब के ज्यादा साई दे देना, ज्यादा हो जाएंगे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने बहुत बड़ा जाल फैला रखा है। जाल बहुत बड़ा फैला रखा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप इस बहस को मजाक नहीं बनायें। माननीय सदस्य, आप अब समाप्त करें, प्लीज। माननीय श्री जियालाल बंशीवाल।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : वे आपके मित्र थे क्या?

श्री सभापति : सारी, नन्दलाल बंशीवाल।

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इस राजस्थान और जयपुर पर मेहरबानी करें और जो महिला मुख्य मंत्री बनी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अब आप मेरे पर मेहरबानी करें, मेरा नाम काल हो गया है।

श्री बृजकिशोर शर्मा : महिलाओं पर अत्याचार कम हो। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे टाइम दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अभी जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य आंकड़ों के माध्यम से बता रहे थे कि इतने सारे बलात्कार, इतनी सारी डकैतियां, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को आंकड़ा और भैंस को काकड़ा। आंकड़ा तो हमारे पास है, काकड़ा के बारे में आप विचार कर लीजिए।

मैं मेरी बात माननीय गृह मंत्रीजी को सीधे तौर पर धन्यवाद के रूप में कहना चाहता था लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी कार्यवश सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से मेरी बात को माननीय मुख्य मंत्रीजी तक पहुंचाना चाहता हूं। जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य एस.सी., एस.टी. के मामले को लेकर बड़े गम्भीर हो रहे हैं और यह विपक्ष के सदस्य गम्भीर हो रहे हैं। अभी बड़ी गम्भीरता से अपने विचार रख रहे हैं।

श्री सभापति : आप आसन की तरफ इंगित करें, उधर नहीं करें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं आपको ही सम्बोधन कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, जब मैं निर्दलीय के तौर पर वहां बैठा करता था और यह यहां बैठा करते थे तब इनको शर्म नहीं आती, इनको यह कहते हुए शर्म नहीं आती कि इनके एक उप मुख्य मंत्री थे शिड्यूल्ड कास्ट के, उनके क्षेत्र में एक दलित को घोड़े से उतारा, जब इनको शर्म नहीं आयी। बात कर रहे हैं एस.सी., एस.टी. की। एस.सी., एस.टी. के हितों की। एस.सी., एस.टी. के हितों की बात करते हैं तो मेरे पास बहुत विषय हैं पुलिस के ऊपर मगर मैं सीधे तौर पर आता हूं कि आपके कार्यकाल में, आपके शासन में जो आपने एस.सी., एस.टी. के ऊपर अत्याचार किये हैं, मैं उस पर अपने विचार रखना चाहता हूं सदन के अन्दर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वे मैदान छोड़ गये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय सभापति महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1995 में एक आदेश निकाला। वीरपाल सिंह चौहान बनाम भारतीय संघ

के केस में निर्णय दिया कि रोस्टर प्रणाली से पदोन्नति एस.सी., एस.टी. के कर्मचारियों की परिणति वरिष्ठता समाप्त की जाती है। रिजर्वेशन इन मैटर आफ प्रमोशन विथ कंसिक्वेंशल सीनियोरिटी, अर्थात् कंडिशन, एस.सी., एस.टी. से अपनी सीनियोरिटी रीगेन करेगा। इस संदर्भ में भारत सरकार ने दिनांक 30.1.1997 को सभी राज्यों को आदेश दिया कि इसकी पालना की जाए। उस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अन्दर सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1.4.1997 को आदेश जारी किया और यह लिखा कि इस आदेश को जारी तिथि से लागू किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, लेकिन राजस्थान पुलिस के अधिकारी और गृह विभाग के अधिकारियों ने मिलकर यह आदेश 1.4.1997 के बजाए 1985 से लागू कर दिया और इसमें बिलकुल ही उल्टा कर दिया जिससे क्या हुआ, माननीय सभापति महोदय, एस.सी., एस.टी. के जो सीनियर अधिकारी हैं उनको जूनियर अधिकारी से भी जूनियर बना दिया। अब उनकी मानसिक स्थिति क्या हुई होगी? माननीय सभापति महोदय, यह गृह सचिव, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और चीफ सैक्रेटरी इन्द्रजीत खन्ना जो थे, इनके शासन के अन्दर, उनके कहने से हुआ क्योंकि इनके मुख्य मंत्री में दम नहीं था कि इन्द्रजीत खन्ना, चीफ सैक्रेटरी इन्हें कुछ कह दें और उसके आदेश के खिलाफ वह कोई आदेश पारित कर दें। इनके मुख्य मंत्री +++ और कुछ शब्द जो कहूं, अच्छे नहीं होंगे इस सदन के अन्दर कहना तो...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : +++ मुख्य मंत्री थे आपके जिन्होंने हमारे एस.सी., एस.टी. के अधिकारियों को बिलकुल मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उनका आपने रिवर्शन कर दिया। माननीय सभापति महोदय, यह बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, एस.सी., एस.टी. के हितों की बात कर रहे हैं, यह एस.सी., एस.टी. के हितैषी बनते हैं। यह सोचते हैं कि एस.सी., एस.टी. इनका वोट बैंक है। एफ.डी.आर. है। आज मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आज यहां आपके एस.सी., एस.टी. के कितने एम.एल.ए. हैं और हमारी पार्टी के अन्दर कितने एम.एल.ए. हैं। आप गिनती करके स्वयं ही देख लीजिए। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय कितने एस.सी., एस.टी. के एम.एल.ए. थे और आपके पास कितने एस.सी., एस.टी. के एम.एल.ए. थे? इस बात का आप स्वयं आंकलन कर लें कि आपकी स्थिति खराब क्यों हुई है क्योंकि आपने एस.सी., एस.टी. के साथ न्याय नहीं किया है। आपने एस.सी.,

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

एस.टी. के अधिकारियों पर कुठाराघात किया है जिसके कारण से आपको यह दिन देखने पड़े कि आप विपक्ष में बैठे हैं और मैं यह कहता हूं कि अब भी अपनी मानसिकता सुधार लो नहीं तो इससे भी ज्यादा आपकी बुरी हालत होने वाली है। आप झूठे आंसू यहां पर मत बहाओ। एस.सी., एस.टी. के लिए रोओ मत। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप यह झूठे आंसू बहाना बन्द कर दो।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी, जब यह मामला उधर दिल्ली में पहुंचा तो जो आज हमारी मुख्य मंत्रीजी हैं, उस समय भारत सरकार के अन्दर कार्मिक मंत्री थीं। उनको जब यह पता चला कि हमारे प्रदेश के अन्दर एस.सी., एस.टी., के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो उन्होंने एक आदेश निकाला और उन्होंने भारतीय संविधान में 85वां संशोधन करवाया। माननीय सभापति महोदय, और उन्होंने यह आदेश निकालकर यहां पर भेजा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 16(4)(ए) के अन्दर संशोधन, परिणामिक वरिष्ठता, कंसिक्वेंशल सीनियोरिटी लागू करने व रीगेन फार्मूला समाप्त कर दिया और उन्होंने यह भी आदेश दिये 2002 में जो पूर्व में आदेश जारी किये गये थे वह 30.1.1997 के आदेश को निरस्त किया जाता है और यह माना जाए कि यह आदेश ही जारी नहीं किया गया। यानि, एस.सी., एस.टी. के जो अधिकारी थे उनकी सीनियोरिटी पहले की तरह यथावत रखी जाए लेकिन राज्य सरकार ने उस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस का शासन था यहां पर। दिल्ली में बी.जे.पी. का शासन था और एस.सी., एस.टी. का कभी न तो इन्होंने सोचा और न कभी भला सोचने की उनकी नीयत रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि न कभी इनकी नीयत ठीक थी और न नीयत अब ठीक नजर आ रही है। अब यह जो घडियाली आंसू रो रहे हैं क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं न, अब यह कह रहे हैं कि हमारा वोट बैंक खिसक गया। अब एस.सी., एस.टी. के हितों की बात करा तो शायद वापस हम सत्ता में आ जाएं, यह घड़ियाली आंसू अब रो रहे हैं, मगर जनता समझ गयी है। एस.सी., एस.टी. के लोग इनको अब अच्छी तरह से समझ गये हैं कि आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। अभी आप यह कह रहे थे कि हमारी कथनी और करनी में अन्तर है। आपके पोपाबाई का राज हमारी प्रदेश की जनता ने देख लिया, हमारे एस.सी., एस.टी. के लोगों ने देख लिया है इसलिए आपको विपक्ष में बैठा दिया।

श्री सभापति : आप आसन की तरफ देखें।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : झगड़ा हो जाएगा ऐसे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : नहीं, झगड़ा क्यों करेंगे? झगड़ा करेंगे तो मैं झगड़ा कर लूंगा उनसे? मैं उनसे डरता हूं क्या? मैं उनसे डरता हूं क्या? कौन झगड़ा करेंगे? लोढ़ाजी तो करेंगे नहीं, मेरे दोस्त हैं और सबसे ज्यादा वे लड़ते हैं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 21 जनवरी, 2002 को भारत सरकार ने जो आदेश जारी किये थे जो कि 30.1.1997 के आदेश को निरस्त किया था। उन्होंने जो आदेश दिये हैं 10 जून, 2002 को भारत सरकार ने पुन: राजस्थान को निर्देश दिये कि इस आदेश को लागू करें। कांग्रेस सरकार ने उसको लागू नहीं किया। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उक्त सभी आदेशों से मुख्य मंत्रीजी को अवगत करवायें। पुलिस विभाग के अधिकारी, जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं, जिनको प्रमोशन मिलना चाहिये, वास्तविक हकदार हैं और प्रमोशन अब ऐसे टाइम पर वह आ गये हैं कि कुछ लोग रिटायर हो गये। रिटायर होने जा रहे हैं। रिटायर होने के बाद उनको उसका लाभ मिलने वाला नहीं है, इसलिए उनको टाइम पर लाभ मिल जाये। उनको प्रमोशन मिल जाये। प्रमोशन से कोई यह तो नहीं है कि उनका कुछ हो जायेगा। मगर उनको मानसिक शांति मिलेगी। जो मानसिक प्रताड़ना वह झेल रहे हैं उससे उनको छुटकारा मिलेगा।

हमारी सरकार संवेदनशील है, हमारी मुख्य मंत्री संवेदनशील हैं। एस.सी., एस.टी. की पीड़ा को वह अच्छी तरह समझती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा जो मेरी बात है वह मुख्य मंत्रीजी तक पहुंचाई जाये। माननीय सभापति महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र की दो बातें रखना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र भी थोड़ा...

एक माननीय सदस्य : गड़बड़ी है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : गड़बड़ तो नहीं, गड़बड़ी तो कांग्रेस के राज में हो गयी क्योंकि कांग्रेस के चार-चार एम.एल.ए. थे, तीन मंत्री थे, एक मुख्य सचेतक थे,...

श्री सभापति : अब मुद्दे की बात पर आ जाओ।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : एक केबिनेट मंत्री थी। मैं आपसे बोल रहा हूं सभापति महोदय, और मैं बिना मां-बाप का बेटा था, क्योंकि निर्दलीय था। मेरा कोई दल नहीं था, मेरी कोई पार्टी नहीं थी। स्कूल क्रमोन्नत करे तो अपने क्षेत्रों में ले गये। कोई विकास के काम हुए तो अपने क्षेत्रों में ले गये। मेरे क्षेत्र में इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। मगर हमारी सरकार आई सत्ता में तो मुझे सात-आठ करोड़ तो अब तक दे चुके। स्कूल क्रमोन्नत कर चुके।

श्री रामप्रताप कासनिया : बिना मां-बाप का शब्द, यह निकाला जाये। यह हम पर भी लागू होता है।

श्री सभापति : इनको खुद को ही कोई ऐतराज नहीं होता है तो आपको क्या ऐतराज है?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपकी पीड़ा जिस बेहतरी से मैं जानता हूं ना, उतना कोई भी नहीं जानते, क्योंकि मैं भी आपकी तरह था पहले। मैं आपकी पीड़ा समझता हूं। इसलिये मैं आपको हमेशा सहयोग करता हूं।

श्री सभापति : अब आप वाइन्ड-अप करें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं दो ही मिनट में मेरे क्षेत्र की बात रखकर समाप्त कर रहा हूं। एक बहुत गम्भीर बात है। जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं वह एस.सी. के छोटे अधिकारी, हैड कांस्टेबल होते हैं, उनको बहुत प्रताड़ित करते हैं। सभापति महोदय, कई इस बात से, प्रताड़ना से सुसाइड कर चुके। इसके ऊपर मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की कोई बात आती है, कोई प्रताड़ना की शिकायत आती है तो आप उसको बड़ी गम्भीरता से लेते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही करें। एक एडिशनल एस.सी. डूंगरपुर का था, वह सुसाइड कर गया गृह मंत्रीजी। गंगानगर में भी हो गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आगे ऐसी कोई भी सूचना आती है सरकार को किसी भी माध्यम से आती है चाहे विपक्ष का माननीय सदस्य करता हो, चाहे हमारे दल का कोई सदस्य करता हो तो उसको गम्भीरता से लेकर उसके खिलाफ हम कार्यवाही करें।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा जिला मुख्यालय का विधान सभा क्षेत्र है। मेरी कोतवाली है उसके अन्दर एक ही जीप है। नेशनल हाईवे का हमारा जिला है। हमारा कोतवाली का क्षेत्र, बहुत लम्बा हाईवे भी पड़ता है तो कोई न कोई आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। उसके अन्दर उसकी भागदौड़ रहती है। एक कृपा करके आप मेरे यहां जीप की कोतवाली में व्यवस्था कर दें और सभी विपक्ष और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने नफरी के बारे में अपनी चिन्ता जाहिर की है। नफरी की कमी हर जगह है तो उसकी आप पूर्ति करें।

आपको अच्छा नहीं लगेगा मगर यह बात बड़े दुःख और वेदना के साथ यह बात कहनी पड़ रही है इस सदन के माध्यम से, कि मैंने आपको लिखित में एक सिपाही की शिकायत की थी उसका नाम है राजेन्द्र सिंघा, आज तक न तो उसने कभी ड्रेस

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

पहनी, चार-चार दफे वह सस्पैण्ड हो गया। कोई भी चुनाव होता है खुले के अन्दर कांग्रेस का प्रचार करता है वह यह धौंस और देता है कि मैं कोई सा भी राज हो रहूंगा तो दौसा के अन्दर ही। कम से कम कांग्रेसी जो यह बोलता है कि मैं कांग्रेसी हूं, इस कांग्रेस का इलाज तो कर दो। जनता ने तो इस कांग्रेस का इलाज कर दिया, क्या हम सिपाही का इलाज नहीं कर सकते। मैंने आपको लिखित में दी थी। मेरा निवेदन है कि आप उसका इलाज कर दें और बड़ी आप मेरे पर मेहरबानी करेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य : आपकी इतनी भी नहीं चलती है क्या?

श्री सभापति : श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, समय बढ़ा लेने दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इधर से दो बोलते हैं।

श्री सभापति : नहीं, वह उनको अर्जेण्ट बुलाया है। पहले इनका नम्बर था।

श्री रामप्रताप कासनिया : मेरा था पहले।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16 और 17 पारित हो, जब तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया। श्री रामप्रतापजी।

मांग संख्या-16 व 17 पर विचार

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16-पुलिस और कारागार विभाग पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, गृह विभाग के अन्दर हर तरह के अपराधों में कमी आई है। चाहे हत्या के हों, लूट के हों, डकैती के हों, इनमें काफी कुछ सुधार हुआ है। इसके लिये मैं माननीय गृह मंत्रीजी को व माननीय मुख्य मंत्रीजी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा। आरोप-प्रत्यारोप करना बड़ा आसान है और जो कोई भी व्यक्ति काम करके दिखाता है उसकी पीठ थपथपानी चाहिये।

सभापति महोदय, आज पुलिस के मामले में गृह मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस विभाग में नियम और कानून-कायदे जो बने हुए हैं वह अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं। सभापति महोदय, इन कानून-कायदों को बदलने की सख्त जरूरत है। इसमें केन्द्र सरकार की भी जरूरत पड़ती होगी। पर मैं मेरा सुझाव रखना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाये थे, वह पुलिस में आज हैं। आज कितना भी बड़ा कोई इज्जतदार आदमी क्यों न हो, अगर कोई एक गुण्डा आये और गाली-गलौच कर दे और उसके चार थप्पड़ लगा दे, वह व्यक्ति जब थाने में मुकदमा दर्ज करवाने जाता है तो उसको कह दिया जाता है यह तो कोई मामला नहीं बनता और हकीकत में जब तक कोई डाक्टरी मुआयना नहीं होगा तब तक चाहे कुछ भी कर लो, ज्यादा से ज्यादा 109 लगा देंगे। सभापति महोदय, इतना ही नहीं 323 और 504 आदमी को कितना ही पीट-पीटकर चाहे ढोल की तरह सुजा दिया जाये धारा लगेगी 323 और सभापति महोदय, उसमें नियम क्या है? थाने में जमानत लेनी पड़ेगी तो इस तरह के जो कानून हैं इनमें संशोधन करने की आवश्यकता है। बदलने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, अंग्रेजों ने अपने हित के लिये जैसे मैं वाहन का उदाहरण देता हूं। अगर वाहन से कितनी क्रूरतापूर्ण तरीके से 2-4-5 आदमियों को कुचल दिया जाये तो धारा लगती है 504 और धारा 504 में...

श्री सभापति : 304 बोलो।

श्री रामप्रताप कासनिया : 304 सारी। इतना पढ़ा-लिखा तो हूं नहीं।

श्री मदन राठौड़ : 304 ए है।

श्री रामप्रताप कासनिया : चलो ए भी। मैं नहीं जानता पर इतना ध्यान है कि 304 में होता है और उसमें प्रोविजन है थाने में जमानत लेने की। उस समय जीप, व्हिकल या तो अंग्रेजों के अधिकारियों के पास थे या फिर उनके चहेते जो लोग थे, उनके पास थे। तो उन्होंने अपने हित की रक्षा करने के लिये इस तरह के कानून बनाये। सभापति महोदय, इसी तरह से जो चोरी का मामला है एक चोर चाहे दस बार चोरी कर ले उसकी जमानत मुंसिफ कोर्ट में हो जाती है और सभापति महोदय, आदमी की हड्डी-पसलियां तोड़ दी जाये तो क्या होगा? 325 और 325 भी काबिल के जमानत है। आदमी के हाथ-पैर तोड़ दिया जाये फिर भी कोई इतना संगीन अपराध नहीं माना जाता। सभापति महोदय, इसी तरह से मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा एस.सी., एस.टी. के केस में जमानत नहीं होती है और एस.सी., एस.टी. के आदमी को कितना ही पीट दिया जाये, हड्डी तोड़ दी जाये अगर एस.सी., एस.टी. वाला शब्द यूज नहीं करेगा तो उसकी भी थाने में जमानत होती है तो सभापति महोदय, यह किस तरह के कानून हैं? इनमें संशोधन करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, वर्तमान में कुछ कानून बनाये हैं, जैसे एस.सी., एस.टी. मानवाधिकार है, आज कोई चोर चोरी कर ले या कोई हत्यारा हत्या कर दे और उसको पुलिस वाले हाथ जोड़ कर पूछे कि, काका, बता दे चोरी कहां से की तो वह नहीं बतायेगा, सभापति महोदय, जब तक उसने आन मिलो सजना की चोट नहीं लगेगी तब तक वह मानेगा नहीं। तो आजकल हर मामले में, चाहे चोरी का हो, चाहे हत्या का हो जो थाने में इन्चार्ज है वह एक ही बात कहता है कि, साहब, आप तो समझते हो आजकल कितने पंगु हैं, मानवाधिकार है, यह है वह है और सच्चाई भी है कि चोर को हम कूट भी नहीं सकते, तो ऐसी हमारे पास कोई टैक्नालाजी नहीं है, ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि जो लगा कर हम पता कर लें कि अमुक आदमी ने गोली मारी है या उसने चोरी की है।

एक माननीय सदस्य : एक मशीन बनी है।

श्री रामप्रताप कासनिया : कुछ नहीं है, वह दिखावा है। मशीन के बहाने चोर का दिल धड़कने लग जाता है। वह तो बेवकूफ बनाने की बात है, उससे कोई पता नहीं लगता, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वह तो जो पुलिस वाले साइकोजी पढ़ना जानते हैं वह वैसे ही मुल्जिम का पता लगा लेते हैं।

सभापति महोदय, इसके अलावा किसी गरीब किसान की खेती है और कोई प्रभावशाली आदमी उसकी फसल नष्ट कर दे, फसल चाहे कितनी ही कीमती हो इसमें

(श्री रामप्रताप कासनिया)

भी कानून में बहुत लचीलापन है, उसमें धारा 447 लगायी जाती है। (व्यवधान) 427 है कि 447?

श्री अमराराम (गृह राज्य मंत्री) : 427. 447 और 427.

श्री रामप्रताप कासनिया : 427, हां तो धाराओं में थोड़ा बहुत बताना तो पड़ेगा न।

एक माननीय सदस्य : पढ़ लो, पढ़ लो।

श्री रामप्रताप कासनिया : मैं पढ़ना नहीं चाहता, नहीं तो धारा भी है, 447. धारा 447 में जमानत का प्रोविजन है तो फसल चाहे कितनी ही कीमती हो और उसकी फसल नष्ट हो जाए और प्रावधान है थाने में जमानत लेने का। सभापति महोदय, इसी तरह से चोरी व हत्या के मामले में तो मैंने निवेदन कर दिया।

सभापति महोदय, पुलिस के अन्दर काफी सुधार करने की आवश्यकता है। साधनों का अभाव है। पुलिस में सब अधिकारी चोर नहीं है, सारे पुलिसकर्मी चोर नहीं हैं। पुलिस के बारे में आम आदमी की मान्यता हो गयी कि पुलिस विभाग चोर है। सभापति महोदय, कुछ विषय ऐसे हैं जो सरकार की भी जानकारी में हैं कि आज पुलिस स्टेशन हैं वहां पर जीपों की जो हालत है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बता दिया, 40 किलोमीटर की स्पीड वाली जीप है और कई बार तो अचानक चार-चार जगह जाना पड़ता है तो सरकार को भी पता है कि तफतीश करने के लिए प्राइवेट गाड़ियां यूज की जाती हैं और, सभापति महोदय, वह पैसा कहां से आता है, पुलिसकर्मी अपनी जेब से नहीं देता। मजबूरी है, अब आप उसको चाहे भ्रष्टाचार कहो, चाहे शिष्टाचार कहो पर यह पूरे राजस्थान में हो रहा है इसलिए हो रहा है कि साधनों का अभाव है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक अनिवार्य सेवानिवृत्ति की बीमारी पुलिसकर्मियों पर लटक रही है और इसके कोई नियम, कोई कानून कायदे नहीं बने हुए हैं। जिस किसी भी पुलिसकर्मी का 30-35 साल का कार्यकाल कितना ही अच्छा क्यों नहीं हो और लास्ट में जाकर कोई अधिकारी नाराज हो जाए, अगर वह उसको दो-चार 17 सी.सी.ए. के नोटिस दे दे तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति की श्रेणी में आ जायेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो तलवार शायद

गहलोत सरकार के समय में पुलिसकर्मियों पर लटकायी गयी थी तो अनिवार्य सेवानिवृति के अन्दर कोई मापदण्ड, कोई नियम, कानून-कायदे बने हुए नहीं हैं, इस नियम को समाप्त करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पुलिसकर्मी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करो, निलम्बन करो, सस्पैंड करो, 16 सी.सी.ए. में करो, 17 सी.सी.ए. में करो पर कम से कम यह तो नहीं होना चाहिए। सभापति महोदय, 17 सी.सी.ए. का नोटिस है, कई दफे मैंने मेरी आंखों से देखा है और हम स्वयं पर भी विचार कर लें, कमजोर जो होता है उस पर गुस्सा बहुत जल्दी होता है। अपने मातहत जो भी कोई कमजोर है, चाहे अपने नौकर का उदाहरण ले लो तो कोई भी पुलिस अधिकारी किसी से लड़ कर आया है, या झगड़ा कर के आया है, घर से ही आया है उदाहरण के तौर पर तो हो सकता है उसके वहां जो सिपाही तैनात है उसको सजा मिल जाए। 17 सी.सी.ए. है, पुलिस विभाग में ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं है, अधिकारी चाहे किसी को 100 रुपये का इनाम भी दे देता है, वह भी उसकी अच्छी सेवा में सम्मिलित हो जाता है और कोई हथियार पकड़ लिये तो वह भी उसकी फाइल में लिखा जाता है। सभापति महोदय, अगर सजा देनी हो तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, शायद मामला तो बारां का है। बारां में किसी एक उप निरीक्षक ने अपना तबादला किसी थाने में करवा लिया और अधिकारियों के नाराजगी हो गयी एस.पी. या आई.जी. के तो उन्होंने उसको कई चार्जशीट एक साथ थमा दी कि आपने किसी नेता के कहने से ट्रांसफर क्यों करवा लिया? तो यह इस तरह की व्यवस्था भी पुलिस विभाग में है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ तो यह जो कानून-कायदे हैं इनमें सुधार होना चाहिए। दूसरा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस विभाग के अन्दर मेरे क्षेत्र की घटना है, मैं चर्चा तो नहीं करना चाहता था पर रह भी नहीं सकता, मुकदमा नम्बर 81/04 पी.एस., पीलीबंगा, इस मुकदमें में आज एक साल से ऊपर समय हो गया इस मुकदमें में जो हत्या करने वाले थे उनके नाम नहीं लिखा कर जो दूसरे लोग थे उनके नाम लिखवा दिये, जो बेगुनाह लोग थे चार-पांच उनको तो जुडिशियल कर दिया, कोर्ट से जमानत हो गयी और जो मुल्जिम थे उनके बारे में आज तक कोई पता नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी? उसमें कुछ ऐसे कुख्यात अपराधी हैं जिनका मैं यहां नाम लेने से ही डरता हूं।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के माध्यम से मुस्तगिसों को इस बात के लिए राजी किया गया कि अमुक आदमी के खिलाफ आप बयान नहीं दो, इनके पक्ष में दो नहीं तो तुम्हारा केस खराब हो जायेगा। इस तरह से लोगों को निकालने की साजिश रची जा रही है। अभी मुझे पूरा पता नहीं है कि पत्रावली किस स्टेज में है पर आज दिन तक उनका चालान नहीं हुआ।

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। अभी मार्च माह में पीलीबंगा के अन्दर एक व्यापारी की रात के साढ़े आठ बजे गोली मारकर कर हत्या कर दी गयी और वह भाग गये। दस मिनट के बाद वहां जो एस.एच.ओ. था वह मौके पर आ गया। उसने नक्शा मौका बनाया, जो भी कार्यवाही करनी थी की। सभापति महोदय, घटना के घण्टे, दो घण्टे बाद हनुमानगढ़ से जाब्ता आया जिसमें एक सी.आई. था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस सी.आई. ने उस बात का फायदा उठा कर रात को दस-बीस आदमियों को संगठित करके यह कहा कि तुम कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इन्चार्ज को हटाओ, सुबह नारेबाजी करो और लाश को रुकवा लो कि हम दाह संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक इस इन्चार्ज का यहां से ट्रांसफर नहीं होगा। सभापति महोदय, आप ताज्जुब करोगे...

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, बस यह एक ही बात मैं कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, सुबह उन्होंने जो योजना बनाई उसके मुताबिक ही नारेबाजी हुई वहां एस.पी. और आई.जी. बीकानेर मौके पर पहुंच गये और वही हुआ लाश को रोक दिया तो आई.जी. साहब ने पूछा आपकी मांग क्या है। मांग इस एस.एच.ओ. को हटाकर यहां पर सी.आई. लगाओ जबकि वह थाना सी.आई. रैंक का नहीं था। सभापति महोदय, वहां नारे लगते हैं फलानां मुर्दाबाद जो एस.एच.ओ. मौके का था और लगने वाला जो सी.आई. है उसका नाम ले लेकर वहां नारे जिंदाबाद के लगाए। प्रशासन क्या मैसेज देना चाहता है? इतना तो कम से कम सोचना चाहिए कि आज यह लोग यहां इस लाश को रोक रहे हैं, कल कोई गांव में घटना घट जाएगी वहां लोग देखा देखी लाश को रोक लेंगे तो इस तरह के वाकये के अन्दर जिन्दाबाद के नारे कम से कम प्रशासन के लगाकर के किसी सी.आई. को और एस.आई. का थाना होते हुए भी...

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री बनवारीलाल शर्मा।

श्री रामप्रताप कासनिया : उसका पदस्थापन करना यह न्याय नहीं है। सभापति महोदय, इससे सरकार का मैसेज गलत जाता है। हर आदमी देखा देखी करने में बड़ा मास्टर है। सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस विभाग और कारागार विभाग की मांग पर सदन में चर्चा हो रही है। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। आज पुलिस पर जो जिम्मेदारी है और लोगों को जो आशाएं पुलिस से है उन पर खरी नहीं उतर रही है। लोगों में जो विश्वास पुलिस के ऊपर होना चाहिए वह विश्वास नहीं हो पा रहा है और सन्तुष्ट नहीं हो पा रहे हैं लोग। आए दिन जैसे ही हम सुबह अखबार पढ़ते हैं तो देखते हैं कि चोरी की वारदात की घटनाएं, हत्याओं की घटनाएं, बैंक की डकैती की घटनाएं, इस प्रकार की घटनाएं रोजाना सुनने को मिलती हैं। आज बालिकाएं, छात्राएं स्कूल कालेज से लौटती हैं वह सुरक्षित नहीं हैं। दुकानदार, दुकान पर बैठा हुआ कोई भी व्यापारी सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर रहा है। आज पैट्रोल पम्प पर सैल्समैन अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। बस में और रेल में यात्री अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। बलात्कार की घटनाएं, चैन छीनने की घटनाएं, वाहन चोरियों की घटनाएं नित्य प्रति रोजाना इस प्रकार से अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं इससे आम जनता में पुलिस के प्रति बड़ा असन्तोष पैदा हो रहा है।

इसी प्रकार से आज सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज हेरोइन, स्मगलिंग का सामान, नकली नोटों का आना, हथियारों की तस्करी और विस्फोटक पदार्थ जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं वह वास्तव में एक चिन्ता का विषय है। (व्यवधान) हो सकता है किसी राज में हुई हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। राज कोई भी हो, किसी भी पार्टी का राज हो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और बड़ी अच्छी बात है कि आपकी सरकार ने इस पर कंट्रोल किया है। मैं आंकड़ों के जाल में नहीं फंसना चाहता।

मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह घटनाएं जिस पर हमको और आपको बैठकर चिन्ता करनी चाहिए, आंकड़ों से नहीं है और कोई भी राज आ जाए। चाहे आपका राज है चाहे इधर की पार्टी का कांग्रेस पार्टी का राज आ जाए, कोई भी राज आ जाए इस प्रकार की घटनाएं तो होती हैं और होती रहेंगी। लेकिन हमारा

(श्री बनवारी लाल)

और आपका चिन्ता का विषय यह है कि इनको किस प्रकार से कम किया जाए और घटनाएं अगर हो जाती हैं तो उनकी छानबीन करके किसी प्रकार से जो दोषी व्यक्ति हैं उन पर अंकुश लगाया जाए और उन घटनाओं को खोला जाए। सबसे बड़ी चिन्ता आपकी और हमारी यह होनी चाहिए। यह किसने किया, आपने कंट्रोल कर लिया बहुत प्रशंसा की बात है। इसमें हमारा और आपका चिन्तन भी यही है कि किसी प्रकार से इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए।

आज सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि अपराधी में आज जब तक भय नहीं होगा तब तक अपराध पर अंकुश नहीं लगेगा। पहले समाज का भय था, मां-बाप का भय था वह भय दूर हो गया और पुलिस का जो भय था वह भी समाप्त होता जा रहा है और जब तक पुलिस का भय नहीं होगा तब तक अपराधियों पर अंकुश नहीं लगेगा। ऐसी मेरी मान्यता है।

पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली से इस प्रकार का वातावरण पैदा करना चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको तो पूरी जानकारी है।

श्री बनवारी लाल : अब महावीरजी, मुझे क्यों छेड़ते हैं आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : जितनी जानकारी मुख्य मंत्रीजी को है उतनी ही इनको है।

श्री सभापति : बैठे बैठे बातें नहीं करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : उनको पूरे राजस्थान की इनको धौलपुर की ज्यादा है।

श्री बनवारी लाल : सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि आज हमको और आपको यह सोचना पड़ेगा गम्भीरतापूर्वक कि आज जिस प्रकार से अपराधियों के पास में आधुनिक साधन हैं, आधुनिक वाहन हैं, आधुनिक हथियार हैं और जिस प्रकार से अपराधियों की आज कार्यप्रणाली है, उन्होंने अपराध करने का तरीका जिस प्रकार से अपनाया है वह भी पुलिस से ज्यादा चतुर होकर इस प्रकार का अपराध करने का प्रयास करते हैं जिससे कि वो जल्दी से पकड़ में नहीं आ जाएं। आज हमको और आपको यह सोचना पड़ेगा कि किसी तरह से उन अपराधों को, आज मुश्किल यह है कि जैसा मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा था, आज आपके पास जो गाड़ियां हैं वह पुराने टाइम की गाड़ियां

(श्री बनवारी लाल)

हैं आपके पास हथियार हैं वह पुराने हैं। जब तक आप आधुनिक हथियार इनको प्रोवाइड नहीं कराएंगे, आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं कराएंगे, आधुनिक वाहन उनको उपलब्ध नहीं कराएंगे जब तक इन पर काबू पाना मुश्किल होगा।

मेरा तो आज आपसे निवेदन यही है कि हमको और आपको इस बात की चिन्ता करनी चाहिए कि किस प्रकार से इन अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। मेरा तो मानना यह है कि आज पुलिस की परेशानियां भी बहुत हैं। आखिर हम और आप पुलिस पर आक्षेप तो लगाते हैं, उम्मीदें बहुत करते हैं लेकिन पुलिस की मजबूरी क्या है, आज पुलिसकर्मियों की संख्या बहुत कम है। जैसा कि अभी बताया जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है और आज बेरोजगारी बढ़ रही है. जनसंख्या बढ़ रही है और लोगों में इस प्रकार की प्रवृत्ति पैदा हो रही है कि चन्द समय से ही वह धनाढ्य हो जाएं और इस प्रकार की भावना को लेकर ऐसा वातावरण पैदा हो रहा है तो ऐसे वातावरण की वजह से अपराधों में ऐसे व्यक्ति, ऐसे समाज के लोग जिनसे कि हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं वह भी उनमें लिप्त हो जाते हैं। इसके लिए हमको और आपको बड़ी गम्भीरता पूर्वक सोचना पड़ेगा।

आज पुलिस की अपनी कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से उन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। आज एफ.एस.एल. की सुविधा इतनी है नहीं। आज एफ.एस.एल. की सुविधा कम होने की वजह से दो-दो, तीन-तीन साल तक के कैसेज पैंडिंग रहते हैं। जिसमें हमको और आपको सोचना पड़ेगा। प्रोसीक्यूशन पर आज पुलिस का अंकुश नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से, राजनीतिक कारणों की वजह से आज पी.पी. और ए.पी.पी. का पोस्टिंग होता है, अपाइन्टमेंट होता है उन पर पुलिस का कोई अंकुश नहीं होता और वह ए.पी.पी. अपराधियों से मिल भी जाते हैं इसलिए अपराध पर इतना अंकुश नहीं लग पाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस चीज पर हमको और आपको गम्भीरता से सोचना पड़ेगा।

अनुसंधान का तौर तरीका भी आपको बदलना पड़ेगा। इसी प्रकार से पुलिस की जो कमियां हैं जो पोस्टों की वजह से कमियां हैं, भर्ती करनी पड़ेगी हालांकि आप सोच रहे हैं लेकिन यह प्रक्रिया बहुत दिन से सुन रहे हैं कि भर्ती हो रही है लेकिन भर्ती नहीं हो पा रही है। इसलिए इस पर हमको और आपको गम्भीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा।

आज सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि जो अन्य अपराधियों के अलावा

(श्री बनवारी लाल)

आज जिस प्रकार का समाज में वातावरण बढ़ रहा है। एक भू-माफिया, शराब माफिया. आज इस प्रकार से रायल्टी, चैक पोस्ट पर जो रायल्टी लेते हैं वह या टोल टैक्स वाले जिस प्रकार से वातावरण, शांत समाज में इस प्रकार का वातावरण पैदा करते हैं कि जिनसे उम्मीद नहीं थी, उस प्रकार से भी आज पुलिस के प्रति असन्तोष बढ़ता जा रहा है। इस पर भी बड़ी गम्भीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा।

धौलपुर के बारे में थोड़ा सा निवेदन है। आज धौलपुर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है सी.आर.पी.सी. वहां भी एक अलग ही है। वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एक तरफ मध्यप्रदेश है, पांच किलोमीटर पास में मध्यप्रदेश है पन्द्रह किलोमीटर के बाद में उत्तरप्रदेश है। भौगोलिक स्थिति होने की वजह से वहां पर अपराधी रिश्तेदारियों की वजह से, छुपने की वजह से अगर कोई भी अपराध करता है तो आसानी से मध्यप्रदेश में और यू.पी. में जाकर छिप जाता है। अब ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने की वहां की पुलिस की भी कुछ मजबूरी है। थानों में जैसा बताया आपने कि बारह सिपाही होते हैं किसी में पन्द्रह सिपाही होते हैं और उनकी अलग-अलग ड्यूटी होती है तो उन पर कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक-दो सिपाही रह पाते हैं। तो इस स्थिति पर हमको और आपको विचार करना पड़ेगा।

वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि अगर कोई एफ.आई.आर. करने जाता है तो एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हो पाती है और एक नया वहां के अधिकारियों ने पैटर्न कर दिया है कि तहरीर, मेडिकल जब तक नहीं होगा जब तक पुलिस की तहरीर नहीं हो जाएगी। मेरे खयाल से राजस्थान में कहीं भी ऐसा नहीं होगा। यह धौलपुर जिले में ही ऐसा है कि जब तक पुलिस के अधिकारी की, पुलिस के थानेदार की तहरीर किसी मेडिकल ज्यूरिस्ट के पास नहीं पहुंच जाएगी जब तक वह मेडिकल करेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में मर्जी आती है जिसको जब चाहे ले जाते हैं, थाने में ले जाकर बिठा देते हैं और उनके घरवालों को, साथ ही यह सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि अगर किसी अपराधी को ले भी जाते हैं तो उनको थाने में बिठाने से पहले उनके घरवालों को इत्तला करनी चाहिए लेकिन वहां पर नहीं करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं संक्षेप में ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। बड़ी जल्दी घंटी आपने बजा दी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

खास तौर से मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर जो हथियारों का लाइसेन्स

दिया जाता है वह बड़े भेदभावपूर्ण तरीके से किया जाता है। आज हथियार सुरक्षा की दृष्टि से आप पुलिस वाले तो इतने पैदा कर नहीं सकते हो. सुरक्षा दे नहीं सकते हो तो आदमी अपने सैल्फ डिफेंस के लिये हथियार लेना चाहता है। ऐसी स्थिति में अगर किसी ने फार्म भरा और किसी थानाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट उसके पक्ष में लिख दी, अपनी सिफारिश कर दी तो सी.ओ. के लेवल पर उसको कैंसिल कर दिया जाता है। आखिर कारण क्या है? सी.ओ. ने अपनी सिफारिश कर दी तो एस.पी. अपने लेवल पर कैंसिल कर देता है और सी.ओ. ने सैंक्शन कर दी तो कलक्टर अपने हिसाब से कैंसिल कर देता है। ऐसे उनके पास क्या पैरामीटर हैं? अगर किसी गलत आदमी को थानेदार ने सिफारिश की है लाइसेन्स देने के लिये तो उसके ख़िलाफ आपको एक्शन लेना चाहिये। लेकिन थानेदार जो फील्ड में रहता है वह जानता है उसके आचरण के बारे में और सिफारिश की है तो क्यों उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिये।

पुलिसकर्मियों के व्यवहार के बारे में आपको निवेदन करूं। आज सबसे बड़ा असंतोष तो इन पुलिसकर्मियों के व्यवहार से हो रहा है। पता नहीं उस कुर्सी में क्या करंट लगा हुआ है, कोई भी आदमी जाता है और किसी प्रकार से अपनी बात करता है तो वह आसानी से उसके साथ बिहेव ही नहीं करते हैं। इस प्रकार का वातावरण पैदा कर देते हैं लोगों में असंतोष होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके इन कमियों को आप दूर करें और पुलिस के प्रति जो असंतोष बढ़ रहा है उसे खतम करने का प्रयास करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे आपने समय दिया. धन्यवाद।

(17.21 बजे)

(डा. एन.एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : श्री रामकिशोर मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 व 17 पर आज चर्चा हो रही है। पुलिस के बारे में चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो. सब ने गम्भीरता से विचार किया है और उन परिस्थितियों के ऊपर भी दृष्टिपात किया है जिनमें रहकर पुलिस अपना काम करती है।

(श्री रामकिशोर मीणा)

जब यह एक्ट बना था उस समय हम पराधीन थे। आज उस एक्ट की उपादेयता इतनी ज्यादा नहीं रही जिस समय इसकी संरचना की गयी थी और उस समय की जनसंख्या के हिसाब से जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा है पुलिस बल बहुत कम है। पुलिस बल कम है वहां तक बात एक सीमा तक है लेकिन उसके साथ-साथ हम उनको क्या दे रहे हैं और हम उनसे किस प्रकार की ड्यूटी की अपेक्षा कर रहे हैं, इन चीजों को सामने रखना पड़ेगा तब जाकर हम न्यायिक दृष्टि से अच्छी तरह से विचार कर सकते हैं।

आज हम हमारे बजट प्रावधानों को देखें तो पुलिस के वेतन तथा भत्तों पर हम 94 प्रतिशत से ऊपर खर्चा कर रहे हैं। जो भी और दूसरे साधन हम दे सकते हैं या उनको सहूलियतें देने की बात है, मकान उपलब्ध कराने की बात है, इन चीजों को हम घटाते जा रहे हैं। पहले वेतन के मद में कम था लेकिन अब यह बढ़ता जा रहा है। उसके अनुपात में जिस प्रकार से हम उनको सुविधाएं देकर उनसे आदर्श रूप में ड्यूटी लेना चाहते हैं उस प्रकार की उनको सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। आज उनके आवास की हम केवल 22 प्रतिशत ही व्यवस्था कर पा रहे हैं जबकि पड़ौसी राज्य चाहे हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, वहां पर 50 से 60 प्रतिशत के लगभग इनको हम आवास उपलब्ध कराते हैं।

उनकी ड्यूटी पहले केवल सुरक्षा, चोरी, लूट, डकैती तक ही सीमित थी लेकिन आज वी.आई.पी. ड्यूटी के लिये उनसे अलग से काम लिया जाता है। गार्ड ड्यूटी अलग से है। चालानी ड्यूटी अलग और इन्तजाम ड्यूटी अलग से है, कानून व्यवस्था के लिये अलग से है, अंगरक्षकों के लिये भी इन्हीं पुलिस में से हमको लेना पड़ता है। आज हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरह एक फैशन हो गया है कि यहां पर अनावश्यक तौर से भी अंगरक्षकों को अपनी मान-प्रतिष्ठा के लिये लगाने की एक प्रथा चल गयी है। इसके ऊपर भी गम्भीरता से हम सबको विचार करना पड़ेगा कि निहायत जरूरी हो वहां ही यह सुरक्षा उपलब्ध करायी जाए।

पुनर्गठन योजना पर भी कई बार विचार किया गया। 1994 में इसके ऊपर योजना बनायी थी पुनर्गठन की, 1999 तक कुछ कार्य इसके ऊपर हुआ लेकिन उसके बाद कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। हम कार्य कुशलता बढ़ाना चाहते हैं लेकिन जब हम 24 घंटे की ड्यूटी उनसे लेंगे तो उसको अपने घर के काम चलाने के लिये भी छुट्टी की जरूरत पड़ती है, स्टाफ कम होने की वजह से छुट्टी नहीं ले पाते हैं। वह चिड़चिड़े हो

(श्री रामकिशोर मीणा)

जाते हैं और जिस प्रकार की आज घटनाएं घट रही हैं कि अपने खुद के ऊपर गोली चलाकर अपने प्राणों को ले लेते हैं, इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो जाती है जिसके कारण उनसे ड्यूटी को सही अंजाम देने की आशा करना ठीक नहीं रहता।

एक ओर जो सीमावर्ती इलाका है अपने राजस्थान का सबसे ज्यादा लगा हुआ है वहां पर हमको अपराधों के विशेष तौर से इंतजाम करना पड़ता है। जिस प्रकार की व्यवस्था पड़ौसी राज्यों में है उस प्रकार की हमारे यहां पर नहीं है। पुलिस का जो भय था वह इन जमानतों के प्रावधानों में काफी सरलता आने की वजह से अपराधी को जल्दी से दण्ड नहीं मिल पाता उसके कारण दूसरे छोटे अपराधी हैं उनको भी बल मिलता है। तो उन प्रावधानों को हमें कड़ा करने की आवश्यकता है जिससे हमारे जवानों का भी मनोबल बढ़े तथा कानून का भय भी आम तौर से बना रहे।

उनको दी जाने वाली सुविधाओं के साथ हम उनसे जो कार्य लेते हैं उसमें मैं एक उदाहरण के रूप में मेरे दौसा जिले का बताना चाहूंगा। हमारे यहां पर जैसे एक थाना है उस थाने की सीमा तो इतनी लम्बी चौड़ी है कि, अब दौसा जिले में 4400 से ऊपर क्राइम हैं और थानें हैं दस। दो थानों में तो 19 की नफरी है. दो में 17 की है, चार में 15 की है और दो में 12 की, इस प्रकार की नफरी है। 1065 गांव हैं। एक-एक थाने के ऊपर 600-700 के क्राइम हैं। एक आई.ओ. से 50 या 60 मुकदमों की सही तौर से तफतीश से ज्यादा यदि हम अपेक्षा करेंगे आई.ओ. अपने काम के अलावा जो दूसरी ड्यूटीज हैं उस कारण भी वह पूरा समय नहीं दे पाते और उस कारण आम तौर पर जो धारणा बनती है उसको भी बहुत बड़ा बल मिलता है।

डीजल हम एक गाड़ी को सौ लीटर से ज्यादा नहीं देते। विशेष परिस्थितियों में पचास लीटर डीजल और दिया जा सकता है। दौसा जिले में अकेले में दस लाख लीटर से ऊपर का पैट्रोल, डीजल, आयल का खर्चा है। एक तो नेशनल हाईवे है और उसके कारण जो गश्त देनी पड़ती है तो एक बार में एक राउण्ड में थाने के इलाके में भी उसको 15 से 20 लीटर की आवश्यकता होती है। इस कारण जिस निष्पक्षता और ईमानदारी की हम कल्पना करते हैं वह कल्पना नहीं कर पाते।

इस प्रकार टेलीफोन है। आजकल सबके पास आधुनिकल साधन हैं। आज जितने भी अपराधी हैं उनके पास अत्याधुनिक साधन हैं। गाड़ियां एक से एक कम आवाज तथा तेज रफ्तार वाली हैं, वहीं हमारी गाड़ियों की दशा बहुत बुरी है। इन साधनों

(श्री रामकिशोर मीणा)

को भी हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। कई थाने तो ऐसे हैं करीब 20 परसेंट जिनमें टेलीफोन ही नहीं है और जहां पर हैं वहां सीमा इतनी कम है कि आवश्यक यदि कोई इनफोर्मेशन अपने उच्चाधिकारी को भी देना चाहते हैं तो अपनी जेब से या फिर जो भी कोई आता है उससे देनी पड़ती है।

इसी प्रकार थाने में बन्द अपराधी के ऊपर हम ढाई रुपये देते हैं। अब ढाई रुपये में कोई भी थाना इंचार्ज ईमानदारी से किसी को न तो खाना खिला सकता है। इस कारण अपराधी जब जमानत करके आ जाता है तो उसी से थाने वाले वसूल करवाते हैं, होटल वाले की दिलवाते हैं। तो इन मामलों पर भी परिस्थिति के आधार पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

मैस भत्ता 450 रुपये है, 7.50 रुपये पड़ता है। अब 7.50 रुपये में आज कोई भी किसी भी स्थान पर हम पूरी तरह से अच्छी खुराक नहीं दे सकते हैं। सभापति महोदय, मैं एक तो मेरे क्षेत्र के हिसाब से मांग करना चाहूंगा। दौसा जिले के हिसाब से, वहां पर हमारा लम्बा-चौड़ा एरिया होने की वजह से एक तो सिकराय में थाना होना बहुत आवश्यक है। नेशनल हाईवे है। पत्थर व्यवसाय भी बहुत बढ़ गया है और उसके बाद में भी एक रानौली जगह है क्योंकि वह बहुत सुदूरवर्ती इलाका है। उससे ही दूसरे इलाकों के लोग-बाग चाहे करौली इलाके से, धौलपुर इलाके के रास्ते से आकर के अपराधी अपराध करते हैं। इसी प्रकार दौसा जिला मुख्यालय है, वहां पर अपराधों की संख्या सात सौ से ऊपर है। वहां पर सदर थाने के नाम से एक अलग थाना कायम किया जाना चाहिए। दौसा जिला मुख्यालय है, एस.सी., एस.टी. व महिला उत्पीड़न के जितने मामले हैं उसके बारे में भी अलग से महिला थाना यहां पर बना दिया जाये। यह बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से एस.सी., एस.टी. सैल के लिए डी.एस.पी. रैंक का एक अन्य अधिकारी भी वहां पर पोस्ट हो। यह व्यवस्था के हिसाब से बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, कुछ मामले ऐसे हैं, बहुत मामले रखना चाहता था। लेकिन जब आपकी निगाहें देखता हूं तो फिर वहीं का वहीं रख देता हूं। एक मामला है, तथ्य भारतीय अखबार है, इसमें इस प्रकार की सी.डी. का जिक्र आया है जो हमारे हरियाणा से सटे हुए गांव हैं वहां पर हरियानवी भाषा में बनी सी.डी. है, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, झुंझुनूं जैसे सीमावर्ती इलाकों में हिन्दू धर्म से सम्बन्धित, रामायण से सम्बन्धित प्रसंगों को इस प्रकार से सी.डी. में रखा गया है कि उसके कारण से धार्मिक भावनाएं कभी भी भड़क सकती हैं। ऐसी सी.डी. पर तुरन्त एक्शन हो जाना चाहिए था।

(श्री रामकिशोर मीणा)

मैं इसको माननीय गृह मंत्रीजी को प्रस्तुत करूंगा, इसी प्रकार से इसमें भड़काऊ और धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया है, इस सी.डी. को देखने के बाद में कोई भी आदमी यह नहीं सोच सकता कि इतने नीचे स्तर की भी सी.डी. बन सकती है और बिकने के बावजूद भी आज तक कोई भी आपराधिक प्रकरण इसके मामले में दर्ज नहीं हुआ है जबकि भारतीय दण्ड संहिता के तहत 295(क) के अनुसार स्पष्ट प्रावधान है कि इसका प्रकरण दर्ज होना चाहिए। धार्मिक भावनाओं के विश्वास को लिखित शब्दों से या संकेतों से कोई अपमानित करे, आहत करे तो उस पर तुरन्त एक्शन होना चाहिए। कापी राइट के अनुसार भी फिल्मी गानों का उसमें उद्धरण दिया, रामायण के पात्रों को जिस प्रकार से बताया है उससे धार्मिक भावनाएं बहुत आहत हुई हैं। इस पर तुरन्त एक्शन लिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि 3-4 साल पहले पिछली सत्ता के समय में जहाजपुर में एक घटना हुई थी, टिक्कड़ चौकी के अन्दर, मामूली की कहासुनी हुई, एक सैनिक शिवराम नाम का था, उसकी हत्या कर दी गयी थी। उस समय यह मामला बड़ा उठा था और यह तय किया गया था कि हत्या का मामला दर्ज कर दिया जायेगा। लेकिन अभी तक उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ और जो मृतक था उसके परिवारजनों को ना मदद दी, वह सैनिक था, छुट्टी पर गया था। लेकिन उसके बारे में कोई भी एक्शन सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकरण को दिखायें।

सभापति महोदय, एक जो बहुत लम्बे समय तक छाया रहा डी.आई.जी. टण्डन का मामला। कई वर्षों के बाद भी हम ऐसे मामले की गम्भीरता को देखते हुए भी अभी तक उस पर एक्शन नहीं ले पाये। उसकी सम्पत्ति को अन्य तरीके से जब्त करके ना हम उसको बाध्य कर पाये। ऐसे जघन्य अपराधी को क्योंकि यदि वह पुलिस का नहीं होता तो कभी का उसको निकाल लाते। लेकिन ऐसे मामलों पर गम्भीरता से विचार करके उस पर एक्शन किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, एक मैंने पिछले समय में भी 25 सिपाहियों की भर्ती का मामला था और उसमें इस आधार पर कि जब फार्म भरा गया था, उस समय उन्होंने किन्हीं थानों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। उसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया था। बाद में जब वह नौकरी पर गये तब तक उनके मामले में या तो एफ.आर. लग चुकी थी या कोर्ट के द्वारा बरी कर दिये गये थे। ऐसे करीब 25 कर्मचारियों के मामले हैं। उन

(श्री रामकिशोर मीणा)

मामलों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करें क्योंकि जो नई भर्ती के प्रावधान है उसमें इस क्लाज को ही हटा दिया गया है पूरे राजस्थान में। जिनको हटा दिया गया है तो यह उन पर बहुत बड़ी कृपा होगी क्योंकि वह ओवरएज भी हो गये हैं, दूसरी जगह जाने की भी स्थिति में वह नहीं हैं। उस पर गम्भीरता से विचार करें और एक्शन लिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, हम जब आकलन करते हैं कि हमारी सरकार या पुलिस प्रशासन किस प्रकार का है तो अभियोग जितने भी दर्ज होते हैं उनका निस्तारण हमने कितना किया है। इसके ऊपर आकलन होता है। हम यह रिपोर्ट देखें तो उसके आधार पर देखेंगे कि हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, बलवा व सब मामलों में जो चालान किये गये हैं वह 92.35 प्रतिशत हत्या का है, डकैती का 78.05 है। लूट का 63.38 है, बलात्कार का 99.33 है। इस प्रकार से जो निस्तारण किया गया है, बहुत विषम परिस्थिति होते हुए भी बड़ी बखूबी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया है। वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार की हमारे सामने समस्या है। यदि हम पुलिस को एक अच्छा स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं। आज हमारे राजस्थान पुलिस को अगर देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसकी जो कार्य प्रणाली है, जो यहां पर कानून-व्यवस्था की स्थिति है, वह बहुत अच्छे होने के कारण दूसरे प्रदेशों के व्यक्ति भी, अच्छे व्यापारी भी यहां आकर बसना पसन्द करते हैं। वह राजस्थान को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान सरकार का दायित्व भी है कि यहां पर जिन्होंने विषम परिस्थितियों में रह कर बहुत अच्छे कार्य किए हैं, अपनी जान को हथेली पर रखकर के उन्होंने काम को आगे बढ़ाया है ऐसे कर्मियों का मनोबल बढ़ाया जाये। उनको गैलेंटरी प्रमोशन दिया जाये।

सभापति महोदय, मेरे यहां पर दो साल पहले दो बच्चे एक कुए में गिर गये थे, गीजगढ़ में वहां पर जो बच्चों के परिजन थे उन तक की हिम्मत नहीं हुई कि वह कुए में चले जाएं और उस बच्चे को लगातार 24 घण्टे तक हम ढूंढते रहे। लेकिन एक पुलिस कर्मी जगदीश नाम का उसने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए वह कुए में उतरा, एक बार तो रस्सा भी टूट गया था। लेकिन दो बार उतरकर के बच्चों को वहां से निकाला। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि ऐसे जो पुलिस कर्मी हैं जिनकी ड्यूटी नहीं होते हुए भी ऐसे कठिन कार्मो में जनता का सहयोग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित किया जाना चाहिए और जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि सब

(श्री रामकिशोर मीणा)

एक जैसे नहीं हैं. कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो परिस्थितिवश या किन्हीं कारणों से इस प्रकार की ड्यूटी अंजाम देते हैं जिसको हम उदाहरण बनाकर के पुलिस को हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बहुत अच्छे काम करे इतिहास रचा है उनको हमेशा सम्मानित किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बारम्बार धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मोहन लाल गुप्ता (अनुपस्थित)

श्री रणधीर सिंह भिण्डर (अनुपस्थित)

श्री नवरतन राजोरिया (अनुपस्थित)

श्री बंशीलाल खटीक (अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : सभापति महोदय, मैं बजट की मांग संख्या 16 पुलिस और मांग संख्या 17 कारागार के सम्बन्ध में अपने विचार और सुझाव देना चाहूंगी। वैसे तो सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं परन्तु गृह विभाग एक ऐसा विभाग है जो सभी विभागों की देखभाल करता है और प्रत्येक विभाग को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गृह विभाग पर डिपेंड रहना पड़ता है। आज के परिप्रेक्ष्य में जहां ... में ही नहीं पूरे राष्ट्र में जिस प्रकार की संगठित आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं उस परिप्रेक्ष्य में पुलिस विभाग की महत्ता और जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है।

सभापति महोदय, राजस्थान राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और गुजरात से लगती हुई है। इतनी लम्बी सीमा होने के कारण से संगठित अपराधों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि कानून को और कठोर रूप दिया जाये और जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने मामला उठाया था कि अवैध बांग्लादेशियों की जिस प्रकार से राजस्थान में घुसपैठ बढ़ती जा रही है और पिछली गवर्नमेंट ने तुष्टिकरण की नीति के चलते हुए उनके राशनकार्ड तक बनवाये। वह बांग्लादेशी यहां आ करके कई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गये।

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि ऐसे अवैध बांग्लादेशियों के राशनकार्ड निरस्त

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

कर दिए जाएं ताकि भविष्य में इसकी चिन्ता ही नहीं रहे कि यहां पर कुछ हो सकता है।

इस समय राजस्थान में पुलिस और जनसंख्या का अनुपात जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने बताया 950 पर है। और अन्य प्रान्तों की तुलना में यह बहुत कम है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने 4 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती की जो घोषणा की है और उसमें 1200 महिला पुलिसकर्मी होगी यह भी बहुत खुशी की बात है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी को अपनी और सभी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।

प्रत्येक जिले में एक महिला पुलिस थाना बनाने की घोषणा इस बजट में की गई है। 2 जिलों में महिला थानों और जिला मुख्यालयों पर स्थित 90 पुलिस थानों पर महिला सहायता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस बजट में उन्होंने पुलिस आवास सुविधा बनाने के लिए 160 आवासों के निर्माण के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान रखा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि प्रत्येक सम्भागीय मुख्यालय पर इन्टरनेट से एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए और पुलिस को आज के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से बनाने के लिए जो घोषणा हुई है उसका निश्चित रूप से दूरगामी परिणाम होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी को जिन्होंने हजारों पाक विस्थापित भारतीयों को भारतीय नागरिकता प्रदान की, जिससे बाड़मेर और पाली जिले में पाक विस्थापित भारतीयों को भारतीय नागरिकता मिली है। हालांकि मेरा विधान सभा क्षेत्र नहीं है लेकिन पाली जिले के बाली विधान सभा क्षेत्र से अनेक फोन मेरे पास आए, 400-500 लोग मुझसे मिले जिन्हें नागरिकता मिली है, उनके चेहरों पर खुशी देखने लायक थी।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी गृह मंत्रीजी को जिन्होंने पुलिस जन सहभागिता का अभियान चलाया और जनता में और पुलिस में मधुर सम्बन्ध स्थापित करने का जरिया इस अभियान के तहत शुरू हुआ। इससे फायदा मिलेगा और जनता और पुलिस में जो मधुर सम्बन्ध स्थापित होने चाहिए, वह होंगे और अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोगी देगी, ऐसा मेरा मानना है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि पुलिस विभाग को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। मैं मेरे विधान

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

सभा क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले वहां पर रात के अंधेरे में गांव वालों को रोशनी देने वाली विद्युत लाइन काट कर ले जाने वाले गिरोह को ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर पकड़ा। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि कांस्टेबल और हैड कास्टेबल के पास वही बाबा आदम के जमाने का डण्डा ही था और अपराधी पूरी तरह से शस्त्रों से लैस थे। यह तो गांव वालों और पुलिस वालों के साहस से स्थिति काबू में आ गई और उनको पकड़ लिया अगर अपराधियों के पास आधुनिक हथियार होते तो निश्चित रूप से कोई न कोई दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पुलिस विभाग को तेज गति के वाहन और वायरलैस सैट दिए जाएं ताकि वह समयानुकूल अपराधियों से मुकाबला कर सके। आज के समय में अपराधियों के पास स्कार्पियों जैसे वाहन और ए के 47 जैसे हथियार होते हैं और वह अपराध करके भाग निकलते हैं और पुलिस विभाग से हम यह आशा रखते हैं कि वह अपराधियों को पकड़े, इन साधनों के अभाव में वह ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि पुलिस को और अधिक आधुनिक वाहन और हथियारों से लैस किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, एक तरफ तो अपराधों की जघन्यता बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ जमानत सम्बन्धी प्रावधान और अधिक आसान हो गए हैं, इस कारण अपराधियों में किसी प्रकार का खौफ नहीं रहता है। एट्रोसिटी एक्ट, 302, 307, 452 जैसे अपराधों में आसानी से जमानत मिलती है। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि समाज में अपराधियों को सजा मिले लेकिन साथ ही ध्यान रखा जाए मानव अधिकारों का उल्लंघन भी न हो। मेरा निवेदन है कि एट्रोसिटी एक्ट के जो प्रावधान हैं उनको जिला सतर्कता समितियों के सामने रखा जाए जबकि होता यह है कि डीवाई.एस.पी. अपने स्तर पर एफ.आर. लगा देता है जिससे लोगों का कानून में विश्वास कम हो जाता है। अतः जमानत सम्बन्धी प्रावधानों को कठोर बनाया जाए।

सभापति महोदय, मेरे कुछ और सुझाव हैं, पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय सुविधाओं की जैसे इस बजट में घोषणा की गई है कि 160 आवास गृहों का निर्माण किया जाएगा, यह स्वागत योग्य है। इसके अलावा होम गार्ड और महिला होम गार्ड की भर्ती की जाए और उनका मैस भत्ता बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोला जाए। मेरा विधान सभा क्षेत्र देसूरी अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। देसूरी की नाल जहां खतम

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

होती है वहां मैदानी इलाका आ जाता है। मध्यप्रदेश और उदयपुर के अधिकांश तस्कर देसूरी की नाल से होकर अक्सर भाग जाया करते हैं। क्योंकि पुरानी कहावत है कि भय बिन प्रीत नहीं। उनको पता है कि पुलिस जाब्ता कम होगा इसलिए आसानी के साथ तस्करी करके भाग सकते हैं। मेरा निवेदन हैं मंत्रीजी से कि वहां पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय होगा तो निश्चित रूप से जाब्ता पुलिस का बढ़ेगा और तस्करों में भय व्याप्त होगा और तस्करी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा इससे राजस्व की हानि जो होती है वह भी कम होगी।

अन्त में मैं कारागार के बारे में निवेदन करना चाहती हूं। हमें आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि कारागारों में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, वहां की अच्छी व्यवस्था के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कारागारों में सुधार होना चाहिए, स्वयं के लिए जो भोजन कैदी बनाते हैं, उनके लिए रसोइयों की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां नियमित सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी मंथली शारीरिक जांच होनी चाहिए और उन्हें जीविकोपार्जन का उस दौरान प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि बाहर आने पर समाज में अपना जीविकोपार्जन अच्छी तरह से कर सके।

अन्त में मैं नगर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगी कि जब आपने अपना भाषण स्टार्ट किया था, हालांकि मैं आपके ऊपर कटाक्ष नहीं कर रही लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैतारण में जो एस सी का बंधु मारा गया उसकी पीड़ा हमें भी है और सरकार को भी है, सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। माननीय मंत्री खेमारामजी वहां पर गए थे। हर जगह गृह मंत्री के जाने की जरूरत नहीं। राजस्थान सरकार का कोई भी मंत्री चला जाए, राजस्थान सरकार वहां पहुंच गई।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : वे किसी अन्य प्रोग्राम में गए थे, वहां के लोग उनको लेकर गए थे।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : मेरी बात तो सुनो। मैं तो आपके बीच में नहीं बोली। मैं भी वही बात कर रही हूं जो आपकी चिन्ता है, आप इतना क्यों उछल रहे हो। मेरी भी चिन्ता है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी, जैसी आपके बारे में हमारी सबकी धारणा है कि आप बहुत संवेदनशील और अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं इसमें पूरा न्याय मिले, उसे कम से कम पांच लाख रुपये

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

सहायता मिलनी ही चाहिए और उसमें दोषियों को जरूर सजा मिले। उसमें अगर कोई निर्दोष है तो उसको फंसाया नहीं जाए और दोषियों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री ज्ञानचन्द पारख (अनुपस्थित),

श्री महीपाल सिंह यादव (अनुपस्थित),

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (अनुपस्थित),

श्रीमती ममता शर्मा (अनुपस्थित) श्री दलजीत सिंह।

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 और 17 पर चर्चा हो रही है। कहते हैं- Variety is the spice of life. मैं समझता हूं कि धौलपुर जिला Crime is the spice of life. किसी को नरक को फोन करना हो तो वहां पर एस.टी.डी. चार्जेज नहीं लगेंगे वहां लोकल चार्जेज ही होता है।

सभापति महोदय, तरह-तरह के क्राइम धौलपुर जिले में और खास तौर से बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में पर्याप्त हैं। मैं बहुत संक्षेप में और बहुत जल्दी-जल्दी पिछले छह महीने की गतिविधियां गृह मंत्रीजी, आपके सामने लाना चाहता हूं और इस कारण लाना चाहता हूं कि आपने खुद ही महसूस किया है अपने राजस्थान पुलिस वार्षिक प्रतिवेदन में कि धौलपुर, भरतपुर, करौली एक दस्यु क्षेत्र है। बहुत जल्दी-जल्दी मैं यह कहना चाह रहा हूं कि डाकुओं ने चौथ वसूली के लिए चिट्ठी दी 3.4.2005 को। डकैत गिरोह ने की दलित परिवार की पिटाई, 28.3 को। दस्यु गिरोह व पुलिस के बीच फायरिंग 28.3 । व्यवसायी के हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग 24.3, बीच बाजार में, कोई 7.30 या 8 बजे रात को कुछ व्यापारी अपने घर जा रहे थे, छह लोगों ने लाठी सहित उन पर हमला किया और हमला करने के बाद में आज तक कोई पुलिस कार्यवाही नहीं हुई। जो केस लगाया गया है...

श्री सभापति : माननीय बृजकिशोरजी, बैठे-बैठे समाचार-पत्र नहीं पढ़ें प्लीज। सदन में इस तरह समाचार-पत्र नहीं पढ़ें।

श्री दलजीत सिंह : डकैत मुखबिर के घर को दस्युओं ने घेरा, फायरिंग के बाद भाग निकले दस्यु। रोको, टोको व लूटो। कानून की आड़ में वाहनों से जबरन चौथ वसूली, यह है 30.3, हवाई फायर कर 50 हजार की मांग, 21.2, व्यापारी के घर फायरिंग 27.2.2005, सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज, आधा दर्जन ने किया बलात्कार 1.3.2005, बाड़ी, सरमथुरा में दस्यु निभाने लगे भूमिका। दस्युओं का कहर सरमथुरा में बलात्कार बढ़े। लूट में कोई कमी नहीं। बीते साल में पशु चोरी की घटनाएं बढ़ीं 19.1, बाड़ी और सरमथुरा में बढ़ा शराबियों का जमघट। डाकू गिरोह ने की ग्रामीण पर फायरिंग, पुलिस गार्ड 500 मीटर दूर मौजूद थी। पत्थर की खदानें बन्द। मजदूर रोटी-रोटी के लिए परेशान। महिला से छेड़खानी 25.11, दस्यु गिरोह की गोलीबारी में तीन जने घायल 7.11, दस्युओं ने किया गांव पर हमला 28.11, महिला के मुंह में डाला केरोसीन 18.11, रिश्ता तोड़ा तो मंगेतर से किया बलात्कार 21.11,

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कविता है?

श्री दलजीत सिंह : बहुत गम्भीर मामला है और गम्भीरता रखें आप मंत्री हो। फिरौती नहीं देने पर मारपीट। डकैतों और खदान निजी सुरक्षा गार्डो में घमासान, आधा घंटे जारी फायरिंग। भैंस चोरों का आतंक बढ़ा, 5.10, महिला से बलात्कार 6.10, फूलबाई हत्याकांड का पर्दाफाश करने की मांग। यह एक ऐसी महिला है इसके शरीर से उसका सिर अलग किया गया, एक बोरी में बांधकर बाड़ी शहर के अन्दर पटका गया और आज तक इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई, कोई पकड़ा नहीं गया। कुछ दिन पहले एक एस.सी. महिला के साथ बलात्कार हुआ, आज तक मुलजिम नहीं पकड़े गये। उससे कुछ दिन पहले एक लड़के के साथ, बच्चे के साथ बलात्कार किया गया था, उसकी हत्या की गई, आज तक कोई कार्यवाही नहीं। एक ए.एस.आई. दस्युओं की गोलियों से मारा गया, कोई कार्यवाही नहीं। गत दिनों में पुलिस थानों से वायरलैस सेट चोरी हुए, कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं और जिन लोगों ने वायरलैस सेट लौटाये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो मेरे कहने का यह मकसद है कि यह केवल चार महीनों की गतिविधियां हैं। पिछले 40 साल में क्या गतिविधियां बीती होगी इस जिले में यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। यह न तो बी.जे.पी. के ऊपर आरोप है, न कांग्रेस के ऊपर आरोप है। एक परम्परा है वहां पर जिसको हमको बहुत गम्भीरता से लेना पड़ेगा। जब आप इसको दस्यु क्षेत्र मानते हो...

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसको आप समाप्त कर सकते हो।

श्री दलजीत सिंह : प्लीज, आप फालतू में बकवास मत करो। (व्यवधान) मैं आपसे बात नहीं करना चाह रहा, मैं सभापतिजी से बात कर रहा हूं। सभापति महोदय, यह एक समस्या है, इस समस्या को हल करने के लिए कई सालों से हमने क्या किया। अभी कहा गया कि 709 थाने हैं जिनमें आधे से ज्यादा थानों में 12 और 15 कांस्टेबल हैं और उसमें धौलपुर जिले के थाने आते हैं, 12 या 15 कांस्टेबल एक थाने में होते हैं, यह भी सही कहा है कि एक कांस्टेबल केवल रह जाता है बाकी अन्य ड्यूटी में लग जाते हैं, जिसकी ड्यूटी लगती है 70 या 80 गांवों में वह जाकर मुकदमों में जाकर देख सकता है कि क्या मुकदमा हुआ है, क्या-क्या दर्ज हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है इससे कोई क्राइम सोल्व होने वाला नहीं है। कौनसी बन्दूक है, सही कहा था एक माननीय सदस्य ने 1917 के बने हुए थ्री नोट थ्री जो वर्ल्ड वार वन में इस्तेमाल हो रहे थे वे आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। उनका क्या लाठी का काम है कि राइफल का काम कर रहे हैं वह जबकि दस्युओं के पास में एस.एल.आर., वायरलैस सैट्स, मोबाइल हर किस्म के साधन और हमारी पुलिस के पास टूटी-फूटी जीपें जो ढाई लाख किलोमीटर चल चुकी हैं, वायरलैस सैट जो आउटडेटेड हैं, यह कैसे काम चलेगा? उस क्षेत्र के अन्दर एक ऐसा माहौल बना हुआ है आज से नहीं कई दशकों से कि न तो कोई व्यापारी कोई उद्योग लगाना चाहता है, पर्यटन का तो भूल ही जाओ कि वहां एक कोई भी अन्तरराष्ट्रीय से आता है तो कहते हैं कि धौलपुर से गुजरना है तो 6 बजे रात के पहले पहले आप गुजरो वरना वहां पर पता नहीं क्या हमला आपके साथ हो जाएगा। ऐसे वातावरण में हम क्या उम्मीद करते हैं कि धौलपुर, भरतपुर, करौली का क्या विकास हो सकेगा? कौन यहां पर पैसा लगाएगा? वह लोग जो वहां बसे हुए हैं उन पर क्या बीत रही है। सभापति महोदय, एक लिविंग हेल है, दिन में पीने का पानी नहीं, रात को कोई बिजली नहीं, दिन और रात डकैतियों की समस्या, हमें यह सोचना पड़ेगा पूरे राजस्थान के अन्दर इन चार दीवारों में गूंज रहा है बलात्कार, हत्या, डकैती, यह हो क्यों रहा है? ये यों हो रहा है, गृह मंत्री महोदय, कि क्या यह बजट जो हम स्वीकृत करते हैं इस विभाग के लिए यह सही पर्याप्त है? आपको भी यह जानकारी है कि 10 साल पहले जो यह बजट था तो इसमें 87.8 प्रतिशत से बढ़कर 94 प्रतिशत हो गया है। यह तो सही है पर इसमें वेतन 87 परसेंट से 91 परसेंट बढ़ गया है। सौ प्रतिशत में जब 91 प्रतिशत वेतन में जाता है तो बन्दूक, हथियार, वायरलैस सैट्स, जीपें यह कहां से खरीदे जाएंगे। बाकी जो 6 या 7 परसेंट है वह पेट्रोल में डीजल में, मरम्मत में जाता है तो, सभापति महोदय, इस बजट से क्या कटौती प्रस्ताव, मैं तो एक बढ़ोतरी प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि यह पुलिस का

(श्री दलजीत सिंह)

बजट रिवाइज्ड हो और इस बजट के अन्दर इसका जो पैसा दिया जा रहा है पुलिस के लिए उसको बढ़ाया जाए और एक परसेंट, दो परसेंट नहीं, कई परसेंट से वरना हर रोज जब भी इस सदन में चर्चा होगी तो सब क्राइम के बारे में चर्चा होगी। इसमें पुलिस का क्या कसूर है? हमने दिया क्या है इनको? इनका वेतन देखा जाए तो एक सैकण्ड ग्रेड टीचर का वेतन उतना ही है जितना एक पुलिस कांस्टेबल का है। (व्यवधान) ग्रेड टू अध्यापक एक एस.आई. जितनी तनख्वाह लेता है और एक कम्पाउण्डर, एक पशुधन सहायक को तनख्वाह उसको मिलती है एक इंस्पेक्टर सहायक जिला आयुर्वेद, स्कूली व्याख्याता और सहायक लेखा अधिकारी की तनख्वाह मिलती है, उससे हम क्या उम्मीद करेंगे? क्या उम्मीद है उस बेचारे से जो 24 घण्टे की उसकी ड्यूटी है और एक चुटकी में हम उसका तबादला कर देते हैं।

अब तबादले की बात कर रहे हैं, क्या कानून व्यवस्था रख सकेंगे, एस.पी. की तो बात बहुत छोटी है, जब डी.जी. एक कांस्टेबल का भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है, यह डिसिप्लीनरी फोर्स है, सभापति महोदय, और जो एक एस.पी. है डी.जी. अपनी फोर्स के ऊपर डिसिप्लीन नहीं रख सकता है उनको डी.जी. बनने का फायदा क्या या एस.पी. अपने कांस्टेबल के ऊपर क्या कंट्रोल कर सकता है? यह बेन ठीक है टीचर के लिए रखो, यह बेन क्यों लगा रहता है पुलिस के ऊपर इतने सारे क्राइम के साथ में कोई न कोई तो कसूरमन्द होगा। हम क्या कर रहे हैं उस पुलिस के लिए, पुलिस के लिए क्या एक्स्ट्रा कोई सुविधा है इनको रहने के लिए, आप उनके पुलिस थाने जाओ, रहने के लिए कोई जगह ही नहीं, इनके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कोई शिक्षा नहीं, समय समय पर इनके ट्रांसफर होते रहते हैं और एक तलवार लटकी रहती है कि आप मेरा कहना नहीं मानोगे तो आप इस थाने में नहीं टिकोगे और इसका कसूरमन्द कौन है, हम और आप। (व्यवधान) लटकी रहनी चाहिए जरूरी, ठीक है, मेरा जेंडर खराब है तो क्या बोलूंगा?

श्री तगाराम चौधरी : इनके ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं वह गलत है और फिर कहते हैं कि होते हैं तो कौन सा सही है?

श्री दलजीत सिंह : क्या?

श्री तगाराम चौधरी : आपने कहा प्रतिबन्ध ट्रांसफर पर नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हो ट्रांसफर हो जाते हैं।

श्री सभापति : तगारामजी, बिराजो। माननीय सदस्य, आप तगारामजी से मत उलझो।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, तगारामजी नहीं, तगड़ारामजी।

श्री दलजीत सिंह : सभापति महोदय, यह तो गृह मंत्री को ही मालूम है कि सेलेरीज, वेतन के लिए हमारे पास इतना पर्याप्त बजट नहीं है और या पर्याप्त नहीं करना चाहते हैं कि हम और पुलिस के लिए कुछ कर सकें। यह पैसा ज्यादातर केन्द्र सरकार से आता है, पर हमारी भी कोई मैचिंग ग्रांट होती है, 40 प्रतिशत हमारी मैचिंग ग्रांट होती है, पिछले साल यह मैचिंग ग्रांट हमने दी नहीं तो हमको जो सुविधा मिलती या पैसा बाहर से आना चाहिए था वह आया नहीं तो गृह मंत्री महोदय, मैं आपसे खास निवेदन करता हूं, पुलिस से हमको काम लेना है तो हमको उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके बारे में ध्यान भी देना है और आप अपने प्रभाव से इस बजट को बढ़ाइए ताकि कानून व्यवस्था में सुधार आए और जो क्राइम हैं उस क्राइम की रेट कम हो, इन शब्दों के साथ, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, सभापति महोदय, कि आपने मुझे मौका दिया बात करने के लिए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामलाल शर्मा (अनुपस्थित)

एक मिनट बैठ जाओ प्लीज। श्री रणवीर सिंह गुढा (अनुपस्थित), श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल : माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या-16 और मांग संख्या-17 कारागार पर सुबह से जो इस पवित्र सदन में मांग पर पक्ष और विपक्ष के जो विचारों का आदान प्रदान है उसके लिए बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बहुत संक्षेप में और बिन्दुवार मांग संख्या-17 कारागार पर निवेदन करूंगा और मांग संख्या-16 पर संक्षेप में आपसे निवेदन करूंगा।

आदरणीय सभापति महोदय, मुलजिम का रहने का जो सबसे महत्वपूर्ण घर है, उसका आवास है, जिसको बंदीगृह कहा जा सकता है, जिसको जेल कहा जा सकता है, जिसको कारागार कहा जा सकता है, यह जो कारागृह है यह जो जेल है, यह उन व्यक्तियों के रहने का स्थान है जो समाज की निगाह में, कानून की निगाह में एक गुनाहगार हैं। गुनाह किन परिस्थितियों में हुआ, गुनाह किया गया या करवाया गया, गुनाह व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए भी कर सकता है, परिस्थितिवश भी कर

(श्री जोगाराम पटेल)

सकता है, भूल से भी कर सकता है परन्तु जिस स्थान पर वह रहता है वह स्थान जेल है और उस जेल या कारागार में उसको उस समय तक रहना पड़ता है जब तक कानून की निगाह में वह गुनाहगार है और ज्यों ही कानून की निगाह में वह गुनाहगार समाप्त हो जाता है तो वह जेल से बाहर आ जाता है। जेल में उसके रहवास की सुविधा, भोजन की सुविधा और वर्तमान आधुनिक युग में रोजगार की सुविधा, अपराध छोड़ने की प्रवृत्ति, उसकी मानसिकता बदलने की कार्यवाही भी की जाती है और यह सभी कार्यवाहियां हैं वो कारागार से सम्बन्धित हैं। राजस्थान में केन्द्रीय कारागार जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर व श्रीगंगानगर में है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को, हमारे गृह मंत्रीजी को और गृह राज्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस सम्बन्ध में अनेक स्टेप्स उठाये हैं। इन जेलकर्मियों की और इनमें आवास करने वाले गुनाहगारों की भोजन से सम्बन्धित, रहवास से सम्बन्धित और अपराध की प्रवृत्ति को भविष्य में नहीं करें इससे सम्बन्धित बहुत स्टेप उठाये हैं और उनके द्वारा की गई इन कार्यवाहियों से मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में वह जो बन्दी एक बार जेल में आया है, अपराध प्रवृत्ति उसने अपनाई है, उसकी मानसिकता में जो अपराध प्रवृत्ति घुसी है वह निकले, ऐसा प्रयास जो किया गया है तो भविष्य में वह अपराध नहीं करेगा। परन्तु मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कुछ निवेदन भी करना चाहूंगा और वो निवेदन इस आधार पर करना चाहूंगा कि राजस्थान में और यहां तक मैं कहूं कि भारत में सबसे सुरक्षित अगर कोई जेल है तो वह जोधपुर का केन्द्रीय कारागार है। आदरणीय सभापति महोदय, जैसा कि आपको विदित है, कश्मीर के आतंकवादी हो या 1984 के दंगों के आतंकवादी हैं या खतरनाक से खतरनाक कोई भी आतंकवादी है तो उसको रखने की एकमात्र जगह है वह जोधपुर का केन्द्रीय कारागृह है। आज भी जोधपुर के केन्द्रीय कारागार में करीब 25 आतंकवादीं हैं वे बंदीगृह में रखे हुए हैं। ऐसे कई खतरनाक जिनको आइडेंटिफाई भी नहीं किया जा सकता वे सारे बंदी जोधपुर के कारागृह में रखे हुए हैं। यह जोधपुर का कारागृह बहुत पुराने समय से बना हुआ है। इसमें करीब ढाई सौ सभी तरह के कर्मियों का स्टाफ है परन्तु रहवास हेतु मात्र 50 क्वार्टर हैं और पिछले करीब 50-60 वर्षों से राजस्थान बनने से पहले से ही यह कारागृह है और उसमें आज दिन तक जो आफिसर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं या जेलकर्मी हैं उनके आवास के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इतने बड़े स्टाफ के लिए रहवास की व्यवस्था की जाए। रहवास और आवास के अभाव में वे अपनी ड्यूटी. अपना कर्तव्य है उसको बराबर निभा नहीं पा रहे हैं। अपने परिवार को नहीं रख पा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं।

(श्री जोगाराम पटेल)

उनके लिए सम्भव नहीं है कि इस मंहगाई के जमाने में वे बाहर अन्यत्र कोई किराये का मकान लें। इसलिए मेरा पहला निवेदन है कि उनके रहवास की सुविधा कराई जाए और जैसे कि जयपुर जेल में अभी बैरक बनाने का खर्चा किया जा रहा है वैसा का वैसा केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में भी किया जाए।

मेरा दूसरा निवेदन है पे-स्केल के सम्बन्ध में। जैसा कि अभी कई पूर्ववर्ती माननीय सदस्यों ने पे-स्केल के बारे में बताया और यह बताया कि 1998 के बाद राजस्थान के पुलिसकर्मियों और जेलकर्मियों के वेतन में जो भेदना की गई है उसके कारण इनकी मानसिकता में बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा है। एक ही तरह की सेवा दी जा रही है, एक ही तरह की ड्यूटी दी जा रही है परन्तु दोनों के पे-स्केल में बड़ा फर्क है। एक ही जेलकर्मी है, सिपाही है उससे वह सुपीरियर पोस्ट पर है। वह उसी प्रकार का है परन्तु उनके वेतन में बड़ी विसंगतियां हैं इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इनकी वेतन विसंगतियां को दूर किया जाए। इतना ही नहीं, मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट का जो एक ही पे-स्केल है उसमें भी परिवर्तन किया जाए और ड्यूटी के अनुसार उनके वेतन में संशोधन किया जाए।

आदरणीय सभापति महोदय, वर्तमान में जोधपुर केन्द्रीय कारागार में करीब 872 कैदी हैं जिनमें से 200 अण्डर ट्रायल वाले हैं, विचाराधीन मुकदमों वाले हैं। सन् 1975-76 से लेकर के उस जमाने में करीब 250-300 कैदी हुआ करते थे तब से ले करके उतना ही स्टाफ आज है। पिछले करीब 25-30 वर्षों में उसमें रहने वाले कैदियों की संख्या करीब तीन या चार गुनी हो गई है परन्तु स्टाफ आज भी उतना ही है। इसलिए मेरा तीसरा निवेदन माननीय मंत्रीजी से यह है कि उसमें जो स्टाफ है उसकी व्यवस्था कैदियों के अनुसार की जाए क्योंकि उनको रखना, उनको भोजन खिलाना, उनकी मानसिकता बदलना, उनको रोजगार दिलाना, यह सभी कार्य तभी किये जा सकते हैं जब उसी के अनुरूप स्टाफ की व्यवस्था की जाए। वर्तमान में जो सिपाही हैं उनके 20 पद खाली हैं, हवलदार के 4 पद खाली हैं, जेलर के 4 पद खाली हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट का एक पद खाली है, डाक्टर का एक पद है वह भी खाली है और टेक्नीशियन का एक ही पद है वह भी खाली है। यहां पर इन सब कैदियों के लिए इतनी पोस्टें पहले से ही कम हैं और उनमें से भी इतनी अधिक करीब 25 प्रतिशत पोस्टें खाली हैं इसलिए जेल की सुव्यवस्था है उसमें भारी दिक्कतें आ रही हैं। चूंकि यहां पर जैसा मैंने अभी श्रीमान् सं

(श्री जोगाराम पटेल)

निवेदन किया कि 25 आतंकवादी रहते हैं उनके लिए स्पेशल गार्ड लगाने पड़ते हैं, स्पेशल-व्यवस्था करनी पड़ती है इस लिहाज से उनके स्टाफ की व्यवस्था तुरन्त की जानी आवश्यक है और मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि स्टाफ की व्यवस्था है वह तुरन्त प्रभाव से की जाए।

चौथा मेरा निवेदन है वह बजट एलोकेशन के सम्बन्ध में है। जोधपुर केन्द्रीय कारागृह वर्तमान में बजट के एलोकेशन की अव्यवस्था से भारी परेशानी में है। सारा बजट यहां दूसरे जेलों में चला जाता है और सबसे महत्वपूर्ण जेल होते हुए भी उनको पूरा बजट नहीं मिल पा रहा है। उनकी स्टेशनरी, वाहन, कैदियों का सामान, तेल, साबुन, कपड़े, सफाई कर्मचारी इत्यादि, इन सब सामान की उनको बड़ी भारी परेशानी और तकलीफ हो रही है। यहां तक कि उनको भोजन व्यवस्था में भी भारी तकलीफ आ रही है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जितने कैदी हैं उनकी आवश्यकतानुसार उनको बजट अलाट किया जाए ताकि उसकी व्यवस्था की जा सके। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, जोधपुर के केन्द्रीय कारागार की पिछले 30-35 वर्षों में एक बार भी कोई मरम्मत नहीं हुई है, न उसके सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की गई है। बिल्डिंग के सम्बन्ध में भी मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार जितने वर्तमान में अण्डर ट्रायल कैदी या जो पहले से ही कैदी है, सजायाफ्ता कैदी हैं उनके अनुसार उनकी व्यवस्था की जाए।

मैं एक निवेदन और करूंगा कि जो ट्रेनिंग है, जो रोजगार की व्यवस्था है वह मात्र कुछ लिमिटेड कैदियों के लिए है। मेरा माननीय मंत्रीजी से यह अनुरोध है कि उन सब कैदियों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए जो उस जेल में रहते हैं।

एक महत्वपूर्ण मेरा निवेदन है वह यह है कि दो तरह के कैदी आते हैं। एक कैदी जो आदतन अपराधी है और कुछ कारणों से बेल हो जाती है और वापस जेल में आते हैं उनको अण्डर ट्रायल कहते हैं। एक ऐसे कैदी हैं जो किसी अचानक ताव में आकर या अचानक झगड़े से या और किसी परिस्थिति से मुकदमा उन पर हो जाता है और वो जेल में चले जाते हैं। उन दोनों अण्डर ट्रायल प्रिजनर्स को, अण्डर ट्रायल कैदियों को, विचाराधीन मुकदमों के कैदियों को एक ही साथ रखा जाता है और वे जो आदतन अपराधी हैं वो ऐसी मनोवृत्ति उनके दिमाग में बिठाते हैं इसलिए वे अपराध करने की

(श्री जोगाराम पटेल)

मंशा से अपराध नहीं हुआ चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे और कोई है परन्तु गलती से या ताव में आकर या अन्य किसी कारण से उनसे अपराध हो गया परन्तु वे उन आदतन अपराधियों के साथ अगर महीने, 15 दिन, 10 दिन रहते हैं तो उनकी मानसिकता भी दिन-रात अपराधियों द्वारा मानसिकता देने से हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो आदतन अपराधी हैं और एक अचानक अपराध हो गया है उनको अलग-अलग रखा जाए ताकि उनकी मानसिकता में अपराध प्रवृत्ति नहीं आये।

इसके अलावा मेरा आपके माध्यम से यह भी अनुरोध है कि ऐसे अपराधी जो आवेश में अचानक उनसे अपराध हो गया है उनकी प्रवृत्ति बदलने के लिए, उनकी मानसिकता बदलने के लिए ऐसे ट्रेनिंग सैण्टर और ऐसे महानुभावों के भाषण, कवियों के सम्मेलन इत्यादि भी रखे जाने चाहिए जिससे उनकी मानसिकता अपराध प्रवृत्ति की तरह नहीं हो।

इसके अलावा मेरा निवेदन भी माननीय मंत्री महोदय से रहेगा मांग संख्या 16 के सम्बन्ध में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण थाने हैं लूणी और जवर परन्तु इनमें स्टाफ की बहुत कमी है और इन दोनों थानों में पिछले 30 वर्षों में न तो बिल्डिंग बनी हैं, न स्टाफ क्वार्टर बने हैं। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि एक तो इन दोनों थानों में बिल्डिंग की व्यवस्था की जावे और स्टाफ के क्वार्टर्स की व्यवस्था की जाये। एक तो क्वार्टर्स इन दोनों थानों में स्टाफ के रहवास हेतु नहीं है और जितना भी स्टाफ है, जैसा सभी माननीय सदस्यों ने बताया है कि स्टाफ की कमी है, परन्तु जितना भी स्टाफ है, उनके रहवास की कोई व्यवस्था नहीं है।

इतना ही नहीं, जोधपुर में जो औद्योगिक क्षेत्र है बोरानाडा, उसके थाना लगता है जवर, यह बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। बाहर के लोग भी हैं और वहां के भी हैं, बहुत बड़ी बस्ती हो गई है। बहुत बड़ी आबादी हो गई है परन्तु वहां पर पुलिस चौकी नहीं है और आदतन अपराधी वहां पर आ गये हैं बिहार से और अलग-अलग जगहों से, बांग्लादेश से भी आ गये हैं। परन्तु वहां पुलिस चौकी नहीं होने से रोजाना वहां पर 7-8 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि वहां पर एक पुलिस चौकी स्थापित की जाये।

इसके अलावा पाली और जोधपुर हाईवे पर अनेक इण्डस्ट्री आ गई हैं. बड़ी बड़ी होटल आ गई हैं इसलिए मेरा श्रीमान् से यह अनुराध है कि इसकी एक पुलिस चौकी और स्थापित की जाये नेशनल हाईवे पर क्योंकि यहां पर आदतन रोजाना दो-

(श्री जोगाराम पटेल)

चार एक्सीडेंट्स भी होते हैं इसलिए और तीसरी एक पुलिस चौकी दुंदारा में कायम की जाये क्योंकि 30 किलोमीटर के क्षेत्र में पुलिस चौकी दूर पड़ती है और एक पुलिस चौकी वहां पर होनी आवश्यक है। वहां अधिकतम मुकदमेबाजी है इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा एक पुलिस चौकी दुंदारा में कायम की जाये।

अन्त में मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का और हमारे मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जो अभी पूर्ववर्ती माननीय सदस्यों ने पुलिस के सुधार के प्रति, आधुनिकीकरण के बारे में बताया उसके लिए उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मदन राठौड़। जल्दी, पांच-सात मिनट में ही।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : माननीय सभापति महोदय, अभी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जो बाड़ी से आये हैं, उन्होंने सारे अपराध गिनाये कि आपका राज आने के बाद में इतने-इतने अपराध हुए, उनको चिन्ता भी वाजिब है क्योंकि कांग्रेस के जमाने में अपराध होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वे अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि अपराध तो होते ही हैं और कांग्रेस के राज में होते हैं और होते ही रहते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में हुए, यह उनको आश्चर्य हुआ और मैं सोचता हूं कि यह ठीक भी है कि भाजपा के राज में अपराध होना वास्तव में चिन्ता की बात है।

अभी नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, बहुत बड़ा अपराध उन्होंने गिनाया कि एक विधायक के भाई की हत्या हो गई, मुख्य मंत्री के निवास में पागल आ गया, बिजली के तार चले गये। अब मैं उनको बताना चाहूंगा कि जब अपराध दुनिया में बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर को सबसे सुरक्षित माना जाता है, वहां पर भी हमला हो गया, पेंटागन पर हो गया तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन आपकी चिन्ता भी वाजिब है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि देशभर में थानों को जोड़ने की एक योजना बन रही है, एक अप्रैल से एक्सपेरीमेंट चला पोलनेट का और इस पोलनेट के माध्यम से सारे राज्यों को वी-सैट से जोड़ा गया और इसी प्रकार से माटबेस स्टेशन से जिला केन्द्रों को जोड़ा गया और इसी प्रकार से हिन्दुस्तान के सारे ही थानों को, 993 जिलों में सीधी बातचीत और 11502 पुलिस थानों

को नेटवर्क से जोड़ने की जो स्कीम बनाई है, वह बहुत लाभप्रद है। उससे निश्चित रूप से अपराधियों को पकड़ने में, उनके रिकार्ड की जानकारी करने के लिए इससे लाभ मिलने वाला है। यह बात बिलकुल सही है कि वैज्ञानिक तरीकों में बहुत इजाफा हो गया लेकिन यह बात भी सही है कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है कि हम 1974 के पैटर्न और उन्हीं नोर्म्स के आधार पर चल रहे हैं और उस समय 2,83,14,623 की अपनी आबादी थी और आज 2004 में 6,02,13,262 की जनसंख्या हो गई है। यह बात भी बिलकुल सही है कि अभी 1:950 का पुलिस और जनसंख्या का अनुपात है और मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। यह बात भी सही है कि जिनमें 12 सिपाही हैं और उनका यदि वर्गीकरण किया जाये तो केवल एक सिपाही ही ऐसा मिलता है तो 70-80 गांवों में घूम-घामकर सूचनाएं भी वही इकट्ठा करे, अपराधों पर नियंत्रण रखने का भी वही प्रयास करे और बाकी तो कोई चार संतरी ड्यूटी में लग जाते हैं, एक वायरलैस सैट पर रहता है, एक कोर्ट ड्यूटी में चला जाता है, एक प्रशासनिक कार्यों में लग जाता है। दो कोई जांच अधिकारी के साथ में लग जाते हैं। कोई बीमारी-छुट्टी में भी चला जाता है। इस प्रकार से जो व्यवस्था है, उसमें मैं सोचता हूं कि पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। जाप्ते की कमी के कारण से पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग में भी नहीं आ पाते हैं और इसके कारण से जो अनुसंधान के नये तरीके हैं, वह अपन नहीं अपना पा रहे हैं। इसके लिए भी मेरा वह प्रयास रहेगा कि पुलिसकर्मियों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ाई जानी चाहिए।

केन्द्र में जब भा.ज.पा. की सरकार थी तो मलिमथ कमेटी और पद्मनाभैया कमेटी ने बहुमूल्य सुझाव दिये थे और उसके आधार पर राजस्थान में भी पुलिस एक्ट, 1861 में संशोधन करने का दूसरा, नया पुलिस एक्ट बनाने के लिए कमेटी ने सुझाव दिये थे और गत पांच वर्षों में वह कमेटी के सुझाव ठंडे बस्ते में पड़े हैं। किसी प्रकार का उन सुझावों पर अमल लाने का किसी ने प्रयास नहीं किया। मैं चाहूंगा कि अब उन पर अमल लाया जाना चाहिए।

जघन्य अपराधों के जो अपराधी होते हैं, उनकी आज जमानत बहुत आसान हो गई है। वकील एक से बढ़कर एक मिल जाते हैं और वकील लोग इस प्रकार के अपराधियों को छुड़ाने में सहायक होते हैं इसलिए इसमें कोई न कोई प्रयास किया जाना चाहिए कि अपराधियों की जमानत आसानी से नहीं हो सके।

पुलिस का बजट निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। यह सभी की मांग भी

(श्री मदन राठौड़)

है कि जो बजट पुलिस को दिया जा रहा है, उसमें से अधिकांश वेतन में ही चला जाता है। वाहनों के रख-रखाव के लिए थानों को बजट नहीं मिलता है। स्टेशनरी के मामले में भी बहुत चिन्ता की बात है कि कोई भी शिकायत लेकर जाता है पुलिस थाने में सबसे पहले यह कहा जाता है कि एक दस्ता आप कागज का लेकर आओ उसके बाद ही मुकदमा दर्ज करेंगे। उसमें भी निश्चित रूप से सुधार किया जाना चाहिए। अपराधियों के पास तो निश्चित रूप से अत्याधुनिक साधन हैं तथा टी.वी. और फिल्मों के माध्यम से भी अपराध करने की उनको प्रेरणा मिल जाती है। फिर भी इसके बावजूद हमारे गृह मंत्रीजी ने बहुत अच्छे प्रयास किये। डी.जी.पी. और सारे जो अन्य अधिकारी हैं, उन्होंने भी तत्परता से, कर्तव्यपरायणता से अपराधों की रोकथाम का प्रयास किया है। दस्यु उन्मूलन में सफलता मिली। डकैती पकड़ी और जो 1,65,35,493 रुपये की डकैती हुई थी, उसमें से 1,23,44,549 रुपये की बरामदगी भी हुई। कई वारदातें लूट और इस प्रकार के वारदातों में अपराधी गिरफ्तार भी हुए. यह बात भी बिलकुल सही है। कई ऐसे ब्लांइड मर्डर हुए, उनकी भी खोज की गई और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। कई नकबजनियां और चोरी, ये सब भी और इसमें मूर्तिचोर भी शामिल हैं। ऐसे अपराधियों को भी गिरफ्तार करके पुलिस ने उन्हें भी जेलों में ठूंसने का प्रयास किया है। कई धोखाधड़ी के अपराध, यह सब भी हुए हैं।

एक अपहरण का मामला मेरे जिले में धीमारा है, यह भरतपुर के जो माननीय सदस्य हैं, शायद यहां बैठे हैं, तो वे भी समझ रहे होंगे, उसमें भी अपराधी पकड़े गये। हालांकि मैं यह नहीं बताना चाहूंगा कि वे कौन थे और किसके रिश्तेदार थे? लेकिन जो गिरफ्तार हुए एजाज अहमद. आरिफ खां, सुलतान खां और इसके साथ ही दो और अपराधी पकड़े गये। अब पता नहीं, उन्होंने किस प्रकार से प्रयास किया, वह तो वही बतायेंगे, मैं कोई आरोप लगाना भी नहीं चाहता।

मादक पदार्थों में भी एन.डी.पी.एस. के तहत 850 प्रकरण दर्ज हुए और 1153 मुलजिम गिरफ्तार हुए। उनमें से कइयों से ब्राउन शुगर, हेरोइन वगैरह सब पकड़ी गई तो यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अपराधियों को यह प्रेरणा मिलती है; यह मीडिया वाले देते हैं कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हेरोइन की कीमत एक किलो की एक करोड़ रुपये। अब यदि एक करोड़ की बात चर्चा में आती है तो शोर्टकट कोई भी व्यक्ति ढूंढता है कि जितना जल्दी हो सके, हम करोड़पति बन जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा, पाली

जिले में छह वर्ष की बच्ची के साथ 13 दिसम्बर को जो बलात्कार हुआ, 19 दिसम्बर को पुलिस ने पकड़ लिया। यही नहीं, एक दूसरी बच्ची के साथ में भी हुआ तो उसके डी.एन.ए. का इन्तजार हो रहा है और मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में है। अपहरण के प्रयास का भी जो भी हुआ, उसमें आकाश नाम का बालक था, वह भी पकड़ा गया और उसमें भी मुलजिम को गिरफ्तार करके पुलिस ने बरामदगी की है। यही नहीं, सुमेल का, रायपुर का और कुछ हमारे विरोधियों ने प्रयास किया कि बसन्ती और गणपत वैष्णव थे, वह सती होने का प्रयास कर रहे थे और सती के लिए लगभग 30-35 हजार लोग वहां पर आ गये, उनको बुला लिया और सती की तैयारियां चल रही थीं तो उसमें भी पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाई...

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज, समाप्त करें।

श्री मदन राठौड़ : नहीं, सभापति महोदय, मुझे केवल आपने तीन मिनट दिये हैं, मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूं।

श्री सभापति : क्या, तीन मिनट दिये हैं?

श्री मदन राठौड़ : मैं दो मिनट में पूरी कर रहा हूं। सभापति महोदय, पहले बहुत पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस मिनट लोगों को दिये थे, मैं दो मिनट में पूरी कर रहा हूं।

श्री सभापति : आप आठ मिनट ले चुके हैं माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ : उसमें भी, जन सहभागिता शिविर में इसका भी लाभ मिला कि उसके एक सदस्य थे गोपाल पारीक, उन्होंने सबसे पहले पुलिस को सूचना दी और इसके कारण से यह राजस्थान के माथे पर जो कलंक लगने वाला था, उस कलंक को रोक दिया गया, कलंक नहीं लगने दिया गया और इस प्रकार से सती नहीं हो पाई। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मानवाधिकार आयोग और अल्पसंख्यक आयोग हैं, यह भी बहुत हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं यह नहीं चाहूंगा कि पुलिस निरंकुश हो जाय लेकिन इस प्रकार के जो आयोग हैं, पुलिस को पंगु बनाकर रख देते हैं, यह भी ठीक नहीं है। तुलसीदासजी ने कहा है कि विनय न जानत जलधि जड़, भये तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। इसलिए भय तो चाहिए ही चाहिए। इसके लिए मैं यह नहीं कहता कि corporal punishment is essential for discipline.

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज, समाप्त करें।

श्री मदन राठौड़ : लेकिन पुलिस का व्यवहार भी दुष्टतारहित हो। प्रित्रायाणा साधुनाम् विनाशाय च दुष्कृताम्। इस प्रकार का व्यवहार पुलिस का भी हो, यह आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : धन्यवाद, धन्यवाद। श्रीगोपाल बाहेती।

श्री मदन राठौड़ : गुण्डा एक्ट जो बन्द किया है, वह निष्प्रभावी हो गया है। सभापति महोदय, एक मिनट में मैं अपनी दो-तीन बातें जो निवेदन करनी है, मैं एक मिनट में पूरी कर रहा हूं। सभापति महोदय, प्लीज, एक मिनट। जो गुण्डा एक्ट निष्प्रभावी हो गया उस गुण्डा एक्ट को...

श्री मोहन लाल गुप्ता : सभापति महोदय, मेरा नाम माननीय मुख्य सचेतकजी ने दिया था...

श्री सभापति : आपका नाम पुकारा गया है, आप नहीं थे।

श्री मोहन लाल गुप्ता : जो लोग यहां पर चाय पीने के लिए गये उनका नाम आपने फटाफट बोल दिया...

श्री सभापति : ऐसा नहीं है, आपका नाम ले लेंगे। मैंने पुकारा है नाम।

श्री मदन राठौड़ : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो गुण्डा एक्ट निष्प्रभावी कर दिया गया है इसकी जगह पर महाराष्ट्र के पैटर्न पर खोखा का एक नया कानून बना है...

श्री मोहन लाल गुप्ता : वह तो ठीक है। जो लोग नहीं थे उनके नाम आपने फटाफट बोल दिये।

श्री सभापति : ऐसा नहीं है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : ऐसा ही है। सुबह से बैठा हुआ हूं मैं।

श्री सभापति : आपका नाम पुकारा है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : नहीं, अगर आपने सही किया है तो फिर पहले वाले जो

सभापति थे उन्होंने मेरे से पहले वालों का नाम आगे ले लिया, यह ठीक नहीं है स्थिति।

श्री मदन राठौड़ : इस प्रकार का कानून लाया जाना चाहिए और गुण्डा एक्ट को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। एक और जो पुलिस ने व्यवस्था की है...

श्री सभापति : राउण्ड में आने दीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता : यह सभापति की जो न्यायप्रियता है उस पर एक प्रश्नचिन्ह है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : सभापति के लिए ऐसा मत बोलो आप।

श्री सभापति : ऐसा नहीं है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : बिलकुल ठीक बात है। आप देख लीजिये।

श्री सभापति : ऐसा नहीं है। (व्यवधान) यह लिस्ट है मेरे पास।

श्री मोहन लाल गुप्ता : आप देख लीजिये न, मैं सुबह से बैठा हुआ हूं और जब मैं चाय पीने के लिए गया तो फटाफट नाम बोल दिया आपने।

श्री सभापति : मैं देख रहा हूं। यह जो सचेतकजी लिस्ट देते हैं उसी के आधार पर पुकारते हैं नाम। इसलिए यदि कोई चेंज करते हैं, नो-नो, जो चेंज करते हैं, जो चीफ व्हिप चेंज करके भेजते हैं वही चेंज करता हूं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : हां, तो चेंज भी किये हुए हैं, चेंज भी किये हुए आप देख लीजिये। आप देख लीजिये सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : नहीं-नहीं, एक मिनट। प्लीज, मैं खतम कर रहा हूं, एक मिनट में (व्यवधान) एक मिनट में मेरी बात खतम हो रही, बस दो-तीन बातें कहनी हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो एक केस आफिसर स्कीम आपने शुरू की है उसमें शातिर अपराधियों को सजा दिलाने तक...

(18.32 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : अब विराजो। आप विराजो अब।

श्री मदन राठौड़ : जांच अधिकारी उसका पीछा करता है। एक मिनट, अभी वह बैठ रहे हैं, आप थोड़ा धीरज रखो। इसी प्रकार से मुकदमा कोई दर्ज करवाता है और उस पर केवल 182 और 211 आई.पी.सी. है, यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि यह बात बिलकुल सही है, उसमें पुलिस का समय, धन और श्रमशक्ति का नाश होता है, सत्य को सत्य साबित करना फिर भी ठीक है लेकिन झूठ को झूठ साबित करना बहुत कठिन है, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं उनके खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए। (व्यवधान) धारा 304-ए के बारे में कहना चाहूंगा कि धारा 304-ए आज के जमाने में अप्रासंगिक हो गई है क्योंकि पहले धारा 304-ए केवल अंग्रेजों के जमाने में, उनके पास में वाहन थे, उनके वाहनों से अपने हिन्दुस्तान के नागरिक कुचल दिये जाते थे और अंग्रेजों को लाभ देने की नीयत से इस प्रकार का धारा 304-ए का प्रावधान रखा गया था, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर भी थोड़ा-बहुत कठोर दण्ड का प्रावधान होना चाहिए। पुलिस को कुछ अतिरिक्त धन खर्च करने का, जैसे मुखबिर को तैयार करना, लावारिस लाश का दाह-संस्कार करना, इस प्रकार से उनको भी धन मिलना चाहिए।

मैं मेरे पाली जिले का कुछ निवेदन करूंगा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी बढ़ायें, सतरह अस्थाई चौकियों को स्थाई करने का प्रयास करें। जो पुनर्गठन प्रस्ताव है उसको अमल में लायें। सुमेरपुर में जो टाउन चौकी है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ : बस, खतम हो गया साहब। सोला में एम्बुलेंस, ट्रोमा सेंटर वगैरह, इसके लिए मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से। आज समय बहुत कम दिया...

श्री उपाध्यक्ष : कोई कम नहीं दिया। श्रीगोपाल बाहेती (व्यवधान) माननीय सदस्य।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुलिस और कारागार के कटौती प्रस्ताव पर...(व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : कट मोशन में ठेठ ऊपर है हमारा नाम... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, फिर हमारे नाम का क्या?

डा. श्रीगोपाल बाहेती : आप विराजें अब, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, अभी आप मुझे बोलने का मौका देंगे क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी यह कह रहे हैं, आपको भी मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है कि नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी दे देंगे।

श्री मोहन लाल गुप्ता : नहीं, है कि नहीं है, आप जरा देख लें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। मैं पुलिस और कारागार के कटौती प्रस्ताव पर अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, वह आपको उप सभापति महोदय कुछ कहकर गये होंगे। सुबह से बैठा हूं यहां, आकर बैठे और जो एबसेंट हैं उनको दे गये फट, फट, फट।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : माननीय उपाध्यक्षजी, अभी जो मेरे साथी इसमें हिस्सा ले रहे थे और सबकी एक चिन्ता थी कि राज्य के अन्दर कानून-व्यवस्था बहुत अच्छी हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब राजस्थान की सरकार गृह विभाग के लिए बजट ही कम देगी तो कैसे काम चलेगा। जिस बजट के अन्दर 90 प्रतिशत पैसा लगे तनख्वाह में और आधुनिकीकरण, उन्नयन के लिए लगे 1.61 प्रतिशत, उन थानों की स्थिति क्या होगी, यह आप कल्पना कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो उनका लेखन व

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

मुद्रण है वह है .14 प्रतिशत। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के अन्दर गत सोलह महीने के अन्दर जो स्थिति कानून और व्यवस्था की रही है, जो पुस्तक हमें मिली है उस हिसाब से सब अपराधों में वृद्धि हुई है, केवल कमी हुई है बलवे में, वह कमी इसलिए हुई है कि वह लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। बाकी चाहे वह अपराध महिलाओं पर हो, चाहे दूसरे अपराध हों, सब अपराधों में वृद्धि हुई है और महिला अत्याचार के अन्दर 11.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो अपने आप में बहुत उल्लेखनीय है और कुल 6.37 प्रतिशत वृद्धि अपराधों में हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि जिस गति से बलात्कार, डकैती, चोरी, हत्याएं बढ़ रही हैं, यह बहुत चिन्ता की बात है। अकेले अजमेर शहर के अन्दर गत सोलह महीने के अन्दर पन्द्रह से बीस, बीस मर्डर हो चुके हैं और बीस में से केवल दो मर्डर पकड़े गये हैं, बाकी सारे अब तक ब्लाइंड है, यह अपनी पुलिस की योग्यता का प्रतीक है। जिस प्रकार से पुलिस नफरी के अन्दर कमी है उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में बताया गया कि माननीय गृह मंत्रीजी इस साल चार हजार कांस्टेबल भर्ती करेंगे जबकि इनकी जो वेकेंसी है उसमें इनके 4900 तो कांस्टेबिल के स्थान रिक्त हैं और यह बात सही है कि 1974 के आधार पर जो नफरी तैयार की गई, यह आज बहुत कम है, तो 4900 तो कम है और चार हजार यह भर्ती करेंगे, तो किस प्रकार से यह थानों को स्ट्रेंथन करेंगे, यह सोचने की बात है। आज थानों के अन्दर कांस्टेबिल नहीं, वहां वाहन नहीं, वहां इक्यूपमेंट्स नहीं, वहां वीपन्स नहीं, एफ.एस.एल. की स्थिति यह है कि वहां इतनी वेकेंसी पड़ी है और पेन्डेंसी अठारह हजार से ऊपर है। आप कल्पना करिये कि किस प्रकार से अपराधों पर रोक लगेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ आपसे यह भी बताना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचारों में भी पहले से वृद्धि हुई है जो अपने आपमें सभ्य समाज के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। हम किस प्रकार से यह बात करते हैं कि हमने हमारे राज्य के अन्दर यह अच्छे कार्य किये या हमने कोई तरक्की की अपराधों के रोकने के अन्दर। आपने आंकड़े दिये कि हमने यह रोक दिया, वह रोक दिया, हमने इतने डिस्पोज कर दिये, इतनी एफ.आई.आर. पैंडिंग नहीं रही। जब एफ.आई.आर. लिखते ही नहीं है आप तो पैंडिंग कहां से रहेगी। एफ.आई.आर. लिखने के अन्दर कोताही बरती जा रही है। एक तरफ जयपुर में आप कहते हैं कि हमारी जो एफ.आई.आर. है वह हम ई-मेल के जरिये ले रहे हैं और शहरों में स्थिति यह है, गांवों में

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

स्थिति यह है कि एफ.आई.आर. के लिए भी फोन करना पड़ता है कि थानेदारजी. यह आदमी आ रहा है, इसकी एफ.आई.आर. लिख लीजिये। तो पुलिस जब तक खुद संवेदनशील नहीं होगी, इसके अन्दर रोक नहीं लग सकती। पुलिस हिरासत में भले ही मृत्यु नहीं हुई हो, लेकिन मैं अब भी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अजमेर की पुलिस लाइन में, जिस सोनवाल ने, एस.सी. के कांस्टेबल ने आत्मदाह किया, उस प्रश्न का उत्तर अब तक नहीं मिला है और पुलिस लाइन की स्थिति में जब तक आप इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, वहां के माहौल को आप सुधारेंगे नहीं, तब तक यह हत्याएं रुकने को नहीं है। आज जो स्थिति पुलिस लाइन की है, वहां खाने की व्यवस्था ठीक नहीं है, रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है। एक तो कांस्टेबिल के ऊपर यह टेंशन की पुलिस लाइन का मतलब मैं लाइन हाजिर हो गया हूं और ऊपर से उसे यदि प्रोपर बिहेवियर नहीं मिले, प्रोपर उसे प्लेस नहीं मिले रहने के लिए. तो कैसे उसकी मानसिक स्थिति होती है, इसकी आप कल्पना कीजिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हत्याएं, चेन छीनने के मामले, और तो और. अपने दरगाह और पुष्कर क्षेत्र के अन्दर जो मादक पदार्थ की तस्करी होती है वह उतनी बड़ी खेप वहां से तस्करी होती है कि एक बार तो स्थिति यह रही कि डेढ़ करोड़ से ऊपर की खेप गुजरात पुलिस ने पकड़ी और हमारी पुलिस मूकदर्शक भाव से देखती रही। (व्यवधान) आप बाद में बात कर लेना, आप कहें तब। मैं इस पर मना नहीं करता, मैं कह रहा हूं अजमेर की, पुष्कर की. मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप अपनी बात क्यों बीच में बोल रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि पुलिस की जानकारी के अन्दर जब यह काम होंगे तो पुलिस क्यों पकड़ेगी। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बिना पुलिस की लापरवाही के इस प्रकार के अपराध बढ़ते जाएं यह नामुमकिन है। इसी प्रकार से मेरा आपसे निवेदन है कि जो थाने हैं और जो चौकियां बनी हुई हैं वो जब तक आप स्ट्रेन्थन नहीं करेंगे, वहां आप नफरी नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपके अपराधों में रोक नहीं लगेगी.

उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है आज कानून और व्यवस्था की कि आप किसी भी शहर में चले जाइये। मैं आपके अर्ज करता हूं अजमेर को ट्रैफिक नाम पर कुछ नहीं। ट्रैफिक के नाम पर रोज एक्सीडेंट, ट्रैफिक के नाम पर [illegible] अत्याचार। मेरे कहना यह है कि ट्रैफिक के लिए भी आपको और पुलिस की मदद करनी चाहिए कि वहां पर ट्रैफिक कंट्रोल हो सके। हत्याओं का हाल यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि आपके

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

एक उदाहरण देना चाहता हूं कि उदयपुर के अन्दर एक शिराज नाम के लड़के की हत्या हुई। यह मैं बता रहा हूं आपको पुलिस हैल्पलाइन उदयपुर एक अज्ञात महिला ने फोन पर बताया 1.6.2002 को कि शिराज की हत्या का प्लान बन रहा है और यह बात आंचलिया को नहीं बतायें, आंचलिया एक ए.एस.आई. है पुलिस में उसे आप नहीं बतायें और उसके चार दिन बाद उसकी हत्या हो जाती है और वो ही चंचला नाम की महिला फिर पुलिस को बताती है कि इसमें ये-ये कल्प्रिट हैं पुलिस उन्हें नहीं पकड़ती है और उसके बाद जो चालान कोर्ट में पेश किया जाता है उस चालान में इस हैल्प लाइन की कापी वहां लगी हुई नहीं होती है और इस कापी को वहां से पार कर दिया जाता है इसकी वजह है कि उस ए.एस.आई. के सम्बन्ध हमारे माननीय गृह मंत्रीजी से भी हैं जिसका प्रमाण यह रहा। आप यह देखिये कि गृह मंत्रीजी से उसने उसके बाद जो बात की है मोबाइल पर वो आप कल्पना करेंगे कि एक बार तुरन्त उन्होंने बात की है 594 पल्स 1200 रुपये की बात की है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई डी.जी. से बात कर रहा हो वों ऐसे अपराधियों को जब शैल्टर मिलेगी और ऐसे अपराधियों के हौसले बुलन्द होंगे तो आप किस प्रकार से कानून-व्यवस्था रखने की बात करते हैं और जब एक बार नहीं है एक बार बात की है 570 रुपये की, एक बार बात की है 270 रुपये की, एक बार की है 60 रुपये की, 23 रुपये की...

श्री तगाराम चौधरी : यह टेलीफोन टेप भी होता है क्या? टेलीफोन टेप भी होते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : ये बातें जो मैं बता रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे पास एक सी.डी. भी है ई.टी.वी. की इस ई.टी.वी. की सी.डी. में गृह मंत्रीजी ने खुद ने स्वीकार किया है कि आंचलिया मेरा रिश्तेदार है और वो सब इंस्पेक्टर आज भी उसकी पोस्टिंग है...(व्यवधान) आप चाहें तो मैं इस सी.डी. को फ्लोर पर रख सकता हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री बंशीलाल खटीक : ...(व्यवधान) सी.डी. में भी कुछ भी नहीं है। इस प्रकार गृह मंत्रीजी पर आरोप लगाने से पहले नियम और प्रक्रियाओं में आओ। आरोप लगाने से पहले नियम और प्रक्रियाओं में आओ और उसके बाद में आरोप लगाओ। सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है और डाइरेक्ट आरोप लगा रहे हैं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : उपाध्यक्ष महोदय, और आप यह देखिये। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं व्यवस्था पर आरोप लगा रहा हूं कि व्यवस्था इस प्रकार से है।

श्री बंशीलाल खटीक : और पूरी कांग्रेस इस भ्रष्टाचार और डकैती में डूबी हुई है तो क्या आरोप लगाते हो।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय आप सदन को ठीक से व्यवस्थित करिये।

श्री बंशीलाल खटीक : हां ठीक से चल रहा है सदन। अच्छा चल रहा है आपको राय देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जुबेर खान : ...(व्यवधान) इस तरह से कोई अधिकार नहीं है बीच में इस तरह से रोका-टोकी करे।

श्री बंशीलाल खटीक : आपको राय देने की कोई आवश्यकता नहीं है... (व्यवधान) मैं सीधा कह रहा हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी पर आरोप लगाने से पहले...

डा. श्रीगोपाल बाहेती : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे बात कर रहे हैं आसन को सम्बोधित कर रहे हैं यह गलत बात है।

श्री बंशीलाल खटीक : आरोप लगाने से पहले आपने कोई नोटिस दिया क्या? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप यह व्यवस्था कीजिये कि माननीय सदस्य को जो कुछ कहना है आसन से कहे।

श्री बंशीलाल खटीक : नियम और प्रक्रियाओं में आओ न।

श्री जुबेर खान : हम इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। हम इनकी तरफ देखना ही नहीं चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : सीधे-सीधे मंत्रीजी पर आरोप लगाया जाता है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप व्यवस्था करिये...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : पहले नियमों से आकर नोटिस देकर आपको यह बोलना चाहिए। सीधे आप आरोप लगा रहे हो।

श्री मदन दिलावर : ...(व्यवधान) आपसे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है।

श्री बंशीलाल खटीक : हमारे गृह मंत्रीजी जैसा तो आज दिन तक कोई गृह मंत्री हुआ ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, ये मंत्रियों से कहिये अपना व्यवहार ठीक रखें।...(व्यवधान) मंत्री सरकार के होंगे सदन में कोई इनका बड़ा ओहदा नहीं होता है। इनको कोई अधिकार नहीं है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको बैठाइये। इनको बैठाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये आप। माननीय सदस्य, अपने आप जवाब दे देंगे, आप बीच में मत बोलें। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : ...(व्यवधान)...गृह मंत्रीजी पर गलत आरोप लगाया जा रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं। हम नियमों से बोल रहे हैं। गृह मंत्रीजी के ऊपर आरोप लगाने से पहले सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलना चाहिए। पहले नोटिस देना चाहिए उसके बाद में यह आरोप लगाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सी.डी. से लेकर के बाकी तक में भी अगर मेरा किसी प्रकार का इन्वाल्वमेंट हो तो आपमें से, आप स्वयं ही जांच करके इस हाउस में आकर बता देना, मैं उसी दिन हाउस छोड़ करके अपने घर चला जाऊंगा।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब यह जाहिर हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक : सीधे-सीधे आरोप लगाया जाता है यह हम सहन नहीं करेंगे।

श्री जुबेर खान : मंत्रीजी से कुछ सीख ले लो। कटारियाजी से सीख ले लो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप गृह मंत्रीजी की चिन्ता मत कीजिये... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : हां हम सीखे हुए हैं आपसे पहले हम ट्रेण्ड हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बातें यहां कही हैं उसमें शायद आप बाहर गये हुए थे वो यह जानना चाहते हैं कि क्या आंचलियाजी आपके रिश्तेदार हैं...(व्यवधान) एक मिनट सुन लें आप। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप, आपको तो पूरा मौका मिलेगा।...और यदि आपके रिश्तेदार हैं तो क्या उनकी 16 सी.सी. के अन्तर्गत जो जांच चल रही है वो आपने ड्राप की है क्या ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आंचलियाजी मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। मेरी बेटी की मेरठ में जहां शादी करायी उनके बड़े भाई की लड़की से कोई उनके भाई ने शादी की है। मैं जानता हूं अच्छी तरह से इसमें कोई ना करने की बात नहीं है वो मेरे रिश्तेदार हैं और मैं सोचता हूं मेरे मंत्री बनते ही 15 या 20 दिन बाद यह फाइल आयी और इस फाइल में बाकी सबको तो 17 की कार्यवाही की और इनके खिलाफ 16 की कार्यवाही मेरे दस्तखत से हुई। मेरे दस्तखत से हुई। क्या बात करते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोलो अब है क्या जवाब।

डा. बुलाकीदास कल्ला : वो ड्राप हो गयी या चल रही है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ना-ना कोई ड्राप होने का सवाल ही नहीं है वो जिस प्रक्रिया से चल रही है उस प्रक्रिया से चल रही है। मेरे हाथ से जो फाइल निकली बाकी जितने भी इसमें दोषी थे उनके खिलाफ 17 की कार्यवाही थी, इसके खिलाफ 16 की कार्यवाही मेरे दस्तखत से मेरे मंत्री बनते ही 15 दिन बाद की जो फाइल मेरे पास आयी उस पर वो मेरे दस्तखत से निकली है। क्या बात करते हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : बाकी इन्होंने जो कहा है उसका जवाब आप दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कल्लाजी, मैं ये अपना जो कुछ भी इनके पास हो आपके पास रख दे और जहां से भी आप जो चीज मंगाना चाहें मैं सब आपके पास रख दूंगा अगर मेरा कहीं दोष निकल जाए तो एक दिन भी इस सदन में रहूं, आपके कहने के साथ उठ कर चला जाऊंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : अपना आरोप वापस लीजिये।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सदस्य को सदन में माफी मांगनी चाहिए। सदन में माफी मांगनी चाहिए और माननीय सदस्य को सदन द्वारा आसन द्वारा प्रताड़ित करना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्षमा मांगिये...(व्यवधान)... इस प्रकार का कृत्य किया और जिस तरह आप खड़े रह कर पूछ रहे थे...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : कोई प्रूफ नहीं है इनके पास और अनर्गल आरोप लगाने के लिए माफी मांगी जाए। माफी मांगी जाए।...(व्यवधान) सदस्य द्वारा सदन में माफी मांगी जाए नहीं तो प्रताड़ना दी जाए ऐसे लोगों को। असत्य बयान कर हमारे मंत्रीजी को बदनाम किया जा रहा है उसको सदन में माफी मांगनी चाहिए।...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या यह सही है कि शिराज हत्याकाण्ड में जैसा पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि आंचलिया का हाथ है। आपने पूरी बात सुनी नहीं पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात बताई और यहां पर मैंने पूरी इनकी बात को सुना है।

एक माननीय सदस्य : गृह मंत्रीजी के ऊपर आरोप लगाया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या यह सही है कि आंचलियाजी का शिराज हत्याकाण्ड में हाथ है? पुलिस की हैल्प लाइन में पूरा का पूरा दस्तावेज जिसको उन्होंने पढ़ कर सुनाया था उसमें यह उल्लेख था कि आंचलिया को यह बात नहीं बतायी जाए कि पहली तारीख को शिराज की हत्या की कोई योजना बन रही है और 5 तारीख को उसका मर्डर हो जाता है। मर्डर होने के बाद फिर मार्च में उस चंचला जिसने सूचना दी थी उसकी हत्या हो जाती है। ये पूरी चीजें उन्होंने बतायी हैं। आंचलिया को पुलिस और होम डिपार्टमेंट बचा रहा है इसके बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पुष्कर से आने वाले...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक सैकण्ड जब इन्होंने छेड़ ही दिया, मेरी इस विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है न इस विषय से मेरे को क्योंकि यह विभाग की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जांच का विषय है। आपके पास जो तथ्य हैं वो पेश कर दीजिये अगर उसका दो . होगा तो सजा पा लेगा और मेरा मैं आज भी आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि...

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपके बारे में कुछ कहा भी नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं कहीं भी किसी भी रूप में अगर मेरी इस वि .य में किसी से मेरी टेलीफोन से भी बात हुई हो तो मेरे सारे पुराने रिकार्ड निकाल करके भी आप देख लें किसी अधिकारी से भी इस विषय को लेकर इसकी जानकारी के सम्बन्ध में या इसके सम्बन्ध में कभी कोई केवल मेरा दूर का रिश्तेदार है उसे मैं ना नहीं कह रहा हूं लेकिन मेरा कभी भी कौनसा शिराज मरा, कब मरा, किसने मारा, क्या नहीं, इसके विषय में कभी किसी अधिकारी से भी बात हुई हो और जिस अधिकारी ने इस शिकायत के आधार पर इस आदमी को लटकाने की कोशिश की वो स्वयं भी अगर यह कह दे कि मैंने इस विषय में, वह जो डी.आई.जी. हमारे यहां था जिसके कारण उसने उसकी सारी बेइमानियों को उजागर किया, दुर्भाग्य तो यह है कि बड़े अधिकारी तो इसमें से बचकर निकल जाते हैं जिसके ऊपर यही सारे चार्ज थे लेकिन उसने ही यह सारा काम किया। मैं उसको ही दावत देता हूं कि वह भी यह कह दे कि मैंने इस विषय में लेकर आंचलिया के बारे में कभी उसे यह भी टेलीफोन किया कि इसने कौनसा मर्डर किया, कौनसा नहीं किया तो मैं अपने आपको गुनहगार मान लूंगा। मैं सोचता हूं अ .र स्तर इतना नीचा चला जाये तो यह अफसोस की बात होगी। यह सुनी सुनाई बाते कहने से कोई लाभ नहीं है। जो कुछ भी बातें हों वह तर्क के आधार पर हो। वह पुलिस की जांच है उनका केस है, वह जांच करते रहे, क्या उसमें उसका दोष बनता है कि नहीं बनता है इसका फैसला तो जो जांच करने वाले अधिकारी हैं वह करें। मैंने किसी भी प्रकार से उसको बचाने के लिये, इस पुलिस विभाग में शुरू से लेकर आज नहीं यह घटना तो बहुत पुरानी हो गई जब मैं शायद उदयपुर का एम.एल.ए. भी नहीं था उसके पहले की घटनाये हैं। उस घटना से मेरा कभी सीधा सम्बन्ध भी नहीं रहा। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि कम से कम कोई आरोप लगाये तो थोड़ा सोच समझकर लगाये। इस प्रकार का हल्कापन न आपको प्रतिष्ठा देगा न मुझे देगा

डा. बुलाकीदास कल्ला : देखिए आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया गया। यह कहा गया है कि गृह विभाग आंचलियाजी को...(व्यवधान) आप ऐसा नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : अभी दो-दो पद है इसलिए ज्यादा जोश है इनको। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : इन्होंने जो माननीय गृह मंत्रीजी के ऊपर आरोप लगाया उसको प्रोसीडिंग में से निकाला जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक : उनको इस सदन में माफी मांगनी चाहिये ऐसी आप प्रताडना दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप काहे के लिये चिंतित हो रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आप चूंकि इस सदन में नहीं थे, नहीं तो आप उसको पूरा सुन लेते। आपकी आंचलियाजी से लगभग 1200 रुपये की एक बार में बाते हुई हैं। कभी 560 रुपये की बात हुई है मेरे खयाल से इतनी बात तो आप डी.जी. से भी नहीं करते होंगे और जो पुलिस की हैल्प लाइन है उससे पूरी की पूरी फाइल से बाते भी पूछी हैं इसलिए आपको यह कहा गया कि इसकी आप जांच कर लो, यह इसका मतलब था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रतिपक्ष के नेता क्षमा करे, प्रतिपक्ष के नेता आप बड़े जिम्मेवार पद पर हैं, कुछ गरिमा तो इस पद की रखो। बड़े जिम्मेदार पद पर आप हो किस तरह के हल्केपन की बात आप कह रहे हो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं अपने सदस्य को प्रोटेक्ट करूंगा। मेरे सदस्य को आप बोलने नहीं देंगे तो मैं प्रोटेक्ट करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : काहे को प्रोटेक्ट करेंगे आप। (व्यवधान) बिना किसी आधार के...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय प्रतिपक्ष के नेता असत्य का समर्थन कर रहे हो कम से कम थोड़ा तो खयाल रखो। जाते-जाते इस पद की गरिमा बनाये रखो। असत्य का समर्थन मत करो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : (व्यवधान) इन लोगों को असिस्टेंट बना दीजिए।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : आप मेरी बात तो पूरी करने दें

श्री मदन राठौड़ : राजनीति के आदर्श व्यक्तित्व पर आरोप लगाया है

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट मेरी बात सुनिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय आप तो बहुत अनुभवी सदस्य हैं पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य तो नये हैं, आपने इस प्रकार की गम्भीर बातें कि आपसे टेलीफोन पर बात हुई, आपका हाथ है इसमें, कम से कम अपने नये सदस्य को बताना चाहिये, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य आपको सारे नियमों की जानकारी करके, इस छोटी सी बात को किसी के ऊपर लाकर लांछन, बिना किसी आधार के आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिये, माननीय नेता, प्रतिपक्ष, आप अच्छी तरह से नियमों को जानते हैं इतनी गम्भीर बातें आप कर रहे हैं कि आपका हाथ है, आप इसमें छिपा रहे हो, बातें हुई हैं, यह नोटिस देकर बात करनी चाहिये थी इसमें मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण दे दिया है और इसमें आगे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है.

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि आपने कह दिया कि नये सदस्य हैं नये सदस्य को नियमों में माफी है क्या और प्रतिपक्ष के नेता इतने लिप्त होने के बाद इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं बिना जानकारी के, वह पूछ रहे हैं, वह पूछ रहे हैं आपकी क्या जानकारी है ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरी जानकारी है कि इन्होंने बातें की हैं। यह प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेरी जानकारी है कि वह उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...(व्यवधान) गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप बात करेंगे...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरी जानकारी है कि गृह मंत्रीजी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने जानकारी की या नहीं की बताओ आप। (व्यवधान) आपने अपने भाई के, अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट किया और भाई के मार्फत पैसे खाये, पत्नी के मार्फत पैसे खाये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : किसने खाये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने खाये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैंने खाये या नहीं खाये यह तो आप लेकर आओ। आपने चूड़ियां पहनी हुई हैं क्या, जांच क्यों नहीं करते हो। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : प्रतिपक्ष के नेता, इस प्रकार सदन में असत्य बयान का समर्थन करते हो। (व्यवधान) प्रतिपक्ष का पद आज ही का है, जाते-जाते ऐसा मत करो। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : राजनीति के आदर्श व्यक्तित्व पर असत्य आरोप मत लगाओ। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : ...(व्यवधान) यह आधारहीन बाते कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : गृह मंत्रीजी आपने आंचलिया को प्रोटेक्ट किया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रतिपक्ष के माननीय नेता घोषणा करें कि यह बात अगर असत्य हो गई तो आप सदन छोड़कर चले जायेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य गृह मंत्री महोदय खुद उपस्थित हैं इन्होंने अपनी बात का जवाब दे दिया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरे बारे में और मेरे परिवार के बारे में जो आप बात कह रहे हैं वह बिलकुल असत्य कह रहे हो। नहीं तो जांच करा लें गृह मंत्रीजी। मेरी चुनौती है या तो मैं इस्तीफा दे दूंगा या आप इस्तीफा दे देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप भी असत्य कह रहे हो, आप भी असत्य कह रहे हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपकी तरह +++ नहीं है यहां पर। क्या बात करते हो, ठेकेदारी जो करो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह : xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री जुबेर खान : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह : xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री मदन राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

(19.00 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री कैलाश त्रिवेदी : xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी : अध्यक्ष महोदय, दिन में तीन बार... (व्यवधान) विशेष प्रोटेक्शन दे रखा है क्या ऐसे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पावं पर, आसन पावं पर, आसन पावं पर। आप जिस बात से उत्तेजित हो रहे हैं अगर कोई इस तरह का शब्द किसी ने इस्तेमाल किया है तो कार्यवाही देखकर उसे एक्सपंज कर देंगे, इसमें उत्तेजित होने की क्या बात है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : चेयर की अवहेलना मंत्री करें इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी ने स्पष्टीकरण दे दिया। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी : गृह मंत्रीजी और प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय बार-बार राजसमन्द के सदस्य डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप स्वयं देख रही हैं, जब से विधान सभा चली है यह डिस्टर्ब करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया और अब क्या चाहते हैं, अब क्या चाहते हैं आप...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा गृह मंत्रीजी से कुछ नहीं है, जिस तरह का व्यवहार इस मंत्रिमण्डल के कुछ सदस्य करते हैं यह सरासर निदंनीय है। आप आसन पर नहीं थे, जिस तरह से इन्होंने आसन की अवहेलना की. वरिष्ठ मंत्री करें, केबीनेट मंत्री करें इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का यह व्यवहार कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : गलत कह रहा हूं तो आप स्वयं उपाध्यक्ष महोदय से पूछ लीजिएगा।

श्री मदन दिलावर : प्रतिपक्ष का व्यवहार निदंनीय है।

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य आप इतनी जोर से बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। माननीय गृह मंत्रीजी सक्षम हैं अपनी बात कहने में, जवाब देने में, फिर आपको क्या

आवश्यकता हो जाती है उन्हें असिस्ट करने की, मुझे बताइये आप। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : आरोप लगाये थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, ठीक है, अब आप स्थान ग्रहण कर लें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह विभाग और कारागार की मांग पर बोल रहा था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिना तथ्यों के, केवल कुछ आशंकाओं के आधार पर या किसी के कोई रिश्तेदार के आधार पर या बिना प्रमाण के जब इस प्रकार की बात करते हैं तो यह स्वाभाविक है, अध्यक्ष महोदय, वह लोग चर्चा करें जो, जिन्होंने क्या-क्या नहीं किया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह हो लेकिन नियमों में नोटिस देकर जिसकी चर्चा करनी है वह करें। अब यह उनके बाद वरिष्ठ सदस्य और उनका पहले बोलने का अधिकार है ऐसे लोग खड़े होकर इस प्रकार की इंक्वायरी शुरू कर दें यह तो कोई हाउस का नहीं है। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी : अध्यक्ष महोदय, यह बोल रहे थे, कल्ला साहब के भाई पैसे ले रहा है, बीवी पैसे ले रही है... (व्यवधान) तो महावीरजी आप क्या कर रहे थे, किसको दिये हैं और आपने यह आरोप लगाया...(व्यवधान) हमार प्रतिपक्ष के नेता पर आरोप नहीं लगा सकते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अगर असत्य आरोप लगाएंगे तो मैं सही-सही आरोप लगाऊंगा।

श्री कैलाश त्रिवेदी : आपको पता होगा किसको दिया पैसा इन्होंने... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मुझे बड़ा अफसोस है। पूरे सदन में, जब से सदस्य चुनकर आया हूं, वर्षों मंत्री रहा हूं किसी भी माननीय सदस्य ने मेरे पर कोई आरोप नहीं लगाया। आज वे सवेरे से दो-तीन बार यह मेरे पर, मेरी पत्नी, मेरे लड़के, सब पर आरोप लगा चुके हैं। मैं इनको चुनौती देता हूं कोई भी कमेटी से, कोई भी तरीके से यह जांच करा लें यदि मैं दोषी पाया जाऊंगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, केवल एम.एल.ए. नहीं-नहीं तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं सुबह ही निवेदन कर रहा था कि...(व्यवधान) मैं आपके सामने। अध्यक्ष महोदय, के सामने, देखो यह कमेटी तो बहुत लम्बी चौड़ी हो जाएगी, अध्यक्षजी आपके सामने और प्रतिपक्ष के नेता के सामने ऐसे लोगों को उपस्थित कर दूंगा यदि माननीय विपक्ष के नेता को...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं, आप हाउस की कमेटी से जांच करवा लो मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अगर प्रतिपक्ष के नेता को यह स्वीकार है... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : प्रतिपक्ष के नेता की जांच मेरे को दे दी जाए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : ओ दिलावरजी +++ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा : बहुत ही +++ मंत्री है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : या तो, समाज कल्याण मंत्रीजी को या तो समझा दीजिए वरना यह ठीक नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : +++

श्री जुबेर खान : +++

श्री हरिमोहन शर्मा : अपने आपको ईमानदार कहता है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर, आर्डर, आप स्थान ग्रहण कर लें। मैंने कहा स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्रीजी, आप कुछ कह रहे थे,

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : इनको कह लेने दीजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह दूसरों को तो उपदेश दे रहे हैं, आप कोई भी बात कहें उससे पहले सूचना देकर, ऐसा करके नियमों में, आप चीफ व्हिप है, आपको यह भी मालूम नहीं कि आप मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो आप लिखित में

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

दीजिए। कोई बात नहीं आपने लिखकर नहीं दिया। सवेरे से यह दो-तीन बार मेरी आवाज को दबाने के लिए कि आपकी वाइफ पैसे लेती थी, आपका लड़का पैसा लेता था, आप यह प्रोसीडिंग, इसमें उठा ले, इसमें रखें, मैं कहता हूं जांच कराएं। अगर कोई भी, उनकी, उन्होंने या मेरे परिवार ने एक नया पैसा भी किसी का खाया हो राजस्थान में, मैं खुली चुनौती देता हूं मुझे फांसी पर लटका दिया जाए, नहीं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। मैंने दीनदारी, ईमानदारी और चरित्रता से अपनी राजनीति की है।

पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि आंचलियाजी से आपने 1200-1200 रुपये की बात की है, उसका उनके पास प्रूफ है। इनके, इनके नम्बर की उनके पास रिकार्ड है, यह बात कह रहे थे कि भई आपका उनका क्या सम्बन्ध है और सिराज हत्याकाण्ड में एक चंचला नाम की औरत ने यह कहा था कि इसकी हत्या हो जाएगी, और पांच तारीख को उसकी हत्या हो गई। हत्या होने के बाद, चंचला की भी हत्या हो गई, यह सारी बातें कह रहे थे। उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया था। उन्होंने यह कहा था कि गृह मंत्रालय, आंचलियाजी को बचाने जा रहा है। इसमें इतना तूफान हो गया और विपक्ष के नेता को चोर, बेइमान बता दिया। इससे कुछ नहीं होगा। राजस्थान की जनता आपको भी जानती है, मुझे भी जानती है और सारे राजस्थान में जनप्रतिनिधियों को जानती है इसलिए मैं चुनौती देता हूं कि इस प्रकार की बातें नहीं करें और लोकतंत्र का गला घोटने की बात नहीं करें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, अगर मेरी आंचलिया से 1200 रुपये तक की बात हुई हो, ऐसा आपने कहा, मुझे छोटी सी सूचना आप दे देते ताकि मैं आपके सवाल का जवाब देने की स्थिति में रहता। मुझे तो किसी विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं। मैं चलो इसी पर छोड़ता हूं यदि उससे मेरी बात 1200 रुपये की हुई हो मेरे टेलीफोन से तो मैं इसी पल सदन छोड़कर चला जाऊंगा, बोलो और क्या चाहते हो। इसी पल अगर मैंने की हो तो। मुझे नहीं मालूम. मेरी बात तो कभी-कभी हुई है ऐसा नहीं है, एटरेन्डम कभी महीने में, पन्द्रह दिन में कभी कोई टेलीफोन आया तो बात जरूर हुई लेकिन मेरी कभी कोई ऐसी लम्बी बात नहीं, इस विषय में कभी बात नहीं हुई और अगर इस सी.डी. से यह बात निकल जाएगी तो मैं हाउस छोड़ करके, दुबारा इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। आप ही करना फैसला इसका।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) : माननीय अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, +++ शब्द प्रयोग किया यह निकलवाए, वह एक्सपंज करायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप दोनों में से एक बोलें ताकि बात...

श्री मदन राठौड़ : हां मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां तो, स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन राठौड़ : हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक वरिष्ठ मंत्री के लिए यह कहा +++

श्री अध्यक्ष : एक बार आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने आपके पधारने से थोड़ा पहले यह कहा कि +++ यह +++ शब्द प्रयोग किया, कृपया इसको एक्सपंज कराइये।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, यह भी पंता कर लें कि उससे पहले समाज कल्याण मंत्रीजी ने क्या-क्या कहा... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : मंत्रीजी ने क्या-क्या कहा...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप यह भी जरा दिखवा लें कि उससे पहले उन्होंने खड़े होकर क्या-क्या नहीं कहा। उसको भी दिखवा लीजिएगा। मंत्री हो गए, कोई खुदा नहीं हो गए, किसी पर कुछ भी आरोप लगा दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगी।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतनी लम्बी बात नहीं थी कि हाउस में इतना हल्ला होता। जिस गम्भीरता और जिस सदाशयता से गृह मंत्री ने जवाब दिया उसके बाद आगे बात बढ़ती नहीं थी। मैंने तो केवल वह जानकारी दी जो मेरे पास थी क्योंकि मैं खुद यह मानता हूं कि गृह मंत्री का व्यक्तित्व एक लम्बे समय से चल रहा है तो उनके नाम का कोई दुरुपयोग करे तो जितनी पीड़ा उनको है उतनी पीड़ा मुझे भी है। वह बात मैंने बताई। यह तो यह सिद्ध करना चाहते हैं कि हाकिम वही मुंसिफ वही वही मुददई। फिर हमें पता है फैसला क्या होगा। इसके अन्दर इतनी बड़ी

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

बात थी ही नहीं। मैं जो बात कह रहा था उस मर्डर केस के अन्दर जिसकी हत्या हुई जिसकी हत्या के लिए किसी महिला ने फोन किया। उसकी जो उदयपुर की हैल्पलाइन शीट है वह तक उसके चार्जशीट में नहीं लगाई गई। और यह वहां से गायब है और उसके बाद जिस आफिसर ने यह काम किया मिस्टर अत्रे ने, आज भी वह वेल पोस्टेड है। इससे शंका होती है। कई बार क्या होता है कि, एक बहुत बड़े नीतिज्ञ ने कहा है "Ceasers wife must be above the all suspicion." जो राज के अन्दर है वह व्यक्ति बहुत दूर होना चाहिए ऐसी चीजों से। एक बार चरणसिंहजी के लड़के पर आरोप लग गया था, जब चरणसिंहजी गृह मंत्री थे और मोरारजी भाई थे प्राइम मिनिस्टर। तो चरणसिंहजी ने एक पत्र लिखा प्राइम मिनिस्टर को कि आदरणीय मोरारजी भाई, मेरे दामाद पर भ्रष्टाचार का आरोप है। लोकतंत्र में पर्याप्त नहीं है कि हम ईमानदार हैं, ज्यादा आवश्यक है कि जनता हमें ईमानदार माने। आप मुझे इजाजत दें तो मैं मेरे दामाद की खुद ही जांच करवा लूं। हालांकि मोरारजी ने परमीशन नहीं दी। तो जब इस चरित्र की बात करते हैं, जब संस्कार की बात करते हैं तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी और न मेरा मंतव्य था कि मैं गृह मंत्रीजी पर आरोप लगाऊं। मैंने केवल वह जानकारी दी है जो मेरे पास थी। यदि वह गलत है तो गलत निकल जायेगी। इसमें कौनसी बात है, जिसमें मेरे दूसरे सदस्यगण साथी हैं बिना बात के उन्होंने इतना आक्रोश किया और इतना ज्यादा एक दूसरे को चोर, बदतमीज, बे-ईमान, लफंगा, ऐसी भाषा काम में ली गयी है यह नितान्त अनावश्यक था। तो अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात पर आता हूं। यह बात तो गृह मंत्रीजी पर छोड़ता हूं, इसे गृह मंत्रीजी देख लेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं नहीं देखना चाहता हूं। आप 4 लोग इकट्ठे होकर ही देख लेना और उसके बाद आकर मुझे कह देना। (व्यवधान) मेरे को देखने की जरूरत नहीं है। यहां तो पाक साफ है। आप चार लोग सुनकर के मुझे कह देना कि इसमें मेरा दोष है तो मैं यहां से रवानगी कर लूंगा, वापस नहीं आऊंगा। क्या चिन्ता है, क्या बात करते हैं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : हम आपकी इंटीग्रिटी पर...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस की डिमाण्ड पर बात कर रहा था पुलिस के अन्दर 79 पोस्ट वेकेंट हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने 6.35 पर बोलना शुरू किया था।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : वह सब टाइम हल्ले में गया। मैंने नहीं बोला, बिलकुल भी। मैं बोला ही नही, मैं बोला ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप यदि कोई ऐसी बात बोलेंगे, सदन उत्तेजित होगा तो... (व्यवधान) उसमें कोई क्या करेगा। आप ऐसी बात क्यों बोलते हैं कि सदन उत्तेजित होकर आपको बोलने नहीं दे।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : अध्यक्ष महोदय. मैं नया सदस्य हूं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं नया सदस्य हूं, दबा दें आप तो दूसरी बात है. बाकी मैं नहीं बोला। मैं बोला कुल 2 मिनट। पूरी बात मैंने बोली नहीं।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि डी.एस.पी. के 79 पद रिक्त हैं और गत दो वर्षों से इंस्पेक्टर से जो डिप्टी बनते हैं उनकी डी.पी.सी. नहीं हुई। एक तरफ तो आपके पास, अपराध बढ़ रहे हैं, नफरी की कमी है, दूसरे अपन डी.पी.सी. नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं इस बात को अपन को देखना चाहिए कि अपन डी.पी.सी. करें ताकि जो इंस्पेक्टर लोग हैं वह डिप्टी बन करके आपको और असिस्ट करें। इसी प्रकार से आपके कांस्टेबल के 4962 पद रिक्त हैं और मंत्रीजी ने अपनी बात कही है कि वह 4 हजार की भर्ती कर रहे हैं। मेरा इनसे निवेदन है कि इसे बढ़ायें। यह तो उसी में चले जाएंगे जो रिक्तियां हैं। जब तक कांस्टेबल नहीं बढ़ेंगे तब तक आप व्यवस्था सही नहीं कर सकते हैं। यह तय बात है।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, जो बात मैं इनसे खास कह रहा था वह यह कह रहा था कि जब तक पुलिस के व्यवहार में और पुलिस की जो इनकी स्थिति है उनमें अन्तर नहीं आयेगा तब तक आपका जो व्यक्तित्व है, जो सरकार का मंतव्य है वह उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, जिसके लिये अपन यह व्यवस्था कर रहे हैं। आज आये दिन, गृह मंत्रीजी यह भी बात कह रहे थे इसके अन्दर कि ज्यादातर मुकदमें पोलिटिकल होंगे और मैं आपको बताता हूं कि अजमेर शहर के अन्दर एन.एस.यू.आई. के छात्रों पर, सिर्फ यह मांग कर रहे थे फीस कम करने की, मुकदमा दर्ज कर दिया। सराधना गांव में औरतें पानी की मांग कर रही थी, मुकदमें दर्ज कर लिये। लेस्वा गांव में ग्रामीण बिजली की मांग कर रहे थे, मुकदमें दर्ज कर लिये। जो बात बिना बात के टल सकती थी उसे अपन ने किया। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अर्दली प्रथा है उसमें आपकी बहुत सी नफरी काम में आ जाती है। जो रिटायर्ड लोग हैं उनके यहां नफरी लगी रहती है जो वर्तमान में हैं उनकी भी लगी रहती है। यदि आप उसे कम करेंगे तो वह कांस्टेबल आपके थाने में काम आयेंगे ताकि लोगों को मिल सकें।

इसी प्रकार से अजमेर शहर के अन्दर जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वहां पर मर्डर सामान्य बात हो गयी है।

बलात्कार, चैन छीनना, डकैती तो छोटी बात है, मर्डर सामान्य बात हो गयी है। माननीय गृह मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है वहां के पुलिस प्रशासन को मुस्तैद करें कि उस पर अंकुश लगायें। जो दिन-दहाड़े महिला की हत्या हुई, घर में घुसकर के दोपहर में दो बजे, उसको आज साल भर होने आया है। अब भी उसका जुल्मी ही नहीं पकड़ा गया कि मर्डर किसने किया है। उसके बाद और मर्डर हो गये, कोई नहीं पकड़ा गया। केवल दो वह मडरर पकड़े गये जिसके अन्दर आदमी बाहर से लेकर आया अपनी पत्नी के नाम पर और उसका मर्डर कर दिया, आखिर वह पकड़ा गया। और एक वह पकड़ा गया परसों जो मर्डर हुआ, वह पकड़ा गया। बाकी कोई नहीं पकड़े गये। तो अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति के अन्दर जब अपन पुलिस विभाग की डिमाण्ड पास कर रहे हैं तो उसके अन्दर भी यदि अपन बात नहीं करेंगे तो फिर यह बात कब होगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा गृह मंत्रीजी से यह निवेदन भी है कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी के अन्दर 2 थाने हैं, पुष्कर और पीसांगन। पुष्कर के अन्दर बहुत नम्बर ट्यूरिस्ट का है वह आपसे छिपा हुआ नहीं है। विदेशी ट्यूरिस्ट आते हैं। ये थाने हैं एस.एस.ओ. रैंक के। इन थानों को इंस्पेक्टर रैंक का किया जाए। इनकी नफरी बढ़ायी जाए ताकि वहां पर पुलिस व्यवस्था मुस्तैद हो सके। इसी प्रकार से अजमेर के अन्दर एक दरगाह थाना है, जो आज भी पुलिस के पास है वह सिंधी समाज की धर्मशाला है। नैतिकता यह कहती है कि हमने उनसे दो महीने के लिये लिया था आज 5 साल हो गये उसको। उसको खाली कराया जाए और उसका थाना बनाकर उसको दिया जाए ताकि समाज में आक्रोश व्याप्त नहीं हो। इसी प्रकार से अजमेर के अन्दर ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने के लिये वहां ट्रैफिक की जो अब डिप्टी की पोस्ट है वह एडिशनल एस.पी. की, की जाए। वहां ट्रैफिक के लिये क्रेन दी जाए। इसके अलावा उनको पैट्रोलिंग के लिये वाहन दिये जाएं ताकि अजमेर जैसे इम्पार्टेण्ट शहर में जहां आये दिन वी.आई.पी. आते हैं, टूरिस्ट आता है वहां पर यह व्यवस्था ठीक हो सके। गृह मंत्रीजी से मेरा यह भी निवेदन है कि जब तक हम पुलिस की जो अपनी पुलिस लाइंस हैं इनकी व्यवस्था ठीक से नहीं करेंगे, तब तक वह बात ठीक नहीं होगी।

अब मैं बात करना चाहता हूं कारागार की।

श्री अध्यक्ष : अब कनक्लूड करें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : मैं कारागार पर आ जाता हूं। अजमेर का कारागार बहुत महत्वपूर्ण कारागार है और उसके अन्दर बड़ी संख्या में वहां पर कैदी रहते हैं। कारागार की स्थिति यह है कि वहां पर खाने की पूरी व्यवस्था नहीं है, रहने की पूरी व्यवस्था नहीं है। वहां जगह कम है तो अजमेर कारागार को एक्स्ट्रा बजट दिया जाए ताकि वहां उस कारागार की व्यवस्था में सुधार हो सके। क्योंकि अजमेर का कारागार

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

कोई सामान्य कारागार नहीं है। इस कारागार के अन्दर इस देश की आजादी के क्रान्तिकारी वर्षों-वर्षों तक रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण कारागार है। उस कारागार के अन्दर आप देखें, जगह बहुत है लेकिन धन के अभाव में वहां व्यवस्था नहीं हो पाती है तो इसलिये मेरा निवेदन है गृह मंत्रीजी से कि उसके लिये वे धन देवें।

मैं मेरी बात को समाप्त करने से पहले एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि गृह मंत्रीजी जिस प्रकार हम चाहते हैं राजस्थान के अन्दर कानून-व्यवस्था कायम हो, जिस प्रकार हम चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर बलवे कम हों, जिस प्रकार से चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर हत्याएं, बलात्कार, चोरी, डकैती कम हों उसके लिये हम सबको मिलकर के बिना किसी राजनीति के निष्पक्ष भाव से सोचना पड़ेगा तब जाकर काम होगा। अन्यथा आरोप-प्रत्यारोप में समय बीत जाएगा और जिस प्रकार से हमने आजादी के बाद 55 साल निकाले हैं आगे और निकल जाएंगे और इतिहास न आपको माफ करेगा और न हमें माफ करेगा। आपने जो समय दिया, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय ने निर्देश दिये थे कि पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य के बाद आपका नम्बर है।

श्री अध्यक्ष : यह कहीं लिखा हुआ नहीं था। इसलिये क्षमा कीजिए। मुझे बता कर भी नहीं गये वो और लिखा हुआ भी नहीं था लेकिन अब उन्हें बोलने दीजिए आप। (व्यवधान) हां, प्रतिवेदन रख दीजिए। माननीय सदस्या, एक मिनट, आप विराजिये।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का नवां प्रतिवेदन

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 15 अप्रैल, 2005 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन कर दिनांक 16 अप्रैल, 2005 से 21 अप्रैल, 2005 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के विषय में विचार-विमर्श किया। समिति सिफारिश करती है कि सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय :-

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

शनिवार, दिनांक 16 अप्रैल, 2005

1. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण।
2. राज्य में अकाल व पेयजल आपूर्ति पर चर्चा।
3. अनुदान की मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम पर विचार एवं मतदान

(आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2005-06 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मध्यान्ह पश्चात् 4.30 बजे मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेगी)

रविवार, दिनांक 17 अप्रैल, 2005 - बैठक नहीं होगी।

सोमवार, दिनांक 18 अप्रैल, 2005 बैठक नहीं होगी।

मंगलवार, दिनांक 19 अप्रैल, 2005

1. राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2005; एवं
2. राजस्थान वित्त विधेयक, 2005-पर विचार एवं पारण

1. प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्व-वित्तपोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005
2. राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005; एवं

बुधवार, दिनांक 20 अप्रैल, 2005

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह भी 20 को ही है। प्रवर समिति वाला और राजस्थान कृषि उपज मण्डी वाला, 20 को ही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, यह प्रवर समिति वाला और राजस्थान कृषि उपज मण्डी वाला, यह भी बुधवार दिनांक 20 अप्रैल, 2005 को ही है।

श्री अध्यक्ष : जी, हां।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां।

बुधवार, दिनांक 20 अप्रैल, 2005

3. राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005-पर विचार एवं पारण
4. दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2005 पर पुनर्विचार एवं पारण।

गुरूवार, दिनांक 21 अप्रैल, 2005 - गैर सरकारी कार्य दिवस

(श्री महावीर प्रसाद शर्मा)

मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गयी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग नम्बर-16 पर अपने विचार...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट में आप अपनी बात कहिये क्योंकि बोलने वाले अभी बहुत हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब भी बोलूं तब आप मेरे को ऐसे कह देती हो, यह कोई बात हुई ? तो फिर आप कहें तो मैं बोलूं ही नहीं। मैं मेरी बात तो कहूंगी।

श्री अध्यक्ष : आसन की आज्ञा का पालन नहीं करेगी आप?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं, आपकी आज्ञा का पालन पहले करेंगे। नहीं करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : तो फिर ठीक है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरे को पुलिस के ऊपर बोलने दो, मेरे को पुलिस के ऊपर बहुत गर्व है। मैं स्वयं एक पुलिस आफिसर की लड़की हूं तो मैं जरूर चाहती हूं कि उसके ऊपर मैं मेरी कुछ बात कहूं।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये-बोलिये आप। आप तो बोलिये। बोलो आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की नेता और माननीय गृह मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई और धन्यंवाद दूंगी कि उन्होंने पुलिस महकमे के अन्दर जो नफरी बढ़ाई है। आज तक कभी किसी ने इस बारे में कोई भी सरकार ने सोचा नहीं है और उन्होंने नफरी बढ़ाने का जो निर्णय लिया अपने बजट के अन्दर इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने काफी कुछ कह दिया है मगर मैं सिर्फ मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगी। जोधपुर शहर जयपुर से दूसरे नम्बर पर है मगर आज तक वहां के जो पुलिस थानें हैं वहां की स्थिति इतनी खराब पड़ी है कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं स्वयं अभी सब जगह देखकर आयी हूं। यहां तक कि पिलर्स हैं, वे कट गये हैं। उनकी मरम्मत नहीं हुई है। तो मैं यह कहना चाहूंगी कि उनकी मरम्मत की अति आवश्यकता है। वहां पर ऐसा कोई प्रावधान किया जाए, जिससे पुलिस थानों की मरम्मत हो सके। अपन पुलिस थानों को मन्दिरों के समान समझकर जाते हैं और वहां पर कोई व्यवस्था अच्छी नहीं हो तो अच्छी बात नहीं रहेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से पुलिस थानों के रख-रखाव के बारे में बात कही। अब मैं कुछ ऐसी बात कहना चाहूंगी, कानून-व्यवस्था के अन्दर सुधार और ट्रैफिक की व्यवस्था हो। शहर एक बहुत, अन्दरूनी शहर है बहुत संकरा शहर है और वहां पर अगर व्यवस्था अच्छी नहीं हो तो शहर के अन्दर जाने-आने की बड़ी असुविधा रहती है। मैं हालांकि पुलिस की बुराई या निन्दा करना कतई पसन्द नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पेट के अन्दर अभी तक भी पुलिस का आटा है मगर मैं वह तो नहीं करूंगी फिर भी मैं कुछ सुधार की बात जरूर कहूंगी कि पुलिस के अन्दर कुछ सुधार किया जाए क्योंकि अब वह जमाना तो नहीं रहा है पहले वाला।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि कानून के अन्दर ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिससे सबसे पहले काम यह ट्रैफिक व्यवस्था सुधरनी चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था सुधरने से आने-जाने वालों को काफी कुछ सुविधा रहती है क्योंकि शहर एक अन्दरूनी ऐसा संकरा जो परकोटे के अन्दर बना हुआ है, जिसमें ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारना अति आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन व्यवहार के अन्दर भी अच्छा रहे क्योंकि जन-प्रतिनिधियों के साथ उनका अच्छा व्यवहार रहना चाहिए। अच्छी तरह से उनसे बात करनी चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति अगर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहे तो उनकी रिपोर्ट हो जानी चाहिए। मेरे को कुछ लोग आकर ऐसे कह देते हैं कि हमारे को तो कुछ दिया ही नहीं। मैं जब थाने के अन्दर फोन करती हूं और मैं कहती हूं कि रोजनामचे में दर्ज किया या नहीं किया तो रोजनामचे में दर्ज होना चाहिए अगर वह रिपोर्ट लिखाने जाए तो रोजनामचे में दर्ज होनी अति आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि पुलिस डिपार्टमेंट में सुधार लाने के लिए माननीय गृह मंत्रीजी ने काफी प्रयास किया है और काफी कुछ सुविधाएं दी हैं मगर सुविधाओं के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि थाने जो शहर के अन्दर हैं, मेरे क्षेत्र के अन्दर तीन थाने हैं मगर तीन थानों के अन्दर माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी सी.आई. साहब विराजते ही नहीं हैं क्योंकि वह चौकियों के ऊपर बैठे रहते हैं फिर उन थानों का मतलब ही क्या होगा? थानों के अन्दर मैं किसको भेजूं और वह आये, कहे कि थानेदार साहब तो मिले ही नहीं या सी.आई. साहब मिले नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगी कि अगर सी.आई. साहब हैं तो वह थानों के अन्दर जरूर विराजें, वह चौकियों के अन्दर बैठे रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस थाना सबसे पहले खाण्डेबलसे के अन्दर था, अब वह नव-चौकियों के अन्दर चला गया मेरे पिताजी के समय के टाइम ही। तो अब वहां पर कोई बैठता ही नहीं है। जाकर चौकी के अन्दर बैठते हैं। अब चौकी के अन्दर बैठते हैं तो कहां-कहां लोग ढूंढने जाएंगे उनको। मैं यह चाहूंगी गृह मंत्रीजी से आपके माध्यम से कि कम से कम सी.आई. साहब थाने के अन्दर विराजें ताकि कोई अपनी बात जाकर कह सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने थानों के सुधार की बात कही है। एक बात और कहना चाहूंगी कि मेरे को एक तकलीफ और है वह यह है कि वहां पर समुचित व्यवस्था नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, उसका कोई भी रीजन हो सकता है मगर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहूंगी कि पुलिस थानों के अन्दर एक महिला थाना है, पुलिस लाइन के अन्दर और वह भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार थी, जब मैंने यह मांग की थी महिलाओं का थाना होना चाहिए तो महिला थाना की स्वीकृति मिल गयी और स्वीकृति तो मिल गयी मगर कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि वहां पर महिला थाना है, वहां पर व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को आने-जाने में, महिला अपनी बात वहां पर स्वयं कह सके और अपने मन की बात महिला अगर वहां पर सी.आई. हो तो वह उसको अच्छी तरह से बता सके। मैं स्वयं जाकर देखकर आयी हूं, वहां पर अव्यवस्था बहुत है। मैं चाहती हूं कि वहां व्यवस्था हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कारागार के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगी।

राजस्थान के अन्दर जोधपुर में कारागार की व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है मगर वहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं और जो सिपाही लोग काम करते हैं उनको वेतन नहीं के बराबर मिल रहा है। ऐसे तो मैं समझती हूं कि ऐसा वेतन लेबर क्लास को भी मिल जाता होगा। इसी तरह की व्यवस्था है, इसको सुधारने के लिए आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि कारागार की व्यवस्था अच्छी हो। वहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं, पुलिस कांस्टेबल जो भी काम करते हैं उनके वेतन की व्यवस्था की जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी कि जब एक जेल इंचार्ज होता है, उसको तनख्वाह क्या मिलती है, नहीं के बराबर मिलती है। मैं यह चाहूंगी कि उस बजट को बढ़ाया जाए या कोई ऐसी व्यवस्था की जाए। अपन पुलिस वालों से काम तो खूब लेते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगी कि पुलिस डिपार्टमैंट 24-24 घण्टे तक अपनी ड्यूटी देता है और जब कभी भी कोई फंक्शन होता है या मेला होता है तो कोई विभाग काम करे या नहीं करे, पुलिस डिपार्टमैंट को तो सारा काम सम्भालना ही पड़ता है। मगर उनकी हालत क्या है, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगी कि उनको ओवर टाइम दिया जाए या उनका कोई भत्ता बढ़ाया जाए, कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि वह 24 घण्टे ड्यूटी देने वाला एक ही

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

विभाग है, वह पुलिस विभाग है मगर उनके लिए कोई भी व्यवस्था है और उनका ध्यान रखा जाए।

मैं आपसे निवेदन करूंगी कि एक मेरी और भी मांग है गृह मंत्रीजी से आपके माध्यम से कि जोधपुर शहर जयपुर के बाद दूसरे नम्बर पर होने के बावजूद कारागार के अन्दर मैं चाहूंगी कि वहां पर डी.आई.जी. की पोस्ट स्वीकृत करायी जाए। ताकि वहां पर कारागार की व्यवस्था हो सके। हमारे जोधपुर के अन्दर कारागार की सबसे अच्छी जेल है मगर वहां मरम्मत की अति-आवश्यकता है, वह कराई जाये और वहां जेल के अन्दर जो कैदी रहते हैं, मैं यह चाहूंगी कि वहां के जो सुपरिन्टेन्डेन्ट वगैरह होते हैं, वह इतनी अच्छी व्यवस्था करते हैं। उनके लिये धार्मिक प्रवचन करवाते हैं, महाराज को बुलवाते हैं, उनको अच्छी बातें बताते हैं। हमारे जोधपुर के अन्दर यह परम्परा अच्छी है। अब मुझे एक बात की बहुत तकलीफ है मगर मैं क्या करूंगी कहना चाहूंगी कि मुझे इस बात का दु:ख है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हूं मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महिला है जब मैंने उसका दु:ख सुना। मैं आपको सही कह रही हूं मेरी आंखों में अभी भी आंसू आ रहे हैं, उनकी बात सुनकर। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चार लाइन पढ़कर सुना दूं कि उनके साथ कितना अन्याय हुआ है क्योंकि अन्याय को कहने वाले से सुनने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। अगर मैं उसकी बात यहां नहीं कहूं, अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो मैं नहीं कहूंगी। मगर मैं उसकी फाइल वगैरह सब लेकर आई हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ज्यादा नहीं कह सकूं तो कम से कम 5-7 लाइन पढ़कर सुनाऊं। मेरे को किसी से कोई नाराजगी नहीं, मगर उसके साथ जो अन्याय हुआ है, उसके बारे में कहना है। मुझे गृह मंत्रीजी से कोई शिकायत नहीं, मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं मगर उसकी बात मैं जरूरी कहना चाहूंगी। उस महिला के साथ कैसा अन्याय हुआ है, आप बताइये।

श्री अध्यक्ष : अब तक आप यह कह देती जो अन्याय हुआ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आप कहें तो मैं पूरा पढ़ूं, आप कहें जितना पढ़ूं।

श्री अध्यक्ष : अब ला रही हैं आप। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं थोड़ा-सा पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : आप कह दो, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो बात है वह बता दो। पढ़ोगी तो बहुत समय लगेगा। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुष्पा देवी व्यास। इसमें मैं तारीख तो देखकर बताऊंगी। पुष्पा देवी व्यास है। उसके लड़के के साथ इतना अन्याय हुआ है। धर्मेश व्यास करके एक लड़का है। वह कोई पार्टनरशिप किसी के साथ कर रहा था। कोई उससे पैसे मांगने गया, उसने उनको चैक दे दिया। चैक देने के बाद बैंक में वह चैक जमा करवा दिया। उसको पैसे मिल गये। फिर भी बैंक वालों ने उसके खिलाफ पुलिस के अन्दर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अध्यक्ष महोदय, उसको पकड़कर ले गये। आज तक भी उसका कोई पता नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब उसकी माता के एकदम ऐसा भाव उपजा कि मैं जीजी के पास जाऊं। मेरे को जीजी कहते हैं सारे लोग। उन्होंने मुझे फोन किया। मैंने एकदम क्या सोचा कि कोई ट्रांसफर के लिये फोन किया होगा। मैंने कहा तू आजा भले ही, तेरी ट्रांसफर तो अभी होगी नहीं। बहन है। तो उसने कहा नहीं साहब, मेरे साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं मेरा दुखड़ा सुनाने आ रही हूं। उसने आकर के सुनाया। चार लाइन जरूर पढ़कर सुना दूं। दिनांक 7.3.2005 को दिन के तीन बजे जांच अधिकारी सत्य प्रकाश द्वारा बम्बई में मेरे बड़े पुत्र त्रिभुवन व्यास, जो कि आनन्द राठी सिक्योरिटीज में कर्मचारी है, के पास सादा वर्दी में चार लोगों के साथ गया और मेरे पुत्र त्रिभुवन के साथ उसके कार्यालय में अत्यधिक दुर्व्यवहार कर धर्मेश के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि धर्मेश बम्बई में न होकर राजस्थान में है।

श्री अध्यक्ष : यह तो बम्बई की बात है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, उनके घर गये हैं पुष्पा के। उसके साथ इस तरह से डांट-फटकार की है तो उसने कहा कि एक लड़का तो बम्बई है। मेरे एक लड़के का पता ही नहीं है। सत्य प्रकाश है, पुलिस इंसपेक्टर, वह बम्बई चला गया। मैं यह जानकारी चाहती हूं कि बम्बई किसकी इजाजत से गया और उसके भाई ने गुनाह किया, वह उसके लिये कैसे चला गया? वह बेचारी रोती हुई मेरे पास आकर सारी बात कही है और उसके साथ इस तरीके से अन्याय हुआ है। मैं यह नहीं चाहती, फिर उसको ब्लैकमेल किया गया। पैसे मांगे गये और बम्बई में उसका भाई है उससे दस हजार रूपये लिये और गाड़ी में बैठाकर रोड के ऊपर ले गये। और उसके बाद अपने

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सेठ साहब से 10 हजार रुपये उस सत्यप्रकाश को दिये। यह सारा लिखित के अन्दर है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कह रही हूं। मेरे को दु:ख इस बात का है कि उसके साथ इस तरह का अन्याय किया उन्होंने। अगर मैं यह सुन लूं और आप तक यह बात नहीं पहुंचाऊं तो मैं अपने आपको गुनहगार समझूंगी तो मैं कहना चाहती हूं कि पुलिस थाने का मतलब यह नहीं। मैंने आपको बताया मैं खुद पुलिस वाले की बेटी हूं। मेरे पिताजी सर्किल इंस्पेक्टर, मेरे दादाजी रहे। मैं तो पुलिस से बहुत प्रभावित होती हूं और अगर स्व. पिताजी मौजूद होते हो सबसे पहले सदन की नेता को बधाई देते कि आपने नफरी बढ़ाई है। वह बहुत खुश होते। मगर इस तरीके से होता है तो हम अन्याय को कैसे बर्दाश्त करेंगे, यह देखने की बात है। आप चाहेंगे तो मैं यह फाइल मंत्री महोदय को प्रस्तुत करूंगी। आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया इसके लिये तो धन्यवाद। मुम्बई का इसमें सारा हवाला दिया हुआ है। मैं सारा पढ़कर सुना दूं। आप कहो तो मैं एक-एक लाइन पढ़कर सुना दूं। मैं तो एक-एक लाइन पढ़ दूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम धोद।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पुलिस और कारागार विभाग की मांग पर चर्चा चल रही है और इसमें जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने शुरू करते हुए यह कहा कि हमारी सरकार के आने के बाद कोई भी अपराध नहीं हुए। कोई भी सरकार हो, अपराध एक प्रवृत्ति है या इमोशनल कोई अपराध होते हैं। कोई भी सरकार में बैठे हुए या सरकार के गृह मंत्री भी कोई अपराध जान-बूझकर नहीं कराते। लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हमारी सरकार के आने के बाद अपराधों में बहुत कमी आ गयी। मैं समझता हूं कि आपकी कथनी, जो आप कह रहे हैं और आपने जो प्रगति प्रतिवेदन किया है, इसमें तो धरती और आसमान का अन्तर है। एक तरफ आप कह रहे हैं बढ़ा नहीं और इस प्रगति प्रतिवेदन में है कि अपराध बढ़े हैं। चाहे वह सामान्य अपराध हो जो 6.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है एक साल के अन्दर और चाहे वह महिला अपराध हो, चाहे एस.सी., एस.टी. के अपराध हो, निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, चर्चा इस बात के लिये है कि अपराध करने वालों को हम पकड़ पाते हैं और उसको सजा दिला पाते हैं इस बात के लिये, जहां तक इस एक साल के अन्दर जो अपराधी हैं और इस सरकार के कृत्यों से और सरकार का पुलिस विभाग जो कानून-व्यवस्था और अपराधियों को न्यायालय के हवाले करने का काम और उस अपराध के

(श्री अमराराम)

लिये सजा दिलाने का जो काम है, उसमें सबसे बड़ी कमी आई है, वह है राजनैतिक हस्तक्षेप से, चूंकि पुलिस विभाग में उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार पोस्टिंग नहीं होकर राजनैतिक हस्तक्षेप के आधार पर होती है। कोई भी कितना ही सक्षम और योग्यतावान अधिकारी हो, उसकी फील्ड पोस्टिंग नहीं होगी। वह तो कहीं न कहीं दूसरी जगह रहेगा। उसी का होगा जो राजनैतिक पहुंच रखेगा। मैं समझता हूं राजस्थान की चाहे वह कोई भी सरकार रही हो, हम हमारी राजनीति को चलाने के लिये पुलिस विभाग का जो उपयोग करते रहे हैं, सबसे निन्दनीय कार्य राजस्थान में यह रहा है और आज भी वह हो रहा है। चाहे मंत्रीजी कितने ही ईमानदार रहे हों, आज भी ईमानदार हों, लेकिन हमारी राजनीति को चलाने के लिये किस तरह का पुलिस विभाग का उपयोग करते रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज एक साधारण व्यक्ति राजस्थान का, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज होती है, वह जाते हुए घबराता है। उसको अपनी एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिये किसी न किसी राजनेता के पास...

श्री अध्यक्ष : जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या, आप स्थान पर जायें। उन्हें आप विजी न करें, सुनने दें भाषण। बाद में देना इनको।

श्री अमराराम (धोद) : किसी न किसी कार्यकर्ता से, नेता से शिकायत करानी पड़ती है और उस थाने में बेहिचक राजस्थान के माफिया चाहे वह शराब माफिया हों, भू-माफिया हों, सट्टा माफिया हों, जो भी राजस्थान के माफिया हैं, वह बेधड़क उस थाने के अन्दर जाने में कोई हिचक नहीं करते और पुलिस आज उनकी मदद केवल राजनैतिक इशारे पर करती है और न केवल मदद करती है, मैं समझता हूं राजस्थान के साम्प्रदायिक सौहार्द जो है, उसको बिगाड़ने में सबसे बड़ा कृत्य, अभी सुबह गृह मंत्रीजी ने बयान दिया कि हमने वही मुकदमे हटाये, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर पांच साल में कांग्रेस के शासन में मुकदमे हुए हैं और निश्चित रूप से अपनी राजनैतिक इच्छा शक्ति से, उन्होंने विदड्रा किये हैं। हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन क्या केवल कांग्रेस की सरकार भी आयेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगे हुए मुकदमे हटायेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयेगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर और विधायकों पर लगे हुए मुकदमे हटायेगी। क्या राजस्थान में बाकी और कोई राजनैतिक कार्यकर्ता नहीं। राजस्थान की विधान सभा के सामने नवम्बर, 2000 में राजस्थान की सरकार ने वायदा किया कि राजस्थान के किसानों को समय पर पूरे आठ घण्टे बिजली

मिलेगी। 9 जनवरी, 2001 को जब राजस्थान के निवर्तमान मुख्य मंत्री मोलासर गये, राजस्थान के किसानों ने सरकार के वायदे के अनुसार अपनी बिजली की मांग करने के लिए उनके सामने जाने का काम किया, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने मिलने से मना किया और उन किसानों पर लाठियां चलाकर, गोलियां चलाकर तीन को गोलियों का शिकार किया।

श्री अध्यक्ष : यह आप कब की बात कर रहे हैं?

श्री अमराराम (धोद) : मैं मुकदमें की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मुकदमें पिछले पांच साल के निवर्तमान सरकार के जिन्होंने अखबारों में लिखा कि मोलासर की घटना के बाद सचिवालय का पारा जीरो पर आ गया। क्या उनका अपराध यही था कि वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, वह राजस्थान के किसान थे? चाहे वह किसी भी पार्टी के थे, उनका मुकदमा वापस नहीं होगा। हमारे मंत्रीजी का मुकदमा वापस होगा, इधर की सरकार आयेगी इनके मंत्रीजी का मुकदमा वापस होगा, सचिवालय में जाने वाला भी होगा और किसान अगर राजस्थान के मुख्य मंत्री से उनके वायदे के अनुसार बिजली मांगने के लिए जायेगा, 36 लोगों पर 2001 से लेकर आज तक कोर्ट ने 307 को हटा दिया केवल 323 का मुकदमा है लेकिन 36 लोग आज भी उसके अन्दर हैं। केवल राजनीतिक आधार पर मुकदमा और उस साम्प्रदायिक दंगों में जो आर.एस.एस. के लोग थे, विश्व हिन्दू परिषद् के लोग थे उन तमाम के केस वापस लेने का काम किया है। तो उनको यह छूट मिल गयी, यह हालत हो गयी कि आज वह दंगा करा सकते हैं।

श्री वासुदेव देवनानी : क्या वह साधारण नागरिक नहीं हैं जो उनके वापस नहीं लिये जा सकते? इसमें क्यों इतनी परेशानी हो रही है? आर.एस.एस., विश्व हिन्दू परिषद् के वह इन्सान नहीं हैं क्या, नागरिक नहीं हैं, नियमों के अन्तर्गत वह नहीं आते...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : किसान के नहीं लिये जायेंगे, आर.एस.एस. के लोगों के लिये जायेंगे।...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : सब झूठे मुकदमे थे...(व्यवधान)...आर.एस.एस., विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल पर जो मुकदमे लगाये गये थे वह झूठे मुकदमे थे इसीलिए...

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आप बीच में नहीं बोलें। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। मंत्रीजी, आप भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता, मुकदमें आपने लिये हैं और लीजिए लेकिन यह राजस्थान के उन लोगों के बीच में दंगा, जिनका आधार केवल यह है कि दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करके अपने संगठन को आगे ले जाने की बात करते हैं उनको यह मैसेज मिल गया कि आप कहीं भी, धुलण्डी के दिन भी दंगे, छोटे-छोटे बहाने, उनको खुली छूट मिल गयी। न केवल उनको मिल गयी बल्कि सामन्ती तत्वों को यह सरकार आने के बाद यह मिल गया कि राजस्थान में अब सामन्ती प्रवृत्तियों को उजागर करने वाले लोगों का राज आ गया, चाहे वह राजस्थान दिवस हो चाहे और कोई दिवस है और इसी का नतीजा है कि आज बेड़ कलां, जैतारण में जो घटना है...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : अध्यक्ष महोदय, बार-बार यह सामन्ती-सामन्ती क्या है? आप सामन्ती का मतलब क्या समझते हो?

श्री अमराराम (धोद) : वह भी बता रहा हूं. आप विराज जाएं।

श्री बंशीलाल खटीक : यह सामन्ती, आर.एस.एस., यह आप लोगों ने क्या बना रखा है? अध्यक्ष महोदय, इस सामन्ती के ऊपर बार-बार ऐसे किया जाता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह आरोप सही नहीं है। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : अपने पुलिस और कारागार पर आओ, विषय से हटो मत, विषय से परे मत जाओ।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जैतारण की, बेड़ कलां की घटना. मोहन मेघवाल की हत्या केवल एक साधारण दलित की हत्या नहीं है। जिस जनतंत्र के माध्यम से हम चुन कर राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में बैठकर हमने शपथ ली है, उस जनतंत्र की हत्या है, मोहन मेघवाल की हत्या नहीं है। क्योंकि उस बेड़ कलां में जो सामन्त शिवदान सिंह है, पंचायत राज संस्थाएं चलने के बाद पहली बार मोहन

(श्री अमराराम)

मेघवाल ने यह हौंसला जुटाया कि जनतंत्र में मत देने का और मत लेने का अधिकार है, उसने पंचायत का चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटायी, उसको अयोग्य घोषित करने के लिए उस सामन्त शिवदान सिंह के माध्यम से...(व्यवधान) आप विराजें।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य, सिंचाई मंत्री) : वह दोनों ही एस.सी. सीट हैं और मेघवाल ही चुनाव लड़ा।

श्री अमराराम (धोद) : हां, एस.सी. सीट थी लेकिन शिवदान सिंह के तय उम्मीदवार के सामने मोहन मेघवाल ने चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटायी। पंचायत राज व्यवस्था चलने के बाद कभी चुनाव नहीं हुए, मोहन मेघवाल वह व्यक्ति है जिसने जनतंत्र की आत्मा को रखने के लिए चुनाव लड़ा, शिवदान सिंह की इच्छा के खिलाफ लड़ा इसलिए उसकी हत्या हुई और डेढ़ महीना हो गया आज 15 तारीख को, एक मार्च को हत्या हुई थी, उनकी बेवा, उनकी बूढ़ी मां एस.डी.एम. कार्यालय के सामने इस बात के लिए धरना दे रही हैं कि उनकी सुरक्षा की जाए। राजस्थान की सरकार ने सुरक्षा के बजाय उन अपराधियों को बचाने के लिए तीन-तीन जगह उस फाइल को ट्रांसफर कर दिया। किसने ट्रांसफर किया है, विभाग ने या मंत्रीजी ने। डीवाई.एस.पी. से आई.जी., जोधपुर को कर दिया, आई.जी., जोधपुर से सी.आई.डी. में कर दिया। आज बचाना चाहते हैं, न केवल सरकार बचाना चाहती है बल्कि न्यायालय से भी उन तीनों सामन्ती तत्वों को दस दिन के लिए पैरोल हाई कोर्ट से भी मिल जाती है। क्या उसका अपराध यही है कि इस जनतंत्र में उसने वोट लेने के लिए हिम्मत जुटाई पंचायत राज व्यवस्था होने के बाद? केवल उस बेड़ कलां में पंचायत का चुनाव लड़ने का...

श्री अध्यक्ष : हाई कोर्ट के बारे में तो आप यहां नहीं कह सकते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हाई कोर्ट का फैसला और हाई कोर्ट पर टिप्पणी, क्या यह उचित है? आप देख लें।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो तथ्य बता रहा हूं। उन्होंने दस दिन की पैरोल दी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हाई कोर्ट ने भी उनको प्रोटेक्ट किया है।

एक माननीय सदस्य : It is a contempt of the court.

श्री अध्यक्ष : आपने कहा हाई कोर्ट ने भी उनको प्रोटेक्ट किया है...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : साधन सम्पन्न लोग करते हैं...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जनतंत्र को नहीं बचायेंगे, जनतंत्र में जो वोट लेने और देने का अधिकार है उस अधिकार को हम नहीं बचायेंगे...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कोर्ट के खिलाफ आरोप मत लगाओ।

श्री अमराराम (धोद) : मोहन मेघवाल की हत्या केवल एक साधारण हत्या नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं। हत्याएं बहुत होती हैं, शिवदान सिंह के परिवार के और इस मेघवाल की कोई जमीन की लड़ाई नहीं है केवल इसलिए कि शिवदान सिंह के तय उम्मीदवार के सामने उसने चुनाव लड़ दिया। क्या हम इसलिए विधान सभा में चुन कर आये हैं, हमने शपथ ली है, इस जनतंत्र के माध्यम से राजाशाही को खतम किया है। राजाशाही और सामन्ती संस्कारों के खिलाफ कोई आवाज उठायेगा तो उसका दमन किया जायेगा, और यह न केवल शिवदान सिंह कर रहा है बल्कि सरकार कर रही है। रावला और घड़साना में किसान पानी मांगता है, सरकार का प्रशासन उनको गोलियों से भूनने का काम करता है। झुंझुनूं में गांव के लोग अध्यापक के ट्रांसफर को कैंसिल करने की बात करते हैं, आपका विभाग गोलियां चलाता है। यह है इस सरकार की मानसिकता, जो सामन्ती मानसिकता है कि सरकार के निर्णय के खिलाफ कोई जनता अपनी आवाज नहीं उठा सके। दलितों पर, महिलाओं पर राजस्थान में जो अन्याय और अत्याचार इस सरकार के आने के बाद बढ़े हैं, मैं समझता हूं इस राजस्थान सरकार की मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं।

श्री संयम लोढ़ा : संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप हंस रहे हो इनकी बात पर। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को।

श्री अमराराम (धोद) : जन आन्दोलनों में इस तरह से पुलिस का हस्तक्षेप, उनको खुली छूट दी गयी है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है लेकिन इस तरह से खुली छूट विभाग को, राजस्थान के गृह विभाग को जिस तरह से आर.एस.एस. के हवाले किया गया है...(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, रावला और घड़साना के किसानों को भी किसी ने गुमराह करके और वहां से आगे पानी जाने नहीं देने के लिए भी जिन्होंने किया वह भी किसान हैं, हम लोग भी किसान हैं जिनके पानी बन्द हो रहा था। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आर.एस.एस. परफोर्मेंस...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 12 मिनट बोल चुके हैं, कृपया कनक्लूड कर दें आप। कनक्लूड करें।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, 50 वर्ष हो गये देश आजाद हुए, प्रजातांत्रिक सरकारें हैं, आप बार-बार जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं यह कतई उचित नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : सरकार है तो रोके ना। यह मेघवाल की हत्या 50 साल के बाद हो रही है।

श्री सांवर लाल : राजस्थान की जनता जिता कर भेजती है यहां पर। यह सरकार जनतंत्र के आधार पर बनी हुई है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : क्या उसका गुनाह यही था कि उसने पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कह दिया। उसके 15 साल के बच्चे को...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जहां कम्युनिस्टों का शासन है? वहां क्या हो रहा है? वहां हत्याएं नहीं हैं, वहां बलात्कार नहीं हैं?... (व्यवधान) वहां आपकी पार्टी के लोग करवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ना, ना, गलत बात है।...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : बार-बार सामन्त सामन्त कह कर आप अपनी कमजोरी छिपा रहे हो।...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : हां, कम्युनिस्टों का राज है, वहां राजाओं की जमीनें नहीं छोड़ी...(व्यवधान)...आज भी राजस्थान के, आपकी सरकार के राजस्व मंत्री के यहां हजारों एकड़ जमीन...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : धोद से आने वाले माननीय सदस्य, यह बताएं शिवदान सिंहजी कौनसी पार्टी को बिलांग करते हैं, वह किस पार्टी के मैम्बर हैं... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : हजारों एकड़ जमीन इस विधान सभा में कानून पास होने के बाद भी उन सामन्तों के पास है जो गरीबों के पास होनी चाहिए थी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : लेकिन यह सामन्त-सामन्त क्या होता है? यह जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वह किसके इशारे पर हो रहा है? वहां आपके इशारों पर हो रहा है।...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, 50 वर्ष में एक से दो सदस्य नहीं बैठे हो आप हाउस के अन्दर। बार-बार इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल मत करिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं और उनको चीफ व्हिप व्यवधान पैदा कर रहे हैं, उनको आप प्रताड़ित कीजिए।

श्री सांवर लाल : राजस्थान की जनता को मालूम है कि कौन उनके हितैषी हैं इसलिए उनके हक में फैसले किये हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मंत्री और चीफ व्हिप लेवल के लोग हैं, जिनको यहां पर मंत्री के स्तर का दर्जा दिया हुआ है चीफ व्हिप हैं वह एक माननीय सदस्य को बोलने के लिए व्यवधान कर रहे हैं। यह तो डिबेट का स्तर ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : धोद से आने वाले माननीय सदस्य, आप 13 मिनट बोल चुके हैं, अब प्लीज आप एक मिनट में कनक्लूड करें।

श्री अमराराम (धोद) : कनक्लूड कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। सिंचाई मंत्रीजी, राजस्थान की जनता ने एक भेजा है तो एक तो बात कहेगा, यह अधिकार तो है हमको।

श्री सांवर लाल : अगली बार एक भी नहीं आओगे।

श्री अध्यक्ष : कौन आयेगा, कौन नहीं आयेगा...(व्यवधान)...क्या तरीका है यह?

श्री अमराराम (धोद) : हमको दिन 101 दे देंगे मैं समझता हूं आप जैसे लोग, जो सामन्ती संस्कार रखते हैं उनको या तो जेल में होंगे। राजस्थान की जनता अभी समझी नहीं है इसलिए 101 आ गये...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने इनको बोलने से नहीं रोका मैं यह कह रहा हूं कि बार-बार सामन्ती शब्द का इस्तेमाल उचित नहीं है। आपकी पार्टी और आपका सोच है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बीच में व्यवधान नहीं डालें, बोल लेने दें।

श्री सांवर लाल : आपकी संख्या 50 वर्ष में बढ़ जाती, जहां पर हो वहीं बैठे रहो आप एक पर ही।

श्री अमराराम (धोद) : मैं यही बात कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पश्चिमी बंगाल में चुनावों में 300 लोगों की हत्याएं हुईं।

श्री अध्यक्ष : अब पश्चिम बंगाल की बात कोई आवश्यक नहीं है यहां।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 300 लोगों की राजनीतिक हत्याएं कीं इन्होंने पश्चिम बंगाल में, वह याद दिलाना चाह रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : इसलिए 6 लोगों को मारना आपका जरूरी हो गया? इन्होंने 300 वहां मारे तो 6 आप मारो।...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिलकुल जरूरी नहीं है। पूरी सख्त कार्यवाही की जायेगी लेकिन पश्चिम बंगाल की तरह इजाजत नहीं दी जायेगी।...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : महावीरजी, जिस बंगाल की बात कर रहे हो देश में (व्यवधान) 28 साल से किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है जो लगातार 45 चुनाव जीत जाए। केवल वह पश्चिमी बंगाल है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सामन्ती वह हैं। वहां जो बन्दूक और मर्डर की राजनीति है, तीन सौ तीन सौ लोग मारे जाएं तो वहां कौन हिम्मत करेगा कोई पार्टी आएगी?

श्री अमराराम (धोद) : वहां की तो बात छोड़ो, आपने धोद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर दम तोड़ दिया। (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर दम तोड़ दिया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ...(व्यवधान) राबड़ी देवी रह गयी...

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की विधान सभा है, सरकारी सचेतक महोदय को निर्देश दीजिए कि बंगाल की बात मत करिए वरना लोग गुजरात की भी करेंगे यहां।

श्री अमराराम (धोद) : यह गुजरात ही बनाना चाहते हैं (व्यवधान)

श्री जालम सिंह रावलोत : बात कर लें गुजरात की भी, बात कर लें आ जाओ ना। तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामलाल जाट।

श्री अमराराम (धोद) : किसी भी रूप में नहीं बनाने देगी। इसलिए मेरा तो अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यही निवेदन है सरकार की सोच का नतीजा है कि राजस्थान की आम, दलित, पीड़ित महिलाओं के साथ जो अत्याचार बढ़े हैं इस सरकार की... (व्यवधान) के कारण बढ़े हैं और राजस्थान की सरकार यह छोड़ दे कि राजस्थान को गुजरात बना देंगे। यह राजस्थान की जनता गुजरात नहीं बनने देगी और गुजरात बनाने वालों का वही हश्र करेगी जो दिल्ली में गुड फीलिंग और शाइनिंग का किया है। वो ही राजस्थान में करेगी। यही बात कहकर आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, आधी मिनट में आपकी इजाजत हो तो मेरी एक बात छूट गयी। मेरे से भूल हो गयी। मैं सुधार...आधी मिनट, सिर्फ आधी मिनट।

एक माननीय सदस्य : अगली बार डिबेट में आना।

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं अब आधी मिनट क्या?

श्री रामप्रताप कासनिया : नहीं आधी मिनट में मैं उसमें सुधार करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ना, ना, अब सुधार की गुंजाइश नहीं है

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पीलीबंगा में डीवाई.एस.पी. कार्यालय खोला जाए। हनुमानगढ़ से ऊपर साठ किलोमीटर जाकर संगरिया है. दूसरा जो मार्च में घटना घटी थी...

श्री अध्यक्ष : आप क्या बोल रहे हैं.

श्री रामप्रताप कासनिया : उसमें इन्चार्ज ने चार घंटे बाद मुलजिम चयनित करके उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी और बदले में नारे के साथ ट्रांसफर और सी.आई. का जिन्दाबाद का पदस्थापन किया...यह कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामलाल जाट, आप नहीं बोल रहे हैं मैं दूसरा नाम पुकारूं

श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) : खड़ा हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पर पूरे सदन के विचार कई राजनीतिक, सुधार की कई बातें आई। मैं भी मेरे विचार रखने की कोशिश कर रहा हूं। पुलिस किसी न किसी रूप में प्रत्येक युग में राजस्थान में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में रही है। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाना, नागरिकों की जान माल की सुरक्षा करना, अपराधों पर अंकुश लगाना। चाहे अंग्रेज इस भारत में 200 वर्ष तक रहे उन्होंने पुलिस के माध्यम से किस तरह इस देश के निवासियों पर कई तरह के अत्याचार किए। अंग्रेजों के चले जाने के बाद में भी पुलिस में जो तंत्र, जो कानून व्यवस्था थी, कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल करके उसको आज दिन तक उसी रूप में लागू किया जा रहा है. जो भी सरकार आती पुलिस के माध्यम से, पुलिस के जोर पर अपना राज चलाना चाहती है जबकि पुलिस छह अक्षरों का एक शब्द है। पी.ओ.एल.आई.सी.ई.। पी. का साफ अर्थ है पोलाइट यानि पुलिस हमेशा विनम्र रहनी चाहिए, ओ. का अर्थ है ओबिडिएंट यानि आज्ञाकारी, एल. का लोयल यानि वफादार, आई. का इंटेलीजेंट, होशियार, बुद्धिमान, सी का करेजेसियस यानि साहसी, ई का अर्थ है एफीशिएंट यानि निपुण। अपने आप इस शब्द के अन्दर पूरी पुलिस के गुण समाहित हैं। इतना नरम, लेकिन पता नहीं आज भी पुलिस के ऊपर जिस तरह की बातें होती हैं कोई कहता है चोर है, कोई कहता है बेईमान है। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। इतने सारे गुण होने के बाद भी पुलिस को जिस तरह राजस्थान में नहीं पूरे देश में लिया जाता है।

(श्री रामलाल जाट)

आज जिस तरह की पुलिस की ड्यूटी है, 24 घंटे तक लगातार चाहे सर्दी, चाहे गरमी, चाहे बरसात, चाहे बाढ़ आए, चाहे अकाल, हमेशा पुलिस की ड्यूटी रहती है। आज पुलिस की एक तरफ जो नफरी है, पुलिस की जो व्यवस्था है। जो पुलिस की कानून व्यवस्था के नार्म्स बने सन् 1974 में, आज कितने थाने हैं राजस्थान में? उस समय कितनी जनसंख्या राजस्थान की थी। पुलिस की नफरी के हिसाब से आज राजस्थान की जनसंख्या करीब छह करोड़ के लगभग होने को आई। आज उन थानों में वही नफरी, आज एक गांव के थाने में 70-80 या 100 गांव आते हैं और उस थाने के अन्दर 12 से 15, कोई कस्बे का थाना है तो 15 कांस्टेबल, बाकी 12 कांस्टेबल उसके अन्दर पदस्थापित हैं। चार आदमी, जो सन्तरी ड्यूटी देता है जो बड़ी हार्ड ड्यूटी होती है। चार घंटे दिन को और चार घंटे रात को देता है। एक आदमी एक सन्तरी वायरलैस सैट के ऊपर रहता है। एक अपने वीट के ऊपर मुंशी का कार्य करता है। एक आदमी अनुसंधान अधिकारी के साथ जाता है। एक पुलिसकर्मी कोर्ट की ड्यूटी करता है। इस तरह थाने में पीछे कोई रिपोर्ट, कोई मुकदमा कुछ भी हो तो सही ड्यूटी नहीं कर पाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह की नफरी आज आपने राजस्थान में प्रति व्यक्ति, प्रति पुलिसकर्मी एक हजार आदमी। एक हजार आदमी एक पुलिसकर्मी के हिस्से में आते हैं तो क्या कानून व्यवस्था बनाएगा।

आज पुलिस की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि 2004 में अपराधियों की संख्या में आंशिक वृद्धि हुई है। वृद्धि हमेशा होती आ रही है। मुकदमें चोरी, डकैती, लूट कई तरह की बातें पुलिस के सामने हैं। अध्यक्ष महोदय, पुलिस के बारे में जिस तरह आप सर्वदलीय कमेटी बनाते हैं उस तरह सोच विचार करके इस पुलिस के बारे में आप कुछ सोचेंगे गृह मंत्रीजी तो निश्चित रूप से एक रीढ़ की हड्डी है सरकार की। कोई भी सरकार होती है तो उस सरकार की रीढ़ की हड्डी पुलिस को माना जाता है।

आज पूरे राजस्थान में 709 थाने हैं और इतनी ही चौकियां हैं। लगातार आज मुकदमें बढ़ रहे हैं। एक हजार किलोमीटर लगभग पाकिस्तान की सीमा पर राजस्थान की सीमा लगी हुई है। उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, सभी राज्यों से क्राइम करके राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते हैं। कई तरह की बातें आज पुलिस के सामने हैं।

(श्री रामलाल जाट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप सारी बातें पुलिस के लिए कर रहे हैं लेकिन नफरी बढ़ाने या भर्ती जो आप आने वाले टाइम में लें तो कम से कम जो आपके रिक्त पद बता रखे हैं, चार-पांच हजार रिक्त पद बता रखे हैं तो कम से कम जो सृजित पद हैं उन पदों को तो आप भरें तो कुछ काम की बात भी पुलिस से होगी।

इसके साथ ही हमारे भीलवाड़ा जिले में जो अति संवेदनशील जिला है, कुछ वर्षों से बन रहा है, जिस तरह की बातें आपके सामने आ रही हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष महोदय ने एक सर्वदलीय कमेटी भी बनाई उस कमेटी के माध्यम से गृह मंत्रीजी, पंचायत राज मंत्रीजी सब लोग हम गए। वहां पर जो स्थिति देखी, आज एक पुलिसकर्मी के एक हजार व्यक्ति आ रहे हैं हिस्से में, पूरे राजस्थान में एक ही त्यौहार होता है चाहे मुस्लिम समाज का हो तो मुस्लिम समाज का होता है, हिन्दू समाज का होता है, हर जगह पुलिस को अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है। उस जगह 15-20 पुलिसकर्मी थे। किस तरह वह घटना घटी और वह घटना घटी उसके बाद तुरन्त ही गृह मंत्रीजी ने या सरकार ने वहां के एस.पी. को और सुपरिन्टेन्डेंट को हटा दिया। अगर वह सुपरिन्टेन्डेंट और एस.पी. वहां नहीं होता तो कम से कम बीस तीस आदमियों की जान वहां जाती, अगर पुलिस रोकने का काम करे तो उसको सजा एक तरफ दी जा रही है। वास्तविक जो दंगा कराने वाले, लफड़ा कराने वाले हैं उन लोगों को सरकार प्रोटेक्शन देने का काम करती है और वह भी पुलिस के माध्यम से। पुलिस जब कोई अच्छा कदम उठाए, उस दंगे को रोकने की कोशिश करे तो उसका ट्रांसफर किया जाता है। तो मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अपन सब साथ चले थे, वहां देखा था आपने जिस तरह का आक्रोश था। चाहे अपन माण्डल गये, चाहे भीलवाड़ा गये, लोगों से मिले, चाहे करजारिया में सभी लोगों से मिले। आज भी करजारिया की स्थिति आपके सामने है। सात-आठ परिवार आज भी वहां पर मौजूद नहीं हैं। आपके सामने जो बात हुई। एक सत्यानारायण शर्मा का मर्डर हुआ। उस मर्डर के अन्दर हिन्दू समाज भी था और मुस्लिम समाज के लोग भी एफ.आई.आर. में आए। चालान तो पेश नहीं हुआ, उनके जे.सी. हो गये लेकिन जिस तरह की स्थिति पुलिस के माध्यम से बनी, पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। जो लोग इसके पीछे हैं उस तफ्तीश को ही घुमा दी गयी। एक तरफ तो अभी अमरारामजी बता रहे थे कि मोहन मेघवाल की तफतीश को तीन आई.ए.एस. को चेंज कर दी। भीलवाड़ा की तफतीश जब होम मिनिस्टर साहब वहां

मौके पर गये, वहां जाते ही घोषणा कर दी तीन दिन में मुजरिम पकड़े जायेंगे जबकि पुलिस जिस रास्ते पर चल रही थी। वास्तव में वह करजारिया काण्ड, जो लड़का मरा था. उसका पता लगता कि वास्तव में मुल्जिम कौन है।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप उसकी जांच सी.बी.आई. से कराएं, अच्छे अधिकारी, आई.पी.एस. अधिकारी से करवाएं तो निश्चित रूप से पुरानी जांच करने वाले जो अधिकारी हैं उनको उसमें सजा मिलेगी। उन्होंने किस तरह उस तफतीश को घुमाया जबकि वहां के लोग दबी जुबान से आज यह कह रहे हैं वह लड़का अच्छा था. उसको मारा गया। कौन-कौन लोग हैं, किस तरह मारा गया. वह सारा, लेकिन आपके वहां जाने के बाद में जो पुलिस ने कई लोगों को वहां पकड़ा है। पकड़ने के बाद में वापस छोड़ा भी था। प्रेस कांफ्रेंस हुई। पुलिस एस.पी. ने कहा कि इसमें ठोस सबूत नहीं मिल रहे हैं। राजू दरोगा नाम का व्यक्ति बुलाकर ले गया, वह भी जेल में है अभी लेकिन उसको हिन्दू मुस्लिम का एक रूप दिया गया। तो माननीय अध्यक्ष महोदय. गृह मंत्रीजी को निवेदन करूंगा कि अच्छे अधिकारी को यहां से भेजें। अलग से टीम बनाएं। उसकी जांच कराएं तो निश्चित रूप से हम भी यह चाहते हैं कि मुल्जिम पकड़ें। निश्चित रूप से वहां की जो घटना घटी और वह अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो गरीब हैं. दो-दो बीघा जिनकी जमीन है उनको खाने के लिये गेहूं नहीं रहे, उनके जानवर नहीं रहे हैं। आप खुद मौके पर गये। मैं भी गया। दो बार आप जाकर आए हैं। अभी भी 6-7 परिवारों ने वहां से गांव छोड़ रखा है तो कृपया उसके सम्बन्ध में भी कुछ करिये।

भीलवाड़ा में एक उसी तरह राजू बैरवा नाम के व्यक्ति की हत्या हुई जिसमें शकील अहमद नाम के लड़के ने गोली मारी अकील खां ने, अब आप अध्यक्ष महोदय, जब दोनों हिस्ट्रीशीटर हैं थाने के। उनके पहले ही 307 के मुकदमे दर्ज हैं। न तो मुस्लिम समाज उस व्यक्ति को चाहता, न हिन्दू समाज राजू बैरवा को चाहता है लेकिन उसको बजरंग दल का रातों रात, रात को 1.00 बजे रसीद काट दी। उसको बनाकर दंगा खड़ा कर दिया। तो भीलवाड़ा...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामलाल जाट : हां, अध्यक्ष महोदय, समाप्त कर ही रहा हूं। जो हकीकत घटना है वह बता रहा हूं। इतनी अव्यवस्था सरकार की वजह से हो रही है जो पुलिस

(श्री रामलाल ज़ाट)

उसको सही करने की कोशिश कर रही है उसको दबाया जा रहा है इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहूंगा गृह मंत्रीजी को कि इतनी घटनाएं भीलवाड़ा में हो रही हैं, आप भी चाह रहे हैं वह घटनाएं नहीं घटें तो कृपया वहां पर एक एडिशनल एस.पी. का पद और सृजित करें नया। हर जिले में जहां भी, चाहे गंगापुरसिटी में दंगा हुआ हो, चाहे और कहीं हुआ हो तो आपने तुरन्त ही एडिशनल एस.पी. की वहां पोस्ट कर दी। तो भीलवाड़ा में इतने दंगे, जो स्थिति इस तरह की बन रही है, कृपया आप आज ही एडिशनल एस.पी. का पद वहां सृजित करें।

दूसरा मेरा निवेदन यह था जिस तरह पुलिसकर्मियों के रहने की, आवास की, सारी व्यवस्था सब माननीय सदस्यों ने बतायी है, मैं तो आपसे एक निवेदन करूंगा कि पुलिस का कांस्टेबल न तो थर्ड ग्रेड में है, न फोर्थ ग्रेड में है, आपने बीच में लटका रखा है उसको। कई तरह की कमेटीज बनीं। सेण्ट्रल गवर्नमेन्ट की कमेटी भी बनी। राजस्थान सरकार ने भी सुधार करने की कोशिश की लेकिन आप इसमें कुछ करिये। जब भी डिबेट होती 20-25 रुपये मैस भत्ता बढ़ा दिया जाता। वास्तव में उन लोगों को इतनी परेशानी है...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रामलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, कई-कई बार तो इस नफरी की कमी की वजह, पैसों की तंगी की वजह से, कई कांस्टेबलों को छुट्टी की वजह से आत्महत्या करनी पड़ती है। ऐसी घटनाएं कई बार घटी हैं। तो कृपया आप इसके बारे में पूरा ध्यान दें। 20-25-50 रुपये नहीं बढ़ा करके कम से कम उनको एक बार चाहे थर्ड ग्रेड में लें आप। मास्टर जो आठ घण्टे ड्यूटी देकर आता है उसमें भी पांच घंटे पढ़ाता है, उसके पीरियड फिक्स हैं। यह 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, हमेशा हर तरह तैयार रहते हैं तो कृपया आप इनकी तनख्वाह के ऊपर भी ध्यान दें।

दूसरा, जो यह प्रमोशन का है, माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब आपका समय समाप्त हो गया है। आप 15 मिनट से अधिक बोल लिये हैं। अब दूसरे का नाम पुकार रही हूं...

श्री रामलाल जाट : एक बात और है...

श्री अध्यक्ष : बात आपकी कितनी ही हों, दूसरे का नाम पुकार रही हूं मैं।

श्री रामलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी एक मिनट की बात और है।

श्री अध्यक्ष : श्री रणधीर सिंह भीण्डर (अनुपस्थित)। केसर देव बाबर।

श्री रामलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट की बात कह रहा हूं। यह पुलिस निरीक्षक से उप अधीक्षक का प्रमोशन जो आप कर रहे हैं इसके ऊपर गारंटी प्रमोशन की जो स्कीम रख रखी है...

श्री अध्यक्ष : 15 मिनट बोल लिये आप। प्लीज कनक्लूड। श्री केसर देव बाबर, कंटीन्यू। आप चालू करें।

श्री रामलाल जाट : कोई चोरी, बदमाशी करता है, या स्मेक पकड़ी, या अफीम पकड़ी उसको आप गारण्टी प्रमोशन दे रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : अब आप प्रारम्भ करें। प्रारम्भ करें।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16, मांग संख्या 17...(व्यवधान) बोलने के लिये समय दिया इसके लिये धन्यवाद...

श्री रामलाल जाट : जबकि आपके नियमों में 28 एएए के तहत जब वह संविधान ही खतम कर दिया...

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा माननीय सदस्य, 15 मिनट बोल लिये. अब स्थान ग्रहण कर लें...

श्री रामलाल जाट : जब यह मैरिट के जो अधिकारी बैठे हैं...

श्री अध्यक्ष : अब अंकित नहीं हो माननीय सदस्य का।

श्री रामलाल जाट : XXX

श्री केसर देव बाबर : हमारी सरकार ने पुलिस विभाग के...

श्री अध्यक्ष : आप एक बार शांत रहें। इनका अंकित नहीं हो रहा है। आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामलाल जाट : XXX

श्री केसर देव बाबर : पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की मदद से राज्य में कानून व्यवस्था कायम कर रखी है। वर्ष 2004 में कुल 1,54.889 अभियोग पंजीबद्ध हुए जबकि वर्ष 2003 में 1,45,579 अभियोग दर्ज हुए। इस प्रकार 6.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य में अपराध एवं नियंत्रण कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति मुख्य स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के निरोधक प्रावधानों के तहत की गयी। पुलिस एवं आम जनता के बीच बेहतर सामंजस्य बनाये रखने के लिये पुलिस मनोबल में अभिवृद्धि हेतु सम्भागीय स्तर पर 6 पुलिस परामर्श केन्द्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया। यह सराहनीय कार्य है तथा उक्त परामर्श केन्द्र हेतु 48 नवीन पद एवं इन पदों पर होने वाले खर्च की राशि 78.55 लाख रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके लिये मैं गृह मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

राज्य सरकार द्वारा सीकर एवं गंगानगर जिलों एवं मुख्यालयों में महिला पुलिस थानों की जो स्थापना की गयी है उसके लिये भी मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे सीकर जिले में पुलिस का जो महिला थाना खोलने का प्रावधान रखा है...

श्री अध्यक्ष : कटमोशन धन्यवाद के लिये थोड़ी होते हैं। कटमोशन तो ध्यान आकर्षित करने के लिये होते हैं।

श्री केसर देव बाबर : अब वहीं बात पर आ रहा हूं मैं।

आज पूरे दिन कानून व्यवस्था पर चर्चा हो रही थी। प्रदेश में एस.सी., एस.टी. महिलाओं के साथ में अत्याचार होते हैं, बलात्कार की घटनाएं ज्यादा होती हैं। इसमें सरकार ने प्रावधान कर रखा है कि एस.टी., एस.सी. की महिला के साथ यदि बलात्कार होता है तो उसको एक लाख रुपये की राशि देय होती है।

अध्यक्ष महोदय, यह एक लाख रुपये की जो राशि है इसमें पचास हजार रुपये सरकार पहले देती है और पचास हजार रुपये बाद जब उस मुकदमे का चालान होता है तब देती है। यह पैसा सरकार देती है। करे कोई और भरे कोई। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि यह राशि जो अपराधी है उससे वसूल की जाए और यह राशि कम है, इस राशि को बढ़ाया जाए। यह पैसे की मार अपराधी के ऊपर पड़े ताकि उसको भी सबक मिले और तो जो दण्ड होता है वह प्रक्रिया कोर्ट की होती है

(श्री केसर देव बाबर)

लेकिन यह राशि कम है और उसी अपराधी से यह राशि वसूल की जाए चाहे उसकी जमीन नीलाम की जाए, चाहे उसका घर नीलाम किया जाए लेकिन इस तरह का कार्य करने पर एस.टी., एस.सी. के साथ बलात्कार के जो मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें कमी आयेगी और अपराधों की संख्या में कमी आयेगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि एक कानून है शहर में जो स्कूटर और मोटर साइकिल से चलेगा उसको हैलमेट लगाना पड़ेगा लेकिन शहर के बाहर चलेगा उसको नहीं लगाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जब दुर्घटना घटित होती है तो वाहन तेज चलता है। तेज चलता है तब दुर्घटना होती है। आज शहर में पुलिस चैक करती है कि ड्राइवर के बैल्ट है कि नहीं, स्कूटर पर जो जा रहा है उसके हैलमेट है कि नहीं? जब गाड़ी नेशनल हाईवे रोड पर सौ, एक सौ बीस की स्पीड से दौड़ती है यदि उस समय एक्सीडेन्ट होता है तो उसमें बहुत नुकसान होता है। वहां पर उसने बैल्ट बांधी है कि नहीं कोई नहीं चैक करता है, तो चाहे जयपुर सिटी में या कोई भी सिटी में यह कानून सख्ती से लागू हो या नहीं हो लेकिन जहां नेशनल हाईवे हो, जहां पर स्पीड ज्यादा हो, जहां पर दुर्घटना ज्यादा होती है वहां पर यह व्यवस्था होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, हमारे सीकर जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की एक पोस्ट है और सीकर जिले का जो क्षेत्र है वह काफी लम्बा है। एक साइड हरियाणा से टच होता है। हमारे जिले की लम्बाई करीब 150 किलोमीटर है। भौगोलिक प्रदेश भी आधा पहाड़ी क्षेत्र है और आधा रेगिस्तानी है। इसलिए एक पोस्ट तो वहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की क्रिएट की जाये ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो सके।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां परिपार्टी है कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने पर सरकार संभलती है और पुलिस भी जहां पर लड़ाई-दंगा हो जाता है, वाकया हो जाता है वहां पहुंचती है। पुलिस कभी वाकये के पहले नहीं पहुंचती है। पुलिस में जो संसाधनों की कमी है उसके लिए सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री केसर देव बाबर : यह चिन्ता का विषय भी है क्योंकि पुलिस को 24 घंटे काम करना पड़ता है और इसमें इनको परेशानी भी आती है इसलिए इसके संसाधनों में कमी को दुरूस्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष : अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री केसर देव बाबर : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट और। पुलिस को जो बोलने चालने का व्यवहार है वह ठीक नहीं है। इसमें सुधार जरूर किया जाये कि वह अदब से बोलें। जो भी पुलिस थाने में जाता है या किसी ड्राइवर को रोक करके पूछते हैं कि आप कहां से आ रहे हैं तो इस तरह का व्यवहार करता है कि वह अपराधी है। पुलिस का जो रवैया है वह पोलाइटली होना चाहिए। उसका व्यवहार नरम होना चाहिए। रूखा नहीं होना चाहिए। मीठी भाषा का प्रयोग करें।

श्री अध्यक्ष : इसलिए अब आप समाप्त करें।

श्री केसर देव बाबर : अध्यक्ष महोदय ने समाप्त करने के लिए कह दिया। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भरत सिंह।

श्री भरत सिंह (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, आज भी राजस्थान की पुलिस की जब चर्चा होती है तो इस देश की पुलिस व्यवस्था में जो अच्छे प्रदेश हैं उसमें राजस्थान की चर्चा होती है।

श्री अध्यक्ष : इतनी जोर से आप क्यों बोलते हैं कि वह डिस्टर्ब हो रहे हैं।

श्री भरत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। दो-तीन बिन्दुओं पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। जिस पर और सदस्य बोल चुके हैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। जो ट्रेंडस चल रहे हैं पुलिस में हमारे प्रदेश में जिस पर पूरे समाज को और देश को चिन्ता करनी चाहिए। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज के समय में बेरोजगारी हमारे प्रदेश में और राष्ट्र में बहुत बड़ी समस्या है और जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है वह क्राइम के माध्यम से पैसा कमाने में अपने आपको इनवाल्व कर चुके हैं। मैं जिस सम्भाग से आता हूं। कोटा सम्भाग में बहुत बड़े पैमाने पर अफीम की खेती से सम्बन्धित क्राइम हो रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आपने जो आंकड़े दिये हैं इस साल के उसमें दिये तो उपलब्धि के तौर पर हैं कि हमने इतने केसेज पकड़े। लेकिन हकीकत यह है कि 20 प्रतिशत नारकोटिक्स के क्राइम बढ़े हैं और जो पकड़े गये हैं वह टीप आफ दी आइसबर्ग जितने पकड़े गये हैं उससे बहुत अधिक क्राइम हो रहा है। दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा जो क्राइम इस दिशा में हो रहे हैं वह माननीय मुख्य

(श्री भरत सिंह)

मंत्रीजी के खुद के निर्वाचन क्षेत्र झालावाड़ में हो रहे हैं। बारां, झालावाड़, चित्तौड़ के क्षेत्र में अफिम होती है, इस क्षेत्र में अफीम से सम्बन्धित अपराध बढ़ रहे हैं। ... बहुत वर्षों से हो रही है। एक समय था कि अफीम पैदा होती थी और वह कुछ ... कंजूम होती थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हमारे यहां पर ... की तस्करी होती थी। आज हो रहा है कि अफीम के प्रोडेक्ट्स एक काटेज उद्योग के रूप में यह धन्धा पनप रहा है और छीपा बड़ौद, भवानीमण्डी, रामगंज मण्डी, नीमच, मध्य प्रदेश के अन्दर है वह तो और निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ के अन्दर बहुत बड़े पैमाने पर काटेज इण्डस्ट्री के रूप में यह बाई प्रोडेक्ट्स चल रहे हैं। सम्भाग के अन्दर, कोटा शहर में ही 15 हजार के करीब 17 और 35 साल के नवयुवक इसके क्राइम में लगे हुए हैं और इसमें 6 लाख रुपये का डेली कंजम्पशन कोटा शहर में हो रहा है। इसकी इन्टरनेशनल वैल्यू एक करोड़ की स्मैक है, स्मैक ही नहीं, ब्राउन शुगर और एक एक क्विंटल की तादाद में ... नारकोटिक्स हमारे यहां पकड़ी गई है। अब प्रश्न यह है कि इसका समाधान ... है। पूरी राजनीति इस अफीम से चल रही है। बहुत बड़ी तादाद में ... जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वह इस अफीम के धन्धे ... हैं। राजनैतिक पार्टियां चाहे कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी वह वोटों की जो व्यवस्था है उसमें अफीम की झलक देख रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर चाहता हूं कि जब आप उत्तर दें तो इस पर विचार करें कि राजस्थान में 50 हजार से कम काश्तकार इसकी खेती करते हैं। ... खेती लाभदायक नहीं है। अफीम बहुत ज्यादा लाभदायक हो ... है। ... मूल्य किसान को सरकार देती है उससे 10 हजार रुपये के.जी. तस्करी में कीमत ज्यादा है। ... इस सदन में आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि अगर इस समाज को सुधारना है, अगली पीढ़ी को सुधारना है तो आपको विचार करना पड़ेगा कि अफीम की जो खेती हो रही है इसको हम टोटली बन्द करें। यह बात मैं सदन में इसलिए कह रहा हूं कि कोई साहस नहीं करता है इस बात को कहने का। मैं झालावाड़ से विधायक रहा हूं और मेरा काफी लम्बा सम्बन्ध है उस जिले से, आज जो पूरा ट्रेन्स ... कनेक्शन हुआ है जयपुर से साउथ इण्डिया ट्रेन जा रही है, वह अब यहां से ... लंका और एक इन्टरनेशनल ... राजस्थान में बन गया है।

अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ में बहुत तस्करी हो रही है। सदन में बात हुई कि झालावाड़ तरक्की कर रहा है। मगर सबसे ज्यादा तरक्की इसी क्षेत्र में कर रहा है। ...

(श्री भरत सिंह)

आप उसे तरक्की मानें। आप विचार करें। मगर उस क्राइम को अगर रोकना है तो इस अफीम की खेती पर आपको चिन्तन करना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अफीम की खेती में कटौती हो तो दिल्ली डेलीगेशन जाता है और इस बात के लिए पैरवी करता है कि अफीम की खेती में कटौती नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से इस बात पर जोर दे रहा हूं कि इस चीज को करें। दूसरी चीज और चिन्ता की बात है कि आखिरकार पकड़ा कौन जाता है? 1100 के करीब आदमी पकड़े गये हैं इन केसेज के अन्दर, उनका अफीम से कोई लेना-देना नहीं है। वह केवल कैरियर के रूप में तीन-चार हजार रुपये उनको मिलेगा और कोई भी आदमी कहता है कि तुम इस कुड़की को लेकर यहां से वहां पहुंचा दोगे, कि क्या मिलेगा कि चार हजार, वह जाता है उसकी खबर मिलते ही जो बड़े साफ कपड़े पहनकर और शासन के दरवाजे पर दिखते हैं उन लोगों को कोई नहीं छू रहा तो इसके लिए आप करें और मेहरबानी करके अगर आप व्यवस्था सुधारना चाहते हैं तो ऐसे कुछ पुलिस अधिकारियों को एस.पी. के रूप में लगायें, मैं इसलिए कहता हूं मैंने देखा है कि एक महिला एस.पी. बारां में लगी, मैंने पिछली बार भी सदन में कहा था। जो आपके भ्रष्ट पुलिस अधिकारी थे वह तबादला कराने में जुट गये कि यह महिला आ गयी और लोग-बाग जिला छोड़-छोड़कर भागने लगे। अगर काम करता है पुलिस का अधिकारी तो जो गलत काम करते हैं वह अपने आप भाग जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कम से कम बारां है, झालावाड़ और इनकी जो पोस्टिंग है वह राजनीति के आधार पर नहीं करें और आपके जो योग्य अधिकारी हैं उनको करें और इस विषय पर चिन्तन करें।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि चोर जो पकड़ा जाता है वह जाता जेल में है, अब हमने जेल में व्यवस्था क्या कर दी, झालावाड़ में ही जेल का सबसे बड़ा कारनामा पकड़ा गया। वह जो चीज घर में नहीं मिलती है मुर्गे और तीतर और दूसरी चीजें वह जेल में मिल रही हैं। मैं तो सदन में कहता हूं कि मानवाधिकार क्या, जो आदमी मजबूरी में जेल आ गया। उनका तो आप पूरा ध्यान रखो, अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो सके कि सुबह नाश्ता खिलाओ और जो बदमाशी करता है उसके 5 पट्टे शाम को पड़े तब जाकर व्यवस्था सुधरेगी, नहीं तो कोरी मीठी-मीठी बातें करने से कुछ न हो, उनको क्या बनाएंगे, हमारे जंवाई बना दिया जेल में बैठे लोगों को।

(श्री भरत सिंह)

इससे भी दु:खद घटना जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं. हमारे कोटा के एक-दो प्रकरण आपके सामने मिसाल के तौर पर रखना चाहता हूं। नीलू राणा हत्याकाण्ड हुआ था। उसमें धनी बाप के बेटे ने कालेज जाने वाली छात्रा का अपहरण किया और उसके साथ मित्र थे, उसको साथ बैठाकर जंगल में बदनीयत से ले गया। उस लड़की ने विरोध किया, उसका मर्डर हो गया। मैं धन्यवाद देता हूं उस लड़की के पिता को जिसने एक कमिटमेंट के साथ हर पेशी पर जाकर, अपने खुद के पैसे से खड़े होकर यह व्यवस्था की कि जिसने बलात्कार करने का साहस किया था वह जेल में घुसा हुआ है।

साल भर पहले कोटा में एक डाक्टर का मैन बाजार-में मर्डर हुआ, सब लोगों ने देखा, उसके ड्राइवर ने देखा, उसका पुलिस ने चालान पेश किया, पुलिस चालान पेश करके अपने हाथ ऊंचे कर लेती है।

आप एक विशेष सैल बनाइए कि इस प्रकार के प्रकरण जो हमारे समाज में उजागर हो गए हैं, उनकी अच्छे अधिकारी पैरवी करें और जब सजा हो तो जो पैरवी करने वाले हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाए क्योंकि समाज में इसकी एक मिसाल बनती है।

ऐसे लोग बाग जो सीधे छूट जाते हैं तो उनका साहस होता है कि समाज में गुण्डागर्दी फैलाए, एक को मारा है और भी मारेंगे। आप इस प्रकार की व्यवस्था करें। अगर आपको पुलिस को सुधारना है तो जो अच्छे से अच्छे अधिकारी हैं उनको यह बोलें कि इसको यदि आपने सजा करवाई तो हम आपको पदोन्नत करेंगे, उसको एक फीत लगाकर आगे बढ़ाएं, इससे समाज में क्राइम रूकेगा। इस तरह के लोगों को यदि छूट दे दी तो आपकी व्यवस्था बिगड़ेगी, यह मेरा अनुरोध है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : थैंक यू। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पर अपने आपको सम्मिलित करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आंकड़े बहुत हो गए, पुलिस विभाग की खुशियां, अच्छा काम, आरोप-प्रत्यारोप खूब हो गए। धोद से आने वाले माननीय सदस्य जा रहे हैं लेकिन उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा, विराजिए जरा।

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

आपसे ही बात प्रारम्भ कर देता हूं। आपने घड़साना वाला विषय छेड़ा था लेकिन घड़साना का मामला वास्तव में आप अगर अपनी आत्मा पर हाथ रखकर पूछें तो शान्त हो चुका था लेकिन पश्चिम बंगाल के किसान नेताओं ने वहां आकर उन लोगों को भड़काने की कोशिश की। दुनिया ने नक्शे से कम्यूनिज्म और कामरेड का नाम मिट गया है और आप यहां राजस्थान की धरती पर आग लगाने के लिए बैठे हैं, इससे बदतर और क्या होगा... (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप सुनने की क्षमता रखिए, आप बहुत बोल गए हैं। आपको सपनों में सिर्फ आर.एस.एस. और विश्व हिन्दू परिषद् दिखता है।

श्री अध्यक्ष : आप तो अपने कट मोशन पर बोलिए।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं हमारी सरकार पर और हमारे गृह मंत्रीजी पर उन्हीं पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह आपकी जिम्मेदारी नहीं, आरोपों का जवाब देना। मंत्रीजी जवाब देंगे।

एक माननीय सदस्य : सुदर्शनजी ने बोला है वह बोलो।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : हां, सुदर्शनजी ने भी बहुत बढ़िया बोला है।

मान्यवर, आज गृह मंत्रीजी पर जो कुछ भी बोला गया है, यदि वास्तव में देखा जाए तो राजस्थान के इस सदन के इतिहास में वास्तविकता को पेश करने वाले गृह मंत्री को पहली बार देखा है। कभी झूठ का साथ नहीं दिया, चाहे वह हमारे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। गृह मंत्रीजी ने यह कभी नहीं कहा कि सीडी प्रकरण में छोगालाल बाकोलिया और गुलाब सिंहजी शक्तावत फंसे हुए हैं, कभी नहीं कहा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : आपसे कहलवा दिया है।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : हम नहीं कहेंगे, हम तो नहीं कहेंगे।

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे नहीं बोलें नगर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : हम तो नहीं कहते। आप सुनने की क्षमता

रखिए। इतना घिनौना अपराध, कहने की हिम्मत कर दी। इतना सही व्यक्तित्व हमें मिला है। आप कहिए पुलिस बल का, पुलिस की तरफ से बहुत बढ़िया काम हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जितने भी अपराध हुए हैं, राजस्थान में आज साम्प्रदायिक दंगों का देख लीजिए, चाहे धर्मान्तरण के विषय को देख लीजिए। अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे साम्प्रदायिक दंगों के बारे में, देखिए, वास्तविकता को स्वीकार कीजिए। आज हमें मुस्लिम बन्धुओं की मानसिकता को भी बदलने की जरूरत पड़ेगी, 11-12 साम्प्रदायिक दंगों में से 9 से 10 में मुस्लिम बन्धु सम्मिलित हैं और हम उनका बचाव करें यह कैसे मान्य होगा हमारी संस्कृति और सभ्यता वह पाठ पढ़ाती है कि शहीद भगत सिंह, आजाद की जयकार करनी है तो अशफाक उल्ला खां की भी जयकार करती है, अब्दुल हमीद की भी जयकार करती है पर हम मोहम्मद जिन्ना की कभी जयकार नहीं करेंगे, यह हमारी संस्कृति और सभ्यता है। हमारा गृह विभाग इन चिन्ताओं और संवेदनाओं से बिलकुल चिन्तित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के असत्य आरोपों और प्रत्यारोपों से सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, हम सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं और आप साम्प्रदायिक दंगों का देख लीजिए, हमें अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा।

सोजत वाले प्रकरण में क्या हुआ? होली पर गैर के लिए जो जुलूस जा रहा था, मोहम्मद हनीफ अंसारी के परिवार से उस पर पत्थरबाजी हुई और उसकी क्या पूजा की जाए? आप अगर कहें तो उस घर की पूजा करें? बड़ी शर्म के साथ यह कहना पड़ता है कि प्रतिपक्ष के नेता उस घर में जाकर आए हैं, यह हमारे लिए बड़ी शर्म का विषय है। हम यह कभी नहीं कहते कि उनके शिक्षा मंत्री काल में उन पर आरोप ल..., हम नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं. उन्होंने किया, उसका भुगतान उनको मिल गया, उसका भुगतान जनता ने कर दिया। हम तो वही करने वाले हैं जो कहते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : दिल्ली में भी आपका भुगतान हो गया।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : हम करेंगे. दिल्ली में भुगतान हो गया, वह दिन दूर नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि पुलिस का व्यवहार सुधारने के लिए आपने जनता और पुलिस के

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

(समय : 20.27 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

बीच संवाद कायम कराकर एक बहुत अच्छा और सौम्य वातावरण राजस्थान की धरती पर बनाया है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि पुलिस अगर कहीं गलत काम करती है तो हम कहते हैं कि आप उनको भी दण्डित करो। रामसिंह चौधरी जो सिन्धी कैम्प थाने में है, उसने इतना बड़ा अपराध किया कि उसके माता-पिता ने दु:खी होकर आत्महत्या कर ली, उसका उन्होंने पत्र लिखकर भेजा है। उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस में भी यदि इस प्रकार के अपराधी हैं तो उसकी जांच करें।

इसके साथ-साथ पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी कोई शौर्यपूर्ण काम करते हैं तो उनका अभिवादन भी करना पड़ेगा। जैसा अभी माननीय सदस्य, राव राजेन्द्र सिंहजी ने कहा कि एक नहीं हजारों मूर्तिकाण्ड, 30-30 करोड़ रुपए अन्तरराष्ट्रीय कीमत वाली मूर्तियां, इसका पर्दाफाश राजस्थान पुलिस ने किया है और अपराधियों को पकड़ा है, कितने ही ऐसे केस हैं। घीया मूर्तिकाण्ड में करोड़ों रुपयों की आफर हमारे पुलिस अफसरों को दी गई लेकिन उन्होंने धिक्कार कर दिया, इस राष्ट्र के लिए समझौता नहीं किया, इस देश की संस्कृति और सभ्यता के लिए समझौता नहीं किया। इन 18 अधिकारियों में से 14 अधिकारियों का तो प्रमोशन हो गया है, 4 का रुका हुआ है, यह उनके साथ अन्याय है, इसलिए इस अन्याय को दूर करने के लिए उन्हें भी प्रमोशन दिया जाए, यह मेरी सिफारिश है।

माननीय गृह मंत्रीजी, पुलिस विभाग की सबसे बड़ी समस्या, आवास की चिन्ता सबने की है और वास्तव में यह दूर भी होनी चाहिए। अन्य प्रदेशों में पुलिस के लिए लगभग 80 प्रतिशत आवास है और हमारे यहां लगभग 40 प्रतिशत आवास हैं। इस तरह जिस वातावरण में पुलिस रहेगी, जनता में भी वह वैसा ही व्यवहार करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खाली दो-तीन बातें कहूंगा। मेरा विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर, पाली, सिरोही तीनों जिलों से घिरा हुआ है। पुलिस के आधुनिकीकरण के साथ-साथ प्रत्येक थाने को आधुनिक गाडियां, क्वालिश या जिप्सी दी जाए। मैं मेरे एरिये की बात कर रहा हूं वहां बाड़मेर में शराब की तस्करी वगैरह होती

है। अधिकारी एस.एच.ओ. या सी.आई. आता है, कहता है क्या करें हमारी गाड़ी नहीं दौड़ती है, वो तो 120 की स्पीड की गाड़ी में बैठकर भाग गये। हर महीने में मेरे यहां थानों में ऐसी चार से पांच घटनाएं स्पीड की गाड़ी नहीं होने के कारण तस्कर भाग जाते हैं। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, आप अभी आये हैं, दो मिनट के लिए मुझे और समय दे दीजिए। कांग्रेस के समय में जिस प्रकार के अत्याचार और गुनाहों में बढ़ोतरी हुई है उसमें भी आपने बहुत बड़ी रोक लगायी है। आज इस सदन में महिलाओं का विषय चला। हकीकत में मेरे मन में वेदना है और उस वेदना को सदन में नहीं रखा तो शायद मैं अपने आप में दुखी हो जाऊंगा। महिलाओं पर अत्याचार की बात चली है, कांग्रेस के बन्धुओं ने महिलाओं पर अत्याचार कहना चाहिए एक महिला का अपमान किया। पहली बार महाराष्ट्र की धरती से राजस्थान की धरती पर महामहिम बनकर आई; पहली बार इस सदन में आई और कांग्रेस के बन्धुओं ने उनका बहिष्कार किया। यह अपने आप में एक शर्म की बात है। इन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। माननीय सभापति महोदय, अगर इस अपमान का कांग्रेस के बन्धु प्रायश्चित करना चाहते हैं तो इनको एक सलाह दूंगा राजस्थान की विधान सभा में एक इतिहास बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार महिला मुख्य मंत्री दी है, विधान सभा की अध्यक्ष महिला दी है और प्रतिभा पाटीलजी, महामहिम एक महिला बनी है और ये प्रतिपक्ष के नेता के रूप में एक महिला को लाकर आप प्रायश्चित कर सकते हैं ऐसा मेरा निवेदन है और सिफारिश है।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : यह उनकी महिला विरोधी मानसिकता का परिचायक था।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करिए प्लीज। (व्यवधान) अपने आप बना देंगे ये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : माननीय सभापति महोदय, महिलाओं पर अपमान किया, प्रायश्चित तो करना ही चाहिए नहीं तो राजस्थान की महिलाएं इनको धिक्कार करेंगी। कार चोरी की घटनाएं, वाहन चोरी की घटनाएं, ऐतिहासिक रूप से हमारी सरकार के समय पकड़ी गई हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कार चोरी का बहुत बड़ा गिरोह हमारी जालौर की पुलिस ने पकड़ा गुजरात

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

पुलिस के साथ मिलकर। उस अपराधी को रोकने के लिए, उस अपराधी को बचाने के लिए इनकी सरकार के तत्कालीन वन मंत्री ने भरसक कोशिश की और वह इनके आहोर ब्लाक का युवक कांग्रेस का पदाधिकारी था। वो कार चोरी में लिप्त था। 50 कारों की चोरी हमारी जालौर पुलिस ने पकड़ी। माननीय सभापति महोदय, समय बहुत कम है, कहना बहुत ज्यादा है, आंकड़े, साम्प्रदायिक दंगे वगैरह सबके लिए मैं कहूं, लेकिन अन्त में ज्यादा...

श्री सभापति : समाप्त करें। (व्यवधान) माननीय श्रीमती राजकुमारी शर्मा। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : मैं कांग्रेस के बन्धुओं से इस सदन में इस बात की तो अपेक्षा करूंगा राजस्थान में अमन और शान्ति के लिए कृपा करके कहीं पर भी जातिवाद के दंगे नहीं भड़काएं। अगर मुस्लिम बन्धुओं की मानसिकता बदलनी है तो भी साथ देना पड़ेगा, इधर से भी साथ देना पड़ेगा, यहां के व्यक्तित्व को राष्ट्रवादी बनना होगा तभी साम्प्रदायिक दंगे कम होंगे, इनको बन्द करना होगा। इसमें देश का भी नुकसान है, राज्य का भी नुकसान है और हमारी व्यवस्था का भी नुकसान है यह मेरा आपके माध्यम से सदन को कहना है। आपने मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय गुलाबचन्दजी कटारिया जो हमारे गृह मंत्री हैं वास्तव में एक यशस्वी गृह मंत्री के नाते और इस सदन के लिए आदर्श प्रस्तुत हो, आप कुछ भी मानें, कांग्रेस के प्रतिपक्ष के बन्धुओं की हरेक की आत्मा यह कहती है वास्तव में ये आदर्श हैं। आदर्श तो हैं, आप सभी का साथ चाहिए और मैं फिर से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, आपको धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : सभापति महोदय, मांग संख्या 17 पर आज जो चर्चा हो रही है उस सम्बन्ध में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि विभाग द्वारा कैदियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, कैदियों को सुविधाएं तो बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं होती हैं, लेकिन उनमें से बहुत कैदी इस तरह के होते हैं जो अपराध में लिप्त नहीं होते हैं, किन्हीं कारणवश वो कैदी बन जाते हैं। उनको कुछ सिखाया जाए, हाथ की बहुत सारी चीजें होती हैं वो उनको सिखाया जाए और उनको बाजार में बेचा जाए तो कैदियों के लिए वह एक लघु उद्योग जैसा हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी जो कैदी किन्हीं कारणवश कैद में आ गये हैं उनके लिए गृह उद्योग खोला जाए।

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

मेरे सीकर शहर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला थाना अवश्य हो। महिला थाने के लिए पहले भी मैंने माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन किया है और आपके माध्यम से मैं गृह मंत्रीजी को यह बताना चाहूंगी कि महिला थाना होना अत्यावश्यक है। आजकल ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर हो रहे हैं और महिला जब पुलिस थाने में जाती है तो महिला को अच्छी तरह से बातें कह सकती हैं।

सीकर शहर में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद खाली है। जो व्यक्ति इस पद पर थे उनका स्वर्गवास हो गया है इसलिए इसको भरने की कृपा करें। आजकल काफी मामलों में यह देखा गया है कि जो पुलिसकर्मी हैं उनमें उनकी कहीं पदोन्नति रोक दी जाती है या उनको ज्यादा काम का लोड बढ़ जाता है तो आत्महत्या...

श्री रघुवीर सिंह मीणा : सभापति महोदय, महावीरजी मुख्य मंत्रीजी की सीट के पास बैठे हैं। इनको थोड़ा उधर बिठाओ। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : फिर मैं भी बैठ जाऊंगा वहां जाकर, यह क्या बात हुई। सीट आरक्षित है और दूसरा कोई नजदीक भी नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण। (व्यवधान) महिला बोल रही हैं आप बीच-बीच में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : हम न तो किसी पुरुष के बीच में बोलते हैं और महिलाओं को प्रोत्साहन भी देते हैं। हम तो कभी बीच में खड़े होकर बोलते ही नहीं हैं। हम नये आये हैं कुछ सीखने के लिए, लेकिन ये पुराने सदस्य हमेशा आपत्ति उठाते रहते हैं। नये सदस्य नहीं उठाते हैं, पुराने सदस्य ही आपत्ति उठाते हैं।

सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगी जब मेला या कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, कोई धार्मिक काम हो या हमारे कोई अधिकारी या मंत्री आये तब हमारे पुलिस विभाग वालों को ज्यादा टेंशन हो जाती है कि कहां जाएं, कहां नहीं जाएं, उनको सुरक्षा भी करनी पड़ती है इसलिए एस्कार्ट ड्यूटी के लिए उनका अलग स्थान बनाया जाए यह मैं आपसे मांग करना चाहूंगी।

मैं 2003 से पहले की बात बता रही हूं। मेरे वसन्त विहार मौहल्ला है जो सबसे बढ़िया मौहल्ला माना जाता है। उसमें एक ऐसा घर, बहुत अच्छा परिवार था वहां

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

महिलाओं का देह व्यापार होता था, पांच साल से यह काम हो रहा था, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जो बोल रहे थे कि आपके राज में यह हुआ, मैं आपके शासन की बात बता रही हूं उस समय पांच साल तक यह काम चला और जब हमारी सरकार आयी तब वहां पर डिप्टी प्रकाश चन्द शर्मा थे उन्होंने यह भण्डाफोड़ किया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सीकर जैसे शहर में बहुत छोटा सा शहर है, बहुत लम्बा-चौड़ा नहीं है, गांधी नगर से जालूपुरा थाने तक जाते हैं उतना सा ही सीकर है। कहीं की बात कहीं पहुंच जाती है, वहां ऐसा काम हो रहा था, कोई समझ भी नहीं सकता था इस तरह का काम भी वहां होता है क्या और हमारी सरकार ने तुरन्त इस तरह का, माननीय गृह मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उस समय यह भाण्डाफोड हुआ और इस तरह की पुनरावृत्ति न हो इसलिए माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगी आपके माध्यम से कि 2003 में मेरी सहेली की बेटी की शादी हुई, 15 फरवरी को, डेढ़ महीने भी उसकी शादी को नहीं हुआ, पहली गणगौर को वह वहां पर जब गणगौर पूजकर ससुराल में आती है रतनगढ़ उसका ससुराल था और एक रात ससुराल में रहने के बाद दूसरी रात उसने नहीं देखी, उसकी मृत्यु हो गई, उसके पिताजी कोई बहुत बड़े धनी नहीं थे, उन्होंने अपनी बेटी के लिए जहां तहां हाथ पैर मारे। मैं कोई एम.एल.ए. नहीं थी उस समय, उस समय मैं भी उसके साथ में गई बहुत बार जयपुर आई हूं लेकिन आज भी उनको न तो गिरफ्तार किया गया है और न ही उनको न्याय मिला है इसलिए आपके माध्यम से आज यह मांग संख्या-17 चल रही है तो बताना चाहती हूं कि जब महिलाओं की बात आए, हम तो विधान सभा में बहुत कम महिलाएं हैं इसलिए हमारी बात को प्राथमिकता दिलाएं।

महिलाओं के ऊपर जो बात हो रही थी। हमारे उधर के एक माननीय सदस्य जिनका मैं नाम नहीं जानती हूं, उनके सफेद-सफेद मूंछ हैं, उन्होंने कहा था हमारे राजसमन्द से आने वाले जो सदस्य हैं उनको, उन्होंने कहा कि आप चूड़ी पहन लो। मैं उन पर आपत्ति करना चाहती हूं कि चूड़ी पहन लो, यह कोई शब्द नहीं हुआ, आप चूड़ी वालियों को तो ब्याह कर लाते हो और चूड़ी वाली भी अध्यक्ष हमारी हैं, चूड़ी वाली मुख्य मंत्री हैं, चूड़ी पहनने वाली हमारी राज्यपाल, आप चूड़ी वाली के जन्मे हुए हो, फिर ऐसी बात क्यों कहते हो? चूड़ी पहन लो, हम यह बरदाश्त नहीं करेंगी। महिलाओं को आप कम क्यों समझते हो? आपने तो खुद ही चूड़ी पहन रखी है इसीलिए तो आप हमारे अध्यक्ष...

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय, जिसने मुझे इस प्रकार का कहा है तो मैं इस सदन के माध्यम से आपको चेतावनी देना चाहता हूं।

श्री सभापति : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक : कि यदि आपमें ताकत हो तो हमारे पास तो चूड़ी नहीं, चूड़ी तो है जहां व्यवस्था है, है हमारे पास बुलन्दी मुक्का है, यदि इसका सामना करना हो तो इस मुक्के से सामना करना, आपको लगा दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, आप बार बार खड़े होकर व्यवधान नहीं करें।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, हमारे पास भी एक मुक्के वाला है। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय, चूड़ी क्यों कहा इन्होंने? (व्यवधान) इनकी मानसिकता ऐसी क्यों है, ऐसे दुष्ट लोगों की क्या मानसिकता है?

श्री सभापति : मुझे मजबूर न करें आप। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : हमें चूड़ी पहनने के लिए कहा जाए। (व्यवधान) यह इस हाथ में पहना हुआ है मां जगदम्बा का कड़ा है।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, यह मुक्का वुक्का शब्द निकालिए, नहीं तो हमारे पास भी एक मुक्केधारी है, समय तय कर दीजिए कल, आमना सामना हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : सभापति महोदय, आपको पता ही है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : या तो इसको सदन से निकलवाइए वरना तय कर दीजिए इसके मुकाबले में हमारे पास भी मुक्का है, कल विधान सभा के बाहर हो जाए। (व्यवधान) रोज-रोज के झगड़े मिटें, एक दिन हिसाब किताब हो जाए।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : अगर दूध पिया है तो आ जाओ, बाहर आ जाओ, मेरा नाम भंवरलाल है। मैंने बहुत मुक्के देखे हैं।

श्री जुबेर खान : समय तय करवाइए, रोज-रोज का झंझट मिटे, यह रोज-रोज दु:खी कर रखा है मुक्के ने, आज इसका फैसला हो जाए। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : माननीय सभापति महोदय, शायद इनको ही बाहर निकाल दीजिए ताकि वह रोज-रोज का झंझट मिल जाएगा। हमको बोलने ही नहीं देते हैं, सुबह से शाम हो गई है इन्तजार करते-करते, अब जब महिला खड़ी हुई है तो यह बोलने ही नहीं देते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बीच-बीच में खड़े न हों बिना आसन की अनुमति लिए। आपसे मेरा निवेदन है कि आप बार-बार खड़े होकर व्यवधान पैदा न करें।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : माननीय सभापतिजी, मैं गृह मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगी कि आजकल चोरी डकैती, लूटपाट यह जो हो रहे हैं उन पर कुछ ध्यान दें। आजकल ठगी का भी मामला कुछ चल रहा है। मेरे सीकर शहर में 2-3 ऐसे मामले हुए हैं महिलाओं के ऊपर ठगी हो रही है उसका भी कुछ निवारण कीजिए। आप बहुत ईमानदार गृह मंत्री हैं और हमारी मुख्य मंत्री बहुत ईमानदार हैं, हमारी अध्यक्षजी बहुत ईमानदार हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह सरकार ईमानदार है, ईमानदार ही बनी रहे, हमको इस पर बहुत गर्व है। मेरे को समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद, माननीय श्री सुन्दरलाल।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, आपने यह लगातार तीन कैसे बुलाए?

श्री सभापति : ऐसा है, नाम पुकार लिया, दो मिनट बोलें, आप विराजिए।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मुक्के बोलने में ही दिक्कत होती है तो आप ही बोल लो, मैं तो बाद में बोल लूंगा।

श्री संयम लोढ़ा : आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बोलो।

श्री सुन्दर लाल : ऐसा है पुलिस की मांग संख्या 16 और 17 पर कई देर से भाषण हो रहा है। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस के सिपाहियों की उम्र 60 से घटाकर 55 की जाए। हमारे कई सिपाई तो ऐसे हैं पुलिस लाइन में भी उसका

(श्री सुन्दर लाल)

लड़का जाकर सुबह ही छोड़ कर आता है और शाम को ले जाता है। यह हालत है। मैं गृह मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि 58 साल, 60 साल का आप जुड़वा कर देख लो एक मील भी चार घण्टे में चले जाएं तो फिर उनका बता दो नौकरी देने से क्या फायदा है? थानेदार से ज्यादा तनख्वाह लें और उनके बेटे उनको खुद से यह कहे, बोले कहां गया था, तो मेरे बाप को पुलिस लाईन में छोड़कर आया हूं। अब यह हालत जिन आदमियों की है उनको देखो तो सही आप। उनसे पेन्ट पहनी जाती नहीं है, चला जाता नहीं है, दम उठता है, सांस उठती है फिर उनका फायदा क्या है, उनको फिर थानेदार से ज्यादा तनख्वाह क्यों देते हो? उनको घर ही बैठाओ। इसके अलावा आपने यह कैसे फैंसला ले लिया कि 60 साल तक कलम से लिखाओ तो 70 साल तक वह लिख सकता है पर 60 साल का कैसे भागेगा और किसको पकड़ेगा, यह फैसला नहीं कर सके।

इसके अलावा, दूसरी बात यह है कि आपने सिपाही की परीक्षा में रिटन टैस्ट तय कर दिया, दौड़ में लड़का अच्छा है, शरीर में लड़का अच्छा है, दिमाग में कमजोर, कमजोर वह तो पास हो जाएं, रिटन के पास होने के बाद उनको लेते हैं और जो शरीर में और मस्त लड़का है उनको लेते नहीं हैं, यह फ़ैसला आपको भी करना पड़ेगा कि रिटन टैस्ट हटाकर अच्छे शरीर के फिजिकल फिट हैं उनको लें और फिर फिजिकल फिट की बात करते हैं तो 60 साल वाला है उसकी फिजिकल फिटनैस कैसे है, उसके पांव तो ऐसे चलते हैं जैसे रेल में चलता हो फिर फायदा क्या हो रहा है आपको कि फिजिकल फिट है, कहां फिट है फिजिकल?

मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में 104 किलोमीटर हरियाणा लगता है राजनोत थाना, महेन्द्रगढ़ थाना, सतनाली थाना और लुहारू थाना और वहां अपने राजस्थान के ही कुछ मुखबिर उन थानों में रहते हैं वह जिसको चाहते हैं उन राजस्थान वालों को पकड़वाकर बन्द कर देते हैं। मैं मेरे क्षेत्र में टूडिणा गांव का वहां का भूरिया बावरिया रात को पुलिस की गाड़ी प्राइवेट जिसके लालबत्ती लगाकर बावरियों के घरों में घुस गये और बावरियों के साथ पीटा कुटी हो गई। वरना पुलिस में पहले 1975 में आई.जी. सुल्तान सिंह थे जब आदेश किया था उन्होंने कि हरियाणा की, पंजाब की, पुलिस कभी भी राजस्थान में घुसे तो सम्बन्धित थाने से बिना मिले आगे नहीं जाए। बिना मिले आगे घुस गये उनके जूते मारे और 25 आदमियों के मुकदमे दर्ज करवा दिये, उनकी जीप रख ली प्राइवेट जीप है और शराब के ठेकेदार हैं उसके ऊपर लालबत्ती लगा रखी थी वह जीप वहीं रख ली, 25 बावरियों के खिलाफ मुकदमे कर लिए

(श्री सुन्दर लाल)

सिर्फ भूरिया बावरिया की वजह से कि उनको ले जा ले जाकर कभी किसी को पकड़वा देता है, कभी किसी को इसलिए मैं गृह मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा पुलिस के लिए अपने डी.आई.जी., आई.जी. से कहें जब तक राजस्थान में घुसें तो सम्बन्धित पुलिस से मिले बिना सीधे आकर किसी को नहीं पकड़कर लावें, यह फैसला होना चाहिए। आप तो उनको देखते नहीं हैं और उनका मुखबिर है वह जाकर कभी किसी को पकड़वा देता है।

इसके अलावा हरियाणा पुलिस थानों में 25 या 30 कुर्सियां मिलती हैं और अपने थानों में एक ही कुर्सी नहीं मिलती है, धर्मशाला सी पड़ी रहती हैं जैसे भादरा की धर्मशाला पड़ी है, एक भी कुर्सी नहीं मिलती कभी और यदि कोई थानेदार 4-5 कुर्सी बनवाये तो उसकी बदली हो जाती है तो वह उनको साथ ले जाता है और फिर कहते हैं हम थानों में स्वागत करेंगे, स्वागत रेत में पटककर करोगे नीचे, स्वागत काहे का करोगे, कुर्सी ही नहीं है वहां सामान ही नहीं है, कहते हैं स्वागत करेंगे। एक भी थाने में कुर्सी मिले तो, हरियाणा में 10-10, 20-20 अच्छी कुर्सी मिलती हैं, अपने थानों में कुर्सी नहीं हैं। इसके अलावा, चार हजार आदमी पुलिस में आप भर्ती कर रहे हो, ठीक है। 1000 महिला पुलिस कर रहे हो, महिला पुलिस की 1000 तो कर रहे हो, अब फिर कहोगे कि महिला विरोधी हैं पर न तो ड्यूटी लगाये, न कोई काम करे। या तो टेलीफोन उठा ले या 20 दिन में कोई एक महिला आये तो वह कर ले। उसके बाद में सिपाही ही खड़े रहे।

सिपाही की मैं आपको बताऊं कि राजा-महाराजाओं के टाइम के जो सिपाही थे उससे एक भी नहीं बढ़ाया है। दो सिपाही दौरे पर, दो बिना बन्दूक ही खड़े थे, मैंने कहा क्या बात हुई तो कहा कि मेरी लम्बी ड्यूटी है, थाने में कोई सिपाही नहीं है। बिना बन्दूक के ऐसे हाथ करके खड़ा है जैसे पकड़ेगा ही। पुलिस में सिपाही के पास बन्दूक नहीं हो तो सिपाही का क्या परिचय होगा पर जब कम हो तो उसको बिना बन्दूक के खड़ा रखते हैं। 8 घण्टे तो बन्दूक से रखते हैं और ज्यादा ड्यूटी देनी हो तो बिना बन्दूक खड़ा रहे। तो फिर कितना ही खड़ा रहे उससे क्या लेना देना है। बन्दूक का तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि उस बन्दूक से तीतर नहीं मरते हैं पर वो ही बन्दूक रख रखी है। ऐसी पुरानी बन्दूक है जिससे कुछ लगता ही नहीं है। जबकि हरियाणा बोर्डर पर कितना जबरदस्त उनका तजुर्बा है कि उनके पास अच्छी नई गाड़ी है। अपनी वाली गाड़ी का पता है कि कितने किलोमीटर चलती है? एक घण्टे में 17 किलोमीटर चलती है जब जोर से भगाते हैं तब 19 किलोमीटर चल जाए तो शर्त कर लो और उनकी

(श्री सुन्दर लाल)

चलती है 120 से और फिर कहते हो पकड़ोगे। दो ड्रम रख रखे थे और बूढ़े-बूढ़े सिपाही खड़े थे, क्या करते हो ड्रमों के पास तो बोले नाकाबन्दी कर रहे हैं। किसको पकड़ोगे? गाय नहीं रुकती है आपसे क्या पकड़ोगे। इस तरह का जो आपका मामला है इसको आप सुधारो।

आपकी ईमानदारी के लिए हम कहते हैं कि कोई शक नहीं है, आप ईमानदार हो और ईमानदारी से आपने 15 महीने में काम किया है लेकिन नीचे वालों पर लगाम लगाओ। कहीं आप ही ईमानदार बैठे रहो। कोई आदमी था कि झाड़ा लगाता हूं तो बोले कि किसका? तो बोला सांप का तो लेता हूं रुपया और बिच्छू की चवन्नी। वह कंजूस आदमी था तो बोला कि बिच्छू का ही लगा दे तो बिच्छू का झाड़ा शुरू किया तो उसने देखा कि कहीं सांप का अलग होता होगा तो बोला कि झाड़की, बीच-बीच में लम्बे वाले का भी लगाना कहीं बिच्छू के ही लगा रहे। तो आप अपनी ईमानदारी के ही मत लगो, नीचे वालों को भी सम्भालो कि क्या कर रहे हैं। इसलिए कहीं इसी पर बात पर लगे रहे।

एक बात यह है कि अड़वासका में 4 दिन तक स्कूल बन्द रही। कलक्टर ने आदेश दे दिया कि पुलिस जाएगी, पुलिस गई, 50 आदमी थे और पुलिस के 18 आदमियों के चोट आई, पुलिस के 18 के चोट आई और फिर डरते हुए फायर कर दिया तो बोले गोली चला दी। इनको तो मार दो चाहे, ये तो इधर बैठते हैं बोलते नहीं और अपने वाले यहां जाते हैं उनको गाली निकालो, कोई रोकता तो है नहीं, यही फैसला है। ये लाल-सलाम वाले, अक्टूबर में वह झगड़ा हुआ था, उस दिन में और गृह मंत्री बहरोड़ चुनाव में थे, अक्टूबर में वह हुआ तब से चार बार तो ये चन्दा ले आये वहां जाकर के लाल-सलाम वाले। उनकी ही रोटी खाते हैं। इनके पास कोई काम नहीं है। 1980 से लगातार मैं एम.एल.ए. बनता हूं बीच में नहीं आया, 25 साल में यह एक ही आदमी आता है, दूसरा नहीं आता है। अकेला ही रहता है और यों कहता है मैं और मेरा दल, दल है तो नहीं आपका। आपके पास में है तो दिखाओ देखें कहां दल है। यह कहता है मैं और दल। दल अगर अच्छा होता तो 25 साल में प्रमोशन में एक-दो तो लाते। अकेला ही रहता है और फिर दल का नाम और लेता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि उस फाइल को मंगवा करके, पुलिस का मनोबल गिरता है जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा। पुलिस को पीटा और उसका चालान भी नहीं कर सके। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं।

इसके अलावा जितने भी पुलिस के मकानों की बात है, इसमें आप कार्यवाही

(श्री सुन्दर लाल)

करो। सब एम.एल.ए. को आप आदेश दे दो कि आपके कोटे से 5-5 लाख रुपये पुलिस महकमे में दो तो सब दे देंगे आपके कहने से। तो कुछ तो काम हो। मकान ही नहीं है, किराये का मकान ले उसके बाद में उसका लड़का जाता है जिसके मकान में रहता है तो वह थाने में आकर कह देता है कि मेरा काम करो तो उसका कहा नहीं करे तो लड़का मकान छुड़वा ले। कई बीमारियां हैं इसमें आप सुधार करो। मैं यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री संयम लोढ़ा। आप 15 मिनट में समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य की चूड़ी ने मुझे भी प्रेरणा दी है कि-

मुस्कराते होठों ने सिसकियां पहन ली थीं

मुस्कराते होठों ने सिसकियां पहन ली थीं

नरम नरम झोंकों ने आंधियां पहन ली थीं

मेरे प्रदेश का दामन दागदार होना था

क्योंकि शासन ने चूड़ियां पहन ली थी।।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सत्ता की बागडौर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्पष्ट बहुमत के साथ सम्भालने के बाद और माननीय कटारिया साहब के गृह मंत्रालय सम्भालने के बाद, क्योंकि सदन की इस बात से मैं भी सहमत हूं कि इनकी आर्थिक ईमानदारी हम सबके लिए अनुकरणीय है लेकिन माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रालय सम्भालने के बाद और इस सदन में समय-समय पर और अनेकानेक माध्यम से राजस्थान की जनता के बीच में जो संदेश माननीय गृह मंत्रीजी ने और इस सरकार ने दिया, हमें विचार करना पड़ेगा कि इन 18 महीनों के अन्दर इस सरकार का काम-काज किस रूप में परिवर्तनशील रहा है। आज इस 21वीं सदी के दौर में जब एक परिवर्तन यात्रा के माध्यम से राजस्थान में एक राजनीतिक दल सत्ता में आया है और राजस्थान में क्या कुछ परिवर्तन इन 18 महीनों में लाने की चेष्टा की है, आज वैश्वीकरण के इस दौर में, आधुनिकीकरण के इस दौर में क्या वैज्ञानिक सोच और क्या वैज्ञानिक दशा-दिशा पुलिस विभाग और गृह विभाग में लाने की मन्शा रखते हैं यह इन 18 महीनों में कहीं भी परिलक्षित नहीं होता।

(श्री संयम लोढ़ा)

जब आज अपराधों का दायरा बहुत विस्तृत हो गया, सूचना का विस्तार हो गया, साधन का विस्तार हो गया, इस दौर में माननीय गृह मंत्रीजी जो आपने यह पुलिस की मांग प्रस्तुत की है और इस मांग के अन्दर जो 94 प्रतिशत पैसा आप वेतन पर खर्च करना चाहते हो, इस बात के बाद राजस्थान की जनता में कोई उम्मीद नहीं रह जाती कि यह सरकार आने वाले वर्ष में किसी भी स्तर पर राजस्थान में कोई प्रगति या पुलिस कीं कार्य प्रणाली में या गृह विभाग की कार्य प्रणाली में कोई सुधार लाने में कामयाब हो सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने सूचना के अधिकार का कानून लाया और राजस्थान की जनता में यह हक दिया कि वह इस शासन में क्या कुछ हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त कर सके। राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने 7 जुलाई, 2002 को एक आदेश प्रसारित किया कि राजस्थान सरकार के तमाम विभाग गृह विभाग को इस बात की सूचना प्रेषित करेंगे कि सूचना के अधिकार के अन्दर प्रत्येक महीने में क्या-क्या कार्यवाही हुई। मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन 18 महीनों के अन्दर राजस्थान सरकार के किसी विभाग ने गृह विभाग को यह सूचना नहीं भेजी, यह मासिक रिपोर्ट नहीं दी और दी होती तो 6 महीने से मेरा इस सदन के माध्यम से सवाल लगा हुआ है, आज तक आपका विभाग सूचना के अधिकार तक का जवाब इस सदन में और इस सदन के सदस्य को देने में कामयाब नहीं हो सकता है। क्या राजस्थान की जनता को परिवर्तन का संदेश देना चाहते हैं आप और क्या राजस्थान की जनता को अधिकार देना चाहते हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के मित्रों ने कसीदे तो इस सरकार के बहुत पढ़े लेकिन माननीय सभापति महोदय, जो प्रतिवेदन राजस्थान की सरकार ने हम सबको भेजा है वह प्रतिवेदन अपने आप में जाहिर करता है कि इस सरकार के कामकाज में पिछले साल की तुलना में कुल अपराध 6.37 बढ़े और जो चालानी का प्रतिशत है, डकैती जैसे मामलों में पिछले साल से कम हुआ, लूट जैसे मामलों में पिछले साल से कम हुआ और अगर 2002 से आप तुलना करें तो नकबजनी और चोरी जैसे मामलों में भी चालानी का प्रतिशत कम हुआ। मैं इन आंकड़ों में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने समय सीमा भी रखी है और इन आंकड़ों के बारे में नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी ध्यानाकर्षित किया है। मैं

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी, जो यह आपका प्रगति प्रतिवेदन है इसमें आबकारी, जुआ, शस्त्र और एक्सप्लोजिव एक्ट, इन सारे एक्ट के अन्दर आपने क्या कार्यवाही की है। इसका मतलब समाज विरोधी अपराध पर लगाम लगाने के लिहाज से सरकार का कोई सोच नहीं है। आपको यह बताना पड़ेगा कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले जहां पाकिस्तान की सीमा से स्मैक आता है। आज कालेज का एक-एक वहां का विद्यार्थी इस लत का शिकार हो रहा है। और जैसाकि दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने आपका ध्यान आकर्षित किया था कि आपका भाजपा का पदाधिकारी मुख्य मंत्री के गृह जिले के अन्दर स्मैक के मामले में अभी हाल गिरफ्तार हुआ है और 14 अप्रैल को कोटा में जो 15 लाख रुपये की शराब पकड़ी गई है, उसके भी तार आपकी ही पार्टी के व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं तो यह कम कार्यवाही अपने आप में जाहिर करती है कि राजस्थान सरकार की इन समाज विरोधी अपराधों को रोकने की कोई मंशा नहीं है और भाजपा के लोग सत्ता का दुरुपयोग करके हमारी नई पीढ़ी को भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, महिला मुख्य मंत्री, महिला अध्यक्ष और महिला राज्यपाल लेकिन उसका रिजल्ट्स क्या है। अगर महिला अत्याचार के आप अपराध गिनो तो पिछले साल की तुलना में 8.74 प्रतिशत अपराध महिलाओं के मामले में बढ़े हैं। मैं एक-एक में नहीं जाना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के राजस्थान में 709 पुलिस थाने हैं और तीन महिलाओं की उपस्थिति का क्या लाभ राजस्थान की महिला अधिकारियों को मिला? इन 709 पुलिस थानों में से एक में भी महिला निरीक्षक, उप निरीक्षक किसी थाने में प्रभारी नहीं है। 18 महीनों में राजस्थान में महिलाओं को आगे लाने का दावा आपका किस रूप में आपके विभाग में परिलक्षित हो रहा है और जो 12 महिला थाने हैं, उसमें भी सिर्फ दो थानों में सब इन्स्पैक्टर महिला थानों की प्रभारी हैं। एक तो भरतपुर में श्रीमती बीना सिंह और पाली में श्रीमती चेतना भाटी। इसका मतलब यह है कि आपको महिलाओं की क्षमता पर कोई भरोसा नहीं है...(व्यवधान) एक महिला थाने में चेतना भाटी सब इन्सपैक्टर है और एक भरतपुर में है। कोई महिला इन्सपैक्टर किसी थाने में नहीं और जो सामान्य थाने सब इन्सपैक्टर के भी हैं, कोई महिला सब इन्सपैक्टर किसी थाने में प्रभारी नहीं है। यह अपने आपमें जाहिर करता है कि आपका यह जो दावा है सिर्फ इस बात के लिए है कि महिलाओं के वोट कैसे बटोरे जायें और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के मामलों में हत्या में जो चालानी का

(श्री संयम लोढ़ा)

प्रतिशत है, सामान्य हत्या में तो आपकी पेंडेंसी है 15.83 प्रतिशत और एस.सी., एस.टी. के मामलों में आपकी पैंडेंसी है 26.83 प्रतिशत, यह अपने आपमें जाहिर करता है कि किस रूप में राजस्थान के दलित वर्ग के लोगों के लिए यह सरकार काम करने की मंशा रखती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के कार्यकाल की 2003 की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हुई 1310 की और मृतक संख्या में वृद्धि हुई 452 की इसलिए यातायात के लिहाज से भी इस सरकार का कामकाज पिछली सरकार की तुलना में उपलब्धिपूर्ण नहीं रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय और गृह मंत्रीजी, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछली सरकार के इसी सदन में जब आप प्रतिपक्ष में बैठे हुए थे, तब आप यह बात कहते थे कि पुलिस विभाग में इतना भ्रष्टाचार है और इतनी अनुशासनहीनता है लेकिन कार्यवाही के नाम पर क्या हो रहा है? मैं आपको आपकी उपलब्धि बताऊं? यह आपकी उपलब्धि है। आपका दण्डित किये कर्मचारियों का पदवार विवरण यह है। उप अधीक्षक पुलिस पूरे राजस्थान में कोई कार्यवाही नहीं। पुलिस निरीक्षक किसी पुलिस निरीक्षक को पदावनत नहीं किया। वेतन वृद्धि भविष्य प्रभाव से नहीं रोकी। मात्र वेतन वृद्धि बिना भविष्य प्रभाव से और परिनिन्दा देने का काम आपने किया। सहायक उप निरीक्षक कोई पदावनत नहीं। मुख्य आरक्षक/आरक्षक :- कोई पदावनत नहीं। पूरे राजस्थान में लम्बा-चौड़ा बेड़ा है लेकिन किस रूप में आप पुलिस को अनुशासित करने का काम कर रहे हैं, वह आपके सामने हैं वर्ष 2004 तक के आंकड़ों में। फरवरी, 2005 का भी विवरण मेरे पास उपलब्ध है और 2004 फरवरी से फरवरी, 2005, इसकी अगर तुलना करें माननीय गृह मंत्रीजी, तो अनुसूचित जनजाति अत्याचार की तुलना में गम्भीर चोट के मामलों में 100 प्रतिशत उपलब्धि बढ़ी है, फरवरी की एक बार से तुलना करो तो बलात्कार के 200 प्रतिशत अपराध बढ़े हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति अत्याचार में तुलना करें तो हत्या जहां जनवरी, 2005 में दो हुई, फरवरी में तीन हुई। गम्भीर चोट के प्रकरण जनवरी में दो थे, फरवरी में छह हुए। बलात्कार जनवरी में दो हुए, फरवरी में 13 हुए। तो लगातार यह इजाफे की तरफ है। इसी तरह से स्थानीय विशेष अधिनियम में भी आपकी वह की वह स्थिति बनी हुई है, कोई सुधार आपका नहीं है। जो विशेष एक्साइडेड जुआ है, समाज विरोधी अपराध जितने भी हैं, उन सबके बारे में स्थिति सरकार का जो प्रदर्शन है, वह किसी भी रूप में यह नहीं दर्शाता कि राजस्थान की सरकार बेहतर काम कर रही है।

(श्री संयम लोढ़ा)

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं' सभापति महोदय, यह सरकार आने के बाद पूरे राजस्थान के अन्दर लगातार तनाव फैला है और तनाव का वातावरण बना है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भाजपा ने यह समझ लिया कि हमने जो देश के अन्दर फील गुड, शाइनिंग इण्डिया के जो नारे दिये, उन सब हमारे नारों ने दम तोड़ दिया और जहां-जहां जिन प्रान्तों में इनकी सरकार रही। दिल्ली में रही इनको निपटना पड़ा। यू.पी. में रही निपटना पड़ा। हिमाचल में रही निपटना पड़ा लेकिन गुजरात में इन्होंने देखा कि हिंसा का नंगा नाच नचाकर, लोगों की धार्मिक भावना को भड़काकर, हिन्दू और मुसलमानों के अन्दर असुरक्षा की भावना पैदा करके हम सत्ता पर फिर काबिज हो सकते हैं और मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि राजस्थान की यह सरकार बनने के बाद में उसी तरह की दिशा में यह राजस्थान की सरकार काम करने जा रही है। इसके दो कारण हो सकते हैं माननीय सभापति महोदय, पहला तो मुझे यह लगता है, यह मेरा सोचना है कि आर.एस.एस. यह सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी को 120 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त हुआ है और 120 विधायकों में से आर.एस.एस. पृष्ठभूमि के लोगों की संख्या ज्यादा है तो किसी भी तरह से प्रदेश का वातावरण खराब करके मुख्य मंत्री को बदनाम किया जाये और राजस्थान में आर.एस.एस. से जुड़े हुए व्यक्ति को मुख्य मंत्री पद पर काबिज किया जाये, एक सोच तो यह हो सकता है। और दूसरा सोच वह हो सकता है कि गुजरात की तरह राजस्थान को भी हिंसा की प्रयोगशाला बनाया जाये और राजस्थान की असुरक्षा का वातावरण बनाकर हिन्दुओं के वोट बटोरे जायें और मुसलमानों को इतना भयभीत कर दिया जाये कि वह वोट नहीं डाल सके और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं माननीय सभापति महोदय, जिस संविधान की शपथ के आधार पर सत्ता में आई, आपने सरकार बनाई, मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि, गृह मंत्रीजी आप कह रहे थे कल कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया। मैं माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले के करींजला पुलिस थाने के अन्दर जो छह मुकदमे वहां साम्प्रदायिक दंगों के दर्ज हुए हैं 75 से लेकर 80 नम्बर के, आपने 76 से लेकर 80 तक मुकदमे वापस कर दिये क्योंकि उसमें आरोपी आपके लोग हैं और 75 नम्बर वाला मुकदमा उनके साथ वापस नहीं लिया क्योंकि उसमें अल्पसंख्यक आरोपी है और वहां से शुरूआत होती है माननीय सभापति महोदय, इस राजस्थान में साम्प्रदायिक तनाव फैलाने की। उदयपुर में साम्प्रदायिकता की घटना हुई, पुलिस ने गोली चलाई। सिर्फ इसलिए आपने एस.पी.

को हटा दिया कि उसने आर.एस.एस. के लोगों के दबाव में आकर काम नहीं किया वरना एस.सी. के अन्दर कम्पेरेटिवली वह बैटर आफिसर था। उसके बाद अभी जो भीलवाड़ा में घटना हुई। भीलवाड़ा में भी आर.एस.एस. के लोगों के दबाव के अन्दर उस अधिकारी ने काम नहीं किया तो आपने एस.सी. के अधिकारी को हटा दिया...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपकी ये सारी बातें अब रिपीट हो रही हैं। माननीय सदस्य, यह रिपीटेशन हो रहा है।

श्री संयम लोढ़ा : लेकिन क्योंकि वह भी एस.सी. का कम्पेरेटिवली बैटर आफिसर था। और माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके सोजत का जो आपके जिले से सम्बन्धित है, वहां क्या हुआ। एक तो अफवाह फैलाने में इन लोगों की कोई सानी नहीं है। ये पूरी दुनिया के अन्दर गणेशजी को दूध पिला सकते हैं और वहां एक विक्षिप्त मुसलमान लड़के से झगड़ा हुआ। मैं उस दिन सदन में नहीं था जब गृह मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया। उस विक्षिप्त लड़के से झगड़ा हुआ। उसको...

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, आप एक बात बता दें, जिस भीलवाड़ा एस.पी. की बात कर रहे हैं, क्या यह सही है कि आपकी पार्टी ने उसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया पहले कई मामलों में? आपको जानकारी है कि नहीं है?

श्री सभापति : आप बिराजिये, मंत्रीजी जवाब दे देंगे। आप विराजिये माननीय सदस्य। अब आप समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, किसी मामले में किसी अधिकारी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया हो, जिस घटना से इसका ताल्लुक है, यहां पर उस घटना की चर्चा हो रही है। उस विक्षिप्त लड़के को गैर में ले जाने वाले लोगों को पीटा, उसके बाद में कहासुनी का वातावरण हुआ और जब उस विक्षिप्त मुसलमान बच्चे को पीटा गया तो सामने वाले की तरफ से भी कोई घटना हुई। उस विक्षिप्त लड़के को पीटने की बात तो बताई नहीं और यह प्रचारित किया गया पूरे राजस्थान के अन्दर कि मुसलमानों पर पत्थर फेंक दिये। राजस्थान सरकार का मंत्री वहां तीन घंटे थाने में बैठे रहे और कमजोर और मजलूम लोगों की दुकानों में जिस तरह से आग लगाई, 15-15 लाख रुपये का, 5-5 लाख रुपये का सामान जला दिया। अगर इस सत्ता के बल पर इस तरह से कमजोर और मजलूम लोगों पर अत्याचार करके अपना वोट

(श्री संयम लोढ़ा)

बैंक बनाना चाहते हो और सत्ता का घमण्ड करना चाहते हो तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, राजस्थान की जनता और हिन्दुस्तान की जनता का बेसिक करेक्टर धर्मनिरपेक्ष है और वह आपकी चालों को बहुत जल्दी समझ जायेगी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसी सोजत नगरपालिका में फायर ब्रिगेड़ पड़ी हुई थी, उसका लोकार्पण किया गया था, तीन घंटे तक जब दुकानें जलती रहीं, क्यों नहीं वह फायर ब्रिगेड़ वहां से मंगाई गई। ब्यावर से फायर ब्रिगेड़ आई, पाली से फायर ब्रिगेड़ आई। यह सब एक षडयंत्र का हिस्सा था, माननीय सभापति महोदय, और करजालिया के अन्दर जिस तरीके से अल्पसंख्यक परिवारों के मानवाधिकार का हनन हुआ, यह सारी बातें इंगित करती हैं सभापति महोदय, कि एक सुनियोजित तरीके से राजस्थान की यह सरकार राजस्थान को गुजरात की तरह प्रयोगशाला बनाना चाहती है और कटारिया साहब, जो आर.एस.एस. के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको इसका नेतृत्व थमाया गया है। आज आपके नाम से कटारिया साहब, मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अल्पसंख्यक समुदाय का आप विश्वास खो चुके हैं, आपमें उनकी कोई आस्था नहीं है और राजस्थान के अल्पसंख्यक समुदाय का आदमी यह समझता है कि आप एक गृह मंत्री की तरह नहीं...

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा : आप एक स्वयंसेवक की तरह काम कर रहे हैं। आपके इशारे पर राजस्थान के पूरे पुलिस बल का मनोबल गिरा हुआ है और उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है वरना...

श्री सभापति : माननीय श्री सुभाष चन्द्र शर्मा।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, आप गृह मंत्री हो कटारिया साहब, जो आर.एस.एस. के वरिष्ठ नेता हैं, उसके बाद भी यह बजरंग दल के और आर.एस.एस. के लपोड़ें इस तरह से आग लगाते हुए घूमें, मैं नहीं मानता। मैं यह मानता हूं कि यह सरकार इसमें शामिल है और इस सरकार के इशारे पर आर.एस.एस. और बजरंग दल के लोग आगजनी का काम कर रहे हैं...

श्री बंशीलाल खटीक : आर.एस.एस., बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद् के लोगों को अपमानित मत करो। मुस्लिमों के वोट लेने हैं तो ऐसे ही मिल रहे हैं आपको, आर.एस.एस., बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद् के लोगों को बदनाम मत करो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रामरतन बैरवा : हजारों सिखों को मरवा दिया आपने, हजारों सिखों को।

श्री सभापति : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : हमें गर्व है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं पर आप ढिंढोरा पीटते रहो, मुस्लिमों के वोट बटोरते रहो ऐसा कह-कहकर। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय राजसमन्द से आने वाले सदस्य।

श्री रामरतन बैरवा : वोटों के भेडिए, दिल्ली में हजारों सिखों को मरवा दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सुमेरपुर से आने वाले सदस्य, विराजिए आप। माननीय सदस्य, बैठिये आप। आप विराजिए। गृह मंत्री जवाब दे देंगे। आप बीच-बीच में नहीं। अब आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : मैं इनके एक सवाल पूछ रहा हूं। आप आरएसएस में कितने वर्षों तक जाते रहे, यह बतायें, यह क्लियर करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण। (व्यवधान) अब आप समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा : समाप्त कर रहा हूं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय ममताजी।

श्री संयम लोढ़ा : मैं अब कर रहा हूं, सभापति महोदय, ममताजी तो बोलेंगी, जरूर बोलेंगी।

श्री मदन राठौड़ : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि आप कितने वर्ष तक आरएसएस की शाखा में जाते रहे, यह बतायें।

डा. जालम सिंह रावलोत : और यह भाषण कला वहीं से सीखी है

श्री जुबेर खान : इनको यह पता नहीं चला कि यह बीमारी क्या है।

श्री भागीरथ चौधरी : यह तो यह सब वोटों की खातिर कर रहे हैं। पता नहीं इन्होंने किन-किन को, किनको छोड़ा। इन्होंने सिखों को मरवा दिया, सब को मरवा दिया इन्होंने वोटों की खातिर, यह तो वोटों के भेड़िए हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कांग्रेस में रहे कि नहीं रहे, आप अपनी बात बताओ। आप कांग्रेस में रहे कि नहीं रहे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बहुजन समाज पार्टी में गये कि नहीं गये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप और मैं भी साथ थे। आप और मैं भी साथ थे।

श्री कालूलाल गुर्जर : यह तो मिलाजुला काम है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप जनता पार्टी में रहे, आप जनता दल में रहे, आप जनता दल (दिग्विजय) में रहे। अब नया चोला पहना है आपने।

श्री कालूलाल गुर्जर : माहिर साहब, आप भी तो कई दलों में घूमे, बीजेपी के साथ भी रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, यह कांग्रेस-बीजेपी का तो मिलाजुला खेल है, इसमें क्यों समय बरबाद कर रहे हो।

श्री सभापति : अब आप ऐसा है कि...

श्री अमराराम (धोद) : कभी इनके नहीं जचता है इधर आ जाते हैं इधर नहीं जचता है तो इधर आ जाते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप विराज जाएं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कांग्रेस में रहे हो कि नहीं रहे हो तगारामजी।

श्री सभापति : आप विराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण।

डा. एन. एस. गुर्जर : अब आप बीच वाले हो क्या?

श्री अमराराम (धोद) : हां।

श्री सभापति : माननीय टोडारायसिंह से आने वाले सदस्य...

डा. एन. एस. गुर्जर : बीच वाला बड़ा खतरनाक होता है।

श्री अमराराम (धोद) : यह तो मिलाजुला खेल है। यह मोदीजी, इधर रहे, इधर से इधर आ गये, इधर से इधर आ गये, क्या फर्क पड़ता है।

डा. एन. एस. गुर्जर : वह बीच वाला बड़ा खतरनाक होता है।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। माननीय बाड़मेर से आने वाले सदस्य, स्थान ग्रहण करें। अब आपको एक मिनट में कन्क्लूड करना है, आप कर सकते हैं तो ठीक, वरना आगे का नाम पुकारूं मैं।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, कि करजालिया के बाद मांडल में आग लगी, वहां पर गोली चली और हमारी मुख्य मंत्रीजी...

श्री सभापति : अब बार-बार ऐसा है माननीय सदस्य, तीन माननीय सदस्यों ने पहले इसके बारे में चर्चा कर ली, अब आप वापस दोबारा करने से कोई...

श्री संयम लोढ़ा : मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : और क्या है, दो-तीन बार...

श्री संयम लोढ़ा : मैंने कोई बात रिपीट नहीं की है। (व्यवधान) और यह उम्मीद थी, राजस्थान की विधान सभा चल रही थी, राजस्थान की जनता को यह उम्मीद थी कि राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री वहां पर उन लोगों की सुध लेने के

(श्री संयम लोढ़ा)

लिए जायेंगी, लेकिन नहीं, वह वहां नहीं गईं। वह कहां गई, नागपुर, आरएसएस के मुख्यालय पर। वहां आरएसएस के चीफ के.सी. सुदर्शन के यहां हाजिरी देने। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता ने यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है, किसी आरएसएस को नहीं दिया कि राजस्थान की जनता जब तकलीफ में हो, सदन चले और तब...

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : संयमजी, आपकी तरह सोनियाजी की हाजिरी देने नहीं जायेंगे।

श्री सभापति : माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य, आप उत्तेजित भाषण नहीं दें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आपके नेता हैं क्या सुदर्शनजी। आप आडवाणीजी के देओ हाजिरी। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : संयम नहीं, शम्सुद्दीन की भूमिका अदा कर रहे हो। आप जाओ न मस्जिदों में, नमाज पढ़ो, हमें आपत्ति नहीं है, आपको क्या आपत्ति है हमारी मुख्य मंत्री वहां गई जो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री बंशीलाल खटीक : मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी मुख्य मंत्री आरएसएस के वहां गई तो आपको क्या आपत्ति।

श्री सभापति : अंकित नहीं हो।

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

डा. जालम सिंह रावलोत : XXX

श्री सभापति : आसन पैरों पर है। माननीय राजसमन्द से आने वाले सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) अब आप समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री संयम लोढ़ा)

अपने संवैधानिक पद के दायित्व का निर्वहन करने के बजाय अगर राजस्थान की शासन प्रमुख का आचरण इस तरह का रहता है तो राजस्थान की जनता को इस पर बहुत अफसोस है और अभी देसूरी से आने वाली माननीय सदस्य सोनिया गांधी का नाम ले रही थीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान सरकार नहीं चेती, साम्प्रदायिक सदभाव को मजबूत रखने का काम नहीं किया और इसी तरह से अगर आप दंगे फैलाते रहे, तो याद रखना, सोनिया गांधी को अनुच्छेद 356 का प्रयोग करना आता है। (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : तभी वह तमिलनाडु में...(व्यवधान) जब वह स्कूल में आग लगी तब मनमोहनजी की जगह सोनिया गांधी पहुंच गई। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजें। माननीय सदस्यगण।

श्री जुबेर खान : दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कमजोर प्रधानमंत्री नहीं है, अगर हिम्मत है तो...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कमजोर प्रधानमंत्री नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री जुबेर खान : अगर ऐसी गलती की तो जेलों में सड़ोगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, आप...

श्री जुबेर खान : आपके तो बेड़िया डलेंगी...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : + + + और ईस्ट इण्डिया कम्पनी हिन्दुस्तान में कभी नहीं चलेगी...

श्री सभापति : माननीय राजसमन्द से आने वाले सदस्य...

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : तमिलनाडु, करूणाकम्मम में जब आग लगी तब मनमोहनजी पहले नहीं पहुंचे, तब सोनिया पहले पहुंच गई। प्रधान मंत्री पहले नहीं पहुंच कर आपकी सोनियाजी पहले पहुंच गई जबकि...

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : प्रधानमंत्री को जाना था पहले।

श्री जुबेर खान : लेकिन आपकी मुख्य मंत्री कहीं गई आज तक जहां-जहां भी, जहां-जहां भी लोग मरे, जहां-जहां भी हत्याएं हुईं, आपकी मुख्य मंत्री गई...

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी देसूरी से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि साहब, जैतारण में होम मिनिस्टर क्यों नहीं गये, तो यह सदस्य...

श्री सभापति : माननीय ममता शर्मा। माननीय, दूसरा नाम पुकार रहा हूं मैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : और अब कह रही हैं वहां सोनियाजी क्यों गईं। कोई भी चला गया हमारी पार्टी का, आपको महिला होकर महिला के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए।

श्री सभापति : आप स्टार्ट करें।

श्रीमती ममता शर्मा : यह कन्क्लूड कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, आई एम आन ए पाइंट आफ आर्डर। एक मिनट, आप विराजें। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने, आपने अलाउ किया, आप अलाउ करें, रिकार्ड में रखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनके लिए अच्छा है तो रखें रिकार्ड में। मैं तो केवल आपसे यह जानकारी चाह रहा हूं, आर्टिकल 356 कांस्टीट्यूशन के तहत इसका प्रयोग सेन्टर गवर्नमेंट, केन्द्रीय सरकार कुछ विशेष परिस्थितियों में करती है। वह केन्द्र सरकार, केबिनेट करती है, केन्द्रीय केबिनेट और उसके प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंहजी हैं, सोनियाजी उसमें कुछ भी नहीं है। आपने जो सोनियाजी का नाम लेकर कहा कि 356...

श्री संयम लोढ़ा : सोनियाजी सब कुछ हैं यूपीए गवर्नमेंट की, सब कुछ।

डा. एन. एस. गुर्जर : अब आप मुझे मेरी बात कह लेने दीजिये, आप विराजें। आप विराजें, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : + + + (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : एक मिनट, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : + + +

डा. एन. एस. गुर्जर : आप बैठो, क्या हुआ।

श्री बंशीलाल खटीक : + + + (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : + + + यह शब्द निकाला जाय। यह ऐसे नहीं चलेगा।

डा. एन. एस. गुर्जर : विराजें, विराज जाओ। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को समझा दीजिये वरना किसी दिन अच्छा नहीं होगा यहां। (व्यवधान) मैं आपको सदन के अन्दर, सभापति महोदय, आपसे निवेदन कर देता हूं हाथ जोड़कर, यह राजसमन्द के माननीय सदस्य के बेड़ियां जड़ दीजिये वरना किसी दिन इस सदन में बहुत अन्याय हो जायेगा। मैं हाथ जोड़कर उनको निवेदन कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : बेड़ियां जड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं है, राजसमन्द के बेड़ियां लगाने वालो...(व्यवधान) आपमें क्या हिम्मत है राजसमन्द के बेडियां लगाने...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान : यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, वरना अच्छा नहीं होगा किसी दिन। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : बेड़ियां, बेड़ियां लगा रहे हो, बेड़ियां...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, इसको निकलवायें वरना हम भी आरोप लगायेंगे...(व्यवधान) ये जो इन्होंने कहा है वो शब्द निकलवाइये।

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, मेरा निवेदन है कि उनको आप कृपया स्थान ग्रहण करने के लिए कहें। बार-बार सदन में व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

श्री जुबेर खान : ...(व्यवधान) आज कुछ हो जाएगा इस सदन में। उन्होंने ठेका ले रखा है सारे सदन का? बकवास करते रहते हैं जब आये...

श्री श्रवण कुमार : महावीरजी, अपने स्तर पर ऐसे लोगों को कण्ट्रोल करिये यह अच्छा नहीं होगा।

श्री जुबेर खान : आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिये और इस तरह के माननीय सदस्यों को पाबन्द कीजिये वरना क़िसी दिन इस सदन में ऐसा वाक्या होगा कि हिन्दुस्तान के किसी सदन में नहीं हुआ होगा...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : ये क्या बोल रहे हैं, मैं यह कहना चाहता हूं आप देखिये महावीरजी एक मिनट... प्लीज एक मिनट महावीरजी। सदन के सदस्य ये जो इस तरह से बोलते हैं आप कण्ट्रोल करें इनको।

श्री सभापति : आप विराजें। स्थान ग्रहण करें।

श्री कनकमल कटारा : ये आप क्या कह रहे हैं इस तरह से। जिम्मेदार हैं आप इस तरह से बात कर रहे हैं। नहीं-नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए ये तो गलत तरीका है आपका।...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : सुनिये अगर गलत करोगे तो गलत भोगना भी पड़ेगा। हम ऐसे चुप नहीं रह सकते।

श्री कनकमल कटारा : ...(व्यवधान) किसी दिन कुछ हो जाएगा यह आप पहले से चैलेंज कर रहे हो, बहुत जिम्मेदार माननीय सदस्य हैं आप तो।

श्री जुबेर खान : हम नहीं सुन सकते बार-बार अगर हिम्मत है...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवण कुमार : ...(व्यवधान) नहीं अब बतायें न आप।

श्री सभापति : आप मुझे मजबूर कर रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार : मैं आपका आदर करता हूं। मैं कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : आसन पैरों पर है। अंकित नहीं हो। आप विराजें।

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री सभापति : पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य। पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य आप मुझे नाम से पुकारने के लिए मजबूर नहीं करें। पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री सभापति : माननीय सचेंतक महोदय, आपसे मेरा निवेदन है। माननीय सचेतक महोदय, आपसे भी निवेदन है कि आप अपने सदस्यों को भी भड़काऊ भाषण देने के लिए रोकें और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी यह ईस्ट इण्डिया कम्पनी, इस प्रकार की बातें सदन में न करें और कार्यवाही से मैं निकालता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। सभी माननीय सदस्यों की यह भावना है कि यह सदन बहुत शान्तिपूर्ण तरीके से चले और हम इस प्रकार के शब्दों का चयन करके बोलें जिससे इस सदन में उत्तेजना नहीं फैले इससे मैं बिलकुल सहमत हूं और यदि मान लो हमारी तरफ से कोई भी माननीय सदस्य इस प्रकार का करता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं निश्चित रूप से। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम बोलते-बोलते आर.एस.एस. सुदर्शन और फलानां और मतलब जो है दुनिया भर की चर्चा करेंगे तो फिर क्या माननीय सभापतिजी...

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप उसका खण्डन कर दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं खण्डन क्या कर दें आप भी खण्डन कर दो।

श्री सभापति : ऐसा है बार-बार जो ये रिपीटीशन हो रहा है बार-बार एक ही बात को आप बीस बार कहो सदन में...

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा है माननीय सभापति महोदय, उस समय हमारे साथ बड़ी विकट परिस्थिति पैदा हो जाती है जब आप आरोप लगाते हैं उस समय तो आपको गरिमा और सोनिया और आपको पता है कि ज्यों ही यह होगा त्यों ही सोनिया आएंगी वो तो तय है तो इसलिए यदि आप यह चाहते हैं कि यह नहीं आये तो आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। आप उत्तेजित मत करें तो मैं गारण्टी देता हूं वो नहीं मैं माफी मांगूगा।

श्री सभापति : मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सदन चलाना है या सोनिया और संघ को याद करना है मुझे इसका उत्तर दे दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की मर्यादा बनने में बहुत समय लगा है। आप कृपया मर्यादा में रह कर अपनी बात कहें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप यदि किसी को...

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : लाएंगे, आर.एस.एस. को लाएंगे कोई...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट होम पर बोलूंगा और दो मिनट जेल पर।

श्री सभापति : अब आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, समाप्त कर रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ...(व्यवधान) चर्चा करेंगे तो फिर क्या सोनिया नहीं आएंगी? तो ईस्ट इण्डिया कम्पनी भी आएगी, सभी आएगी और फिर जो उसका होगा देखा जाएगा। (व्यवधान)

(21.23 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर में माननीय गृह मंत्रीजी से...

डा. एन. एस. गुर्जर : आप विराजें एक मिनट। मेरी बात समाप्त होने दीजिये मैं पाइण्ट आफ आर्डर पर हूं। विराजिये प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैंने पाइण्ट आफ आर्डर उठाया था मेरी बात पूरी नहीं हुई बीच में हंगामा कर दिया। माननीय सदस्य ने एक रेफरेन्स दिया आर्टिकल 356 का जिक्र किया हाउस के अन्दर और 356 का, अध्यक्ष महोदय, आप बहुत पुरानी सदस्य रही हैं, बहुत अनुभवी हैं आपका ज्ञान बहुत विशाल है इस मामले में मेरे से ज्यादा ज्ञान है। 356 तभी प्रयोग हो सकता है किसी स्टेट में कुछ उसमें शर्तें हैं कि इन-इन शर्तों में केन्द्रीय सरकार वो भी केन्द्रीय मंत्रिमण्डल जब फैसला लेगा तब और केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के हैड हैं इस समय

माननीय मनमोहन सिंहजी तो मनमोहन सिंहजी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल कोई फैसला लेता है और वो कुछ परिस्थिति राजस्थान में ऐसी पैदा होती है जो कंडीशंस कांस्टीट्यूशन में आप चाहें तो मेरे पास कांस्टीट्यूशन है। मैं उसको विस्तार से पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि किन-किन परिस्थितियों में 356 का उपयोग किया जा सकता है। आपने यह कहा कि राजस्थान में यही परिस्थितियां चलती रहीं तो सोनियाजी 356 का प्रयोग करने से नहीं चूकेंगी। ये शब्द हैं। मैं आपसे जानकारी चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के लिए।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, प्रोसीडिंग दिखवा लें।

डा. एन. एस. गुर्जर : नहीं आप एक मिनट सुनिये। आप प्रोसीडिंग दिखवाइये न। मेरी बात कम्पलीट होने दें आप बोलते हैं तो मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करता। आपने यह कहा कि उनको यह करना पड़ेगा यह कहा होगा कि 356 का...(व्यवधान) यस, आपने कहा है सोनियाजी का नाम लेकर।

श्री अध्यक्ष : नहीं उनको दुहराने दीजिये प्लीज इनको दुहराने दीजिये क्या कहा उन्होंने।

डा. एन. एस. गुर्जर : क्या कहा आपने

श्री संयम लोढ़ा : आप विराजिये माननीय सदस्य आप विराजिये।

डा. एन. एस. गुर्जर : एक मिनट सुनें। आप पूछ लेना। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंहजी हैं उनके नेतृत्व में केन्द्रीय सरकार चल रही है।

श्री अध्यक्ष : सवाल इस बात का नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन है, सवाल इस बात का है कि यह धमकी देने की आवश्यकता कैसे महसूस हुई।

डा. एन. एस. गुर्जर : कैसे पड़ी और क्या कानूनन सोनियाजी 356 का इस्तेमाल कर सकती हैं? क्या वो सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं? मैं यह पूछना चाहता हूं आपसे। आपने कैसे कोट कर दिया यह?

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और है... (व्यवधान) माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि सारे मुस्लिम समाज को मतलब मुस्लिम समाज निर्भीक है न कभी डरता है न किसी से डरा है आज तक कभी डरा नहीं उन्होंने कहा मुसलमानों को भयभीत किया जा रहा है और डराया जा रहा है। मुसलमान इतना कमजोर होता है क्या उन्होंने मुसलमान को इतना कमजोर साबित करने की कोशिश की यह मुसलमान समाज के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है माननीय अध्यक्ष महोदय ये तो...

श्री जुबेर खान : आपकी चपेट में नहीं आएंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप तो चपेट में नहीं आएंगे पर वो चपेट में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको गुलाम बनाकर रखा जाए तो इसलिए ऐसे शब्दों का क्यों प्रयोग किया जाता है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वन एट ए टाइम। एक समय में एक ही बोलें।

श्री शांतिलाल चपलोत : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने आर्टिकल 356 की बात उठायी मैं नहीं समझता कि इतना जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे। न तो सोनियाजी ने इनसे राय ली है, न कांग्रेस के मंत्रिमण्डल ने इन्हें राय दी है, न प्राइम मिनिस्टर ने इनसे पूछा है कि अब क्या करूं संयमजी मैं यहां 356 लगाऊं कि नहीं लगाऊं इस प्रकार की बातें, प्रजातंत्र में इस प्रकार की धमकियां, यह ठीक नहीं है इसको एक्सपंज किया जाना चाहिए और उसके लिए खेद प्रकट करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : असंसदीय नहीं है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, यह पता तो कर लें कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा क्या है उसके बाद ही तो सवाल उठेगा कि एक्सपंज करने लायक है कि नहीं है।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं वरबेटम सुना सकता हूं उसकी। मैं वरबेटम सुना सकता हूं इसकी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण असंसदीय तो है नहीं और इसलिए एक्सपंज किया नहीं जाएगा लेकिन रिकार्ड में रहेगा कि ये क्या धमकी देते हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : खेद प्रकट करना चाहिए। यह डिक्टेटरशिप नहीं है. We are living in a federal structure. हम फैडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पाइंट आफ आर्डर उठाया है।

डा. एन. एस. गुर्जर : अमरारामजी, आप बोल लेना, मैं अपनी बात कम्पलीट कर लूं।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्षजी, हम फैडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं कोई किसी के अधीन नहीं है हर प्रान्त अपने-आप में एक प्रकार से स्वतंत्र है और इस प्रकार की धमकियां नहीं दी जा सकती।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता हूं कि क्या संयमजी को प्राइम मिनिस्टर ने या सोनियाजी ने एडवाइजर नियुक्त कर रखा है? इसलिए मैं चाहता हूं कि जो धमकी दी है और आर्टिकल 356 का जिक्र किया है हाउस में यह इर्रिलेवेंट है इसलिए इसको मैं यह नहीं कहता कि आप कार्यवाही से निकालो क्योंकि this is not an unparliamentarily word. आपने सही फैसला दिया लेकिन इनको... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैं चाहता हूं कि यह इर्रिलेवेंट रहे। इर्रिलेवेंट रहे लेकिन यह डिपेण्ड करेगा आपकी सरकार के काम-काज पर जिस राह पर आप चल रहे हैं अगर आप नहीं सुधरे और आपने राजस्थान के साथ समान व्यवहार नहीं किया तो यह उसी दिशा की तरफ राजस्थान बढ़ रहा है मैं यह कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पाइण्ट आफ आर्डर उठाया है जो सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने इस रेफरेंस में कहा है...

श्री मदन राठौड़ : ...(व्यवधान) बहुत धमकियां देखी हैं।

श्री अमराराम (धोद) : कि जिस तरह से गुजरात में हिन्दुवादी संगठनों ने सरकार की परमीशन से जो कत्लेआम किया। राजस्थान की सरकार अगर यह कराना चाहती है...

श्री अध्यक्ष : आप क्या सफाई दे रहे हैं? आपको सफाई देने की क्या आवश्यकता पड़ी वो खुद ही बतायेंगे न। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी : कत्लेआम तो बंगाल में आप लोगों ने किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्या पैरवी कर रहे हैं

श्री वासुदेव देवनानी : कत्लेआम तो बंगाल में आप लोगों ने किया है।... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मैंने इस रेफरेंस में कहा है कि अगर ऐसा करेगी... (व्यवधान) और सरकार को नहीं रहने देगी।

श्री बंशीलाल खटीक : किस प्रकार सदन में उत्तेजना फैलाई जा रही है। हां हम हिन्दुवादी संगठन है हमें गर्व है कि हम हिन्दुवादी संगठन हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने...

श्री शांतिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, यह डिबेट को डाइवर्ट किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता भी कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सोनियाजी का स्तुतिगान करना है इनको, संयमजी 101 बार दिन में नाम लेते हैं इन्होंने नाम ले दिया तो क्या बड़ी बात हो गई।

श्री संयम लोढ़ा : हां, आपने समझदारी की बात की मंत्रीजी। हम लेते हैं उनका नाम, 24 घंटे लेते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : संसदीय कार्यमंत्री कितनी इर्रिलेवेंट बात कर रहे हैं मुझे बड़ा अफसोस है और आपकी हिदायत दी हुई है कि जब मैं कम से कम खड़ा हूं तो इनकी तरफ से कोई खड़ा नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपके सदस्य भी तो नहीं मानते।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपकी मुख्य मंत्री खड़ी होगी हम 55 के 55 खड़े हो जायेंगे देखते हैं कैसे बोलते हैं, यह क्या बात हुई। अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर पर मैं बोलना चाहता हूं कि अभी टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पाइण्ट आफ आर्डर उठाया पहले तो वह इर्रिलेवेंट है। आप आसन पर नहीं थीं...

श्री अध्यक्ष : मैं अपने चैम्बर से सब बातें सुन रही थी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं जानना चाहता हूं कि किस नियम से यह पाइण्ट आफ आर्डर उठाया। उन्होंने अपनी बात अपने वक्तव्य में कही होम मिनिस्टर साहब को उसका प्रत्युत्तर देने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जो कहा वह भी हाईली ओब्जेक्शनेबल था। सदन में कोई भी सदस्य यह कहे कि धारा 356 का प्रयोग होगा यह भी हाईली ओब्जेक्शनेबल है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इनकी आदत हो गई है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : पहले मेरे को सुन तो लें आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपकी आदत हो गई हर गलत चीज को प्रोटेक्ट करना यह आपको शोभा नहीं देता। हर गलत चीज को प्रोटेक्ट करना यह बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। क्या संयमजी ने जो बात रखी वह बहुत अच्छी रखी? उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप मेरे को बोलने ही नहीं दे रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या नहीं बोलने दे रहे, आप अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, कृपया सुन लीजिए। यह जो कहे वो सुन लो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप मर्यादा तोड़ रहे हैं। मैं यह कह रहा था कि

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो भी बातें कहीं उसका प्रत्युत्तर होम मिनिस्टर साहब अपनी रिप्लाई में दे सकते हैं। सदन को इतना गर्माने की क्या जरूरत है। आज रिप्लाई देने का काम क्या राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य करेंगे।

श्री अध्यक्ष : 356 को प्रयोग करने की बात कही तो लोग कैसे शांत रहेंगे, यह तो आपकी बात गलत है।

श्री कालूलाल गुर्जर : हमको कहे कि यह प्रयोग करते हो, यह प्रयोग करेंगे तो क्यों नहीं बोलेंगे इधर वाले।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आसन से हमेशा यह व्यवस्था दी जाती है कि डिबेट का एक स्तर होता है।

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तो क्या यह स्तर है। आपको अच्छा लगता है यह स्तर। इस तरह का कमेन्ट करना अच्छा लगता है ना।

डा. बुलाकीदास कल्ला : Let me complete first.

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अच्छा लगता है क्या मैं यह आपसे पूछता हूं। जिस तरह से कमेन्ट करते हैं यह अच्छा लगता है आपको? क्या बात करना चाहते हो, हमें नहीं आता क्या यह बोलना। नीचे गिरते ही चले जा रहे हो।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय...

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं कमप्लीट नहीं करूं, मुझे सुन ही नहीं रहे हैं कमाल हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सुन ली क्या कहना चाहते हो आप, कोई बात ही नहीं है। इस प्रतिपक्ष के नेता की कुर्सी का मान और सम्मान राजस्थान में कहां लेकर चले गये आप इसको।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप भी पार्लियामेन्ट्री अफेयर मिनिस्टरी का सम्मान रखिए।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मंत्री महोदय, विराजिए, प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं।

श्री सांवर लाल : कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए तो आपको इधर से मुक्त कर दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप क्या हो, जब दो बड़े आदमी खड़े हों तो नहीं बोलना चाहिये। You are a very Junior member. हर बात पर खड़े हो जाते हैं। +++

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, पहली बार आने वाले माननीय सदस्य को यह चाहिये कि मान लो मंत्रीजी और प्रतिपक्ष के नेता महोदय की कोई बात हो रही है यह कोई ज्यादा हैसियत रखते हैं क्या कि बीच में खड़े हो जाते हैं। हमेशा इस साल की परम्परा रही है सीनियरिटी के हिसाब से आदमी इन्टरवीन करता है, टोका टाकी करता है। इनको यही पता नहीं कि किसको टोकना चाहिये और किसको नहीं टोकना चाहिये। हम तो खड़े नहीं होते, हम तो कभी नहीं टोकते मुख्य मंत्रीजी को या गृह मंत्रीजी को या शिक्षा मंत्रीजी को या सिंचाई मंत्रीजी को क्योंकि वह हमसे अनुभवी हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं और कोई मजाक भी करेंगे तो शालीनता से करेंगे। क्या आपने ठेका ले लिया पहली बार आकर और 7-7 बार आने वालो को टोकाटाकी करेंगे, यह बहुत गलत है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, अगर मेरी पूरी बात सुन लेंगे तो शायद सदन के पूरी बात समझ में आ जायेगी। मैं यह कह रहा था कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने उस संदर्भ में कहा कि जहां-जहां साम्प्रदायिक दंगे हों, सामाजिक सौहार्द तोड़ा जाये वहां धारा 356 का प्रयोग हो सकता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से सलाह देना चाहता हूं माननीय सदस्य को उसमें जो सदन के सदस्य नहीं है उनका नाम उनको नहीं जोड़ना चाहिये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें कोई नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। यहां अपना भाषण देने की स्वतन्त्रता है, विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता है और आपको यह स्वतन्त्रता है कि आप उसका प्रत्युत्तर दे दें। यह कोई तरीका नहीं है कि एक माननीय सदस्य बोल रहा है 20 आदमी खड़े होकर उसको दबाने की कोशिश करें, यह डिबेट का स्तर अच्छा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अपील करता हूं कि आसन की तरफ से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जो भी माननीय सदस्य जिस तरीके से अपने विचार रखते हैं आप उत्तर के समय उसका तर्क के साथ उत्तर दे दें। यही हमारी विधान सभा का एक स्तर रहा है, गरिमा रही है। आप परम्पराओं को मत तोड़िये। मैं सवेरे से देख रहा हूं जो कोई भी व्यक्ति

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

अपने विचार व्यक्त करता है 10 आदमी उसके ऊपर जैसे लट्ठम पड़ते हैं और उसको दबाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप सदन में जो हमारी परम्पराएं हैं उनको बनाये रखते हुए जो भी बात हम कहें आपको अच्छी नहीं लगती है तो आपका मंत्री सक्षम है आप उसका उत्तर दे दीजिए। लेकिन मैं शुरू से ही यह कहना चाह रहा था कि पाइण्ट आफ आर्डर किस नियम से इन्होंने उठाया। नियम का हवाला देते कि मैं इस नियम में पाइण्ट आफ आर्डर उठा रहा हूं। सबसे पहले तो आसन को ही व्यवस्था देनी चाहिये थी कि वह बताये किस नियम से आप पाइण्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं और सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस संदर्भ में कहा था आप चूंकि आसन पर नहीं थीं, उनका संदर्भ यह था कि राजस्थान में सामाजिक सौहार्द 5-6 जगह टूटा है। हमारा सामाजिक सौहार्द बना रहना चाहिये और सामाजिक सौहार्द जहां-जहां टूटा है वहां धारा 356 का उपयोग हुआ है। लेकिन इनको संदर्भ में नाम नहीं लेना चाहिये। मैं खुद भी कहता हूं, स्वीकार करता हूं कि किसी का नाम नहीं लेना चाहिये। इसका जो भी उत्तर बने आप अपनी तरफ से उत्तर दे देते बीच में आप लोगों के बोलने की मैं समझता हूं यह परम्परा ठीक नहीं है। संसदीय कार्य मंत्रीजी से भी मैं अपील करता हूं कि आप अपने माननीय सदस्यों को बतायें वह एक दूसरे से सीधे बात नहीं करे अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सबको सम्बोधित करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी सदन में हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं और दुर्भाग्य यह है कि जिम्मेदार लोग ही उन गलतियों को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं चाहे हमारी तरफ से हो चाहे इधर से हो। मैं सोचता हूं कि यह कोई डिबेट का स्तर नहीं है। अगर आप कुछ भी कहना चाहो, आप अपने तर्क के आधार पर जो कुछ भी कहना चाहो आप स्वतन्त्र हो लेकिन यह केवल हल्की बातें कहकर वाहवाही लेकर सदन में बवेला खड़ा कर अपने आपको प्रचारित करने का जो तरीका आपने अपनाया है यह आपको भले ही अच्छा लग रहा हो लेकिन राजस्थान की 5 करोड़ जनता को यह अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, हमारी कोई कमी है तो आप खूब गिनाओ हम उन कमियों का जवाब देंगे लेकिन बात कहां की कहनी और कहां नागपुर आ रहा है, कहां वो आ रहा है। क्या है, यह स्तर है क्या चर्चा का? प्रतिपक्ष के नेता के रूप में अगर इसको आप मानते हैं तो मैं सोचता हूं मुझे और कुछ नहीं कहना है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं क्योंकि जब वह इस तरह की बात छेड़ते

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हैं तो स्वाभाविक उसमें उत्तेजना आती है। आप इस प्रकार की चर्चा ही क्यों करते हैं। अगर आपको कहना है तो कुछ लपेट कर अच्छे शब्दों में कहो इससे मार भी लग जायेगी काम भी हो जायेगा लेकिन जबरदस्ती उसको उलझाने वाला काम करके जो कुछ भी हम देख रहे हैं पिछले साल भर में मैं सोचता हूं कि आप बड़ी दुआएं दे रहे हैं हमारी महान परम्पराएं रही हैं तो परम्परा को तोड़ कौन रहा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप तोड़ रहे हैं, आपके सदस्य तोड़ रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम ही रखते हैं तो अपने आप टूट गई आपने तो कुछ नहीं किया सब हमने ही तोड़ दिया।

श्री अध्यक्ष : आप किस लिये खड़े हैं, जब मंत्रीजी बोल रहे हैं आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमने ही तोड़ा, हम अपने आप खड़े हो गये आपने तो कुछ भी नहीं किया सारा दोष हमारा ही है आप तो बिलकुल पाक साफ हो। मतलब + + + और फिर हमको यह उपदेश देने की कोशिश करें, यह नहीं हो सकता।

श्री संयम लोढ़ा : आप अपने शब्दों का ध्यान रखो कटारियाजी, आप क्या शब्द प्रयोग कर रहे हो यह ध्यान रखो, किसको + + + कह रहे हैं आप। आप कल्ला साहब को + + + कह रहे हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कौन है + + + देखिए गृह मंत्रीजी कैसी बात कर रहे हैं। कौन है बताइए आप। + + +

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : अध्यक्ष महोदय, ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं मंत्रीजी यह गलत है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है गृह मंत्रीजी... (व्यवधान) आप दूसरों को क्या उपदेश देते हैं।

श्री संयम लोढ़ा : इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो आप।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : गृह मंत्री महोदय, कम से कम आपसे तो यह अपेक्षा नहीं थी कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह मर्यादा की भी एक सीमा होती है, बरदाश्त करने की भी एक सीमा होती है।

श्री संयम लोढ़ा : आप अगर +++ तुलना करेंगे कटारिया साहब तो आपको सुनना पड़ेगा। आप अपने शब्दों का चयन सही कीजिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह नहीं हो सकता मर्जी आये जो बोलते चले जाये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हां, अगर मुख्य मंत्रीजी नागपुर जायेंगी तो हम कहेंगे, पूछेंगे राजस्थान की जनता की तरफ से, हमें हक है पूछने का मुख्य मंत्रीजी वहां क्यों गईं, हक है हमें पूरा पूछने का और हम पूछेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा नहीं है, ऐसे कोई हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हम कोई आपके दबेल नहीं हैं और आपकी कृपा से नहीं आये हैं इस हाउस में। जनता की मेहरबानी से आये हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको 272 के नियम, नियम 272 के नम्बर दो, किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं करेगा, नम्बर तीन, सभा, संसद या किसी राज्य विधान मण्डल के व्यवहार या कार्यवाही के विषय में आपत्तिजनक शब्दावली का उपयोग नहीं करेगा। नम्बर सात, अभिद्रोहात्मक, राजद्रोहात्मक, मानहानिकारक शब्द नहीं कहेगा। अपने भाषण के अधिकार का उपयोग सदन के कार्य में बाधा डालने के प्रयोजन के लिए नहीं करेगा। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यहां गुजरात का जिक्र आया।

अब गुजरात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह सदन तय नहीं करेगा। गुजरात, बंगाल में जो कुछ हो रहा है, यदि आप गुजरात की बात करेंगे तो बंगाल की बात करनी पड़ेगी। आप आर.एस.एस. की बात करेंगे तो आपने जो काण्ड जगह-जगह किये उनकी बात करनी पड़ेगी। यदि नागपुर की बात करेंगे तो सोनिया गांधी की बात करनी पड़ेगी

इसलिए अपने यहां पर यह पहले से ही पाबन्दी की गई है कि इस प्रकार की चर्चा आप इधर उधर से आकर नहीं करेंगे। यह सारी स्थिति तब पैदा हो जाती है जब हम अनावश्यक बातों को यहां पर लाए। कभी मुसलमानों को, अपन ने यहां तय किया कि बड़ा साम्प्रदायिक माहौल है। बड़ा संवेदनशील विषय, एक सदन की समिति बनकर वहां चली गई, अब सदन की समिति वहां गई...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : यह क्या ज्ञान दे रहे हैं

श्री महावीर प्रसाद जैन : और सबने यह कहा, जो उस समिति में मेम्बर हैं, आपको आकर सबने कहा बहुत अच्छा वातावरण, बड़े अच्छे वातावरण में सारी कार्यवाही हुई। वहां तो सारी कार्यवाही बहुत अच्छी हो गई। वहां हमने शांति का संदेश दे दिया और...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : बोल किस चीज पर रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसी पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : प्लीज कन्डक्ट।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, एक पाइंट आफ आर्डर टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया उस पर कुछ सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया की। आप पहले उस पाइंट आर्डर का तो डिसपोजल करें जब ही तो दूसरा पाइंट आफ आर्डर आएगा। एक निपटा नहीं और दूसरा पाइंट आफ आर्डर बीच में आ गया। (व्यवधान) यह तो कोई गलत, आप पहले टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया था उस पर व्यवस्था दीजिए उसके बाद में अगर मुख्य सचेतक महोदय कुछ व्यवस्था का सवाल लाना चाह रहे हैं तो लाएं। यह गलत हुआ ना कि एक पाइन्ट आफ आर्डर आया उसका निष्पादन ही नहीं हुआ और दूसरा बीच में आ गया।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा और समय चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह उसी में सहयोग करने के लिए...

श्री अध्यक्ष : सहयोग कर रहे हैं तो, आपने 272 का ही हवाला दिया है क्या? 272 की बात कही है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उनको सहयोग की जरूरत नहीं है। वह एलएल.एम. है।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 272 सब रूल 6 और आर्टिकल 356 दोनों की तरफ दिलाना चाहूंगा। पहले तो मैं आपका 272-6 की तरफ दिलाना चाहूंगा... use the name o f the president or the Governor while speaking in the House. यह उस सम्बन्ध में है... ".. Use the name of the president or the Governor for the purpose of influencing the debate.." इसमें दो वर्ल्ड है, प्रेसीडेन्ट और गवर्नर। 356 क्या बोलता है, अध्यक्ष महोदय 356 में इफ दा प्रेसिडेन्ट, प्रेसीडेन्ट, जो उसमें प्रेसिडेन्ट का जिक्र किया है। 276 के 6 में... "... If the president on receipt of a report from the Governor ..." इसमें प्रेसीडेन्ट और गवर्नर 356 में दोनों इनवाल्व है और 272 के 6 में प्रेसीडेन्ट और गवर्नर, उनका यूज डिबेट में कभी नहीं हो सकता, जिसका जिक्र इन्होंने 356 को वहां कोट करके कहा है। उसमें प्रेसीडेन्ट भी कोट हो रहा है, गवर्नर भी कोट हो रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसके विपरीत... (व्यवधान) काहे को घबरा गए, हम कोई नहीं घबरा रहे, आप करके देखिए।

अध्यक्ष महोदय, यह पूरी विधान सभा इस 356, अगर यह लागू होता है तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट ही प्रभावित नहीं होगी यह पूरा सदन प्रभावित होता है। यह सदन प्रभावित होता है इसलिए हम लोग प्रभावित होते हैं। सारे माननीय सदस्य, यह हमारे सबके अधिकारों का सवाल है, राजस्थान की जनता के अधिकारों का सवाल है जिन्होंने एक साल पहले इस सरकार को बनाकर हम सबको सदन में भेजा।

इस 356 में 272 रूल सब रूल 6 के साथ आप 356 पढ़े, अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रेसिडेन्ट और गवर्नर दोनों कवर हो रहे हैं इसलिए एक तो आपने जो 356 का कोट किया है... that is totally irrelevant. नम्बर वन। नम्बर टू 356 को कोट करने से, अब आप चाहे कि हम घबरा रहे हैं इससे, करके देखे इसका प्रयोग, हम इसका जवाब देंगे कि किस तरह से यह कितना...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : दो बार हो चुका है। दो बार, 1977 में हुआ और 1992 में हुआ। दो बार हो चुका।

डा. एन. एस. गुर्जर : आप बिराजिए, आप बिराजिए। ज्ञान की बातें हैं जवाब दे देना आप। यह पढ़े लिखे आदमी का काम है, आप जवाब दे देना।

अध्यक्ष महोदय, हमारा अधिकार, सबका अधिकार इससे प्रभावित होता है। आपका अधिकार भी इससे प्रभावित होता है इसलिए आप सहित सारे सदन के सदस्यों का अधिकार प्रभावित होता है 356 लागू होने से। एक तो इर्रिलेवेंट था और इर्रिलेवेंट के साथ-साथ ही सबसे बड़ी आपत्तिजनक स्थिति यह है कि इन्होंने ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया जो इस सदन का सदस्य नहीं है। जिनके हाथ में ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। माननीय सोनियाजी के अधिकार क्षेत्र में न तो 356 लागू करना है और न वह कर सकती है, न उनको कोई कांस्टीट्यूशनल सुपर पावर है, न वह कांस्टीट्यूशनल से बड़ी है इसलिए उनको कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने जो बात कही है लोगों को गुमराह करने के लिए कही है, टोटल इर्रिलेवेंट है। थोथा प्रचार पाने के लिए कही है। सदन को उत्तेजित करने के लिए कहा है। राजस्थान की जनता के अधिकारों का, राजस्थान की जनता की जो आस्था प्रकट की है इस सदन में, चाहे उधर के सदस्यों ने की हो, चाहे इधर के सदस्यों ने की हो, इस राजस्थान की जनता के अधिकारों का यहां अपमान किया है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो भी इन्होंने कहा है यह खड़े होकर खुद ही क्षमा याचना करें। सदन से और सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता से क्षमा याचना करें।

मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा। मेरी दृष्टि में तो यह अनपार्लियामेन्ट्री तो नहीं है लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को सम्मिलित किया है, 356 को कोट करते ही दोनों इसमें इन्वाल्व हो जाते हैं इनडायरेक्टली, इसलिए मैं समझता हूं कि रिकार्ड में रहे यह बात यह भी उचित नहीं होगा। आप रिकार्ड में रखना चाहें, अनपार्लियामेन्ट्री तो नही मैं मानता हूं लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों का इसमें इस्तेमाल हुआ है इसलिए वह एक तो क्षमा याचना करें। मैं चाहूंगा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को हमारी डिबेट पर, उस स्तर पर हम डिबेट को ले जाए केवल इसलिए कि कल अखबारों में हंगामा हो जाएगा और छप जाएगा, यह उचित नहीं है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट मैं...

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं सुन पाई हूं न तो उन्होंने राज्यपाल का नाम लिया... (व्यवधान) बीच में नहीं बोलेंगे आप। न उन्होंने राष्ट्रपति का नाम लिया। उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लिया और 356 का लिया और 356 से सब प्रभावित होते हैं। सारे मैम्बर यहां बैठे हुए हैं सब प्रभावित होते हैं 356 से इसलिए उनका बीच में व्यवधान डालनां उचित है इसलिए उन्होंने व्यवधान डाला।

चूंकि असंसदीय नहीं है, असंसदीय नहीं उन्होंने कुछ कहा... (व्यवधान) वह उत्तर तो देंगे या नहीं देंगे अलग बात है लेकिन उन्होंने सारे लोगों को, माननीय सदस्यों को टेरेराइज करने की तो कोशिश की ना। टेरेराइज किया सारे सदस्यों को, कि 356 लागू हो जाएगा। (व्यवधान) फिर कहने की आवश्यकता क्या थी? फिर कहने की आवश्यकता क्या थी। यदि वह आतंकित नहीं करना चाहते तो कहने की आवश्यकता क्या थी। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : सदन का समय खराब किया।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रोसिडिंग निकलवाकर देख लें, मैंने यह कहा कि देसूरी से आने वाली माननीय सदस्या ने यह कहा कि वह नागपुर गई है सुदर्शन के पास, तो आप सोनिया गांधी के पास चले जाओ वह क्या कर लेगी तब मैंने उस रेफरेंस में यह बात कही। मेरी प्रोसिडिंग निकलवा कर देख लें।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : आप देख लीजिए, ऐसा नहीं कहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : छोड़िए-छोड़िए।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मैटर है। इसको लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने धारा 356, आर्टिकल 356 लागू करने के लिए कहा, 356 कब इन्वोक किया जा सकता है, 356 कब...

If the President, on receipt of report from the Governor of a State or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the govt. of the State cannot be carried on in accordance with the provisions of this Constitution the President may by Proclamation:

(a) assume to himself and all of the functions of the Govt. of the State and all or any of the powers vasted in or exercisable by the

Governor or any body or authority in the State other than the Legislature of the State;

(b) Declare that the powers of the Legislature of the State shall be exercisable by or under the authority of Parliament.

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट मंशा दिखलाती है, 356 इन्वोक करने का मतलब यह, यह धमकी है, यह नाजिज्म की स्थिति बनी है, यह फसिस्जम की स्थिति बनी है। यह डिक्टेटरशिप की स्थिति बनी है। इमरजेंसी में भी 25 तारीख को इसी प्रकार की बातें कहकर इस देश पर इमरजेंसी लागू की गयी। इस प्रकार के दुराचार और इस प्रकार के कृत्य हम कभी कतई सहन नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आपके कहने के बाद भी कोई बोल सकता है क्या?

श्री जुबेर खान : क्या संयम के कहने से ही 356 लग जाता है। आप तो इतने डरते हो संयम से कि इसने कह दिया और 356 लग गया।

श्री शांतिलाल चपलोत : नासिज्म की तरफ जा रहे हैं, फासिस्जम की तरफ जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, 10 बज गये हैं। अब कितने बोलने वाले और शेष रह गये।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट में पूरा कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, सिरोही से आने वाले माननींय सदस्य, 8.54 पर आपने शुरू किया था, 8.54 पर और अब 10 बज गये।

श्री संयम लोढ़ा : मैं दो मिनट में वाइण्ड अप कर रहा हूं। बोलने ही कहां दे रहे हैं। मैं आपकी आज्ञा से दो मिनट में वाइण्ड अप कर रहा हूं। एक मिनट होम पर और 2 मिनट जेल पर। सिर्फ 2 मिनट, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब सदन भी टेरेराइज्ड हो गया. मैं भी टेरेराइज्ड हो गयी। अब मैं समय नहीं दूंगी। अब मैं समय नहीं दूंगी।

श्री संयम लोढ़ा : मैं सिर्फ 2 मिनट में वाइण्ड अप कर रहा हूं। Let me complete. Let me conclude.

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक घण्टे में 2 मिनट भी सार्थक बातें नहीं की हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आप पहले स्थान ग्रहण करें। 356 से मैं भी टेरेराइज्ड हो गयी।

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक घण्टे में 2 मिनट भी सार्थक बातें नहीं की हैं, अब समय देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मेरी विनम्र प्रार्थना है, मैं 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। (व्यवधान) मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। अब कोई समय नहीं।

श्री संयम लोढ़ा : मैंने बात ही कम्पलीट नहीं की, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, कुछ नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, कन्क्लूड तो करने दो। नहीं तो यह होगा कि आपने भी उनको नहीं बोलने दिया। दो मिनट में कन्क्लूड कर लेते ये, पाइंट आफ आर्डर उठ गया।

श्री अध्यक्ष : 8.54 पर शुरू किया था, अब 10.00 बज गये।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, आपका प्रोटेक्शन चाहिए, अब दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : व्यवधान कितना था। दो मिनट का समय नहीं मिलेगा। (व्यवधान) आप घड़ी से दो मिनट देख लें, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : आसन क्या कर सकता है इसमें। आप व्यवधान वाली बात करेंगे तो होगा ही, लोग व्यवधान करेंगे।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, अब नहीं, बिलकुल भी। श्री भंवरलाल राजपुरोहित।

श्रीमती ममता शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पहले ही पुकारा जा चुका है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, नाम पुकार लिया गया था।

श्री अध्यक्ष : नो, नो, नो।

श्री जुबेर खान : नहीं, सभापति महोदय ने ममता शर्माजी का नाम, बूंदी से आने वाली माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया। वे खड़ी हो गयी थीं। उनको इस तरह से बोलने तो दें।

श्रीमती ममता शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकार लिया था।

श्री अध्यक्ष : अब मैंने नाम पुकार लिया इनके बाद आपको बोलने दूंगी। अब मैंने नाम पुकार लिया, इनका नाम ले लूंगी।

डा. भंवर सिंह राजपुरोहित : अध्यक्ष महोदय, काफी समय हो गया है। मेरा नम्बर पहले था लेकिन मुझे...

श्री अध्यक्ष : अब कृपया 5-5 मिनट में अपनी बात कहें क्योंकि 10 बज गये हैं।

डा. भंवर सिंह राजपुरोहित : हां, मैं तो 5 मिनट बोलूंगा और ये एक-एक घण्टा कहकर समय खराब कर दें, बर्बाद कर दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में बोलूंगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज मांग संख्या 16 और 17 पर बहस हो रही है और पुलिस विभाग के बारे में हो रही है। अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है "यथा राजा-तथा प्रथा"। अध्यक्ष महोदय, चाहे किसी की सरकार हो, जैसा राज होगा, वैसी प्रजा होगी, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : लेकिन अब तो उल्टा हो रहा है, यथा प्रजा तथा राजा हो रहा है, अब।

डा. भंवर सिंह राजपुरोहित : हां, यह उल्टा हो रहा है। मैं आपको यह बात इसलिये कहना चाहता हूं जैसा राजा होगा शांति वैसी होगी, जैसे राजा होगा वैसी अशांति होगी। चाहे सरकार किसी की हो, मैं फिर पुन: आज इस परिप्रेक्ष्य में यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने एक ईमानदार और कर्मठ को मुख्य मंत्री बनाया और एक ईमानदार मुख्य मंत्री को ईमानदार और कर्मठ और डिटरमिनेशन वाला गृह मंत्री राजस्थान को दिया। मैं इस बात के लिये, यह बात इसलिये कहना चाहता हूं कि यदि राजा मुख्य मंत्री और उसके एसोसिएट्स मंत्री और चुने हुए जितने भी एम.एल.ए. हों, चाहे जो भी पद पर हों, आदरणीय अध्यक्ष महोदया, यदि वे ईमानदार होंगे तो यह कोई समस्या खड़ी नहीं होगी और वह जो कुछ हो रहा है, मैं अध्यक्ष महोदय, आपको एक बात कहना चाहता हूं, यह क्यों हो रहा है? यह मांगें जो अपन कर रहे हैं, यह भी जो हो रहा है, यह किसलिये हो रहा है? अब इतना बड़ा अमला है, अब आपके सामने दो डी.जी.पी. 16 आई.जी., 19 डी.आई.जी., कम से कम 150 एस.पी., 449 एडिशनल एस.पी., इंस्पेक्टर 3365 और एस.आई. 3896, कुल मिलाकर 75 28 का अमला है। फिर भी ये काम हो रहे हैं। मैं यह बात इसलिये कहना चाहता हूं कि हमको इस बात पर जाना पड़ेगा, हम जिस पर बहस कर रहे हैं उसमें हमें जाना पड़ेगा कि आखिर यह क्यों हो रहा है। इसके मैंने कारण ढूंढे हैं और मैं समझता हूं मैं आपको सही बात बताऊंगा। यह क्राइम के मैंने 10 कारण ढूंढे हैं और एक कारण यह है जो सब समझें इस बात को कि हमारी नैतिकता का ह्रास हो रहा है। हमारे यहां शराब का प्रचलन हो गया, बढ़ती हुई आबादी हो गयी, बढ़ती हुई बेरोज़गारी हो गयी, बढ़ता हुआ फैशन हो गया। इसलिये ज्यादा आवश्यकता पड़ती है तो आदमी को करप्शन करना पड़ता है। टी.बी. हो गया, असमानता हो गयी, अनाप-शनाप गरीबी हो गयी और इसलिये यह सारे का सारा जो हो रहा है इसको कौन रोकेगा। सरकार नहीं रोक सकती, यह कहना गलत होगा और हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। आपकी सरकार थी, उस सरकार के मैं आंकड़े बताऊं। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपने तो कुछ भी नहीं किया। आपके टाइम जीरो था और हमारा ग्राफ बिलकुल क्लाइमेक्स तक पहुंच गया। मैं आपको बताऊं आपके टाइम में हत्या, 2002 में 1276 थी, डकैती 47, लूट 734, बलात्कार 1051, बलवा 7158, चोरी 16313, और यह नकबजनी 6681 थी आप आज की बात करते हो, आप कहां थे उन दिनों में। क्या आपके पास सरकार नहीं थी, क्या आपके पास पैसा नहीं था। क्या आपके पास कोई बात नहीं थी। इतना बड़ा अमला था। आप रोक नहीं सके इन सबको। यह हमारे

(डा. भंवर सिंह राजपुरोहित)

टाइम ही बढ़ा है क्या? अगर 5-6 पाइंट बढ़ गया है तो मैं मान लेता हूं, हां, बढ़ गया होगा। लेकिन यह इतना ग्राफ तो आपने इतना ग्राफ बढ़ा दिया था। आपकी सरकारें रही हैं। आप तो उसमें नैतिकता रखते। आपको मालूम है, क्या नैतिकता थी आपकी। और हमारी तरफ इंगित करके कहते हो यह होगा। अभी...से आने वालों को कहा, गाड़ी में पैट्रोल नहीं है, गाड़ियां खराब हो गयीं। वह गाड़ियां तो आपके टाइम की गाड़ियां हैं जो खराब हो गयी। वह मकान जर्जर हो गये. वह आपके टाइम के मकान हैं। आप किन पर इंगित करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि हमारी सरकार, हमारे विधायक और हमारे प्रधान और हमारे सरपंच जो अब चयन किये हुए हैं, आदमी जीते हुए हैं, ये सारे यदि मौन रखें तो पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ती और इसलिये यह ढर्रा चलेगा, मुझे मालूम है। न शराब बन्द होगी, न ही आबादी बन्द होगी और न ही यह नैतिकता बढ़ेगी। न सौहार्दता बढ़ेगी, न यह टीवी कम होगा। और यह नहीं होगा तो यह अराजकता बढ़ती रहेगी। ठीक है, सरकार आयेगी, सरकार जाएगी लेकिन वह सरकार सफल होगी जो इस काम को कर सकेगी, जिसमें माद्दा है। और राजस्थान का गृह मंत्री और राजस्थान का मुख्य मंत्री तगड़ा होगा तो मालूम है क्या होगा, मुझे एक कविता में से याद आ गया...

यदि नैतिकता का मुख्य मंत्री आ गया और नैतिकता वाला गृह मंत्री आ गया और नैतिकता वाले आप एम.एल.ए. और हम एम.एल.ए. यदि आ गये तो यह नहीं होगा ऐसा। यदि आप और हम लोग यदि सरकारी अफसरों से मिलकर पैसा खाने लगे, यदि इनके तबादले में पैसे खाने लगे, शराब माफियाओं से मिल गये तो फिर यह तो आप भले ही बहस करो और चाहे कितने ही बजट पेश करो, इसका कुछ अन्त, ग्राफ छोटा-बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, हमारी ईमानदारी पर। हमको यही साबित करना है, मैं हमारी केबिनेट की ओर कह रहा हूं, मुख्य मंत्री पर इंगित करके कहता हूं यदि हमारी सरकार ईमानदार रहेगी और आप लोग सहयोग दोगे इस ईमानदारी में तो निश्चित तौर पर चाहे बजट कैसा और कैसा नहीं हो, क्राइम कम हो जाएंगे, मैं जरूर इतना जानता हूं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ईमानदार हैं, हमारे गृह मंत्रीजी उच्च दर्जे के ईमानदार और हमारे विधायक यदि ईमानदार रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपका यह ग्राफ बिलकुल कम हो जाएगा। आपने एक यह उदाहरण पेश कर दिया। गाड़ियों के इतने एक्सीडेन्ट्स हो गये, अब इतनी बड़ी-बड़ी, चौड़ी-चौड़ी सारी सड़कें हो गयीं और आप अब 120 की स्पीड से चलाओ, सड़कों में एक्सीडेन्ट नहीं होगा तो क्या होगा? यह सरकार की गलती है? यह

(डा. भंवर सिंह राजपुरोहित)

भी सरकार की गलती है? एक-एक सारी-सारी छोटी-छोटी बात को आप इंगित करते हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में यही बात कहना चाहता हूं कि आप यदि इस हाउस में बोलें तो ईमानदार होकर ही बोलें। आपका एक्ट ईमानदार होना चाहिए, आप ईमानदारी से ही विधायक रहें और ईमानदारी से आपका रोल रहे तो यह क्राइम घट सकेगा। मैं पुलिस की मांग को मानता हुआ धन्यवाद देता हूं। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : थैंक्यू। श्रीमती ममता शर्मा।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण विभाग पर कटमोशन है। राज की कानून-व्यवस्था जहां से कंट्रोल होती है, उस विभाग पर कटमोशन है और आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगी कि कानून और व्यवस्था ठप्प हो जाना इस राज्य का एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इस विभाग के चार-पांच जो कदम है नजरिया, थाना इंवेस्टीगेशन, ट्रैफिक और कंट्रोल रूम, माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस का एटीट्यूट जब तक सकारात्मक नहीं होगा तब तक पब्लिक में भी चेन्ज नहीं आ सकता है। मैं मानती हूं कि कई जगह ऐसी हैं जहां पर पब्लिक जब तक का-आपरेट नहीं करेगी जैसे ट्रैफिक है, ट्रैफिक में मानसिकता पब्लिक को भी बदलनी पड़ेगी तभी पुलिस कुछ कर पाएगी लेकिन ट्रैफिक की अव्यवस्था अगर आप आज की तारीख में केवल मैं जयपुर की बात नहीं कर रही हूं, पूरे राजस्थान को देखेंगे तो बड़े ताज्जुब की बात है, सुबह 8.00 बजे अगर आप निकलते हैं तो ट्रैफिक लाइट्स को बन्द कर दिया जाता है और सिपाही आपके जो ट्रैफिक के हैं, वे अखबार पढ़ते रहते हैं एक कोने में जाकर। विधान सभा चल रही है, इस वक्त भी पुलिस प्रशासन गम्भीर नहीं है। आप नौ बजे घर जाइये, ट्रैफिक लाइट बन्द करके पुलिस वाले एक तरफ सिगरेट पीते रहते हैं या होते ही नहीं हैं और जब आप उनसे कोशिश करें किसी बात के लिए, जो पकड़ा गया वह चोर है और जो नहीं पकड़ा गया वह साहूकार है। जो निकल गया आपकी नजरों से वह आराम से निकल गया और जो शरीफ आदमी है वह पकड़ा गया। पिछले दिनों, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व डी.जी.पी. के साथ पुलिस द्वारा बदतमीजी की गयी सिपाहियों के द्वारा, किसी एक सी.आई. कैडर के आदमी ने जब उनको देखा तो कहा इनको छोड़ो, यह तो पुराने डी.जी.पी. हैं, यह हालात हैं उनके यहां पर।

जहां तक हाई-वे की बात है इन्होंने पैट्रोलिंग भी लगा रखी है। इन हाई-वे पर पेट्रोलिंग भी होती है लेकिन अध्यक्ष महोदय, पुलिस के उच्चाधिकारी हैं और माननीय गृह मंत्रीजी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि पंचायत हैड क्वार्टर्स पर एक ट्रेनिंग कैम्प

(श्रीमती ममता शर्मा)

जरूर हर छह महीने में लगाया जाए। ट्रेक्टर, मोटरसाइकिलें, हाई-वे तो बहुत अच्छे बन गये हैं जिन पर 120 और 140 पर गाड़ियां दौड़ रही हैं लेकिन आखिर एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, इसके बारे में गृह मंत्रीजी और पुलिस प्रशासन को चिन्तित होना चाहिए।

जहां तक थानों का किस्सा है, बहुत से माननीय सदस्यों ने थानों के बारे में कहा है कि थाने में जाता है, जाता है वह एक बार प्रताड़ित जरूर होता है और ऐसे-ऐसे केसेज हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि अगर आपने फोन कर दिया तो सामने ही कहते हैं कि इससे पांच हजार रुपये मत लो, एम.एल.ए. साहब का फोन आ गया। यह बड़े दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, और जब हम कहते हैं कि आप कैसे मांग रहे थे तो यह साफ कहा जाता है कि साहब, ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है, क्या करें। तो इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए दो बातें हैं-नीड एण्ड ग्रीड। आवश्यकता तो सरकार वैसे ही पूरी कर रही है। पर्क्स मिलते हैं, सारे भत्ते जिसमें इनके हैं, टी.ए., डी.ए. मिल रहा है, मकान किराया मिल रहा है, टेलीफोन मिल रहा है, नल-बिजली मिल रहा है, तो यह फिर दूसरी बात लालच की आती है। यह अन्तहीन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसकी वजह से भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि कहीं न कहीं आपको रोक लगानी ही पड़ेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने माडल थानों की बात की कि हम मॉडल थानें बना रहे हैं लेकिन मुझे यह कहने में सदन में किसी तरह की कोई झिझक नहीं है कि मॉडल थानों में अच्छे अधिकारियों को लगाया जाए न कि नेताओं की सिफारिशों से उसमें अधिकारी लगे। रिक्रूटमैंट के आधार पर जिनके अच्छे रिकार्ड हो, उन लोगों को अच्छे थानों में, मॉडल थानों में लगायें। माडल थाने का मतलब क्या है, हम कुछ पेश करना चाहते हैं, जनता के सामने, जनता की सुरक्षा की बात करना चाहते हैं। जब हम सुरक्षा की बात करना चाहते हैं और जहां भ्रष्टाचार व्याप्त है, वहां पर कोई भी कहीं भी जनता सुरक्षित नहीं है।

दूसरी बात इंवेस्टीगेशंस की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इंवेस्टीगेशंस की हालत यह है कि जो अधिकारी उस वक्त प्रताड़ित करता है उसी को इंवेस्टीगेशंस सौंप दिया जाता है तो इंवेस्टीगेशंस आप किसी और व्यक्ति को सौंपे, और अधिकारी को सौंपे ताकि जो भी जांच हो वह स्पष्ट निकलकर आये। सबसे पहले कह दिया जाता है कि साहब इसको सी.आई.डी. (सी.बी.) में दे दीजिए। सिर्फ इसलिए अपना कि इस केस को दिनों तक लम्बित कर दिया जाए तो सी.आई.डी. (सी.बी.) को

(श्रीमती ममता शर्मा)

डलवाना, इसके लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासन को भी, माननीय मंत्री महोदय को भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि कण्ट्रोल रूम के जो हालात हैं, कण्ट्रोल रूम के हालात यह है मैं जानती हूं कि दिन भर में 100 तरह के केसेज आते हैं और उनमें भी झुंझलाहट आती है, जब पानी सिर से गुजर जाता है तब आदमी एस.पी. के पास जाता है और एस.पी. साहब के पास दिन भर में मेरे ख्याल से दो या तीन ऐसे केस होते होंगे लेकिन इस खाकी वर्दी का जो खौफ है उससे जनता बहुत डरी हुई है। मेरे यहां का मैं अभी केस बताऊं। एक इर्रिगेशन डिपार्टमैंट का ठेकेदार, इर्रिगेशन के एक्स.ईएन. से उसकी कहासुनी हुई। उसको तरकीब से थाने में ठेकेदार को बुलाया गया, बुरी तरह से मारा गया और जब उसने कहा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। कुछ नहीं हुई। उसके बाद उसके लड़के को भी बुलाया, बुलाकर मारा गया और उसके बाद रिपोर्ट दर्ज की गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका हुआ और यह सब कुछ हुआ जातिवाद के आधार पर। जो गलती करता है उसको सजा जरूर मिले, हम खुद भी कहते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बेदर्दी से मारा जाए। आज हालत यह है कि इस बात का रोष है। बून्दी में ही दूसरा केस हुआ। नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा साबिर की मौत और उसको बचाने के लिए टेलीफोन किये गये। अभी तक साबिर के परिवार को, दिन-दहाड़े मैं कहूंगी, 7.30 बजे उसको घर से बुलाकर ले जाया गया। घर में गोली चलायी गयी और फिर तार निकाल दिये गये सड़क की स्ट्रीट लाइट के और उसको सड़क पर डाल दिया गया। लेकिन माननीय गृह मंत्रीजी, आपकी तरफ से कोई मुआवजा उस परिवार को नहीं मिला आज तक। उसके छोटे-छोटे दो बच्चे हैं और 25 साल की महिला है, 27 साल का तो वह साबिर खुद था तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि ऐसे केसेज में आप कृपया ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया, समाप्त करें।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी शुरू ही किया है। लोग आधे-आधे घंटा से ज्यादा और कई एक-एक घंटे से भी ज्यादा बोले हैं।

श्री अध्यक्ष : सात मिनट बोल लिये। सात मिनट ले लिये आपने। सात मिनट बोल चुके हैं।

श्रीमती ममता शर्मा : मैं बिलकुल जल्दी कर रही हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, पूरे नार्दन स्टेट्स हैं, जितने भी हैं उनमें राजस्थान, साउथ में तो बहुत खरा, साफ-सुथरा माना जाता है। राजस्थान भी बहुत अच्छा माना जाता है लेकिन महिला उत्पीड़न के मामले में राजस्थान के नार्दन स्टेट्स में बहुत रिकार्ड ब्रेक किये हैं। महिला कहां सुरक्षित है मैं यह पूछना चाहूंगी? स्कूल जाती है तो टीचर जबरदस्ती करता है।

श्री अध्यक्ष : विधान सभा में तो सुरक्षित है। आप विधान सभा में तो सुरक्षित हैं। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : विधान सभा में इसलिए सुरक्षित है कि यहां पर जेंडर का कोई लेना-देना नहीं है अभी। हम सब इन पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करते हैं। आप स्वयं आज वहां पर विराजमान हैं। नौ बार जीतकर आयी हैं आप। यह आपके लिए बहुत गर्व की बात है और मैं यह भी कहना चाहूंगी कि मेरे खयाल से आपका गिनीज बुक में नाम भी आ गया होगा तो यहां जेंडर का कोई लेना-देना नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो महिलाओं की जो दुर्दशा है, उसके बारे में पूरा सदन बोला है आज। मैं अकेली नहीं बोल रही हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी की सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी भी बनती है। माननीय गृह मंत्रीजी की नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं, प्रशासनिक जिम्मेदारी भी बनती है। महिलाओं के थाने की हम बात करते हैं। महिलाओं के थाने में कोई काम नहीं होता, माफ करिएगा, मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है। चैन खेंची जा रही है मानसरोवर में दिन-दहाड़े एक्स जस्टिस की बीवी की। उससे बड़ी और क्या बात होगी मैं मानती हूं चोर को पता नहीं कि यह कौन है, लेकिन जो कार में महिला जा रही है। अध्यक्ष महोदय; ट्रैफिक से जुड़ी एक बात मुझे याद आई है। रेड लाइट पर लोग जब रुकते हैं ट्रैफिक लाइट पर, भिखारियों का जमावड़ा जो है वह भिखारी आजकल जब आप भीख नहीं देते हैं और गाड़ी का कांच खुला रहता है तो थप्पड़ मारकर चला जाता है। मेरी एक मित्र के साथ ऐसा हुआ था। (व्यवधान) माफ करिये, मेरे साथ नहीं हुआ।

मोहम्मद माहिर आजाद : किसी के साथ भी हुआ होगा, यह कोई बात हुई क्या? ये खुश हो रहे हैं।

श्रीमती ममता शर्मा : किसी के साथ हुआ, आखिर वह महिला तो थी। और एक बात बताऊं एक पुरूष के साथ भी हुआ है कि भिखारी का बच्चा उसके ऊपर थूककर

(श्रीमती ममता शर्मा)

चला गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हालात इतने खराब होते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि यह पहली बार देखने को मिला है डेढ़ साल में कि ट्रैफिक लाइट्स पर अगर यह हालत होंगे तो आप सोचिये, क्या हालत हो रही होगी सब जगह। और कुछ नहीं तो गाड़ी पर पत्थर मारकर चले जाते हैं। क्यों नहीं उन भिखारियों को वहां से हटाया जाता है और पुलिस वाले खड़े होकर देखते रहते हैं। मैंने एक-दो बार उनको कहा भी। मैंने कहा आप देख रहे हो और आप कुछ कर नहीं रहे हो। ट्रैफिक में आप जिन डीवाई.एस.पीज को लगाते हैं, माननीय मंत्री महोदय, उनको कुछ बोलनें का सलीका भी सिखाया जाये कि किस तरह से किस आदमी से बोला जाता है। उनको यह पता नहीं। खारची से आने वाले माननीय सदस्य की एक दिन बहुत बेइज्जती हो रही थी, क्योंकि राजस्थान दिवस का कार्यक्रम देखने हम पोलो ग्राउण्ड में गये थे, उस दिन पुलिस का ही कार्यक्रम था। उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपकी गाड़ियां अन्दर नहीं जाएंगी। हमने कहा आपने पास क्यों इश्यू किये? इनसे कहा मिस्टर आप, गाड़ी दूर खड़ी करके आइये तब आप अन्दर जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका हुआ। आप तमीज से भी इस बात को कह सकते हैं और वाणी पर संयम नहीं तो फिर किस पर संयम है। "तू" शब्द तो इनकी डिक्शनरी में पहले लिखा हुआ है। "तुम" और "आप" बहुत दूर की बात है। मैं स्पेशली ट्रैफिक की बात कर रही हूं। इस पर अगर रोक नहीं लगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो बहुत दिक्कत आयेगी। एक और बात निवेदन करना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्रीमती ममता शर्मा : बहुत इम्पोर्टेन्ट इश्यू है। वाइल्ड लाइफ के लिये मेरा निवेदन है कि आप एक अलग से सेल गठित करे और उसमें आई.जी. लेवल के किसी अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपे कि वाइल्ड लाइफ की जो भी रिपोर्ट हो, महीने की महीने वह कम्पाइल करके आई.जी. को सौंपे, क्योंकि वहां भी भ्रष्टाचार की वजह से जो हालात हो रहे हैं, उसमें पुलिस सहयोग कर सकती है। बशर्ते कि पुलिस की नीयत साफ हो। आज जो हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। मैं इतनी बात कहकर एक बात और कहना चाहूंगी एक नियम बना हुआ है कि सुबह 9.00 बजे से लेकर रात को इतने बजे तक दुकानें खोली जायेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नाक के नीचे पुलिस मेमोरियल सर्किल पर नेशनल हैण्डलूम रात को 11-12 बजे तक खुला रहता है। मुझे समझ नहीं आता, ट्रैफिक वाले उसको क्यों नहीं 9 बजे बन्द करवा देते।

(श्रीमती ममता शर्मा)

11 बजे तक सारी सड़क पर पार्किंग होती रहती है। कोई कहने और सुनने वाला नहीं है। ट्रैफिक जाम होता है, बहुत परेशानियां होती हैं। हमने कई बार कहा। मैंने एस.पी. ट्रैफिक श्रीमती अग्रवाल को कई बार कहा। मैंने कहा इन अव्यवस्थाओं से निजात दिलाइये। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज मैं आपके माध्यम से इस सदन में कहना चाहूंगी कि यह एक किस्सा नहीं है, यह कई जगहों का किस्सा है तो कम से कम इन पर रोक लगायें और मेरा एक ही निवेदन है कि महिला की सुरक्षा के लिये जितने कदम हो सकें, यह पुलिस की जिम्मेदारी है। सती प्रथा और यह सब तो फ्युडिलिज्म का एक पार्ट है और सब का अपना-अपना एटीट्यूड है। लेकिन महिला सुरक्षा में, महिला उत्पीड़न में जब तक पुलिस सतर्क नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। इतनी बात कहकर मैं मेरा स्थान ग्रहण करती हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री तगाराम चौधरी। माननीय सदस्य, पांच मिनट में आप अपनी बात समाप्त करेंगे। हां, बस।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : पांच मिनट में करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 16 पुलिस और 17-कारागार पर कटौती प्रस्ताव के द्वारा मैं मेरे विचार प्रकट करना चाहूंगा। माननीय, इस बात की तो बहुत खुशी है पूरे बजट को देखकर और पुलिस के बारे में भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जिस प्रकार का बजट रखा, वह सराहनीय है। दिन भर जो सुन रहा था उसमें एक बात मुख्य रूप से आ रही थी कि पुलिस की नफरी कम है और वास्तविकता भी है। परन्तु यह बात सही है कि आज तक आज से पूर्व कितने वर्ष हो गये और तुलना की जाये कि इस वर्ष के बजट में पुलिस की नफरी को बढ़ाने के लिये जो प्रावधान किया गया है, वह 4200 का है। 4200 के अनुपात से यदि पीछे से शुरू से लेकर इस प्रकार का प्रबन्ध किया होता तो आज यह बात दिन भर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने गणना की है इसकी। कितना होता है, कोई कर ले। उनको देखकर हमारी सबकी लालसा हुई, जिसमें विशेष तौर पर मेरे प्रतिपक्ष के मित्रों की कि क्यों नहीं हम सस्ती लोकप्रियता हासिल कर लें।

श्री अध्यक्ष : खास तौर से हेमारामजी की।

श्री तगाराम चौधरी : हेमारामजी बोले नहीं। माफ करेंगे बगैर बोले किसी पर आरोप लगाना तो ठीक बात नहीं है। (व्यवधान) नहीं, नहीं बोले।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा नाम ले दो।

श्री तगाराम चौधरी : लोकप्रियता की इतनी इच्छी हो गयी। इस बात को देखकर और दूसरी सुविधाओं को देखकर कि पुलिस के लिये यह भी किया जायेगा, यह भी किया जायेगा और बजट में बढ़ोत्तरी की गयी है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि करने की इच्छा है और कर रहे हैं। बात आती है अपराधों की और पुलिस की। जितने विभाग हैं उनमें सबसे ज्यादा पुलिस की जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी भी किस तरह की है कि अपराधी बचे नहीं और निरपराध फंसे नहीं। बड़ी तलवार की धार पर चलना पड़ता है पुलिस को। गृह मंत्रीजी का जहां तक सवाल है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा, बजट के लिये तो बहुत-बहुत बधाई दूंगा ही परन्तु आपके माध्यम से, लेकिन मुख्य मंत्री महोदय ने गृह मंत्री भी इस राजस्थान को एक प्रतिभावान और होनहार, अनुभवी नेता, जिनको यह विभाग सौंपा। परन्तु यह जो सारा दोष है जनसंख्या का है। भारत की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या इस कदर बढ़ रही है जिसका कोई उपाय नहीं है। इससे बेरोजगारी जन्म लेती है और बेरोजगारी से फिर कुप्रवृत्तियां तरह-तरह की, हरेक के मन में विचार आते हैं और इस प्रकार के धन्धे करते हैं। कोई तस्करी भी करता है, कोई और कुछ करते हैं। पेट पापी है इसलिये फिर अपराध होते हैं और अपराधों को पुलिस रोक रही है। आज दिन भर की बहस में यह आया कि नकबजनी कह दें या घरफोड़ा कह दें, उनके अपराधों में बहुत कमी आई है।

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे 18 महीना। 18 महीनों पर उनका जोर ज्यादा था। मैं यह कहूं कि महीने तो 16 ही हुए हैं और उनमें से भी 6 महीने वह आचार संहिता जिसने काम करने नहीं दिया सरकार को और आप तो यह कहना चाहते हैं कि महज 10 महीनों में सब का सब कर देना चाहिए था। पुलिस में नफरी भी बढ़ा देनी चाहिए थी और सड़कें नहीं बनीं वह भी बना देनी चाहिए थीं, बिजली नहीं आयी वह भी कर देनी चाहिए थी, पानी का प्रबन्ध भी कर देना था, यह भी कर देना चाहिए था। सारा का सारा यह जादुई कार्य है वह इस सरकार का ही जिम्मा बन गया। पांच साल आप थे और अब आपको तो दस महीने भी 18 महीने लगे हुए दिख रहे हैं क्योंकि आपको ज्यादा दिख रहा है। आपको ज्यादा लालसा हुई है और लालसा होने का भी सीधा-सा अर्थ है कि उन पांच सालों में आपने केवल राज किया। यह मैं कह सकता हूं, केवल राज किया। नौकरियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया। दिनभर कह रहे थे वायदे पूरे नहीं कर रहे हैं, वायदे पूरे करो नहीं तो यों हो जायेगा, वह हो जायेगा। वायदे तो किये थे कि नौकरियां देंगे और फिर नौकरियां नहीं देकर प्रतिबन्ध अवश्य लगाया। यह कहा कि

(श्री तगाराम चौधरी)

राजस्थान सरकार खुद क्या मिला रही है भारत सरकार के अनुपात में तो पिछले में क्या मिलाया, वह तो सारी जनता जानती है, आप सब जानते हो और आज तक जो सरकार रही है वह ज्यादा वर्षों तक रही है, उन्होंने क्या किया? विकास के कार्यों को यदि किसी दल की सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के बड़े-बड़े काम हैं, वह इस सरकार में होने शुरू हुए हैं और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जो इमारतें बनी हैं, सड़कें बनी हैं, पानी की पाइप लाइनें निकली हैं, काम के बदले अनाज योजना, अन्त्योदय योजना इस तरह की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी की देन है और यदि देशभक्ति की कहूं तो मुझे कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी देशभक्त पार्टी है।

आज यह कहते हैं कि भारत में क्या हो गया, केन्द्र की सरकार कैसे नहीं बनी तो कितना फर्क रहा था? बहुत कम अन्तर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सात मिनट हो गये हैं पांच मिनट के बजाय, अब कृपया आप समाप्त करें।

श्री तगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में पूरा करूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां, एक मिनट और बोलें।

श्री तगाराम चौधरी : दिनभर का थका हुआ हूं, मैं इन्तजार करता रहा। मेरा कटमोशन पर ऊपर ही ऊपर नाम था लेकिन दुर्भाग्यवश पता नहीं क्यों नहीं नम्बर आ रहा था।

श्री अध्यक्ष : हां, कह दो। एक मिनट और कह दीजिए।

श्री तगाराम चौधरी : मैं पुलिस के बारे में और ज्यादा कुछ नहीं कह कर के इतना ही निवेदन करूंगा कि मेरे वहां पर भी बाड़मेर का सिटी कोतवाली थाना है, उसका भी भवन अब तक पूरा बन नहीं पाया है, उसके लिए भी, गृह मंत्रीजी, से अनुरोध करूंगा कि आप कुछ बजट का प्रावधान करवाएं और महिला पुलिस थाना बाड़मेर में जिला मुख्यालय पर तो किसी सूरत में आप स्थापित करें। सीमावर्ती जिला है और पिछड़ा हुआ जिला है इसलिए महिलाओं को भी वहां पर प्रोत्साहन मिलेगा। किसी के कोई अपराध हुआ तो वह जाकर सुनवाई करने के लिए अपनी बहनों के पास सब कुछ

(श्री तगाराम चौधरी)

कह सकती हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि एक महिला पुलिस थाना बाड़मेर मुख्यालय पर भी हो।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। बढ़िया, बढ़िया। अब धन्यवाद्।

श्री तगाराम चौधरी : एक छोटी सी बात और है कि टेलीफोन की व्यवस्था का मैंने गत वर्ष भी निवेदन किया था और अभी भी करूं कि गेड़ा पुलिस स्टेशन है या उधर बीजड़ार है, इन पुलिस स्टेशनों में टेलीफोन नहीं है, इसमें तो ज्यादा लम्बा चौड़ा बजट भी नहीं चाहिए तो इस तरह की व्यवस्था करावें।

अध्यक्ष महोदय, वेतन बढ़ाने की, सुविधाएं बढ़ाने की और वाहनों की यह सारी आवश्यकताएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वसुन्धराजी के नेतृत्व में जिस कदर दो बजट लाये हैं और कटारियाजी के गृह मंत्रित्व में पुलिस आगे बढ़ेगी, पुलिस का विश्वास जमेगा और हम सब उसमें भागीदार होंगे।

मैं यह भी निवेदन कर दूं कि मेरी कर्म स्थली कहूं तो बायतू है, जहां पर उस थाने में कम से कम अपराध हैं। यह जनता के और पुलिस के मेलमिलाप का द्योतक है।

श्री अध्यक्ष : बस, हो गया अब आपका।

श्री तगाराम चौधरी : और पुलिस इस वक्त की पुलिस है, वह पहले की पुलिस की तरह नहीं है। पुलिस में भी बदलाव आया है, आयेगा। मेरे को आपने, अध्यक्ष महोदय, समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल खटीक। इनका कोई वो तो है नहीं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) : परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं बहुत देर से इन्तजार कर रहा था और आपका बहुत-बहुत एक मातृत्व आशीर्वाद रहा कि मेरा क्रम आया।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व की कांग्रेस सरकार के पांच साल में जो अपराध बढ़े थे, उस कांग्रेस का दूसरा नाम ही अपराध था और टोटल, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अमन और शान्ति है, चैन है उतना शायद कांग्रेस के गये पांच सालों में नहीं था।

श्री अध्यक्ष : बढ़िया, इसीलिए।

श्री बंशीलाल खटीक : अध्यक्ष महोदय, इनकी तो एक ही भावना थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फसाना, उनको परेशान करना, यही इनका मूल कर्तव्य बना रहा।

अध्यक्ष महोदय, इनके पांच साल के राज में कितनी साम्प्रदायिक घटनाएं घटीं जिसका रिकार्ड आज दिन तक इतिहास में किसी ने नहीं तोड़ा।

अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं। हमारे राजसमन्द जिला मुख्यालय है और उस मुख्यालय पर गणेश चतुर्थी का आयोजन होता है। गणेश चतुर्थी की जब शोभा यात्रा निकल रही थी, शांति से निकल रही थी, उस शोभा यात्रा के ऊपर मुस्लिम लोगों ने पथराव किया और पथराव कर हमारे राजसमन्द जिले की शांति को बिगाड़ा। जिन्होंने अपराध किया उन मुस्लिम लोगों को संरक्षण देने के लिए हमारी माननीय गिरजा व्यास उनके घर पर उनको सांत्वना देने गयीं। उसमें एक हिन्दू बन्धु बैठा था तो उन्होंने कहा कि मेरी सैपरेट बात है, तुम चले जाओ।

श्री अध्यक्ष : आपको मैं पांच मिनट से ज्यादा नहीं दूंगी समय क्योंकि आपका कोई भी कटमोशन नहीं है। अब गलती से नाम बोल दिया मैंने, हां।

श्री बंशीलाल खटीक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम दे दिया था आपके मुख्य सचेतकजी ने इसलिए बोल दिया।...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : मैंने कट मोशन दिया था, अध्यक्ष महोदय। इसमें नहीं आया तो मेरी गलती नहीं है। तीन-चार दिन पहले दिया था कटमोशन।

श्री अध्यक्ष : हां, तो आपने कटमोशन दिया होगा वह ग्राह्य नहीं हुआ। वह आपने समय के बाद दिया है।

श्री बंशीलाल खटीक : अब यह तो मेरी गलती नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपने समय के बाद दिया इसलिए आपका कटमोशन ग्राह्य नहीं हुआ।

श्री बंशीलाल खटीक : अध्यक्ष महोदय, हमारे राजसमन्द जिला मुख्यालय के कई कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमें बनाये और आज भी वह लोग परेशान हैं। हमने गृह मंत्रीजी को उनके बारे में पत्र दिया है और आवेदन किया कि उनको राहत दी जाए पर गृह मंत्रीजी, हमारे इतने ईमानदार और अनुभवी गृह मंत्री हैं कि उन्होंने सीधा-सीधा यही कहा कि मैं न्याय करूंगा, पक्षपात नहीं करूंगा। यदि उनके भी अपराध बनेंगे तो मैं उनका सहयोग नहीं करूंगा। यह हमारे गृह मंत्रीजी ने हमें कहा है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे गृह मंत्रीजी के ऊपर यह आरोप लगा रहे थे कि वह उस केस में मिले हुए थे, बात हुई, बिना तथ्य के आरोप लगाना इस सदन की गरिमाओं के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक इन्होंने मेरी भावनाओं को नहीं जाना है, जब फुर्सत से मेरी भावनाओं को जानेंगे तब आपको खबर पड़ जायेगी कि हम क्या हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, बंशीलाल खटीक क्या चीज है।

श्री बंशीलाल खटीक : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में...

श्री हेमाराम चौधरी : आप बार-बार कह रहे हो हमारे गृह मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी राजस्थान के हैं।

श्री अध्यक्ष : बोलने दें आप उन्हें बोलने दें।

श्री बंशीलाल खटीक : हमारे का मतलब आपको भी साथ ले रहा हूं हमारे, अल्प बुद्धि मत रखो पूरी बुद्धि रखो।

श्री तगाराम चौधरी : मेरा शब्द कोई कहेगा तो वो अलग है।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजो।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के पांच साल के राज में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक जगपुरा गांव पड़ता है उस जगपुरा गांव में कई अवैध कारोबार होते हैं। वहां विदेशों से उनके तार जुड़े हुए हैं। उन लोगों ने उनके त्यौहार के ऊपर, उस जगपुरा में मुसलमान ही ज्यादा रहते हैं, उस त्यौहार के ऊपर एक गौ हत्या की गयी और गौ हत्या करके उसका मांस भक्षण करके उसका चमड़ा और हड्डियां चारभुजाजी की ड्योढ़ी में गाड़ने का काम किया, हमारे हिन्दू समाज को अपमानित किया। अब हमें दबाया जाता है, हम साम्प्रदायिक हैं, हम ऐसे हैं। हम कैसे साम्प्रदायिक

(श्री बंशीलाल खटीक)

हैं? जब यह इस प्रकार की बातें करते हैं, हमें दबाते हैं तो भी हमें साम्प्रदायिक कहते हैं। हम राम मन्दिर की बात करेंगे, बनाएंगे धारा 370 हटाने की बात करेंगे और समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो भी आप हमें साम्प्रदायिक कहते हो। यदि इन सब बातों के बाद आप हमें साम्प्रदायिक कहते हो तो मैं इस भरे पवित्र सदन में कहता हूं हां मैं साम्प्रदायिक हूं, साम्प्रदायिक हूं, साम्प्रदायिक हूं... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इनके द्वारा हो रहे कांग्रेस के राज में भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर अत्याचार करना, त्रिशूल पर प्रतिबन्ध लगाना, हमारे माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया को गिरफ्तार करके उनकी हत्या की साजिश रचना...

श्री अध्यक्ष : आप तो अपने कटमोशन पर बोलो।

श्री बंशीलाल खटीक : इन लोगों का हाथ था माननीय अध्यक्ष महोदया, पूर्व के राज की पुलिस के संरक्षण में हो रहा था। पुलिस से सम्बन्धित है इसलिए मैं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुआ।

श्री बंशीलाल खटीक : जब यह बात हुई कि माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया की इस प्रकार की साजिश रची जा रही है तो वहां से माननीय नरेन्द्र भाई मोदी ने कहा अशोकजी गहलोत अपने हिसाब से रहो और माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया के ऊपर कोई असर हुआ तो तुम बच नहीं पाओगे उसके बाद में प्रवीण भाई तोगड़िया का सम्मान और सुरक्षा हुई।

श्री अध्यक्ष : आप प्लीज समाप्त करें।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाथ जोड़ता हूं मुझे आज समय दें।

श्री अध्यक्ष : आपका कोई कटमोशन तो था नहीं।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार में पुलिस जनता समान कार्यक्रम रखे गये। बहुत ही सफल हुए, जन सहभागिता रही और हमारे माननीय गृह मंत्रीजी के आदेशों पर हमारी राजसमन्द पुलिस द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, नशा मुक्ति शिविर लगाया गया।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बयान करने दें हकीकत। आज जिस पुलिस से लोग डरते हैं तो पुलिस ने वहां रक्तदान शिविर लगाकर जनता के बीच ऐसा सम्मान पैदा किया कि पुलिस से जनता डरे नहीं और नशा मुक्ति शिविर लगाया गया दस दिन। माननीय अध्यक्ष महोदय, नशेड़ी, राजसमन्द मेरा जिला मुख्यालय है इस प्रकार की लत में युवा वर्ग पड़ा हुआ था। तो हमारी पुलिस ने वहां ज़ाकर चयनित करके पुलिस संरक्षण में उनको दस दिन रखा और उनकी नशा मुक्ति करवाई।

श्री अध्यक्ष : बस वह नशा मुक्ति करवा दी अब आप समाप्त करें।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़े सुझाव पुलिस में हैं...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें अब आप।

श्री बंशीलाल खटीक : मेरी राजसमन्द विधान सभा पुलिस लाइन है। उस पुलिस लाइन की चारदीवारी की आवश्यकता है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : हां, वह चारदीवारी बन जाएगी बस।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाथ जोड़ता हूं, उस पुलिस लाइन की पूरी चारदीवारी बनाई जाए। सभी पुलिस थानों में पेयजल की व्यवस्था की जाए और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब कारागार के बारे में मैं बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष : आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री बंशीलाल खटीक : कारागार में जो कैदी आते हैं जो भी कैदी है सजा काटने के बाद और अन्दर आने के पहले, बीच में जो इनको समय मिलता है कैदियों का उनके ऊपर ऐसी व्यवस्था की जाए कि सजा काटने के बाद बाकी के जीवन में संयमित जीवन बिताएं। अपना गृहस्थ जीवन अच्छा बिताएं, अपनी सही जिन्दगी बिताएं ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जाएं।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बंशीलाल खटीक : एक माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस का यह धर्म होना चाहिए कि कोई मुकदमा यदि करने आए, दोनों पार्टियां आती हैं तो पुलिस का यह होना चाहिए दोनों पार्टियों को बैठाकर समझाए और वहीं समझौता कराने की कृपा करावें ताकि मुकदर्मेबाजी ज्यादा बढ़े नहीं। वह गरीब लोग अज्ञानतावश मुकदमें में फंस जाते हैं, वकील करते हैं बरबाद हो जाते हैं और लम्बा केस चलता है। इसलिए प्रथम दृष्टया वहीं मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको समझाया जाए ताकि हमारे मुकदमें कम हों और मुकदमों की ज्यादा भीड़ नहीं लगे। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द। वन्दे मातरम।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल नागर।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, रिप्लाई कराओ, साढ़े दस बज रहे हैं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : आप तो बहुत लम्बा बोल लिए एक घंटा और अब साढ़े दस दिख रहे हैं आपको।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं तो नहीं बोला ज्यादा। अब रिप्लाई कराओ।

श्री अध्यक्ष : केवल पांच मिनट का समय है।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, पहले ही मेरा नाम बहुत ऊपर था आखिरी में नम्बर आया है।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम आपके ही सचेतक ने कटवा कर के भरत सिंहजी का नाम लिख दिया है।

श्री बाबूलाल नागर : +++

श्री अध्यक्ष : यह मेरे पास चिट है।

श्री बाबूलाल नागर : + + + यह भी। अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 पर...

डा. एन. एस. गुर्जर : यह + + + शब्द तो निकाल दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या साख है आपकी, क्या मान और सम्मान पाया है।

श्री जुबेर खान : आसन से कोई व्यवस्था हो गयी मैं उस पर कुछ बोल तो सकता नहीं क्योंकि मेरा तो मुंह बन्द है +++

श्री बाबूलाल नागर : चलो कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सत्यता नहीं है, यह आप इस तरह से आसन के ऊपर जो लगा रहे हैं इल्जाम, बहुत गलत है। यह कटा हुआ है मैं इसको यहां सदन की मेज पर रख रही हूं। यह बहुत गलत बात है। एक तो आप यह करें और करने के बाद यह कहें।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आठवें नम्बर पर इनका नाम है कटकर भी। बाबूलाल नागर का नाम था पांचवें नम्बर पर भरतसिंह का था आठवें पर...

श्री अध्यक्ष : पांचवें नम्बर पर है आपने ही काटकर किया है।

श्री जुबेर खान : और बाबूलालजी को ग्यारहवें नम्बर पर बुलवाया जा रहा है। यह तो रिकार्ड है।

श्री अध्यक्ष : यह भी रिकार्ड है जो आप ही का दिया हुआ है। आप ही के दस्तखतों से है। यह भी रिकार्ड है यह बहुत गलत बात है कि आप इस तरह से अपने बचाव के लिए आसन के ऊपर आक्षेप लगाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अनुसूचित जाति के माननीय सदस्य के साथ आप एक तरह से अन्याय कर रहे हो। एस.सी. के माननीय सदस्य के साथ अन्याय है।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको बहुत सीरियसली लेती हूं।

श्री भागीरथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, नागर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनके साथ अन्याय हुआ है, + + + हुई है इनको इस्तीफा दे देना चाहिए (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है माननीय रामगढ़ से आने वाले सदस्य ने जो आसन के बारे में कहा है वह भी और जो माननीय सदस्य ने सचेतकजी के बारे में कहा है वह भी जरा आप इस कार्यवाही से निकलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : उनकी पार्टी की वो जाने वो क्या कहें क्या न कहें।

डा. एन. एस. गुर्जर : दोनों ही निकलवा दें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : आसन के ऊपर इस तरह का आक्षेप लगाना, मैं इसे बहुत गम्भीरता से लेती हूं क्योंकि मेरे पास रिकार्ड है।

डा. एन. एस. गुर्जर : हां वह निकलवा दीजिए, कार्यवाही से निकलवा दीजिए। कार्यवाही से निकलवा दें आप।

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं ही काटें और स्वयं ही इस तरह का आक्षेप आसन पर लगाएं यह बिलकुल उचित नहीं है।

डा. एन. एस. गुर्जर : यह कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह गैर जिम्मेदाराना है आप पहली बार कोई थोड़े ही (व्यवधान) कितने जिम्मेवार हैं यह पता लगता है।

श्री जुबेर खान : आपको अगर मेरे कुछ कहने से ...(व्यवधान) एक मिनट सुन तो लीजिए। अगर आसन को कोई ऐसा लगा हो कि मैंने कोई गलत बात कह दी हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, वापिस लेता हूं अपने शब्द लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यहां कुछ नहीं आपसे चैम्बर में कल आकर बात करूंगा।

डा. एन. एस. गुर्जर : आप भी वापस ले लें।

श्री बाबूलाल नागर : खतम हो गई, समाप्त हो गई बात।

श्री श्रवण कुमार : इतनी देर में तो बोल ही लेते यह। इस विधान सभा में साढ़े दस बजते ही सब लोगों की आंख खुलती है ...(व्यवधान) संयम लोढ़ा ने कुछ कह दिया (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, हमारे सचेतक महोदय ने +++। मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनना ही नहीं चाहते मैं क्या करूं। साढ़े दस बज गये हैं कब तक बैठेंगे। माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 पर...

श्री अध्यक्ष : मैं आपको पांच मिनट का समय दे रही हूं। पांच मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चर्चा में अपनी बात कही मैं वो तो नहीं दोहराना चाहता। यह बात सही है काम करने के लिए वातावरण की आवश्यकता है। सभी सदस्यों ने पुलिसकर्मियों के सम्बन्ध में चाहे स्कूल की बात हो, चाहे भत्ते की बात हो, चाहे वर्दी भत्ते की बात हो, रसोई भत्ते की बात हो सबने इसके बारे में चर्चा की है। निश्चित रूप से जब व्यक्ति घरेलू परेशानी से दूर रहता है या उनके बच्चों को अच्छा वातावरण मिलता है तो वह अपनी ड्यूटी को अंजाम अच्छा देता है अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से थोड़ा सा यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले एक साल में 1400 पुलिसकर्मियों पर हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती के प्रकरण दर्ज हुए। मैं चाहूंगा निश्चित रूप से गृह मंत्रीजी, संवेदनशील हैं और इसलिये यह पुलिस महकमे में कुछ करना चाहते हैं तो आज जिस तरह से पुलिसकर्मियों में फ्रस्टेशन है, जो रक्षक ही भक्षक बन जाएं, 1200 पुलिसकर्मियों पर कोई साधारण मुकदमे नहीं हैं। हत्या, डकैती, बलात्कार, चोरी के 1400 मुकदमे पुलिसकर्मियों पर हैं। इस तरह के प्रकरण दर्ज हैं तो निश्चित रूप से विभाग के चिन्तन करने की आवश्यकता है। कहीं सिपाही ने अस्मत लूट ली। कहीं खाकी वर्दी वालों ने डाका डाल दिया। पुलिस धक्का लगाती रह गयी लुटेरे कार लेकर चल दिये। पुलिस ने मांगी एण्ट्री, जनता ने कर दी नो एण्ट्री।

अध्यक्ष महोदय, मैं खुद एक बार दूदू जा रहा था मेरे क्षेत्र में तो भांकरोटा के चौकी के कार्य क्षेत्र में एक जीप वाला जा रहा था, पुलिस वाले ने उसे कहा बन्दी नहीं दी, डण्डा मारा, उसके खून आ गया। एक डेढ़ घण्टे तक रास्ता जाम रहा। यह कोई सरकार नहीं कराती इस तरह के अपराध। मैं समझता हूं कोई भी सरकार चाहे हत्या, डकैती, बलात्कार, दलित अत्याचार नहीं कराती है। लेकिन दूसरे दिन 2-3 दिन बाद मैंने अखबार में पढ़ा जिस सिपाही ने इस तरह का वाक्या किया। ग्रामीण पुलिस तो कहती है वह शहर पुलिस का सिपाही है और शहर पुलिस कहती है कि वह ग्रामीण पुलिस का सिपाही है। बड़े अफसोस की बात है अध्यक्ष महोदय, कि पुलिस का एक सिपाही वहां ड्यूटी पर कार्यरत है और पुलिस महकमे को यह पता नहीं कि वह शहर पुलिस का है, ग्रामीण का है, ट्रैफिक का है? उसकी वर्दी की बात आयी। नीली वर्दी है कि खाकी वर्दी है? जो घायल हो गया और हास्पिटल में भर्ती है उसने कहा कि खाकी वर्दी वाले ने मुझे डंडा मारा। कोई भी सरकार कोई इस तरह के अपराध नहीं कराती है लेकिन निश्चित रूप से मैं चाहूंगा जिस तरह का मन गृह मंत्रीजी का, इस गृह विभाग पर जिस तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इन सबसे हटकर निश्चित रूप से आपकी मंशा अच्छी है, अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन गृह मंत्रीजी, आप तो इस तरह से अपने पुलिस

(श्री बाबूलाल नागर)

महकमे में चाहे कोई रिफ्रेशिंग कोर्स करो, या कोई इनको प्रशिक्षण दो। मुझे अभी लग रहा है, अभी भी अहसास हो रहा है कि आपकी भावना का ज्यादा फर्क, ज्यादा प्रभाव पुलिस विभाग पर पड़ा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, पूर्व वक्ताओं ने बातें करी दलित अत्याचारों की। कांग्रेस के हम पांच लोग जीते हैं शिड्यूल कास्ट में। 28 लोग भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। सब लोग जानते हैं यू.एन.ओ. में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत में दलित अत्याचार बढ़े हैं, इस बात की चर्चा हुई। यू.एन.ओ. में इस बात की चर्चा हुई...

श्री अध्यक्ष : अन्तरराष्ट्रीय मुद्दों पर मत जाओ, आप कटमोशन पर आओ।

श्री बाबूलाल नागर : मैं कटमोशन पर आ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। दलित अत्याचारों की चर्चा हुई और उसमें भारत में राजस्थान अग्रणी राज्यों में है जहां दलित अत्याचार ज्यादा हुए। गृह मंत्रीजी ने जो हमें उपलब्ध कराया है, बड़ा मुझे अफसोस है 2004 में राजस्थान में 173 एस.सी., एस.टी. के मुकदमे दर्ज हुए। मेरे बहुत से साथियों को सुनकर दुख होगा कि 117 एस.सी., एस.टी. के मुकदमों में एफ.आर. लग गयी। 74 परसेंट मुकदमे पुलिस ने एस.टी., एस.सी. के झूठे पाये। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा गृह मंत्रीजी, 74 प्रतिशत...

श्री अध्यक्ष : सम्पर्क कर लेना उनसे।

श्री बाबूलाल नागर : 173 मुकदमे दर्ज हुए उसमें 117 मुकदमों में 2004 में पुलिस ने एफ.आर. लगायी। मैं चाहूंगा गृह मंत्रीजी, आप कोई विभाग में इस तरह का प्रशिक्षण करें कि गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति विभाग के अधिकारी संवेदनशीलता का मन रखें। दलित अत्याचारों की बात कोई भी सरकार नहीं कराती। हमेशा गृह मंत्रीजी भी कहते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, बी.जे.पी. की सरकार रही।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं पिछले दिनों पोलोविक्ट्री पर एक विधायक के साथ, दुकानदारों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ। कोई सरकार ने, पुलिस ने लड़ाई झगड़े नहीं कराए। लेकिन अफसोस की बात है कि दुबारा दो दिन बाद वापस उसी बाजार में उन दुकानदारों के साथ मारपीट हो, गृह मंत्रीजी, यह जरूर चाहूंगा कि वाक्या तो हो गया। वह कोई पुलिस ने नहीं किया, आपने नहीं किया, मैंने नहीं

(श्री बाबूलाल नागर)

किया। हो गया जैसे होना था लेकिन दुबारा वह अपराध की पुनरावृत्ति हो, मैं समझता हूं इसमें पुलिस को चिन्तन करने की आवश्यकता है।

अभी किसी ने कहा निवाई में एक हरिजन को घोड़ी से उतार दिया। राजस्थान में पहले भी उतारते रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आपकी सरकार आने पर ही उतार रहे हैं, इससे पहले भी उतारा है लेकिन...(व्यवधान) मैं जो कह रहा था वह सुनिये। सुनिये आप। उसी जगह...

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिस समय बनवारीजी उप मुख्य मंत्री थे तब की बात है। तब ही की बात है ना? निवाई की जब बनवारी लालजी वहां के एम.एल.ए.... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, हरिजन बारात के दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया लेकिन उसी गांव में दुबारा फिर हरिजन को घोड़ी से उतार दिया जाता है, यह अफसोस की बात है...

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : हरिजन शब्द असंसदीय है। असंसदीय शब्द है हरिजन को माना गया है...

श्री बाबूलाल नागर : दलित परिवार के व्यक्ति को, अभिजाति व्यक्ति को एक ही जगह गृह मंत्रीजी, आप बहुत संवेदनशील हैं। एक बार वाक्या हो गया, दुबारा उसी जगह वाक्या होना मैं समझता हूं कि यह पुलिस विभाग के लिये चिन्तन की बात है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों बगरू थाने में एक प्रकरण दर्ज हुआ। बंसल फार्म, कोई नीमेड़ा में एक फार्म हाउस ढह गया उसमें कुछ लोग मर गये...

श्री अध्यक्ष : आप आठ मिनट बोल चुके हैं, अब मेहरबानी करके एक मिनट में बात समाप्त कर दें।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, बहुत मुश्किल से मेरा नम्बर आता है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि एक ही सबसे कमजोर वर्ग की मैं बात करना चाह रहा हूं और उस कमजोर वर्ग की बात भी अगर इस सदन में दबायी जाती है तो मैं समझता हूं राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा है। गृह मंत्रीजी से मैंने खुद ने कहा

कि मजदूर जो काम कर रहे थे जिसका बाप मर गया, जिसके भाई मर गया, उस व्यक्ति को पुलिस से मिलीभगत करके ठेकेदार बना दिया। गृह मंत्रीजी ने इमीजियेट एक्शन लिया। उसी समय एस.पी. साहब को कहा कि इतना बड़ा अन्याय कैसे हो रहा है? मुझसे यह विधायक मिले हैं। एक मजदूर को आपने मालिक बना दिया है। उस मजदूर की तो बचत हो गयी अध्यक्ष महोदय। उस मजदूर को तो बन्द कर दिया लेकिन उस प्रकरण से वह हट गया। जब इस तरह की बात गृह मंत्रीजी के दखल के बाद ठीक हो रही है इसके बावजूद भी उस...

श्री अध्यक्ष : वह झमेला छोड़ो आप तो। अब आप बात समाप्त करिये।

श्री बाबूलाल नागर : फार्म हाउस के मालिक को मुजरिम नहीं बनाया गया। मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाह रहा हूं पिछले दिनों पावटा में...

श्री अध्यक्ष : अब आप कब तक करेंगे निवेदन। माननीय सदस्य, अब सुनना नहीं चाहते मंत्रीजी का उत्तर तो...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : कोई बात नहीं लेकिन मुझे बोलना है। यह नहीं बोलना चाहते लेकिन मुझे बोलना है यह नहीं सुनना चाहते तो। मैंने सुना है इनको। सुबह से तो आज हिला ही नहीं हूं, सुबह से यहीं बैठा हूं। पावटा...

श्री अध्यक्ष : आपको भी सुन रहे हैं ना सब।

श्री बाबूलाल नागर : पावटा में एक दलित परिवार के लड़के को, पढ़े लिखे नौजवान को उसका विवाह हुआ। उसमें कलक्टर महोदय से मिले, एस.पी. महोदय से मिले और घोड़ी पर बैठकर निकासी नहीं करने दे रहे थे। पुलिस ने पूरी व्यवस्था करी। अध्यक्ष महोदय, उसकी निकासी निकल गयी लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं जो गांव के बीच में मन्दिर आता है उसमें वह दलित व्यक्ति हाथ नहीं जोड़ पाया। मैं चाहूंगा गृह मंत्रीजी यह चिन्ता की बात है। आपने पुलिस की पूरी व्यवस्था कर दी।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर : मैं कनक्लूड करता हूं...(व्यवधान) आज कहां-कहां दलितों के साथ अत्याचार नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष : आपने 10 बजकर 39 मिनट पर शुरू किया था भाषण।

श्री बाबूलाल नागर : कानून व्यवस्था की चर्चा करूंगा, अध्यक्ष महोदय, खतम कर रहा हूं। एक मिनट मैं. मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बात कही हैं। अभी बूंदी से आने वाली सदस्या ने जिस तरह की बात कहीं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूर्व वक्ताओं की बात छोड़िये, आप अपनी बात कहिये।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, हास्पिटल में आज अत्याचार हो रहे हैं, स्कूल में बलात्कार, मन्दिरों में बलात्कार...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आप कहना क्या चाह रहे हो...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : आपको एस.सी., एस.टी. की बात अच्छी नहीं लग रही... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मैं कहूं क्या? माननीय गृह मंत्रीजी, मैं एक बात कहता हूं चैलेंज के साथ यह एस.सी., एस.टी. की बात करते हैं ना, हमारे चिड़ावा के अन्दर से ही गांव में एक धानका ने एक सुनार की जमीन पर 6 महीने से कब्जा कर रखा है और जब कोई आदमी जाता है तो बोलता है कि एस.सी., एस.टी. का मुकदमा बनवा दूंगा और मैं चैलेंज करता हूं...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अभी 28 मैम्बर हैं शिड्यूल्ड कास्ट के, ताली बजाने वालों।

श्री श्रवण कुमार : अगर यह बात सही नहीं हो तो इस्तीफा दे दूंगा।

श्री बाबूलाल नागर : इस बात को समझना आप, 173 मुकदमे दर्ज हुए हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप समाप्त करें...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : 2004 में 172 में एफ.आर. लगी है।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें। दूदू से आने वाले माननीय सदस्य... (व्यवधान) अब कृपया समाप्त करें...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : गृह मंत्रीजी, आप इसकी जांच करवा लें। अगर एक बात भी असत्य हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और क्या चाहिये आपको...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : सही क्या है, मैं कहता हूं महावीरजी, अगर एक बात भी गलत हो, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, गृह मंत्रीजी, मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप सुबह सूरजगढ़ थाने से मालूम करवा लें। पांच बार उसके पास थानेदार जा आया और वह आदमी काबू में नहीं आता। मैं कहता हूं कागज मंगवा लीजिए, अगर उसमें असत्य हो तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा। राजस्थान में कितने बलात्कार होते हैं, मैं कहता हूं 50 प्रतिशत बलात्कार झूठे होते हैं।

श्री बाबूलाल नागर : एक आदमी ने अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है इसका यह मतलब नहीं है कि पूरे राजस्थान में ही शिड्यूल्ड कास्ट के लोग झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं।

श्री श्रवण कुमार : मैं हिन्दू के पक्ष में हूं। लेकिन इस तरह के अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। किसी गैर जाति के साथ में अन्याय हो रहा है यह मैं बरदाश्त नहीं कर सकता हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करें अपना भाषण...(व्यवधान) मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मैं इस बात को मानता हूं कि अत्याचार होते हैं परन्तु मैं यह भी मानता हूं कि इसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है...(व्यवधान) यह भी कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : रात के 11 बजने आये हैं। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से क्षमा मांगते हुए माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन कर रही हूं कि वह जवाब दे...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अगर अन्याय होता है। यह चाहे जाट के साथ हो, चाहे ब्राह्मण के साथ हो, चाहे मुसलमान के साथ हो, अन्याय, अन्याय ही होता है... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि आप जो भी

(श्री बाबूलाल नागर)

व्यवस्था दें वह शिरोधार्य है। लेकिन सबके साथ बराबर का, समानता का व्यवहार होना चाहिए। कोई एक घंटा बोलता है। किसी को दस मिनट बोलने का अधिकार नहीं है। यह हमारी जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है इस सदन में...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमें भी अधिकार है बोलने का।

श्री सुरेश मीणा : अध्यक्ष महोदय, हम भी तो बैठे हुए हैं...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, हमने सुना है एक-एक घंटे तक, आधा-आधा घंटा सुनना पड़ेगा सदन को हमें भी...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, कोई माननीय सदस्य अपना वक्तव्य पूरा नहीं करता है उससे पहले ही बैठा देते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप देखिये, 10.39 पर शुरू किया था।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपको कनक्लूड तो करने दें।

श्री अध्यक्ष : अब आप समय देखें क्या समय है। आखिर कोई हद है किसी चीज की।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उनको कनक्लूड करने दें...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : अध्यक्ष महोदय, हम भी तो बैठे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट का समय दिया था। अब आप समय की सीमा में नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूं...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : हमें बोलने का हक नहीं है क्या यहां...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कर दिया ना दस मिनट...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : क्या अनुसूचित जाति की बात करते हो...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की मांग पर रात को एक-एक बजे तक भी चर्चा हुई है इस सदन में। अगर कोई माननीय सदस्य दो-दो मिनट बोलना

चाहता है तो मौका मिलना चाहिए। आज सुबह से इसलिए बैठे हैं कि बोलने का नम्बर आयेगा...(व्यवधान) आप दो-दो मिनट सबको बोलने दें, क्या बात है इसमें, मंत्रीजी बैठे हैं जवाब देंगे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका नाम पुकारा गया था आप अनुपस्थित थे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं पुकारा गया, नहीं पुकारा गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह मेरी पुरानी पार्टी को तो टाइम दें, इनका समय है। इनको बुलवायें आप, दो-दो सदस्य हैं यह...(व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा : अनुसूचित जाति पर वैसे ही बहुत अत्याचार हो रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : रोज बोलना जरूरी थोड़े ही है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पार्टी का टाइम है, इनकी पार्टी बसपा का टाइम है। आप इनको बोलने दें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति रखें। श्री सुरेश मीणा। आप एक बार सब स्थान ग्रहण कर लें...(व्यवधान) आप भी स्थान ग्रहण करें। श्री सुरेश मीणा, मैं केवल पांच मिनट का समय दे रही हूं और इसके बाद में मैं मंत्रीजी का जवाब दिलाऊंगी और बाकी जो लोग अनुपस्थित रहे जब नाम पुकारा गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो नाम पुकारने पर नहीं रहे आइन्दा उनका नाम नहीं लिखा जाये।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा ना कि जिन लोगों का नाम पुकारा गया।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब कोई निवेदन नहीं है...(व्यवधान) श्री सुरेशजी।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है, आग्रह है कि मैं आपका समय नहीं लूंगा ज्यादा।

श्री अध्यक्ष : आपने कितना समय लिया है। 10.39 पर शुरू किया था (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, एक घंटा सुना है मैंने माननीय सदस्यों को, पौन-पौन घंटा सुना है माननीय सदस्यों को।

श्री अध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है आपका...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, कोई गरीब की बात करता है, गरीब की बात करने वाले को दस मिनट नहीं दिया जाता है बोलने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप आसन की परवाह करें नहीं, नियमों का पालन करे नहीं... (व्यवधान) आपने 10 बजकर 39 मिनट पर शुरू किया था। अब जरा समय देखें क्या हो रहा है।

श्री ज़ुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, हम लोग हाजिर हैं, हम लोग यही बैठे हैं। हमारा तो नाम ही नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष : आप शुरू कीजिये।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। आज सदन में पुलिस पर विचार-विमर्श चल रहा है। सुबह से हम यह बात सुनते आ रहे हैं कि आपके टाइम में ज्यादा अत्याचार हुए, आपके टाइम में ज्यादा अत्याचार हुए। यह अत्याचार केवल पुलिस नहीं करती है। यह हमारे जो नेता हैं और पुलिस है दोनों का चोली-दामन का साथ है।

अध्यक्ष महोदय, आज भारतीय जनता पार्टी का राज है। भारतीय जनता पार्टी के राज में लगाकर डी.जी. से और सिपाही तक माननीय गृह मंत्रीजी की अंगुली के इशारे पर चलते हैं...(व्यवधान) भैया, बोलने दो थोड़ा सा।

श्री अध्यक्ष : बीच में ना बोलें। व्यवधान नहीं डालें। बोलने दें उन्हें।

श्री सुरेश मीणा : मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी दंगे-फसाद आप पुलिस पर थोपते हैं लेकिन करवाते हम लोग हैं। आपके इलाके में जितने थानेदार लगे हुए हैं वह आपके कहे बगैर नहीं लगे हैं। सब आपके कहने से लगे हैं। आप जो कहते हैं वह

(श्री सुरेश मीणा)

उन्हें करना पड़ता है। इसलिए अकेली पुलिस को दोषी नहीं ठहरायें। सबसे बड़े दोषी हम हैं। इस सदन में बैठे हुए दोषी हैं। हमारी सरकार तो है नहीं, कभी तो कांग्रेस की सरकार बनती है, कभी बी.जे.पी. की सरकार बनती है और यह इस तरह के काम करते हैं। मैं हकीकत बात बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कल जैतारण गया, हम भी बाल-बच्चे वाले हैं। हमारे गृह मंत्रीजी के भी बाल-बच्चे हैं। कल जब मैं मोहन मेघवाल की मां से मिला, उसकी बीवी से मिला, उसके बच्चों से मिला तो उनकी हालत यह थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गये। इस देश को आजाद हुए 57 साल में यदि दलित समाज के लोगों के साथ यह अत्याचार होता रहा तो मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि आज तो यहां पर मुसलमान अल्पसंख्यक हैं लेकिन कभी हिन्दू अल्पसंख्यक हो जायेंगे। वह दिन दूर नहीं है जैसा कि जैतारण में मुझे देखने को मिला।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आरक्षण खतम हो जायेगा फिर आपका।

श्री सुरेश मीणा : कुछ नहीं होगा। जैतारण में जो देखने को मिला, मैं बता रहा हूं आपको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : फिर मजा नहीं आयेगा.. (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : हम नकली हिन्दू हैं नकली...(व्यवधान) आज गरीब लोगों को घोड़ी से उतार दिया जाता है। मन्दिरों में नहीं घुसने दिया जाता है। यह कैसे हिन्दू हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप तो हाथी पर बैठकर आये हो...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : यह हिन्दू कैसे हैं। इस चीज को मैं कहना चाहता हूं। हमारे साथ इस तरह का बरताव क्यों हो रहा है। जो भी दंगे-फसाद हुए वहां पर एस.सी., एस.टी. के जो अधिकारी थे उनको यहां से हटा दिया गया है और वहां पर जो दूसरे लोग थे, चाहे दोष हो लेकिन माननीय गृह मंत्रीजी ने उनके साथ कोई कार्यवाही नहीं की।

मैं कल की बात बताता हूं, अभी चार-पांच दिन पहले माण्डल में एक काण्ड हुआ, एडीशनल एसपी और डीवाई एसपी मुसलमानों के घरों को जलवा रहे थे खड़े होकर, एसपी आया, जब स्थिति ज्यादा खराब हो गई और सुधारने की बात की तो एसपी को हटा दिया, डीवाईएसपी और एडीशनल एसपी को नहीं हटाया। क्यों नहीं

(श्री सुरेश मीणा)

हटाया? उस दिन अखबारों में छपा था कि एडीशनल एसपी और डीवाई एसपी पर नेताओं का हाथ है जबकि जिस आदमी को हटाया है वह भी एक नेता का रिश्तेदार है लेकिन वह नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए बोल नहीं सकता क्योंकि यहां पर एससी एसटी के माटी के मटोला बैठे हुए हैं इस विधान सभा में, माटी के मटोला, सारे के सारे माटी के मटोला बैठे हुए हैं। वह हक की बात नहीं कर सकते। इस सदन में हमारे साथ अन्याय होगा, यह तो बहुत बुरी बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं पुलिस के कानून में लिखा है कि एससी और एसटी की महिला के साथ बलात्कार होगा तो उसको इतना रुपया दिया जाएगा। इनाम देते हैं। इनाम मिलता है। यदि हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, क्या जनरल की बेटी, बहन के साथ बलात्कार नहीं होता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, वह पैसा नहीं दिया जाए और जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनके अंग भंग कर दिए जाएं, उनकी आंख फोड़ दी जाए, उनके हाथ काट दिए जाएं, इस प्रकार के प्रावधान होने चाहिए। पैसे से कभी किसी की इज्जत नहीं बचती है। बहन बेटी की इज्जत खराब हो जाती है वह पैसे से नहीं खरीदी जा सकती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछला सदन चल रहा था उस समय मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में कितने अधिकारी, थानेदार, कितने डीवाई एसपी हमारे लगे हुए हैं। माननीय गृह मंत्रीजी ने मुझे जवाब दिया कि यह कांग्रेस के टाइम का मामला है, हम अब लगाएंगे लेकिन हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ न्याय किया जाए, अन्याय नहीं किया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इतने तो लगे हुए हैं।

श्री अमराराम (गृह राज्य मंत्री) : जोधपुर में कौन है? बाड़मेर में कौन है? पाली में कौन लगा हुआ है? ऐसी बात नहीं है।

श्री सुरेश मीणा : कितने होने चाहिए? आप हमारे ऊपर कोई अहसान नहीं करते कि कौन लगा हुआ है और कौन नहीं लगा हुआ है। यह हमारा हक है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और हक लेकर रहेंगे। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं कि हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो सुझाव दूंगा। मेरा निवेदन है आपसे।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, बैठे आप मेहरबानी करके।

श्री सुभाषचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो अब्सेंट भी नहीं था, मेरा कट मोशन भी था, आपने मुझे पुकारा नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप असत्य बोलते हैं कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य, अब आप नहीं बोलेंगे 11 बज गए, अब आखिर कब तक बोलेंगे? 12 बज जाएंगे जवाब शुरू होने में। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके पांच मिनट भी नहीं लूंगा, चार मिनट ही लूंगा। माननीय गृह मंत्रीजी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि गौ हत्या पर सारा सदन क्या पूरा राजस्थान चाहता है कि गौ माता की हत्या रुके। अलवर जिले में जो घटना हुई उसकी जितने कड़े शब्दों में निन्दा की जाए कम है। प्रशासन ने भी वहां अपना काम किया। आप सही मायने में यदि गौ हत्या रोकना चाहते हैं तो आपको अलवर और भरतपुर जिले के लिए जो रवन्ना कटता है...

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के उप मुख्य सचेतक महोदय, आप मैं कहूं वह मानेंगे नहीं?

श्री जयराम जाटव (खैरथल) : मांग संख्या 16 और 17 पर मेरा आग्रह है कि आज अलवर जिले में आईएसआई की एजेन्सियां सक्रिय हैं और वहां इससे गौ हत्या होती है इसलिए विशेष अभियान चलाकर अलवर जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, एक विशेष दल गठित किया जाए जिससे आईएसआई के एजेन्ट पनपे नहीं और वहां गौ हत्या रुके। मेरा विशेष आग्रह है क्योंकि इस पर मेरा नम्बर था पर्ची पर लेकिन रात हो गई इसलिए ज्यादा बोलना उचित नहीं है। मैं इसी बात को दोहराना चाहता हूं और 11 बज गए हैं माननीय मंत्रीजी जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, क्या हम दो मिनट भी अपनी बात नहीं कह सकते?

श्री अध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा गलत है पर हम सुझाव भी इनके हित में ही दे रहे हैं। मैं इनकी आलोचना नहीं कर रहा। आपने कहा था कि हम संशोधन लाएंगे, हम कानून में संशोधन लाएंगे। जब आपको पता चल गया कि अलवर और भरतपुर में गौ हत्या होती है और वहां से यू.पी. हरियाणा में बिकने जाती है, हमने आपसे निवेदन किया था कि आप 1995 के गौ वध संरक्षण विधेयक है उसमें अमेण्डमेंट करें और एसडीओ लेवल से नीचे के आदमी को वहां से रवन्ना नहीं दे। आपने कहा था कि हम संशोधन लेकर आएंगे। अब अध्यक्ष महोदय, जो आरोप लगाए हैं, दो जिलों में, हम कोई सुझाव देना चाह रहे हैं, कह लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, सुझाव भी दे दिए, इनका जवाब देंगे, यह क्या तरीका हुआ।

श्री जुबेर खान : नहीं मानते न आप, नहीं मानते। इसलिए कि आप सही मायने में दिल से नहीं चाहते कि गौ माता की रक्षा हो और गौ हत्या रूके। अगर आप रोकना चाहते हैं तो हम आपको सुझाव दे रहे हैं आप उनको अमल में क्यों नहीं लाते, आप इसमें संशोधन लाइए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप प्रारम्भ करें। (व्यवधान) प्लीज, बस अब हो गया।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : गृह मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं एक मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : बस अब प्लीज। कल बता देना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : मांग संख्या 16 और 17 पर 30 लोगों ने अपने विचार रखे। मैं आप सबको यह विश्वास दिला रहा हूं कि जितना भी सम्भव होगा मैं जवाब दे पाऊंगा नहीं तो मैं आपके प्रत्येक शब्द का जो आपने अपने भाषण में भी कहा होगा, हो सकता है कि आपने कट मोशन से हटकर भी कुछ कहा हो। मैं प्रयास करूंगा कि महीने डेढ़ महीने में आपकी प्रत्येक बात का लिखित में जवाब उस पर मैं जितना कर सकता हूं उतना आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अगर कर पाऊंगा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तो भी लिखूंगा और नहीं कर पाऊंगा तो भी लिखूंगा उस पर मैं आपकी जो भी मंशा है, उस मंशा के अनुसार आप तक इस समाचार को पहुंचाने का प्रयास करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 164 माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिए हैं पुलिस पर, हम इनके मौटे तौर पर हैडिंग बनाए तो अधिकांश क्रमोन्नति पर है चाहे थाने हो या चाहे डीवाईएसपी आफिस या एडीशनल आफिस के हों, चौकी हो, कानून व्यवस्था के 23 हैं, पुलिस में बढ़ोत्तरी हो उस पर, भ्रष्टाचार पर 10 हैं, आधुनिकीकरण के बारे में 6 हैं, पुलिसकर्मियों की सुविधा के बारे में 5 हैं, पुलिस बल की बढ़ोत्तरी के बारे में है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने जवाब में इन सब बातों को समाहित करने का प्रयास करूं और व्यक्तिगत भी आपने कुछ बातें कही।

अध्यक्ष महोदय, आज सदन में अधिकांश माननीय सदस्यों के मन में यह पीड़ा थी कि हमारी पुलिस फोर्स कम है और वर्ष 1971-74 को जनसंख्या को आधार लेकर जनसंख्या और पुलिस का जो अनुपात था, जनसंख्या 2.5 से 6 करोड़ हो गई लेकिन पुलिस फोर्स दुगुनी भी नहीं हुई। यही नहीं अपराधों की संख्या उस समय केवल 36743 थी जो आज की तारीख में 1,54,000 हो गई, यानि अपराधों में लगभग 5 गुना की बढ़ोत्तरी और जनसंख्या में इतनी बड़ी बढ़ोत्तरी। उसके बाद भी पुलिस का अनुपात इतना कम है कि आज की तारीख में लगभग एक हजार जनसंख्या पर एक पुलिसकर्मी आता है। अब हम कितनी भी कोशिश करें हर जगह पर पुलिसकर्मी खड़ा करने की स्थिति नहीं है। जिस तरह से आपने बताया उन सब बातों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि हम पुलिस बल पुनर्गठन के बारे में एक समिति गठित करेंगे वह चार महीने में अपनी रिपोर्ट देगी कि हम उसमें क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। आर्थिक सोर्स हमारे पास कितने हैं, केवल हमारे माथे पर दोष मढ़ देने से काम नहीं चलेगा। इससे पहले भी सरकारें रही हैं, उनके समय में भी यही स्थिति रही है। हम आलोचना करके बरी हो जाएं यह तो एक स्वभाव बन गया है। इससे कभी भी सुधार नहीं होगा। हम आलोचना करें और उसके बाद क्या रास्ता निकल सकता है, हमारे क्या साधन हैं और उन साधनों के रहते हुए प्रयास करने की दृष्टि से क्या किया जा सकता है। चूंकि बजट की आपने बहुत आलोचना की कि हमने तो कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। यदि आप बजट पर दृष्टि डालेंगे तो वर्ष 2001-02 में 798 करोड़ रुपए था, वर्ष 2002-03 में 835 करोड़ रुपए था, 37 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी हुई, उसके बाद वर्ष 2003-04 में आप थे, सिर्फ 6 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी हुई। हमारे आते ही पिछले साल के बजट में 74

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी हुई। मेरा मतलब आप कोई बात बोलें तो कुछ तो आधार लेकर बोलें। हमें कोई अफसोस नहीं होगा कि आपकी बात न लें। लेकिन जो 841 करोड़ था वो हमने पिछले बजट में 914 करोड़ किया और इस बार 955 करोड़ अर्थात् 41 करोड़ रुपये की इसमें बढ़ोत्तरी मिली है। यह केवल इस छोटे से कालखण्ड का है, इसका मतलब हमारी कुछ मंशा है जितने हमारे पास साधन हैं उसके आधार पर हम कुछ करना चाहते हैं।

आपने बड़े जोर-शोर से हमारी आलोचना की कि हमने अपराध बढ़ाये। निश्चित रूप से आप 2002-03 को आधार मानकर 2004 का आंकड़ा लेंगे तो बढ़ोत्तरी हुई, मैं इसको कोई छुपाना नहीं चाहता। 2004 में निश्चित रूप से समग्र अपराध में 6.37 की बढ़ोतरी हुई है यदि 2000 को बेस मानकर चलते हैं। महिला में भी 11.23 की बढ़ोतरी हुई है, अनुसूचित जनजाति में 2.86 की बढ़ोतरी हुई है, मुझे स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं, लेकिन हम पीछे देखें हमारा राज जब गया और आपका राज आया 1999 से इस कालखण्ड की तुलना करे क्योंकि जो 2000 का कालखण्ड था केवल वो ही एक ऐसा रहा जिसमें अपराध कम दिखाये और बाकी तो कहीं अपराध घटा नहीं। 2002 से भी तुलना करें, 1999 से तुलना करें तो 1999 में डकैती 109 थी, अब 2004 में केवल 58 है। इसी तरह से हत्या में भी मैं सोचता हूं इन आंकड़ों में न पड़ें, पर आप अगर इसकी तुलना करेंगे तो 1999 में अपराधों की संख्या बहुत अधिक है और उसकी तुलना में 2004 में कम है। इसका मतलब मुझे यह लाइसेन्स नहीं मिल गया कि में अपराध को घटाने का प्रयास नहीं करूंगा। मेरा फर्ज तो यह है कि जितने हों उससे भी कम कैसे हों, लेकिन यह तर्क देकर कि कानून-व्यवस्था सब बिगड़ गई है, जैसे मैंने ही आकर बिगाड़ी होगी, मैंने कहकर बिगाड़ी और बाकी पहले तो कोई अपराध होता ही नहीं था, मेरे आने के बाद ही अपराध शुरू हुआ होगा, मैं सोचता हूं सिरोही के माननीय सदस्य, इससे पहले कभी बलात्कार ही नहीं होगा, बलात्कार का नाम ही मेरे आने के बाद सुना होगा, पहली बार जो कुछ हत्या हुई वह मेरे आने से हुई। यह हमारी सोच है यह उचित नहीं है। आलोचना करें, कुछ पोजिटिव बात से करें तब तो उसका कोई मतलब समझ में आएगा। अगर आप इसको देखोगे, मैं सोचता हूं कि मैं भाग्यशाली हूं आज की तारीख में मैं बहुत ही इत्मिनान से कह सकता हूं मेरे डी.जी. बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, मेरे ए.सी.एस. बहुत अच्छे हैं, एक टीम हमें मिली है जिसके कारण से हम यह बहुत गर्व से कह सकते हैं इस डिपार्टमेंट में जो टीम मेरे साथ काम कर रही है वह बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है और इसलिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक दिन में इस ढांचे को सुधार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लें और सारा का सारा अपराध, अपराध कभी घट भी सकता है, कभी बढ़ भी सकता है, यह तो एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन 3 महीने का 2005 का जनवरी, फरवरी और मार्च का कर लें और पिछले दो सालों से इसकी तुलना करें 2003 से 2004 से तो आपको लगेगा कि 2003 से 2005 में समग्र अपराध में माइनस 6.67 परसेंट कम हुआ है और 2005 से तुलना करें तो माइनस 9.72 , इसी तरह से महिला अत्याचार में इन तीन महीनों का 2003 और 2004 से तुलना करें तो माइनस 8 परसेंट, 2004 और 2005 के बीच में माइनस 11 परसेंट कमी हुई। इसी तरह से अनुसूचित जाति में हुई। आपने देखा होगा 26 परसेंट। 2003 से 2005 के बीच में जो अपराधों की संख्या इन्होंने तीन महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च में अनुसूचित जाति अत्याचार 2105 थे जब वो केवल 1906 रहे और उसके बाद 2005 में केवल 1553 , इस दृष्टि से 26.22 परसेंट कमी हुई है। 2003 से और 2004 से तुलना करें तो 18.52 , इसी तरह से अनुसूचित जनजाति। इसी तरह से सबमें परसेंटेज इन तीन महीनों में कम हुआ। इसका मतलब यह है कि इन तीन महीनों में धीरे-धीरे कुछ सुधार की ओर हम बढ़ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा, निश्चित रूप से इसमें सुधार हम कर पाएंगे।

जहां तक चालानी परसेंटेज है उसे भी इन आंकड़ों को देखकर, बार-बार यह विचार हो रहा है कि हर साल में लगभग उसके करीब ही आता है। इसमें बहुत ज्यादा, कभी एक परसेंट चालानी परसेंटेज बढ़ता है, कभी एक परसेंट घटता है और टोटल राजस्थान की पिक्चर मिलाते हैं तो लगभग एक सा ही चालानी परसेंटेज आ रहा है। डकैती में 2000 के 73 था तो अभी 78 है, लेकिन बीच में 2002 में 85 भी हुआ। इसी तरह से आप हत्या का लेंगे तो 89 से लेकर 92 , इस बार 92 चालानी परसेंटेज है पर इससे बहुत ज्यादा संतोष की बात नहीं है। लूट का चालानी परसेंट एवरेज 63 से लेकर 65 के बीच में घूमता है। ऐसा नहीं है पुलिस कुछ करती नहीं है। बलात्कार में चूंकि बलात्कार की घटना होती है, जानकारी भी मिलती है, व्यक्ति भी पहचाना जाता है उसका चालान होने में, इसलिए 99 परसेंट बलात्कार के जितने भी मुकदमे 2004 में हुए उन सबमें चालानी परसेंटेज रहा। बलवा में 98.96 परसेंट रहा। लेकिन जो एवरेज आ रहा है वह सब सालों का एक सा आ रहा है। नकबजनी का चालानी परसेंटेज हर साल कम है। इसमें हम बहुत ज्यादा ढूंढ पाये हों या उन सब लोगों को हमने अपराधी बना दिया हो, लगभग 25 परसेंट से लेकर 2000 से 2004 तक 28.95 अर्थात 29 परसेंट, यद्यपि पहले से बढ़ा है। चोरी के मामलों में एवरेज चालानी परसेंट आता है 25 से लेकर 27 के बीच में इन वर्षों में घूम रहा है। भारतीय दण्ड संहिता का चालानी परसेंट है वह 94-95 परसेंट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तक है। इन बातों से यह है कि कोशिश विभाग करता है अपराध होने के बाद उनको ढूंढकर उनको सजा दिलाने का।

जहां तक रिक्त पदों की स्थिति है उसको आपने प्रगति विवरण में देखा है 4954 कांस्टेबल की हैं उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करूंगा, उनको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा बहुत मेहनत और जिद करने के बाद हमें 4 हजार पदों की स्वीकृति मिली है जिसके कारण से हमें थोड़ा सा सहारा मिला है। हमने हैड कांस्टेबल के 269 पदों को प्रमोशन करके पूरा भरने का प्रयास किया है। इसी तरह से सहायक उप निरीक्षक में भी 287 पदों को हमने भरने का प्रयास किया। उप निरीक्षक में 27 पदों का हमें मिला है। आपने कहा है कि डी.पी.सी. हम नहीं कर पाये। मैं सोचता हूं नीचे की रैंक हैं इनमें डी.पी.सी. लगभग पूरी कर ली है। सी.आई. से लेकर डीवाई.एस.पी. तक की पदोन्नति है उसकी हमने वरिष्ठता सूची तो जारी कर दी और हम सोचते हैं कि इसको हम कर पाएंगे।

जहां तक जूनियर और सीनियर स्केल हैं इनकी पदोन्नति की भी हमने वरिष्ठता सूची जारी कर दी, एक का आब्जेक्शन समय था वह निकल गया, दूसरे का भी कुछ समय है, सम्भावना है कि हम इसमें सफल हो जाएंगे, लेकिन सुपर टाइम और सलेक्शन स्केल में क्योंकि कोर्ट की लिटिगेशन आती हैं उसके कारण से 99, 99 की ही डी.पी.सी. चल रही है, पर मैं सोचता हूं कि इस बार हमने इस ओर भी प्रयास किया है हमें इसमें सफलता मिलेगी।

जहां तक जांच के बारे में है मैं सोचता हूं आपने कहा कि कुछ जांच होती नहीं, सजा होती नहीं, ऐसा नहीं है। हमने 16 सी.सी.ए. में कुल 1367 जांच की उसमें 697 की पूर्ति कर ली और 666 अभी पैंडिंग हैं। 17 सी.सी.ए. में 4396 हैं उसमें से 3761 पूरी की हैं 635 बाकी हैं। जितने भी ए.सी.डी. के प्रकरण हैं उसका भी मेरे पास है, लेकिन मैं इसमें आपका बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमारी हैं, पुलिस ने अच्छा काम भी किया है, पता नहीं हम लोगों का ऐसा स्वभाव बन गया कि उसके केवल नुक्श निकालकर, केवल भला-बुरा कहना, इससे कभी भी सुधार नहीं होगा। जो अच्छा करते हैं उसको थोड़ा आप एप्रिसिएट करेंगे तो उसका हौसला बढ़ेगा और जो कमियां रही हैं उनको आप गिनाएं ताकि उनको ठीक करेंगे। मैं सोचता हूं कि 2004-05 में कई अन्तरराज्यीय

गिरोहों का पर्दाफाश हमने इस साल किया है। जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में वाहन चोरी की गैंग को हमने पकड़ा और उससे 125 व्हीकल उस गैंग से हमने बरामद किये हैं। अन्तरराज्यीय नकबजन गिरोह से 50 मामलों को खोला है, 83 डकैत हमने गिरफ्तार किये हैं, उसमें आपने कहा कि 1.65 करोड़ में से 1.23 हमने प्राप्त कर लिया। अजमेर हाइवे लूट की जो कालबेलिया गैंग थी उसको पकड़ा है। जाली नोट के 6 सनसनीखेज मामलों में हमने 22 मुलजिम पकड़े हैं, 20 लाख रुपया हमने उनसे रिकवर किया है। मूर्ति तस्कर का पर्दाफाश हुआ, 100 करोड़ की मूर्तियां पकड़ीं। पुलिस ने आखिर यह प्रयास किया तभी तो उपलब्धि हुई और उसके कारण से आपने देखा होगा 18 लोग उसमें थे, 18 में से 14 लोगों को प्रमोशन मिला, 4 लोग अभी भी बाकी हैं, हम बराबर उस प्रयास में लग रहे हैं उनको भी उनका हक मिले, लेकिन कोर्ट का एक आदेश अभी 10-15 दिन पहले आने से सी.ओ. लेवल के प्रमोशन के बारे में उन्होंने इस तरह की गारंटी प्रमोशन को एक तरह से डिनाई कर दिया, वो अपने सिस्टम से होगा। तो इसको भी हम कानूनी रूप से देख रहे हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसी तरह से भरतपुर थाना सीकरी में मदन लाल निवासी सीकरी का अपहरण होने की सूचना पर कोसीकलां में दबिश देकर छुड़वाया। इसी तरह से आपने देखा होगा भवानी सिंह को जो एक सुबेधा काण्ड हो गया तो चूंकि वह तो बड़े घर की थी तो सारा राजस्थान इसको रोज न्यूज में पढ़ता था लेकिन एक साधारण गरीब को जो एक ड्राइवरी करता था उसका अपहरण हो गया, उस अपहरण को भी भवानीसिंह का हमने, हमारी पुलिस पूरी की पूरी उस बीहड़ जंगल में पड़ी रही 15 दिन तक और उसे एनकाउंटर करके छुड़ाकर ले आए। उसमें एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं सोचता हूं इसी तरह से ब्रह्मपुरी थाने में वाहन किराये पर लेकर ड्राइवर को मारकर गाड़ी लूटने वालों को उनको हमने पकड़ा है। इसी तरह से, उदयपुर थाने में यह जो गोवर्धन विलास में एक बहुत बड़ी डकैती गैंग चलती थी जो गाडियों से माल उतारकर, कपड़ा, रोज चोरी का काम करते थे उससे हमने 21 गांठे बरामद की और जो 45 लाख का माल था वह माल बरामद किया है। तो इसी तरह से आपको देखा होगा, डाक्टर यह जो नरेन्द्र रूंगटा का मामला था उसमें हमने अभियुक्त को पकड़ा है। इसी तरह से डूंगरपुर में अन्तरराष्ट्रीय चैन लूट का एक गिरोह हमारे हाथ में आया और उसमें काफी चैनें सारे राजस्थान की उससे रिकवर की है तो मैं सोचता हूं कि पुलिस का कुछ काम भी है लेकिन मैं इसमें भी नहीं छिपाना चाहता हूं फिर भी कुछ केसेज ऐसे रह गये जो हमसे वर्क आउट नहीं हो पाए। हमारी पुलिस बराबर लगी हुई है, वह जिनको एक जनचर्चा का विषय बना, इसी तरह से इस मनीष जौहरी का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हत्याकाण्ड है, अभी हम खोलने में सफल नहीं हुए। इसी तरह से, आपके बजाज नगर में तीन किलो सोने की जो लूट हुई उसको हम नहीं खोल पाए। झुन्झुनूं की इसी प्रकार की घटनाएं हैं, बारां की हैं यानि मैंने सारी की सारी सभी जिलों की वह सूची भी बनाई जिनको हम खोलने में अभी सफल नहीं हुए हैं लेकिन पुलिस इस बारे में बराबर प्रयत्नशील है, हम इनको निश्चित रूप से खोलेंगे और इसमें पुलिस को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। 2004 और 2005 के बजट में आपने कहा होगा कि जो हमने पिछले साल घोषणा की उसका क्या हुआ? मैं आपको आज इस सदन में यह आश्वस्त कर रहा हूं कि पिछले बजट में जो मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा को सेंट, परसेंट उसकी हमने पालना कर ली और मैंने भी जो विधान सभा में घोषणा की, शत प्रतिशत उसकी पालना हो गई है। केन्द्रीय कारागार जयपुर में महिला बन्दियों के लिए काउंसलिंग और रिसोर्स केन्द्र बनाए जाएं, बना दिया गया, यह मुख्य मंत्रीजी की घोषणा थी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर कारागृह में शिशुपालना गृह क्रेंच की स्थापना हो, हो गई। इन्दिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से महिला बंदियों की शिक्षा की व्यवस्था, वह कर दी। कारागृह विभाग द्वारा नागरिक अधिकार पत्र जारी किया गया है, यह हमने कर दिया। जयपुर में इन्टरनेट ई-मेल के माध्यम से एफ.आई.आर. दर्ज कराने के बारे में दोनों अभी एस.पी. आफिस में हम कर पाए हैं, थानों में अभी नहीं कर पाए हैं, वह हमने किए। सम्भागीय मुख्यालयों पर पुलिस परामर्श सहायता केन्द्र की जो स्थापना की उसमें 48 पद स्वीकृत करके उसे हमने शुरू किया है। महिला बंदियों के लिए प्रत्येक जेल में महिला सदन हो, उसकी पूर्ति हुई है। इसी तरह से, मैंने उस समय कहा था जुआ, सट्टा से सम्बन्धित थानेदार दण्डित होंगे, दण्डित ही नहीं हमने उन थानेदारों को निलम्बित किया जिनके क्षेत्र में किसी दूसरे ने जाकर सट्टा पकड़ा अश्विनी शर्मा यह संगरिया का है, श्रीराम भूतसिंह यह किशोरपुरा कोटा का है, शिवसिंह यह किशोरपुरा का है, बृजलाल यह कोतवाली बूंदी का है, शिवसिंह यह किशोरपुरा का है, बृजलाल यह कोतवाली बूंदी का है, महेश शर्मा कोतवाली कोटा है, कैलाशचन्द्र पुलिस स्टेशन दरगाह अजमेर का है, जसवन्तसिंह यानि हमने जो कहा जितना सम्भव हो सका उतना उन लोगों के खिलाफ हमने कार्यवाही की है।

इसी तरह से हमने कहा है कि राज्य स्तरीय पुलिस सहभागिता में कोई कमेटी बनाई जाए। मैं सोचता हूं कि उसमें हमने एक प्रयास किया है कि इन लोगों के सुझावों पर हम किस तरह से राजस्थान की इस व्यवस्था को सुधार सकें तो उसमें हमने न्यायाधिपति जसराज चौपड़ा जो सेवानिवृत्त न्यायाधिपति हैं उच्च न्यायालय के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वह इसके अध्यक्ष हैं, मीठालाल मेहता इसमें हैं, शासन सचिव पदेन, इसके सचिव हैं, अमिताभ गुप्ता इसमें सचिव हैं, अधिवक्ताओं में से लिया, पत्रकारों में से लिया, अकादमी में से लिया महिला जागृति में से लिया, अनुसूचित जाति में से लिया, जनजाति में से लिया और अल्पसंख्यकों में से लिया लेकिन हमने स्टेट के लेवल एक परामर्शदात्री कमेटी बनाई है और इसी प्रकार की कमेटी इसी पैटर्न पर हम जिले में भी बनाएंगे जिसके कारण से लोगों का हमको सहयोग मिले और पुलिस के इस काम में हम किस तरह से इसको आगे बढ़ा सकें। इसी तरह से हमने कहा हम माडल थाने बनाएंगे, 33 माडल थाने हमने आइडेंटिफाई कर लिए राजस्थान के अलग अलग जिलों में। केवल तीन जिले ऐसे रहे भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिसमें हम अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और उसमें हमने किसी न किसी वोलेंटियर इंस्टीट्यूशन को उस थाने के साथ जोड़ा है ताकि वह और मिलकर इस सारे काम को ठीक करें। पुलिस व्यवहार के सुधार के लिए प्रशिक्षण का काम हमने किया है, यह जो सारा काम है इसके बाद एक के बाद एक हमने शुरू किया है और इस आधुनिकीकरण में जो पैसा हमको केन्द्र सरकार से मिलता है, 60 प्रतिशत केन्द्र का 40 प्रतिशत हमारा रहता है, हमें प्रतिवर्ष जो पैसा मिला है 2001 में 45 करोड़, 2002 में 61 करोड़, 2003 में 16 करोड़, 2003-04 में 43 करोड़ और 2004-05 में 42 करोड़ यह लगभग हमने इस पैसे को सारा का सारा खर्च किया। यह जो लास्ट का 2004-05 जो हमको 48 करोड़ मिला है इसको हमको अभी करना बाकी है, बाकी सारे का सारा पैसा हमने विभिन्न कामों में व्यय किया है।

आपको जो एक शिकायत रहती है कि हमारे साधन बहुत ही खराब हैं, हमारे पास गाडियां खराब हैं लेकिन इस माडर्नाइजेशन में पिछले कुछ वर्षों में हमने जो केन्द्र सरकार के सहयोग से और राज्य सरकार के मैचिंग ग्रांट के आधार पर हमने इसको ठीक करने का प्रयास किया और इस साल 2004-05 में हमको 344 मोटर साइकिल मिली हैं, 238 हमको लाइट मोटर व्हिकल मिले हैं, वीडियो मोटर व्हिकल 8 मिले हैं, हैवी मोटर व्हिकल 11 मिले हैं, फोटोकापी 244 मिली हैं, हाथ के मैटल डिटेक्टर 342 मिले हैं, दरवाजे के मैटल डिटेक्टर 50 मिले हैं, मोबाइल रेडियो एक हजार मिले हैं, वायलैस सैट्स 350 मिले हैं, कार्बोनेट डालें दो हजार मिले हैं।

इसी तरह से नये जो थाने बनाए हैं उसमें 76 नये थानों के भवन बने हैं, सौ थानों का हमको जीर्णोद्वार करने का पैसा मिला है, 60 थानों में बैरक बनाए हैं 72 मैस

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

किचन डाइनिंग बनाई हैं, 90 अनुसंधान कक्ष बनाए हैं, 60 पुलिस चौकियों के भवन बनाए हैं, 14 बैरक बनाए हैं। इस तरह से इस माडर्नाइजेशन में भी जो पैसा हमको मिला है हमने इसको समय पर खर्च करने का प्रयास किया है।

यही नहीं, हमारी जो पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला माननीय सदस्यों ने कही थी कि हमारी विधि विज्ञान प्रयोगशाला जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है इसलिए हमको इंवेस्टीगेशन में बहुत समय लगता है। इसमें भी हमने 2004-05 में आधुनिकीकरण में 83.91 लाख रुपये जो मिले हैं 11वें वित्त आयोग में हमको 360 लाख रुपये इसमें सहायता मिली है, जयपुर में कम्प्यूटर फोरेंसिक अनुभाग की भी हमने स्थापना की है, आडियो, विडियो सीडी की जांच इकाई जो है वह स्थापित हुई, डी.एन.ए. परीक्षण लैब तैयार हुई है, वह हमको चल इकाईयों का जो पैसा मिला है, अब की बार हमने राजस्थान के प्रत्येक जिले में यह चल इकाईयां जिसके कारण से छोटे मोटे वहां जो हमको इंवेस्टीगेशन करने हैं, इसी तरह से उदयपुर और जोधपुर में क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं, बूंदी में तैयार हुई, कोटा में अभी हम इसके 2 करोड़ 20 लाख दिए, एक नई प्रयोगशाला कोटा में स्थापित कर रहे हैं ताकि यह जो जितनी भी जांच में हमको जो दिक्कत हो रही है और काफी पैंडिंग केस हैं उनको हम समय पर निपटा सकें।

यह जो हमने एक नया अभियान शुरू किया था 8 दिसम्बर से लेकर 15 जनवरी तक पुलिस जनता संवाद ताकि आपस में मिलेंगे तो यह जो पुलिस से भय लगता है, यह बात सच है कि पुलिस के एस.पी. के आफिस में जाकर मिलना तो हिम्मत की बात हो जाती है लेकिन थाने के अन्दर जाकर मिलना यह ऐसा भय बैठा हुआ है कि वह आसानी से वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। इस भय को किस तरह से तोड़ा जाए और लोगों को पुलिस को जनता के बीच में कैसे लाया जाए, इसके लिए एक अभियान हमने 8 दिसम्बर से लेकर 15 जनवरी तक किया गया था। उसमें हमने लगभग 14 हजार ऐसे कैम्प लगाए थे जिन कैम्पों में जनता को आमने-सामने बैठाने का मौका मिला, जनता ने भी अपनी बात की और आपने उन दिनों के अखबारों में रोज पढ़ा होगा क्योंकि बच्चे भी पूछते थे, पुलिस में यह हो रहा है लगातार और उससे एक नया माहौल राजस्थान में बना है कि जनता और पुलिस का संवाद हो सकता है, इसमें लगभग 19 सौ राजीनामे कराए, छोटे मोटे मामले 13 सौ निपटाए। वांछित तत्वों की गिरफ्तारी जो वांटेड लोग थे उनकी गिरफ्तारी भी, 57 सौ लोग इस अभियान के तहत हम उनको गिरफ्तार करने में सफल हुए हैं। इसी तरह से 16 सौ अपराध दर्ज हुए हैं तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं कि यह जो जनता की सहभागिता का लाभ हमको मिला है उसके कारण से भी एवं पुलिस कल्याण की दृष्टि से भी पुलिस के पास अपने जो कर्मचारी हैं वह एक निश्चित पैसा जमा कराते हैं और उस जमा के आधार पर जो उनके परिवारजन हैं उनको लाभ देने का प्रयास करते हैं। मैं सोचता हूं कि कल्याणकारी फण्ड में से हमने 222 सेवारत कर्मचारियों की मृत्यु और उनके आश्रितों को 35,57,000 रूपया अनुदान के रूप में दिया। इनके बच्चों की शिक्षा के लिए हमने इस फण्ड में से 82 लाख रुपया दिया है। पुलिस कल्याण निधि में से भी हमने 32 लाख 11 हजार रुपया दिया है। सामूहिक बीमा योजना में हमने 16 लाख रुपया दिया है। पुलिस कार्मिक कल्याण न्यास से 156 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को 39.20 लाख सहायता दी है। अनुकम्पा सर्विस, किसी के परिवार में डैथ हो जाती है और उसमें जो आश्रित को नौकरी देते हैं तो 2004-05 में इसमें लगभग 224 नौकरियां दी हैं। यह जो मूर्ति वाला काण्ड खुला था इसमें हमने 14 पुलिसकर्मियों का प्रमोशन पहले किया, यह 4 का आज सदन में कई माननीय सदस्यों ने कहा, हम इस ओर भी अपना प्रोसेस आगे कर रहे हैं और जैसे ही हमको इसमें से रास्ता मिलेगा, हम निश्चित रूप से करेंगे।

यही नहीं, उत्तम सेवा के 1199 लोगों को इसी साल में पुरस्कार मिला, अति उत्तम सेवा के 553 को मिला है, सर्वोच्च चिह्न के 19 मिले हैं, राष्ट्रीय पुलिस पद तीन मिले हैं, पुलिस पदक 14 मिले हैं, शौर्य पदक एक मिला है।

हम यह कर रहे हैं कि पुलिस और हमारे कर्मचारी स्थानान्तरण के कारण से जो एक वातावरण बनता है कि सब राजनीतिक दृष्टि से होता है, इस प्रेशर के कारण से उनको काम करने में तकलीफ होती है, लोगों के साथ न्याय नहीं होता है तो मैंने एक ट्रांसफर पालिसी बनाई है और मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि इन्हीं मापदण्डों के आधार पर उन लोगों के ट्रांसफर हों जिसके कारण से हमारी कार्य की गुणवत्ता बढ़ सके। मैं सोचता हूं कि इसमें कुछ चीजें सही रखी हैं। सामान्यतया दो वर्ष के पूर्व ट्रांसफर नहीं होगा। कार्य समीक्षा के आधार पर, हर एक साल में उनके कार्य की समीक्षा होगी और अगर अच्छा कार्य होगा तो दो साल तक रहेगा और अगर उसका काम अच्छा नहीं है तो एक साल के बाद में भी उसको हटाया जाएगा। फील्ड पोस्टिंग के लिए पुलिसकर्मियों को स्वस्थ होना जरूरी है। सुन्दरलालजी का जो भाषण था, वास्तव में फील्ड पोस्टिंग में अगर आदमी का शरीर ही साथ नहीं देता तो फिर उसको फील्ड पोस्टिंग में रखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अगर उसको फील्ड पोस्टिंग में रहना है तो अपने शरीर से भी उसको तन्दुरुस्त रहना पड़ेगा तब जाकर के वह रह पायेगा।

इसी तरह से आपने 160 सीसीए की जिन पर चार्जशीट है उनमें से किसी को भी फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी, उनको अपनी फील्ड पोस्टिंग से हटना पड़ेगा।

इसी तरह से जे.डी.ए., नगर निगम, विद्युत निगम, वे कई आकर यहां दम ठोककर बैठ जाते हैं, मतलब कहीं जाते ही नहीं हैं, इस जगह को ही नहीं छोड़ते तो अब मैक्जिमम इन जगह पर डेपुटेशन भी होगा तो चार साल से ज्यादा नहीं होगा, चार साल के बाद उनको अपनी नौकरी पर जाना ही पड़ेगा, उनको अपना काम करना ही पड़ेगा।

इसी तरह से जो कांस्टेबल हैं, जो किसी दूसरे जिले में जाकर के तो भर्ती हो जाते हैं और फिर ट्रांसफर मांगते हैं तो उनका हमने मिनिमम साल किया। सात साल बाद वो ट्रांसफर मांग सकता है। लेकिन उन लोगों को सुविधा दी जिनकी पांच साल की अपनी सर्विस बुक और जिनको हमारे डी.जी. ने कई कोई पुरस्कृत किया हो तो वो पांच साल बाद भी अपना जिला परिवर्तन कर सकेगा।

उप निरीक्षक एक थाने में तीन साल से ज्यादा नहीं रहेगा। ज्यादा से ज्यादा उस रेंज में 10 साल रह पायेगा। ऐसे कुछ हमने नियमों में बांधने की कोशिश की है और इसमें भी जिसके काम की क्वालिटी अच्छी होगी उसको इसमें से कुछ छूट मिलेगी। मैं सोचता हूं कि इस ट्रांसफर पालिसी के आधार पर निश्चित रूप से इसको कुछ सुधारने का प्रयास करेंगे।

कुछ नई पुलिस चौकियां हमने खोली हैं। सीकर हाउस, पालड़ी मीणा, धौलपुर में, नादनपुर है, बाबू महाराज है, रटलाई है, कनवाड़ा है और सीकर जिले के फतेहपुर में रोलसाहबसर में नई चौकियां खोली हैं।

हमने एक नया प्रयोग शुरू किया है कि हम रेंज की बैठक जन प्रतिनिधियों के साथ में मैं स्वयं या हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं वो लें और हमने पांच रेंज मीटिंग इस साल में की हैं। दो रेंज की अभी हमारी बाकी है। ताकि जन प्रतिनिधियों के साथ बैठने से कुछ हमको फीड बैक मिले और हमारे अधिकारियों को भी जो तकलीफ आती है वह उनके सामने कहें और मुझे आज इस बात का बहुत सन्तोष है कि उस रेंज मीटिंग का मुझे बहुत अच्छा अनुभव आया। पहले सोचता था कि शायद हमारी आलोचना ही आलोचना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

होगी, जन प्रतिनिधियों से टकराव हो जाएगा लेकिन परिणाम बिलकुल इसके विपरीत आये यानि जन प्रतिनिधियों ने भी इतने पोजिटिव सुझाव देकर के जहां कोई कमी थी उसको तो इंगित किया और जहां अच्छाई थी वहां उन्होंने उस काम की तारीफ भी की है और इस कारण से हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि वर्ष में कम से कम एक बार मैं या मेरे सहयोगी दोनों मिलकर के प्रत्येक जिले पर भी इसी प्रकार से एक बैठक करेंगे ताकि एक बार सारा का सारा वहां क्या काम चल रहा है, कैसा है, अपराध कैसे हैं, उनकी वापस रिकवरी कितनी है, उसकी मानीटरिंग मीटिंग हो सकेगी।

जयपुर में कमिश्नरी के बारे में कालीचरणजी की बात थी। वैसे इस बारे में कई बार प्रस्ताव आया, विचार हुआ लेकिन यह अभी कोई निर्णायक दौर में नहीं गया लेकिन हम फिर इस पर विचार कर रहे हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं इसके बारे में विचार करें।

जहां तक यातायात का मामला है, वास्तव में बहुत गम्भीर समस्या बनती जा रही है और विशेषकर बड़े शहरों में क्योंकि जितने भी मल्टीकाम्प्लैक्स बन रहे हैं, जब नक्शा पास करते हैं तब तो उसमें पार्किंग दिखाते हैं और नक्शा पास होता है वैसे ही शटर डालकर के दुकानें बनाकर बेच देते हैं। तो हमने इसके लिए भी सारे अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और हम चाहते हैं कि इसका कोई न कोई सुधार स्थायी हल निकले ताकि हमको पार्किंग स्थान मिले। जिस प्रकार की एक्सीडेंट की संख्या बढ़ी है, अब संख्या के आधार पर तो यह नहीं है लेकिन यह बात जरूर है कि जो शिकायत आपने की कि सामान्यतया जो हमारे यातायात पुलिस का व्यवहार होता है वह ठीक नहीं है, बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या ने इस बारे में कहा और बाकी लोगों ने कहा, मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि स्वयं ही मीटिंग करके कि इसमें और कितना सुधार किया जा सकता है और कैसे सुधार किया जा सकता है। आपमें से भी किसी को अगर कोई अटपटापन लगे तो आप निश्चित रूप से मुझे बतायें. हो सकता है कि मैं आपके आधार पर इस काम को कुछ न कुछ आगे बढ़ा सकूं।

इसी तरह से हमने सबसे बड़ी जो उपलब्धि हमें मिली है कि जो पाक नागरिक यहां आये हुए हैं, बड़े लम्बे समय से यहां रह रहे हैं, केन्द्र सरकार ने अभी हमको डायरेक्शन दिये थे, कलक्टर को अधिकृत किया था, उसकी कमेटी को अधिकृत किया था तो हमने अपने राजस्थान के 22 जिलों में लगभग 11300 लोगों को भारतीय

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नागरिकता दी जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कई वर्षों से जिन लोगों को जिस चीज का इन्तजार था उस चीज को हम पूरा कर पाये हैं।

माननीय सदस्य, आपने जो भी आरोप-प्रत्यारोप लगाये हैं अगर आप चाहें तो मैं आपको बताऊं। जैसे जैतारण के बारे में कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस मोहन की हत्या का मुझे भी दु:ख है लेकिन उसमें बर्शन ऐसे आये हैं जिनके कारण से पहली एफ.आई.आर. लिखाई तब उन्होंने चाकू मारना किसी दूसरे को बताया, उन्होंने जो ट्रैक्टर था उस पर तीनों लोगों को बैठना बताया। पहली बार एफ.आई.आर. होती है वो सही होती है उसके बाद जब बयान लिये, मैंने 2-2 आई.जी. भेज दिये, दोनों आई.जी. के समझ में यह आता है कि नहीं, एक ही उनका लड़का था, दोनों उस पर मौजूद नहीं थे। अब बिलकुल एक विपरीत स्थिति आती है। 3-3, 4-4 बार उसको टेली कर लिया, जितने भी मेघवाल समाज के प्रमुख लोग हैं उन्होंने भी आकर के इस बात की ताईद की कि नहीं, एक ही व्यक्ति था। अगर एक व्यक्ति उस पर हो, वो ही मारे, वो ही ट्रैक्टर घुमाये और हम अगर दो को 302 का मुल्जिम बनाकर ठोक दें तो यह तो हमारा मन गवाह नहीं देता है। अगर वो निर्दोष हैं तो वे निश्चित रूप से बचेंगे और दोषी होंगे तो निश्चित रूप से सजा मिलेगी। इस कारण से इस जांच को बार-बार करनी पड़ रही है और उसके कारण से कुछ विलम्ब हुआ है यह बात जरूर है। आग्रह यह रहता है कि नहीं इसका चालान पेश करो, इनका चालान पेश करो। जब तक किसी चीज की सच्चाई का पता नहीं लगे और हम चालान पेश करके किसी को दोषी तो नहीं बना सकते।

इसी तरह से धर्मान्तरण के बारे में कहा। मैंने कहा है कि धर्मान्तरण का हम लायेंगे लेकिन इतना परफैक्ट आये कि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी-खामी नहीं रहे, हम जल्दी में कोई काम करें, क्योंकि चार स्टेट का जो कुछ भी वहां बना हुआ कानून है वह हमने मंगाया है, उसका हमने अध्ययन किया है और कुछ उसका हमने आधारभूत ढांचा बनाने का भी प्रयास किया है लेकिन विचार यह था कि हम इसको ठीक प्रकार से लायें।

मैं सोचता हूं कि शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने आर.पी.एस. की पदोन्नति के बारे में कहा है। उसका हम प्रयास कर रहे हैं। हमने उसकी वरीयता सूची जारी कर दी है, उनके आब्जैक्शन का काम भी निकल गया, मैं सोचता हूं कि 4-5 दिन में हम इसमें आगे बढ़ेंगे।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसी तरह से हज हाउस के बारे में आपने कहा। अब यह हज हाउस की समस्या हमारी नहीं है क्योंकि आपके ही स्थान के बारे में तय करने में जो विवाद आता है उसके कारण से है। हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, हम तो जो स्थान बतायें उसके लिए तैयार हैं लेकिन इस विवाद में यहां की नगर निगम ने दूसरा स्थान चूज किया है।

रामप्रतापजी ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बारे में कहा। मैं आज सदन के सभी माननीय सदस्यों से यह जरूर प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर इस पुलिस डिपार्टमेन्ट में सुधार की ओर जाना है तो निश्चित रूप से जो दागी लोग है जिनकी सर्विस में इतने दाग लगे हुए हैं कि ऐसे लोगों को कई बार गांव के लोग कहते हैं कि यह भी कोई पुलिस का आदमी नौकरी करने लायक है क्या? अब इतनी उनकी सर्विक बुक और उनके काम इतने हैं कि कई बार सस्पैंड हुए हैं, और कुछ हुए हैं तो हमने सारे जिलों से मंगाया, सूची बहुत बड़ी आई है, 1000 लोगों के इस प्रकार के केसेज आये हैं। पर हमने एक टीम बनाई है जो ईमानदारी से उसको छांटे और छांट करके जिनका वास्तव में रिकार्ड बहुत ही खराब है, उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति तो देनी पड़ेगी। यह काम हर साल 31 मार्च को होगा ताकि इस प्रकार के लोग हैं जो वास्तव में इस विभाग के लिए शोभाजनक नहीं हैं, उन लोगों को तो हम निश्चित रूप से करेंगे।

इसी तरह से बनवारी लालजी ने एफ.एस.एल. के बारे में कहा, उसके लिए मैंने आपको बताया। भरत सिंहजी का कहना था कि वह जो अफीम है, अब यह वास्तव में मेरे बस का रोग नहीं है यानि अफीम का उत्पादन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। यह केन्द्र सरकार तय करेगी लेकिन यह बात जरूर है यह चिन्तनीय विषय जरूर हो गया है कि आजकल हमारे जो बिलकुल यूथ बच्चे हैं, वे तो इसके चक्कर में आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं और इस कारण से आपने देखा होगा कि मैंने एक प्रश्न के जवाब में जब दिया था तो यह कहा था कि कोटा, अजमेर है, ये वास्तव में इसके सेन्टर बनते चले जा रहे हैं यानि हमने हमारी तरफ से तो प्रयास किया। अभी हम इसकी ओर बिलकुल सफलता की ओर तो नहीं बढ़े हैं लेकिन यह ध्यान जरूर है कि हम इसको किसी न किसी तरह से काबू कर सकें तो इसके लिए बराबर प्रयासरत हैं।

इसी तरह से संयम लोढ़ाजी ने कलिंजरा के बारे में कहा जिसमें छह मुकदमे थे, पांच आपने हटा लिये। ये पांच मुदकमे हमने नहीं हटाये हैं। चार तो कोर्ट से ही फैसला होकर वह अपने आपमें ही उसमें से बरी हो गये थे। एक केस 78 नम्बर का है वह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमने हटाया है और यह जो 75 नम्बर का केस कह रहे हैं। इस केस में एक हरिजन बच्ची के साथ एक मुसलमान बालक ने छेड़छाड़ की, उसके करने के बाद आपस में जो मारपीट हुई और उसमें जो धाराएं लगी हैं, वे इतनी सख्त हैं कि उनको हमने, सामान्यतया भी किसी मुकदमे को हटाने में इस तरह का नहीं है और उसके कारण से यह मुकदमा नहीं हटा, यह जो आप रंग देते हो ना कि चूंकि वह मुसलमान है इसलिए नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है, न मुसलमान है न हिन्दू है...

श्री संयम लोढ़ा : ऐसा है गृह मंत्रीजी, आपके गृह विभाग ने एक आदेश दिया, उसके बाद कलक्टर के यहां से आदेश पहुंचने में डिले हुई, तब वह फैसले की स्टेज आई और आपने तो आदेश पहले ही कर दिया। आपने उसी मंशा से किया जो मंशा मैंने बताई है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मान लो हमने कर दिया तो हमने मेरिट के आधार पर किया। अगर आप ऐसा मानते हो तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपमें से भी कोई मुझे बतायेगा कि कोई पोलिटिकली केस है, किसी आन्दोलन के कारण से केस चल रहा है और देना तो जरूर पड़ेगा। कारण क्या है कि हमारे यहां जो विदड्रा की प्रोसेस शुरू होती है, वह कहीं न कहीं से प्रार्थना पत्र आता है तब जा करके शुरू होती है क्योंकि हमको जिला कलक्टर को भेजना पड़ता है, एस.पी. को भेजना पड़ता है। वहां से रिकार्ड बनकर आता है। ए.पी.पी. की रिपोर्ट बनकर आती है तब जा करके केस आगे बढ़ता है। अगर आप चाहें नहीं, कोई दे ही नहीं कि हमारा केस विदड्रा करें तो तो हम अपने आप चलाकर के विदड्रा नहीं कर सकते हैं। आज छोटे किस्म के जो मुकदमे हैं...

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, इससे बड़ा पिछले पांच सालों में कोई केस नहीं होगा, मोलासर का केस है, उसमें आपको दरखास्त दिये हुए भी शायद चार महीने हो गये...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बाकी जब तक हमारे पास कोई आये नहीं, हमको कोई अपने आप तो ध्यान आता नहीं है। अगर आपने दिया है तो हमको प्रोसेस में भी समय लगता है...

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, आपको ही दिया है, चार महीने हो गये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्योंकि यहां से जायेगा, एस.पी.-कलक्टर की रिपोर्ट आएगी, वहां जो ए.पी.पी. है उसकी रिपोर्ट आएगी। फिर हमारा विभाग भी उसका परीक्षण करेगा, फिर हमारे पास आएगा और कई बार हमारे पास आने के बाद भी हम स्वीकृति दे देते हैं तो भी कोर्ट जब तक स्वीकृति नहीं देता है, तब तक हम केसेज को विदड्रा नहीं कर सकते। हमारी कितनी भी इच्छा हो, जब तक न्यायालय इसमें स्वीकृति नहीं देगा, तब तक हम केसेज को नहीं हटा सकते। मैं तो केवल आपसे प्रार्थना यह करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से यह जो विभाग है, वह वास्तव में जनता से सीधा जुड़ा हुआ है। इसकी व्यवस्था को ठीक करने में मैं अकेला चाहूंगा तो ठीक नहीं कर सकूंगा लेकिन आप सही मन से, केवल यह छीछालेदर करने से और इसकी आलोचना करने से बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर देंगे, इससे तो समस्या का हल नहीं होगा। बाकी विभाग में आपको कुछ करना हो तो करें, कम से कम पुलिस और हम मिलकर के कैसे साढ़े पांच करोड़ जनता को, छह करोड़ जनता को शान्ति-अमन-चैन दे सकते हैं और यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कम से कम हो सकता है मुझसे भी भूल हो सकती है। कई बार आपके कहने से हो सकता है, मैंने कहीं किसी को कहा हो और उसने कहीं इधर-उधर किया हो तो. इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कहीं पर आपको गलती लगे कि इसमें न्याय नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है तो आप मुझे वापस ध्यान में लाइये, मैं तुरन्त उसको एक मिनट में सुधारने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मेरा किसी व्यक्ति से मोह नहीं, किसी से नहीं, अपराधी अपराधी रहेगा।

अब यह जो हम जितनी साम्प्रदायिक घटनाओं पर जितना हल्ला करते हैं, क्या हम यह नहीं समझ सकते कि हिन्दू का ही कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें ही पत्थर क्यों फेंकते हैं? कभी आज तक मोहर्रम पर एक घटना राजस्थान में बता दें कि किसी हिन्दू ने पत्थर फेंका हो, झगड़ा हुआ हो। कभी नहीं हुआ लेकिन इसको कोई नहीं देखेगा यानि उस मोहर्रम को निकालते समय हमारे मन्दिरों में बैठकर के बच्चे पेशाब करते हैं, चूना फेंक जाते हैं, कचरा फेंक जाते हैं। हमें तो कोई तकलीफ नहीं होती पर अगर गुलाल फेंकते हैं, उनकी दीवार पर गुलाल फेंक जाये तो बबेला मच जाये ऐसा तो हिन्दुस्तान में नहीं चल सकता। यह कोई ऐसा बात तो नहीं हो सकती, कोई अलग से कोई चीज नहीं हो सकती। अगर इसको करने से किसी को नाराजगी रहती है और कोई कहता है कि हमारे ऊपर गुलाल फेंक दिया, अब इसके कारण से झगड़ा हो जाये और हम अगर उनको पोटेक्ट करने जायें, हम समझाइश करें। मैं वास्तव में कह सकता हूं कि अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि माण्डल के अन्दर जो आपने कमेटी बनाई और हम लोग गये तो वहां बबेला हो रहा था। इतना आग बबूला थे और जब हम

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उनसे अलग-अलग मिले तो ऐसा लगा कि एक पूरब है और एक पश्चिम है, पता नहीं कितना सुनाया लेकिन जब दोनों को आमने-सामने बैठाया, 10 मिनट का समय नहीं लगा, दोनों ने अपनी-अपनी बात को स्वीकार किया, तुरन्त शांति-अमन-चैन कायम हो गया तो अगर इस प्रकार से हमारा रहे। इसमें अगर हिन्दू की भी गलती होगी, दोषी जो होगा, उसे दण्ड मिले, इसमें कोई एतराज नहीं लेकिन इसको करने से कि यह मेरा वोट बैंक है, यह मेरा वोट बैंक है। यह वोट बैंक तो आपका जिन्दा रहेगा पर देश मर जायेगा। अगर देश को मारने की इच्छा हो तो अपने आप जिन्दा रखकर भी करिये, कोई किसी को एतराज नहीं लेकिन मैं सोचता हूं, इससे भी बड़ा है और हम सब लोग मिलकर इस व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। अपराधियों को बचाने का प्रयास अगर हम नहीं करें तो निश्चित रूप से इसको ठीक बना सकेंगे। मैं सोचता हूं कि आपके कई कटमोशन्स हैं, जिनका जवाब मैं चाहता हूं कि, हमारे यह जो जेलों का भी है, हमारे स्टेट मिनिस्टर साहब, वे इनका जवाब देंगे। आपने जो सुझाव दिये, उनका मैं पालन करूंगा और आपके पूरे स्पीच को निकालकर एक-एक लाइन को पढ़कर, उसमें से जो भी करना होगा और क्योंकि आपने कई घटनाएं बताई हैं कि उसमें ऐसा हुआ, इसमें ऐसा हुआ। मैं उन सबको दिखवाऊंगा और उसको ठीक करने का प्रयास करूंगा। मैं अध्यक्षजी, आपसे प्रार्थना करता हूं कि मांग संख्या-16 को आप पारित करें। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : मैस भत्ता तो बढ़ाओ, मैस भत्ता तो बढ़ाओ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप कुछ नहीं पूछ सकते।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक सैकण्ड, मैं घोषणाएं कर देता हूं। वर्ष 2005-06 में जो कुछ हमने इस साल स्वीकृतियां निकालीं, 4000 कांस्टेबल के पद, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है...

श्री कालीचरण सर्राफ : हां, घोषणा तो करो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...मैं मान सकता हूं कि इस विभाग में, वह यह है कि हमने हैड कांस्टेबल से सीधे-सीधे 1418 पद ए.एस.आई. में लिये हैं ताकि प्रत्येक थाने में कम से कम दो इन्वेस्टीगेशन आफिसर, ए.एस.आई. जो हैं, 1418 पद की हमें स्वीकृति मिली। मेवात क्षेत्र में आपने कहा था, गौ-कशी के कारण से हमने दस चौकियां, पांच अलवर में और पांच भरतपुर में लगाने की हमने स्वीकृति दी है। योजना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मद में दो महिला थाने हमको मिले हैं। एक गंगानगर में और एक सीकर में ये खुलेंगे। 90 थानों में हमने महिला डेस्क में 180 इंस्पैक्टर के पद सृजित किये हैं। निचली श्रेणी के 160 रिहायशी भवनों का निर्माण इसमें से करेंगे। और यही नहीं, यातायात उपकरण भी खरीदे हैं। विषय परिस्थितियों में कार्यरत पुलिसकर्मियों को अल्पाहार भत्ता जो केवल पांच रुपये था, उसको हमने बढ़ाया, 10 रुपये किया है। वर्दी सिलाने के लिए, यह जो आप अपने तर्क देंगे कि इतने लोगों को रोजगार मिलता है। उस झंझटबाजी में कि कौन सिलता है, नहीं सिलता है। उसको नकद पैसा दिया। हम तो उतना ही देंगे जितना हमारे बजट में है। उससे ज्यादा तो दे नहीं सकते और वह उसमें पांच और 15 कपड़े कैसे सीऐंगे, मैं तो नहीं समझ सकता कि 5 और 15 कपड़े सिलेंगे, दो सीयेंगे, 8 गिनेंगे, इस बीमारी को पालने से क्या फायदा। जब हम साफ हैं, सुथरे हैं तो हमने तो कोई ठेका और टेण्डर अपने पास नहीं लिया। हमने तो और लौटाकर उनको पास पहुंचा दिया। आपकी जहां इच्छा हो वहां जाकर सिलाओ तो हमने कोई इसमें गलत काम नहीं किया।

यह मोबाइल प्रयोगशाला के 92 नये पद मिले हैं। हम कोशिश में हैं और मैं सोचता हूं कि मैं इसको पूरा कर लूंगा। लगभग 7500 क्वार्टर्स हम इन आने वाले तीन सालों में अपने पुलिस के जवानों के लिए उपलब्ध करायेंगे जो 271 करोड़ रुपये के होंगे। हमें इसमें लोन लेकर बनाना पड़ेगा तो भी हम लोन लेकर भी बनायेंगे ताकि यह जो आवास की सुविधा प्राप्त नहीं है, वह हो सके। हमने मेवात क्षेत्र में टास्क फोर्स बनाई है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए मैंने बता दिया। रेंज मुख्यालय सहित नौ स्थानों पर जिसमें चित्तौड़गढ़ और अलवर भी हैं, इंटेलीजेंस सेल की यूनिट की हम स्थापना कर रहे हैं और वह भी हम इसमें से करेंगे। अब आपके सम्बन्ध में जो थोड़ा बहुत, जो कुछ भी हमको मिला, अपने साथियों को दे सकते हैं, वह मैं आपके सामने रख रहा हूं।

मेंटिनेंस भत्ता जो आर.पी.एस. को 60 रुपये मिलता था, उसकी जगह 70 रुपये हमने किया है। उसके बाद ए.एस.आई. और एस.आई. को हमने 40 रुपये 55 रुपये किया है, 15 रुपये हमने बढ़ाया है। वर्दी धुलाई जो 35 रुपये मिलते थे, उसकी जगह 50 रुपये किया है, हमने इसमें 15 रुपये बढ़ाये हैं। बैंड भत्ता जो निरीक्षक को दो सौ रुपये मिलता था उसमें ढाई सौ करके पचास रुपये बढ़ाये हैं। उप निरीक्षक को डेढ़ सौ मिलता था उसकी जगह दो सौ, पचास रुपये बढ़ाये हैं। हैड कांस्टेबल को 125 रुपये मिलता है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसकी जगह एक सौ पिचहत्तर, इसमें भी पचास रुपये, कांस्टेबल सबको पचास रुपये बढ़ाये हैं। अल्पाहार भत्ता जो पांच मिलता था उसको हमने दस किया है। इसी तरह से आरपीवीएफ में पन्द्रह लाख रुपये सरकार देगी। पुलिस कल्याण में पच्चीस लाख देगी। पुलिस लाइन, थानों में पानी-बिजली के लिए पचास लाख रुपये देगी, उत्सव फण्ड में दस लाख देगी और स्पोर्टस फण्ड में भी दस लाख रुपये देगी। मैस भत्ता जो 575 रुपये था, 25 रुपये बढ़ाकर 600 रुपये हमने इसमें किया है। इसी तरह से नागरिक सुरक्षा में भी वही हमने 575 को 600 किया है। इसी तरह कारागृह में भी मैस भत्ता वही है, बाकी पांच लाख रुपये बन्दी कल्याण कोष में, कर्मचारी कल्याण कोष में भी पांच लाख एवं गर्म कोट और जर्सी के लिए भी हमने पांच लाख रुपये, इस तरह से हमने कारागृह में भी दिये हैं। मैं सोचता हूं कि 4 करोड़ 57 लाख के लगभग इसका टोटल बैठेगा। इसके अतिरिक्त भी क्योंकि 19 तारीख को मुख्य मंत्रीजी अपने बजट पर एप्रोप्रिएशन पर जब बोलेंगी तो हमने कुछ चीजें उनसे और मांगी हैं, मेरी सम्भावना है कि शायद उसमें से भी हमारी पुलिस फोर्स को कुछ न कुछ मिलेगा। एक बार मैं अपने पुलिस के साथियों को इस बात के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं कि पिछले साल भर के उनके परिश्रम से हम दो कदम आगे चले हैं, और दो कदम आगे चलें, इसके लिए आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित समझते हुए मांग पास करने के लिए निवेदन करता हूं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : माननीय गृह मंत्रीजी, मैस भत्ता, एस.एस.आई. से डीवाई.एस.पी. तक के मैस भत्ते की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि ए.एस.आई. से डीवाई.एस.पी. तक के मैस भत्ते के मामले में भी आप और सुझाव रखें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है, कोई पूछ नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष : सब आ गये जवाब।

श्री जुबेर खान : पूछना चाहते हैं।

श्री सुभाषचन्द्र शर्मा : ए.एस.आई. से डीवाई.एस.पी. तक के मैस भत्ता नहीं मिलता है, उसमें भी अगर कोई प्रावधान रखें तो मैं समझता हूं कि इनको बहुत मदद मिल पायेगी।

श्री अध्यक्ष : वह कह दिया न, मुख्य मंत्रीजी जब बोलेंगी...

श्री जुबेर खान : गृह मंत्रीजी, आपसे निवेदन है, आपने कहा है कि कोई दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं और यह है कि न्याय दिया जाय, यह सही है, लेकिन लोगों को लगना चाहिए कि न्याय किया जा रहा है। एक-दो जगह ऐसी जगह हैं जहां पर भ्रांति यह फैली हुई है कि तफतीश गलत की जा रही है, क्या आप जिसको आप सक्षम समझें, यहां जयपुर के आपके हैडक्वार्टर में, उनसे उन मुकदमों को एक बार पुनर्विचार कराने का विचार रखते हैं कि नहीं? भीलवाड़ा में करजालिया और अलवर जिले में भी एक-दो ऐसे हैं, जो मर्डर केसेज से सम्बन्धित हैं, दोषी पकड़े जायें, सख्त से सख्त सजा मिले, लेकिन वातावरण यह बन रहा है कि निर्दोष को फंसाया जा रहा है। लोगों को लगे कि निर्दोष नहीं फंसे, आप किसी उच्चाधिकारी से उन फाइलों को दिखवाने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इन दो केस के लिए ही नहीं, आप सबको भी मैं खुला आमंत्रण देता हूं, जहां भी कहीं तफ्तीश में आपको लगे, केवल टालने के लिए नहीं, या इनको भ्रमजाल में डालने के लिए सी.आई.डी. में डालने का जो काम चलता है यह नहीं, अगर ईमानदारी से किसी के साथ न्याय नहीं हुआ है तो उसे दोबारा दिखाने में कोई एतराज नहीं है। मैं उसे दोबारा दिखा करके भी सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। यह आपको नहीं, बाकी केस में भी आपमें से कोई भी चाहे तो वह कर सकता है। लेकिन टालने का अगर करेंगे और आप उसमें चाहेंगे कि हम इसमें से कुछ करेंगे तो वह सम्भव नहीं होगा।

श्री जुबेर खान : सक्षम अधिकारी को दो जो एक हफ्ते में रिपोर्ट दे दे।

श्री अध्यक्ष : माननीय कारागार मंत्री। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदय, निवेदन करेंगे अपनी कुर्सी से बोलेंगे तो परम्परा ठीक रहेगी क्योंकि आप तो जहां बैठते हैं वहां से जवाब दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : क्या छोटी बातों पर, कहीं से ही दे दो, क्या फर्क पड़ता है।

श्री जुबेर खान : वहां से जवाब दे दें। आपका यह है कि यह सत्ता पक्ष जो कुछ करे, सही करे, तो आप ठीक हैं, आपकी मरजी। इसमें आपको परेशानी क्या हो गई।

श्री अध्यक्ष : आप अपने स्थान पर चले जायें, क्या दिक्कत है, हां, और क्या। इनको इस बात पर एतराज है तो वहां चले जाइये।

श्री संयम लोढ़ा : परम्परा की बात है, अध्यक्ष महोदय, नियम की बात है। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, कारागृह) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत आभारी हूं जिन्होंने मांग संख्या 17 के कट मोशन करीब 54 दिये हैं और उनके सारों के जवाब भेज दिये जायेंगे। हाउस के अन्दर जेल के बारे में करीब तीन या चार माननीय सदस्यों ने ही अपनी चिन्ता जाहिर की है और खास तौर से उन्होंने चिन्ता इस बात की जाहिर की है कि हमारे जेल के कर्मचारियों, जेल के अधिकारियों या अन्य प्रान्तों के मुकाबले और पुलिस के मुकाबले उनका जो वेतन है वह बहुत ही कम है। इस बात को मैं भी मानता हूं, इसके लिए एक कमेटी बनी थी। कमेटी का पीरियड समाप्त होने के बाद में हाई कोर्ट के अन्दर भी रिट पिटीशन हुई थी। उसमें अब हमने वापिस रिव्यू किया हाई कोर्ट के अन्दर और हाई कोर्ट का डाइरेक्शन आने पर उनके वेतन में सुधार करने के प्रयास किये जायेंगे।

कारागृह विभाग जैसा कि उसके प्रबन्ध और प्रशासन की दृष्टि से गृह विभाग के अन्तर्गत ही है और इस विभाग का मुख्य उद्देश्य यही है कि न्यायालयों द्वारा ज्युडिशियल कस्टडी के अन्दर जो व्यक्ति आते हैं उन व्यक्तियों की किस प्रकार से देखरेख की जाय, उनकी समुचित व्यवस्था करना, यह कारागार विभाग का एक कर्तव्य है, एक उद्देश्य है और जो लोग ज्युडिशियल कस्टडी में रहते हैं और राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय विधियों का पालन करते हुए उन बन्दियों में विधि के प्रति सम्मान के भाव जाग्रत करना, अभिरक्षा के समय उनको शिक्षा देना, उसके साथ-साथ में उनके जो जीने के, वह अच्छे नागरिक बनें और सजा समाप्त होने के बाद में जब वह समाज में जायें तो वह अपने उस समाज में पुनर्स्थापित हो सके, इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे जेल विभाग द्वारा किये जा रहे हैं। आज राजस्थान के अन्दर करीब 105 ऐसी संस्थाएं हैं जो हम संचालित करते हैं जिसमें से आठ हमारे केन्द्रीय कारागृह हैं और तीन जिला कारागृह ए श्रेणी के हैं एवं 22 जिला कारागृह बी श्रेणी के हैं। उप कारागृह 59 हैं, महिला बंदी सुधार गृह एक है, किशोर बंदी सुधार गृह एक है और बंदी खुले शिविर हमारे दस हैं। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर, दुनिया में आज कहीं भी खुले शिविर बंदियों के नहीं है, लेकिन राजस्थान प्रान्त एक ऐसा है जहां दस खुले

(श्री अमराराम चौधरी)

शिविरों में हमारे बंदी रहते हैं। उड़ीसा ने भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के काम से...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माहिर आजाद को बोलना जरूरी है।

श्री अमराराम चौधरी : उड़ीसा ने भी जो इस प्रकार का प्रयास किया और करीब तीन करोड़ रुपये वहां खुले शिविर में रखने के लिए, कैदियों के लिए बनाये, मकान बनाये लेकिन वह आज मकान खाली पड़े हैं क्योंकि वहां वह सफल नहीं रहे। दुनियाभर से आज जो बाहर से भी लोग आते हैं अपने खुले शिविर देखते हैं और इस बात की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं कि राजस्थान प्रान्त में ये खुले जो बंदी शिविर हैं जिनके अन्दर वो लोग हैं जिनका बहुत ही अच्छा आचरण होता है। पांच साल के ऊपर की जिनकी सजा हो और 1/3 सजा उन्होंने रेमीशन में पूरी कर दी हो ऐसे कैदियों को हम खुले शिविरों में रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : वो तो ठीक है अब आप 12 बज चुके हैं, हम पर भी तरस खाओ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि हमारे कई ऐसे सुधार कार्य हैं जो हमारे जिलों में हो रहे हैं और उसमें अभी दिसम्बर के अन्दर खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जो हमारे राजस्थान में एक उदाहरण था। आप ताज्जुब करोगे कि वहां की जो महिला कैदी हैं उन्होंने मेहन्दी प्रतियोगिता में भाग लिया, खो-खो में भाग लिया और हमारे कैदियों ने कब्ड्डी के गेम में, तो इस प्रकार का मेरे कहने का मतलब यह है कि मनोरंजन के जो भी हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन के कार्यक्रम...

श्री अध्यक्ष : आप तो मांग को पास करने के लिए कहें।

मोहम्मद माहिर आजाद : ...(व्यवधान)...उनके वेतन-भत्ते बढ़ाओ बहुत अच्छा भाषण देते हो वकील हो आप तो। छुट्टी करिये अब।

श्री संयम लोढ़ा : आप तो कैदियों को रिहा कर दो अब।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में जितनी भी जेल हैं और उनमें जो प्रबन्ध, उनमें खाने की व्यवस्था, हर प्रकार से उनको काम सिखाने के सारे काम हो रहे हैं। आई.टी.आई. का हमारे यहां

केन्द्रीय कारागृह जयपुर में है वहां पर लोगों को...(व्यवधान)...माहिर आजाद साहब, फिटर बनाने के लिए, उनको इस प्रकार से अच्छा कारीगर बनाने के लिए, मशीनों के बारे में जानकारी, कम्प्यूटर शिक्षा इसके अलावा योग की शिक्षा है उसके अलावा प्रेक्षा ध्यान के बारे में है कि किस प्रकार से जो है और 26 जनवरी पर तो रेमीशन मिलता है जिनका बहुत अच्छा आचरण होता है इस प्रकार से आज...मेरा निवेदन है...

मोहम्मद माहिर आजाद : आप अध्यक्षजी की तो मान लें अब तो मांग पास कराओ।

श्री अध्यक्ष : अब आप मांग स्वीकार करने के लिए कर लो तय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मांग स्वीकार करो और इन कैदियों को मुक्त करो इस कैद से।

श्री जुबेर खान : भत्ते बढ़ाने की घोषणा कर दो आनन्द मुल्ला राय कमेटी की सिफारिशों के अनुसार आप भत्ते बढ़ा दो इन प्रहरियों के अधिकारियों के जेलों में।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ऐसा है जिस प्रकार से पुलिस विभाग में अभी जो भत्ते बढ़े हैं उनके जो मैस के भत्ते और उसी के अनुसार ही जेल के जितने भी सिपाही हैं...

श्री अध्यक्ष : ये 13 घण्टे से जो कैदी बैठे हैं उन पर तरस खाओ अब आप। 13 घण्टे से जो कैदी बैठे हैं इन पर तरस खा लो।

श्री युनूस खां : अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि तारीख बदल गयी कल का बिजनस स्टार्ट कर लो।

श्री अध्यक्ष : अब मैं अनुमति ले रही हूं आपकी मांग स्वीकार करने के लिए। अब आप स्थान ग्रहण कर लें। क्या घोषणा कर रहे हैं?

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, ये तो तरस खायेंगे नहीं कैदियों को आप ही रिहा करो अब।

श्री अध्यक्ष : इन कैदियों की तो बाद में होगी घोषणा।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : पर मेरा निवेदन यह है कि हमारे इन कारागृहों में चिकित्सा की व्यवस्था है और अभी तक जो भी हमारे सामने...

मोहम्मद माहिर आजाद : ये तो अध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल से जमा है वो निकालेंगे पूरा हमें तो माफ करो आप।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : चिकित्सालय में बंदियों की जो मृत्यु हुई है उसकी भी सूची इस प्रकार है...

श्री अध्यक्ष : काहे की सूची पढ़ रहे हो?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : इस प्रकार बीमारी से 1990 से लगा कर 2001 तक इतनी हुई है, आत्महत्या के इतने हुए हैं...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मंत्रीजी, सूची पढ़ कर बतायें।

श्री जुबेर खान : तगारामजी के जिले से हैं इतनी आसानी से नहीं मानेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब आप काहे की सूची पढ़ रहे हैं माननीय मंत्रीजी? उनकी कुछ बढ़ोत्तरी कर रहे हो तो आप बता दो वरना मैं मांग स्वीकार करा रही हूं।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग पारित करें। कारागार विभाग की मांग संख्या 17 पारित करावें।

मांगों का पारण

मांग संख्या-16 पुलिस

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9 अरब, 19 करोड़, 11 लाख, 4 हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 17-कारागार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37 करोड़, 34 लाख 64 हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 00.06 बजे, शनिवार; दिनांक 16.4.2005 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके

तारांकित प्रश्नोत्तर

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर का राजस्थान क्रिकेट संघ को हस्तान्तरण

349. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में खेलों के विकास हेतु क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 2004-05 में खेलों के विकास हेतु कितने बजट का प्रावधान रखा गया था एवं कितना-कितना बजट किस मद में खर्च किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में कितने खेल संघों द्वारा आयोजित राज्यीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कितने खिलाडियों को कितना-कितना यात्रा भत्ता एवं मंहगाई भत्ता दिया गया एवं कितनों को नहीं व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) नये खेल अधिनियम के तहत कितने राज्य खेल संघों का पंजीयन हो गया है एवं कितनों का नहीं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर का राजस्थान क्रिकेट संघ को हस्तान्तरण किया जा रहा है तथा वहां पर स्थित राजस्थान राज्य खेल परिषद् कार्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में खेलों के विकास हेतु किये जा रहे प्रयासों का विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2004-05 में खेलों के विकास हेतु स्वीकृत बजट एवं व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

(युवा एवं खेलकूद मंत्री)

क्र. सं.	स्वीकृत मद	स्वीकृत बजट	व्यय राशि
1.	आयोजना भिन्न मद (राज्य क्रीड़ा परिषद् को)	510.00 लाख	510.00 लाख
2.	आयोजना मद (राज्य क्रीड़ा परिषद् को)	671.00 लाख	671.00 लाख
3.	खेल गतिविधि हेतु	38.07 लाख	38.04 लाख
4.	युवा गतिविधि हेतु	0.93 लाख	0.93 लाख
5.	युवा आवास हेतु	16.00 लाख	16.00 लाख
6.	झालावाड़ स्टेड़ियम हेतु	30.00 लाख	30.00 लाख
7.	अन्य स्टेड़ियम हेतु	20.00 लाख	20.00 लाख
8.	**योग**	**1286.00 लाख**	**1285.97 लाख**

(3) 1. राज्य में खेल संघों द्वारा वर्ष 2004-05 में आयोजित राज्यीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाडियों को दिये गये यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	प्रतियोगिता का नाम	खिलाडियों की संख्या	राशि (रुपये में)
1.	राज्य प्रतियोगिताएं	8402	36.91 लाख
2.	राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं	711	6.53 लाख

विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

2. नौ खेल संघों को उनके प्रस्तुत प्रस्तावों में कमियां होने के कारण इनका भुगतान वर्ष 2004-05 के बजट से नहीं किया गया है। विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(4) राज्य में खेल अधिनियम लागू होने से पूर्व 40 राज्य स्तरीय खेल संघ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् से सम्बद्ध थे। इन खेल संघों में से 36 खेल संघों द्वारा

(युवा एवं खेलकूद मंत्री)

राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिष्ट्रीकरण, मान्यता और विनियम) अधिनियम, 2005 के तहत पंजीयन हेतु कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समिति जयपुर में आवेदन कर दिया था इनमें से रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 5.4.2005 तक 13 राज्य खेल संघों का पंजीयन कर दिया है। सूची परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है। शेष 23 राज्य खेल संघों के पंजीयन सम्बन्धी कार्यवाही रजिस्ट्रार कार्यालय में विचाराधीन है। जिन 4 खेल संघों ने पंजीयन हेतु आवेदन नहीं किया है। उनके नाम निम्नानुसार है :-

1. राजस्थान हैण्डबाल संघ

2. राजस्थान ब्रिज संघ

3. राजस्थान नि:शक्तजन

4. राजस्थान बिलियर्ड संगम

(5) जी नहीं।

(विवरण/सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

उप-कारागृह भवन कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) की मरम्मत

350. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बांसवाड़ा जिले में कितने कारागृह हैं तथा उनमें कैदी रखने की कितनी क्षमता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपखण्ड मुख्यालय, कुशलगढ़ स्थित उप-कारागृह का भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण उसकी मरम्मत के लिये सरकार द्वारा राशि आबंटित की गई थी? यदि हां, तो कितनी तथा क्या उक्त कारागृह की मरम्मत का कार्य कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उप-कारागृह, कुशलगढ़ को सरकार कब तक पुन: चालू करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में जिला कारागृह, बांसवाड़ा एवं उप कारागृह, कुशलगढ़ है, जिसकी क्षमता क्रमश: 200 एवं 70 है।

(2) जी हां। उप-कारागृह, कुशलगढ़ के भवन की बैरक्स मरम्मत हेतु वित्त वर्ष 2004-05 में 3.39 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 3.39 लाख के मरम्मत कार्य पूर्ण कर दिये हैं।

(3) उप कारागृह के रसोई घर के मरम्मत की भी आवश्यकता बतलाई गयी है, इस हेतु आवश्यक राशि वित्तीय वर्ष 2005-06 में आबंटित की जावेगी। रसोई घर की मरम्मत का कार्य पूर्ण होने पर कारागृह को पुन: चालू किया जाना सम्भव होगा।

सहकारी भूमि विकास बैंकों में सचिव पद पर पदस्थापित अधिकारी

351. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के सहकारी भूमि विकास बैंकों में सचिव पद किस केडर से स्वीकृत हैं?

(2) गत वर्षों में सचिव पद पर किस केडर के अधिकारियों की नियुक्तियां की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव पद पर किस केडर के अधिकारी नियुक्त हैं? क्या यह सही है कि उक्त पद पर निम्न केडर की नियुक्तियां की गई है? यदि हां, तो सृजित पद के उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध होते हुए भी निम्न केडर के अधिकारी की सचिव पद पर नियुक्ति करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) राज्य में सहकारी भूमि विकास बैंकों में सचिव पद पर नियुक्ति हेतु कोई केडर विशेष के पद स्वीकृत नहीं है। उक्त बैंकों में प्राय: राजस्थान सहकारी सेवा के अधिकारी एवं राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के अधिकारी नियुक्त किये जाते रहे।

(सहकारिता मंत्री)

(2) प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में गत 10 वर्षों में सचिव पद पर राजस्थान सहकारिता सेवा के संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार एवं सहायक रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी एवं राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक के अधिकारीगण नियुक्त किये जाते रहे हैं।

(3) राजस्थान राज्य सहकारी भूमि बैंक में सचिव का कोई मद सृजित नहीं है।

तारांकित प्रश्न संख्या-352

(स्थगित)

"सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम" योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित राशि

353. **श्रीमती प्रतिभा सिंह** (नवलगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत 3 वर्षों के दौरान प्रदेश को "सूखा प्रवणक्षेत्र कार्यक्रम" (डी.पी.ए.पी.) योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितनी राशि इस योजना पर व्यय की गई और कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 की अवधि के लिए "सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम" के अन्तर्गत राज्य के लिए आबंटित राशि को बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भिजवाया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

(ग्रामीण विकास मंत्री)

वर्ष	केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि (रुपये लाखों में)
2001-02	1195.12
2002-03	1430.55
2003-04	1979.36

(2) सूखा सम्भाव्य क्षेत्र के कार्यक्रम अन्तर्गत गत तीन वर्षों में द्वारा व्यय की गई राशि एवं बचत् का विवरण निम्नानुसार है :-

(रुपये लाखों में)

वर्ष	प्राप्त राशि (केन्द्र तथा राज्य)	कुल व्यय	बचत राशि
2001-02	1612.75	1142.21	470.54
2002-03	1907.40	1226.77	680.63
2003-04	2522.70	2218.48	304.22

(3) जी नहीं।

ओलावृष्टि आगजनी पीड़ित किसानों को मुआवजा

354. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जहां-जहां ओलावृष्टि हुई है वहां के लघु एवं सीमान्त कृषकों को मुआवजा व विद्युत बिलों में छूट दी गई है? यदि हां, तो कहां व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार ओलावृष्टि से हुये नुकसान का बड़े कृषकों को भी मुआवजा व विद्युत बिलों में छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कृषक की फसल खलिहान में होने के

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

समय आग लग जाने व चारा भी जल जाने की स्थिति में उन्हें मुआवजा दिया जाता है? यदि हां, तो किस हिसाब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) माह फरवरी व मार्च, 2005 में राज्य के विभिन्न जिलों में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित लघु एवं सीमान्त कृषकों को सिंचित क्षेत्र के लिए 2500 रुपये व असिंचित क्षेत्र के लिये 1000 रुपये प्रति हैक्टेयर प्रति कृषक को कृषि आदान अनुदान राशि वितरित की गई है। बिजली के बिलों में छूट दे दी गई है।

(2) जी नहीं। क्योंकि आपदा राहत कोष के मानदण्डों के अनुसार बड़े कृषकों को उक्त राशि दिये जाने का प्रावधान नहीं है किन्तु जहां लगातार दो वर्ष से अकाल पड़ रहा है वहां के बड़े कृषकों को भी कृषि आदान अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

(3) जी नहीं। क्योंकि आपदा राहत कोष के मानदण्डों में ऐसा प्रावधान नहीं है।

खेजरोली (चौमूं) ग्राम में खेल मैदान की स्वीकृति

355. **श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)** : क्या युवा एवं खेदकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम खेजरोली में खेल मैदान बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र चौमूं के खेजरोली में खेल मैदान बनाने का कोई प्रस्ताव खेल विभाग में विचाराधीन नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 18 फरवरी, 2005)

सहकारी कर्जों की माफी हेतु गठित समिति

87. **श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री प्रमोद जैन "भाया")

(1) क्या यह सही है कि किसानों व गरीबों के दस हजार रुपये तक के कर्ज को माफ करने या उन पर पुनर्विचार करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में कोई समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो उक्त समिति गठन हेतु जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है किं उक्त समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें एवं नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार किसानों व गरीबों के 10 हजार रूपये तक की राशि के कर्जों को माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रकरण समिति में विचाराधीन है।

(3) समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में निर्णय सम्भव होगा।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग

क्रमांक प. 6(8)प्र.सु./अनु.3/2004 जयपुर, दिनांक 25.2.2004

आदेश

राज्य में विभिन्न बैंकों द्वारा गरीब परिवारों को विभिन्न कार्यों हेतु दिये गये ऋणों में से दस हजार रुपये तक के बकाया की कर्जमाफी के सम्बन्ध में पात्रता के मानदण्ड, शर्तों एवं प्रक्रिया के सम्बन्ध में एक नीति तैयार करने हेतु महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जाता है :-

1.	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग	सदस्य
3.	शासन सचिव, सहकारिता विभाग	सदस्य
4.	शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग	सदस्य
5.	पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान	सदस्य सचिव
6.	राज्य समन्वयक, एस.एल.बी.सी. (बैंक आफ बड़ौदा)	सदस्य

प्रमुख शासन सचिव (ग्रामीण विकास) किसी अन्य सदस्य को आवश्यकतानुसार सहवृत्त कर सकेंगे।

उक्त समिति, विषय के सभी पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श कर शीघ्रतिशीघ्र अपनी अनुशंषा प्रस्तुत करेगी।

उप शासन सचिव

राजस्थान पुलिस सेवा में महिला पुलिस कर्मियों की पदोन्नति

356. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि महिला पुलिस कर्मियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्या सरकार पदोन्नति में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान करने का विचार रखती है?

(2) राज्य में कुल कितने पुलिस थाने हैं एवं कितने थानों में महिला निरीक्षक थाना प्रभारी हैं एवं उप निरीक्षक स्तर के थानों में कितनों में महिला उपनिरीक्षक थाना प्रभारी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में कुल कितने महिला थाने हैं, उनमें से कितने थानों में महिला अधिकारी थाना प्रभारी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर कितनी महिला अधिकारी कार्यरत हैं?

(श्री संयम लोढ़ा)

(5) निरीक्षक पद से पदोन्नति हेतु राजस्थान पुलिस सेवा की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कब आयोजित की जायेगी? पिछली रिक्तियों हेतु उक्त बैठक कब की जायेगी एवं वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं?

(6) क्या यह सही है कि वर्ष 1996 तक की वरिष्ठता सूची राजस्थान अपीलियेट ट्रिब्यूनल (RAT) के फैसले से निरस्त कर दी गई है एवं नई सूची बनाने के निर्देश दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या नई सूची तैयार कर ली गई है? यदि नहीं, तो अब सूची कब तक तैयार कर ली जावेगी? तैयार की गई सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) सीधी भर्ती व पदोन्नति से बने अधिकारियों का राजस्थान पुलिस सेवा संवर्ग का वर्तमान में अनुपात क्या है? क्या सीधी भर्ती से आये राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी पदोन्नति से इस सेवा में आये अधिकारियों से संख्या में ज्यादा हैं? उक्त दोनों के अनुपात में समानता बनाये रखने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(8) क्या यह सही है कि निरीक्षक पुलिस से उपअधीक्षक (आर.पी.एस.) पदोन्नति में 15-16 वर्ष का समय लग रहा है? क्या यह भी सही है कि अन्य पदों पर भी पदोन्नति में इतना समय लग रहा है? क्या सरकार निरीक्षक से उपाधीक्षक (आर.पी.एस.) में पदोन्नति हेतु पदोन्नति समय कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो समयबद्ध पदोन्नति हेतु क्या कदम उठाया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

(9) क्या यह सही है कि सरकार निरीक्षक से राजस्थान पुलिस सेवा संवर्ग के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रतिवर्ष करवाने हेतु प्रयासरत है? यदि हां, तो गत दो-तीन वर्षों की बैठकें एक साथ करवाने के क्या कारण हैं? उक्त विलम्ब के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है? क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। पदोन्नति में महिलाओं को आरक्षण देने का वर्तमान में विचार नहीं है।

(2) राज्य में कुल 709 पुलिस थाने हैं। राज्य के किसी भी थाने में महिला पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थापित नहीं है। पुलिस उप निरीक्षक स्तर

(गृह मंत्री)

के थाने में 2 महिला पुलिस उप निरीक्षक पदस्थापित है जो क्रमश: भरतपुर में श्रीमती वीना सिंह एवं पाली में श्रीमती चेतना भाटी है।

(3) राज्य में कुल 12 महिला पुलिस थाने हैं। जिनमें से दो महिला थानों पर उप निरीक्षक महिला थाना प्रभारी है। महिला थाना भरतपुर में श्रीमती वीना सिंह एवं पाली में श्रीमती चेतना भाटी।

(4) राज्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर कोई महिला अधिकारी कार्यरत नहीं है।

(5) निरीक्षक से राजस्थान पुलिस सेवा की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील संख्या 886 एवं 887/2001 में दिनांक 14.11.2003 को पारित निर्णय में पुलिस निरीक्षक पद के अधिकारियों की दिनांक 1.4.1996 को आधारित वरिष्ठता सूची अपास्त कर नये सिरे से निरीक्षकों/कम्पनी कमाण्डरों की कॉमन वरिष्ठता सूची दिनांक 1.4.96 की स्थिति के अनुरूप तैयार कर राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति हेतु वर्ष 1996-97 एवं आवश्यकतानुसार आगामी वर्षों की रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उक्त निर्णय की पालना में वरिष्ठता सूची संशोधित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संशोधित वरिष्ठता सूची जारी होने पर राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में वर्ष 1996-97 से रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाएगी तत्पश्चात् वर्ष 2003-04 की कुल 52 रिक्तियों के लिए नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जावेगी। वर्ष 2003-04 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न होने के पश्चात् आगे के वर्षों की रिक्तियां निर्धारित की जाएगी।

(6) 1.4.1996 एवं 1.4.1997 की स्थिति के अनुसार पूर्व में जारी वरिष्ठता सूची को रेट द्वारा अपास्त किया जाकर नई कामन वरिष्ठता सूची बनाने के निर्देश दिए गए। वर्ष 1996 की स्थिति अनुसार नई वरिष्ठता सूची जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(7) राजस्थान पुलिस सेवा संवर्ग में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति का अनुपात क्रमश: 50% 50% है। वर्तमान में राजस्थान पुलिस संवर्ग के पदोन्नति कोटे में 235

(गृह मंत्री

एवं सीधी भर्ती कोटे में 282 अधिकारी कार्यरत है। सीधी भर्ती एवं पदोन्नति कोटे में समानता बनाए रखने के लिए पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भरने के लिए विगत वर्षों की विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही की जा रही है।

(8) पुलिस निरीक्षक से उप अधीक्षक पुलिस की पदोन्नति में लगभग 14-15 वर्ष का समय लगता है। अन्य पदों पर पदोन्नति में 15-16 वर्ष का समय नहीं लगता है। राज्य सरकार के नियमानुसार प्रत्येक वर्ष की रिक्तियों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

(9) जी हां। पुलिस निरीक्षक से उप अधीक्षक पुलिस के पद की वर्ष 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक एक साथ प्रशासनिक कारणों से की गई थी जिसके लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं था।

जालौर जिले की सहकारी समितियों का अंकेक्षण

357. श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जालौर में कुल कितनी सहकारी समितियां हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सहकारी समितियों में से कितनी समितियों की कब तक की आडिट हो चुकी है व कितनी की कब से आडिट होना शेष है? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन सहकारी समितियों का आडिट कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अप्रैल, 2004 को जिला जालौर में कुल 649 पंजीकृत सहकारी समितियां हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) कुल 649 पंजीकृत सहकारी समितियों में से 478 क्रियाशील सहकारी

(सहकारिता मंत्री)

समितियों का मार्च, 2005 तक अंकेक्षण कराया जाना था, जो कराया जा चुका है। सूची परिशिष्ट-1 के अनुसार है।

(3) निष्क्रिय व अवसायनाधीन सहकारी समितियों का आडिट नहीं कराया जाना है क्योंकि आदेश क्रमांक प.4(5)सह/1992 दिनांक 3.12.1993 से निष्क्रिय व अवसायनाधीन सहकारी समितियों को सहकारी अधिनियम के आडिट सम्बन्धी धारा से उन्मुक्त किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिले में वन भूमि पर अवैध खनन

358. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगारार) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिलों की वन भूमि पर भू-माफिया व खनन माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया गया है? यदि हां, तो जिलेवार अतिक्रमियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। स्थानीय काश्तकारों/ग्रामीणों द्वारा कभी-कभी अतिक्रमण कर लिया जाता है। अतिक्रमणों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। अतिक्रमण के प्रकरणों को दर्ज कर इन्हें नियमित रूप से हटाया जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बागीदौरा में एनीकट निर्माण

359. श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जीतमल खांट)

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में जनवरी, 2000 से जनवरी, 2005 तक कुल कितने एनीकट/चेक डेमों के कार्य स्वीकृत किये गये? ग्राम पंचायत-वार, कुल लागत एवं व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा बागीदौरा की पंचायत समिति गढ़ी, आनन्दपुरी एवं बागीदौरा में एनीकट निर्माण में ली गई सामग्री के क्रय हेतु पंचायतों द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई थी? यदि हां, तो कौन-कौन से समाचार पत्रों में इसका विज्ञापन छपा था? विज्ञापन प्रति सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जनवरी, 2000 से जनवरी, 2005 तक कुल कितने एनीकट पूर्ण हुए एवं कितने अपूर्ण रहे? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में वर्ष जनवरी, 2000 से जनवरी, 2005 तक कुल 187 एनिकट चेक डेम स्वीकृत हुए जिसकी लागत रुपये 575.89 लाख एवं व्यय राशि रुपये 336.87 लाख है। कार्यवार लागत एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर अवलोकनीय है।

(2) जी नहीं।

(3) माह जनवरी, 2000 से जनवरी, 2005 तक कुल 187 चेकडेम एवं एनिकट स्वीकृत किये गये जिसमें से 33 पूर्ण व 150 प्रगति एवं 4 प्रारम्भ नहीं हुए। वर्षवार व कार्यवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

भीम विधान सभा क्षेत्र में संचालित निगम बस सेवा

360. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्तमान में कौन-कौन से मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित हैं? बसों की संख्या मय मार्ग के सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिसिंह रावत)

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद निजी बसें संचालित हो रही हैं?

(3) क्या सरकार भीम के बदनौर, जैतगढ़ एवं भीम से वाया टाटगढ़, बग्गड़, कासागुमान मार्ग पर पुन: निगम बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार भीम-लसाड़िया मार्ग पर चल रही बसों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में राजस्थान परिवहन निगम द्वारा संचालित बस व मार्गों की सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। उन पर दैनिक संचालित एकल परिचक्रों की संख्या मार्ग के सामने अंकितानुसार है।

(2) माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13.12.2004 द्वारा भीम विधान सभा क्षेत्र के निम्नांकित 4 मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया है :-

1. भीम-देवगढ़ वाया 40 माइल, ताल लसानी।
2. देवगढ़ भीम वाया लगड़ घापला, आमता का गुढा माथुवाड़ा, टाटगढ़ भगवाड़, पावतियां।
3. भीम से टाटगढ़ वाया पावतिया।
4. भीम से बदनौर वाया अजीतगढ़ लालपुरा।

राष्ट्रीयकरण के उपरांत दिनांक 1.1.2005 से इन मार्गों पर निजी बसें संचालित नहीं हैं।

(3) मार्गवार वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :-

1. भीम से बदनौर :

(यातायात मंत्री)

भीम से बदनौर मार्ग का जैतगढ़ तक वृद्धिकरण किया जाकर दिनांक 1.3.2005 से 2 एकल परिचक्रों का दैनिक संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

2. भीम से देवगढ़ वाया टाटगढ़-बग्गढ़ मार्ग पर दैनिक 4 एकल परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं।

3. भीम-कालागुमान मार्ग पर पूर्व में बस सेवा का संचालन किया गया था परन्तु आय कम आने से इस बस सेवा का संचालन फरवरी, 2001 से बन्द कर दिया गया। इस बस सेवा को माह अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2001 (10 माह) की अवधि में औसतन 39 प्रतिशत यात्रीभार एवं 5.93 रु. आय प्रति कि.मी. ही प्राप्त हुआ जो संचालन लागत की तुलना में अत्यधिक कम है।

अत: उक्त स्थिति को देखते हुये फिलहाल इस मार्ग पर पुन: निगम बस सेवा संचालन का कोई विचार नहीं है।

(4) जी नहीं। भीम-लसाड़िया मार्ग पर माह जून, 2004 से दैनिक 10 एकल परिचक्रों का संचालन प्रारम्भ किया गया था तथा माह अक्टूबर, 2004 से फरवरी, 2005 (5 माह) की अवधि में इस मार्ग पर संचालित बस सेवाओं को औसतन 52 प्रतिशत यात्रीभार एवं 8.93 रु. आय प्रति कि.मी. प्राप्त हुई। दिनांक 1.3.2005 से यात्रियों की सुविधार्थ पुन: 2 एकल परिचक्र दैनिक और बढ़ाये जाकर वर्तमान में 12 एकल परिचक्र दैनिक संचालित किये जा रहे हैं जो उपलब्ध हो रहे यात्री भार के अनुसार पर्याप्त हैं, अत: और परिचक्र बढ़ाये जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट-1

भीम विधान सभा क्षेत्र में संचालित निगम बस सेवाओं का विवरण

क्र. सं.	मार्ग का नाम	दैनिक संचालित एकल परिचक्र
1	2	3
1.	ब्यावर-भीम-बरार-देवगढ़-उदयपुर मार्ग	126
2.	भीम लसाड़िया	12

1	2	3
3.	भीम-टाटगढ़	9
4.	भीम-देवगढ़ वाया बग्गड-टाटगढ़	4
5.	भीम-देवगढ़ वाया तालसानी	24
6.	भीम-टाटगढ़	10
7.	भीम-बदनौर	22
8.	भीम-जैतगढ़	2
9.	ब्यावर-जस्साखोड़ा-बगड़ी	2
10.	ब्यावर-जस्साखोड़ा-बराखन	6
11.	भीम-कूकडा-टाटगढ़	8
12.	ब्यावर-पीपली	2
13.	डूंगरपुर-जयपुर वाया भीम	2
14.	डूंगरपुर-अजमेर वाया भीम	4
15.	अजमेर-उदयपुर	2
16.	उदयपुर-हरिद्वार	2
17.	उदयपुर-जयपुर	4
18.	उदयपुर-अलवर	2
19.	उदयपुर-वृन्दावन	2
20.	उदयपुर-दिल्ली	2
21.	अहमदाबाद-अलवर	1
22.	अहमदाबाद-जयपुर	1
23.	बांसवाड़ा-ब्यावर	1
24.	बांसवाड़ा-बोरावड	1

धौलपुर जिले के पुलिस थाना भवनों का आधुनिकीकरण

361. श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला धौलपुर के कई पुलिस थानों में नए भवन बने

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

हुए नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस आधुनिकीकरण की तर्ज पर नए भवन बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि जिला धौलपुर में एक भी महिला पुलिस थाना नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार जिला धौलपुर मुख्यालय पर महिला थाना बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) धौलपुर जिले के सभी 13 पुलिस थाने सरकारी भवन में चल रहे हैं। जिला धौलपुर के पुलिस थाना निहालगंज पुराने भवन में चल रहा है। पुलिस आधुनिकीकरण योजना में वर्ष 2001-02 के अन्तर्गत थाना निहालगंज में अतिरिक्त व नवीनीकरण कार्य हेतु रु. 5.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

(2) जी हां। यह सही है कि जिला धौलपुर में महिला थाना सृजित नहीं है। वर्तमान में जिला धौलपुर मुख्यालय पर महिला थाना स्वीकृत करने का विचार नहीं है।

राजस्थान अरबन को-आपरेटिव बैंक का अन्य बैंक में समामेलन

362. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान अरबन को-आपरेटिव बैंक लि., जयपुर द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कितनी राशि का कारोबार करके कितना लाभ अर्जित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से बांटा गया ऋण एन.पी.ए. हो चुका है जिसकी वजह से बैंक की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है? यदि हां, तो उक्त वर्षों में कितनी राशि का ऋण एन.पी.ए./डूबत हो चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है? यदि हां, तो कब व क्यों? नोटिस की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल)

(4) वर्तमान में इस बैंक के प्रशासक पद पर कौन अधिकारी पदस्थापित है? क्या वह इस पद के अतिरिक्त अन्य किसी पद पर भी पदस्थापित है? यदि हां, तो कहां? उक्त अधिकारी को गत एक वर्ष में क्या-क्या सुविधाएं वेतन/भत्तों का भुगतान बैंक के द्वारा किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त बैंक की आर्थिक स्थिति व कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दृष्टि से इस बैंक का किसी अन्य बैंक में विलय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस बैंक में व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., जयपुर द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किये गये कारोबार एवं लाभ का विवरण निम्न प्रकार है :-

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	कारोबार मद	वर्ष 2001-02	वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04
1.	कुल अमानतें	1462.40	1483.17	1621.26
2.	कुल ऋण बकाया	1081.04	957.62	964.26
3.	ऋण वसूली	58.31	96.42	112.08
4.	ऋण वितरण	115.65	42.72	125.00
5.	कार्यशील पूंजी	1651.72	1652.78	1830.32
लाभ-हानि (+ -)		(+ 2.14)	(+ 0.46)	(-18.48)

(2) जी हां। आर.बी.आई. के निरीक्षण अनुसार वर्ष 2001-02 में रुपये 188.09 लाख, वर्ष 2002-03 में रुपये 167.95 लाख एवं वर्ष 2003-04 में रुपये 166.13 लाख राशि का ऋण एन.पी.ए. हो चुका है।

(3) जी हां। आर.बी.आई. द्वारा बैंक को कारण बताओ नोटिस दिनांक 13

(सहकारिता मंत्री)

नवम्बर, 2004 को बैंक की पूंजी पर्याप्तता एवं परिसम्पत्तियों (सी.आर.ए.आर. और नैट वर्थ) में कमी के कारण दिया गया। नोटिस की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) वर्तमान में बैंक के प्रशासक पद पर श्री सत्यप्रकाश बसवाला, आर.ए.एस. अधिकारी पदस्थापित हैं। श्री बसवाला बैंक प्रशासक के अतिरिक्त, विशिष्ट सहायक, मंत्री, समाज कल्याण एवं सहकारिता, राजस्थान सरकार के पद पर भी पदस्थापित हैं। बैंक द्वारा बैंक प्रशासक को 500.00 रुपये प्रतिमाह प्रशासकीय भत्ता दिया जा रहा है।

(5) इस सम्बन्ध में विभाग को सम्बन्धित संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त होने पर आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों तथा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

परिशिष्ट-1

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

शहरी बैंक विभाग

गारमेन्ट हाउस, पहली मंजिल,
वरली, मुम्बई-400 018

Ref. UBD No. CO.NSB 2950/12.03.1574/2004-05 November 13, 2004

The Chief Executive Officer
Rajasthan Urban Co-operative Bank Ltd.
G-20, Krishna Marg-'C' Scheme
Jaipur 302 001

Dear Sir

Request for banking licence under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949 (AACS)-Show cause notice

We advise that the XXI statutory inspection of your bank conducted by the Reserve Bank of India under Section 35 of the Banking Regulation Act,

1949 (As Applicable to Co-operative Societies) (herein after referred to as the 'Act') with reference to its financial position as on March 31, 2004 revealed the following deficiencies and irregularities.

a) The CRAR of the bank has deteriorated further from (-) 5.8% as on March 31, 2003 to (-) 8.51% as on March 31, 2004.

b) The bank had failed to comply with Section 11 of Banking Regulation Act, 1949 (AACS) for the last three years.

c) The real and exchangeable value of paid up share capital and reserves of the bank (net worth) as on March 31, 2003 at (-) Rs. 91.42 lakh has further deteriorated to Rs. (-) Rs. 133.27 lakh as on March 31, 2004.

d) The erosion in the value of its assets had wiped out not only the entire paid up capital, reserves and provisions but also affected deposits to the extent of Rs. 133.27 lakh forming 8.22% of total deposits. Thus the bank was not complying with the provisions of Sections 11(1) and 22 (3)(a) and 22 (3) (b) of the Act.

e) The gross NPAs of the bank which were Rs. 272.58 lakh constituting 28.5% of gross loans and advances as on March 31, 2003 has increased to Rs. 429.26 lakh constituting 44.50% of gross loans and advances as on March 31, 2004. The net NPAs of the bank as on March 31, 2004 constituted 36.89% of net loans and advances.

f) The bank had violated prudential exposure norm in respect of few individual borrowers.

g) The bank had failed to adhere to prudential norms relating to asset classification and income recognition by taking into income account a sum of Rs. 99.61 lakh unrealized interest on NPAs on March 31, 2004 and Rs. 82.15 lakh on March 31, 2003

h) The bank had failed to make provision towards loans of Rs. 198.47 lakh as on March 31, 2003 and Rs. 302.88 lakh as on March 31, 2004.

i) The bank had failed to make provision towards standard assets in 2003.

j) The bank had failed to furnish compliance to the inspection reports within stipulated time limits. The bank is yet to furnish satisfactory compliance to 38 paragraphs of the last inspection report.

k) The bank had no effective internal control system and the quality of house keeping in the bank was found unsatisfactory, as there were frozen differences in deposit and loan accounts for the last years.

l) The bank failed to introduce concurrent audit.

m) The bank had no elected Board of Directors since July 21, 1997. There is no continuity of the Chief Executive Officers who were rotated frequently.

2. In view of the present precarious financial position with 44.50% gross NPAs, 36.89% net NPAs, negative net worth at Rs. 133.27 lakh, negative CRAR at 8.51%, accumulated losses Rs. 13.68 lakh, deposit erosion to the extent of 8.22%, it may not be possible for the bank to make a turnaround and become eligible for grant of licence. Hence, no useful purpose will be served by granting any further time to the bank to come out of the current financial position.

3. It is observed from the foregoing that :

i. The bank is not in a position to pay its present and future deposits in full as and when their claims accrue;

ii. The affairs of the bank are being conducted in a manner detrimental to the interests of its present and future depositots;

iii. The financial position of the bank is so precarious that there is no scope for its revival; and

iv. Public interest would be adversely affected if the bank is allowed to carry on its business any further.

4. In the circumstances stated above, you are advised to show cause within 15 days from the date of receipt of this notice as to why the licence application of the bank dated March 30, 1966 under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949 (AACS) to carry on banking business should not be rejected and the bank be taken into liquidation.

5. You may note that if no reply is received within the aforesaid period. it will be presumed that the bank has nothing to state in the matter and Reserve

Bank of India will be proceed accordingly and take further action. Your reply should be routed through Jaipur Regional Office.

6. Please acknowledge receipt of this letter.

Your faithfully,

Sd./-

(Sathyan David)

General Manager

चित्तौड़गढ़ जिले के जल ग्रहण विकास कार्यों का निरीक्षण

363. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चम्बल नदी घाटी परियोजना वन मण्डल बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा वर्ष 2003-04 में रेंज प्रतापगढ़, बेगूं एवं रावतभाटा में जलग्रहण विस्तार के लिये लक्ष्य निर्धारित किये थे? यदि हां, तो उक्त अवधि में किस-किस रेंज में किस-किस काश्तकार की कृषि भूमि, बंजर भूमि तथा वन भूमि में कार्य सम्पादित किया गया?

(2) कार्यकारी एजेन्सी द्वारा किये गये कार्यों का कब-कब, किस-किस अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया व इस दौरान क्या-क्या कमियां पाई गई?

उत्तर

(1) जी हां। वन मण्डल बेगूं में रेंज प्रतापगढ़, बेगूं तथा रावतभाटा में वर्ष 2003-04 में कराये गये कृषि भूमि पर कार्यों की काश्तकार वार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। बंजर भूमि तथा वन भूमि पर कराये गये कार्यों का विवरण भी इसके साथ संलग्न है।

(2) कार्यकारी एजेन्सी वन मण्डल बेगूं द्वारा कराए गए कार्यों का निरीक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजना) राजस्थान, जयपुर, वन संरक्षक एवं निदेशक (परि.) कोटा, भू-संरक्षण

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

अधिकारी बेगूं और सहायक कृषि अभियन्ता बेगूं द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्यत: कण्ट्रर डाइक्स की संरचना, तालाब की पाल, पौधों में कीड़ों की प्रकोप, वियर हाइट की ऊंचाई, क्षतिग्रस्त कण्ट्रर डाइक्स आदि के सम्बन्ध में कमियां पाई गई जिनका निराकरण निर्देशानुसार किया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

अजमेर जिले में ग्रामीण विकास हेतु आबंटित राशि

364. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अजमेर में ग्रामीण विकास हेतु विभिन्न योजनाओं में गत तीन वर्षों में कितनी राशि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्षों में विभिन्न योजनाओं में आबंटित राशि में से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

(3) सत्र 2004-05 में कितनी राशि आबंटित की गई एवं कितनी व्यय की गई? क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अजमेर में ग्रामीण विकास हेतु विभिन्न योजनाओं में गत तीन वर्षों में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आबंटित राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त वर्षों में विभिन्न योजनाओं में आबंटित राशि में से व्यय की गई राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) सत्र 2004-05 में की गई आबंटित राशि एवं व्यय राशि का विस्तृत

(ग्रामीण विकास मंत्री)

विवरण परिशिष्ट-2 पर एवं पंचायत समिति क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर क्रीड़ा परिषद् द्वारा वायर लैस सैट की खरीद

365. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिला क्रीड़ा परिषद् के बजट से जिला प्रशासन द्वारा वायरलैस सैट खरीद कर दुरूपयोग करने का प्रकरण सामने आया है? यदि हां, तो उक्त वायरलैस सैट कब-कब खरीदे गये और उन पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है?

(2) क्या सरकार इस प्रकरण में किन्हीं अधिकारियों को दोषी मानती है? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों को और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला क्रीड़ा परिषद् जयपुर द्वारा 18.4.2000 को दो सैट तथा 7.2.2001 को दो सेट इस प्रकार कुल चार वायर लैस सैट खरीदे गये हैं। यह खरीद जिला क्रीड़ा परिषद् जो एक पंजीकृत सोसाइटी है, की स्वयं की अर्जित आय से की गई है। सोसाइटी प्रबंधन द्वारा सक्षम स्तर पर उपयोगिता की संतुष्टि की जाकर खरीद की गई है अत: राशि का दुरूपयोग नहीं हुआ है। जिन पर अब तक कुल 1,68,474/- रु. का व्यय हुआ है।

(2) वायर लैस सैट की खरीद एवं दुरुपयोग में कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अत: किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

गौ-वध पर प्रभावी रोक हेतु उपाय

366. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जुबेर खान)

(1) क्या यह सही है कि राज्य में गौवध एवं गौ-तस्करी पर रोक होने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं? यदि हां, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस हेतु सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार वर्तमान कानून में आवश्यक संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) हां।यह सही है कि राज्य में गौ-वध एवं गौ-तस्करी पर रोक होने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं।

ऐसी घटनाओं को रोकने व इनकी पुन:वर्ती पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस जागरूक एवं संवेदनशील है तथा तत्काल एवं प्रभारी कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपराध एवं अपराधियों को नियंत्रित करने के हर सम्भव प्रयास किये जाते हैं। यह एक अन्तरराज्यीय समस्या है और इससे निपटने के लिये जिलों के पुलिस अधीक्षकों व फील्ड स्टाफ को समय-समय पर निर्देशित किया जाता है।

गौ-वध एवं गौ-तस्करी को रोकने के लिये थानाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में गौ-निकासी के कच्चे-पक्के रास्तों को चिन्हित कर निगरानी की जाती है, इन रास्तों में आने वाले गांवों के ग्रामवासियों से सम्पर्क कर जन सहयोग से गौ-रक्षा दल गठित किये जाते हैं, रात्रि गश्त के दौरान इन गौरक्षादल के सहयोग से आकस्मिक नाकाबन्दी की जाती है।

सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में अवैध गौ निकासी की ज्यादा सम्भावना रहती है, इन थानों के थानाधिकारी पुलिस लाइन से उपलब्ध दूरबीन जो इन्हें इश्यू की गई है कि सहायता से पहाड़ों-नालों-बिहड़ों में जहां पर गायों के पैदल ले जाने अथवा छुपाकर इकट्ठा करने की सम्भावना होती है उन जगहों की निगरानी रखी जाती है। बीट इन्चार्ज एवं बीट कानिस्टेबलों द्वारा आकस्मिक चैकिंग करते हुये नजदीकी रहने वाले ग्रामवासियों से सम्पर्क कर जानकारी हासिल की जाती है एवं ऐसी संस्थाएं जो गौ-वध एवं गौ-तस्करी से सम्बन्धित सूचना देकर पुलिस का सहयोग करती है उनसे समन्वय स्थापित कर सूचनायें प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।

(गृह मंत्री)

(2) गौवंश अधिनियम, 1995 में पर्याप्त प्रावधान है। वर्तमान कानून में कोई संशोधन का विचार नहीं है।

बारां जिले के छात्रावासों में व्यय राशि में वृद्धि

367. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां में कितने व कौन-कौनसी जगह पर छात्रावास संचालित हैं व इनमें छात्र-छात्राओं की संख्या क्या है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा इन छात्रावासों में प्रतिमाह प्रति छात्र कितनी राशि किन किन सुविधाओं पर व्यय की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जो राशि छात्र-छात्राओं पर खर्च की जाती है वह कम है? यदि हां, तो क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) बारां जिले में 35 राजकीय एवं 8 अनुदानित कुल 43 छात्रावास संचालित हैं। छात्रावास वार सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) सरकार द्वारा इन छात्रावासों में भवन व बिस्तर आदि नि:शुल्क उपलब्ध करवाती है एवं भोजन आदि हेतु प्रति छात्र प्रतिमाह 675 रुपये भोजन आदि हेतु उपलब्ध कराती है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं	मद का नाम	राशि प्रतिमाह	राशि प्रतिवर्ष 9 ½ माह
1.	भोजन नाश्ता, विशेष भोजन, ईंधन इत्यादि	525	4987.50

(समाज कल्याण मंत्री)

क्र.सं	मद का नाम	राशि प्रतिमाह	राशि प्रतिवर्ष 9 ½ माह
2.	स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई, जूते, मौजे, तौलिया एवं जर्सी आदि प्रवेश के समय एक मुश्त	80	760
3.	बालों में लगाने का तेल, नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन बाल कटिंग इत्यादि	24	228
4.	चद्दर तकिया, खोली एवं खेस धुलाई	12	114
5.	बिजली, पानी	28	266
6.	समाचार पत्र पत्रिकाऐं	06	57
	कुल योग	**675**	**6412.50**

(3) जी नहीं। राशि पर्याप्त है। वर्तमान में बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं	छात्रावास का नाम	स्वीकृत छात्र संख्या	प्रवेशित छात्र संख्या वर्ष 2004-05
1	2	3	4
राजकीय छात्रावास			
1.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कटावर	25	0
2.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, किशनगंजी (किशनगंज)	35	0
3.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, चरडाना (अटरू)	35	0

1	2	3	4
4.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कुंजेड (बारां)	25	0
5.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, आटोन (अटरू)	35	0
6.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, करबाथाना	25	25
7.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अटरू	70	70
8.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बडौरा	25	25
9.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बारां	55	60
10.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बराना	25	23
11.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, छीपा बड़ौद	40	40
12.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, फतेहपुर बारां	29	21
13.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, हरनावदा शाहजी	35	35
14.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कवई	50	50
15.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सीसवाली	35	34
16.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास,बटावदा (बारां)	0	0
17.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, समरानिया	0	0
18.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बामला	0	0
19.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, बारां	35	35
20.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, देवरी	25	25
21.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, खेडलीगंज (अटरू)	25	0

1	2	3	4
22.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जलवाड़ा	35	35
23.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कैलवाड़ा	45	45
24.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, किशनगंज	50	50
25.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मंगरोल	35	32
26.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, गरड़ा	25	25
27.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, नाहरगढ़	35	3
28.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, समरानिया	35	35
29.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, शाहबाद	35	35
30.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, भूलोन	25	0
31.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, रायथल	25	0
32.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, छबड़ा	50	50
33.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पाली	35	35
34.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अन्ता	25	25
35.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, अटरू	50	50
योग (राजकीय छात्रावास)-35		**1235**	**895**
अनुदानित छात्रावास			
1.	अनुदानित अनु. जाति छात्रावास, बारां सिटी	25	0

1	2	3	4
2.	अनुदानित अनु. जनजाति छात्रावास, कस्बा थाना	40	40
3.	अनुदानित अनु. जनजाति छात्रावास, नाहरगढ़	40	40
4.	अनुदानित अनु. जनजाति छात्रावास, शाहबाद	50	50
5.	अनुदानित अनु. जनजाति छात्रावास, शाहबाद	25	25
6.	अनुदानित अनु. छात्रावास, सीताबाड़ी (केलवाड़ा)	25	25
7.	अनुदानित अनु. जनजाति कन्या छात्रावास, छीपाबड़ौद	25	0
8.	अनुदानित अनु. जनजाति कन्या छात्रावास, किशनगंज	25	0
योग (अनुदानित छात्रावास)-8		**255**	**180**
योग (राजकीय एवं अनुदानित)-43		**1490**	**1075**

कोटा जिले के खनन क्षेत्रों पर अतिक्रमण

368. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अधीक्षण अभियन्ता, खनिज विभाग कोटा द्वारा निदेशक को पत्र क्रमांक : अखअ/कोटा/जांच/प-11 (99) 4045 दिनांक 3 सितम्बर, 2002 लिखा गया था? यदि हां, तो इसके पश्चात् उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खनन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाये जाने में सरकार द्वारा अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति नहीं दी जाने तथा राजस्व विभाग का खनन

(श्री रामनारायण मीणा)

विभाग को सहयोग नहीं मिलने के कारण मौके पर से अतिक्रमण नहीं हटवाये जा सके?

(3) क्या सरकार खनिज भण्डार को देखते हुए उक्त क्षेत्र से पूरी तरह से अतिक्रमण हटवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि अधीक्षण खनि. अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा द्वारा निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को पत्र क्रमांक : अखअ/कोटा/जांच/प.11(99)4045 दिनांक 3.9.2002 लिखा गया था। इस सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद राज्य सरकार द्वारा तय किया गया है कि सिवाय चक खसरा पर किसी का अतिक्रमण है तो भी जिला प्रशासन खान विभाग के प्रस्ताव पर खनन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करेगा, ताकि वहां खनन पट्टे स्वीकृत किये जा सकें एवं यह भी निर्णय लिया गया कि जहां सम्भावित खनन क्षेत्र है, वहां किसी को आबंटित नहीं किया जावे।

(2) विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि सिवाय चक भूमि पर अगर किसी का अतिक्रमण है तो भी जिला प्रशासन अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करेंगे।

(3) खनिज भण्डार को देखते हुए जिला प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिलने के बाद अतिक्रमित भूमि पर भी नियमानुसार खनन पट्टे जारी किये जा सकेंगे।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत निर्धारित आयु सीमा

369. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की है? यदि हां, तो कब से? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना राज्य के किन-किन जिलों में प्रारम्भ की गई तथा अब तक

(श्री रामचन्द्र सराधना)

उक्त योजना में कितने लोगों को जोड़कर लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने इस योजना में कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की है? यदि हां, तो कितनी? क्या सरकार अधिकतम आयु सीमा को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना 10 सितम्बर, 2004 से चालू की है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर अवलोकनीय है।

(2) उक्त योजना राज्य के सात डी.पी.आई.पी. जिले क्रमश: धौलपुर, बारां, दौसा, राजसमन्द, चूरू, झालावाड़ एवं टोंक में प्रारम्भ की गई है। उपर्युक्त योजना में अब तक जोड़कर लाभान्वित किये गये लोगों का विवरण परिशिष्ट-ब पर अवलोकनीय है।

(3) जी हां। सरकार द्वारा उक्त योजना में आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की है, उक्त योजना में आयु सीमा में परिवर्तन केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना किया जाना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट-अ

दिनांक 14 जुलाई, 2003 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली गरीब जनता के लिए आकर्षक व सस्ती स्वास्थ्य बीमा योजना "सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना" की घोषणा की गई।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना "गरीब स्वास्थ्य सुरक्षा कवच" के नाम से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 10 सितम्बर, 2004 को प्रारम्भिक स्तर पर डीपीआईपी के सात चयनित जिलों में लागू की गई, योजना गरीब परिवारों के सदस्य को बहुत ही मामूली प्रीमियम दर पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जारी इस योजना में देय प्रीमियम की राशि पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान देने का प्रावधान किया गया है, जिसके कारण गरीब परिवारों पर प्रीमियम का मामूली बोझ पड़ता है। योजना का मुख्य आकर्षण यह है कि यह योजना परिवार के मुखिया के अतिरिक्त परिवार में बच्चों तथा

वृद्ध माता-पिता हेतु भी अतिरिक्त मामूली प्रीमियम देने पर उपलब्ध है तथा इसका अतिरिक्त लाभ उठाया जा सकता है।

योजना के अन्तर्गत देय प्रीमियम व लाभ

प्रीमियम

एक व्यक्ति हेतु	रू. 1.00 प्रतिदिन	रू. 365/- प्रति वर्ष
परिवार हेतु (5 व्यक्तियों तक)	रू. 1.50 प्रतिदिन	रू. 548/- प्रति वर्ष
परिवार हेतु (7 व्यक्तियों तक)	रू. 2.00 प्रतिदिन	रू. 730/- प्रति वर्ष

गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों को देय प्रीमियम पर अनुदान देने का प्रावधान केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा क्रमश: 200 रु. एक व्यक्ति के लिए, 300 रु. 5 व्यक्तियों तक एवं 400 रु. 7 व्यक्तियों तक के अनुदान देने का प्रावधान है।

लाभ

अस्पताल में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति

अस्पताल में हुए इलाज पर खर्च की प्रतिपूर्ति की सीमा रु. 30,000/- होगी जो एक व्यक्ति या पूरे परिवार के लिये होगी यह निम्न मदों में सीमित होगी :-

क.	(1)	अस्पताल के कमरे का खर्च	रु. 150/- प्रतिदिन तक
	(2)	इन्टेन्सिव केयर यूनिट का खर्च	रु. 300/- प्रतिदिन तक
ख.		शल्य चिकित्सक, एनेस्थेटिस्ट, विशेषज्ञ, कन्सलटेन्ट नर्सिंग व्यय इत्यादि	रु. 4,500/- प्रति बीमारी तक
ग.		आक्सीजन, रक्त, एनेस्थिसिया, आपरेशन थियेटर, जांच पर व्यय, एक्स-रे, डायलेसिस, रेडियथरापी, कीमोथेरापी, पेसमेकर का मूल्य, कृत्रिम अंग इत्यादि।	4,500/- प्रति बीमारी तक
घ.		किसी एक बीमारी में कुल व्यय	रु. 15,000/- तक

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा-

परिवार के कमाने वाले मुखिया की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर रु. 25,000/-

अकर्मण्यता सुरक्षा

परिवार के कमाने वाले मुखिया की बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर प्रथम तीन दिन के बाद रु. 50/- प्रतिदिन की दर से अधिकतम 15 दिनों के अकर्मण्यता की प्रतिपूर्ति।

परिशिष्ट-ब

योजना के अन्तर्गत 15 मार्च, 2005 तक लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा कवच (गरीब स्वास्थ्य सुरक्षा कवच)

जिले का नाम	जारी की गई पालिसी की संख्या	पालिसी के अन्तर्गत व्यक्तियों की संख्या
दौसा	0	0
टोंक	208	561
बारां	19	91
झालावाड़	716	1882
राजसमन्द	0	0
चूरू	7	11
धौलपुर	0	0
कुल	950	2545

डेगाना (नागौर) के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान पर अतिक्रमण

370. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नागौर जिले के विभिन्न स्थानों पर स्थित खेल मैदानों पर किये गये अतिक्रमणों पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

(2) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेगाना (नागौर) के खेल मैदान के चारों तरफ असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण किये गये हैं? यदि हां, तो इन अतिक्रमणों को कब तक हटा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभिन्न खैल मैदानों पर अतिक्रमण करने वालों को विधि सम्मत तरीके से हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, डेगाना के खेल मैदान के पास अतिक्रमण है। विधि सम्मत तरीके से सम्बन्धित अतिक्रमियों के विरूद्ध स्थानीय स्तर पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही प्रक्रिया सम्पन्न करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

जयपुर जिले में देह व्यापार के दर्ज प्रकरण

371. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में जयपुर में अनैतिक देह व्यापार से सम्बन्धित कितने मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में अनैतिक देह व्यापार से सम्बन्धित वर्ष 2002 में 32, वर्ष 2003 में 20 तथा वर्ष 2004 में 34 मुकदमें जयपुर के विभिन्न थानों में दर्ज हुए, जिनका पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) अनैतिक देह व्यापार के मामलों को रोकने के लिए अभियुक्तों के विरूद्ध पीटा एक्ट में अभियोग दर्ज कर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा सम्बन्धित थाना क्षेत्र को इस सम्बन्ध में जानकारी संकलित करने एवं उन स्थानों की गश्त एवं निगरानी कार्य रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। सादा वस्त्रों में पुलिसकर्मियों को सम्बन्धित थाना इलाकों में तैनात किया जाता है, गोपनीय सूचना एकत्रित करने के लिए मुखबिर भी तैनात किये जाते हैं, जिनसे प्राप्त सूचना के

(गृह मंत्री)

आधार पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है। समय-समय पर अभियान चलाकर इस सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

परिशिष्ट-अ

(गत तीन वर्षों में जयपुर के विभिन्न थानों में अनैतिक देह व्यापार के सम्बन्ध में दर्ज प्रकरणों का विवरण)

क्र. सं.	नाम थाना	वर्ष 2002	वर्ष 2003	वर्ष 2004
1	2	3	4	5
1.	कोतवाली	1	—	1
2.	संजय सर्किल	1	1	—
3.	ब्रह्मपुरी	—	—	3
4.	आमेर	—	—	—
5.	सुभाष चौक	1	—	1
6.	रामगंज	—	—	—
7.	गलता गेट	1	1	—
8.	बनीपार्क	—	—	1
9.	शास्त्रीनगर	—	—	1
10.	झोटवाड़ा	2	1	—
11.	विश्वकर्मा	2	—	—
12.	मुरलीपुरा	—	3	2
13.	महिला थाना उत्तर	2	—	4
14.	विधायकपुरी	2	—	2
15.	गांधीनगर	1	—	—
16.	सांगानेर	1	1	3
17.	मालवीयनगर	2	2	1
18.	जालूपुरा	—	—	3
19.	सिंधीकैम्प	—	1	1
20.	वैशालीनगर	1	—	3

1	2	3	4	5
21.	मानसरोवर	—	1	1
22.	शिप्रापथ	4	1	2
23.	दूदू	11	8	5
	कुल योग	32	20	34

बारां जिले की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में पदस्थापित अधिकारी

372. **श्री प्रमोद जैन "भाया"** (बारां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां की क्रय-विक्रय सहकारी समिति में कौन-कौन अधिकारी मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं? उक्त अधिकारियों में से किस-किस अधिकारी पर धन के गबन के आरोप या तो प्रमाणित हो चुके या विचाराधीन हैं?

(2) आरोपी व दोषी अधिकारियों को पुनः इन समितियों में लगाने के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सही है कि आरोपी व दोषी अधिकारियों को सहकारी मैनेजर नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित या विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बारां की क्रय विक्रय सहकारी समितियों में, बारां में संस्था के श्री मीरसिंह मान, अन्ता में विभाग के अजयसिंह पंवार, अटरू में संस्था के श्री भैरूलाल वर्मा, छबड़ा में संस्था के श्री बृजमोहन चौरसिया तथा छीपाबड़ौद क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. में संस्था के श्री मोहम्मद उबेद, मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। उक्त अधिकारियों में श्री भैरूलाल वर्मा के विरुद्ध अधिनियम की धारा-57 के अन्तर्गत प्रकरण विचाराधीन है एवं श्री अजयसिंह पंवार को सी.सी.ए. रूल्स 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र दिया गया है जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) श्री भैरूलाल वर्मा अटरू क्रय विक्रय सहकारी समिति के ही कर्मचारी हैं, जिनका अन्यत्र स्थानान्तरण सम्भव नहीं है। श्री अजयसिंह पंवार सहकारी निरीक्षक है, जिन्हें 26.6.2004 को अन्ता क्रय विक्रय सहकारी समिति के मुख्य व्यवस्थापक पद पर स्थापित किया गया तथा सी.सी.ए. रूल्स 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत आरोप पत्र दिनांक 5.11.2004 के अन्य समिति के मामले में दिया गया। यह उक्त कारण एवं विभाग में निरीक्षकों की कमी के कारण कार्यरत है।

(3) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर विद्याधर नगर स्थित स्टेडियम में खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति

610. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के क्षेत्रफल की दृष्टि से खेल मैदान अत्यधिक कम है? यदि हां, तो क्या सरकार जयपुर में मिनी स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) विद्याधर नगर, जयपुर के स्टेडियम में वर्तमान में किन-किन खेलों की सुविधा तथा किन-किन खेलों की कोचिंग हेतु प्रशिक्षक नियुक्त हैं? शेष खेलों हेतु सरकार कब तक किन-किन खेलों के प्रशिक्षक नियुक्त करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विद्याधर नगर, जयपुर के स्टेडियम के अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विद्याधर नगर स्टेडियम, जयपुर पर वर्तमान में लॉन टेनिस, बास्केटबाल, क्रिकेट, बालीबाल, हैण्डबाल, खो-खो, कब्ड्डी खेल की सुविधा है। उक्त स्टेडियम पर हैण्डबाल एवं बाक्सिंग खेल की कोचिंग हेतु प्रशिक्षक नियुक्त है। अन्य खेलों के प्रशिक्षक उपलब्ध होने पर नियुक्ति का विचार किया जावेगा।

(3) जी हां। वर्तमान में विद्याधर नगर, जयपुर के स्टेडियम को साई द्वारा लिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय की सम्भावना है। तत्पश्चात् ही विद्याधर नगर स्टेडियम पर राज्य सरकार द्वारा और राशि व्यय करने पर विचार किया जावेगा।

खनन कार्यों पर रोक से बेरोजगार श्रमिकों का पुनर्वास

611. **श्री सुरेश मीणा** (करौली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में किन-किन क्षेत्रों में कब से खनन कार्य बन्द कराया गया है? क्या इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है? यदि हां, तो क्या इस आदेश का सभी खान मालिकों द्वारा समान रूप से पालन किया जा रहा है?

(2) खनन कार्य बन्द करने से राज्य में कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए तथा इनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया?

उत्तर

(1) माननीय न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के तहत निम्नानुसार खनन कार्य बन्द कराया गया :-

1. सिविल रिट पिटीशन संख्या 509/1991 में मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 8.4.1993 (तरूण भारत संघ बनाम भारत सरकार व अन्य) अलवर जिले में खनन कार्य बन्द कराया गया।

2. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 की पालना में राज्य के वन क्षेत्र में आने वाले खनन पट्टों में खनन कार्य बन्द कराया गया।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002 से अरावली हिल रेंज में आने वाले 15 जिलों में खनन कार्य बन्द कराया गया।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय दिनांक 27.5.2003 से जमवारामगढ़ अभयारण्य क्षेत्र जिला जयपुर में खनन कार्य बन्द कराया गया।

5. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 7.5.1992 के फलस्वरूप जिला अलवर की गैर-मुमकिन पहाड़, गैर मुमकिन राड़ा, गैर मुमकिन बीहड़, बंजड़, बीड व रूंध किस्म की भूमि में पर्यावरण क्लीयरेंस अभाव में जिला अलवर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की याचिका संख्या 202/95 टी.एन.

(खनिज मंत्री)

गोडावरमन पीरूमल बनाम भारत सरकार व अन्य में जारी आदेश दिनांक 16.12.2002 की अनुपालना में खनन कार्य बन्द है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित सिविल रिट पिटीशन संख्या 460/04 गोवा फाउण्डेशन बनाम भारत संघ व अन्य में दिये गये आदेश दिनांक 17.12.2004 व 21.02.2005 के क्रम में राज्य के 8 खनन पट्टों में दिनांक 3.3.2005 से खनन कार्य बन्द कराया गया।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जयपुर के सिविल रिट पिटीशन संख्या 7544/03 श्री अश्विनी कुमार चौबीसा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में दिये गये निर्णय के फलस्वरूप दिनांक 17.3.2004 से राज्य में खनन पट्टे/क्वारी लाइसेन्स में खनन कार्य बन्द कराया गया था।

जी हां, इस आदेश की पालना सभी खान मालिकों से समान रूप से कराई जा रही है।

(2) खनन कार्य बन्द होने से कार्यरत व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार रहे, यथासम्भव न्यायालय के आदेशों की पालना कर ज्यादातर खानों में पुन: खनन कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया जिससे पुन: रोजगार पर व्यक्ति लग गये।

थानागाजी की वन क्षेत्र के बाहर की खानों में खनन हेतु छूट

612. श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में झिरी और कालवाड़ क्षेत्र की अधिकांश खानें जंगलात क्षेत्र से बाहर हैं, फिर भी सरकार द्वारा इन्हें बन्द कर दिया गया है?

(2) क्या सरकार इन खानों को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में झिरी क्षेत्र में 56 खानें तथा कालवाड़ क्षेत्र में एक खान वन क्षेत्र से बाहर है। 12 पट्टेधारियों द्वारा पर्यावरण पूर्वानुमति प्राप्त नहीं की है, अत: उनमें खनन कार्य बन्द करवाया गया है।

(2) सम्बन्धित पट्टेधारियों द्वारा पर्यावरण अनुमति प्रस्तुत करने पर खनन कार्य नियमानुसार प्रारम्भ कराया जा सकेगा।

"ऐरोज मिनरल्स" द्वारा बरथल क्षेत्र (निर्वा) में अवैध खनन

613. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई के बरथल के पास स्थित रक्तांचल पर्वत की चोटी पर ऐरोज मिनरल्स को खनन पट्टा जारी किया गया था? यदि हां, तो कब? स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त फर्म को खनन पट्टा वर्ष 1999 तक की अवधि हेतु ही जारी किया गया था? यदि हां, तो क्या वर्ष 1999 के बाद भी इस फर्म द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों व इसके लिए कौन दोषी है? सरकार दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त फर्म ने अवैध खनन कर सर्वोच्च न्यायालय एवं सरकार के निर्देशों/आदेशों का उल्लंघन किया है? यदि हां तो क्या उक्त फर्म के मालिक के विरुद्ध सरकार द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐरोज मिनरल्स के नाम से कोई खनन पट्टा जारी नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थानों में स्वीकृत कार्मिकों की संख्या में वृद्धि

614. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में गत पांच वर्षों में कितनी चोरी, लूट, डकैती या नकबजनी व अन्य प्रकार के अपराध घटित होने की रिपोर्ट दर्ज हुई? क्या यह पहले की तुलना में बढ़े हैं? यदि हां, तो सरकार इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

(2) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में कितने थाने कार्यरत हैं? उनकी सूची एवं वहां स्वीकृत स्टाफ की संवर्गवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) किसी भी थाने में पदों की स्वीकृति के क्या मानदण्ड हैं एवं यह कब से प्रभावी है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इन्हें वर्तमान जनसंख्या व क्षेत्र के अनुसार परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में गत पांच वर्षों में दर्ज हुये चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी व अन्य भा.द.स. के घटित अपराध का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	अपराध	वर्ष	कुल दर्ज अपराध	एफआर	चालान	पेन्डिंग
1	2	3	4	5	6	7
1.	चोरी	2000	87	62	25	—
		2001	105	89	16	—
		2002	95	73	22	—
		2003	117	87	30	—
		2004	151	120	28	3

(गृह मंत्री)

1	2	3	4	5	6	7
2.	लूट	2000	5	—	5	—
		2001	11	5	6	—
		2002	6	5	1	—
		2003	14	8	6	—
		2004	5	3	—	2
3.	डकैती	2000	—	—	—	—
		2001	1	—	1	—
		2002	—	—	—	—
		2003	—	—	—	—
		2004	3	1	—	2
4.	नकबजनी	2000	53	42	11	—
		2001	68	54	14	—
		2002	52	47	5	—
		2003	64	58	6	—
		2004	69	62	7	—
5.	अन्य भादस	2000	1052	266	786	—
		2001	1023	301	721	1
		2002	1010	303	705	2
		2003	976	287	689	—
		2004	1008	286	677	45

(गृह मंत्री)

इन अपराधों में पूर्व की तुलना में आंशिक वृद्धि हुई है। मगर अन्य भादस के अपराधों में कमी आई है। इन अपराधों की रोकथाम के लिए निम्नानुसार प्रयास किये जा रहे हैं :-

1- थाना क्षेत्रों में गश्त, मोबाइलगश्त, नाकाबन्दी की जा रही है, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर कार्यवाही की जा रही है।

2- क्षेत्रीय जनता को जागरूक रहने के लिए सी.एल.जी. की बैठकें आयोजित कर बताया जा रहा है तथा जनता का सहयोग प्राप्त कर अपराधों पर नियन्त्रण रखने का प्रयास किया जा रहा है।

3- आदतन अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में विचाराधीन एवं नये दर्ज होने वाले प्रकरणों पर अधिकारी नियुक्त कर उनकी ट्रायल के दौरान पैरोकारो से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि न्यायालय में सुचारू रूप से साक्ष्य पेश किया जावे।

(2) विधान सभा ब्यावर में पुलिस थाने व चौकियां तथा उनमें स्वीकृत पदस्थापित स्टाफ की सूचना निम्न तालिका अनुसार है :-

क्र. सं.	नाम थाना/चौकी	स्वीकृत पद					पदस्थापन स्टाफ				
		पुनि	उनि	सउनि	मुआ	कानि.	पुनि	उनि	सउनि.	मुआ	कानि.
1.	ब्यावर शहर	1	2	4	3	19	1	1	3	6	15
	चौकी रेल	—	—	1	—	8	—	—	1	—	6
	चौकी चंग गेट	—	—	1	—	8	—	—	1	—	7
	चौकी मेवाडी गेट	—	—	1	—	8	—	—	1	—	8
	चौकी सूरजपोल	—	—	1	—	8	—	—	1	—	7
	चौकी अस्पताल	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
2.	ब्यावर सदर	1	2	4	3	15	1	2	2	6	15
	चौकी नाका ब्यावर	—	—	—	1	4	—	—	—	2	—
3.	थाना ज्वाजा	—	1	1	1	15	—	1	1	1	11
	चौकी राजियावास	—	—	1	—	8	—	—	1	—	3
4.	थाना टाटगढ़	—	1	—	1	12	—	1	—	2	8

(गृह मंत्री)

(3) थाने में पदों की स्वीकृति का कोई भी निश्चित मानदण्ड नहीं है। थाना क्षेत्र की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति एवं थाना क्षेत्रों में होने वाली आपराधिक गतिविधियों के आधार पर पद स्वीकृत किये जाते हैं। दर्ज अपराधों के अनुसार मानदण्ड निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	विवरण	पुनि	उनि	सउनि	मु.आ.	आरक्षी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पुलिस स्टेशन						
	एसएचओ शहर /सदर/ सब डिवि हैडक्वाटर						
	60 अपराधों तक	—	1	-	2	17	20
	60 से 120 अपराध	—	1	1	2	19	23
	120 से 180 अपराध	—	1	2	2	21	26
	180 से 240 अपराध	—	2	3	2	23	30
	240 से 300 अपराध	—	2	4	3	25	34
	300 से 360 अपराध	—	2	5	4	27	38
	360 से 420 अपराध	1	2	6	4	29	42
	420 से 480 अपराध	1	2	7	4	31	45
	480 से 540 अपराध	1	2	8	4	33	48
	540 से 600 अपराध	1	2	9	4	35	51
	600 से 660 अपराध	1	2	10	4	37	54
	660 से 720 अपराध	1	3	10	4	39	57
	720 से 780 अपराध	1	3	11	4	41	60
	780 से 840 अपराध	1	3	12	4	43	63

(गृह मंत्री)

1	2	3	4	5	6	7	8
	840 से 900 अपराध	1	4	12	4	45	66
	900 से 960 अपराध	1	4	13	4	47	69
	960 से 1020 अपराध	1	4	14	4	49	72
	1020 से 1080 अपराध	1	5	14	4	51	75
2.	बोर्डर पुलिस स्टेशन	1	2	4	4	25	36
3.	सिटी/ग्रामीण/बोर्डर आउट पोस्ट	—	—	1	1	8	10
	(2) जयपुर शहर आउट पुलिस स्टेशन	—	1	—	4	24	29
4.	ग्रामीण आउट पुलिस स्टेशन	—	—	—	1	6	7

(4) इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राज्य में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि पर नियंत्रण हेतु कार्य योजना

615. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में दिनांक 01 जनवरी, 2003 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 तक विभिन्न थानों में आपराधिक गतिविधियों के कितने-कितने प्रकरण जिलावार एवं माहवार दर्ज हुए? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में आपराधिक घटनाओं में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए सरकार इन पर नियंत्रण करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रमोद जैन "भाया")

(3) सरकार द्वारा वर्ष 2004 में कितने आपराधिक/फौजदारी प्रकरण किस किस जिले के किस-किस व्यक्ति के विरुद्ध किस-किस न्यायालय से वापस लिए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में दिनांक 1.1.2003 से दिनांक 31.12.2004 तक विभिन्न थानों में आपराधिक गतिविधियों के दर्ज प्रकरण जिलावार एवं माहवार सूची प्रकरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य में उक्त अवधि में आपराधिक घटनाओं में अपेक्षाकृत आंशिक वृद्धि हुई है। इन पर नियंत्रण हेतु राज्य में प्रत्येक माह जन समस्या समाधान शिविरों, सी.एल.जी. की बैठकों तथा पुलिस द्वारा संचालित जन सहभागिता अभियान के माध्यम से पूर्ण प्रयास जारी है। साथ ही सुचारू रूप से गश्त एवं नाकाबन्दी, असामाजिक तत्वों एवं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही जारी है।

(3) सरकार द्वारा वर्ष 2004 में जितने आपराधिक/फौजदारी प्रकरण विभिन्न न्यायालयों से जिन-जिन व्यक्तियों के विरुद्ध वापस लिये गये हैं। जिनका विवरण जिलेवार परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूची विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थानों में दर्ज प्रकरण

616. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में दिसम्बर, 2003 से अब तक जनता द्वारा थानों में कितने मुकदमें दर्ज करवाये गये? थानेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में से किन-किन में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया? किन-किन में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई एवं किन-किन में अनुसंधान जारी है? थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में माह दिसम्बर, 2003 से अब तक (28.2.2005) जनता द्वारा कुल 6499 मुकदमे दर्ज करवाये हैं, जिनकी थानेवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में से 2892 मुकदमों में चालान न्यायालय में पेश किये गये तथा 3145 मुकदमों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गयी एवं 462 मुकदमों में अनुसंधान जारी है जिनकी सूची थानावार परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में स्थिति थानों में दिसम्बर, 2003 से दिनांक 28.2.2005 तक जनता द्वारा थानों पर दर्ज कराये गये अभियोगों की सूची थानेवार

क्र.सं.	नाम थाना	दर्ज संख्या	एफआर	चालान	पैण्डिंग
1	2	3	4	5	6
1.	सदर	210	78	125	07
2.	सोडाला	490	204	240	46
3.	मोती डूंगरी	276	150	116	10
4.	विधायकपुरी	930	589	299	42
5.	ज्योति नगर	355	187	147	21
6.	बजाज नगर	502	252	217	33
7.	आदर्श नगर	50	25	23	02
8.	महेश नगर	396	162	186	48
9.	शिप्रापथ	535	232	218	85
10.	मानसरोवर	31	10	16	05
11.	वैशाली नगर	803	384	367	52

1	2	3	4	5	6
12.	सांगानेर	120	38	80	02
13.	लालकोठी	06	01	05	—
14.	अशोक नगर	370	230	115	25
15.	श्याम नगर	349	177	139	33
16.	झोटवाड़ा	710	277	401	32
17.	मुरलीपुरा	366	149	198	19

सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थानों में दर्ज आपराधिक प्रकरणों में जांच

617. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलुम्बर में वर्ष 2003-04 में कहां-कहां, कितनी-कितनी चोरी, डकैती एवं नकबजनी की वारदात हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वारदात के कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई व कितने अभियुक्तों का चालान पेश किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सलूम्बर विधायक के निवास पर हुई चोरी के अभियुक्त का पता चला है? यदि नहीं, तो उक्त चोरी की जांच कौन अधिकारी कर रहे हैं तथा जांच धीमी गति से करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वर्ष 2003 में डकैती की वारदात नहीं हुई है तथा नकबजनी की 25, चोरी की 17 वारदात हुई हैं वर्ष 2004 में डकैती की एक, नकबजनी 30, चोरी की 20 वारदात हुई हैं। कहां-कहां कितनी वारदात हुई हैं इसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(2) उक्त वारदातों में डकैती के 2, नकबजनी के 47 व चोरी के 42 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये। गिरफ्तार शुदा सभी अभियुक्तों का चालान न्यायालय में पेश किया गया है। उक्त प्रकरणों में अभियुक्तों के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) सलूम्बर विधायक के निवास पर हुई चोरी के अभियुक्त का काफी प्रयास के बावजूद पता नहीं चल पाया है। उक्त चोरी की जांच रिडमल सिंह पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी सलूम्बर कर रहे हैं। चोरी की उक्त घटना पर प्रकरण सं. 248/04 धारा 457, 380 ता.हि. थाना सलूम्बर में दर्ज किया जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, बयानात गवाहान लिये गये, माल मुल्जिमान की पतारसी त्वरित गति से की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

नोखा (बीकानेर) पुलिस थाना में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 269/04 की जांच

618. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि थाना नोखा, बीकानेर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 269/04 अन्तर्गत धारा 307 की अन्वेषण प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मामले में दोषियों को बचाने के लिए अनेक बार अन्वेषण अधिकारी बदले गये हैं? यदि नहीं, तो अन्वेषण में देरी का क्या कारण है?

(3) क्या सरकार उक्त मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। थाना नोखा, बीकानेर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 269/04

(गृह मंत्री)

अन्तर्गत धारा 307, 341, 323, 147, 148, 149 भादस की अन्वेषण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। क्योंकि अभियुक्तगण गिरफ्तारी के भय से रूपोष है।

(2) यह सही नहीं है कि दोषियों को बचाने के लिये अन्वेषण अधिकारी बदले गये हैं। इस प्रकरण के अभियोगी व अभियुक्तगण दोनों पक्षों द्वारा परिवाद पेश कर अनुसंधान अधिकारी बदलवाये गये हैं। बार-बार अनुसंधान अधिकारी बदलने एवं गवाहान का बयान हेतु नहीं मिलने के कारण अनुसंधान में देरी हुई है।

(3) उक्त मामले में दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही कर, आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया जायेगा। प्रकरण में अति. पुलिस अधीक्षक (अपराध एवं सतर्कता) रेंज बीकानेर द्वारा त्वरित गति से अनुसंधान किया जा रहा है।

बिछीवाड़ा (डूंगरपुर) पुलिस थाना द्वारा पकड़ी गई अवैध रूप से ले जा रही गायों की सुपुर्दगी

619. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर पंचायत समिति बिछीवाड़ा थाना बिछीवाड़ा द्वारा पिछले 7 महीनों में कई गायों से भरे ट्रकों को पकड़ा गया है? यदि हां, तो कितने ट्रक कब-कब पकड़े गये? तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गायों को पकड़ कर सरकार द्वारा कब व किसके सुपुर्द किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि जिला डूंगरपुर की पंचायत समिति बिछीवाड़ा में पिछले 7 महीनों में गायों से भरे 4 ट्रकों को पकड़ा गया है। जिनका विवरण तारीख व स्थान सहित निम्न प्रकार है :-

(गृह मंत्री)

क्र.सं.	मुकदमा नम्बर/ तारीख दर्ज	अपराध धारा गौवध अधिनियम	स्थान व दिनांक जहां गौवंश पकड़ा गया	गौवंश किसे सुपुर्द किया	नतीजा अनु संधान	गौवंश किसके आदेश से सुपुर्द किया गया	ट्रकों की संख्या	गौवंश की संख्या		
								गाय	बछड़ी/ बछड़ा	बैल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	214/04 12.8.2004	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गौवंश अधिनियम	ग्राम मेवाड़ा दिनांक 12.8.2004	ग्राम पंचायत बिछीवाड़ा	चालान 197/ 20.8.2004	श्रीमान डीएमसा. डूंगरपुर के आदेश से	1	10	8	—
2.	215/04 12.8.2004	—"—	नेशनल हाइवे रतनपुर 12.8.2004	ग्राम पंचायत रतनपुर	चालान 199/ 20.8.2004	—"—	1	13	16	—
3.	255/04 25.9.2004	—"—	ग्राम मेवाड़ा दिनांक 25.9.2004	ग्राम पंचायत बिछीवाड़ा	चालान 237/ 20.10.2004	—"—	1	21	7	—
4.	357/04 27.12.2004	—"—	ग्राम रतनपुर 27.12.2004	ग्राम पंचायत चूंडावाडा	चालान 001/ 1.11.2004	—"—	1	13	32	—

(गृह मंत्री)

(2) उक्त अवैध गायों को पकड़कर पुलिस द्वारा उपरोक्तानुसार जिला कलक्टर डूंगरपुर के आदेश से ग्राम पंचायतों को सुपुर्द किये गये हैं।

आत्महत्या की घटनाओं की रोकथाम हेतु कार्य-योजना

620. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 2004 में कुल कितनी आत्महत्याएं हुई और उसके क्या कारण रहे? वर्गीकरण के आधार पर कारण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन-जिन कारणों से आत्महत्याएं हुई हैं उन्हें दूर करने के लिए वर्ष 2005 में सरकार द्वारा क्या नीति बनाई गई? कारणों के सम्बन्ध में सोचे गये उपायों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2004 में कुल 3441 आत्महत्याएं हुई हैं, आत्महत्याओं के कारणों का उल्लेख परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) आत्महत्याओं के कारणों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई नीति नहीं बनाई गई है।

परिशिष्ट "अ"

राज्य में वर्ष 2004 में हुई आत्महत्याओं का कारण सहित जिलेवार विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	आत्महत्याओं की संख्या	आत्महत्याओं का कारण
1	2	3	4
1.	अजमेर	160	
2.	भीलवाड़ा	167	1. पारिवारिक समस्या
3.	नागौर	49	2. प्रेम प्रसंग के कारण
4.	टोंक	27	3. व्यवसायिक समस्या

1	2	3	4
5.	जयपुर शहर (उत्तर)	132	4. आर्थिक तंगी के कारण
6.	जयपुर शहर (दक्षिण)	147	5. पढ़ाई में कमजोर होने के कारण
7.	जयपुर ग्रामीण	111	6. बीमारी से दुखी होने के कारण
8.	झुंझुनूं	267	7. दिमागी असंतुलन
9.	सीकर	139	8. नशे की लत के कारण
10.	दौसा	40	9. सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण
11.	बीकानेर	341	10. अनुचित (अवैध) सम्बन्धों के कारण
12.	चुरू	132	11. विवाह टूटने के कारण
13.	गंगानगर	135	12. बच्चा नहीं होने के कारण
14.	हनुमानगढ़	119	13. बेरोजगारी होने के कारण
15.	भरतपुर	10	14. असफलता के कारण
16.	अलवर	121	15. मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के कारण
17.	सवाईमाधोपुर	17	16. ससुराल पक्ष से तंग आने के कारण
18.	धौलपुर	27	17. दहेज विवाद के कारण
19.	करौली	17	
20.	जोधपुर शहर	85	
21.	जोधपुर ग्रामीण	29	
22.	जालौर	84	
23.	जैसलमेर	23	
24.	बाड़मेर	145	

1	2	3	4
25.	पाली	82	
26.	सिरोही	84	
27.	कोटा शहर	182	
28.	कोटा ग्रामीण	20	
29.	बूंदी	50	
30.	झालावाड़	51	
31.	बारां	64	
32.	उदयपुर	41	
33.	बांसवाड़ा	150	
34.	चित्तौड़गढ़	42	
35.	डूंगरपुर	50	
36.	राजसमंद	74	
37.	जीआरपी (अजमेर)	08	
38.	जीआरपी (जोधपुर)	19	
	कुल योग	3441	

बारां जिले के पुलिस थानों में जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

621. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां के किन-किन पुलिस थानों में विगत पांच वर्षों में कब-कब जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध कौन-कौनसी धाराओं में मुकदमे दर्ज किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन मुकदमों को वापिस लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री हेमराज मीणा)

(3) किन-किन जनप्रतिनिधियों द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को मुकदमे वापस लेने हेतु ज्ञापन/प्रार्थना पत्र दिये गये? प्राप्त ज्ञापनों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बारां में जन प्रतिनिधियों के खिलाफ गत पांच वर्षों में दर्ज मुकदमों की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) विगत पांच वर्षों में दर्ज मुकदमों में से निम्न 7 मुकदमों को वापस लेने बाबत राज्य सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनका गुणावगुण आधार पर परीक्षण कर, वापस लेने/न लेने बाबत शीघ्र विचार किया जावेगा :-

क्र. सं.	मुकदमा नं./पुलिस थाना	अन्तर्गत धारा
1.	35/2000, कोतवाली, बारां	451 व 323 भादसं.
2.	669/2000, कोतवाली, बारां	147, 332, 353, 336, 186 सपठित धारा 149 भादसं.
3.	797/2000, कोतवाली, बारां	147, 283 भादसं.
4.	413/2001, अटरू, बारां	147, 148, 332, 353, 452 सपठित धारा 149 भादसं. 3 एस.सी./एस.टी. अधिनियम व 3 पीडीपीपी अधिनियम
5.	448/2001, अंता, बारां	147, 148, 332, 353 व 188 भादसं.
6.	389/2001. अटरू, बारां	341, 323, 504 भादसं.
7.	276/2003, कोतवाली, बारां	4/25 आर्म्स अधिनियम

(3) किसी भी जन-प्रतिनिधि ने जिला पुलिस अधीक्षक को मुकदमे वापस लेने हेतु ज्ञापन/प्रार्थना पत्र नहीं दिया है।

परिशिष्ट "क"

विगत पांच वर्षों में जिला बारां में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज प्रकरण
वर्ष 2000

क्र. सं.	थाना	मुकदमा नं. मय तारीख	धारा	नाम पता मुलजिमान	नतीजा अनुसंधान	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7
1.	कोतवाली बारां	35/14.1.2के	451, 323 ता.हि.	श्री मदन दिलावर/ माधोलाल खटीक, नि. चरडाना विधायक अटरू	सीएस नं. 62/ 12.2.2001 चा. 28.5.2001	पंचायत चुनाव में भी फार्मा की जांच के दौरान विधायक ने कमाण्डों के धक्का देकर निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश कर राजकार्य में बाधा पहुंचाई।
2.	—"—	659/26.9.2के	147, 149, 332, 353, 336, 186 ता.हि.	श्री मदन दिलावर/ माधोलाल खटीक, नि. चरडाना विधायक अटरू	सीएस नं. 601/ 29.12.2001 चा. 29.3.2003	मुल. द्वारा पुलिस द्वारा लगाई गई बेरिकेटिंग को तोड़कर पत्थरबाजी की।
3.	—"—	797/4.12.2के	147, 283 ता.हि.	श्री मदन दिलावर विधायक श्री सत्यनारायण पारेवा नि. कोयला हाल प्रधान बारां।	सीएस 602/ 28.12.2001	हाईवे रोड पर चक्काजाम कर यातायात बाधित किया।

1	2	3	4	5	6	7
4.	किशनगंज	97/4.6.2000	8/18 एनडीपीएस एक्ट 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट	रमेश चंद/जमनालाल गुर्जर नि. कवरपुरिया प.स. सदस्य	सीएस 130/ 31.8.2000 चा. 2.12.2000	अभि. के मकान से 80 ग्राम अफीम एक देशी कट्टा व कारतूस बरामद किये।
5.	अटरू	347/5.9.2के	420, 467, 468 ता.हि.	राजेश यादव पत्नी कैलाश यादव नि. अटरू सरपंच	सीएस 131/ 31.9.2 के चा. 31.10.2 के	फर्जी पट्टा जारी किये गये।
6.	अटरू	408/31.10.2के	147, 332, 353, 333, 372, 201 ता.हि.	बंटी उर्फ विवेक/ भगवान ब्रा. नि. खेडलीगंज सरपंच	सीएस 324/ 18.11.2000 चा. 22.1.2002	राजकार्य में बाधा डाली।
7.	अटरू	413/4.11.2के	147, 148, 149, 452, 332, 353, 3पीडीपी एक्ट 3एससी/एसटी एक्ट	मदन दिलावर विधायक विधान सभा क्षेत्र अटरू	पेण्डिंग पुलिस	पंचायत समिति में घुसकर प्रधान के साथ मारपीट की।
8.	कस्बा थाना	116/19.9.2000	420, 409, 467, 468, 471, 120 भादस	बद्री सहरिया/बपसी पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सनपाडा	सीएस 95/ 30.10.2000 राज्य सरकार की स्वीकृति में है।	सरकारी रकम का गबन किया।

1	2	3	4	5	6	7
			वर्ष 2001			
1.	कोतवाली बारां	264/2001 21.4.2001	409, 467, 468, 471, 477ए, 120बी ता.हि.	श्री रघुवीर सरपंच मण्डोला	एफआर 31 24.4.2002	खरंजा निर्माण के फर्जी बिल बनाकर पेश किये।
2.	सदर बारां	104/2001 18.3.2001	376 ता.हि.	ओमप्रकाश चोपदार नि. तिसाया प. स. डायरेक्टर तिसाया	सीएस 73 30.3.2001	मुल. ने फरि. सुनीता मिग्या नि. तिसाया के साथ बलात्कार किया।
3.	अन्ता	448/2001 29.10.2001	147, 148, 332, 353, 188 ता.हि.	मदन दिलावर विधायक विधान सभा क्षेत्र अटरू व इनके 5 साथी	सीएस 84 16.4.2003 चालान 16.4.2003	जलाभिषेक कार्यक्रम के दौरान बालाखेडा में धारा 144 जाफी का उल्लंघन कर राजकार्य में बाधा पहुंचाई।
4.	छबडा	297/2001 21.8.2001	452, 323, 34 ता.हि.	गणेश भार्गव पुत्र शिवमनोहर नि. छबडा वार्ड पार्षद नगर पालिका छबडा	सीएस 217 11.9.2001	मुल. ने फरियादी के साथ मारपीट की।
5.	अटरू	1/3.1.2001	420, 467, 468, 471 ता.हि.	राजेश यादव सरपंच खेडलीगंज अटरू	एफआर नं. 5 18.2.2001	सरपंच पद पर रहते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार किये।

1	2	3	4	5	6	7
6.	अटरू	389/2001 7.9.2001	341, 323, 504 ता.हि.	मदन दिलावर विधायक विधान सभा क्षेत्र अटरू	सीएस 288 22.10.2002 चा. 20.4.2002	फरियादी के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाई।
			वर्ष 2002			
1.	किशनगंज	81/5.7.2002	363 ता.हि. 3एससीएसटी एक्ट	रमेशचन्द्र/धन्नालाल गूजर नि. कंवरपुरिया प. स. सदस्य	एफ.आर. 17 9.8.2002	फरि. की लडकी को बस से उतारकर ले गया
2.	अन्ता	201/2002 7.7.2002	147, 148, 149, 341, 323 ता.हि.	मधुसुदन/धनंजय राजपूत नि. मऊ सरपंच ग्रा. पं. व अन्य	सीएस 166 16.8.2002 चा 2.11.2002	फरियादी के साथ रोककर मारपीट की गई।
3.	छबडा	84/2002 27.3.2002	341, 330, 324, 34 ता.हि.	गणेश भार्गव नि. छबड़ा वार्ड पार्षद न.पा. छबड़ा	सीएस नं. 050 21.4.2002 चा. 2.5.2002	फरियादी के साथ रोककर मारपीट की गई।

वर्ष 2003

1	2	3	4	5	6	7
1.	कोत. बारां	276/15.4.2003	4/25 आर्म्सएक्ट	मदन दिलावर विधायक वि. स. क्षेत्र अटरू	सीएस 351 2.7.2003 चा. 28.7.2003	मुल. ने त्रिशूल धारण कार्यक्रम किया गया।
2.	सदर बारां	56/19.2.2003	420, 409 ता.हि.	दीपचन्द/श्रीलाल यादव सरपंच करनाहेडा	सीएस 128 13.7.2003 चा. 31.3.2004	सरकारी रकम का गबन किया।
3.	किशनगंज	5/10.1.2003	420, 467, 468 ता.हि.	बृजमोहन पुत्र मथुरालाल मीना सरपंच काकडदा	एफआर 13 25.9.2003	अकाल राहत कार्य के दौरान मस्ट्रो में हेराफेरी की।
4.	अन्ता	15/2003	147, 148, 149, 307 323 ता.हि.	मधुसुदन राजपूत नि. मऊ सरपंच ग्रा. पं. सोरसन	सीएस 16/03 31.1.2003	फरियादी के साथ मारपीट की गई।
5.	मांगरोल	202/3.9.2003	332, 353, 504 ता.हि.	हेमराज/देवकरण ब्राह्मण वार्ड पार्षद न.पा. मांगरोल	सीएस 210 1.11.2003	अधिशासी अधिकारी के साथ मारपीट कर कार्य में बाधा पहुंचाई।

1	2	3	4	5	6	7
6.	मांगरोल	259/ 17.12.2003	379, 406 ता.हि.	—"—	सीएस 7/28.1.2004 चा. 9.2.2004	न.पा. की गिट्टी को चुराकर ले गया।
7.	अटरू	163/29.4.2003	420, 406, 467 ता.हि.	कैलाशचन्द्र सरपंच ग्रा. पं. खेडलीगंज अटरू	एफआर 41 22.5.2003	फर्जी पट्टा तैयार किया।
8.	अटरू	232/03 6.6.2003	420, 467, 468, 471 ता.हि.	कैलाशचन्द्र/सूरजमल नि. खेडलीगंज अटरू सरपंच	सीएस 353 31.12.2003 चा. 17.12.2004	फर्जी पट्टा तैयार किया।
9.	अटरू	274/03 3.7.2003	420 ता.हि.	राधाबाई पत्नि घासीलाल कोली नि. अटरू सरपंच	सीएस 74 29.4.2004 प. चालान	जमीन के फर्जी कागजात दूसरे के नाम करवाये।
10.	अटरू	390/03 3.10.2003	419, 420, 467, 468 ता.हि.	विवेक पुत्र भगवान तिवारी नि. अटरू सरपंच	सीएस 68 21.4.2004 पे. चालान	फर्जी पट्टा जारी किया।

1	2	3	4	5	6	7
11.	छीपाबड़ौद	160/18.4.2003	452, 147, 323 ता.हि.	प्रतापसिंह सिंघवी विधायक छबड़ा 2. राजू माहेश्वरी उप सरपंच	एफआर 69. 23.7.2003	फरि. की दुकान में घुसकर मारपीट की गई।
12.	छीपाबड़ौद	161/2003 18.4.2003	147, 149, 341, 323, 392, 332, 353 ता.हि.	गजेन्द्र/माणकचन्द जैन नि. छीपाबड़ौद पं. स. सदस्य	सीएस 185 23.7.2003 चा. 10.3.2004	फरि. के साथ राजकार्य करते समय मारपीट कर बाधा पहुंचाई।
13.	छीपाबड़ौद	163/03 19.4.2003	147, 448, 427, 379 ता.हि.	घनश्याम सालवी/ कल्लू कोली नि. छीपाबड़ौद सरपंच ग्रा. प. छीपाबड़ौद	एफआर 138 31.12.2003	फरि. के फार्म हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की।
14.	छीपाबड़ौद	164/03 19.4.2003	147, 352, 504 ता.हि.	—"—	एफआर 84 31.7.2003 अ.व.	फरि. के साथ गाली गलोच कर झूठा मारपीट की।

1	2	3	4	5	6	7
15.	छीपाबड़ौद	406/2003 15.10.2003	420, 409, 467, 468, 471 ता.हि.	कल्याण पुत्र रामनारायण नायक नि. बम्बोरी घाटा सरपंच ग्रा. पं. बम्बोरी घांटा	सीएस 316 24.12.2003 पेण्डिंग चालान	फर्जी पट्टा तैयार किया गया। (एफएसएल रिपोर्ट के अभाव में)
16.	छीपाबड़ौद	356/2003 4.9.2003	452, 354, 323, 504 ता.हि. 3 एससी एसटी एक्ट	लक्ष्मीनारायण/ माधोलाल उपसरपंच ग्रा. बम्बोरी घांटा	सीएस 248 30.9.2003 चा. 7.11.2003	मारपीट कर छेडखानी की। व जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया।
17.	हरनावदा	98/1.6.2003	341, 323, 504 ता.हि.	उदालाल/किशनलाल मीना प्रधान पं. स. छीपाबड़ौद	सीएस 81 28.6.2003 चा. 16.7.2003	रोककर मारपीट की गई।
18.	कलवाड़ा	56/23.5.2003	143, 342, 504, 506 ता.हि.	नवलकिशोर/मिश्रीलाल किराड सरपंच, ग्रा.पं. ढिकवानी	सीएस 55 31.5.2003 चा. 3.7.2003	फरि. को रोककर गाली गलोच की गई।

1	2	3	4	5	6	7
19.	भंवरगढ़	72/4.7.2003	467, 468, 471 ता.हि.	सीताराम चन्देल नि. भंवरगढ़ ग्रा.पं. सेक्रेट्री 2. किशनलाल/ रामगोपाल चन्देल पंच मेम्बर ग्रा. पं. भंवरगढ़	सीएस 14 29.12.2004 चा.17.3.2004	फर्जी पट्टा तैयार किया।
20.	नाहरगढ़	1/8.1.2003	419, 420, 114, 471, 467. 468. 120बी ता.हि.	कोमलप्रसाद कोली नि. नाहरगढ़ सरपंच ग्रा.पं. नाहरगढ़	सीएस 76 30.10.2003	फर्जी दस्तावेज तैयार किये।
			वर्ष 2004			
1.	सदर बारां	252/17.9.2004	420. 409 ता.हि.	धनराज माली सरपंच पंचायत कोयला	एफआर 56 30.10.2004 अ.व.	स्कूल निर्माण के लिये रुपयों का गबन किया।
2.	अटरू	05/6.1.2004	166, 167, 467, 468 ता.हि.	कैलाशचन्द्र तमोली सरपंच खेडलीगंज अटरू	एफआर 17 7.4.2004 पेश 5.4.2004	फरियादी के प्लाट के फर्जी कागजात तैयार किये।

1	2	3	4	5	6	7
3.	अटरू	87/1.4.2004	420, 406, 467, 468 ता.हि.	राधबाई/घासीलाल कोली नि. अटरू सरपंच	एफआर22/ 30.4.2004 पे. 31.4.2004	सरकारी रुपयों का गबन किया।
4.	अटरू	88/11.4.2004	—"—	—"—	एफआर 27 30.4.2004	—"—
5.	अटरू	121/10.5.2004	166, 167, 467, 468 ता.हि.	कैलाशचन्द्र चोरसिया सरपंच खेडलीगंज अटरू	एफआर 39 15.6.2004	फर्जी प्लाट जारी किये।
6.	अटरू	153/9.8.2004	420, 406, 467, 468 ता.हि.	—"—	एफआर 56 10.8.2004	—"—
7.	मोठपुर	89/2004 17.4.2004	307, 323, 448, 342, 504, 34 ताहि 3एससी एसटी एक्ट	महेन्द्रसिंह राजपुत नि. खरखेड़ा सरपंच	अनुसंधान सीआईडीसीबी जयपुर द्वारा किया जा रहा है जो विचाराधीन है मुल. ने मारपीट की व फायर किया।	
8.	भंवरगढ़	136/04 8.10.2004	467, 468, 471 ता. हि.	गोविन्दहरि तिवारी ब्राह्मण सरपंच ग्रा. पं. भंवरगढ़	पेण्डिंग पुलिस	आबादी विस्तार भूमि पर पट्टे जारी कर 10-10 हजार रुपये में बेच दिये।

कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस कुशलगढ़ हेतु भवन निर्माण

622. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार कुशलगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर उप अधीक्षक कार्यालय भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पंचायत समिति मुख्यालय सज्जनगढ़ या डुगरा छोटा में नया पुलिस थाना स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार कुशलगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर उप अधीक्षक कार्यालय भवन बनाने का विचार रखती है। पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2005-06 के अन्तर्गत यह भवन बनाये जाने का विचार है।

(2) पंचायत समिति मुख्यालय सज्जनगढ़ या डुगरा छोटा में पुलिस थाना स्वीकृत करने का विचार नहीं है।

हापराड़ी (आमेर) ग्राम में दर्ज हत्या प्रकरण की जांच

623. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम हापराड़ी तहसील आमेर में 80 वर्षीय बुजुर्ग श्री जीवणराम मीणा का कत्ल किया गया है? यदि हां, तो अब तक पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ वर्षों पूर्व श्री जीवणराम के बड़े भाई श्री श्रवण का भी कत्ल किया गया था? यदि हां, तो क्या उसका कत्ल करने वालों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

(3) क्या यह सही है कि उक्त मुकदमों की जांच चल रही है? यदि हां, तो किस स्तर पर व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त मुकदमों की जांच करवाकर दोषी व्यक्तियों को पकड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि दिनांक 21.2.2005 को श्री जीवणराम पुत्र श्री कजोड़राम मीणा निवासी हापराड़ी का कत्ल होने की घटना के सम्बन्ध में मृतक के पुत्र लालचन्द द्वारा एक लिखित रिपोर्ट पेश करने पर अभियोग संख्या 44/2005 धारा 302 भा.द.सं. पुलिस थाना आमेर पर दर्ज किया गया, जिसका अनुसंधान वृताधिकारी, आमेर के निर्देशन में थानाधिकारी आमेर द्वारा किया जा रहा है।

(2) श्री जीवणराम के बड़े भाई मृतक श्रवण का कुछ वर्षों पूर्व कत्ल होने के सम्बन्ध में पुलिस थाना आमेर पर कोई मुकदमा हत्या/मर्ग दर्ज नहीं हुआ है।

(3) मृतक जीवणराम पुत्र कजोड़राम मीणा निवासी-हापराड़ी के हत्या के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमा नं. 44/05 धारा 302 भादस थाना आमेर का अनुसंधान उच्चाधिकारियों के निर्देशन में थानाधिकारी आमेर द्वारा किया जा रहा है एवं कुछ वर्षों पूर्व श्रवण मीणा के कत्ल होने के सम्बन्ध में पुलिस थाना आमेर पर कोई हत्या का मुकदमा/मर्ग दर्ज नहीं होने के कारण किसी स्तर पर कोई जांच नहीं की गई।

(4) श्री जीवणराम मीणा के कत्ल के मुकदमे में मुल्जिमानों का शीघ्र पता लगाने हेतु हर स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।

सजायाफ्ता कैदियों का अन्तरकारागृह स्थानान्तरण के लम्बित प्रकरण

624. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य के कारागृहों में बन्द कैदियों का स्थानान्तरण एक जेल से दूसरी जेल में किया जाता है? यदि हां, तो किस आधार व प्रक्रिया के अनुसार?

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(2) क्या वर्ष 2004 में कैदियों का स्थानान्तरण किया गया है? यदि हां, तो किन-किन का? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कैदियों के स्थानान्तरण के कुछ प्रकरण सरकार के पास लम्बित हैं ? यदि हां, तो कितने तथा इनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा?

(4) क्या कैदियों के स्थानान्तरण से उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन देखा गया है? यदि हां, तो कैसा ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य में कारागृहों में बन्द कैदियों का स्थानान्तरण एक जेल से दूसरी जेल में राजस्थान कारागार नियम 1951 के पार्ट-25, सैक्शन-5 के नियम 153 के प्रावधानानुसार पुलिस गार्ड की संगरक्षता में किया जाता है।

(2) जी हां। वर्ष 2004 में राज्य की एक जेल से दूसरी जेल में स्थानान्तरित किये गये बंदियों की सूची परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राज्य की एक कारागृह से दूसरी कारागृह में स्थानान्तरण के कोई प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां। कैदियों के स्थानान्तरण से उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है और बंदियों में अनुशासन की भावना विकसित हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

अलवर वन मण्डल में पदस्थापित अधिकारी

625. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले में मण्डल वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.) के पदों के विवरण सहित वर्ष 1998 से अब तक की अवधि में पदस्थापित अधिकारियों का नामजद विवरण मय पदस्थापन की अवधि के सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी द्वारा किए गए कार्यों बाबत् सरकार द्वारा जवाब तलब किया गया है? यदि हां, तो किस सम्बन्ध में तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई? पत्र एवं जवाब की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण की कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो किस स्तर पर तथा नहीं, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध उसके सेवा काल के दौरान अन्य स्थानों पर भी कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो विवरण सहित कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में मण्डल वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.) स्तर के 3 पद हैं। 1. उप वन संरक्षक, सा. वा. अलवर 2. उ.व.सं. सरिस्का 3. उ.व.सं., शिक्षा एवं प्रशिक्षण अलवर। इन पदों पर वर्ष 1998 से अब तक पदस्थापित अधिकारियों का विवरण मय पदस्थापन की अवधि के परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट "ख" में समाहित है।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट "क"

अलवर जिले में उप वन संरक्षक के पदों पर 1998 से अब तक पदस्थापित रहे अधिकारियों की सूची

1. उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, अलवर

क्र. सं.	नाम अधिकारी	अवधि
1	2	3
1	श्री एस. के. जैन	22.6.1997 से 22.9.1998
2.	श्री पी. के. उपाध्याय	28.9.1998 से 22.5.2001

1	2	3
3.	श्री ए.एस. गुरू	2.6.2001 से 29.7.2002
4.	श्री. के.सी.ए. अरूणप्रसाद	30.7.2002 से 29.9.2002
5.	श्री प्रियरंजन	30.9.2002 से 26.2.2004
6.	सुश्री शिखा मेहरा	1.3.2004 से 24.9.2004
7.	श्री वेंकेटेश शर्मा	18.10.2004 से लगातार
2. उप वन संरक्षक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, अलवर		
क्र. सं.	नाम अधिकारी	अवधि
1	श्री के. सी. सकरवाल	23.10.1997 से 19.4.1998
2.	श्री जे.पी. शर्मा	18.8.1998 से 7.1.1999
3.	श्री यु.एस. राणावत	8.1.1999 से 24.11.2000
4.	श्री ओ.पी. गुप्ता	25.11.2000 से 30.4.2001
5.	श्री एल.एस. कुम्पावत	29.5.2001 से 15.3.2003
6.	श्री सुधीर जैन	2.4.2003 से 2.3.2004
7.	श्री एन.सी. बाकोलिया	3.3.2004 से लगातार
3. उप वन संरक्षक, सरिस्का		
क्र. सं.	नाम अधिकारी	अवधि
1	श्री तेजवीर सिंह	17.7.1996 से 28.2.2004
2.	श्री आर.एस. शेखावत	1.3.2004 से 11.6.2004
3.	प्रिय रंजन	16.9.2004 से लगातार

परिशिष्ट "ख"

अलवर जिले में म.व.अ./उवसं के पदों पर वर्ष 1998 से अब तक की अवधि में पदस्थापित रहे अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा उनके कार्यों के सम्बन्ध में की गई/की जा रही अनुशासनिक कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदस्थापन स्थान	नियम	आरोपों की प्रकृति	आरोप पत्र जारी की सं. व दिनांक	प्रकरण की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री पी. के. उपाध्याय	उ.व.सं. सा.वा. अलवर	अ.भा. से (अनुशासन एवं अपील 1969 के नियम 10)	सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2 विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.6.1999 द्वारा कर्म. के स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध की अवधि में दिनांक 30.6.1999 से 30.4.2000 की अवधि के मध्य 31 अधिनस्थ कर्मचारियों के स्थानान्तरण कर राज्य सरकार द्वारा प्रसारित निर्देशों की अवहेलना कर कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतना)	संचिव कार्मिक (क-3) विभाग, राज., जयपुर के ज्ञापन संख्या एफ 1(85)का/क-3/02 दिनांक 13.9.2002	कार्मिक (क-3) विभाग, राज. जयपुर ने उनके सम संख्यक आदेश दिनांक 16.1.2003 से प्रकरण में निर्णय लेते हुए श्री पी.के. उपाध्याय को राज्यकार्य में की गई लापरवाही के लिये भविष्य में अधिक सावधान रहकर कार्य करने की अलिखित चेतावनी दी गई। आरोप पत्र व निर्णित आदेश की छायाप्रति संलग्न है।

1	2	3	4	5	6	7
2.	श्री ए.एस. गुरू उवसं	उ.व.सं. सा.वा. अलवर	—"—	वर्ष 2002 में उवसं, अलवर के पद पर पदस्थापित रहते हुये राज्य सरकार द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेशों की अवहेलना करना, राजकीय पत्रों को प्राप्त नहीं करना, स्वेच्छा से अनुपस्थित रहते हुये नियम विरुद्ध चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश प्राप्त करने का प्रयास करना।	—"—	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त प्रस्ताव को वापस भिजवाकर कार्मिक (क-3) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.2.2001 के अनुसार श्री गुरू का स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा तदानुसार परीक्षाणोपरान्त प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये गये। श्री गुरू द्वारा प्रस्तावित आरोपों के क्रम में अपना स्पष्टीकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रस्तुत कर दिया गया है। जिसका परीक्षण किया जा रहा है। पत्र व जवाब की प्रति संलग्न है।

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-3) विभाग

आरोप पत्र विरुद्ध श्री पी. के. उपाध्याय, वाई.एफ.एस. तत्कालीन उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, अलवर

यह है कि आप श्री पी.के. उपाध्याय तत्कालीन उप वन संरक्षक, अलवर ने वन मण्डल, अलवर में दिनांक 30.6.1999 से 30.4.2000 तक 31 अधिनस्थ कर्मचारियों के स्थानान्तरण कर दिये जबकि राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.6.1999 द्वारा कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ था। इस तरह आप श्री उपाध्याय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित निर्देशों की अवहेलना कर कर्तव्य के प्रति लापरवाही के लिये जिम्मेदार हैं जिसका विस्तृत विवरण आरोप विवरण में अंकित है।

ह./-

शासन सचिव

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-3/जांच) विभाग

क्रमांक : प.1(85) कार्मिक/क-3/02 **जयपुर दिनांक 16 जनवरी, 2003**

आदेश

श्री पी.के. उपाध्याय, IFS तत्कालीन उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी अलवर के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम -10 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 13.9.2002 से आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र जारी किये।

श्री. पी. के. उपाध्याय ने उनके विरुद्ध लगाये आरोप के सम्बन्ध में अपना लिखित अभिकथन दिनांक 25.11.2002 को प्रेषित किया। श्री उपाध्याय को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर दिनांक 13.12.2002 को सुना गया। श्री उपाध्याय के

विरुद्ध आरोप है कि "उप वन संरक्षक, अलवर, वन मण्डल, अलवर में दिनांक 30.6.1999 से 30.4.2000" तक 31 अधीनस्थ कर्मचारियों के स्थानान्तरण कर दिये जबकि राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.6.1999 द्वारा कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ था। इस तरह आप श्री उपाध्याय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित निर्देशों की अवहेलना कर कर्तव्य के प्रति लापरवाही के लिये जिम्मेदार हैं।"

श्री पी. के. उपाध्याय ने अपने लिखित अभिकथन में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा जो स्थानान्तरण किये गये, उसमें उनकी कोई बदनीयती या दुर्भावना कभी नहीं रही तथा ये सभी स्थानान्तरण प्रशासकीय आवश्यकता को देखते हुए राज्य हित में किये गये थे परन्तु फिर भी उनके ध्यान में सामान्य प्रशासन विभाग को उक्त परिपत्र आ जाता तो वे अवश्य ही उक्त सभी स्थानान्तरण उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाने के बाद ही करते। श्री उपाध्याय ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह बताया कि जिस समय स्थानान्तरण पर रोक लगाने सम्बन्धी परिपत्र सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया था, तब वे अवकाश पर गये हुए थे तथा वहां से आने के बाद किसी कर्मचारी ने उनके समक्ष उक्त परिपत्र कभी रखा ही नहीं था और न ही उनको इस प्रकार की जानकारी उनके कार्यालय के किसी कर्मचारी ने दी थी।

श्री पी.के. उपाध्याय के लिखित अभिकथन का सम्बन्धित अभिलेख के साथ परीक्षण करने पर पाया कि उनके द्वारा किये गये स्थानान्तरण प्रशासकीय आवश्यकता को देखते हुए ही किये गये हैं तथा उसमें उनकी कोई बदनीयती या दुर्भावना प्रकट नहीं होती है कि श्री उपाध्याय द्वारा स्थानान्तरण आदेश राज्य सरकार के स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध के उपरान्त भी जारी किए गये हैं। यह स्पष्ट रूप से नहीं माना जा सकता है कि प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में जानकारी किसी भी स्रोत से इस पूरी अवधि के दौरान उन्हें नहीं मिली हो। राज्य सरकार के प्रतिबन्ध के दौरान स्थानान्तरण आदेश जारी करने में श्री उपाध्याय की लापरवाही रही है।

अतः महामहिम राज्यपाल महोदय श्री पी.के. उपाध्याय, आई.एफ.एस. को राज्य कार्य में की गई लापरवाही के लिए भविष्य में अधिक सावधान रहकर कार्य करने की अलिखित चेतावनी के साथ इस प्रकरण को समाप्त करने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करते हैं।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

ह./-

शासन सचिव

डूंगर (घाटोल) वन खण्ड क्षेत्र पटवार मण्डल में शामिल आदिवासी कृषक की भूमि

626. श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वन विभाग के अधीन कूप बनाये गये हैं? यदि हां, तो जिला चित्तौड़गढ़, सिरोही, जालौर, राजसमन्द, उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में ऐसे कितने कूप हैं व प्रत्येक वन कूप (खण्ड) कितने-कितने बीघे हैक्टेयर के हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिलों में वन विभाग के कूपों में पौधे लगाये जा रहे हैं? यदि हां, तो वर्ष 2001 से आज तक प्रत्येक कूप में कितने-कितने पौधे किस-किस किस्म के लगाये गये तथा उनमें से कितने पौधे जीवित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा के तहसील घाटोल पटवार मण्डल डूंगर के गांव पाण्डियापोल में श्री वेस्ता पिता कचरिया आदिवासी की जमीन पर वन विभाग द्वारा नाजायज कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार आदिवासी किसान की जमीन पर से नाजायज कब्जा हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में वन क्षेत्रों को कूप में नहीं बल्कि वन खण्डों में बांटा गया है। जिला चित्तौड़गढ़, सिरोही, जालौर, राजसमन्द, उदयपुर, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के वन क्षेत्रों में स्थित वन खण्डों की क्षेत्रफल सहित सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2001 से अब तक लगाये गये पौधों की संख्या का वन खण्डवार, प्रजातिवार विवरण मय जीवितता प्रतिशत के परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

झुंझुनूं वन मण्डल में "वन विकास एजेन्सी" का गठन

627. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा झुंझुनूं वन मण्डल में "वन विकास एजेन्सी" के गठन के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं?

(2) क्या इस प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा अपनी स्वीकृति दे दी गई? यदि हां, तो कब व नहीं, तो इसे अस्वीकृत करने के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 3.3.2005 के द्वारा उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति जारी कर दी है।

भादरा (हनुमानगढ़) तहसील में लकड़ी बिक्री केन्द्र की स्थापना

628. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ में सूखे वृक्षों को कटवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्यां सरकार तहसील भादरा में स्थाई या अस्थाई लकड़ी बिक्री केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार जिला हनुमानगढ़ की तहसील भादरा में नहरों के किनारे एवं आबादी/ब्लाक वृक्षारोपणों में लगे परिपक्व पेड़ों का विदोहन किया जा रहा है। वर्ष 2005-06 तक यह विदोहन कार्य किया जायेगा।

(2) जी नहीं। तहसील भादरा में वर्ष 2005-06 के पश्चात् कोई विदोहन कार्य प्रस्तावित नहीं होने से बिक्री केन्द्र खोलना प्रस्तावित नहीं है।

जोधपुर जिले में आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र

629. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला जोधपुर की कुल कितनी भूमि आरक्षित वन क्षेत्र व संरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत है? यह वन क्षेत्र कब से व किस-किस किस्म के वन क्षेत्र में आते हैं?

उत्तर

जोधपुर जिले में 467.60 है. आरक्षित (Reserved), 17580.79 है. रक्षित (Protected) तथा 6490.96 है. अवर्गीकृत वन भूमि है। उक्त भूमि के वन क्षेत्र घोषित होने की किस्म वार एवं तिथि वार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "क"

वन भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल है. में	वन भूमि घोषित होने की तिथि
आरक्षित	467.60	11.12.1954
1. रक्षित	2050	8.2.1962
2. रक्षित	4080.46	4.3.1950
3. रक्षित	396.77	4.3.1950
4. रक्षित	3482.98	5.11.1992
5. रक्षित	6530.37	5.11.1992
6. रक्षित	1040.21	17.2.1994
योग 1 से 6 तक	**17580.79**	
अवर्गीकृत	**6490.96**	—

भीम विधान सभा क्षेत्र में राशन डीलरों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

630. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र भीम में कुल कितने राशन डीलरों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हैं? क्या सरकार इनके लाइसेन्स निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र भीम में 09 राशन डीलरों के विरुद्ध अनियमितता के प्रकरण दर्ज हैं। 2 प्रकरण न्यायालय में लम्बित हैं तथा शेष 7 प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही लम्बित है। 04 प्रकरणों में प्राधिकार पत्र निलम्बित हैं। गम्भीर अनियमितता प्रमाणित होने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाते हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग में "राइन" जाति का आरक्षण

631. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षण सूची में कौन-कौनसी जातियां हैं?

(2) क्या राइन जाति भी इसमें सम्मिलित है?

(3) क्या जिला अजमेर में पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र के लिए कोई आवेदन पत्र लम्बित है? यदि हां, तो कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र देने के क्या आधार हैं?

(5) क्या सरकार राइन जाति के लोगों को प्रमाण-पत्र देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पिछड़े वर्गों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा जारी पिछड़े वर्गों की सूची में क्रम संख्या 68 पर कुंजडा, राइन अंकित है।

(समाज कल्याण मंत्री)

(3) जी हां। ग्राम गेगल के मुस्लिम जाति के व्यक्तियों द्वारा राइन जाति के नाम से अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र चाहने के सम्बन्ध में जिला कलक्टर अजमेर द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है कि ग्राम गेगल में राजस्व रेकार्ड में व्यक्तिगत खातों में उनके नाम के आगे राइन अंकित नही है राजस्व रिकार्ड में ग्राम गेगल की वर्किंग जमा बन्दी में खाता संख्या 49 पर जामा मस्जिद राइयान समस्त पंच गेगल दर्ज है।

(4) पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण जाति प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु अनुदेश कार्मिक (क-5) विभाग के पत्रांक प-9(8) कार्मिक/क-5/90 दिनांक 25.11.1993 की प्रति परिशिष्ट- 2 पर संलग्न है।

(5) राइन जाति/वर्ग के व्यक्तियों को पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-632

(स्थगित)

जयपुर के प्रशासनिक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण छात्रावास कक्षों का उपयोग

633. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में कितने छात्रावास हैं? इनमें से कितने छात्रावास किराए के भवनों में चल रहे हैं? इस हेतु सरकार द्वारा एक वर्ष में कितना किराया चुकाया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा इन छात्रावासों हेतु प्रतिवर्ष कितनी बजट राशि उपलब्ध कराई जाती है?

(3) प्रशासनिक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण छात्रावास, झालाना डूंगरी जयपुर में कितने कमरे हैं एवं वर्तमान में इसमें कितने विद्यार्थी निवास करते हैं?

(4) प्रशासनिक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण छात्रावास, जयपुर में विद्यार्थियों के कमरों में अन्य कितने व्यक्ति निवास करते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राकेश मेघवाल)

(5) प्रशासनिक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण छात्रावास में कुल कमरों की संख्या एवं उपयोग का विवरण (कौन सा कमरा किस काम में आ रहा है) सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में 7 राजकीय छात्रावास संचालित हैं। इनमें से 3 छात्रावास किराये के भवनों में चल रहे हैं। इस हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 1,77,864/- रुपये किराया चुकाया जाता है, जो निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम छात्रावास	प्रतिमाह किराया	प्रतिवर्ष किराया
1.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जगतपुरा	6000	72,000
2.	राजकीय अम्बेडकर स्वच्छकार छात्रा, मानसिंहपुरा	4164	49,968
3.	राजकीय विमुक्त एवं घुमन्तु जाति छात्रावास, रामनगर, सोडाला	4658	55,896
	योग		1,77,864

(2) सरकार द्वारा इन छात्रावासों हेतु प्रतिवर्ष किराये एवं छात्रावास संचालन के लिए 1,77,864+11,93,000 =1370864/- की राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

(3) डा. भीमराव अम्बेडकर (प्र.से.) पूर्व परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण झालाना डूंगरी, जयपुर में छोटे बड़े कुल मिलाकर 33 कमरे हैं, वर्तमान में 13 छात्र निवास कर रहे हैं।

(4) डा. भीमराव अम्बेडकर (प्र.से.) पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में छात्रों के अलावा, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निदेशालय भवन खाली करवाने के कारण विभाग के 6 अधिकारियों का कार्यालय वर्तमान में संचालित है, सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(5) भवन में कमरानुसार उपयोग का विवरण परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट "अ"

कार्यालय डा. भीमराव अम्बेडकर (प्रशासनिक सेवाएं) पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण संस्थान, झालाना डूंगरी, जयपुर

क्र. सं.	कमरों का विवरण	विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	स्वागत कक्ष	जन सम्पर्क/अति. आयुक्त का स्टाफ	
2.	1	जन सम्पर्क अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी	1. श्री रत्न कुमार 2. श्री सुख पाल सिंह
3.	2	सहायक विधि परामर्शी	श्री अनिल गुप्ता
4.	3	विधान सभा प्रशाखा	श्री राजेन्द्र जैन व.लि.
5.	4	सहायक विधि परामर्शी का स्टाफ	
6.	5	पीईटीसी का स्टोर	
7.	6	पीईटीसी का कार्यालय	
8.	7	सांख्यिकी अधिकारी/देहज प्रशाखा	1. श्री महेश कुमावत, सांख्यिकी अधिकारी 2. श्रीमती मंजू शुक्ला, राज्य देहज प्रतिषेद अधिकारी
9.	8	आवासीय अधिकारी	श्री भोलानाथ पारीक
10.	9	राज्य संदर्भ केन्द्र	1. श्रीमती कुमुद गुप्ता, राज्य संदर्भ अधिकारी
11.	10	परियोजना निदेशक का स्टाफ	
12.	11	निजी सहायक, परियोजना निदेशक	श्री टी. एम. खत्री

1	2	3	4
13.	12	हाल	1. श्री देवीसिंह झांझडिया, परियोजना निदेशक (एससीपी) 2. श्री सुरजीत सिंह मीणा, उपनिदेशक (एससीपी)
14.	13	पीईटीसी की लाईब्रेरी/निदेशालय का स्टोर	
15.	14	प्रान्तीय अध्यक्ष, महा संघ एकीकृत, सहायक कर्मचारी का उपाध्यक्ष	श्री भंवर सिंह धीरावत
16.	15	राज्य सदर्भ केन्द्र का स्टोर	

परिशिष्ट "ब"

क्र. सं.	कमरों का विवरण	छात्रों का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	16	श्री प्रेम सांखला	
2.	17	श्री दामोदर वावला	
3.	18	गार्ड रूम/वाहन चालक	1. श्री धर्मपाल सिंह 2. श्री बद्री मीणा
4.	19	श्री दिलीप कुमार	
5.	20	श्री उमेश कुमार सांवरिया	
6.	21	श्री अरविन्द कुमार सांवरिया	
7.	22	श्री चम्पा लाल	
8.	23	श्री लक्ष्मी नारायण बुनकर	
9.	24	श्री सुरेश कुमार	

1	2	3	4
10.	25	श्री विजेन्द्र कुमार बसवाल	
11.	26	श्री शैलेन्द्र राव	
12.	27	श्री सेडूराम रैगर	
13.	28	श्री महेश कुमार	
14.	29	श्री महेश मीरवाल	
15.	30	पीईटीसी का स्टोर	
16.	31	भण्डार का अनुपयोगी सामान	
17.	32	भण्डार का अनुपयोगी सामान	
18.	33	भण्डार का अनुपयोगी सामान	

सहकारी समितियों में कार्यरत दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

634. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में गत पांच वर्षों में सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार के कितने मामले प्रकाश में आए? उक्त में से कितनों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज किए गए और कितने पुन: सेवा में ले लिये गए? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में गत पांच वर्षों में सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार के प्रकाश में आये मामले, उनमें से दर्ज किये गये मुकदमें एवं उनमें से पुन: सेवा में लिये गये प्रकरणों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

(i) गत 5 वर्षों (1999-2000 से 2003-04) में सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार के प्रकरणों का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या	वर्षवार दर्ज मुकदमों की संख्या	पुन: सेवा में लिए गये प्रकरणों की संख्या
1.	1999-2000	13	13	—
2.	2000-2001	29	29	—
3.	2001-2002	25	25	—
4.	2002-2003	15	15	—
5.	2003-2004	23	23	—

परिशिष्ट "अ"

(ii) गत 5 वर्षों में अधिभार (सरचार्ज) राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 57 (पूर्व अधिनियम की धारा 74) के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण)

क्र. सं.	वर्ष	वर्षवार दर्ज प्रकरणों की संख्या
1.	1999-2000	1089
2.	2000-2001	926
3.	2001-2002	645
4.	2002-2003	705
5.	2003-2004	589

इटावा (कोटा) क्रय-विक्रय सहकारी समिति में कार्यरत कार्मिक

635. श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री प्रभुलाल वर्मा)

(1) जिला कोटा में स्थित क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में कर्मचारियों/अधिकारियों के कितने एवं कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति, इटावा (कोटा) में कर्मचारियों के 8 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 9 कर्मचारी कार्यरत हैं? यदि हां, तो स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारी किन नियमों के आधार पर नियोजित किये हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अतिरिक्त कर्मचारी के वेतन/भत्ते किस मद के अन्तर्गत आहरित किये जा रहे हैं? क्या इसके लिये वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई? यदि हां, तो स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति इटावा, जिला कोटा में व्यवस्थापक का पद रिक्त है? यदि हां, तो कब से? क्या सरकार अब उक्त पद पर नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विभाग के आदेश क्रमांक प.15() सविरा/मार्के/1994 दिनांक 21.12.2002 से कोटा जिले की क्रय विक्रय सहकारी समितियों में कर्मचारियों/अधिकारियों के समितिवार स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

स्वीकृत पद का नाम	कोटा	इटावा	सांगोद	सुल्तानपुर	रामगंजमण्डी
1. महाप्रबन्धक/व्यवस्थापक	1	1 (प्र.नि.)	1	1	1
2. सहायक प्रबन्धक	1	—	—	—	—
3. वरिष्ठ लिपिक/कैशियर	1	—	—	—	—
4. लिपिक/कैशियर	2	1	1	1	1
5. सेल्समैन	3	3	1	3	1
6. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	2	1	1	1
7. चौकीदार	—	1	1	—	—
योग	10	8	5	6	4

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) अतिरिक्त कर्मचारी कार्यरत ही नहीं है। इसलिए वेतन भत्ते दिये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

(4) जी हां। 2.4.2000 से व्यवस्थापक का पद रिक्त था। संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, कोटा खण्ड, कोटा के आदेश क्रमांक फा.() सरकों/निशा/2347-51 दिनांक 16.3.2005 के द्वारा व्यवस्थापक लगाया जा चुका है।

सहकारी समितियों के चुनाव/सदस्यों की संख्या में वृद्धि

636. श्री अमराराम (धोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार राज्य में सहकारी समितियों के चुनाव कब तक करवाने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि चुनावों से पूर्व सहकारी समितियों में सदस्यता बढ़ाई जायेगी?

(3) सदस्यता बढ़ाये जाने व नये सदस्य बनाये जाने की क्या प्रक्रिया होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा करवाये जाने हैं। उक्त निर्वाचन शीघ्र करवाये जाने की दृष्टि से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5(1) कार्मिक/क-1/2005 दिनांक 1.3.2005 से राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है।

(2) सहकारी समितियों में सदस्य बनाया जाना एक सतत प्रक्रिया है।

(3) सदस्य बनाये जाने की प्रक्रिया राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के नियम-14 एवं 15 व सम्बन्धित संस्था की उपविधियों में विहित की गई हैं।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुर्गापुरा के भवन का निजी संस्थान को आबंटन

637. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शिक्षण संस्थाओं में पका हुआ भोजन वितरण करने हेतु निजी संस्थाओं को नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में कौन-कौनसी निजी संस्था है जिनसे यह कार्य कराया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नियुक्त निजी संस्था को किन शर्तों के आधार पर यह कार्य दिया गया? इनकी कार्य प्रणाली क्या है? इन पर नियंत्रण किसका है तथा भोजन की गुणवत्ता पर किसका नियंत्रण है?

(3) क्या यह सही है कि इन निजी संस्थाओं को कार्य हेतु राजकीय भवन उपलब्ध कराया गया है?

(4) क्या यह सही है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय, दुर्गापुरा को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाकर उक्त भवन को पका हुआ भोजन वितरण करने वाली निजी संस्था को आबंटित किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा बनीपार्क क्षेत्र में इस्कान संस्था कार्य कर रही है।

(2) नियुक्त की गई संस्था के साथ एक आपसी सहमति पत्र निष्पादित किये जाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् को निर्देशित किया गया है। कार्यक्रम क्रियान्वयन क़ी शर्ते, कार्यप्रणाली, नियंत्रण एवं भोजन की गुणवत्ता पर नियंत्रण आदि के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों की प्रति संलग्न है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। उप शासन सचिव, (प्राथमिक शिक्षा-आयोजना) के आदेश दिनांक 25.1.2005 के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दुर्गापुरा खवासजी का बाग, जयपुर में स्थानान्तरित किया गया है। इस्कान संस्था जयपुर द्वारा पोषाहार योजनान्तर्गत जयपुर स्थित कुछ राजकीय विद्यालयों के बालक-बालिकाओं को पका हुआ भोजन वितरण करने के प्रयोजनार्थ 6 माह के लिये उक्त विद्यालय आबंटित किया गया है।

परिशिष्ट 1

गैर सरकारी संस्थाओं को मिड-डे-मील कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु आपकी सहमति पत्र हस्ताक्षर करना होता है। आपसी सहमति पत्र में राज्य सरकार को प्रथम पक्ष एवं संस्था को द्वितीय पक्ष कहा गया है। सहमति पत्र की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. The Mid-day-Meal provided by the Second Party should be wholesome, nutritious meal containing a minimum of 300 cal. & 8-12 gram protein consisting of Dal Roti or Dal Rice minimum two items on every working day of the schools at the time of interval. There will be no discrimination on the basis of religion, cast and creed in providing cooked meal to eligible children.

2. The First party shall transfer the grains like wheat or rice received by it from the Central Government. Under Mid-Day-Meal Scheme to the Second Party calculated as 100 gms per child per day for the maximum working school days as per the school calendar of education department.

3. Additionally the First party or its designated authority will provide the Second Party Rs. 1.50 per child per day as conversion charges or the amount as per prevailing rules of Government of Rajasthan.

4. Claims for conversion charges will be submitted by second party to the officer designated by first party within a week from the end of month. The designated officer shall release the amount by 15th of the month.

5. The grains and conversion charges will be calculated on the basis of actual attendance of children of each month. Additional expenses incurred in preparing & transporting the meal will be borne by the Second Party.

6. The cooked meal should be made available to the school by the Second Party.

7. The transporting vessels shall be arranged by the Second Party and the First party has to arrange the serving vessels and plates in the schools.

8. The First party shall provide required grains to Second Party. In advance in the last week of the current month for the coming next month.

9. No liability with regard to the logistical requirements such as con-

struction of kitchen and storage room, appointment of cooks, helpers and such other staff. utensils etc. shall be borne by the First party.

10. The First party will delegate the responsibility/authority in each location to receive the cooked meal and sign on behalf of First party.

11. The delegated authority will ensure distribution of food with in school and see the containers are cleaned and ready for handing over to Second party.

12. Distribution of MDM during school holidays, if required. Will be informed well in advance to the Second Party by the First Party.

13. If the designated officers from the First party fail to inform the Second Party one day in advance about the school holidays than the First party shall provide the grains and the conversion charges to the Second party.

14. The serving of the food and cleaning of the area is to be arranged by the First party.

15. The charges of transportation of food grains from FCI to Kitchen of School party will be reimbursed by concerned Zila Parishad/Nodal Department of transportation, as per GOI norms, if transported by second party.

16. The Second Party will have to take receipt in prescribed performa of the food given to the students present on the day, from the in-charge of the school and such receipts should be kept in records and should be submitted for verification of attendance.

17. The Second Party shall furnish a monthly report on grains lifted from the FCI godown, utilization of food grains, number of schools and children covered to the District Authority for onward transmission to the First party in the Performa prescribed from time to time.

18. The Second Party shall furnish to the First party Annual Report along with audited statement of accounts on the transportation and cooking conversion charges and such other grants received from the First party duly certified by an approved chartered Accountant.

19. The Second Party shall not entrust/sublet the project or divert any part of the assistance (wheat/rice) to another organization/agency.

20. When the First party has reason to belive that the assistance being provided is not being utilized for approved purpose, the same may be

stopped, and the assistance provided earlier recovered. The Second Party shall be open to inspection by an officer of the Union Ministry of Human Resource Development and State Government, The Central Government may nominate any person/organization/agency to evaluate the progress/completion of the programme, and the Second Party shall abide by any instructions/directions as may be issued by the Government regarding the implementation of NP-NSPE (Mid-Day-Meal Scheme.)

21. The accounts of the project shall be maintained properly and exclusively and submitted as and when required. The accounts shall be open to check by an officer deputed by the First party or Government of India besides the test check by the Comptroller & Auditor General of India at his discretion.

22. In the event of dissolution of the Second Party prior to completion of the programme and settlement of accounts of his grant, the responsibility for compliance with the terms and conditions of the assistance shall rest with the concerned District Authority and the assets acquired out of this assistance shall revert to the First party.

23. The Second Party shall maintain a stock register (in prescribed Performa) of all assets acquired wholly or substantially out of Government grant. Such grants/assets shall not, without the prior sanction of the Government of India, be disposed of, encumbered, or utilized for purpose other that those for which the grant was given. Should the Second Party cease to exist at anytime, such assets shall revert to the Govt. of India.

24. The Question of violation or breach of the stipulated conditions by the First party would be decided by the secretary to the Government in Panchayati Raj Department.

If the Second party feels aggrieved by the decision of Secretary, Panchayati Raj Department, It would be referred to an arbitrator mutually agreed by both the parties.

25. If Government of Rajasthan/Government of India decided to stop implementation of MDM Program due to any reason, then program will be stopped/closed with immediate effect. In such case, first party will not have any responsibility of the infrastructure created by second party.

भीण्डर (चित्तौड़गढ़) पंचायत समिति का पुनर्गठन

638. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

(1) क्या सरकार उन पंचायत समितियों को जिनमें ज्यादा पंचायतें हैं, का विभाजन करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति भीण्डर के अधीन 52 पंचायतें हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पंचायत समिति का विभाजन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में परिसिमन आयोग की रोक होने के कारण पंचायत समितियों का विभाजन करने पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां। पंचायत समिति, भीण्डर के अधीन 52 पंचायतें हैं। वर्तमान में परिसिमन आयोग की रोक होने के कारण पंचायत समिति, भीण्डर का विभाजन के प्रस्ताव पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

अन्ता (बारां) पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायतों को स्वीकृत राशि

639. श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति अन्ता, जिला बारां का वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 का कुल कितना बजट प्रावधान था तथा उक्त बजट किस-किस मद पर व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2003-04 से अब तक पंचायत समिति अन्ता द्वारा किस-किस ग्राम पंचायत को कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु स्वीकृत की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत समिति के वाहन मरम्मत पर वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में कुल कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति अन्ता जिला बारां को वर्ष 2003-04 में रुपये 3,28,07,558 एवं वर्ष 2004-05 में रुपये 2,71,32,400 का बजट आवंटित किया गया था। बजट एवं व्यय का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) पंचायत समिति अन्ता द्वारा वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में ग्राम पंचायतवार, मदवार स्वीकृत राशि की सूची परिशिष्ट 'ब' एवं परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) पंचायत समिति अन्ता में एक मोटर साईकिल एवं एक जीप है जिनकी मरम्मत पर वर्ष 2003-04 में रुपये 2851/ एवं वर्ष 2004-05 में रुपये 7921/ व्यय किए गए है।

(सूची/विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

नोखा (बीकानेर) तहसील की स्वीकृत जल ग्रहण विकास योजनाएं

640. श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार द्वारा तहसील नोखा की किस-किस पंचायत में कितनी-कितनी जल ग्रहण योजनाएं स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सरकार द्वारा तहसील नोखा की 34 पंचायतों में 53 जलग्रहण योजनाएं स्वीकृत की गई। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	स्वीकृत वाटरशेड का नाम	योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	नोखा	काकड़ा	काकड़ा उत्तर	डीडीपी द्वितीय	1999-2000	25.00
			काकड़ा पूर्व	डीडीपी षष्टम	2003-2004	30.00
			काकड़ा	ईएएस	1997-98	25.00
2.	नोखा	बेरासर	कूकनिया	डीडीपी द्वितीय	1999-2000	25.00
			कूकनिया उत्तर पूर्व	डीडीपी षष्टम	2003-2004	30.00
			बेरासर	ईएएस	1997-98	25.00

1	2	3	4	5	6	7
3.	नोखा	काहिरा	काहिरा	डीडीपी द्वितीय	1999-2000	25.00
			बाशी	डीडीपी तृतीय	2000-2001	30.00
			काहिरा बी	डीडीपी पंचम	2002-2003	30.00
			बाशी बी	डीडीपी षष्टम	2003-2004	30.00
4.	नोखा	बिलनियासर	दुदावास	डीडीपी द्वितीय	1999-2000	25.00
			गेंदड	डीडीपी प्रथम	1995-96	25.00
5.	नोखा	सुरपुरा	सुरपुरा	डीडीपी द्वितीय	1999-2000	25.00
6.	नोखा	साधासर	साधासर	डीडीपी द्वितीय	1999-2000	25.00
7.	नोखा	जेगला पन्ना दरोगा	जेगला पन्ना दरोगा	डीडीपी द्वितीय	1999-2000	25.00
			जेगला मोगलियान	डीडीपी प्रथम	1995-96	25.00
8.	नोखा	गोरखाना	सिंपू	डीडीपी तृतीय	2000-2001	30.00
9.	नोखा	स्वरूपसर	स्वरूपसर	डीडीपी तृतीय	2000-2001	30.00
			स्वरूपसर बी	डीडीपी षष्टम	2003-2004	30.00
10.	नोखा	ससीसर	ससीसर	डीडीपी तृतीय	2000-2001	30.00
11.	नोखा	किशनासर	किशनासर	डीडीपी तृतीय	2000-2001	30.00
12.	नोखा	दावा	दावा	डीडीपी तृतीय	2000-2001	30.00

1	2	3	4	5	6	7
13.	नोखा	कक्कू	कक्कू	डीडीपी तृतीय	2000-2001	30.00
			कन्कूबी	डीडीपी पंचम	2002-2003	30.00
14.	नोखा	नाथूसर	नाथूसर	डीडीपी तृतीय	2002-2003	30.00
			साईसर	डीडीपी प्रथम	1995-96	25.00
15.	नोखा	लालमदेशर बड़ा	लालमदे शर सिटी	डीडीपी तृतीय	1995-96	30.00
			लालमदेश र सिर्टी	डीडीपी प्रथम	1995-96	25.00
16.	नोखा	हंसासर	हंसासर	डीडीपी तृतीय	2000-2001	30.00
17.	नोखा	सिंजगुरू	सिंजगुरू	डीडीपी चतुर्थ	2001-2002	30.00
18.	नोखा	दैसलसर	दैसलसर	डीडीपी चतुर्थ	2001-2002	30.00
			दैसलसर भाटियान	डीडीपी प्रथम	1995-96	25.00
19.	नोखा	पांचू	पांचू बी	डीडीपी चतुर्थ	2001-2002	30.00
			पांचू	डीडीपी षष्टम	2003-2004	30.00
20.	नोखा	जांगलू	जांगलू पश्चिम	डीडीपी पंचम	2002-2003	30.00
			जांगलू	डीडीपी प्रथम	1995-96	25.00
21.	नोंखा	पारवा	पारवा	डीडीपी पंचम	2002-2003	30.00
22.	नोखा	उदासर	उदासर	डीडीपी पंचम	2002-2003	30.00
23.	नोखा	जयसिंह देशर मगरा	जयसिंह देशरमगरा	डीडीपी पंचम	2002-2003	30.00
24.	नोखा	साधुणा	साधुणा	डीडीपी षष्टम	2003-2004	30.00

1	2	3	4	5	6	7
25.	नोखा	चरकड़ा	चरकड़ा ए	NWDPRA	2002-2003	22.50
	नोखा	चरकड़ा	चरकड़ा बी	NWDPRA	2002-2003	22.50
26.	नोखा	हिम्मटसर	हिम्मट सर	ईएएस	1997-98	25.00
27.	नोखा	ढीमसरी	गूंजासर	डीडीपी प्रथम	1995-96	25.00
28.	नोखा	कुचौर आधूणी	कुचौर आधूणी ए से सी	डीडीपी प्रथम	1995-96	25.00
29.	नोखा	उडसर	साजनना शी	डीडीपी प्रथम	1995-96	25.00
30.	नोखा	नोखागांव	नोखागांव	डीडीपी प्रथम	1995-96	25.00
	नोखा		हिमादेसर	डीडीपी प्रथम	1995-96	25.00
	नोखा		मुदरो की ढाणी	डीडीपी प्रथम	1995-96	25.00
31.	नोखा	भागटसर	भागटसर	डीडीपी प्रथम	1995-96	25.00
32.	नोखा	सारूण्डा	सारूण्डा	डीडीपी प्रथम	1995-96	25.00
33.	नोखा	थावरिया	थावरिया	डीडीपी प्रथम	1995-96	25.00
34.	नोखा	अणसीसर	अणसीसर	ईएएस	1997-98	25.00

पंचायत समितियों के अधीन कार्यरत हैण्ड पम्प मिस्त्रियों हेतु सेवा नियम

641. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों के अधीन कार्यरत हैण्ड पम्प मिस्त्रियों/श्रमिकों को सेवा में लेने, वेतन भत्तों, मेडिकल, अवकाश, पदोन्नति, यात्रा भत्ता, सेवानिवृत्ति, पेंशन-ग्रेच्युटी, बीमा, जी.पी.एफ. भुगतान सम्बन्धी सेवा नियम उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या इस बाबत जनप्रतिनिधियों एवं राजस्थान हैण्ड पम्प मिस्त्री संघ/श्रमिक संघ द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान अभिशंसा पत्र/मांग पत्र/ज्ञापन पत्र सरकार को दिये गये हैं? यदि हां, तो सभी की छाया प्रतियां एवं बिन्दुवार इन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार श्रमिक/हैण्ड पम्प मिस्त्रियों के स्थाई सेवा नियम बनाकर शीघ्र लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) हैण्ड पम्प मिस्त्रियों के लिए सेवा नियम बनाया जाना प्रक्रियाधीन है।

(2) विभाग को प्राप्त अभिशंसा पत्र/मांग पत्र/ज्ञापन पत्र की छाया प्रतियां परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है, उक्त पत्रों/ज्ञापनों के मध्य नजर हैण्ड पम्प मिस्त्रियों के लिए सेवा नियम बनाया जाना प्रक्रियाधीन है।

(3) हैण्ड पम्प मिस्त्रियों के लिए सेवा नियम बनाया जाना प्रक्रियाधीन है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

तिजारा एवं कोटकासिम (अलवर) पंचायत समिति में आयोजित समस्या समाधान शिविर

642. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2004-05 में राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कैम्प आयोजित किये गये थे? यदि हां, तो अलवर जिले की पंचायत समिति तिजारा एवं पंचायत समिति कोटकासिम की ग्राम पंचायतों पर आयोजित कैम्प में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं उनका क्या-क्या निस्तारण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कैम्प में पूर्ण रिकार्ड उपलब्ध नहीं था? यदि हां, तो रिकार्ड के अभाव में कैम्प का क्या औचित्य रहा? सरकार अब कब तक सम्पूर्ण रिकार्ड के साथ कैम्प लगाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले की पंचायत समिति, तिजारा में आयोजित प्रशासनिक कैम्प में कुल 224 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनका निस्तारण कर दिया गया है तथा पंचायत समिति, कोटकासिम में आयोजित प्रशासनिक कैम्प में कुल 197 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 173 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है, शेष के निस्तारण के प्रयास जारी हैं। इन शिकायतों में अधिकतर शिकायतें अतिक्रमण से सम्बन्धित थी जिनका उचित निस्तारण किया जा चुका है।

(2) जी नहीं। आयोजित प्रशासनिक कैम्प के समय पंचायत समिति, तिजारा एवं कोटकासिम में सम्पूर्ण रिकार्ड उपलब्ध था।

पपुरना (झुंझुनूं) ग्राम पंचायत की सिवाय चक भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन

643. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पपुरना, संजयनगर, रामकुमारपुरा, बन्धा की ढाणी, मोडकी, ग्राम पंचायत पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं में पंचायत राज लागू होने से आज तक कितनी सिवाय चक भूमियों में नाजायज आबादी बसी है? सरकार द्वारा अब तक कितनी राजकीय सिवाय चक भूमि का आबादी में परिवर्तन कर ग्राम पंचायत पपुरना के सुपुर्द किया?

(श्री विजय बंसल)

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पपुरना में स्थित ढाणी करमाडी में पहले से आबादी भूमि होने के बावजूद अब करीब 50 बीघा भूमि में आबादी और बस गई है? यदि हां, तो कितनी भूमि आबादी में आज तक परिवर्तित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पपुरना, संजयनगर, रामकुवारपुरा, बन्धा की ढाणी, मोडकी, ग्राम पंचायत पपुरना तहसील खेतडी जिला-झुंझुनूं में पंचायत राज लागू होने से आज तक सिवाय चक भूमियों में निम्न प्रकार से नाजायज आबादी बसी हुई है :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1.	पपुरना	5.14
2.	बंधा की ढाणी	0.20
3.	मोडकी	0.07
4.	रामकुवारपुरा	0.93
5.	संजयनगर	1.60

सरकार द्वारा अब तक ग्राम पंचायत, पपुरना में 0.95 हैक्टेयर भूमि आबादी में परिवर्तन कर सुपुर्द की गई है।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत, पपुरना ढाणी करमाडी में आबादी भूमि होने के बावजूद भी अब 2.95 हैक्टेयर भूमि में आबादी बस चुकी है, जिसमें 0.95 हैक्टेयर भूमि आबादी में परिवर्तित की गई है।

किशनगढ़ में कार्यरत हैण्ड पम्प मिस्त्री

644. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री भागीरथ चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा हैण्डपम्प मिस्त्रियों की नियुक्ति के लिये कोई नियम या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की पंचायत समिति सिलोरा एवं पंचायत समिति अराई में हैण्डपम्प मिस्त्रियों के पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो कब से व कितने पद? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि हैण्डपम्पों की तुलना में वर्तमान में स्वीकृत कार्यरत मिस्त्रियों की संख्या कम है? यदि हां, तो कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार हैण्डपम्प मिस्त्रियों की संख्या बढ़ाकर वर्तमान गर्मी के मौसम में हैण्डपम्पों के संधारण की समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) हैण्डपम्प मिस्त्रियों के लिए सेवा नियम बनाया जाना प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। स्वीकृत पदों के विवरण की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) सरकार पूरे राज्य की स्थिति का नये सिरे से परीक्षण कर निर्णय लेगी।

(4) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से वर्तमान में विशेष अभियान चलाया जाकर हैण्ड पम्प संधारण की समुचित व्यवस्था की गई है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	पंचायत समिति	हैण्ड पम्पों की संख्या	वर्ष 1989 से 25.6.2002 तक कार्यरत हैण्ड पम्प मिस्त्री	दिनांक 25.6.2002 से समानीकरण के तहत स्वीकृत पद
1.	अराई	908	23	14
2.	सिलोरा	1247	16	20

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद् अजमेर

बस्सी पंचायत समिति में कम्प्यूटर खरीद में अनियमितता

645. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बस्सी में एच.सी.एल. कम्पनी का कम्प्यूटर खरीदा गया था? यदि हां, तो कितनी राशि में तथा उसकी बाजार कीमत तथा कम्पनी की कीमत में कितना अन्तर था? बिल सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तत्कालीन विकास अधिकारी द्वारा उसकी कितनी राशि उठाई गई? यदि कीमत में अन्तर है तो विकास अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार अन्तर वाली राशि को विकास अधिकारी से वसूलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति बस्सी में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से स्वीकृत राशि रु. 85,000/- के विरुद्ध राजस्थान राज्य सहकारी उपभोगता संघ लि. जयपुर से 84,786/- में कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरण क्रय किये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

1. कम्प्यूटर एच.सी.एल. कम्पनी का
2. यू.पी.एस. 500 वी.ए.
3. बाहरी (external) माडम
4. केनन थर्मल फेक्स
5. प्रिन्टर एल क्यू 1050

बाजार की तत्कालीन कीमत और कम्पनी की कीमत में अन्तर के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्तर राशि का आकलन किया जा सकेगा।

(पंचायती राज मंत्री)

पंचायत समिति बस्सी द्वारा किये गये क्रय के बिलों की प्रतियां सदन में प्रस्तुत हैं।

(2) तत्कालीन विकास अधिकारी द्वारा कम्प्यूटर एवं उपकरण क्रय हेतु कोई राशि नहीं उठाई गई है अपितु आपूर्तिकर्ता फर्म राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर को जरिये एफ.बी.सी. बिल नं. 35 दिनांक 26.12.2003 द्वारा सीधा भुगतान किया गया है।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आकलन करने पर कीमत में अन्तर पाये जाने पर विकास अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आकलन कराये जाने पर अन्तर राशि वसूली के लिये नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयी)

गोगुन्दा में अकाल राहत कार्यान्तर्गत पक्के निर्माण कार्य

646. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के किन-किन गांवों को वर्ष 2004-05 में अकाल ग्रस्त घोषित किया गया?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा चयन किये हुए गांवों में अकाल राहत कार्य चलाये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों व इन ग्रामों में अकाल राहत कार्य कब तक चलाया जायेगा?

(3) क्या सरकार जहां राजस्व ग्राम नहीं हैं व बड़े मजरे हैं में भी अकाल राहत में पक्के कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में वर्ष 2005 में कहां-कहां कार्य किया जाना प्रस्तावित है?

(4) क्या सरकार वर्ष 2005 में कडेच से वाव सड़क, जूली नाल से पांबा

(श्री मांगीलाल गरासिया)

गोरिया, कुकड़ा घाटा से मेरपुर तथा कुर्रा से सिल्ली गोरिया रोड अकाल राहत में पक्के करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के समस्त गांवों को वर्ष 2004-05 में अकालग्रस्त घोषित किया गया है।

(2) जी हां। चयन किये गये अधिकतर गांवों में राहत कार्य चल रहे हैं। जिन-जिन गांवों में राहत कार्य नहीं चलाये गये हैं उनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जहां पर श्रमिकों को रोजगार की अधिक आवश्यकता है वहां पर प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन गांवों में और रोजगार की आवश्यकता होगी कार्य चलाये जायेंगे।

(3) जिले के किसी भी मजरे से अभी तक पक्के कार्य करवाने के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। वैसे फिलहाल श्रम मद के कार्यों को ही किया जा रहा है।

(4) जी नहीं। क्योंकि फिलहाल रोजगार की आवश्यकता की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए श्रम मद के ही कार्यों को कराया जा रहा है।

परिशिष्ट "अ"

कार्यालय जिला कलक्टर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, उदयपुर

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में राहत नहीं चल रहे गांवों की सूची

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	गांव का नाम
1	2	3
पंचायत समिति गोगुन्दा		
1.	भानपुरा	बागड
2.	दियाण	कोविया
3.	ब्राह्मणों का कलवाना	झालों का कलवाना, कुन्दवों का गड़ा
4.	सिंघाड़ा	बटेरी

1	2	3
5.	सेमड़	कान्जी का गुड़ा, जेमली
6.	कमोल	बोरावाली मादड़ी
7.	विसमा	उमरना, बारावली, पाबा, हायला
8.	रावछ	टेगड़ा
9.	चित्रावास	पीपरना
10.	सुआवतों का गुडा	पानेरियो की भागल, मन्दावा, कुम्हारवास, नाहरो का गुडा
11.	तरपाल	कागटी, नगाजी का गुडा
12.	झाडोली	भाट मादड़ा उफ स्व मादड़ा, डुलावतो का गुडा, राणवतो का गुडा, चक जलार
13.	जसवन्तगढ़	गहलोतो का गुड़ा, अजयपुरा, झुंझारपुरा
14.	ढोल	बडगांव
15.	दादीया	इंटो का खेत, उन्दरी, कलजी का गुड़ा
16.	चोरबावड़ी	बांसड़ा, भादवी का गुडा
17.	चांटीया खेड़ी	नाल
18.	काछबा	जोगियों का गुड़ा
19.	मोरवल	मोरवल
20.	मजावद	जिराई, बडुन्दिया
21.	मोड़ी	कांकन का गुड़ा, वणी
22.	रावलिया कला	सागड़ी का गुडा

1	2	3
23.	रावलिया खुर्द	डिंगारी, चुण्डावतों का गुड़ा
24.	ढुंढी	वासना
25.	छाली	उण्डीथल, मलारिया खुर्द
पंचायत समिति कोटड़ा		
26.	बेकरिया	पिपला
27.	बिकरनी	बेकरियावड़, महुला, रणोरा, तिनसारा, सिरमी टाकरी, गोरिया, आड़ीसेर
28.	डांग	बिलीयां, हैराल खुर्द हेराकला, बोसी, चणा की उमर, बेरण, तरावला, टिबरनी का खेत
29.	गोगरूद	घाटा, कानाकावर, पावटी खुर्द, सांभर माल, झालर
30.	झेड़	झेड़, बुजा
31.	कुकावास	खांपा, पड़लई, खरा, पारली
32.	क्यारी	क्यारी, राया, मजरा, सही, चक भामटी, झाड़ीरोहण, काड़ा
33.	मादड़ा	बिलड़ीया, पिपलीखेड़ा, खेड़ा, चुण्डावतों का खेड़ा
34.	मालवा का चौरा	सेमलाथला, सालरीया, पनियाली, भरकुण्डा, चक पिपलमाल, चक पिपलीखुणा
35.	माण्डवा	बाखेल
36.	मेरपुर	खाम, पावटी कला, गरा, बेडाघर, सालाघाटी, क्लीम, काली डुगरी, चिबरवड़ी
37.	मेवाड़ो का मठ	भूतवड़, चांपा की नाल, आम्बा का खादरा, वणीयावर

1	2	3
38.	पड़ावली कला	डेडकिया, मादड़ी, बायाना, लुणावतो का वास, पाटीया, चुली, हथनी, पलाया, पिपला
39.	पडावली खुर्द	महुला, मुण्डावली, लोरो का वास, थापिया कला, थापिया खुर्द, सुरजबारा, पदमावरी, थल
40.	समीझा	जाम्बुआ, कन्थारिया, इन्द्रा का खेड़ा, जेलाई कला, जेलाई खुर्द, गाडरियावास, ढाबरा, धोया, आमरी, खाम्बीया, आदुजी का वास, वीरपुरा
41.	सामोली	जलेरी, फिदुलिथल, खुणा, तिलारनी, झाडी माकड़ी, साड़ी, तिलरवा, बेराफली, राफराखेत, काड़ा, आम्बा
42.	तेजा का वास	बांका वास, खेड़ा
43.	उखलीयात	भाडेल, पिपली खेड़ा, बुझरी, चिलरवा, खोखरिया की नाल, चाम्बुआ, बागुनी, समेल, थामलावेरी

कृते जिला कलक्टर
आपदा प्रबन्ध एवं सहायता
उदयपुर

धौलपुर जिले में अकाल राहत कार्यान्तर्गत सड़क निर्माण हेतु आबंटित राशि

647. श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में विभिन्न जिलों के लिये बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों एवं अन्य मरम्मत कार्यों के लिये राशि का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो आबंटित राशि का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

(2) सरकार द्वारा उक्त राशि के आबंटन के मानदण्ड क्या रखे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त आबंटित राशि का अब तक क्या-क्या उपयोग किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जिला धौलपुर के लिये आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है। केवल वर्ष 2004-05 में ही बाढ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों एवं अन्य मरम्मत कार्यों के लिये राशि आबंटित की गई थी। जिन जिलों को राशि आबंटित की गई थी उनका जिलेवार विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

(2) राज्य स्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार सड़कों एवं नहरों आदि के पुनरूद्धार हेतु जिला कलक्टर्स एवं विभिन्न विभागों/एजेन्सियों की मांग एवं औचित्य के अनुसार राशि का आबंटन किया गया है।

(3) उपरोक्त आबंटित राशि के उपयोग किये जाने का विवरण संलग्न है। (परिशिष्टं "ब")

(4) जी नहीं। क्योंकि इस विभाग द्वारा तात्कालिक मरम्मत हेतु राशि दी जाती है।

परिशिष्ट "अ"

(2004-2005)

DISTRICT	FLOOD							
	Road Works				Irrigation	PHED	Flood Assistance Collectors	TOTAL
	PWD	Collectors	Market-ing Board	Local Bodies				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Ajmer	100.00	50.00	15.00	356.63	16.50	—	1.00	539.13
2. Alwar	20.00	—	—	—	15.00	—	—	35.00
3. Banswara	600.00	45.82	—	84.60	25.43	—	61.00	816.85
4. Baran	156.00	8.95	5.00	211.35	41.50	3.50	13.00	439.30
5. Barmer	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Bharatpur	20.00	—	—	20.00	8.68	—	2.50	51.18
7. Bhilwara	150.00	40.00	20.00	137.01	91.20	10.00	147.20	595.41
8. Bikaner	—	—	—	—	—	—	1.98	1.98
9. Bundi	50.42	6.75	5.00	22.10	33.24	5.00	3.00	125.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Chittorgarh	140.00	40.00	3.00	181.60	44.30	—	4.00	412.90
11. Churu	64.00	—	—	20.00	—	—	2.00	86.00
12. Dausa	260.40	—	9.50	—	10.50	—	2.00	282.40
13. Dholpur	50.00	—	—	58.80	—	—	—	108.80
14. Dungarpur	150.00	30.00	—	94.18	22.85	—	16.00	313.03
15. Ganganagar	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Hanumangarh	—	—	—	—	—	—	2.00	2.00
17. Jaipur	210.00	10.05	25.00	281.76	—	—	1.00	527.81
18. Jaisalmer	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Jalore	—	4.00	—	—	—	—	0.40	4.40
20. Jhalawar	751.30	55.75	9.75	184.32	19.50	11.50	41.50	1073.62
21. Jhunujhunu	—	—	—	—	—	—	1.00	1.00
22. Jodhpur	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. Karauli	340.00	25.00	20.00	140.73	9.50	—	—	535.23
24. Kota	200.00	29.10	12.00	652.25	30.00	10.00	185.00	1118.35
25. Nagaur	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Pali	60.00	3.12	—	48.00	—	—	2.00	113.12
27. Rajsamand	41.34	14.99	—	5.80	—	—	—	62.13
28. S. Madhopur	536.54	55.00	65.75	264.09	100.00	10.00	5.00	1036.38
29. Sikar	—	—	—	2.69	—	—	2.00	4.69
30. Sirohi	—	0.93	—	14.39	—	—	2.36	17.68
31. Tonk	100.00	24.90	10.00	219.70	20.80	—	11.00	386.40
32. Udaipur	280.00	70.00	—	—	11.00	—	6.00	367.00
Total	4280.00	514.36	200.00	3000.00	500.00	50.00	512.94	9057.30

परिशिष्ट "ब"

EXPENDITURE
(2004-2005)

From 01.04.2004 to 31.03.05

Rs. In Lac

S. No.	DISTRICT	FLOOD								
		Road Works				Irrigation	PHED	Flood Assistance Collectors	Hali Storm	Total
		PWD	Collectors	Marketing Board	Local Bodies					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ajmer	68.24	41.30	15.00	340.19			0.13	0.52	465.38
2.	Alwar	12.00	0.00		0.00			0.00	124.78	136.78
3.	Banswara	518.12	45.14		84.60			61.36	0.00	709.22
4.	Baran	70.99	8.95	5.00	211.35		3.50	10.96	250.00	560.75
5.	Barmer	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
6.	Bharatpur	19..10	0.00		20.00			5.73	170.68	215.51
7.	Bhilwara	104.38	39.65	20.00	137.01		9.00	118.97	0.00	429.01
8.	Bikaner	0	0.00		0.00			0.00	6.61	6.61
9.	Bundi	27.68	6.75	5.00	22.10			4.95	6.40	72.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Chittorgarh	73.66	51.67	3.00	181.60			3.99	0.00	313.92
11.	Churu	39.55	0.00		20.00			0.17	156.29	216.01
12.	Dausa	178.53	0.00	9.50	0.00			0.00	312.59	500.62
13.	Dholpur	16.83	0.00		58.80			0.00	106.52	182.15
14.	Dungarpur	146.34	30.00		94.18			15.29	0.00	285.81
15.	Ganganagar		0.00		0.00			0.00	159.59	159.59
16.	Hanumangarh		0.00		0.00			0.00	1.42	1.42
17.	Jaipur	169.19	10.05	25.00	280.76			0.51	10.76	496.27
18.	Jaisalmer		0.00		0.00			0.00	2.19	2.19
19.	Jalore		2.32		0.00			0.29	0.00	2.61
20.	Jhalawar	338.19	55.75	9.75	184.32		11.50	16.65	15.26	631.42
21.	Jhunujhunu		0.00		0.00			0.00	372.52	372.52
22.	Jodhpur		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Karauli	229.68	25.00	20.00	147.73			0.00	58.53	480.94
24.	Kota	129.20	25.11	12.00	652.25		7.77	153.74	35.00	1015.07
25.	Nagaur		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
26.	Pali	41.47	3.12		48.00			0.58	0.00	93.17
27.	Rajsamand	17.15	5.14		5.80			0.00	0.00	28.09
28.	S. Madhopur	245.51	55.00	65.75	273.53		10.00	2.34	159.43	811.56
29.	Sikar		4.98		2.69			0.21	156.94	164.82
30.	Sirohi		0.88		14.39			0.73	0.00	16.00
31.	Tonk	78.47	24.90	10.00	219.70			0.98	81.25	415.30
32.	Udaipur	231.57	0.00					1.65	0.00	233.22
	Irrigation					426.42				426.42
	TOTAL	2755.85	435.71	200.00	3000.00	426.42	41.77	399.23	2187.28	9446.26

कोटा एवं बूंदी जिले में संचालित ईंट भट्टों हेतु "फ्लाई एश" के उपयोग की अनिवार्यता

648. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा व बूंदी जिले में ईंट बनाने के कुल कितने भट्टे किस-किस गांव व कस्बे में कब से चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन भट्टों में ईंट बनाने के लिये कोटा थर्मल से निकलने वाली राख का उपयोग किया जाता है? यदि हां, तो राख उपयोग करने वाले भट्टों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिला प्रशासन द्वारा कोटा थर्मल से 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ईंटों के निर्माताओं को फ्लाई एश का उपयोग अनिवार्य रूप से करने बाबत पाबन्द कर रखा है? यदि हां, तो क्या ईंटों के निर्माता इस आदेश की पालना कर रहे हैं?

उत्तर

(1) जिला कलक्टर कोटा एवं जिला कलक्टर बूंदी से प्राप्त सूचना के अनुसार कोटा जिले में ईंट बनाने के 157 ईंट भट्टे एवं बूंदी जिले में ईंट बनाने के 201 ईंट भट्टे हैं। जिला कोटा एवं जिला बूंदी के ईंट भट्टों के ग्राम/कस्बों तथा अवधि का विवरण क्रमश: परिशिष्ट "अ" एवं परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) मैसर्स कोटा थर्मल पावर प्लान्ट से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला कोटा के 16 ईंट भट्टों एवं जिला बूंदी के 48 ईंट भट्टों द्वारा कोटा थर्मल पावर प्लान्ट से जनित राख (फ्लाई ऐश) का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी सूची क्रमश: परिशिष्ट "स" एवं परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(3) जिला प्रशासन कोटा द्वारा कोटा थर्मल से 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ईंटों के निर्माताओं का फ्लाई ऐश के उपयोग के सम्बन्ध में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से प्राप्त पत्र दिनांक 7.12.2002 से प्राप्त निर्देशों की पालना हेतु समस्त उप-खण्ड अधिकारियों एवं समस्त तहसीलदारों को पत्र दिनांक 26.2.2003 से पाबन्द किया गया है। ईंटों के निर्माताओं के द्वारा तहसीलों से प्राप्त सूचना के अनुसार निर्देशों की आंशिक पालना करना पाया जाता है।

(पर्यावरण मंत्री)

जिला प्रशासन, बूंदी ने पत्र दिनांक 26.12.2001 द्वारा उप खण्ड अधिकारियों, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र एवं निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स को निर्देशित किया है। प्राप्त सूचना के अनुसार निर्देशों की आंशिक पालना करना पाया जाता है।

परिशिष्ट "अ"

जिला कोटा में चिन्हित ईट भट्टों की ग्रामवार सूची

क्र. सं.	गांव/कस्बे का नाम	संख्या	ईट भट्टा चलने की अवधि
1	2	3	4
1.	खेडा जगपुरा	106	9 वर्ष से (वर्ष 1996 से)
2.	कैथून	19	वर्ष 2000 से
3.	काला तालाब	4	वर्ष 2002 से
4.	रेलवे स्टेशन	1	वर्ष 2004 से
5.	चन्द्रेसल	2	वर्ष 2002 से
6.	जाखौडा	10	वर्ष 2004 से
7.	सांगोद	1	जनवरी, 2005 से
8.	लक्ष्मीपुरा	2	जनवरी, 2005 से
9.	बागडस्या	1	जनवरी, 2005 से
10.	दानाहेडा	2	जनवरी, 2005 से
11.	विनोद खुर्द	1	जनवरी, 2005 से
12.	बालुहेडा	1	जनवरी, 2005 से
13.	खैराबाद	2	6 वर्ष से
14.	खैराबाद		1 वर्ष से

1	2	3	4
15.	रावली	2	5 वर्ष से
16.	कुदायला	1	5 वर्ष से
17.	चन्द्रपुरा	1	3 वर्ष से
18.	मोडक	1	5 वर्ष से
	योग	**157**	

परिशिष्ट "ब"

जिला बूंदी में चिन्हित ईट भट्टों की ग्रामवार सूची

क्र. सं.	**ग्राम का नाम**	**तहसील**	**ईट भट्टों की संख्या**	**संचालन अवधि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	बून्दी शहर	बून्दी	4	गत दस वर्षों से
2.	छत्रपुरा	बून्दी	2	गत दस वर्षों से
3.	खटकज	बून्दी	2	गत दस वर्षों से
4.	अजेता	बून्दी	2	गत दस वर्षों से
5.	देलून्दा	बून्दी	1	गत दस वर्षों से
6.	जरखोदा	बून्दी	22	गत दस वर्षों से
7.	माटून्दा	बून्दी	1	गत दस वर्षों से
8.	गांधीग्राम	बून्दी	3	गत दस वर्षों से
9.	श्योपुरिया की बावड़ी	बून्दी	1	गत दस वर्षों से
10.	ठीकरियां चारणान (लीलेडा)	बून्दी	23	गत दस वर्षों से

1	2	3	4	5
11.	खेडला	बून्दी	2	गत दस वर्षों से
12.	जमीतपुरा	बून्दी	1	गत दस वर्षों से
13.	अकतासी	बून्दी	2	गत दस वर्षों से
14.	महरामपुरा	बून्दी	1	गत दस वर्षों से
15.	लाखेरी	इन्द्रगढ़	67	गत दस वर्षों से
16.	उतराना	इन्द्रगढ़	1	गत दस वर्षों से
17.	काकरा डूंगर	इन्द्रगढ़	4	गत दस वर्षों से
18.	पमावली	इन्द्रगढ़	4	गत दस वर्षों से
19.	नयागांव	इन्द्रगढ़	5	गत दस वर्षों से
20.	पापडी	इन्द्रगढ़	3	गत दस वर्षों से
21.	मालापुरा	इन्द्रगढ़	3	गत दस वर्षों से
22.	नैनवां	नैनवां	11	वर्ष 2003 से
23.	रजलावता	नैनवां	1	वर्ष 2004 से
24.	छोटी पडाप	नैनवां	1	वर्ष 2004 से
25.	लाम्बा भरडा	नैनवां	1	वर्ष 2004 से
26.	पीपल्या	नैनवां	4	3-वर्ष 2001से एवं 1-वर्ष 2003 से
27.	सूसाडिया	नैनवां	1	वर्ष 2001 से
28.	अशोक नगर	हिण्डौली	5	1-15 वर्ष से 1-12 वर्ष से एवं 3-2 वर्ष से

1	2	3	4	5
29.	सथूर	हिण्डौली	2	1-4 वर्ष से एवं 1-3 वर्ष से
30.	ओवन	हिण्डौली	1	3 वर्ष से
31.	चावन्डिया	हिण्डौली	1	3 वर्ष से
32.	जयनिवास	हिण्डौली	1	3 वर्ष से
33.	धनाव	हिण्डौली	1	3 वर्ष से
34.	काप्रेन	के. पाटन	9	वर्ष 1994 से
35.	के. पाटन	के. पाटन	8	वर्ष 1994 से
	योग		**201**	

परिशिष्ट "स"

मैसर्स कोटा थर्मल पावर प्लान्ट से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला कोटा के ईट भट्टों की सूची, जिनके द्वारा कोटा थर्मल पावर प्लान्ट से जनित राख (फ्लाई एश) का उपयोग किया जा रहा है

क्र. सं.	भट्टे का नाम
1	2
1.	उदयलाल मोटेवाला, कैथून
2.	बाबूलाल भाटेवाला, काला तालाब
3.	रामगोपाल, काला तालाब
4.	घासिक लाल, काला तालाब
5.	मोहन लाल, कैथून
6.	ओम प्रकाश, कैथून
7.	चन्द्र प्रकाश, कैथून

1	2
8.	अजीज, काला तालाब
9.	मोहन बंजारा, जगपुरा
10.	देवा बंजारा, जगपुरा
11.	रामलाल, जगपुरा
12.	एम.एल. शर्मा, जगपुरा
13.	अमर प्रेमा, जगपुरा
14.	कजोड़, जगपुरा
15.	कालू लाल, रेलवे स्टेशन
16.	राम प्रसाद, काला तालाब

परिशिष्ट "द"

मैसर्स कोटा थर्मल पावर प्लान्ट से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला बूंदी के ईंट भट्टों की सूची, जिनके द्वारा कोटा थर्मल पावर प्लान्ट से जनित राख (फ्लाई एश) का उपयोग किया जा रहा है :-

क्र. सं.	भट्टे का नाम	ग्राम एवं तहसील का नाम
1	2	3
1.	भैरू प्रसाद	ग्राम घाडा पहाड़, तहसील बूंदी
2.	शम्भू लाल	ग्राम घाडा पहाड़, तहसील बूंदी
3.	खेमराज	ग्राम घाडा पहाड़, तहसील बूंदी
4.	बब्लू	ग्राम घाडा पहाड़, तहसील बूंदी
5.	गिर्राज ब्रिक सप्लायर	ग्राम घाडा पहाड़, तहसील बूंदी
6.	चौथमल ईट उद्योग	ग्राम घाडा पहाड़, तहसील बूंदी

1	2	3
7.	राजू भाई ईट उद्योग	ग्राम घाडा पहाड़, तहसील बूंदी
8.	कालू लोधा	ग्राम घाडा पहाड़, तहसील बूंदी
9.	कालू मारखां	ग्राम घाडा पहाड़, तहसील बूंदी
10.	प्रकाश लोधा	ग्राम घाडा पहाड़, तहसील बूंदी
11.	महावीर जवाई	ग्राम घाडा पहाड़, तहसील बूंदी
12.	किशन लाल सुवालका	ग्राम तालेड़ा
13.	हेमराज	ग्राम तालेड़ा
14.	हेमराज	ग्राम तालेड़ा
15.	सत्यनारायण	ग्राम तालेड़ा
16.	सूरज गुर्जर	ग्राम तालेड़ा
17.	श्याम गुर्जर	ग्राम तालेड़ा
18.	ईश्वर लाल	ग्राम तालेड़ा
19.	सत्यनारायण	ग्राम तालेड़ा
20.	रामकिशन ईट उद्योग	ग्राम तालेड़ा
21.	मोती लाल	ग्राम तालेड़ा
22.	बाबू लाल	ग्राम तालेड़ा
23.	महावीर	ग्राम तालेड़ा
24.	कुरेशी ब्रिक सप्लायर	ग्राम बूंदी
25.	इकराम भाई	ग्राम बूंदी
26.	बद्री भाई	ग्राम बूंदी
27.	निजाम भाई	ग्राम बूंदी
28.	दिनेश शर्मा	ग्राम लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़

1	2	3
29.	पाली ब्रीक सप्लायर	ग्राम लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़
30.	प्रजापति ब्रिक्स	ग्राम लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़
31.	जगदीश पारेता	ग्राम लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़
32.	अल्लादीन ब्रिक सप्लायर	ग्राम लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़
33.	ताज ब्रिक्स	ग्राम लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़
34.	रमेश मोहन पुरा	ग्राम लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़
35.	सुवालका ब्रिक सप्लायर	ग्राम लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़
36.	राम विलास बैरवा	ग्राम लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़
37.	राधेश्याम सैनी	ग्राम लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़
38.	शम्भू	ग्राम लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़
39.	गोकुल पारेता	ग्राम लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़
40.	शिवशंकर	ग्राम लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़
41.	सूरजमल	ग्राम लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़
42.	चौथमल ब्रिक कम्पनी	ग्राम लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़
43.	रमेश ब्रिक कम्पनी	ग्राम लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़
44.	शिव एन्टरप्राइजेज	ग्राम लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़
45.	श्याम लाल मीणा	ग्राम लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़
46.	श्याम लाल सैनी	ग्राम लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़
47.	रमेश सैनी	ग्राम लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़
48.	बाबू लाल मीणा	ग्राम लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़

निगम बस डिपो, सीकर में आवश्यक सुविधाओं का अभाव

649. श्री केसरदेव बाबर (सीकर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर शहर स्थित रोडवेज बस डिपो का वर्ष 2003-04 का कितना बजट स्वीकृत था एवं उसमें से कितनी राशि व्यय की गई? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सीकर शहर स्थित रोडवेज बस डिपो की हालत बहुत खराब है एवं यात्रियों के बैठने पीने के पानी एवं शौचालयों/मूत्रालयों एवं रोशनी की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार सीकर शहर के रोडवेज बस स्टैण्ड के सौंदर्यीकरण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सीकर शहर स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस डिपो को वर्ष 2003-04 हेतु मदवार आबंटित बजट एवं उसके विरूद्ध वास्तविक व्यय की सूचना का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सीकर शहर स्थित बस स्टैण्ड ठीक स्थिति में है एवं यात्रियों के बैठने हेतु 103 कुर्सियां लगी हैं, पीने के पानी की स्टैण्ड पर पर्याप्त व्यवस्था है तथा शौचालय/मूत्रालयों की भी व्यवस्था है साथ ही सुलभ शौचालय सुविधा भी उपलब्ध की हुयी है। रोशनी की भी पर्याप्त व्यवस्था है स्टैण्ड के दोनों कोनों पर हैलोजन लाईट लगी है व प्लेटफार्म पर बल्ब व ट्यूबलाइटें भी लगी हुयी हैं।

(3) राजस्थान परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है अत: सीकर शहर के निगम बस स्टैण्ड के सौंदर्यीकरण का फिलहाल कोई विचार नहीं है। सीकर में बना हुआ रोडवेज बस स्टैण्ड आर.सी.सी. निर्मित कालमस, बीमस एवं स्लेबस, निर्माण का है। आवश्यक रंग रोगन समय-समय पर कराया जाता रहता है।

परिशिष्ट "1"

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION, SIKAR DEPOT

BUDGET HEAD	BUDGET ALLOTED 2003-04	EXP. INCURRED 2003-04
1	2	3
A-TRAFFIC		
24-Bus stand fee	7,20,000	25,614
27-Com. to Booking Agent	12,00,000	10,27,149
30-Accident Relief Fund	2,000	284
31(C)-Incentive	6,000	2,000
31(D)-Incentive	1,70,000	1,40,795
33-Payment to Hired Vehicle	3,02,83,000	2,94,49,795
35-Hire of Taxi	9,300	9,300
37-Other Exp.	25,000	19,069
B-LICENCE & TAXES		
38-Road tax	9,25,000	9,24,695
39-Reg. & Permit fees	2,50,000	2,45,824
41-Passenger tax to other state	76,50,000	75,08,942
42-Toll Tax	2,90,000	2,66,450
43-Spare Parts	4,75,000	4,13,527
48-Tools & Equipments	2,000	—

1	2	3
49-Other Stores	1,04,500	99,295
C-MAINTENANCE		
52-Oil & Lubricant	47,00,000	38,83,381
53-(A)-Repair by O.A.	3,80,000	3,43,413
55-Rep. & Maintt. (Plant & machineries)	3,100	1,403
56-Rep. & Maintt. to Wall building & garden	10,000	—
57-Rep. & Maintt. to staff cars/jeeps	10,000	9,985
61-Electricity & Water	4,75,000	3,95,248
62-Other Exp.	1,65,000	1,63,550
E-POWER		
63-HSD for buses	30,000	26,125
64-HSD for staff cars	3,000	798
P-PERSONNEL & WELFARE I-ADMIN.		
72-Exp. On Temp/Casual worker	52,000	40,200
II-TRAFFIC		
73-Salary & Allow. of officers	7,18,600	6.35,935
74-Salary & Allow. Of staff	72,64,900	66,53,816

1	2	3
75-Salary & Allow. of Cond. & Booking Clerks	2,72,27,100	2,58,63,706
75(A)-Salary of Drivers	1,56,85,700	1,48,96,322
76-Travel Exp.	1,00,000	99,861
77-Medical Exp.	1,00,000	99,262
78-Overtime & Allow.	45,00,000	10,24,059
78(B)-Other Allow.	5,00,000	—
III-MAINTENANCE		
80-Salary of W/shop	95,26,100	91,15,777
83-Stipend to App.	1,10,000	1,03,607
84-Travel Exp.	30,000	29,923
85-Medical Exp.	30,000	23,703
86-Overtime Allow.	1,75,000	31,685
G-WELFARE & SUPERANNUATION		
87-Contr. to P.F.	12,25,200	11,84,110
89-Contr. to ESI	10,03,700	9,46,641
91-Gratuity & Pension	42,26,000	42,18,638
92-Exgratia/Bonus	16,00,000	15,70,188
93-Welfare & Med.	2,000	—

1	2	3
94-Uniform	3,50,000	3,904
97-Other Welfare Exp.	3,000	1,000
H-GENERAL		
99-Light & Water	2,00,000	1,56,959
101-Adv. & Pub.	3,000	1,310
102-Telephone/Postage	75,000	74,337
103-Legal Exp.	40,000	33,023
104-Audit Fee	1,20,000	1,19,991
106-St. & Printing	13,000	10,603
107-Books & Perd.	500	386
108-Rep. & Maintt. of furniture	3,000	1,510
115-Entertainment exp.	1,800	150
116-Data Processing & computor exp.	3,000	685
117-Conveyance charges	3,000	150
127-Other Misc. exp.	30,000	26,826

निगम सेवा में कार्यरत साहसिक कर्मियों को विशेष पदोन्नति

650. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वित्तीय वर्ष 2004-05 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के किन-किन कर्मचारियों की पदोन्नति की गई तथा क्या-क्या मानदण्ड तय किये गये थे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पदोन्नति में कुछ कर्मचारी ऐसे थे जिन्हें साहसिक कार्यों को देखते हुए पदोन्नत किया गया है? यदि हां, तो नाम एवं किये गये साहसिक कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भविष्य में भी साहसिक कार्य करने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति देकर लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसकी समयावधि क्या रहेगी?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2004-05 में राजस्थान परिवहन निगम में परिशिष्ट "अ" पर अंकित कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। पदोन्नति वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाती है। विनियंमों के अनुसार पदोन्नति में साहसिक कार्य/विशेष योग्यता का 2 प्रतिशत एवं खिलाडियों के लिए 5 प्रतिशत कोटा भी निर्धारित है।

(2) जी हां। साहसिक/विशेष योग्यता के कोटे में निम्न कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है :-

1. श्री आनन्द चौधरी को सहायक यातायात निरीक्षक से यातायात निरीक्षक के पद पर।
2. श्री सुरेश कुमार शर्मा, परिचालक को सहायक यातायात निरीक्षक के पद पर।

इनके द्वारा किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट "ब", "स" पर है।

(यातायात मंत्री)

(3) जी हां। साहसिक कार्य के कोटे के पदोन्नति विनियम 2000 के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों में ऐसे कार्यों के सत्यापन हेतु गठित प्राथमिक कमेटी द्वारा प्रति वर्ष तैयार की गई सूची में से पदोन्नति का प्रावधान है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बस डकैती में शहीद निरीक्षक के आश्रितों को पेंशन

651. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री दीदार सिंह निरीक्षक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने दिनांक 28 सितम्बर, 1987 को शाहपुरा के पास रोडवेज की बस में आन ड्यूटी बस डकैती में डाकुओं का मुकाबला करते हुए बस एवं यात्रियों को बचाया था? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि डकैती के दौरान श्री दीदार सिंह के सिर पर दो गोली लगी थी एवं उसकी मृत्यु वर्ष 1989 में हो गई?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अभी तक उक्त निरीक्षक के आश्रितों को पेंशन का भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक पेंशन का भुगतान कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। श्री दीदार सिंह, सहायक यातायात निरीक्षक दिनांक 28.9.1987 को बस डकैती के दौरान गोली लगने से घायल हुए एवं दिनांक 10.9.1989 को इनकी मृत्यु हो गई।

(2) स्व. श्री दीदार सिंह, सहायक यातायात निरीक्षक भविष्य निधि योजना के सदस्य थे परन्तु इनके द्वारा भविष्य निधि से सम्बन्धित पेंशन योजना का विकल्प नहीं दिये जाने के कारण इनके आश्रितों को पेंशन देय नहीं पाई गई।

जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा परमिट शुदा यात्री वाहनों का अनियमित चालान

652. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान मोटर यान अधिनियम, 1990 की धारा 5.33 में किसी यात्री वाहन के अचानक मार्ग में खराब होने पर यात्रियों की सुविधा के लिये दूसरा यात्री वाहन मंगाये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो फिर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा वाहन मालिकों द्वारा मंगाये गये वाहन का चालान किन नियमों के तहत किया जाता है?

(2) क्या नियमों में यह भी प्रावधान है कि बस मालिक की बस मार्ग में खराब होने के उपरान्त बस मालिक सवारियों को ले जाने के लिये दूसरी बस मंगाने हेतु इसकी स्वीकृति देने के लिए आर.टी.ओ. को टेलीग्राम प्रेषित करता है? यदि हां, तो वर्ष 2004 से अब तक आर.टी.ओ. बीकानेर को इस तरह के कितने टेलीग्राम प्राप्त हुए एवं एवं उनमें से कितनों को स्वीकृति दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2004 से अब तक जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा इस तरह के कितने चालान किये गये एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यात्री वाहन के अचानक मार्ग में खराब होने पर यात्रियों के सुविधा के लिये दूसरी यात्री वाहन मंगाने हेतु राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 5.33 में प्रावधान है। प्रतिस्थापित किये जाने वाले वाहन का अध्याय 7 की अपेक्षाओं के अनुसार हर दृष्टि से यांत्रिक रूप से ठीक होना आवश्यक है और इसके ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र भी होना चाहिए। जब मूल गाड़ी पुन: चलने लग जाये तो इसकी सूचना परमिट धारी को सम्बन्धित प्राधिकारी को भेजी जानी होती है।

नियमों के उक्त प्रावधानों की पालना नहीं करने वाले वाहनों के विरुद्ध चालान आदि की कार्यवाही की जाती है।

(यातायात मंत्री)

(2) जी हां। नियमों में यह भी प्रावधान है कि मार्ग में बस खराब हो जाने के उपरान्त सवारियों को ले जाने के लिए दूसरी बस मंगाने के लिये बस मालिक स्वीकृति हेतु प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को जवाबी टेलीग्राम या फैक्स के माध्यम से आवेदन करता है। वर्ष 2004-05 में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बीकानेर को ऐसे 3195 टेलीग्राम प्राप्त हुए। इनमें से 357 तार जवाबी होने के कारण इनके सम्बन्ध में नियम 5.33 की पूर्ण पालना की शर्त पर स्वीकृति दी गई है।

(3) वर्ष 2004-05 के दौरान जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा इस तरह के 13 चालान बनाये गये हैं, जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट "क"

जिला हनुमानगढ़ में राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 5.33 के अन्तर्गत अस्थाई प्रतिस्थापन पर संचालित होने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	वाहन संख्या	पंचनामा संख्या व दिनांक	पंचनामें का विवरण	संधारण का विवरण
1	2	3	4	5
1.	RJ31-P0154	405925/1-6-2004	वाहन के साबूआना-हनुमानगढ़ किसी प्रकार के स्थाई/अस्थाई अनुज्ञा पत्र अथवा किसी अन्य वाहन प्रतिस्थापन में चलने का सबूत पेश नहीं किया।	चालान का संधारण राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 5.33 के अन्तर्गत अस्थाई प्रतिस्थापन का टेलीग्राम स्वीकार करते हुए रसीद संख्या 6582526 दिनांक 16.6.2004 द्वारा 100/- रु. में किया गया।
2.	RJ31-P0340	631154/26-7-2004	वाहन टिब्बी सगरियां मार्ग पर संचालित पाया गया। वाहन को बकाया कर होनें के कारण एवं एम.टी.सी.-4 प्रस्तुत नहीं करने के कारण जब्त किया गया।	चालान का संधारण राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 5.33 के अन्तर्गत अस्थाई प्रतिस्थापन को टेलीग्राम स्वीकार करते हुए रसीद संख्या 6605793 दिनांक 10.8.2004 द्वारा 600/- रु. में किया गया।

1	2	3	4	5
3.	RJ31-P0351	516074/7-8-2004	वाहन को पीलीबंगा हनुमानगढ़ मार्ग पर बिना वैद्य अनुज्ञापत्र के या अस्थाई अनुज्ञापन के मार्ग पर संचालित होने पर चालान बनाया गया।	चालान का संधारण राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 5.33 के अन्तर्गत अस्थाई प्रतिस्थापन का टेलीग्राम स्वीकार करते हुए रसीद संख्या 6571112 दिनांक 12.8.2004 द्वारा 100/- रु. में किया गया।
4.	RJ13-P0782	640401/25-6-2004	वाहन को संगारियां अबोहर मार्ग पर वाहन संख्या आर.जे. 13 पी. 280 के स्थान पर संचालित पाया गया वाहन चालक द्वारा टेलीग्राम पेश नहीं किया।	चालान का संधारण राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 5.33 के अन्तर्गत अस्थाई प्रतिस्थापन का टेलीग्राम स्वीकार करते हुए रसीद संख्या 1579765 दिनांक 16.7.2004 द्वारा 500/- रु. में किया गया।
5.	RJ13-P1633	6408364/26-6-2004	वाहन को अबोहर-संगारियां मार्ग पर बिना अनुज्ञापत्र एवं समय सारणी के संचालित पाये जाने चालान किया गया।	चालान का संधारण राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 5.33 के अन्तर्गत अस्थाई प्रतिस्थापन का टेलीग्राम स्वीकार करते हुए रसीद संख्या 6563706 दिनांक 3.7.2004 द्वारा 500/- रु. में किया गया।

1	2	3	4	5
6.	RJ13-P1588	768204/4-11-2004	वाहन हनुमानगढ़ अबोहर मार्ग पर बिना वैद्य अनुज्ञापन के संचालित पाया गया जिस कारण चालान बनाया गया।	वाहन को बिना अनुज्ञापत्र पाये जाने पर एक माह का विशेष पथकर एवं जुर्माना लेकर रसीद संख्या 1754074 दिनांक 23.3.2005 द्वारा 27,380/- रु. वसूल करके संधारण किया गया।
7.	RJ31-P0543	798401/19-9-2004	वाहन साहबा से नोहर मार्ग पर बिना परमिट संचालित पाया गया। वाहन चालक ने कोई टेलीग्राम की प्रति एवं रसीद पेश नहीं की।	वाहन का चालान शेष है।
8.	RJ13-P0621	1073835/18-2-2005	वाहन हनुमानगढ़ ऐलनाबाद मार्ग पर बिना परमिट संचालित पाया गया। वाहन चालक ने टेलीग्राम की प्रति एवं रसीद पेश नहीं की।	वाहन का चालान शेष है।
9.	RJ31-P0684	1073944/3-3-2005	वाहन अबोहर से हनुमानगढ़ मार्ग पर बिना परमिट के संचालित पाया गया। वाहन चालक ने बताया कि वह आर.जे. 31 पी 1213 के स्थान पर चल रहा है। लेकिन उसका कोई टेलीग्राम पेश नहीं किया गया।	वाहन का चालान शेष है, एवं रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई है, जो विचाराधीन है।

1	2	3	4	5
10.	RJ31-P0797	466143/1-6-2004	वाहन हनुमानगढ़ से संगरियां मार्ग पर बिना परमिट पाया गया। वाहन आर.जे. 31पी 1087 के स्थान पर संचालित पाया गया। वाहन चालक द्वारा प्रतिस्थापन सम्बन्धी कोई टेलीग्राम पेश नहीं किया गया।	वाहन का चालान शेष है।
11.	RJ13-P1202	631366/24-7-2004	वाहन संगरिया से हनुमानगढ़ आर.जे.31पी 0426 के स्थान पर संचालित पाया गया। वाहन चालक ने प्रतिस्थापन का तार पेश किया किन्तु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, बीकानेर द्वारा इस बाबत् कोई अस्थाई प्रतिस्थापन स्वीकार करने प्रमाण नहीं होने के कारण चालान बनाया गया।	वाहन का चालान शेष है।
12.	RJ31-P1213	1072341/18-2-2005	वाहन रावतसर से हनुमानगढ़ मार्ग पर बिना परमिट के संचालित पाया गया। चालक ने कोई प्रतिस्थापन सम्बन्धी टेलीग्राम पेश नहीं किया।	वाहन का चालान पेश है। वाहन की चालान रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई जो विचाराधीन है।
13.	RJ31-P1413	207290/13-10-2004	वाहन हनुमानगढ़ से पीलीबंगा मार्ग पर आर.जे.31 पी-1298 के स्थान पर अस्थाई प्रतिस्थापन एवं टेलीग्राम देकर संचालित हो रही थी।	वाहन का चालान शेष है।

वागोर (करौली) ग्राम हेतु निगम बस सेवा

653. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम वरदाला वागौर, गुडली, खुरा, चैनपुर, तहसील नादोती, जिला करौली में स्थित गांवों में अभी तक सरकार द्वारा किसी प्रकार की बस सेवा स्वीकृत नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि गंगापुर सिटी से कस्बा वागोर के लिये एक प्राइवेट बस चलती है जबकि सरकारी रिकार्ड में 22 बसों का प्रावधान है?

(3) क्या सरकार गंगापुर सिटी से या हिण्डौन सिटी से ग्राम वागोर के लिये परिवहन निगम की बस संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) करौली जिले में स्थित ग्राम वरदाला वागौर, गुडली को निम्नलिखित मार्गों से परिवहन सेवा उपलब्ध है :-

1. गंगापुर से नादौती वाया बड़ी उदई बनियावाला, गण्डाला, खूण्डा, गुडली, बामौरी वागौर वरदाला, कैमा, नादौती।

2. गंगापुर से गढ़मोरा वाया बडी उदई, बनियावाला, गण्डाला, खूण्डा, गुडली, बामौरी वागौर वरदाला, कैमा, नादौती, सलावद, गडखेड़ा, गढ़मौरा।

3. ग्राम खुरा व चैनपुरा ग्राम मार्ग से हटकर है जिनका सर्वेक्षण कराकर मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

(2) वागौर के लिये वस्तुत: 23 बसों को परमिट जारी किये हुये हैं किन्तु वर्तमान में ये बसें वागौर होकर नहीं जा रही हैं। बसों को निर्धारित मार्ग पर संचालित नहीं करने के कारण परमिट धारियों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

(यातायात मंत्री)

(3) जी नहीं। वागौर पंचम अध्याय के मार्ग पर स्थित होने से निगम बस सेवा का संचालन का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

जयपुर शहर के उपनगरीय मार्ग संख्या 11 पर अवैध रूप से संचालित मिनी बसें

654. **श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में वर्तमान में कितने मार्ग मिनी बसों को परमिट देने हेतु स्वीकृत हैं तथा किस-किस मार्ग पर कितनी मिनी बसों को परमिट देने हेतु स्कोप निर्धारित किया गया व किस-किस मार्ग में कितनी-कितनी मिनी बसें संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर शहर के मार्ग संख्या 11 पर वर्तमान में संचालित मिनी बसों के नम्बर, वाहन मालिक का नाम एवं पता एवं परमिट की वैधता सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मार्ग संख्या 11 पर वाहनों का निर्धारित स्कोप पूरा हो जाने के कारण सरकार द्वारा परमिट नहीं दिया जा रहा है? क्या उक्त कारण से कई मिनी बसें बिना परमिट के ही अवैध रूप से संचालित हो रही हैं? यदि हां. तो क्या सरकार इनकी रोकथाम हेतु वाहनों की चैकिंग कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं. तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में वर्तमान में 38 मार्ग मिनी बसों को परमिट देने हेतु स्वीकृत हैं। किस-किस मार्ग पर कितनी-कितनी बसों को परमिट देने हेतु स्कोप निर्धारित किया गया है व किस-किस मार्ग पर कितनी-कितनी मिनी बसें संचालित हैं इसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) जयपुर शहर के मार्ग संख्या 11 पर वर्तमान में संचालित मिनी बसों के नम्बर वाहन मालिक का नाम एवं पता एवं परमिट की वैधता का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(यातायात मंत्री)

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है। मार्ग संख्या 11 पर वर्तमान में 180 परमिटों का स्कोप निर्धारित है जिसके मुकाबले 177 परमिट जारी हैं। तीन स्थान रिक्त हैं। उक्त मार्ग पर उड़नदस्ते से जांच कराये जाने के उपरान्त किसी अवैध मिनी बस का मार्ग पर संचालन नहीं पाया गया है। अवैध संचालन की रोकथाम हेतु चैकिंग व्यवस्था विभाग की नियमित कार्य प्रणाली का अंग है। जांच एवं चैकिंग के दौरान वाहनों का अवैध संचालन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सलूम्बर पंचायत समिति के इन्दिरा आवासों का भौतिक सत्यापन

655. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में पंचायत समिति सलूम्बर में कितने लोगों को इन्दिरा आवास योजना में भवन स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सलूम्बर द्वारा स्वीकृत इन्दिरा आवासों का भौतिक सत्यापन उच्च अधिकारी से करवाने का अनुरोध किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का भौतिक सत्यापन करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सलूम्बर में गत पांच वर्षों में इन्दिरा आवास योजना में 502 लोगों को भवन स्वीकृत किये गये। सूची वर्षवार संलग्न है।

(2) पंचायत समिति सलूम्बर द्वारा स्वीकृत आवासों का भौतिक सत्यापन उच्च अधिकारियों से करवाने का अनुरोध नहीं किया गया है क्योंकि इस सम्बन्ध में इस प्रकार का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है जिसमें उच्च अधिकारियों से सत्यापन कराने की आवश्यकता हो।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

हंसमहल (जयपुर) ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित दुकानें

656. श्री अर्जुन सिंह (हानपुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत हंसमहल, पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर को वर्ष 2001 से दिसम्बर, 2004 तक स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत दुकानों हेतु कितनी राशि आबंटित की गई एवं कुल कितनी दुकानों का निर्माण किस-किस ग्राम में कराया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुकानों के निर्माण कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दुकानों पर वर्तमान में कौन-कौन किरायेदार काबिज हैं? सरकार द्वारा अब तक उक्त से कितना किराया वसूल किया गया? उक्त वसूली गई राशि को किस-किस बैंक में जमा कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वसूल की गई राशि पंचायत क्षेत्र के ग्रामों में व्यय की गई? यदि हां, तो किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत हंसमहल में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृति क्रमांक 1213-20 दिनांक 22.5.2000 द्वारा 10 दुकानों के निर्माण हेतु 17840 रु. प्रति दुकान की दर से कुल राशि रु. 1,78,400/- की स्वीकृति जारी की गई थी, स्वीकृत राशि में प्रति दुकान एस.जी.एस.वाई. योजना मद से 10,000/- अकाल राहत मद से श्रम राशि 4,800/- एवं सु.रो.यो. से 3000/- देय थी। स्वीकृति के क्रम में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम खेडलावास में 5 दुकानों का निर्माण कार्य करवाया गया एवं शेष 5 दुकानों का कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण स्वीकृति निरस्त कर दी गई जिनकी राशि जिला परिषद (पूर्व में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण) में वापिस पं. स. द्वारा जमा करा दी गई।

(2) उक्त दुकानों के निर्माण पर ग्राम पंचायत द्वारा कुल रु. 1.03,205/- का व्यय किया गया है। जिसमें एसजीएसवाई योजना मद से 50,000/- रुपये सुनिश्चित

(ग्रामीण विकास मंत्री)

रोजगार योजना मद से 15,000/- रुपये एवं अकाल राहत मद से 24,197/- रुपये एवं शेष राशि ग्राम पंचायत हंसमहल द्वारा व्यय की गई।

(3) उक्त दुकानों पर वर्तमान में निम्न किरायेदार काबिज हैं —

1. श्री सीताराम पुत्र जयकिशन बैरवा नि. खोडलावास।

2. श्री रामरतन पुत्र ग्यारसा बैरवा नि. खेडलावास।

3. श्री महादेव पुत्र बिरदा बैरवा नि. खंडलावास।

4. श्रीमती दुर्गादेवी पत्नि दीनदयाल गुप्ता नि. खेडलावास।

5. श्री मोहन पुत्र रामनाथ बैरवा नि. खेडलावास।

उक्त किरायेदारों से अब तक ग्राम पंचायत द्वारा रु. 15,200/- किराया वसूल किया गया है। उक्त वसूल की गयी राशि किसी बैंक में जमा नहीं कराई गई बल्कि कैश बुक में प्राप्ति दर्ज कर ग्राम पंचायत द्वारा ही व्यय की गई है।

(4) वसूल की गई राशि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार व्यय की गयी है—

1. प्रशासनिक व्यय वकील मेहनताना- 2000/-

2. राष्ट्रीय पर्वों पर शालाओं में मिठाई वितरण पर व्यय राशि-6870/-

3. कन्टीजेन्सी व्यय राशि रु. 638/-

4. चपरासी मानदेय राशि रु. 3000/-

5. पंचायत कैम्पस में मिट्टी भरत 700/-

6. पंचायत चुनाव व्यवस्था पर व्यय 1992/-

कुल योग-15,200/-

भीनमाल में विधायक कोष से निर्मित टांके

657. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में विधायक कोटे से पीने के पानी के टांके तक पाइप लाइन डालने के कितने कार्य स्वीकृत किये गये? सूची मय गांव व स्थान के सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा बकाया टांकों को पाइप लाइन से कब तक जोड़ दिया जायेगा?

(3) इनमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं व कितने कार्य अभी अधूरे पड़े हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि विधायक कोटे से पाइप लाइन डालने के लिये पैसा भी उठा लिया गया और उसे अन्य स्थान पर व्यय किया गया? यदि हां, तो कहां-कहां पर व्यय किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में विधायक कोटे से पानी के टांके तक पाइप लाइन डालने के 4 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत सभी टांकों को पाइप लाइन से जोड़ दिया गया है।

(3) सभी स्वीकृत 4 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। जिनकी सूची संलग्न परिशिष्ट "1" पर है।

(4) जी नहीं। विधायक कोटे से पाइप लाइन डालने का पैसा स्वीकृति अनुसार जीएलआर जोड़ने के लिए ही खर्च किया गया है। अन्य स्थान पर कोई खर्च नहीं किया गया है।

परिशिष्ट-1

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत गत पांच वर्षों में टांकों से जोड़ने के लिए स्वीकृत पाइप लाइन कार्यों की सूची

विधान सभा क्षेत्र-भीनमाल

क्र. सं.	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम मय गांव व स्थान	वित्तीय स्वीकृति क/दि.	स्वीकृत राशि	हस्ता. राशि	व्यय राशि	समायोजना राशि	कार्य की स्थिति	कार्यकारी एजेन्सी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2001-02	गांव धानसा मेघवाल/जागी बस्ती में पीएसपी लगवाने का कार्य	9232/ 2.7.2001	1.002	1.001	1.001	1.001	पूर्ण	पीएचडी, भीनमाल
2.	2002-03	पाइप लाइन कार्य विशाला माण्डकवाना	16911 11.2.2002	1.17	1.17	1.17	1.17	पूर्ण	पीएचडी, भीनमाल
3.	2003-04	पाइप लाइन कार्य गुलाम खां अलाम खां की ढाणी ग्राम लूम्बा की ढाणी	16571 6.10.2003	0.27	0.27	0.27	0.27	पूर्ण	पीएचडी. भीनमाल
4.	2003-04	खामियाणियों की ढाणी सिराणा में पाइप लाइन कार्य	16571 6.10.2003	0.35	0.35	0.35	0.35	पूर्ण	पीएचडी, भीनमाल
		योग		**2.792**	**2.791**	**2.791**	**2.791**		

स्थगित प्रश्न

(शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल, 2005)

जयपुर शहर के विधवा/अशक्त जनों द्वारा पेंशन हेतु आवेदन

393. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर में जनवरी, 2004 से आज तक कितने वृद्धावस्था/विधवा/विकलांगों ने पेंशन हेतु आवेदन किये? श्रेणीवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदकों में से सरकार द्वारा किन-किन को पेंशन स्वीकृत की गई? शेष को पेंशन नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे? तीनों श्रेणियों के व्यक्तियों के नाम एवं पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर (शहरी क्षेत्र) में जनवरी, 2004 से आज तक निम्न प्रकार वृद्धावस्था/विधवा/विकलांगों के पेंशन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं :-

वृद्धावस्था	244
विधवा	416
विकलांग	215
योग :-	875

(2) उक्त आवेदकों में से सरकार द्वारा निम्न प्रकार पेंशन स्वीकृत की गई :-

वृद्धावस्था	52
विधवा	136
विकलांग	35
योग :-	223

शेष को पेंशन नहीं दिए जाने के कारण, संलग्न विवरण में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित है।

तीनों श्रेणियों के व्यक्तियों के नाम व पते सहित विवरण संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

मांग संख्या-17 कारागार पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-17 मुख्य शीर्षक कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

1. लक्ष्मणगढ़ तहसील के फतेहपुर जेल की दशा सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

2. तालाब गांव, ग्राम पंचायत सथूर में बूंदी सेन्ट्रल जेल भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

3. राज्य के कारागारों में व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) :

4. राज्य के बन्दियों के साथ जेलों में हो रहे दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

5. विभाग द्वारा कारागारों (जेलों) में नियम विरुद्ध आपत्तिजनक सामग्री केदियों तक पहुंचाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर कठोर कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन सिंह राठौड़ (सुमेरपुर) :

6. विभाग द्वारा कारागारों में बन्द कैदियों को अपराध प्रवृत्ति छोड़ने के लिये प्रेरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

7. जेलों में व्यापक भ्रष्टाचार तथा अपराधियों को नियम विरुद्ध सुविधा प्रदान करने पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

8. विभाग द्वारा निम्बाहेड़ा में उप-कारागृह के नये भवन का निर्माण कराने एवं सब-जेलर के रिक्त पद को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

9. जिला अलवर के कैदियों को सेन्ट्रल जेल, भरतपुर से अलवर जेल में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

10. विभाग द्वारा जिला कारागार अलवर में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. विभाग द्वारा जिला कारागार, अलवर को केन्द्रीय कारागार का दर्जा देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) :

12. न्यायालय में पेशी पर लाये जाने वाले बन्दियों की फरारी की बढ़ रही घटनाओं पर चर्चा के लिये।

13. विभाग द्वारा राज्य की जेलों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. न्यायालय में पेशी पर लाये गये बन्दियों को खुले में घूमने पर कोई रोक नहीं लगाने पर चर्चा के लिये।

15. विभाग द्वारा राज्य की जेलों में बंदियों के लिये योग एवं प्राणायाम के लिये विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था किये जाने पर चर्चा के लिये।

16. जांच में दोषी पाये जाने पर भी कारागार विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) :

17. प्रदेश के कारागारों की दयनीय स्थिति एवं जेल सिपाहियों की भर्ती के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) :

18. विभाग द्वारा सलूम्बर उप-कारागार को पुन: प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मीणा (करौली) :

19. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र करौली में नये कारागार भवन का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

20. राज्य में खुली जेलों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

21. राज्य के बन्दियों के खाने का स्तर सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

22. राज्य के कारागारों में माफियाओं को जेल में नियम विरुद्ध जेल अधिकारियों द्वारा सुविधा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

23. राज्य के कारागारों में सुरक्षा प्रहरियों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

24. विभाग द्वारा जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ पुरान कारागृह की मरम्मत करने हेतु पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

25. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कारागृह में कैदियों को रखने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

26. राज्य में जेलों की व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

27. धौलपुर जेल के लिये जमीन आबंटन होने के बावजूद भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. विभाग द्वारा धौलपुर जेल में अधीक्षक व अन्य खाली पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विभाग द्वारा धौलपुर जेल में कैदियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. धौलपुर जेल में महिला वार्ड होते हुये भी जे.सी. के दौरान महिला सिपाही नहीं होने के कारण बंदी महिलाओं को सेन्ट्रल जेल भरतपुर भेजने से बंदी के घरवालों को मुलाकात में हो रही परेशानी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. भंवर लाल राजपुरोहित (मकराना) :

31. कैदियों के रहन-सहन के स्तर एवं भवनों की जीर्ण क्षीर्ण अवस्था सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

32. विभाग द्वारा जेलों के नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

33. विधान सभा क्षेत्र बाली के बाली किले में संचालित उप-कारागार को अन्यत्र स्थानान्तरित कर हैरीटेज की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किले को खाली करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

34. बाड़मेर जिला कारगार के भवन के विस्तार एवं आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. बाड़मेर जिला मुख्यावास पर महिलाओं के लिए अलग से कारागार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) :

36. विभाग द्वारा राजस्थान में कारागारों में व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

37. विभाग द्वारा जिला झुंझुनूं के खेतड़ी कारागार भवन की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

38. केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में देश विदेश के खतरनाक बन्दी रखे जाते हैं उसके सुधार, विस्तार व माकूल व्यवस्था करने एवं प्रदेश के कारागृहों में कम उम्र के अण्डर ट्रायल बन्दियों को अन्य खतरनाक व आदतन अपराधियों से अलग रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. किशोर बन्दी सुधारगृह घूघरा, अजमेर व महिला बन्दी सुधारगृह जयपुर की शाखाएं जोधपुर में भी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

40. विभाग द्वारा जोधपुर कारागार में उप महानिरीक्षक का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

41. विभाग द्वारा कारागारों में कैदियों द्वारा हस्तनिर्मित वस्तुओं की बिक्री करने तथा कैदियों के मनोरंजन का पर्याप्त प्रबन्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विभाग द्वारा केन्द्र सरकार से भरतपुर व उदयपुर की जेलों को सुरक्षा आदि के बन्दोबस्त के लिए दिये गये अनुदान का उपयोग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. विभाग द्वारा प्रदेश की जेलों में सजायाफता कैदियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण

(मोहम्मद माहिर आजाद)

देने तथा जयपुर केन्द्रीय कारागृह में अधूरे निर्मित आई.टी.आई. भवन को शीघ्र पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विभाग द्वारा प्रदेश की जेलों में रह रहे कैदियों को पर्याप्त सुविधाएं मुहैय्या कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

45. विभाग द्वारा प्रदेश की जेलों की व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

46. विभाग द्वारा फुलेरा विधान सभा के सांभर कस्बे में उप-कारागार बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

47. बाह्य जिलों में कैद बंदियों को गृह जिले में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

48. विभाग द्वारा राज्य की जेलों में बंद कैदियों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

49. राज्य की जेलों में बंद महिला कैदियों की स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. राज्य में बाल कैदियों की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) :

51. विभाग द्वारा बांदीकुई में नया कारागार भवन बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

52. विभाग द्वारा कारागृहों में न्यूनतम सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

53. सेंट्रल जेल जयपुर में वर्ष 1990 से अब तक हुई कैदियों की मृत्यु के कारणों पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

54. विभाग द्वारा कैदियों की सुविधाओं में विस्तार करने व व्यवसायियों द्वारा प्रशिक्षण दिलवाकर उनसे हस्त निर्मित सामान बनवाने एवं उनकी बिक्री की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-16 पुलिस पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) :

1. राजस्थान की पुलिस व्यवस्था एवं जन धारणा पर चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

2. राजस्थान में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

3. लक्ष्मणगढ़ तहसील में पुलिस थानों का स्तर बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

4. राज्य में पुलिस कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

5. जिला बीकानेर की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

6. राजस्थान में बढ़ते अपराध एवं महिला अत्याचार पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

7. राज्य में पुलिसकर्मियों की सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) :

8. राज्य में पुलिस विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) :

9. राज्य में पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं थानों की सीमाएं अव्यवहारिक होने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

10. विभाग द्वारा सिकन्दरा जिला दौसा में नया थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विभाग द्वारा मेहन्दीपुर बालाजी स्थित पुलिस चौकी में पर्याप्त स्टाफ की स्थायी व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. राज्य में कानून-व्यवस्था की आदर्श व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बेड़ा बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

13. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) :

14. विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में ट्रेफिक व्यवस्था की स्थिति ठीक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) :

15. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के रामसीन पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरी सिंह रावत (भीम) :

16. राज्य में पुलिस प्रशासन द्वारा भेद-भाव की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

17. राज्य में बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस विभाग को अधिक शक्तियां देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

18. विभाग द्वारा ग्राम कुन्दनपुर जिला कोटा में नवीन थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. संगीन अपराध करने वालों को तत्परता के साथ पकड़ने वाले पुलिस कर्मचारियों को सरकार द्वारा तत्काल पुरस्कृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

20. राज्य में अफीम की गैर-कानूनी बिक्री के कारण ड्रग्स के उपयोग से युवा पीढ़ी पर नशे के लिये अपराध करने से रोकने हेतु प्रदेश में अफीम की खेती पर पूर्ण रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विभाग द्वारा कोटा जिले के सीमलिया में नवीन थाने व आवास भवन के निर्माण हो जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत द्वारा थाने की अस्थायी व्यवस्था के रूप में प्रदान किये गये भवन को खाली करके भवन पंचायत को नहीं सम्भलाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

22. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में हुई हत्याएं, लूट, चोरियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

23. राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

25. राज्य में पुलिसकर्मी की कमी व नये थाने खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

26. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र दूदू में पुलिस थाना नरैना में नई जीप की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. विभाग द्वारा चार्जशीट से आरोपित अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

28. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र दूदू के गांव महला व बन्दे के बालाजी में नये पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. राज्य में दलितों पर बढ़ते अत्याचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

30. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में नये पुलिस थानों/चौकियों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

31. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के कस्बा मुबारिकपुर (अलवर) में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के कस्बा नौगांवा (अलवर) में नया पुलिस थाना स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) :

33. विभाग द्वारा जयपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

34. विभाग द्वारा जयपुर के पुलिस थानों में नफरी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

35. विभाग द्वारा अवैध वाहनों के संचालन में रोक नहीं लगाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. विभाग द्वारा जयपुर के पुलिस थानों को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विभाग द्वारा जयपुर में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

38. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गंगरार में मात्रीकूण्डिया व कांटी में नवीन पुलिस चौकियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) :

39. प्रदेश की कानून व्यवस्था एवं पुलिस की कार्यशैली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

40. पुलिस की मिलीभगत से सिरोही जिले से गुजरात में हो रही शराब की तस्करी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. पुलिस की मिलीभगत से सिरोही जिले में सट्टे व जुएं के संचालन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

42. विभाग द्वारा पुलिसकर्मियों को नियम विरुद्ध मूल निवास के वृत क्षेत्र में लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

43. राज्य में पुलिस की बढ़ती ज्यादतियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) :

44. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के गिगला को स्थायी चौकी घोषित करने एवं क्षेत्र में नई चौकियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

45. विधान सभा क्षेत्र मावली में उप अधीक्षक पुलिस का कार्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) :

46. विभाग द्वारा थाना चाकसू (जयपुर) को क्रमोन्नत कर निरीक्षक स्तर का थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

47. विभाग द्वारा हथियारों के लाइसेन्स बनाने में अनावश्यक जानबूझकर देरी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार) :

48. प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति एवं बढ़ते भ्रष्टाचार तथा अपराधों की रोकथाम में आवश्यक सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) :

49. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर में नई पुलिस चौकियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) :

50. प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा अन्य विभागों की भांति आनुपातिक स्तर पर भर्ती नहीं करने से बढ़ते अपराधों पर नियन्त्रण नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

51. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पुलिस थाना कस्बे के बीच बाजार में स्थित होने से बार-बार बिगड़ती कानून-व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था जाम होने की स्थिति में थाने को बाहर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बानसूर में केवल एक ही थाना (बानसूर) होने

(श्री महीपाल सिंह यादव)

से बढ़ते अपराधों को रोकने हेतु हरसौरा पुलिस चौकी को थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

53. यातायात पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर होली एवं धुलण्डी के दिन जयपुर में वाहन चालकों के चालान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) :

54. विधान सभा क्षेत्र गंगापुरसिटी में नई पुलिस चौकी भवन निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र गंगापुरसिटी में महिला पुलिस थाना खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मीणा (करौली) :

56. विधान सभा क्षेत्र करौली में पुलिस लाइन की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

57. राज्य में पुलिस के संरक्षण में बढ़ रहे हवाला व्यापार, जुआ एवं सट्टे की स्थिति पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र धोद के भोलासर काण्ड में निर्दोष किसानों पर लगाए मुकदमें वापस नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

59. पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण में शिथिलता बरतने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. एफ आई आर नम्बर 39/05 थाना नीमकाथाना जिला सीकर में कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

61. राज्य में कानून व्यवस्था छिन्न-भिन्न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नावां) :

62. 45वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2001 में पदक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को दी गई पदोन्नतियों में भेदभाव किए जाने पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

63. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति के पुलिस कर्मियों को पुलिस चौकी/थानों में लम्बे समय से नहीं लगाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. विभाग द्वारा प्रदेश में पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

65. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिला कुशलगढ़ क्षेत्र में मध्य प्रदेश व गुजरात सीमा पर अस्थाई पुलिसकर्मी लगाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) :

66. पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

67. पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार करने एवं आधुनिकीकरण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) :

68. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नदबई में बढ़ते अपराधों को मद्देनजर रखते हुये पुलिस थाना नदबई को अपग्रेड किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) :

69. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र तिजारा में कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस को आधुनिक हथियारों व उपकरणों से लैस किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

70. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह के देवली पुलिस थाने का नया भवन मापदण्ड के अनुसार नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

71. विभाग द्वारा राज्य में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों को रोकने हेतु समुचित प्रयास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विभाग द्वारा राज्य में पुलिस बल में पर्याप्त बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) :

73. धौलपुर जिले में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

74. धौलपुर जिले में शस्त्र लाइसेंस देने में अधिकारियों के भेदभाव व मनमानी चलाने के कारण उपयुक्त होते हुए भी लाइसेन्स नहीं देने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

75. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में पुलिस की मिलीभगत से जूआ-सट्टे का धन्धा बेधड़क चलने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

76. धौलपुर जिले में पुलिस पर हो रहे हमले तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद भी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होने से जनता में व्याप्त भय को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. धौलपुर जिले में पीड़ित व्यक्ति का पुलिस की पर्ची के बिना मेडिकल जांच नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

78. राज्य में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

79. विभाग द्वारा सीताबाड़ी केलवाड़ा जिला बारां में स्थायी पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विभाग द्वारा रामगढ़ (तहसील किशनगंज) जिला बारां में नवीन थाना क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

81. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत मुख्यालय चित्रावास में पुलिस चौकी व नाल (चाटियाखेड़ी) गुन्दाली या कराडा में पुलिस चौकी बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) :

82. राज्य सरकार द्वारा पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) :

83. विभाग द्वारा पुलिस में हो रही अनियमितताएं और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

84. विभाग द्वारा पुलिस कर्मचारियों को देय सुविधाओं, मानदेय, भत्तों आदि में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

85. चौमूं विधान सभा क्षेत्र में स्थित पुलिस थानों का भौगोलिक दृष्टि से पुन: सीमांकन कर निर्धारण करने व क्षेत्र के विभिन्न दर्ज प्रकरणों की जांच त्वरित गति से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में खेजडोली व अस्तेडा पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत करने एवं किशन मानपुरा में पुलिस चौकी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

87. विभाग द्वारा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के पुलिस थाने को पुलिस निरीक्षक स्तर पर क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विभाग द्वारा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में पुलिस उप-अधीक्षक कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विभाग द्वारा सीकर जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का एक नया पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) :

90. विधान सभा क्षेत्र नोहर में निरन्तर जुर्म के बढ़ने को रोकने हेतु विभाग द्वारा कारगर कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) :

91. राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

92. विभाग द्वारा सीकर शहर में अपराधों में मद्देनजर महिला थाने की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विभाग द्वारा पुलिस कर्मियों में आत्महत्या की प्रवृतियों को देखते हुए उनकी सुविधाओं में विस्तार, ड्यूटी समय निश्चित करने, स्पोर्टस एवं व्यायाम प्रवृत्ति बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

94. विभाग द्वारा परबतसर उपखण्ड मुख्यालय पर पुलिस उप-अधीक्षक का नया पद सृजित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विभाग द्वारा परबतसर विधान सभा क्षेत्र के पीलवा व गच्छीपुरा पुलिस थानों को क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) :

96. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा के ग्राम परसाद में नवीन पुलिस थाना खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा की मसारों की ओबरी में नवीन पुलिस चौकी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा बस स्टेण्ड पर नवीन पुलिस चौकी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) :

99. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के ग्राम जड़ाव खापा में नवीन पुलिस चौकियां खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

100. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बाली की लाटाड़ा पुलिस चौकी को थाना सादड़ी से हटाकर थाना बाली के अधीन लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बाली के ग्राम कोठार मुण्डारा व भालनूं में नवीन पुलिस चौकियां खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) :

102. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में धरोनिया चौकी को स्थाई कर भवन बनाने व हिम्मतगढ़ में नई चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. विभाग द्वारा थाना पिड़ावा में सी.आई. की पोस्ट स्वीकृत करने हेतु चर्चा के लिये।

104. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के थाना सुनेल, रायपुर व पिड़ावा में नये वाहन (जीप) उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विभाग द्वारा विधान सभा पिड़ावा के थाना सुनेल में जीर्ण-शीर्ण पूर्व निर्मित

(श्री कन्हैया लाल पाटीदारी)

आवास के स्थान पर नये आवास बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा) :

106. विभाग द्वारा बीकानेर जिले में पुलिस स्टाफ बढ़ाने एवं पुलिस के आचरण पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (मालपुरा) :

107. विभाग द्वारा पुलिस थानों में पुराने वाहनों के स्थान पर नये वाहन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विभाग द्वारा पुलिस विभाग के कर्मियों को प्रतिमाह रोडवेज की बसों के मासिक पास हेतु उनके वेतन से कटौती कर व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

109. विभाग द्वारा पुलिस कार्मिकों को स्वस्थ एवं चुस्त रखने हेतु खेलकूद प्रतियोगिताएं प्रत्येक स्तर पर कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

110. विभाग द्वारा विचाराधीन कैदियों के दर्ज मुकदमों का निपटारा जल्दी से जल्दी करने की आवश्यंकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) :

111. विभाग द्वारा राजस्थान में पुलिस कर्मियों की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. राज्य में पुलिस की कार्यकुशलता में कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

113. राज्य में पुलिस की व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

114. बाड़मेर जिला मुख्यावास पर महिला पुलिस थाना स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों में उचित तालमेल बनाये रखने हेतु विभाग द्वारा प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. राज्य में पुलिस कर्मचारियों के आचरण में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल शर्मा (पीपल्दा) :

117. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम कानरपुरा में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार एवं अनुसूचित जाति की महिला से बलात्कार के असफल प्रयास के सम्बन्ध में दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

118. सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में हत्या के मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

119. पुलिस विभाग में सेवानिवृत्ति आयु 50 वर्ष करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

121. विभाग द्वारा जोधपुर शहर में थानों की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. विभाग द्वारा जोधपुर शहर में पुलिस नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विभाग द्वारा जोधपुर शहर में यातायात एवं कानून व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. राज्य में आम नागरिकों के साथ पुलिस के व्यवहार में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

125. विभाग द्वारा प्रदेश में पुलिस कर्मियों को आधुनिक हथियार व संसाधन उपलब्ध कराने व पर्याप्त वेतन एवं सुविधाएं मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. प्रदेशभर में दलितों पर अत्याचारों की घटनाओं में बेतहाशा हो रही वृद्धि से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

127. प्रदेश में अपराधों (चोरी, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार) की घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

128. प्रदेश में भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर, भरतपुर, बारां, पाली सहित विभिन्न जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्रताड़ित करने, जानमाल को अनावश्यक नुकसान पहुंचाने, झूठे मुकदमों में फसाने, उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने से कोमी एकता को हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिये।

129. प्रदेश में प्रतिदिन बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति पर काबू पाने में सरकार के पूर्णतया असफल रहने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

130. विभाग द्वारा राज्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पदों पर पदोन्नतियां नहीं करने से पुलिस अधिकारियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

131. विभाग द्वारा फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में सांभर के पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपराधों पर अंकुश लगा पाने में विफल रहने, दलितों एवं महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों, भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

132. विभाग द्वारा फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न थानों में रिक्त पदों की पूर्ति एवं अपराधों पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

133. विभाग द्वारा मालपुरा में आर.ए.सी. की नवीं बटालियन की कम्पनी हेतु नवीन भवन निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

134. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खैरथल पं.स. किशनगढ़बास के ग्राम धमूकड़ व रावका में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. विभाग द्वारा कानिस्टेबल स्तर के कर्मचारियों को अन्तर सर्किल स्थानान्तरण नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

136. राज्य में धार्मिक जुलूसों पर हो रहे हमले से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

137. विभाग द्वारा पुलिस कर्मियों को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. राज्य के थानों में पुलिस कर्मियों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) :

139. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के पुलिस चौकी बसवा को क्रमोन्नत कर थाना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

140. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्राम बैजूपाड़ा में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) :

141. विभाग द्वारा पुलिस थानों को आधुनिक वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विभाग द्वारा जयपुर में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकरांय) :

143. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने हेतु कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

144. बांसवाड़ा जिले में सत्र 2000 से 2005 तक विभिन्न अपराधों के अनुसंधान में पाये जाने वाले वांछित अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

145. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले के सैलाना घाटे (दानपुर) के पास होने वाली वारदातों को रोकने हेतु अस्थायी चौकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले में भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग से शीघ्र हटाने एवं ईमानदार कर्मचारियों को लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

147. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में पंचायत समिति मुख्यालय, तहसील मुख्यालय पर स्थायी चौकी नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

148. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा की अन्तिम सीमा फलवा पर स्थायी चौकी कायम नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) :

149. राज्य में पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) :

150. विधान सभा क्षेत्र, भीनमाल के पुलिस स्टेशनों पर अपर्याप्त पुलिस बल होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

151. राज्य में पुलिस विभाग की तबादला नीति पर चर्चा के लिये।

152. राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

153. जालोर जिले में पुलिस की मिलीभगत से हो रही शराब तस्करी पर चर्चा के लिये।

154. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र, भीनमाल में नये पुलिस थाने व नई पुलिस चौकियां खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

155. विभाग द्वारा पुलिस विभाग में समुचित संख्या में पुलिस बल की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. विभाग द्वारा जयपुर शहर में ठगी, बलात्कार एवं बढ़ रहे अन्य अपराधों पर नियन्त्रण करने हेतु त्वरित कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. विभाग द्वारा नागरिक सुरक्षा की वार्डन सेवा के स्वयंसेवकों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

158. विभाग द्वारा पुलिस में उप-निरीक्षकों के आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों की पदोन्नति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

159. थाना आमेर (जयपुर) में दर्ज मु. नं. 44/05 दिनांक 21.2.2005 के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

160. विभाग द्वारा मु.नं. 378/04 30.9.2004 की निष्पक्ष जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

161. पुलिस थाना चाकसू (जयपुर) में दर्ज मु.नं. 335/03 व 237/05 में निर्दोष व्यक्तियों को फसाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

162. राज्य में पुलिस नफरी में बढ़ोतरी हेतु विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

163. विभाग द्वारा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के समय में कमी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

164. विभाग द्वारा बाड़मेर-जैसलमेर में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सदस्य-सूची

शुक्रवार, 15 अप्रैल, 2005

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अध्यक्ष	
अनुदान की मांग	
-कारागार-मांग संख्या 17 का पारण	348
-पुलिस-मांग संख्या 16 का पारण	347
श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा), राज्य मंत्री	
अनुदान की मांग	
-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार	344
श्री अमराराम (धोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-सहकारी समितियों के चुनाव/सदस्यों की संख्या में वृद्धि	436
अनुदान की मांग	
-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार	226
--पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार	226
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-अकाल एवं बाढ़ राहत कार्यों हेतु आबंटित राशि का उपयोग	21
पंचायती राज	
-पंचायती राज संस्थाओं की गबन शुदा राशि की वसूली	17

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में वन भूमि पर अवैध खनन	361
श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थानों में दर्ज आपराधिक प्रकरणों में जांच	398
ग्रामीण विकास	
-सलूम्बर पंचायत समिति के इन्दिरा आवासों का भौतिक सत्यापन	486
श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-जालौर जिले की सहकारी समितियों का अंकेक्षण	360
श्री अर्जुन सिंह बामनिया (दानपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-हंसमहल (जयपुर) ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित दुकानें	487
शासकीय वक्तव्य	
-मानगढ़ धाम में त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्य बाबत	89
श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-अजमेर एवं टोंक रोड (जयपुर) पर वृक्षों की कटाई	5

नाम	पृष्ठ संख्या
डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-अकाल एवं बाढ़ राहत कार्यों हेतु आबंटित राशि का उपयोग	25
पंचायती राज	
-पंचायतराज संस्थाओं की गबन शुदा राशि की वसूली	10
वन	
-अजमेर एव टोंक रोड (जयपुर) पर वृक्षों की कटाई	4
श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-तिजारा एवं कोटकासिम (अलवर) पंचायत समितियों में आयोजित समस्या समाधान शिविर	446
श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा), मंत्री	
शासकीय वक्तव्य	
-पोषाहार टेंडर की अवधि बढ़ाने और पोषाहार की गुणवत्ता विषयक	36
-मानगढ़ धाम में त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्य बाबत	88
श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-हापराड़ी (आमेर) ग्राम में दर्ज हत्या प्रकरण की जांच	416
पंचायती राज	
-बस्सी पंचायत समिति में कम्प्यूटर खरीद में अनियमितता	450

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-ओलावृष्टि आगजनी पीड़ित किसानों को मुआवजा	354
श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-थानागाजी की वन क्षेत्र के बाहर की खानों में खनन हेतु छूट	389
श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार)	
अनुदान की मांग	
-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार	94
-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार	94
श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-पंचायतराज संस्थाओं की गबन शुदा राशि की वसूली	8
डा. किरोड़ी लाल (सवाई माधोपुर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-अकाल एवं बाढ़ राहत कार्यों हेतु आबंटित राशि का उपयोग	18
श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-निगम बस डिपो, सीकर में आवश्यक सुविधाओं का अभाव	471

नाम	पृष्ठ संख्या
अनुदान की मांग	
-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार	241
-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार	241
श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
अनुदान की मांग	
-कारागार-मांग संख्या 17 की प्रस्तुति	93
-पुलिस-मांग संख्या 16 की प्रस्तुति	92
-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार	324
शासकीय वक्तव्य	
-मुकदमों को न्यायालय से वापस लेने के सम्बन्ध में	58
श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-नोखा (बीकानेर) तहसील की स्वीकृत जल ग्रहण विकास योजनाएं	442
डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा परमिट शुदा यात्री वाहनों का अनियमित चालान	478
श्री जीतमल खांट (बागीडोरा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-अकाल एवं बाढ़ राहत कार्यों हेतु आबंटित राशि का उपयोग	35

नाम	पृष्ठ संख्या
ग्रामीण विकास	
-बागीदौरा में एनीकट निर्माण	361
शासकीय वक्तव्य	
-मानगढ़ धाम में त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्य बाबत	82
श्री जीतराम (मालपुरा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-अजमेर एवं टोंक रोड (जंयपुर) पर वृक्षों की कटाई	1
याचिका	
-मालपुरा के किसानों को बीसलपुर बांध से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने बाबत	75
श्री जुबेर खान (रामगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-अकाल एवं बाढ़ राहत कार्यों हेतु आबंटित राशि का उपयोग	32
गृह	
-गौवध पर प्रभावी रोक हेतु उपाय	373
शासकीय वक्तव्य	
-मुकदमों को न्यायालय से वापस लेने के सम्बन्ध में	58
श्री जोगाराम पटेल (लूणी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-जोधपुर जिले में आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र	427

नाम	पृष्ठ संख्या

अनुदान की मांग

-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार 185

-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार 185

तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायती राज

-पंचायतराज संस्थाओं की गबन शुदा राशि की वसूली 10

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)

अनुदान की मांग

-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार 301

-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार 301

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी)

अनुदान की मांग

-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार 181

-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार 181

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थानों में स्वीकृत कार्मिकों की संख्या में वृद्धि 391

तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-अजमेर जिले में ग्रामीण विकास हेतु आबंटित राशि 372

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा)	
अनुदान की मांग	
-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार	156
-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार	156
श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-चित्तौडगढ़ जिले के जलग्रहण विकास कार्यों का निरीक्षण	371
श्री नवनीत नीनामा (घाटोल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-डूंगर (घाटोल) वन खण्ड क्षेत्र पटवार मण्डल में शामिल आदिवासी कृषक की भूमि	425
श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-पंचायतराज संस्थाओं की गबन शुदा राशि की वसूली	8
श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-पंचायत समितियों के अधीन कार्यरत हैण्डपम्प मिस्त्रियों हेतु सेवा नियम	446
श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-झुंझुनूं वन मण्डल में "वन विकास एजेन्सी" का गठन	426

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-"सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम" योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित राशि	353
श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-अन्ता (बारां) पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायतों को स्वीकृत राशि	441
सहकारिता	
-इटावा (कोटा) क्रय-विक्रय सहकारी समिति में कार्यरत कार्मिक	434
श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-राज्य में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि पर नियंत्रण हेतु कार्य योजना	395
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-बारां जिले की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में पदस्थापित अधिकारी	386
-सहकारी कर्जों की माफी हेतु गठित समिति	355
श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी)	
अनुदान की मांग	
-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार	139
-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार	139

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस कुशलगढ़ हेतु भवन निर्माण	416
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कारागार	
-उप कारागृह भवन कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) की मरम्मत	351
श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द)	
अनुदान की मांग	
-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार	304
-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार	304
श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-वागोर (करौली) ग्राम हेतु निगम बस सेवा	484
श्री बनवारी लाल (धौलपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-धौलपुर जिले में अकाल राहत कार्यान्तर्गत सड़क निर्माण हेतु आबंटित राशि	455
अनुदान की मांग	
-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार	167
-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार	167

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-धौलपुर जिले के पुलिस थाना भवनों का आधुनिकीकरण	365
श्री बाबूलाल नागर (दूदू)	
अनुदान की मांग	
-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार	309
-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार	309
प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थानों में दर्ज प्रकरण	396
पंचायती राज	
-राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुर्गापुरा के भवन का निजी संस्थान का आबंटन	437
डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-बस डकैती में शहीद निरीक्षक के आश्रितों को पेंशन	477
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-अकाल एवं बाढ़ राहत कार्यों हेतु आबंटित राशि का उपयोग	33
शासकीय वक्तव्य	
-पोषाहार टेंडर की अवधि बढ़ाने और पोषाहार की गुणवत्ता विषयक	54

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)

अनुदान की मांग

-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार 149

-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार 149

तारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-जयपुर जिले में देह व्यापार के दर्ज प्रकरण 384

याचिका

-जयपुर ग्रामीण में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत 74

-जयपुर ग्रामीण में राजकीय महिला चिकित्सालय खोलने बाबत 74

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना)

अनुदान की मांग

-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार 293

-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार 293

श्री भरत सिंह (दीगोद)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वन

-कोटा एवं बूंदी जिले में संचालित ईंट भट्टों हेतु "फ्लाई एश" के उपयोग की अनिवार्यता 463

अनुदान की मांग

-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार 244

-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार 244

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायती राज

-किशनगढ़ में कार्यरत हैण्डपम्प मिस्त्री 448

याचिका

-राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय, किशनगढ़ (अजमेर) के जीर्ण-शीर्ण पुराने भवन का नवीनीकरण कराने बाबत 75

-राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय, किशनगढ़ (अजमेर) को 150 बैड में क्रमोन्नत करने बाबत 75

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-नोखा (बीकानेर) पुलिस थाना में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 269/04 की जांच 399

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सहकारिता

-सहकारी समितियों में कार्यरत दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही 433

अनुदान की मांग

-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार 190

-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार 190

तारांकित प्रश्नोत्तर

वन

-अजमेर एवं टोंक रोड (जयपुर) पर वृक्षों की कटाई 3

नाम	पृष्ठ संख्या
श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)	
अनुदान की मांग	
-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार	296
-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार	296
श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक	
सदन की कार्यवाही	
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	161
समिति प्रतिवेदन : कार्य सलाहकार	
-कार्य सलाहकार समिति का नवां प्रतिवेदन	218
श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-गोगुन्दा में अकाल राहत कार्यान्तर्गत पक्के निर्माण कार्य	451
श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खेल	
-जयपुर विद्याधर नगर स्थित स्टेडियम में खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति	387
समाज कल्याण	
-जयपुर शहर के विधवा/अशक्त जनों द्वारा पेंशन हेतु आवेदन	491
मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कारागार	
-सजायाफ्ता कैदियों का अन्तरकारागृह स्थानान्तरण के लम्बित प्रकरण	417

नाम	पृष्ठ संख्या
अनुदान की मांग	
-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार	118
-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार	118
शासकीय वक्तव्य	
-पोषाहार टेंडर की अवधि बढ़ाने और पोषाहार की गुणवत्ता विषयक	57
श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-निगम सेवा में कार्यरत साहसिक कर्मियों को विशेष पदोन्नति	476
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खेल	
-सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर का राजस्थान क्रिकेट संघ को हस्तान्तरण	349
श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-भीण्डर (चित्तौड़गढ़) पंचायत समिति का पुनर्गठन	440
श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-जयपुर के प्रशासनिक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण छात्रावास कक्षों का उपयोग	429
याचिका	
-परबतसर में कृषि उपज मण्डी कार्यालय व यार्ड की स्थापना बाबत	74
-राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबतसर को 100 शैय्याओं में परिवर्तित करने बाबत	74

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-जयपुर शहर के उपनगरीय मार्ग संख्या 11 पर अवैध रूप से संचालित मिनी बसें	485
श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)	
अनुदान की मांग	
-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार	252
-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार	252
श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-गढ़ी पंचायत समिति (बांसवाड़ा) में मजदूरों को भुगतान न मिलने बाबत	75
शासकीय वक्तव्य	
-बांसवाड़ा महिला छात्रावास का भवन गिरने बाबत	76
-मानगढ़ धाम में त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्य बाबत	79
श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)	
अनुदान की मांग	
-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार	171
-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार	171
श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत निर्धारित आयु सीमा	380

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वन

-अलवर वन मण्डल में पदस्थापित अधिकारी 418

तारांकित प्रश्नोत्तर

खनिज

-कोटा जिले के खनन क्षेत्रों पर अतिक्रमण 379

याचिका

-गुरुमित्र पाठशाला आडिवाड़ मजरा करवाला की झौंपड़िया पंचायत समिति केशवरायपाटन में भवन निर्माण कराने बाबत 73

-नीलसागर तालाब-आंतरदा के एनीकट निर्माण कार्य को पूर्ण कराने बाबत 73

-माटून्डा (बूंदी) माइनर को चैन संख्या 64 से 75 के मध्य पक्का करवाये जाने बाबत 74

-राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय सबलपुरा झौंपड़ा (पीपल्या) तहसील नैनवां जिला बूंदी के लिए कक्षा कक्ष का निर्माण कराने बाबत 73

शासकीय वक्तव्य

-पोषाहार टेंडर की अवधि बढ़ाने और पोषाहार की गुणवत्ता विषयक 46

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)

अनुदान की मांग

-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार 162

-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार 162

तारांकित प्रश्नोत्तर

वन

-अजमेर एवं टोंक रोड (जयपुर) पर वृक्षों की कटाई 7

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री रामलाल जाट (बनेड़ा)	
अनुदान की मांग	
-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार	236
-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार	236
श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खेल	
-खेजरोली ग्राम (चौमूं) में खेल मैदान की स्वीकृति	355
श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)	
अनुदान की मांग	
-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार	111
-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार	111
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खेल	
-जयपुर क्रीड़ा परिषद् द्वारा वायर लैस सैट की खरीद	373
श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खेल	
-डेगाना (नागौर) के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान पर अतिक्रमण	383
श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी)	
अनुदान की मांग	
-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार	177
-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार	177

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

वन

-अजमेर एवं टोंक रोड (जयपुर) पर वृक्षों की कटाई 1

श्री विजय बंसल (भरतपुर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायती राज

-पपुरना (झुंझुनूं) ग्राम पंचायत की सिवाय चक भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन 447

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर)

अनुदान की मांग

-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार 247

-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार 247

तारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल एवं सहायता

-अकाल एवं बाढ़ राहत कार्यों हेतु आबंटित राशि का उपयोग 28

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)

अनुदान की मांग

-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार 145

-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार 145

शासकीय वक्तव्य

-मानगढ़ धाम में त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्य बाबत 91

-मुकदमों को न्यायालय से वापस लेने के सम्बन्ध में 72

नाम	पृष्ठ संख्या
डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-अन्य पिछड़ा वर्ग में "राइन" जाति का आरक्षण	428
अनुदान की मांग	
-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार	97
-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार	197
सूचना	
-आर्थोपेडिक विभाग, अजमेर में पी.जी. डाक्टर्स की भर्ती/पोस्टिंग	78
श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-आत्महत्या की घटनाओं की रोकथाम हेतु कार्य-योजना	402
अनुदान की मांग	
-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार	260
-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार	260
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-राजस्थान पुलिस सेवा में महिला पुलिस कर्मियों की पदोन्नति	357
शासकीय वक्तव्य	
-मानगढ़ धाम में त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्य बाबत	89
-मुकदमों को न्यायालय से वापस लेने के सम्बन्ध में	58

नाम	पृष्ठ संख्या

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-भीनमाल में विधायक कोष से निर्मित टांके 489

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

तारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल एवं सहायता

-अकाल एवं बाढ़ राहत कार्यों हेतु आवंटित राशि का उपयोग 21

शासकीय वक्तव्य

-पोषाहार टेंडर की अवधि बढ़ाने और पोषाहार की गुणवत्ता विषयक 52

-मानगढ़ धाम में त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्य बाबत 86

-मुकदमों को न्यायालय से वापस लेने के सम्बन्ध में 67

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़)

अनुदान की मांग

-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार 256

-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार 256

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)

तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायती राज

-पंचायतराज संस्थाओं की गबन शुदा राशि की वसूली 10

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)

तारांकित प्रश्नोत्तर

वन

-अजमेर एवं टोंक रोड (जयपुर) पर वृक्षों की कटाई 4

नाम	पृष्ठ संख्या
डा. सुरेश चौधरी (भादरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-भादरा (हनुमानगढ़) तहसील में लकड़ी बिक्री केन्द्र की स्थापना	426
श्री सुरेश मीणा (करौली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-खनन कार्यों पर रोक से बेरोजगार श्रमिकों का पुनर्वास	388
अनुदान की मांग	
-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार	320
-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार	320
श्री सुशील कटारा (चौरासी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-बिछीवाड़ा (डूंगरपुर) पुलिस थाना द्वारा पकड़ी गई अवैध रूप से ले जा रही गायों की सुपुर्दगी	400
श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)	
अनुदान की मांग	
-कारागार-मांग संख्या 17 पर विचार	220
-पुलिस-मांग संख्या 16 पर विचार	220
श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-अकाल एवं बाढ़ राहत कार्यों हेतु आबंटित राशि का उपयोग	18

नाम	पृष्ठ संख्या
शासकीय वक्तव्य	
-पोषाहार टेंडर की अवधि बढ़ाने और पोषाहार की गुणवत्ता विषयक	48
श्री हरीसिंह रावत (भीम)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-भीम विधान सभा क्षेत्र में राशन डीलरों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण	428
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-भीम विधान सभा क्षेत्र में संचालित निगम बस सेवा	362
श्री हीरालाल (निवाई)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-"ऐरोज मिनरल्स" द्वारा बरथल क्षेत्र (निर्वा) में अवैध खनन	390
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-राजस्थान अरबन को-आपरेटिव बैंक का अन्य बैंक में समामेलन	366
श्री हीरालाल (बामनवास)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-सहकारी भूमि विकास बैंकों में सचिव पद पर पदस्थापित अधिकारी	352
श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-बारां जिले के पुलिस थानों में जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण	404

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-पंचायती राज संस्थाओं की गबन शुदा राशि की वसूली	10
समाज कल्याण	
-बारां जिले के छात्रावासों में व्यय राशि में वृद्धि	375